पंचदश माला, खंड 2, अंक 6

गुरुवार 9 जुलाई, 2009
18 आषाढ़, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

9 JULY 2009

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 77
Dated 21 April 2011

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्ढ
संयुक्त सचिव

जे. पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2009/1931 (शक)]

अंक 6, गुरुवार, 9 जुलाई, 2009/18 आषाढ़, 1931 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	81 से 84, 86 और 88	1-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	85, 87 और 89 से 100	31-106
अतारांकित प्रश्न संख्या	716 से 906	105-357
सभा पटल पर रखे गए पत्र		357-367
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक)	रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति — श्री श्रीकांत जेना	367-371
(दो)	हमारे पड़ोसी देशों में महत्वपूर्ण गतिविधियाँ — श्री एस.एम. कृष्णा	507-512
समिति के लिए निर्वाचन		
केन्द्रीय रेशम बोर्ड		371
कार्य मंत्रणा समिति		
दूसरा, प्रतिवेदन		371
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता — श्री अर्जुन राम मेघवाल	377-378
(दो)	पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता — डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	378
(तीन)	देश के स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रमों में महात्मा गांधी की शिक्षाओं को शामिल किए जाने की आवश्यकता — श्री विलास मुत्तेमवार	378
(चार)	मत्स्यपालन विकास के लिए पृथक मंत्रालय गठित किए जाने की आवश्यकता — श्री के.सी. वेणुगोपाल	379

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(पांच) बांसगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए बेहतर ट्रेन सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री कमलेश पासवान 379-380

(छह) मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और अन्य भागों में स्थित पुराने ऐतिहासिक तालाबों के पुनरुद्धार, संरक्षण तथा सौंदर्यीकरण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 380

(सात) भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान को प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 380-381

(आठ) इंदौर, मध्य प्रदेश में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोले जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन 381

(नौ) हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. राजन सुशान्त 382

(दस) उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित बुन्देलखंड क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री आर.के. सिंह पटेल 382

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तीर्थस्थल नैमिषारण्य को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत 382-383

(बारह) कोलकाता के हल्दिया पत्तन की ड्रेजिंग के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सुवेन्दु अधिकारी 383

(तेरह) उड़ीसा के कंधमाल जिले के विकास के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रुद्रमाधव राय 383-384

(चौदह) महाराष्ट्र राज्य के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुप्रिया सुले 384

विषय	कॉलम
रेल बजट (2009-10) — सामान्य चर्चा—*जारी*	
कुमारी ममता बनर्जी	384-403
नियम 331(छ) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव	403
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	403-404
अनुदानों की मांगें (रेल), 2009-10	404-448
विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2009	448-449
सामान्य बजट (2009-10)—सामान्य चर्चा	
और	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)-2006-07	
डॉ. मुरली मनोहर जोशी	450-466
डॉ. के.एस. राव	466-484
श्री शैलेन्द्र कुमार	484-490
श्री दारा सिंह चौहान	490-494
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	494-498
डॉ. काकोली घोष दस्तिदार	498-501
डॉ. एम. तम्बिदुरई	501-507
श्री पी. करुणाकरन	512-518
श्री भर्तृहरि महताब	518-524
श्री अनंत गंगाराम गीते	524-525
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	532-540
श्री मनीष तिवारी	541-545
श्री बृजभूषण शरण सिंह	545-547
श्री लालू प्रसाद	551-561
श्री सुरेश अंगड़ी	561-565
श्री सन्दीप दीक्षित	565-568

विषय		कॉलम
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	569-570
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	570-574
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	575-576
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	575-578

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पो.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 9 जुलाई, 2009/18 आषाढ़, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 81, श्री विलास मुत्तेमवार।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

***81. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधि आयोग सहित विभिन्न निकायों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे प्रस्तावित न्यायिक सुधारों की परिधि में शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) विधि आयोग ने, अन्य बातों के साथ, अपनी 214वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की प्रमुखता और कार्यपालिका की शक्ति को पुन: स्थापित किया जाना चाहिए। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी 1993 से पूर्व की स्थिति को पुन: स्थापित करने की सिफारिश की थी जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका, दोनों ही अंतर्वलित होते थे और उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में कार्यपालिका की प्रमुखता थी। समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के कार्य को कॉलीजियम से भिन्न किसी अन्य वृहत्तर निकाय को सौंपा जाना चाहिए जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका, दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों।

(ग) और (घ) सरकार देश में न्यायिक सुधारों के लिए एक योजना तैयार करने की प्रक्रिया कर रही है। इस प्रयोजन के लिए, सरकार ने व्यापक परामर्श करने प्रारंभ कर दिए हैं। इसके पश्चात् इस विषय पर अंतिम मत बनाया जाएगा।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न के उत्तर में, मंत्री जी ने उल्लेख किया कि विधि आयोग ने अपने 214वें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रधानता और कार्यपालिका की उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति बहाल की जानी चाहिए।

समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में निर्णय दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। राष्ट्रपति परामर्श से नहीं अपितु परामर्श के बाद नियुक्ति करेगा।

पुन:, बहुमत से लिए गए निर्णय में न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 217(1) के अनुसार तीनों संवैधानिक अधिकारियों का समान दर्जा हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश को कोई प्रधानता नहीं दी गई थी। यहां तककि भारत कुछ भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों जो न्यायाधीशों को व्यावर्तक शक्ति देने में विश्वास करते थे, ने भी अपनी राय बदलते हुए राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् का समर्थन किया था।

मालीमथ समिति ने भी सिफारिश की है कि योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश बनाए जाएं। इस दृष्टिकोण से, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या सरकार उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रक्रिया अपनाने के बारे में किसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंच गई है।

श्री एम. वीरप्पा मोइली : इस पर काफी वाद-विवाद हुआ है। भारत में, हमारी एक व्यवस्था है जो शेष विश्व से पूरी तरह अलग है। जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), यूनाइटेड किंगडम (यूके), फ्रांस, जर्मनी और अन्य बहुत से देशों का संबंध है वहां वस्तुनिष्ठ प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख और न्यायपालिका भी शामिल होती हैं; कभी-कभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका कतई शामिल नहीं थी।

वास्तव में, 1993 से पहले, स्थिति बहुत स्पष्ट थी। एस.पी. गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति मामले में भी यह दोहराया गया था जिसमें नियुक्ति में भारत के मुख्य न्याय,धीश या सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को प्रधानता दी गई थी। कार्यपालिका को प्रमुखता

दी गई है चूंकि यह लोगों के प्रति जवाबदेह है। 1993 से पहले यह स्थिति थी। नियुक्ति की सिफारिश संघ सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा की जा सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरी बार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता; और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर किया गया दूसरा स्थानांतरण न्यायोचित है। इसमें उनकी संख्या का भी उल्लेख किया गया था।

लेकिन 1993 के बहुमत से लिए गए निर्णय के बाद स्थिति बदली, और इसने सहमति के लिये परामर्श के अर्थ को बदल दिया। सारी कठिनाई इसी वजह से आई। वास्तव में, विधि आयोग ने भी समय-समय पर अपने प्रतिवेदनों में ऐसा ही कहा है।

विभागों से सम्बन्धित संसदीय स्थायी समिति ने न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी अपने 15वें प्रतिवेदन में, मंत्रालय से ठोस विकल्प देने को कहा। पुन: अपने 21वें प्रतिवेदन के पांचवे अध्याय में विभागों से सम्बन्धित संसदीय स्थायी समिति ने इसका उल्लेख करना प्रासंगिक है – कुछ भूतपूर्व न्यायाधीशों नामत: न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा और प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश और आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों से सम्बन्धित रिपोर्ट के लेखक न्यायमूर्ति मालीमथ को सुनने के बाद यह कहा कि समिति के सदस्यों में आम सहमति थी कि 1993 से पूर्व की स्थिति बहाल होनी चाहिए।

महोदया, विधि आयोग के 214वें प्रतिवेदन में पुन: इस स्थिति को दोहराया गया। उन्होंने पुन: कहा कि 1993 से पूर्व की स्थिति पुनर्स्थापित की जानी चाहिए।

अब महोदया हम न्यायिक सुधारों की योजना तैयार कर रहे हैं। हम न्यायपालिका से विरोध नहीं चाहते। इसी समय, यह या तो न्यायपालिका या उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी वर्तमान स्थिति पर पुनर्विचार करते हुए किया जा सकता है। 1993 की स्थिति से पहले जाइए और दोनों केन्द्र और राज्य स्तर पर न्यायाधीशों के चयन के लिए अपने वस्तुनिष्ठ मानदण्ड दीजिए। अन्यथा, कानून बनाना होगा जिसे इस सदन द्वारा पारित करना होगा। अन्तत:, न्यायाधीश, जो न्याय करने जा रहे हैं, उनकी योग्यता अधिकाधिक होनी चाहिए। यदि आप न्यायिक प्रभाव देखें, तो कुछ ऐसे अध्ययन भी किए गए हैं कि योग्यता के आधार पर 1993 से बाद के बजाय 1993 से पहले का समय बेहतर माना जाता था। यह स्थिति है।

हमारा दृष्टिकोण व्यापक है। हम इस पर कार्य कर रहे हैं। हम संसद, विपक्ष, न्यायाधीशों हरेक को विश्वास में लेना चाहते हैं। अन्तत: हम न्यायिक सुधारों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श करने जा रहे हैं जिसमें अधिनियम में उल्लिखित विषय – **राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल भी शामिल है।**

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदया, न्यायाधीशों की वर्तमान चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और कमियों के बारे में काफी आलोचना हुई है। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से एक सुझाव यह दिया गया है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन किया जाये। प्रथम विधि आयोग ने होनहार युवा विधि स्नातकों को अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर आने का अवसर देने के दृष्टिकोण से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का सुझाव दिया था। उन्हें कैडर का गठन करना चाहिए और निर्धारित प्रशिक्षण के बाद विभिन्न राज्यों में उनकी योग्यता के आधार पर उच्च न्यायपालिका में नियुक्त करना चाहिए। मेरे विचार में इस सुझाव से न केवल अधीनस्थ न्यायालयों में बल्कि उच्च न्यायपालिका में भी योग्यतम न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती थी। एक सुझाव यह भी था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में पिछड़े, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होना चाहिए।

महोदया, आपकी अनुमति से, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सुझाव पर भी विचार कर रही है।

श्री एम. वीरप्पा मोइली : महोदया, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के दो भाग हैं। जहां तक राष्ट्रीय न्यायिक सेवा का सम्बन्ध है यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। सभी संबंधित पक्षों से उचित परामर्श के बाद हम यह करेंगे।

जहां तक आरक्षण की बात है, अधीनस्थ न्यायपालिका में आरक्षण दिया जाता है। यह सभी राज्यों में पहले से ही है। जहां तक उच्च न्यायपालिका जैसे दिल्ली उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का संबंध है, यह हमारे समक्ष नहीं है। हमने इस पर चर्चा नहीं की है। अपने अपना दिमाग नहीं लगाया है। इस मामले को एक माननीय सदस्य ने आज उठाया है। मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार ने किसी स्तर पर इसके बारे में सोचा है।

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : अध्यक्ष महोदया, यहां तीन सिफारिशें हैं। एक विधि आयोग की सिफारिश है। दूसरी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश है। तीसरी न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए अधिशासी मण्डल का विस्तार करने के बारे में है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि तीनों सिफारिशों में से सरकार किसे स्वीकार करेगी और इसमें कितना समय लगेगा? क्या सरकार संसद को विश्वास में लेगी और यह बताएगी कि इसमें कितना समय लगेगा अन्यथा विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में मामले को निपटाने में न्यायाधीशों की नियुक्ति बाधा उत्पन्न कर रही है?

श्री एम. वीरप्पा मोइली : अध्यक्ष महोदया, पहले मैं पिछले प्रश्न का उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदया : कृपया एक प्रश्न का उत्तर दें।

श्री एम. वीरप्पा मोइली : जहां तक न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है, निर्णय लेने के अभाव में कुछ भी रोका नहीं जाएगा। अंततः राज्यों, इससे संबंधित विभिन्न पक्षों, संसद, विपक्ष के नेता, न्यायविदों तथा सभी संबंधित व्यक्तियों से परामर्श के बाद ही इस पर कोई राय बनाई जाएंगी।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, अभी श्री विलास मुत्तेमवार जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति इंडियन ज्युडिशियल सर्विसेज परीक्षा के प्रावधान से की जानी चाहिए और उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से या उनकी खींचतान से क्या नियुक्तियां प्रभावित हो रही हैं? यदि ऐसा है तो जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने यहां पूछे हैं कि इन जजों की नियुक्ति बहुत पारदर्शिता के साथ की जाए, ताकि हमारी न्याय प्रणाली सभी के लिए अच्छी और स्वच्छ हो। खासकर अगर पूरे देश में देखा जाए तो हम महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन आज पूरे देश में महिला जजों की बहुत कमी है। क्या इनकी पूर्ति के लिए माननीय मंत्री जी कोई कार्य योजना बनायेंगे?

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली : अध्यक्ष महोदया, न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में सामाजिक अवसंरचना को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही, हमने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय सहित न्यायपालिका में आरक्षण देने पर विचार नहीं किया है। यह मामला हमारे समक्ष नहीं है पर हम इस पर विचार कर सकते हैं। मैं इससे सहमत हूं कि न्यायधीशों की नियुक्ति में और अधिक पारदर्शी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, जो हमारे यहां ज्यूडिशियरी में तरीका निकला है कि जज बैठकर खुद अपने साथियों को चुनने का काम कर रहे हों। इस पर पिछले पांच वर्षों से बहस जारी है। मैं स्वागत करता हूं, आप नये मंत्री बने हैं। घर में बैठते हैं तो राजनीति में है और जिस तरह से ज्यूडिशियरी के बारे में खबरें आती हैं, एक पूर्व जस्टिस थे, उनके बारे में मैंने अपर हाऊस में मामला उठाने का काम किया था। कहने का मतलब यह है कि केवल राजनीतिक लोगों की ही इस देश में एक ऐसी जिंदगी है, जो एकाउन्टेबल है, बाकी सब चाहे मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ज्यूडिशियरी हो, किसी की कोई एकाउन्टेबिलिटी नहीं है, यानी राजनीतिक लोगों को छोड़कर सब पूरी तरह से आजाद हैं। फिल्म दिखाने से लेकर, मीडिया में दिखाने से लेकर, माइकल जैक्सन को दिखाने से लेकर सबको ऐसी आजादी है, सिर्फ राजनीतिक लोगों को आजादी नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि पिछले पांच वर्षों से यह बहस जारी है और चारों तरफ से खबर आती है कि इस पार्लियामैन्ट में भी ठग गये, हार गये तो कहां चले चलो सुप्रीम कोर्ट, चले चलो हाई कोर्ट। मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं संस्थाओं का मान-सम्मान करता हूं, मैं उस मार्यादा को लांघना नहीं चाहता, लेकिन बुरा हाल है। ऐसा हाल है कि जिसकी कहीं कोई शिकायत ही नहीं हो सकती। अजीब तरह की अल्लाह की गाय हो गई। यानी कुरान और गीता हो गई। इस मामले के पूरी तरह से समाधान के लिए कितनी तरह की कमेटियां बन चुकी हैं, आप उन कमेटियों का यहां खूब उल्लेख कर रहे हो। यानी यह पार्लियामैन्ट, यह लोकतंत्र इन कमेटियों के जाल से कभी बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? इसलिए आप पहला काम वह करिये जैसा आपने खुद कहा था कि जो पुरानी प्रक्रिया थी, वह बढ़िया थी। इसलिए आप पहले पुरानी प्रक्रिया घोषित करिये, उसे पहले लागू करते, उसके बाद कोई सुधार करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे रास्ता निकलेगा। यहां पूरी पार्लियामेंट बैठी हुई है, आप अभी घोषित करिये, हम सब लोग साथ हैं। आप क्यों नहीं कहते, क्या तमाशा मचा हुआ है? खुद बैठकर अपने साथियों का चुनाव कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया : शरद जी, आप कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री शरद यादव : आज जो चयन का सवाल है, कमेटियों को छोड़कर, उस पर ठीक से आप जवाब दीजिए कि आप क्या तत्काल कदम उठाने वाले हैं?

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली : महोदया, मैं वरिष्ठ संसद सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न में निहित अभिप्राय की सराहना करता हूं। मैं उन्हें सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमें एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता है और इस पर राष्ट्रीय सहमति के आधार पर पहुंचा जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : इसमें कितना समय लगेगा?

श्री एम. वीरप्पा मोइली : इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। इसमें निश्चित रूप से कुछ महीने लगेंगे परन्तु कुछ वर्ष नहीं लगेंगे। हमने इस पर पहले ही कुछ वर्ष गवा दिये हैं। आखिरकार संविधान के प्रावधानों की मूक भावना को कायम रखा जाना चाहिए। संसद की शक्ति सभी अंगों चाहे वह न्यायपालिका हो या कार्यपालिका या कोई अर्थ प्रशासनिक निकाय, सर्वोपरि है।

अत:, मैं अपनी सरकार की ओर माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक लंबे समय से इस की प्रतीक्षा हो रही है। प्रतीक्षा की अवधि बहुत ही कष्टाकयी रही है; प्रतीक्षा अवधि बहुत लंबी रही है और मेरे विचार इसपर सभी को विश्वास में लेकर एक राष्ट्रीय सहमति बनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, मैं यह भी दोहराना चाहता हूं कि मेरे विचार में ऐसे मुद्दे पर न्यायपालिका से टकराने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विजय बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं 40 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हूं। जब भी ज्युडिशियल रिफार्म्स की बात आती है तो सरकार कनफ्रंटेशन और आर्गूमेंट ऑफ फीयर लेती है। अब यह कनफ्रेंटेशन और फीयर की बात नहीं है। हिन्दुस्तान चाहता है कि रीयल में ज्यूडिशियल रिफार्म्स हों। जैसे किसी ने उत्तर प्रदेश में 25 साल तक वकालत की और 25 साल तक वह सरकार का वकील था। सरकार के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन्स हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जब वह जज बनता है और उसके सामने यूनिवर्सिटी का केस आता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इनहेरेंट बायस्ड होगा, इनहेरेंट फियरनेस ज्योपरडाईज़ होगा? इनहाऊस जजेज का मैकेनिज्म अब फेल हो चुका है। इश्यू बहुत सीरियस है। हर गवर्नमेंट...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये।

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं चाहता हूं कि इसमें जो प्रक्रिया हो, वह जल्दी हो और उसकी समय सीमा तय कर दी जाये... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये।

श्री विजय बहादुर सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि क्या न्याय मंत्री इस सैशन में इसका निर्णय लेंगे?

अध्यक्ष महोदया : ये तो सजेशन्स हैं, आप प्रश्न पूछिये।

श्री विजय बहादुर सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि ज्युडिशियल रिफार्म्स में ट्रांसफर पहला स्टैप है। जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसने इलाहाबाद में प्रैक्टिस की, उसका ट्रांसफर हिन्दी स्पीकिंग प्रदेश में कर दीजिये। अगर वे नहीं चाहते हैं तो जज न बने।

अध्यक्ष महोदया : आपके सुझाव आ गये हैं।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय, क्या आप उनके इस सुझाव पर प्रतिक्रिया देंगे? यह कोई प्रश्न नहीं है।

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन** : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को उच्च न्यायपालिका से दर किनार किया जा रहा है। जब कभी सीधी भर्ती होती है। तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह दलील देकर नजर अंदाज किया जाता है कि वे योग्य नहीं हैं। देश की आजादी 62 वर्ष पहले मिल गई थी जबकि अभी तक इस देश में ''उपयुक्तता'' को परिभाषित नहीं किया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान राज्य में से प्रत्येक उच्च न्यायपालिका में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के केवल एक न्यायधीश की नियुक्ति हुई है। मेरी जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग उच्च न्यायपालिका में पूरे देश में ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायपालिका से उच्च न्यायपालिका में पदोन्नति के समक्ष उन पदों के एवज में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदया : अपना प्रश्न पूछिए।

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन** : हां महोदया, मैं एक प्रश्न पूछ रही हूं। जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की पदोन्नति की बारी आती है तो उनकी फाइलें वर्षों तक लंबित रखी जाती हैं और उन पर कार्यवाही तब होती है जब वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यही कटु सत्य है। ऐसे कई उदाहरण हैं।

अध्यक्ष महोदया : अपना प्रश्न पूछिए।

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन** : उच्च न्यायपालिका (उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय) में लंबित सत्तर प्रतिशत मामले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं और उन्हें न्याय से वंचित रखा जाता है। अत: मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

कमजोर वर्गों के लिए उच्च न्यायपालिका में आरक्षण लागू किया जाएगा या नहीं?

श्री एम. वीरप्पा मोइली : अध्यक्ष महोदया, सामाजिक न्याय (सोशल इंजिनियरिंग) कोई दान नहीं है। यह अधिकार है जो सभी को दिया जाना चाहिए। इस पर कोई उचित निर्णय लिए जाने तक हमने मुख्य न्यायाधीशों तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी अनुरोध किया है कि वे नामों की सिफारिश करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों के बारे में दिए गए सुझावों पर ध्यान दें। हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा ही हो और जब सुधार के व्यापक दृष्टिकोण की बात आएगी तो निश्चित रूप से सभी चीजों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।

श्री पी. करुणाकरन : महोदया, न्यायपालिका हमारे लोकतांत्रिक ढ़ाचे के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। न्यायपालिका का स्वतंत्र कार्यकरण और इसकी संप्रभुता कायम रखनी होगी। साथ ही, न्यायिक ढ़ाचे में स्थानांतरण, पदोन्नति तथा अन्य सुविधाओं का ध्यान रखने तथा न्यायपालिका को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए न्यायिक आयोग के गठन के बारे में स्वयं न्यायिक क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग विचार या मान्य विचार व्यक्त किए गए हैं। मैं आप के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है?

श्री एम. वीरप्पा मोइली : महोदया, न्यायिक आयोग तथा न्यायिक परिषद् के संबंध में सरकार विचार कर रही। ऐसी स्थिति में क्या उपयुक्त है, हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे और निर्णय लेंगे।

यात्रियों से विमानपत्तन विकास शुल्क

*82. + **श्री तथागत सत्पथी :**
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कतिपय विमानपत्तनों पर यात्रियों से विमानपत्तन विकास शुल्क वसूल कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ ने विमानपत्तन विकास शुल्क लगाने का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को ये शिकायतें मिली हैं कि विमानपत्तन विकास शुल्क उन सुविधाओं के लिए वसूल किया जा रहा है के केवल कुछ वर्षों बाद ही उपलब्ध कराई जा सकती हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। तथापि, दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों पर विकास शुल्क लिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा) की ओर से ऐसा कोई विरोध-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) जी, हां। रिर्सोसेज ऑफ एविएशन रिड्रेसल एसोसिएशन (आरओएआर) ने विकास शुल्क की वसूली का विरोध किया है। इस संबंध में आरओएआर द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की हुई है। वित्त साधनों के रूप में रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपाजिटस से आमदनी की उम्मीद कम होने की वजह से उत्पन्न वित्तपोषण के अंतर को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों पर विकास शुल्क लगाया गया है। दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

श्री तथागत सत्पथी : अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह उनके मंत्रालय की ओर से लापरवाहीपूर्ण रवैया है, जानने से पहले हठात नीति बना लेते हैं। सामान्यत: हम राजमार्गों तथा सड़कों पर टॉल गेट स्थापित करते हैं जोकि पूर्ण हो गया है। जब कंपनियों ने मुंबई और दिल्ली विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण शुरू किया तो उस समय यह कहकर बहुत हल्ला-गुल्ला किया गया था कि इसका निजीकरण किया जा रहा है और एक नए युग की शुरूआत की जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में रोमांचित था। किन्तु आज हमें विमानपत्तनों पर कम मिलता है? महोदया, आपने भी कई बार दिल्ली से यात्रा की होगी। यदि आपको या माननीय मंत्री को अपना सामान उठाना पड़े तो आपको पता चलेगा कि कनवेयर बेल्ट्स एक दूसरे के इतने करीब होते हैं

कि लोग नहीं जान पाते कि कहां खड़ा होना है। शौचालय बदबूदार हैं। इन्हें आधुनिक विमानपत्तन की सुविधा नहीं कहा जा सकता।

मेरा प्रश्न यह है कि हम निजी कंपनियों के खर्च को क्यों बहन करें जिन्हें अपनी कीमत पर विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण करना होता है। कितने माननीय सदस्य, जो बहुत जागरूक हैं, और इस राष्ट्र के उच्च शिक्षित लागे यह जानते हैं कि हर बार जब वे दिल्ली आते हैं या दिल्ली से जाते हैं तब उन्हें विमानपत्तन शुल्क के रूप में दो सौं रुपए देने पड़ते हैं या यदि वे विदेश जाते हैं तो उन्हें दिल्ली से लगभग 1000 रुपए तथा मुंबई से 1300 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। यहां तक कि हमें भी इसके बारे में जानकारी नहीं है।

अत: औसत यात्रियों को उसकी जेब पर पड़ने वाले भार से अवगत नहीं कराया जाता है। मंत्रालय निजी कंपनियों की कीमत को क्यों भरे जिन्हें विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण का खर्च स्वयं वहन करना होता है?

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदया, प्रश्न का निहितार्थ यह है कि आधुनिक अवसंरचना के विकास के लिए हमसे भुगतान क्यों कराया जा रहा है। मेरे विचार में कुछ हद तक हम सभी जानते हैं। कि विमानपत्तन की अवसंरचना का समयानुसार विकास नहीं किया गया है। जिसके परीणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हमने व्यापक विस्तार का अभियान चलाया है। यह कहना उचित नहीं होगा कि भारत के विमानपत्तनों का विकास नहीं हो रहा है यह विमानपत्तनों की अवसंरचना में पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ हद तक चीजें बेहतर हो सकती हैं, मैं भी मानता हूं कि सुधार की गुंजाइश है। हम जो भी करते हैं उसमें निश्चित रूप से सुधार की गुंजाइश रहती है। किन्तु साथ ही, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दिल्ली विमानपत्तन, इं.गां.अं. विमानपत्तन में व्यापक विस्तार अभियान चल रहा है। यह कहना कि घरेलू टर्मिनलों या अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों की स्थिति में बदलाव नहीं आया है, भी सही नहीं होगा। मैं पुन: स्वीकार करता हूं कि आपने जो सुझाव दिया उसमें सुधार की गुंजाइश है और इन पर विचार किया जा सकता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि आप इन विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण की लागत देखें तो यह लगभग 9000 करोड़ रुपए है। आईजीआई विमानपत्तन पर पहले ही साढ़े पांच हजार करोड़ से अधिक रुपये खर्च हो चुके हैं। उड़ान भरते समय आप बाई ओर बड़े विस्तार को देख सकते हैं। एक नए टर्मिनल न का निर्माण हो रहा है जिसकी तुलना विश्व के सबसे अच्छे टर्मिनलों से की जा सकती है। यह संभवत: विश्व के सबसे बड़े टर्मिनलों और विमानपत्तनों के विकास कार्यक्रमों में से एक है।

आपने ठीक ही कहा है कि जब आप सड़क से जाते हैं तो पथकर दिया जाता है। अब अन्य सेवाओं के लिए भी पथकर का भुगतान किया जाता है। परन्तु अच्छे समय में हम कभी भी पानी के लिए पैसा नहीं देते थे और कभी भी हमें सड़क पर चलने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब यह अवधारणा बन चुकी है। जहां जनता की भागीदारी से पैसा इकट्ठा किया जाता है। मेरे विचार में पथकर या विकास शुल्क जैसाकि इन विमानपत्तनों के मामले में है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हमने अतीत में नहीं अपनाया था लेकिन भविष्य में हमें इसका प्रयोग करना होगा। अभी हम दिल्ली तथा मुंबई के विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण हेतु विकास शुल्क का भुगतान कर रहे हैं जिसे प्राइवेट लोगों द्वारा किया जा रहा है। हैदराबाद और बंगलौर के विमानपत्तनों के मामले में भी आधुनिकीकरण किया जा रहा, जो अभी नए हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमानपत्तनों का विकास कर रहा है। यह चेन्नई, कोलकाता और अन्य विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण करेगा या पहले से ही कर रहा है। मैं एक कदम और बढ़कर कहना चाहता हूं कि विकास शुल्क उन विमानपत्तनों के मामलों में भी किया जाए जिनका आधुनिकीकरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। यह उन सुझावों में से एक है जिन पर हमारा मंत्रालय विचार कर रहा है।

श्री तथागत सत्पथी : मैं अपने प्रश्न को दोहराता हूं। मैंने इस बात पर बल दिया और स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया कि आप सड़क का निर्माण पूरा होने के बाद ही टोल टैक्स का भुगतान करते हैं निर्माणाधीन सड़क के लिए आप टोल टैक्स का भुगतान नहीं करते। अत:, यदि किसी निजी कंपनी को वाणिज्यिक आधार पर हवाई अड्डे का निर्माण कार्य सौंपा जाता है तो वह उससे धन अर्जित करेगी। उसके लिए यह एक वाणिज्यिक उद्यम होगा। वह इस कार्य से लाभ अर्जित करेगी। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। परन्तु, जो कंपनी दिल्ली हवाई अड्डे का का निर्माण कर रही है वही कंपनी मेरे निर्वाचन क्षेत्र ढेंकानाल, उड़ीसा में एक बड़े विद्युत संयंत्र का भी निर्माण कर रही है। अत: मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जब उस कंपनी के पास देश के अन्य भागों और अन्य विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने हेतु धनराशि है तो वे यात्रियों से शुल्क की वसूली क्यों कर रहे हैं। वे गुप्त रूप से यात्रियों का शोषण क्यों कर रहे हैं? वे रैड क्रास की तरह एक दान पेटी क्यों नहीं रख देते ताकि इच्छा होने पर आप लोग दान कर सकें? अत:, जीएमआर इस तरह की एक दान पेटी रख दे ताकि कोई भी, चाहे वह माननीय मंत्री हो या सदस्य उसमें 200 रुपये का दान कर सके। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

मेरा यह कहना है कि पूरा विमानन उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री तथागत सत्पथी : अध्यक्ष महोदया, यह एक प्रश्न है। यह प्रश्न का एक भाग है। मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री तथागत सत्पथी : यह प्रश्न का 'पूर्व' भाग है। अब मैं प्रश्न के 'बाद' वाले भाग पर आता हूं। विमानन उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है और इस उद्योग को दस बिलियन डालर तक का नुकसान होने की संभावना है। मुझे खेद है कि मैं धनराशि का उल्लेख ''डालर'' में कर रहा हूं। आजकल सब ''डालर'' में ही लिखते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जब विमानन उद्योग इस प्रकार की मंदी से गुजर रहा हो तो क्या आम यात्रियों पर इस प्रकार का भार डालना उचित है? निसंदेह, माननीय मंत्री जी की पहल से विमान यात्रा के किराए में कमी आई है। परन्तु, क्या गुप-चुप तरीके से विमान यात्रियों पर कर लगाना उचित है? आपकी पार्टी हमेशा अन्य पार्टियों के गुप्त एजेंडा का उल्लेख करती है परन्तु, यह आपका गुप्त एजेंडा है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। कि क्या वह इस गुप्त एजेंडा के तहत निजी कंपनियों को लाभ अर्जित करने देंगे।

श्री प्रफुल पटेल : महोदया, मैंने अपने पूर्ववर्ती उत्तर में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। परन्तु, मैं माननीय सदस्य को संतुष्ट करने के लिए कि सभी कार्य उचित और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से किए जा रहे हैं अथवा नहीं इसमें एक बात और जोड़ सकता हूं संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से विमानपत्तन आर्थिक विनियामक (ए.ई.आर.ए.) प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है। इसने कार्य करना आरंभ कर दिया है और अन्य विनियामक प्राधिकरणों की तरह इसका भी सरकार या कार्यपालिका की निर्णय लेने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, आपने जो प्रश्न आज यहां उठाया है कि क्या वे शुल्क संगत हैं, क्या वे उचित और तर्कसंगत है; और क्या राजस्व में कमी को देखते हुए वसूले जा रहे शुल्क की मात्रा उचित है उनका निर्णय यह प्राधिकरण करेगा।

इन सभी मुद्दों जिन पर सरकार में रहते हुए हम निर्णय लेते हैं और जिन पर आपको कोई संदेह होता है वे सभी मुद्दे अब एक विनियामक प्राधिकरण पर छोड़ दिए जाएंगे, जिसका गठन संसद के एक अधिनियम के माध्यम से किया गया है। इसलिए आपने जो भी मुद्दे यहां उठाएं हैं उन्हें, यदि विनियामक प्राधिकरण अनुचित पाता है तो उन सबका समाधान किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी – उपस्थित नहीं।

डॉ. के.एस. राव : महोदया, माननीय मंत्री जी ने बड़ी चतुराई और पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर दिया है। प्रश्न यह है कि क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कुछ विशेष विमानपत्तनों पर यात्रियों से विमानपत्तन विकास शुल्क वसूल रहा है। उन्होंने कहा, नहीं। परन्तु, साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुम्बई में इस तरह का शुल्क वसूला जा रहा है। यह एक तकनीकी उत्तर है जो कि सच भी हो सकता है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हैदराबाद विमानपत्तन पर भी विकास शुल्क वसूला जा रहा है अथवा नहीं। मेरा मानना है कि एजेंसी के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार हवाई यात्रियों की संख्या बीस लाख या पचास लाख या इसके आस पास पहुंचते ही उन्हें इस उपयोगकर्त्ता शुल्क की वसूली बंद कर देनी चाहिए।

अत:, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सार्वजनिक करेंगे कि अनुबंध के अनुसार हवाई यात्रियों की संख्या एक स्तर पर पहुंच जाने के पश्चात कोई भी उपयोगकर्त्ता शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

श्री प्रफुल पटेल : महोदया, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यंग्यात्मक या किसी भी और रूप में दी गई बधाई के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। परन्तु, सत्य यह है कि उपयोगकर्त्ता विकास शुल्क, हैदराबाद में नए विमानपत्तन के उन्नयन या निर्माण कार्य में लगे हुए कंसौर्टियम के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार वसूल किया जा रहा है। किसी विशेष स्तर पर इसको समाप्त कर देने का कोई प्रश्न नहीं है। यह, छूट के दौर पर निर्भर करता है और इसे अनुबंध के अनुसार लागू किया गया है। इससे ऐसी कोई बात नहीं है कि हवाई यात्रियों की एक निश्चित संख्या पर इसकी वसूली बंद कर दी जाएगी, क्योंकि यात्रियों की संख्या पचास लाख होने पर भी विमानपत्तन के उन्नयन का कार्य बंद नहीं होगा। इसके अगले स्तर पर पहुंचते ही इसमें और पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। अत:, किसी विशेष स्तर पर इसे समाप्त करने का प्रश्न नहीं है। वस्तुत: यातायात का एक स्तर प्राप्त कर लेने पर आपसे यातायात के अगले प्रस्तावित स्तर के अनुरूप विमानपत्तन का उन्नयन करने की आशा की जाती है। अत:, मैं नहीं मानता कि ऐसा करना संगत है। जैसा कि मैंने कहा है मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं कि मौजूदा उपयोगकर्त्ता विकास शुल्क से संबंधित सभी मुद्दे, जिन पर मंत्रालय ने विगत में अनुबंध दायित्वों के एक भाग के रूप में निर्णय लिया है, विनियामक प्राधिकरण के कार्य आरंभ कर देने के पश्चात, अब सरकार से उक्त प्राधिकरण के पास चले गये हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मुम्बई और दिल्ली इन दो एयरपोर्ट्स पर विकास शुल्क लिया जा रहा है। मैं सत्पथी जी की टिप्पणी से सहमत होता हूं कि विकास शुल्क तभी लिया जाना चाहिए जब यह कार्य पूर्ण हो जाए। आज जो स्थिति दिल्ली और मुम्बई की है, करीबन 20 साल से मैं अहमदाबाद, मुम्बई और दिल्ली मेरा आना जाना सदन के कारण हो रहा है। मंत्री जी मेरे पहले से ही मित्र हैं, इसलिए नाम से उन्हें प्रफुल्ल भाई बुलाता हूं। इस समय स्थिति इतनी खराब है, यह सभी को मालूम होगा, पहले हम चालीस मिनट आकाश में उड़ते थे, जिसे दिल्ली दर्शन कहते हैं। *[अनुवाद]* मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। आप स्वयं देख सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अत्यंत अव्यवस्था है।

श्री अनंत कुमार : यहां तक कि माननीया अध्यक्ष महोदया को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : विकास शुल्क लेने के बाद से स्थिति पहले से ठीक नहीं हुई है, अपितु वर्स्ट हुई है क्योंकि चालीस मिनट ऊपर उड़ने के पश्चात् हमें रन-वे मिल जाता था और प्लेन नीचे आ जाता था। *[अनुवाद]* पहले जब मैं अहमदाबाद गया था तो मुझे बोर्डिंग स्थल से रन-वे तक पहुंचने में 45 मिनट लगे। *[हिन्दी]* 45 मिनट तक मुझे टैक्सी वे पर घुमाया गया। यदि एक रन-वे ज्यादा बना हुआ है तो समय कम लगना चाहिए, लेकिन स्थिति पहले से बिगड़ती जा रही है। मेरा प्रश्न है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर इस स्थिति में कब सुधार होगा क्योंकि इससे फ्यूल का वेस्टेज होता है और मैनपावर का भी वेस्टेज है। चार-चार घंटे तक फ्लाइट डिले हो जाती है, उसके बाद आपको रन-वे पर घूमना पड़ता है, आकाश में घूमना पड़ता है, एयरपोर्ट और दिल्ली दर्शन के लिए। यह सब कब समाप्त होगा और कब यह स्थिति सुधरेगी?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : महोदया, चूंकि उन्होंने मुझे प्रफुल भाई कहा अत: मैं भी उन्हें हरिन भाई कहना चाहूंगा।

महोदया, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने विमान यातायात बढ़ने की बात कही। मेरे विचार से उन्होंने यही कहा है परन्तु वास्तव में उनका आशय यह था कि उन्हें 45 मिनट तक जमीन पर टैक्सीवे में घुमाया गया।

दिल्ली एयरपोर्ट पर नए रन-वे का निर्माण कार्य चल रहा है। आपको यह समझना होगा कि वहां निर्माण कार्य चल रहा है। यदि आप विमान में बायीं तरफ बैठते हैं तो आप जो नया टर्मिनल बन रहा है उसे देख पातें होंगे और अंतत: सारे विमान वहीं खड़े होंगे। घरेलू एयरपोर्ट पर अभी निर्माण कार्य चलने के कारण थोड़ी असुविधा है। अत: भविष्य में विमान के लैण्ड होने पर 'वे' तक जाने में लगने वाले समय में निश्चित तौर पर कमी होगी और नया टर्मिनल अप्रैल, 2010 से चालू हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदया, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार यह सब कार्य कर रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इलाहाबाद एयरपोर्ट को भी, जिसका मैंने कई बार उल्लेख किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसे बनवाएंगे? इलाहाबाद से आपने हवाई जहाज सेवा शुरू करवायी थी। वह इस समय पूरी भरी हुई चल रही है। उसमें रिज़र्वेशन नहीं मिलता है। क्या आप वहां से 60 सीटर भी चलवाएंगे?

श्री प्रफुल पटेल : माननीय सदस्य, जो कि वरिष्ठ सदस्य हैं और हमारे साथी हैं। जिस हवाई जहाज सेवा के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि वह एयरपोर्ट डिफेंस का है और वहां एक सिविल एन्क्लेव है, वहां किसी भी प्रकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने का प्रश्न नहीं उठता है। यदि राज्य सरकार की ओर से नये हवाई अड्डे का कोई प्रस्ताव है...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : इरादतगंज में है।

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रफुल पटेल : महोदया, मैं उस हवाई अड्डे के बारे में तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता हूं क्योंकि वह हवाई अड्डा राज्य सरकार का है। यदि राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव आता है तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे। इलाहाबाद से हवाई यात्रा की शुरूआत रेवती रमन जी और शैलेन्द्र जी के आग्रह पर ही शुरू की गई थी। मैं समझता हूं कि वे खुश हैं कि हवाई जहाज भरकर चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : महोदया, 2 जुलाई को प्रश्नकाल था। परंतु सभा स्थगित होने के कारण प्रश्नकाल नहीं हुआ। उस दिन चर्चा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सभापटल पर रखा गया था।

मेरा प्रश्न श्री सत्पथी द्वारा पूछे गए मुख्य प्रश्न से कुछ अलग है। अब विमानपत्तनों के उन्नयन के लिए कर की उगाही की जा रही है। दूसरी ओर, कर्मचारियों की स्थिति ठीक नहीं है और पिछले माह से उन्हें देय वेतन नहीं मिल रहा है। उन्हें यह सूचना जारी की गई है कि इसका भुगतान विमानपत्तन में होने वाले लाभ या हानि पर निर्भर करेगा और इस संबंध में अपनी आवाज उठाने के लिए उन्हें प्रैस में भी जाने की इजाजत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस उन्नयन के पश्चात् इन विमानपत्तनों सहित एयर इंडिया के विनिवेश का कोई प्रस्ताव है। इस संबंध में अनेक आशंकाएं हैं और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन्नयन प्रक्रिया के समाप्त होने के पश्चात इसका विनिवेश करेगी।

श्री प्रफुल पटेल : मुझे समझ नहीं आया कि वह एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं या एयर इंडिया की। परंतु, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि एयर इंडिया या एयरपोर्ट अथॉरिटी के विनिवेश का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निवेशकों की सुरक्षा

*83. **श्री बलीराम जाधव :**
श्री के.सी. वेणुगोपाल :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसज लि. के कामकाज की जांच की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सत्यम घोटाले के पश्चात् अन्य कम्पनियों में और अनियमितताएं सरकार के ध्यान में लाई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में कोई नया कानून लागू करने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन कम्पनियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 के अंतर्गत आदेशित सत्यम के मामले की जांच की रिपोर्ट गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय (एसएफआईओ) से प्राप्त हो गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सत्यम से संबंधित घटनाओं में सम्मिलित आपराधिक देयता के कारण इसकी जांच की है। अब कानून के अंतर्गत इन जांचों के आधार पर सम्मिलित पाए गए लोगों पर अन्य विभिन्न नियामक निकायों/अभिकरणों द्वारा यथोचित कार्रवाई सहित अभियोजन चलाने की कार्रवाई की जा रही है।

(ख) और (ग) सत्यम घोटाला एक असामान्य घटना है तथा इससे संबधित घटनाएं केवल उक्त कम्पनी से ही जुड़ी हुई है। तब से अभी तक इस तरह का कोई अन्य घोटाला नोटिस में नहीं आया है।

(घ) से (च) धोखाधड़ी की घटनाओं से निपटने के लिए एक सुपरिष्कृत नियामक ढांचा मौजूद है। इस ढांचे के अंतर्गत कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत कम्पनियों के कार्य-स्थिति के बारे में पणधारकों को सच्चाई बताने के लिए कम्पनियों के कार्य के बारे में सांविधिक प्रकटीकरणों का प्रावधान है। कम्पनियों द्वारा ऐसे प्रकटीकरण करने की सुविधा प्रदान करने और पणधारकों एवं नियामक अभिकरणों की आसान पहुंच में लाने और उन पर विचार प्रकट करने हेतु सरकार ने इंटरनेट के माध्यम से चौबीसों घंटों कार्य करने वाली एक इलेक्ट्रोनिक रजिस्ट्री की स्थापना की है। सरकार को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार कम्पनियों के लेखाबहियों का निरीक्षण करने और इनके कार्यों की जांच करने की भी शक्तियां प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में लेखाओं की लेखापरीक्षा करने और शेयरधारकों को रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र, सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस तरह लेखापरीक्षित लेखाओं को सामान्य विचार-विमर्श के लिए इलेक्ट्रोनिक रजिस्ट्री पर प्रदर्शित भी किया जाता है। यदि रिपोर्ट करने संबंधी अपेक्षाएं कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विनियमित किया जाती है, तो लेखापरीक्षकों का आचरण चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अंतर्गत विनियमित की जाता है। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए, इन सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन प्रैक्टिसरत किसी कम्पनी सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित होता है जिसे कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। सरकार ने चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 को क्रमशः चार्टर्ड एकाउंटेंटों और कम्पनी सचिवों के दुराचरण के मामलों से निपटने के लिए अधिक प्रभारी अनुशासनात्मक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में संशोधन किया है। वर्ष 2006 में, सरकार ने उचित, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत

सिद्धांतों के आधार पर कम्पनियों के लेखाओं को तैयार करने और प्रकट करने का सामर्थ्य प्रदान करने के लिए लेखामानकों को अधिसूचित किया है। सरकार का कम्पनी विधेयक, 2008 को कम्पनी विधेयक, 2009 के रूप में पुन: पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें कम्पनियों, इनके निदेशकों और लेखापरीक्षकों आदि के द्वारा धोखाधड़ियों के मामले में अधिक सख्त प्रावधान किए जाने का विचार है।

[हिन्दी]

श्री बलीराम जाधव : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी के उत्तर से सहमत हूं, परन्तु मैं चाहता हूं कि चार्टर्ड एकाउंटेंट को जिम्मेदारी निभाने के लिए सरकार जल्द से जल्द एक विधेयक लाए, जिससे सत्यम जैसा अपराध और धोखा दोबारा न हो सके?

[अनुवाद]

श्री सलमान खुर्शीद : अध्यक्ष महोदया, चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत पहले ही चार्टर्ड एकाउंटेंटस को दी गई जिम्मेदारियों की देखभाल करने संबंधी प्रावधान हैं। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान संगत अनुशासनिक जांच करता है। नए कम्पनी कानून (संशोधन) विधेयक को सभा में पुर:स्थापित करने से ये प्रावधान और सुदृढ़ होंगे।

[हिन्दी]

श्री बलीराम जाधव : अध्यक्ष महोदया, आपके उत्तर में लिखा है कि सरकार का कम्पनी विधेयक, 2008 को कम्पनी विधेयक, 2009 के रूप में फिर से लाएंगे, जो अधिक सख्त होगा। मैं जानना चाहता हूं कि उसे आप कब तक लाएंगे?

[अनुवाद]

श्री सलमान खुर्शीद : हमारी इस विधेयक को इसी सत्र में पुर:स्थापित करने की मंशा है। इस संबंध में हमें मंत्री मंडल से भी अनुमोदन मिल गया है।

अध्यक्ष महोदया : श्री के.सी. वेणुगोपाल – उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कम्पनी कानून के अनुसार आरोपितों से पैसे की रिकवरी की जाएगी, यदि की जाएगी तो कब तक की जाएगी और नहीं की जाएगी तो क्यों नहीं की जाएगी?

[अनुवाद]

श्री सलमान खुर्शीद : वर्तमान में कंपनी कानून के प्रावधान हमें धन की वसूली की अनुमति नहीं देते परंतु अन्य कार्यवाही के तहत हम सम्पत्ति को कुर्क कर सकते हैं। आयकर प्राधिकरण, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियां जो मामले की जांच कर रही हैं, को ऐसी कतिपय शक्तियां प्राप्त हैं जिनके तहत सम्पत्ति कुर्क की जा सकती है और धन की वसूली की जा सकती है।

श्री अधलराव पाटील शिवाजी : महोदया, प्रश्न 'ङ' से 'छ' तक के प्रश्नों के उत्तर में सरकार ने विस्तृत नियामक ढांचे के बारे में बताया है जो निगमित क्षेत्र में धोखेधड़ी के मामलों से निपटने के लिये स्थापित किया गया है। जांच और जवाबदेही का यह तंत्र काफी प्रभावशाली प्रतीत हो रहा है। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि सत्यम घोटाला जल्दबाजी में किया गया छोटा मोटा घोटाला नहीं था। यह सुनियोजित था और इसमें काफी समय लगा और यह काफी व्यापक पैमाने पर किया गया घोटाला था जिसमें कंपनी एक्जिक्यूटिव्स और अधिकारी शामिल थे। मेरा माननीय मंत्री से यह प्रश्न है कि वृहत नियामक तंत्र के होने के बावजूद इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ तथा नियामक तंत्र की विफलता के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है।

श्री सलमान खुर्शीद : सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति, जिसे अग्रिम जमानत मिल गई है, के अलावा सभी संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी जमानत खारिज़ कर दी गई है। अभियोजन शुरू हो गया है, सी.बी.आई. और कारपोरेट कार्य मंत्रालय का गंभीर धोखे संबंधी जांच कार्यालय अभियोजन कार्यवाही कर रहा है तथा हमें आशा है कि यह कार्य जितना अत्यंत सावधानीपूर्वक तथा अत्यावश्यकता आधार पर किया जाएगा।

जहां तक इस धोखेधड़ी के काफी लम्बे समय तक चलने का संबंध है इसमें कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया जैसे जालसाज़ी, कम्प्यूटर प्रोग्रामों में छेड़छाड़ और कंपनी विधेयक में अब जिन धोखेबाजियों और अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है वे सभी किए गए। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि जब यह विधेयक सभा में आएगा तब इसमें ऐसी अनियमितताओं से निपटने के लिए सभी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने हेतु प्रावधान शामिल होंगे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदया, सत्यम घोटाले को सरकार की किसी एजेंसी ने उजागर नहीं किया, बल्कि सत्यम के

ओनर और चेयरमैन ने स्वयं बयान दिया कि हमने इस प्रकार का घोटाला किया है। मंत्री महोदय ने प्रश्न के 'बी' और 'सी' भाग का उत्तर देते हुए कहा है कि इस प्रकार का कोई दूसरा घोटाला अभी तक हमारे नोटिस में नहीं आया है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात का इंतजाम कर रही है कि कोई और कंपनी इस प्रकार के घोटाले को एनाउंस करे?

श्री सलमान खुर्शीद : मैडम स्पीकर, मैं मानता हूं और कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जब चोरी होती है, तो यह नहीं देखा जाता कि अब पुलिस प्रतीक्षा करेगी कि दूसरी चोरी कब होगी, अपितु जो कदम उठाने की आवश्यकता होती है, वे कदम उठाए जाते हैं। यह सही बात है कि इस बात का उल्लेख सबसे पहले सत्यम के जो चेयरमैन थे, उनके ई-मेल के माध्यम से हुआ, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसे संकेत आए थे, जिन्हें देखते हुए, हमने कार्रवाई आरम्भ की थी और उसके बाद में जो कार्रवाई हुई, उससे सारे विस्तार उस घोटाले के संबंध में, उस कंपनी में जो कुछ हुआ, वह सरकार के सामने आ गया।

[अनुवाद]

मृत्युदंड

***84. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने दहेज के कारण हुई मौतों के मामले में मृत्युदंड लागू करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : महोदया, दहेज के कारण बहु को जलाना या उसकी हत्या करना सभ्य समाज में एक अत्यंत गंभीर अपराध है। देश में दिन-प्रतिदिन इन मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसे मामलों में मृत्युदंड देने के मामले में सर्वसम्मति बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री एम. वीरप्पा मोइली : अध्यक्ष महोदया, यह मामला भारतीय विधि आयोग के पास भेजा गया था और इसने भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख में संशोधन करने के प्रस्ताव संबंधी अपने 202वें प्रतिवेदन में यह कहा था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दुर्लभतम मामलों में मृत्युदंड दिया जा सकता है।

श्री पी.टी. थॉमस : महोदया, क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार हमारे देश में मृत्युदंड पर रोक लगाने हेतु कोई विधेयक लाने जा रही है? क्या पाकिस्तानी जेल में बंद भारत के सरबजीत सिंह को मिले मृत्युदंड से उत्पन्न हुए वर्तमान विवाद के संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव है? ऐसे मामलों पर सरकार का क्या रवैया है?

श्री एम. वीरप्पा मोइली : अध्यक्ष महोदया, यह इस प्रश्न के तहत नहीं आता।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न सं. 85 श्री राधा मोहन सिंह – उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 86 श्री राजैया सिरिसिल्ला।

सकल घरेलू उत्पाद में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान

***86. श्री राजैया सिरिसिल्ला : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का कितना योगदान रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि सकल घरेलू उत्पाद में उसकी हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संबंध में सकल घरेलू उत्पाद संबंधी आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते। गत तीन वर्षों के दौरान कृषि आधारित उद्योग समूह जिसमें मांस, मछली, फल, सब्जी और तेल, डेरी उत्पाद, अनाज मिलिंग, अन्य खाद्य उत्पाद बेवरेज के सकल घरेलू उत्पाद और उनकी वृद्धि नीचे दी गई है:–

वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद:–

(करोड़ रुपए में)

एनआईसी कोड और विवरण	2005-06	2006-07 (अनंतिम)	2007-08 (त्वरित)
खाद्य उत्पाद और बैवरेजिज	59281	70088	81148
सकल घरेलू उत्पाद* में अंशदान की प्रतिशतता	1.81	1.85	1.88

स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 1999-00) पर सकल घरेलू उत्पाद:–

(करोड़ रुपए में)

एनआईसी कोड और विवरण	2005-06	2006-07 (अनंतिम)	2007-08 (त्वरित)
खाद्य उत्पाद और बैवरेजिज	49165	53589	57990
सकल घरेलू उत्पाद* में अंशदान की प्रतिशतता	1.88	1.87	1.85

*तथ्यपरक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद

(ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न पहल की हैं, सरकार ने मेगा खाद्य पार्क, शीत श्रृंखला, मूल्यवर्धन केंद्र और बूचड़खानों के आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम अनुमोदित की है। बुनियादी ढांचा संबंधी स्कीम में बुनियादी ढांचा विकास सहायता और सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला समेत अधुनातम प्रसंस्करण सुविधाओं को शामिल करते हुए सुपरिभाषित कृषि/बागवानी प्रसंस्करण अंचल की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक मंच पर लाने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ना है ताकि अधिकतम मूल्यवर्धन, न्यूनतम अपव्यय और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित हो सके। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य मूल स्तर पर प्रसंस्करण और अपेक्षित फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज द्वारा समर्थित एक समेकित मूल्यश्रृंखला की स्थापना को सुकर बनाना है।

11वीं योजना के दौरान अन्य रणनीतिक पहल में नियंत्रित वातावरण/संशोधित वातावरण शीतागारों, मूल्यवर्धित केंद्रों, पैकेजिंग केंद्रों तथा प्रदीपन सुविधाओं समेत समेकित शीतश्रृंखला और परिरक्षण बुनियादी ढांचा संबंधी स्कीम शामिल है। इस स्कीम के लाभ मूल्यवर्धन/प्रसंस्करण/बागवानी-परिरक्षण, डेरी, समुद्री और मांस क्षेत्र के समेकित परियोजनाओं को भी उपलब्ध होंगे। अन्य बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन है जिससे स्वदेशी उद्योग, निर्यातकों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमियों, वर्तमान शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, खाद्य मानक निर्धारक निकायों समेत सभी पणधारियों को लाभ पहुंचाएगी।

बूचड़खानों के आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम का लक्ष्य मांस प्रसंस्करण उद्योग को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। इसका लक्ष्य बूचड़खानों की गुणात्मक और मात्रात्मक क्षमताओं का उन्नयन करना है जो स्वदेशी उपभोग और निर्यात दोनों के लिए मांस के वाणिज्यिक प्रसंस्करण के साथ लिंक होगी। इस स्कीम के तहत सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत के 50% और दुर्गम क्षेत्रों में 75% और प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 15.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता, सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जा रही है। मंत्रालय ने देश में 127.00 करोड़ रुपये की कुल लागत से 10 बूचड़खानों की स्थापना के लिए "सिद्धांतत:" अनुमोदन दे दिया है। 7.94 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

इसके अलावा, मंत्रालय के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए अनेक स्कीमें हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम का उद्देश्य नई प्रसंस्करण क्षमताओं का सृजन, विद्यमान प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन तथा दूध, फल और सब्जियां, मांस, पॉल्ट्री, मात्स्यिकी, अनाज, उपभोक्ता वस्तुएं, तिलहन, चावल मिलिंग, आटा मिलिंग, दाल आदि को शामिल करते हुए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है।

इसी प्रकार गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी स्कीम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रेरित करना है कि वे आईएसओ – 14000, आईएसओ – 22000, एचएसीसीपी, जीएमपी, जीएचपी समेत संपूर्ण गुणता प्रबंधन जैसे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को अपनाएं और उन्हें इस तरह तैयार करना है कि वे डब्ल्यूटीओ के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैश्विक प्रतियोगिता का सामना कर सकें। स्कीम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य के अंतिम उत्पाद/परिणाम/निष्कर्ष खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उत्पाद और प्रसंस्करण विकास, सुधरी हुई पैकेजिंग की शर्तों के अनुरूप खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाभ मिल सके जिससे वाणिज्यिक मूल्य समेत नवोत्पाद उत्पाद और प्रसंस्करण हो सके।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम खाद्य प्रसंस्करण में गुणवता प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकीविदों, प्रबंधकों, उद्यमियों और जनशक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इस स्कीम का उद्देश्य स्थानीय रूप से पैदा होने वाली कच्ची सामग्री का उपयोग करते हुए इन उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए ग्रामीण उद्यमशीलता का विकास और प्रौद्योगिकी का हस्तातंरण तथा व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराना है।

संस्थानों को सुदृढ़ करने संबंधी स्कीम का उद्देश्य भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे वर्तमान संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान की स्थापना करना है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान का उद्देश्य स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय निकायों दोनों विद्यमान संस्थानों के बीच सहयोग और नेटवर्किंग का संवर्धन करना, स्वदेशी संसाधनों पर संपूर्ण आंकड़ा आधार तैयार करना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रक्रियाओं को अपनाना है। उपारलिखित संस्थानों के अतिरिक्त मंत्रालय के अधीन इस स्कीम के तहत दो बोर्ड स्थापित किए गए हैं अर्थात भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड और राष्ट्रीय मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड।

उपर्युक्त, उल्लिखित स्कीमों के अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कतिपय राजकोषीय प्रोत्साहन दिए गए हैं इनमें से कुछ ये हैं – फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों को आयकर के भुगतान से छूट, पैक किए हुए खाने के लिए तैयार खाद्य और इन्स्टेंट फूड मिक्सेज के लिए उत्पाद शुल्क 16% ये घटाकर 8% किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100% विदेशी इक्विटी का स्वत: अनुमोदन।

श्री राजैया सिरिसिल्ला (वारंगल) : अध्यक्ष महोदया, मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदया, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अत्यंत सैद्धांतिक है। वस्तुत:, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों अथवा उद्योगों की संख्या नाममात्र की है और उनका उत्पादन भी अत्यंत कम है। इसके परिणामस्वरूप, सब्जियों, मांस, मछली आदि के बाजार मूल्यों में काफी उतार-चढ़ाव रहता है, जिससे किसानों को नुकसान होता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास विश्व बाजार के सामने टिके रहने अथवा उससे प्रतियोगिता करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सुदृढ़ करने और उनके आधुनिकीकरण की कोई कार्य योजना है

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदया, हमारे पास बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि करने और मूल्य संवर्धन के लिए पूरी योजना है। मैं आश्वस्त करता हूं कि हमने आपूर्ति चेन में पश्च-समेकन पूरा कर लिया है, ताकि किसानों को बेहतर मूल्य मिलें उन्हें बाजार आधारित कृषि के अवसर मिलें और किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी मिले। यही कारण है कि हमने पश्च और अग्र समेकन योजना लागू की है। हम 'मेगा फूड पार्क' स्थापित कर रहे हैं; हम 'कोल्ड चेन' स्थापित कर रहे हैं; हम पूरी आपूर्ति चेन स्थापित कर रहे हैं। इन उद्योगों की यही समस्याएं हैं। हमने 100 दिन की और एक वर्ष की योजनाएं तैयार की हैं। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि गत पांच वर्ष के दौरान इन उद्योगों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले प्रसंस्करण स्तर 6 प्रतिशत होता था, जो अब 10 प्रतिशत हो चुका है। मूल्य संवर्धन 20 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत हो गया है। विकास दर 7 प्रतिशत से बढ़कर 13.14 प्रतिशत हो गई है। हम जानते हैं कि यह बृहत्त रोजगारोन्मुख क्षेत्र है। इसलिए इस ओर, हमारा, सरकार का पूरा ध्यान है और हम यह कार्य पूरा करेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री राजैया सिरिसिल्ला : यदि ऐसी बात है तो सब्जियों यथा टमाटर और मांस उत्पादों के मूल्यों में इतना उतार-चढ़ाव क्यों होता है? माननीय मंत्री ने बताया है कि उद्योगों की उपलब्धता या तो नाम मात्र की है या फिर वे कार्य नहीं कर रहे (रुग्ण) हैं। इसके अलावा, क्या किसी दूसरे देश के साथ व्यापारिक समझौता है? यदि हां, तो वे देश कौन-कौन से हैं और उनको कौन-कौन से उत्पाद निर्यात किए जाते हैं?

श्री सुबोध कांत सहाय : 'अपेडा' ऐसा संगठन है, जो केवल प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के निर्यात व्यापार संबंधी गतिविधियों को समर्पित है। इस क्षेत्र में, गत पांच वर्ष में, खाद्य मदों का निर्यात 33,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए हो गया है। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि हमने राज्यों से बातचीत की है और हम उनसे एक खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह उद्योग शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। इसलिए यदि इसमें कोई पैसा लगाना चाहता है, तो इसे राज्य से मदद के रूप में कुछ जरूरत होती है। इसलिए, हम इस नीति पर काम कर रहे हैं कि राज्य इस क्षेत्र में निवेश किस प्रकार आकर्षित करें क्योंकि यह उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में है, इसमें शीघ्र खराब होने वाला सामान होता है। इसलिए मुझे लगता है कि बाधा यह है, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, कि हमारे पास उद्योग पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन दूरदृष्टा नेता, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने इस मंत्रालय का गठन किया था और हम

उसी दृष्टिकोण के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 2015 तक, हम 20 प्रतिशत से ज्यादा का प्रसंस्करण स्तर प्राप्त कर लेंगे और इससे किसानों की समस्याएं हल होंगी।

श्री अर्जुन चरण सेठी : अध्यक्ष महोदया, यह सत्य है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हासिल करने के लिए देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में असीम संभावनाएं हैं। लेकिन, इसके साथ ही, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने जिन प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है, वे उन उद्यमियों अथवा उद्योग तक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं जिन्होंने सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने में सरकार की सहायता करने का प्रयास किया है।

यह सत्य है कि ये प्रोत्साहन लोगों तक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। यही मेरा प्रश्न है। क्या यह सत्य है? नियत प्रोत्साहन समय पर लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं और परिणामस्वरूप इस उद्योग की वृद्धि बाधित हुई है।

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य संकल्पना से अवगत नहीं है। हमने समूची राजसहायता वितरण संकल्पना का विकेन्द्रीकरण कर दिया है। अब यह बैंक और ई-पोर्टल से जुडा है। इसलिए उद्यमी ऋण के लिए बैंक में आवेदन करता है और तद्नुसार बैंक मंत्रालय को राजसहायता का हिस्सा जारी करने की सिफारिश करता है, जो तदुपरांत मंत्रालय द्वारा सीधा बैंक को जारी किया जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री अर्जन चरण सेठी : यह एक जटिल प्रक्रिया है।...*(व्यवधान)*

श्री सुबोध कांत सहाय : पहले विकेन्द्रीकरण नहीं था। पहले सब कुछ मंत्रालय से होता था, लेकिन पिछले दो वर्ष से भी ज्यादा समय पहले हमने इसका इसका पूरा विकेन्द्रीकरण कर दिया है। हमारे खजाने में जितना भी धन होता है, हम उसका वितरण सीधे बैंकों को कर देते हैं और हमारी निधियां समाप्त होने पर ही उद्यमियों को अगले आबंटन तक इंतजार करना पड़ता है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : अध्यक्ष महोदया, देश भर के जनजातीय बहुत क्षेत्रों और प्रदेशों में अभी तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं किए गए हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विशेषकर मेरे बोडोलैंड क्षेत्र का जनजातीय बहुल इलाकों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए कोई सक्रिय और सकारात्मक नीतिगत निर्णय लिया है। मेरे बोडोलैंड क्षेत्र में तीन मिलियन लोग रहते हैं। इस क्षेत्र की अत्यधिक उपेक्षा की गई है और यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है? अत:, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और क्या उसका विचार मेरे क्षेत्र में कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का है?

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदया, पूर्वोत्तर हमारा फोकस वाला क्षेत्र है और हमने पूर्वोत्तर में निवेशकों के साथ कई बैठकें की हैं। वस्तुत:, मंत्रालय कुछ स्थापित नहीं करता है। हम मैदानी क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए 25 प्रतिशत पूंजी अनुदान के रूप में देते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में उद्योग स्थापित करने के लिए हम 33 प्रतिशत पूंजी अनुदान के रूप में देते हैं। इस प्रकार, हम उस उद्यमी की सहायता करते हैं, जो इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आगे आता है। प्रत्येक राज्य में हमने निवेशकों के लिए अलग-अलग बैठकें आयोजित की हैं और परिणाम आ रहे हैं। मैं किसी भी उस उद्यमी की सहायता करने के लिए तैयार हूं, जिसकी माननीय सदस्य के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में रुचि हो।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न 87. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय – उपस्थित नहीं।

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर – उपस्थित नहीं।

प्रश्न 88. – श्री एल. राजगोपाल।

सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उपक्रम

***88. श्री एल. राजगोपाल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम को नवरत्न इकाई घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) अन्य कम्पनियों की तुलना में नवरत्न कम्पनी को क्या लाभ मिलते हैं;

(ग) क्या नवरत्न कम्पनियों को मिलने वाले लाभों में बिक्री कारोबार के आधार पर अन्तर होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नवरत्न का दर्जा दिए जाने से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सामान्यत: अपने समग्र कार्य निष्पादन को बनाए रखने और उसमें सुधार लाने में सहायता मिली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार ने वर्ष 1997 में नवरत्न एवं मिनी रत्न योजना की शुरूआत की थी ताकि सरकारी क्षेत्र की उन कम्पनियों की पहचान की जा सके जिन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त है और उन्हें अधिक प्रचालनात्मक एवं कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करके अधिक दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। वर्तमान में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के पात्र हैं जो निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करते हों:–

(i) अनुसूची 'क' तथा मिनी रत्न श्रेणी-I का उद्यम हो;

(ii) समझौता ज्ञापन के संदर्भ में गत पांच वर्षों के दौरान कम से कम तीन वर्षों में 'उत्कृष्ट' अथवा 'अति उत्तम' श्रेणी प्राप्त की हो;

(iii) अपने निष्पादन के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान कार्यदक्षता सम्बन्धी निम्नलिखित छः मानदंडों के संदर्भ में 100 अंकों में से 60 या इससे अधिक संयुक्त अंक प्राप्त किया हो;

निष्पादन सम्बन्धी मानदंड	अधिकतम अंक
निवल परिसम्पत्ति की तुलना में निवल लाभ	25
उत्पादन अथवा सेवा की लागत में श्रम की लागत	15
नियोजित पूंजी की तुलना में सकल मार्जिन	15
कुल कारोबार की तुलना में सकल लाभ	15
प्रति शेयर अर्जन	10
निवल परिसम्पत्ति की तुलना में निवल लाभ के आधार पर अन्तरक्षेत्रीय तुलना	20
जोड़	100

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों की तुलना में नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को (i) पूंजीगत व्यय करने, (ii) भारत अथवा विदेशों में संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों की इक्विटी में पूंजीनिवेश करने, (iii) मानव संसाधन विकास, (iv) संगठनात्मक पुनर्गठन तथा (v) घरेलू पूंजी बाजारों तथा अन्तरराष्ट्रीय बाजारों से ऋण व उधार प्राप्त करने के क्षेत्र में अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कालक्रम के दौरान, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों का ब्रांड महत्व बढ़ गया है क्योंकि इससे पूंजी निवेश के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय कर पाना सरल हो जाता है। अन्तरमंत्रालयी/शीर्ष समिति द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों के निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाती है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों को विगत कुछ वर्षों से नवरत्न उद्यम का दर्जा प्राप्त है उनके कुल कारोबार, नियल परिसम्पत्ति तथा निवल लाभ में सुधार हुआ है जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:–

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08
मानदंड			
कुल कारोबार	4,88,259	5,92,554	6,65,199
निवल परिसम्पत्ति	1,86,896	2,14,008	2,45,703
निवल लाभ	34,446	45,069	47,379

श्री एल. राजगोपाल : अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में हमारे देश में 18 नवरत्न हैं और उन्हें अपने निवल मूल्य का केवल 30 प्रतिशत अथवा 1,000 करोड़ रु. तक, जो भी कम हो, निवेश करने की अनुमति है। वे एक परियोजना में 15 प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं कर सकते। परंतु कुछ नवरत्न ऐसे भी हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बीएचईएल, एचएएल, एचपीसीएल, आईओसी, एनएमडीसी, पावर ग्रिड कारपोरेशन, सेल जैसे नवरत्न अन्य नवरत्नों से कहीं आगे हैं। निवेश आदि में प्रतिबंधों के कारण वे अपने वाणिज्यिक कार्यकलापों में विस्तार करने में असमर्थ हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यदि आप इसका उत्तर चाहते हैं तो कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री एल. राजगोपाल : यही कारण है कि वे अपने निवल मूल्य का 50 प्रतिशत तक अथवा एक परियोजना में 25 प्रतिशत तक निवेश करने की स्वतंत्रता के साथ महारत्न का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।

अतः, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अन्य कम्पनियों को महारत्न का दर्जा देने में सार्वजनिक उद्यम विभाग के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

पार्सलों की सुपुर्दगी

***85 श्री राधा मोहन सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर स्थित पार्सल गोदामों के माध्यम से बुक किए गए पार्सलों की सुपुर्दगी के लिए कोई मानदंड/समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे द्वारा इन मानदण्डों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक रेल मंडल को पार्सल की लोडिंग न करने या उनकी सुपुर्दगी में विलम्ब की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) पार्सलों के प्रेषण एवं सुपुर्दगी के लिए तथा पारवहन में पार्सलों के विलम्ब का निपटान करने के लिए नियम एवं पद्यतियां मौजूद हैं। पार्सलों को यथासंभव शीघ्र भेजा जाना अपेक्षित है। नाशवान किस्म के पार्सलों, समाचार पत्रों तथा सिनेमैटोग्राफी फिल्मों को अन्य पार्सल की तुलना में अधिमान्यता दी जाती है।

यदि पार्सल का परेषण उचित समय के भीतर प्राप्त नहीं होता, तो भेजने वाले स्टेशन तथा उस रास्ते में पड़ने वाले जंक्शनों को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

(ग) रेलों द्वारा ये मानदंड अपनाए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) पार्सलों की सुपुर्दगी में लदान न करने अथवा विलम्ब के लिए अप्रैल-जून, 2009 के दौरान प्राप्त रिकार्ड की गई शिकायतों की संख्या और दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ रेलवे द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	रेलवे	मंडल	अप्रैल-जून, 2009 के दौरान रिकार्ड की गई शिकयतों की संख्या		दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध रेलवे द्वारा की गई कार्रवाई
			लदान न करने के लिए	सुपुर्दगी में विलम्ब के लिए	
1	2	3	4	5	6
1.	पूर्व मध्य रेलवे	दानापुर	0	2	2 दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध रेलवे के अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की गई।
		धनबाद	0	4	ये धनबाद मंडल में स्टेशनों के लिए बुक किए गए आवक परेषण हैं। इसकी जांच की जा रही है।
		सोनपुर	0	40	3 दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध रेलवे के अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की गई।
		समस्तीपुर	2	3	2 दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध रेलवे के अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की गई।

1	2	3	4	5	6
2.	उत्तर रेलवे	दिल्ली	1	3	सभी मामलों की जांच की जा रही है और उत्तरदायी पाए गए दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध रेलवे के अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
3.	उत्तर मध्य रेलवे	इलाहाबाद	1	1	2 शिकायतों में 2 कर्मचारियों के विरुद्ध लघु शास्ति जारी की गई है। 2 शिकायतों में 2 कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है। पूछताछ के बाद 2 शिकायतें उचित नहीं पाई गई और 2 शिकायतों की जांच की जा रही है।
		झांसी	0	2	
		आगरा	2	2	
4.	उत्तर पश्चिम रेलवे	अजमेर	1	0	संबंधित कर्मचारी को चेतावनी दे दी गई है।
		जयपुर	1	0	दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध रेलवे के अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
5.	पश्चिम मध्य रेलवे	जबलपुर	3	2	5 दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध रेलवे के अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

रेलगाड़ियों का देर से चलना

*87. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सुपर फास्ट रेलगाड़ियों के यात्रियों पर अधिभार लगाने से रेलवे ने कितना राजस्व अर्जित किया;

(ख) क्या इन दिनों कई सुपर फास्ट, मेल और एक्सप्रेस रेल गाड़ियां देर से चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा इन रेलगाड़ियों का समय पर चलाया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान सुपरफास्ट रेलगाड़ियों पर सुपरफास्ट अधिभार की उगाही द्वारा अर्जित राजस्व नीचे दर्शाया गया है:–

वर्ष	राजस्व (करोड़ रुपयें में)
1	2
2006-07	179.11
2007-08	216.34
2008-09	243.63
2009-10 (मई 2009 तक)	47.30

(ख) और (ग) जी नहीं। बहरहाल, कभी-कभी उपस्कर की खराबी, खतरे की जंजीर खींचने और शरारती तत्वों की अन्य गतिविधियों और जन आंदोलनों, प्राकृतिक आपदाओं, खराब मौसम, मवेशी कुचले जाने आदि जैसे विभिन्न कारणों से रेलगाड़ियों के चलने में विलंब होता है।

(घ) यात्री रेलगाड़ियों के समयपालन में सुधार करने के लिए विभिन्न पूर्वोपाय किए गए जाते हैं जिनमें रेलागाड़ियों पर चौबीसों घंटे निगरानी, समय-सारणी में सुधार, उपस्कर की खराबियों में कमी लाने के लिए परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के मानदंड में सुधार और रेलपथ, चल स्टॉक एवं सिगनल प्रौद्योगिकी का ग्रेडोन्नयन तथा कानून एवं व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों और शरारती तत्वों की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय शामिल हैं। समय पाबंदी पर नज़र रखने के लिए अब रेलवे बोर्ड स्तर पर विशेष गहन प्रयास शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

कच्चे तेल और गैस पर रॉयल्टी

*89. **श्री हरिन पाठक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को कच्चे तेल और गैस पर रॉयल्टी का भुगतान कच्चे तेल की वेलहेड कीमत के आधार पर करना होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ओएनजीसी ने अप्रैल से दिसंबर, 2008 तक की अवधि के दौरान राज्य सरकारों को छूट पश्चात् कीमतों पर रॉयल्टी का भुगतान किया;

(ग) क्या आज सरकारों ने केन्द्र सरकार को छूट पूर्व कीमतों के अनुसार ही रॉयल्टी का भुगतान किए जाने के संबंध में अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (घ) तेल क्षेत्रों (विनियम और विकास) अधिनियम (ओआरडीए), 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत जमीनी क्षेत्रों से वाणिज्यिक उत्पादन के लिए खनिज तेल पर रायल्टी का भुगतान राज्य सरकारों को तेल क्षेत्रों अथवा तेल कूप शीर्ष, जो भी स्थिति हो, पर खनिज तेल के बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित एक निश्चित दर के आधार पर किया जाना अपेक्षित है।

अप्रैल से दिसंबर, 2008 की अवधि के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने राज्य सरकारों को छूट के बाद मूल्यों पर रायल्टी का भुगतान किया।

गुजरात राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को छूट-पूर्व मूल्यों के अनुसार रायल्टी के भुगतान के लिए अभ्यावेदन किया है।

गुजरात सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुजरात सरकार को स्पष्ट किया है कि ओएनजीसी द्वारा भुगतान की गई रायल्टी वास्तव में उगाही किए गए कच्चे तेल के मूल्य अर्थात छूटोपरांत मूल्य के आधार पर है।

आदर्श रेलवे स्टेशन

*90. **श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :**
श्री नरहरि महतो :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए उसका चयन किए जाने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या रेलवे ने देश में कुछ रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में परिवर्तित/उन्नत किया है;

(ग) यदि हां, तो देश में राज्यवार अब तक किन-किन रेलवे स्टेशनों का आदर्श स्टेशनों के रूप में उन्नयन किया गया है;

(घ) क्या रेलवे स्टेशनों का आदर्श स्टेशनों के रूप में उन्नयन करने संबंधी कोई प्रस्ताव रेलवे के पास लंबित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ङ) बेहतर यात्री सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयोजन से मौजूदा मानदंडों के अनुसार 'ए-1', 'ए' और 'बी' कोटि के स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में चुना जाता है। आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने हेतु पहचाने गए 594 स्टेशनों में से 373 स्टेशनों पर कार्य पूरा कर लिया गया है। उन स्टेशनों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है जहां कार्य पूरा कर लिया गया है। पहचान किए गए शेष स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है। और मार्च, 2010 तक इन्हें पूरा करने की योजना है।

विवरण

आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित स्टेशनों की राज्य-वार सूची

राज्य	स्टेशनों के नाम
1	2
असम (3)	गुवाहाटी, लमडिंग और न्यू तिनसुकिया
आंध्र प्रदेश (51)	अनकापल्लि, अनंतपुर, अन्नावरम, बसर, भद्राचलम रोड, भीमावरम, चिराला, कुडुप्पा, धर्मावरम जं., दोर्णाकल, इलुरू, गोदावरी, गुत्ती, गुडिवाडा, गुडुर, गुंतकल, गुंटुर, हैदराबाद, काच्चीगुडा, काकीनाडा टाउन, काजीपेट, खम्मम, कुरनूल टाउन, मंचिरियाल, मंत्रालयम रोड, नाडिकुडि, नालगोंडा, नंदयाल, नेलोर, निडदावलू, निजामाबाद,

1	2
	अंगोल, पलासा, राजामुंद्री, रामागुंडम, रेणिगुंटा, सामलकोट, सिकंदराबाद, श्रीकाकुलम, श्रीखालाहस्ती, टेडेपल्लिगुडम, टेनदुर, टनुकु, तेनाली, तिरूपति, तुनी, विजयवाड़ा, विकाराबाद, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, और वारंगल
बिहार (25)	बरौनी, बरियारपुर, बेगुसराय, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, हाजीपुर जं., जमालपुर जं, कटिहार, खगरिया, मधुबनी, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना जं. राजेन्द्र नगर (ट.), रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान जं, सोनपुर और सुल्तानगंज
छत्तीसगढ़ (6)	बिलासपुर, चम्पा, दुर्ग, रायगढ़, रायपुर और राजनंदगांव
दिल्ली (3)	दिल्ली, ह. निजामुद्दीन और नई दिल्ली
गुजरात (8)	अहमदाबाद, आनंद जं. द्वारका, जामनगर, नाडियाड, राजकोट, सुरेन्द्रनगर और वडोदरा
गोवा (1)	मडगांव
हरियाणा (4)	भिवानी, हिसार, रेवाड़ी तथा सिरसा
जम्मू और कश्मीर (2)	जम्मूतवी और कठुआ
झारखंड (11)	बैद्यनाथधाम, बड़हरवा, बोकारो स्टील सिटी, चक्रधरपुर, धनबाद, हटिया, जसीडीह, मधुपुर, रांची, साहिबगंज और टाटानगर
कर्नाटक (22)	बेंगलौर कैंट, बेंगलौर सिटी, बंगारपेट जं, बेलगाम, बेल्लारी जं., बिदर, दावनगेरे, धारवाड, गदग, गुलबर्गा, होस्पेट जं., हुबली जं. कांकानाडी, कृष्णाराजपुरम, लोंडा जं. मंगलोर, मैसूर, रायचुर, शिमोगा टाउन, तुमकुर, यादगिर और यशवंतपुर जं.
केरल (12)	बडगारा, चेनगान्नुर, एर्णाकुलम जं. एर्णाकुलम टाउन, कन्नूर (कन्नानोर), कोट्टायम, काजिकोड (कालीकट), पालक्काड (पालघाट जं.), शोराणुर, तिरुवल्ला, तिरूवनंतपुरम (त्रिवेन्द्रम सेंट्रल) और त्रिचुर

1	2
मध्य प्रदेश (15)	भोपाल, बीना, ब्रह्मपुर, छिंदवाड़ा, गुना, हबीबगंज, होशंगाबाद, इटारसी, जबलपुर, कटनी जं., खंडवा, मोरेना, सागौर, शहडोल और विदिशा
महाराष्ट्र (37)	अहमदनगर, अकोला जं., अमरावती, औरंगाबाद, बदनेरा, भुसावल, चालिसगांव, चंद्रपुर, सीएसटी मुंबई, छात्रपति शाहु महाराज टर्मिनस (कोल्हापुर), दादर, दौंड, देवलाली, गोंदिया, हजूर साहिब नांदेड़, जलगांव, जालना, कल्याण, कराड, कुर्ला (लोकमान्य तिलक टर्मिनस), लोनावला, मल्कापुर, मनमाड़, मुदखेड़, नागरसोल, नागपुर, नासिक रोड, परभनी, पार्लिवैजनाथ, पुणे, पुर्ना, सांगली, सतारा, शेगांव, शोलापुर, थाणे और वर्धा
उड़ीसा (21)	बड़ाखंडिता, बालासोर, बालुगांव, भद्रक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, बयारी, कटक, धेनकानल, गोलांथरा, जजपुर-क्योंझर रोड, झारसुगुडा, कपिलास रोड, खुर्दा रोड, पुरी रहामा, रायगुडा, राउरकेला, सम्बलपुर, सुरला रोड और टिटलागढ़
पुडुचेरी (1)	पुडुचेरी
पंजाब (6)	अमृतसर, बियास, फिरोजपुर, जलंधर सिटी, लुधियाना और पठानकोट
राजस्थान (17)	आबु रोड, अजमेर, अलवर, ब्यावर, बीकानेर, फालना, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली मारवाड़, रानी, श्रीगंगा नगर, सूरतगढ़ और उदयपुर
तमिलनाडु (19)	अरकोणस जं., चेन्नै बीच, चेन्नै सेंट्रल, चेन्नै इग्मोर, कोयम्बतूर, डिंडीगुल, इरोड जं. होसुर, कन्याकुमारी, काट्टपाडि, मदुरै, माम्बलम, नागेरकोइल, सलेम जं., तंजावुर, तिरूचिरापल्लि, तिरूनेलवेलि, तिरूप्पुर और तिरूत्तानि
उत्तर प्रदेश (47)	आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, अलीगढ़, इलाहाबाद, इलाहाबाद सिटी, आजमगढ़,

1	2
	बादशाहनगर, बहराइच, बेल्लिया, बरेली, बरहनी, बस्ती, बेलथरा रोड, भटनी जं., देवरिया सदर, इटावा, फर्रूखाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर सिटी, गोंडा जं., गोरखपुर, हापुड़, इज्जतनगर जं., कानपुर सेंट्रल, कासगंज, कटरा, खलीलाबाद, लखीमपुर, लखनऊ (उ.रे.) लखनऊ सिटी, लखनऊ जं. (उ.पू.रे.), मंडुआडीह, मथुरा जं., मऊ जं., मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुगलसराय, ओराई, पीलीभीत, राजा की मंडी, रावतपुर, सलेमपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, टुंडला, वाराणसी और वाराणसी सिटी
उत्तराखंड (5)	देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, काठगोदाम और लालकुंआ
पश्चिम बंगाल (57)	आद्रा, अंदाल जं. आसनसोल, बेगनान, बंडेल, बारासात, बर्द्धमान, बैराकपुर, बरूईपुर जं., बशीरहाट, बिधाननगर रोड, बिष्णुपुर, बोलपुर, बोंगांव, बजबज, कैनिंग, चंदननगर, कोंटाई रोड, दानकुनी, धकुरिया, दमदम, दुर्गापुर, गरबेता, गरिया, घुटियारी शरीफ, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, झारग्राम, खड़गपुर, किशनगंज, कोलाघाट, कृषनगर रोड, कुल्टी, लाबपुर, मध्यमग्राम, मालदा टाउन, मचेदा, मिदनापुर, मुर्शीदाबाद, नवद्वीप धाम, नैहाटी, न्यू फरक्का, पुरुलिया, रामपुरहाट, रानाघाट जं., रानीगंज, रिशरा, सैंथिया, संतरागाछी जं, सियालदह, शियोड़ाफुल्ली, सोनारपुर, श्रीरामपुर, तामलुक, तारकेश्वर, टॉलीगंज और उलुबेरिया

राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की रुग्ण मिलें

*91. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की कुल कितनी मिलें हैं;

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कितनी मिलों के रुग्ण होने का पता चला है और उन्हें घाटा हो रहा है;

(ग) क्या सरकार की इन रुग्ण मिलों को अर्थक्षम बनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) ने राष्ट्रीयकरण के तीन चरणों, रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1974; स्वदेशी कॉटन मिल कंपनी लि. (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तातंरण) अधिनियम, 1986 और वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 के माध्यम से 119 वस्त्र मिलों को अपने नियंत्रण में लिया है। इनमें से दो मिलों को पुडुचेरी सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के अनुमोदन के बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत 76 गैर अर्थक्षम मिलों को बंद कर दिया गया है। बंद करने के लिए एक और मिल की पहचान की गई है। अत: एनटीसी के पास इस समय 40 मिल बचे हैं। इसके अलावा, 2 मिलों की पुनर्स्थापना मूलत: बंद किए गए मिलों के स्थान पर की जा रही है और एक नया मिल स्थापित करने के लिए विशेष आर्थिक जोन, हासन (कर्नाटक) में अतिरिक्त भूखंड खरीदा गया है।

(ख) यद्यपि एनटीसी द्वारा आधुनिकीकृत किए जा रहे सभी 24 एकक इस समय प्रचालनात्मक घाटे में चले रहे हैं, 3 एकक वेतन एवं मजदूरी के खर्च को पूरा कर पा रहे हैं। संयुक्त उद्यम (जेवी) मार्ग के माध्यम से पुनरुद्धार के लिए अनुमोदित 16 एककों में से 5 एकक व्यापार क्रियाकलापों के माध्यम से लाभ कमा रहे हैं।

(ग) और (घ) बीआईएफआर ने एनटीसी की बेशी भूमि और परिसम्पतियों की बिक्री से अर्जित की जाने वाली 9102.72 करोड़ रु. की कुल लागत से एनटीसी के लिए एक पुररुद्धार योजना अनुमोदित की है। सरकार/बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसरण में एनटीसी द्वारा स्वयं 24 मिलों का पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इनमें से 17 मिलों का आधुनिकीकरण पूर्ण हो चुका है। संयुक्त उद्यम भागीदारी के माध्यम से 16 मिलों के पुनरुद्धार को भी अनुमोदित कर दिया गया है। एक मिल को तकनीकी वस्त्र एकक स्थापित करने के लिए रखा गया है।

ई-न्यायालयों की स्थापना

*92. **श्री वैजयंत पांडा : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मुकदमों की बढ़ती संख्या का निपटारा करने के लिए अनुमानत: कितने न्यायालयों की आवश्यकता है;

(ख) न्यायिक प्रणाली में अड़चनों को कम करने और देश में आम लोगों को शीघ्रता से न्याय उपलब्ध कराने में सहायता के लिए ई-न्यायालयों की स्थापना के संबंध में क्या स्थिति है;

(ग) इस परियोजना में तेजी लाने के लिए सरकार की क्या कार्य-योजना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) देश में मुकदमेंबाजी की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित न्यायालयों की अनुमानित संख्या के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विधि आयोग ने 120वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की पदसंख्या को 10.5 से बढ़ाकर 50 किया जाए।

जहां तक अधीनस्थ न्यायपालिका का संबंध है, उच्चतम न्यायालय ने आल इंडिया जज़ेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिए गए अपने 21 मार्च, 2002 के निर्णय में यह निदेश दिया था कि प्रति 10 लाख जनता पर 10.5 या 13 न्यायाधीशों की विद्यमान पदसंख्या में 10 लाख जनता पर 50 न्यायाधीशों की पदसंख्या तक वृद्धि को संघ के विधि मंत्रालय द्वारा अवधारित और निदेशित की जाने वाली चरणबद्ध रीति में पांच वर्ष की अवधि में प्रभावी और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। केंद्रीय सरकार ने यह अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक शपथपत्र फाइल किया है कि संघ राज्यक्षेत्रों में, जिनके लिए केंद्रीय सरकार प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है, न्यायाधीश पदसंख्या में वृद्धि को कार्यभार और लंबित मामलों की संख्या के आधार पर अनुज्ञात किया जाए। यह मामला न्यायाधीन है।

(ख) वर्तमान में ई-न्यायालय परियोजना का चरण 1 कार्यान्वयनाधीन है। इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन अभिकरण राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) है। इस परियोजना के अधीन, अभी तक 13,365 न्यायिक अधिकारियों को लैपटाप उपलब्ध कराए गए हैं, 56,720 न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारिवृंद को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों के उपयोग में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 12,599 लेजर प्रिंटरों का न्यायालयों को प्रदाय किया गया है। सर्वर कक्षों/सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायालय परिसरों में पहचान किया गया स्थल तैयारी संकर्म प्रक्रियाधीन है। कुल 12 उच्च न्यायालयों में कंम्प्यूटर हार्डवेयर परिदत्त किया गया है। उच्च न्यायालयों के लिए लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) सर्वेक्षण पूरा किया गया है। एलएएन के लिए क्रय आदेश का जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है। जिला न्यायालयों में तकनीकी जनशक्ति के प्रदाय के लिए, 190 लभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और 11 उच्च न्यायालयों के अधीन जिला न्यायालयों में तैनात किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से 486 जिला न्यायालयों और 1272 तालुक न्यायालय परिसरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, 10744 न्यायिक अधिकारियों के गृह कार्यालयों में भी इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। साफ्टवेयर एप्लीकेशन के विकास के लिए एप्लीकेशन के आधारिक वर्जन के संबंध में विनिश्चय किया गया है और अब इसका आठ अवस्थानों पर परीक्षण किया जा रहा है। स्थल तैयारी के लिए, लगभग 2200 न्यायालय परिसरों हेतु प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं। स्थल तैयारी के लिए 38.64 करोड़ रुपए की रकम राज्यों को अंतरित की गई है। अभी तक अनेक उच्च न्यायालयों के 499 जिला न्यायालय परिसरों के संबंध में यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उनमें स्थल तैयारी संकर्म पूरा हो गया है। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 31.03.2009 तक एनआईसी को 212.95 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

(ग) और (घ) सरकार सक्षम प्राधिकारी का अनमोदन प्राप्त करने के लिए पुनरीक्षित लागत प्राक्कलनों और पुन: परिभाषित समय-सीमाओं के साथ ई-न्यायालय परियोजनाओं के लिए पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार कर रही है।

[हिन्दी]

विदेशी निवेशकों द्वारा स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

•93. **श्री अधीर चौधरी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और विदेशी उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाइयों का ब्यौरा क्या है तथा इनसे क्या लाभ प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या उक्त निवेश से देश में लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और विदेशी उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाइयों के ब्यौरे और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अन्तर्वाह के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, स्वदेशी निवेश को पूरित और संपूरित करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से पूंजी, अधुनातम प्रौद्योगिकी और उत्कृष्ट प्रबंधकीय प्रक्रियाएं उपलब्ध होती हैं जिससे विदेशी प्रौद्योगिकी को स्वदेशी उद्योग के लिए बेहतर पहुंच उपलब्ध होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समकेन होता है। वर्तमान नीति खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों समेत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: अनुमोदन के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देती है। स्वत: अनुमोदन के अंतर्गत क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए कोई विशेष मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। वैसे, सरकार ही पूर्व अनुमति की अपेक्षा वाले प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है जो अंतरमंत्रालयी सिफारिशी निकाय है, तथा यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नीति और सेक्टोरल मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखता है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड इस बात की भी जांच करता है कि क्या इस प्रस्ताव से भारत में इसी क्षेत्र में वर्तमान संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्योगिकी अंतरण/ट्रेंड मार्क समझौता, यदि कोई है, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लघु खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई निश्चित संकेत नहीं है और स्वदेशी उद्योग पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव के बारे में केंद्रीय रूप से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संबंध में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह दर्शाने वाला विवरण

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	भारतीय कम्पनी के नाम व पते	विदेशी सहयोगियों का नाम	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह (रुपये में)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह (अमरीकी डालर में)
1	2	3	4	5
			देश : आस्ट्रेलिया	
1.	यूनिबाईक बिस्किट्स इंडिया प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलुरू	यूनिबाईक इंटरनेशनल	13.50 क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : बिस्किट्स केक तथा पेस्ट्रीज़	0.34
2.	स्टाइल साल्युशंस प्रा.लि. वर्ष : मई, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली	मारामेंट पी टी वाई	2.67 क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य खाद्य प्रसंस्करण तथा निर्माण संबंधी क्रियाकलाप	0.06
3.	स्टाइल साल्युशंस प्रा.लि., नई दिल्ली वर्ष : मई, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	आरनॉल्ड डीन शिलर	0.11 क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य खाद्य प्रसंस्करण तथा निर्माण संबंधी कार्यकलाप	0.00
4.	स्टाइल साल्युशंस प्रा.लि. नई दिल्ली वर्ष : मई, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	मारामेंट प्रा.लि.	0.95 क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य खाद्य प्रसंस्करण तथा निर्माण संबंधी कार्यकलाप	0.02

1	2	3	4	5
5	स्टाइल साल्युशंस प्रा.लि., नई दिल्ली वर्ष : मई, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	आरनॉल्ड डीन शिलर	0.30 क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य खाद्य प्रसंस्करण तथा निर्माण संबंधी कार्यकलाप	0.01
6	यूनिबाईक बिस्किट्स इंडिया प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2009 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलुरू	यूनिबाईक इंटरनेशनल प्रा.लि.	0.00 क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : बिस्किट्स केक तथा पेस्ट्रीज़ का निर्माण	0.00
		देश बेलोरूसा		
7	महान प्रोटीन्स लि. वर्ष : जनवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	श्रोडर क्रेडिट रिनेसेंस	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : डेयरी उत्पाद	172.50
8	ए डी एफ फूड्स प्रा.लि. वर्ष : फरवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	श्रोडर क्रेडिट रिनेसेंस फंड लि.	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल/सब्जियों के रस और उनके सांद्रित, शरबत तथा पाउडर	154.00
9	ए डी एफ फूड्स प्रा. लि. वर्ष : फरवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	श्रोडर क्रेडिट रिनेसेंस फंड एल.पी.	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल/सब्जियों के रस और उनके सांद्रित, शरबत तथा पाउडर	
		देश कनाडा		
10	प्रोसोया फूड्स (इ.) प्रा.लि. वर्ष : जुलाई, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	राजेन्द्र गुप्ता	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य तथा माल्टिड खाद्य के अलावा इंस्टेंट खाद्य से निर्मित	0.20
11	प्रोसोया फूड्स (इ.) प्रा.लि. वर्ष : जुलाई, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	रश्मिरेखा गुप्ता	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य तथा माल्टिड खाद्य के अलावा इंस्टेंट खाद्य से निर्मित	0.20

1	2	3	4	5
12	करन सीगा इंडस्ट्रीज़ वर्ष : अप्रैल, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	सीगा इंटरनेशनल लि.	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : खाद्य उत्पाद	4.40
13	टेम्पटेशन फूड्स लि. वर्ष : सितंबर, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	एसीएनसीएएस इवाल्युशन पोर्टफोलियो	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य तथा इंस्टेंट खाद्य	21.88
14	टेम्पटेशन फूड्स लि. वर्ष : सितंबर, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	एसीएनसीएएस इवाल्युशन पोर्टफोलियो	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य तथा इंस्टेंट खाद्य	50.00
		देश : साईप्रस		
15	अमल्गामेटिड बीन कॉपी ट्रेडिंग क.लि. वर्ष : अप्रैल, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलुरू	डीएमएएफ II कॉफी होल्डिंग्स लि.	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : पेय पदार्थ	0.00
16	अमल्गामेटिड बीन कॉपी ट्रेडिंग कं. लि. वर्ष : अप्रैल, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलुरू	डीएमएएफ II कॉफी होल्डिंग्स लि.	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : पेय पदार्थ	446.16
17	यूनिबाईक बिस्किट्स इंडिया प्रा.लि. वर्ष : मई, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	क्वालेशन होल्डिंग्स लि.	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : बिस्किट्स, केक तथा पेस्ट्रीज़ का निर्माण	3.00
		देश साईप्रस		
18	एच टी सी फूड्स प्रा.लि. वर्ष : मई, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	हेल्डो ट्रेडिंग लि.	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : मछली, पपड़ी तथा समान खाद्यों का प्रसंस्करण डब्बा बंदी तथा परिरक्षण	1.78

1	2	3	4	5
19	एच टी सी फूड्स प्रा.लि. वर्ष : मई, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	हेल्डो ट्रेडिंग लि.	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : मछली, पपड़ी तथा समान खाद्यों का प्रसंस्करण डब्बा बंदी तथा परिरक्षण	2.19
		देश साईप्रस		
20	एल्विट इंडिया डेयरी वेंचरर्स गुजरात प्रा.लि. वर्ष : दिसम्बर, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलुरू	मिरोथेन्टा लि.	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : डक्स, मुर्गियों तथा अन्य पक्षियों के रीयरिंग, अंडों का उत्पादन	7.99
21	निलोंस इंटरप्राइजेस प्रा.लि. वर्ष : दिसम्बर, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	ट्रिवालार्ड लि.	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : अचार, चटनी तथा मुरब्बों का निर्माण	496.98
22	ड्रग्स फूड इंटीग्रेटिड प्रा.लि. वर्ष : दिसम्बर, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	एग्रोलिडास इन्वेस्टमेंटस लि.	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : खाद्य उत्पादों का निर्माण	17.72
23	अमल्गमेटिड बीन कॉफी ट्रेडिंग कं. लि. वर्ष : अप्रैल : 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलुरू	डीएमएएफ II कॉफी होल्डिंग्स लि.	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : पेय पदार्थ	567.83
24	यूनिबाईक बिस्किट्स इंडिया प्रा.लि. वर्ष : अगस्त, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलुरू	क्वालेशन होल्डिंग्स लि.	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : बिस्किट्स, केक तथा पेस्ट्रीज़	63.64
25	यूनिबाईक बिस्किट्स इंडिया प्रा.लि. वर्ष : अगस्त, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलुरू	क्वालेशन होल्डिंग्स लि.	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : बिस्किट्स, केक तथा पेस्ट्रीज़	33.33
		देश : डेनमार्क		
26	स्कैंडिक फूड इंडिया प्रा. लि. वर्ष : अगस्त, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	गुड फूड ग्रुप ए/एस	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : चटनी, जैम, जैली तथा मार्मलेड आदि का निर्माण	

1	2	3	4	5
27	स्केंडिक फूड इंडिया प्रा.लि. वर्ष : अगस्त, 2008	स्केंडिक ग्रुप ए/एस भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : चटनी, जैम, जैली तथा मार्मलेड आदि का निर्माण **देश जर्मनी**	0.01
28	माइक्रोप्लस कंजेंट्रेट (इ) प्रा.लि. वर्ष : फरवरी, 2008	माइक्रो प्लस कॉजेनट्रेट जीएमबीएच भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलुरु	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य पशु तथा पक्षियों का भोजन निर्माण	0.28
29	माइक्रोप्लस कंजेंट्रेट (इ) प्रा.लि. वर्ष : फरवरी, 2008	रीनेट थीने भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलुरु	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य पशु तथा पक्षियों का भोजन निर्माण	0.27
30	इटालियन फूड क्राफ्ट प्रा.लि. वर्ष : जुलाई, 2008	अलेक्जेंडर बोक्मेंयर भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, पणजी	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : डेयरी उत्पाद	0.07
31	रीमेंस फाइन फूड प्रा.लि. वर्ष : अप्रैल, 2007	स्टीफन जरगन स्टीब्लिंग भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, कोच्चि	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पादों का निर्माण **देश : हांगकांग**	7.85
32	बेकर सर्कल इंडिया प्रा.लि. वर्ष : जुलाई, 2007	आर्यन शमदास लालवानी भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : बिस्किट, केक तथा पेस्ट्री **देश : इंडोनेशिया**	3.75
33	सेंट्रल इंडिया पॉल्ट्री ब्रीडर्स वर्ष : जुलाई, 2008	भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य पशु तथा पक्षियों का भोजन निर्माण	1.03
34	फोरिंड न्यूट्रेट्स प्रा.लि. वर्ष : नवम्बर, 2007	डेविड पैट्रिक फोर्न भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य पशु तथा पक्षियों का भोजन निर्माण	0.23

1	2	3	4	5
35	फोरिंड न्यूट्रेट्स प्रा.लि. वर्ष: नवम्बर, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलुरू	सारा लूईस फोर्न	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य पशु तथा पक्षियों का भोजन निर्माण	0.22
36	फोरिंड न्यूट्रेट्स प्रा.लि. वर्ष: नवम्बर, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलुरू	डा. विजय कुमार शर्मा	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य पशु तथा पक्षियों का भोजन निर्माण	0.20
37	गोलिफ्रा फूड्स (इं) प्रा.लि. वर्ष : नवम्बर, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	गोलिफ्रा इन लैरीजोला	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पादों के निर्माता	7.42
38	आर एंड पी ग्लाटो प्रा.लि. वर्ष : अप्रैल, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	आर.पी. एसआरएल	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : आइसक्रीम और कुल्फी के निर्माता	0.08
39	गोलिफ्रा फूड्स (इं) प्रा.लि. वर्ष : नवम्बर, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	डिक्रोजो इलियो फ्रैंको	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पादों के निर्माता	2.28
40	इटालियन फूड क्राफ्ट प्रा.लि. वर्ष : जुलाई, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, पणजी	फैडरिका ली डिस्ट्री	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : डेयरी उत्पाद	0.07
41	टायो लूसिड प्रा.लि. वर्ष : अक्टूबर, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	टायो कजाकू कंपनी लि.	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य खाद्य उत्पाद एवं निर्माण संबंधी कार्यकलाप (एग पाउडर, साम्बर पाउडर इत्यादि)	12.00
42	टायो लूसिड प्रा.लि. वर्ष : अक्टूबर, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	सीबीसी कंपनी लि.	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य खाद्य उत्पाद एवं निर्माण संबंधी कार्यकलाप (एग पाउडर, साम्बर पाउडर इत्यादि)	6.00
43	याकूलेट डेनोमी इंडिया प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	याकूलेट होन्सा कंपनी लि.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : डेयरी उत्पाद	675.00

1	2	3	4	5
		देश : लक्समबर्ग		
44	ट्रौपिकल फूड्स प्रा.लि. वर्ष : जून, 2008	अरबन इन्वेस्ट एस.ए. भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	11.77
45	ट्रौपिकल फूड्स प्रा.लि. वर्ष : मार्च, 2000	अर्बन इंवेस्ट एस.ए. भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	22.34
46	ट्रौपिकल फूड्स प्रा.लि. वर्ष : मार्च, 2000	अर्बन इंवेस्ट एस.ए. भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	8.10
47	कैपिटल फूड्स एक्सपोर्ट्स प्रा.लि. वर्ष : जुलाई, 2008	इंडिया विजन इंडिया पार्टनर्स भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य पदार्थों का निर्माण	132.84
48	असर एग्रो लि. वर्ष : नवम्बर, 2008	डयूटेस आईएनटीएल ट्रस्ट कारपोरेशन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य पदार्थों का निर्माण	13.51
49	यूनिबिक बिस्कुट्स इंडिया प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2009	यूनीबिक मोरिशिस प्रा.लि. भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : बिस्कुट्स, केक और पेस्टरीज़ का निर्माण	45.46
50	जी.ए. फूड्स (इं) प्रा.लि. वर्ष : फरवरी, 2009	बैंगीट लि. भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य पदार्थों का निर्माण	7.50
		देश : मोरिशस		
51	कैलिप्सो फूड्स प्रा.लि. वर्ष : अप्रैल, 2007	होर्स शू कैपिटल भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	135.00
52	देसाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रा.लि. वर्ष : जून, 2008	कंट्रेक्ट फ्रार्मिंग मोरिशस प्रा.लि. भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	45.45

1	2	3	4	5
53	कैलिप्सो फूड प्रा.लि. वर्ष : जून, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	होर्स शू कैपिटल	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	90.00
54	दि नीलगिरी फार्म प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	एक्टिस निगिन्स साउथ एशिया इंवेस्टमेंट्स लि.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : डेयरी उत्पाद	23.00
55	देसाई कोल्ड स्टोरेज (इं) प्रा.लि. वर्ष : नवम्बर, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	कंट्रोक्ट फार्मिंग मोरिशस	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण	26.52
56	असर एग्रो लि. वर्ष : फरवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	कैडिट्स स्विस फस्ट बोस्टन लि. एंड डयूटैस	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण कार्यकलाप (एग पाउडर, साम्बर पाउडर इत्यादि एनईसी)	31.97
57	बैकर सर्कल इंडिया प्रा.लि. वर्ष : जुलाई, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	जीआईए (बीसीआई) होल्डिंग्स लि.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : बिस्कुट्स, केक और पेस्टरीज़ का निर्माण	40.00
58	द नीलगिरी फार्म प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	एक्टिस निगिन्स इंडिया इंवेस्टमेंट्स लि.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : डेयरी उत्पाद	92.00
		देश : मालद्वीप		
59	महा इमैक्स ओवरसीज़ प्रा.लि. वर्ष : सितम्बर, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, कोलकाता	हुसैन अब्दूला एंड ब्रर्दस	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : मछली कुरूटेसिया और शिमला प्रसंस्करण और परिरक्षण	4.11
		देश : अनिवासी भारतीय		
60	महा इमैक्स ओवरसीज़ प्रा.लि. वर्ष : अक्टूबर, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, कोलकाता	हुसैन अब्दूला एंड ब्रर्दस	क्षेत्र : समुद्री उत्पाद वस्तु : मछली कुरूटेसिया और शिमला प्रसंस्करण और परिरक्षण	4.79

1	2	3	4	5
61	प्रकाश स्नेक्स प्रा.लि. वर्ष : जून, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, भोपाल	श्री सौरभ मेहता	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : आलू का उत्पादन	0.24
		देश : नीदरलैंड		
62	गोदरेज हर्सी लि. वर्ष : मार्च 2009 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	हर्सी नीदरलैंड्स बी.वी.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : एमआरएफ का खाद्य उत्पाद	112.00
		देश : पनामा		
63	एटीसी बेवरेज प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2009 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	ब्रीनलर ट्रैडिंग	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : पेय पदार्थ का उत्पादन	9.92
		देश : रूस		
64	एचटी सीफ फूड्स प्रा. लि. वर्ष : नवम्बर, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	केशव भगत	क्षेत्र : (समुद्री उत्पाद) वस्तु : डिब्बा बंद और परिरक्षण मछली, करूस्टा उत्पाद	9.78
65	एचटी फूड्स प्रा. लि. वर्ष : सितम्बर, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	केशव भगत	क्षेत्र : (समुद्री उत्पाद) वस्तु : डिब्बा बंद और परिरक्षण मछली, करूस्टा उत्पाद	28.87
66	एचटी फूड्स प्रा. लि. वर्ष : फरवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	केशव भगत	क्षेत्र : (समुद्री उत्पाद) वस्तु : डिब्बा बंद और परिरक्षण मछली, करूस्टा उत्पाद	6.55
67	एचटी फूड्स प्रा. लि. वर्ष : अगस्त, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	केशव भगत	क्षेत्र : (समुद्री उत्पाद) वस्तु : डिब्बा बंद और परिरक्षण मछली, करूस्टा उत्पाद	15.00
68	एचटी फूड्स प्रा. लि. वर्ष : अगस्त, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	केशव भगत	क्षेत्र : (समुद्री उत्पाद) वस्तु : डिब्बा बंद और परिरक्षण मछली, करूस्टा उत्पाद	11.10

1	2	3	4	5
		देश : सिंगापुर		
69	याकूल्त डेनोम इंडिया प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	डेनोई प्रोबाइटिक्स पीटीई लि.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : डेयरी उत्पाद	675.00
70	पेरीयस शुगर प्रा.लि. वर्ष : मई, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, चेन्नई	कारगिल एशिया फैसिफिक होल्डिंग्स पीटीई लि.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : मैनुफैक्चरिंग आफ शुगर कन्फैक्सनरी (स्वीटमीट्स को छोड़कर)	246.74
71	पेरीयस शुगर प्रा.लि. वर्ष : मई, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, चेन्नई	कारगिल एशिया फैसिफिक होल्डिंग्स पीटीई लि.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : मैनुफैक्चरिंग आफ शुगर कन्फैक्सनरी (स्वीटमीट्स को छोड़कर)	203.28
72	एमटीआर फूड्स लि. वर्ष : सितम्बर 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	ओरकला एशिया पैसिफिक पीटीई लि.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पाद	500.00
73	गोदरेज गोल्ड क्वाइन एक्वाफीड प्रा., लि. वर्ष : मई, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	गोल्डन क्वाइन इंडिया पीटीई प्रा.लि.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : मछली खाद्य उत्पाद	78.13
		देश : दक्षिण अफ्रीका		
74	एल ग्यास राईस सरटैक्स मिल्स प्रा.लि. वर्ष : मई, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	असरफ जूमा	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : पावर मशीन द्वारा राईस मिलिंग	1.04
75	एल ग्यास राईस सरटैक्स मिल्स प्रा.लि. वर्ष : मई, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	इसमाइल जूमा	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : पावर मशीन द्वारा राईस मिलिंग	1.04
76	एल ग्यास राईस सरटैक्स मिल्स प्रा.लि. वर्ष : मई, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	जूमा ईस्सा	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : पावर मशीन द्वारा राईस मिलिंग	1.13

1	2	3	4	5
77	एल ग्यास राईस सरटैक्स मिल्स प्रा. लि. वर्ष : मई, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	यूनिस जूमा	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : पावर मशीन द्वारा राईस मिलिंग	1.04
		देश : स्वीटजरलैंड		
78	साईकरूपा फ्रूट प्रोसेसिंग प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	बालकृष्ण बी. गाडगिल	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण परिरक्षण	0.95
79	साईकरूपा फ्रूट प्रोसेसिंग प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	बालकृष्ण बी. गाडगिल	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण परिरक्षण	0.45
80	रिटजल (इं) प्रा.लि. वर्ष : दिसम्बर, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	रिटजल एस.ए.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का संयोजन और परिरक्षण	37.64
81	रिटजल (इं) प्रा.लि. वर्ष : मई, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	रिटजल एस.ए.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का संयोजन और परिरक्षण	49.31
82	यूजर एग्रो लि. वर्ष : नवम्बर, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	क्रैडुट सविर्स फस्ट बुस्टन लि.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : एमएफआर का खाद्य उत्पाद	18.47
		देश : थाईलैंड		
83	मनोरा बेबरीज एंड फूड प्रा.लि. वर्ष : अप्रैल, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र मुंबई	5 एफएनएस - थाईलैंड	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पादों का निर्माण	9.90
		देश : यू.ए.ई.		
84	मैकीतोष नेचुरियल फूड्स प्रा.लि. वर्ष : मई, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	रूडी हैरटोज	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पादों का निर्माण	0.62

1	2	3	4	5
85	मैकीतोष नेचुरियल फूड्स प्रा.लि. वर्ष : मई, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	जयंत गनवानी	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पादों का निर्माण	0.62
		देश : यू.के.		
86	एचटी फूड्स प्रा.लि. वर्ष : फरवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	श्री आर.जी. खुल्लर	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : डिब्बा बंद और परिरक्षण मछली, करूस्टा उत्पाद	8.10
87	अल कबीर फूड्स प्रोसेसिंग प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	राहुल सब्बरवाल	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : डिब्बा बंद मांस परिरक्षण	4.32
88	फार्सन फूड प्रा.लि. वर्ष : फरवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	महेन्द्र राव मनीभाई पटेल	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पाद	0.10
89	सराफ फूड्स लि. वर्ष : दिसम्बर, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	होर्टीटेक लि.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल एवं सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	18.00
90	बाई इंडिया प्रा.लि. वर्ष : दिसम्बर, 2009 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	बाई लिमिटेड	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पादों का निर्माण	1.95
91	बी1 (इं) प्रा.लि. वर्ष : दिसम्बर, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	बी1 आईटीडी	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पादों का निर्माण	25.00
92	बी1 (इं) प्रा.लि. वर्ष : दिसम्बर, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	बी1 आईटीडी	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पादों का निर्माण	3.35
93	बी1 (इं) प्रा.लि. वर्ष : दिसम्बर, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	बी1 आईटीडी	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पादों का निर्माण	16.05
94	यूनीबिक बिस्कुट इंडिया प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2009 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	विलियम सेन सोवाक	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : बिस्कुट, केक एंड पेस्ट्री के निर्माता	1.99

1	2	3	4	5
		देश : यू.एस.ए.		
95	ग्रीफिथ लेबोट्रीज प्रा.लि. वर्ष : मई, 2007	ग्रीफिथ लेबोट्रीज वर्ल्डवाइड आईएनसी भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पादों का निर्माण	13.24
96	कैपिटल फूड्स एक्सपोर्टस प्रा.लि. वर्ष : जुलाई, 2008	राकेश पटेल भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पादों का निर्माण	0.43
97	ग्रीफिथ लेबोट्रीज प्रा.लि. वर्ष : दिसम्बर, 2007	ग्रीफिथ लेबोट्रीज वर्ल्डवाइड भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पादों का निर्माण	11.78
98	मैसर्स गुरमीत फाई फार प्रा.लि. वर्ष : मई, 2008	गुरमीत फुसन फूड्स आईएनसी भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, कोच्चि	क्षेत्र : (समुद्री उत्पाद) वस्तु : मत्स्यकी (समुद्री उत्पाद सहित)	0.22
99	इनोवेटिव कुसाइन प्रा.लि. वर्ष : मार्च, 2008	दीपक अरविंद अमीन भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण	4.40
100	इनोवेटिव कुसाइन प्रा.लि. वर्ष : मार्च, 2008	मिलन अरचिट अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	1.21
101	इनोवेटिव कुसाइन प्रा.लि. वर्ष : मार्च, 2008	भगवती अरविंद अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	1.52
102	इनोवेटिव कुसाइन प्रा.लि. वर्ष : मार्च, 2008	देविनचिट अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	1.21
103	इनोवेटिव कुसाइन प्रा.लि. वर्ष : मार्च, 2008	किसान दीपक अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	1.19

1	2	3	4	5
104	इनोवेटिव कुसाइन प्रा.लि. वर्ष : मार्च, 2008	निशल दीपक अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	1.19
105	इनोवेटिव कुसाइन प्रा.लि. वर्ष : मार्च, 2008	अरचिट अरविंद अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	3.19
106	इनोवेटिव कुसाइन प्रा.लि. वर्ष : मार्च, 2008	विवेक अरचिट अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	1.21
107	केआईएस (इं) प्रा.लि. वर्ष : फरवरी, 2008	क्राफ्ट फूड्स एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स एलएलसी भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	45.33
108	केआईएस (इं) प्रा.लि. वर्ष : मार्च, 2008	क्राफ्ट फूड्स एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स एलएलसी भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	0.46
109	ग्रीफित लेबोस्ट्रीज प्रा.लि. वर्ष : जुलाई, 2007	ग्राफित लेबोस्ट्रीज वर्ल्डवाईड इंक. भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	134.49
110	सेकरूपा फ्रूट प्रोसेसिंग प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2007	नित्यानंद टी तेलंग भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण कार्यकलाप	0.58
111	सेकरूपा फ्रूट प्रोसेसिंग प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2007	वेरेना गडगिल भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण कार्यकलाप	0.13
112	सेकरूपा फ्रूट प्रोसेसिंग प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2007	वेरेना गडगिल भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : अन्य खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण कार्यकलाप	0.13

1	2	3	4	5
113	महान प्रोटीन लि. वर्ष : जनवरी, 2008	स्क्रोडर क्रेडिट रिनासा भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : डेयरी उत्पाद	57.50
114	डायनामिक्स डेयरी इंड लि. वर्ष : अगस्त, 2008	स्क्राइवर इंटरनेशनल भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : डेयरी उत्पाद	9.55
115	इनोवेटिव क्यूशन प्रा.लि. वर्ष : सितम्बर, 2009	भगवती अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : अन्य खाद्य उत्पाद वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	1.55
116	डायनामिक्स डेयरी इंड. लि. वर्ष : अगस्त, 2008	इरिक फूड्स इंटरनेशनल भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : डेयरी उत्पाद	0.27
117	इनोवेटिव क्यूशन प्रा.लि. वर्ष : सितम्बर, 2009	विवेक ए. अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	1.27
118	इनोवेटिव क्यूशन प्रा.लि. वर्ष : सितम्बर, 2009	मिलन ए. अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	1.27
119	इनोवेटिव क्यूशन प्रा.लि. वर्ष : सितम्बर, 2009	दीपक ए. अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	4.46
120	इनोवेटिव क्यूशन प्रा.लि. वर्ष : सितम्बर, 2009	देवा ए. अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	1.27
121	इनोवेटिव क्यूशन प्रा.लि. वर्ष : सितम्बर, 2009	किशन डी. अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	1.27

1	2	3	4	5
122	इनोवेटिव क्यूशन प्रा.लि. वर्ष : सितम्बर, 2009	निसील डी. अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	1.27
123	इनोवेटिव क्यूशन प्रा.लि. वर्ष : सितम्बर, 2009	अरचित ए. अमीन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, अहमदाबाद	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : फल और सब्जियों का परिरक्षण एनईसी	3.27
124	रिग्ले इंडिया प्रा.लि. वर्ष : अगस्त, 2008	डब्ल्यू एम रिग्ले टीआर कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : खाद्य उत्पादों का निर्माण	198.70
125	रिग्ले इंडिया प्रा.लि. वर्ष : अगस्त, 2008	डब्ल्यू एम रिग्ले टीआर कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, नई दिल्ली	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : खाद्य उत्पादों का निर्माण	122.82
126	एटीसी बेवरेजिस प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2009	डॉन ट्रेडिंग कारपोरेशन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : बिवरेजेस का निर्माण	41.23
127	एटीसी बेवरेजिस प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2009	डॉन ट्रेडिंग कारपोरेशन भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, बंगलौर	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : बिवरेजेस का निर्माण	41.22
128	यॉर्क विनेरी प्रा.लि. वर्ष : अप्रैल, 2008	लीलाराम सी गुरनानी भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र, मुंबई	क्षेत्र : अन्य खाद्य उत्पाद वस्तु : अन्य खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण कार्यकलाप	3.85
129	एक्सपोर्ट वायो प्रोडेक्ट प्रा.लि. वर्ष : सितम्बर, 2008	थिनसाईड होल्डिंग्स भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र नहीं दिया गया है	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : खाद्य योगजो का निर्माण	0.10
130	प्लेनेट पिक्लस प्रा.लि. वर्ष : अगस्त, 2008	स्टर्लिंग एग्रो प्रोडेक्ट्स प्रोसेसिंग प्रा.लि. भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र नहीं दिया गया है	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : खाद्य प्रसंस्करण	5.40
131	महान प्रोटीन्स लि. वर्ष : अगस्त, 2008	सरोडर क्रेडिट रिनासा भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र नहीं दिया गया है	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद वस्तु : डेयरी उत्पाद	75.00

1	2	3	4	5
132	माने (इं) प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र नहीं दिया गया है	वी माने	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) वस्तु : फलेवर उत्पादों का विनिर्माण और स्लेक	0.35
133	गोदरेज फूड्स लि. वर्ष : अक्तूबर, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र नहीं दिया गया है	टाइसन इंडिया होल्डिंग्स लि.	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) वस्तु : पालटरी और अन्य पशु कटाई	718.17
134	ऑप्टीविट एनीमल न्यूट्रीशियन प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2009 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र: क्षेत्र नहीं दिया गया है	ऑप्टीविट इंटरनेशनल लिमिटेड	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) मद : पशु चारा संघटक का निर्माण	0.10
135	ऑप्टीविट एनीमल न्यूट्रीशियन प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2009 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र: क्षेत्र नहीं दिया गया है	मेशेल कॉरबिट	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) मद : पशु चारा संघटक का निर्माण	0.00
136	प्रगरी फूड्स मैन्यूफैक्चूरियन जी इंडिया प्रा.लि. वर्ष : अप्रैल, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र : क्षेत्र नहीं दिया गया है	रिसो स्कोटी एस.पी.ए.	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) मद : कंपनी के प्रमुख कार्यकलाप भारत में चावल और चावल आधारित उत्पादों का प्रसंस्करण करना है।	0.05
137	इमसोफेर मैन्यूफैक्चूरियन जी इंडिया प्रा.लि. वर्ष : अप्रैल, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र : क्षेत्र नहीं दिया गया है	फर्रिओ इंटरनेशनल एसए	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद मद : क्रय, विक्रय, आयात, निर्यात, थोक बिक्री, वितरण, स्टॉक को डील करता है अथवा सभी प्रकार के कन्फैक्शनरी उत्पाद, कच्ची सामग्री को डील करता है।	0.10
138	सोपेक्स इंडिया फूड प्रमोशन एजेंसी प्रा.लि. वर्ष : दिसम्बर, 2007 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र : क्षेत्र नहीं दिया गया है	सोसाइटेट पोर लेक्सपेंशन डेस	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) मद : खाद्य संवर्धन	0.10
139	गन्डौर फूड प्रोसेसिंग प्रा.लि. वर्ष : जनवरी, 2008 भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र : क्षेत्र नहीं दिया गया है	जीएफबीआई लिमिटेड	क्षेत्र : (खाद्य उत्पाद) मद : चॉकलेट और अन्य कन्फेक्शनरी उत्पाद निर्माता	0.00

1	2	3	4	5
140	नेचुरल वाटर फिलॉस्फी प्रा.लि. वर्ष : जुलाई, 2008	एंटोनीओस होल्डिंग कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र : क्षेत्र नहीं दिया गया	क्षेत्र : अन्य (खाद्य उत्पाद) मद : पैकेज्ड मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स	0.05
141	स्नो लायन फूड्स प्रा.लि. वर्ष : मई, 2007	तेजून एफ खोराकीवाल, ओमान भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्र : क्षेत्र नहीं दिया गया	क्षेत्र : खाद्य उत्पाद मद : ब्रेड तथा केक बनाना	0.08

[अनुवाद]

प्रशिक्षित विमान चलाकों की कमी

***94. श्री नवीन जिन्दल :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रशिक्षित विमानचालकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप विमानन क्षेत्र का विस्तार किस हद तक प्रभावित हुआ है;

(घ) अगले तीन वर्षों में अनुमानत: कितने प्रशिक्षित विमानचालकों की आवश्यकता होगी; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) पायलटों की कोई कमी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रशिक्षित पायलटों की आवश्यकता एक डायनेमिक प्रक्रिया है जो एयरलाइन प्रचालनों तथा इस्तेमाल किए जाने वाले विमानों की श्रेणी पर निर्भर करती है।

(ङ) लंबे समय से वांछित संख्या में योग्य पायलटों को तैयार करने के उद्देश्य से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्नुआ) की वार्षिक क्षमता को 40 से बढ़ाकर 100 कैडेट करने के लिए अवसंरचना के स्तरोन्नयन और अतिरिक्त ट्रेनर विमानों के लिए धनराशि मुहैया कराकर अकादमी का आधुनिकीकरण किया गया है। महाराष्ट्र में गोंदिया में प्रतिवर्ष 110 अभ्यर्थियों – जिनमें 10 वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी शामिल हैं, को प्रशिक्षित करने की क्षमता वाला एक विश्वस्तरीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। सरकार नागर विमानन महानिदेशालय और एयरो क्लब ऑफ इंडिया के जरिए ट्रेनर विमान मुहैया कराकर अन्य फ्लाईंग क्लबों को भी सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, हेलीकॉप्टर लाईसेंस धारक पायलटों को भी अनुमति दी गई है कि वे 100 घंटे कंवर्शन फ्लाईंग करके अपने हेलीकॉप्टर लाइसेंस को वाणिज्यिक पायलट लाईसेंस (एयरोप्लेन) में तबदील करा सकते हैं।

[हिन्दी]

एलपीजी की मांग और आपूर्ति

***95. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :**
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान और हरियाणा सहित एलपीजी की आवश्यकता और मांग का राज्य-वार कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में एलपीजी की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में एलपीजी की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों में एलपीजी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी/वाणिज्यिक एलपीजी/औद्योगिक एलपीजी/ऑटो एलपीजी के

लिए 12563.563 हजार मीटरी टन (टीएमटी) सहित समस्त देश के लिए एलपीजी की आवश्यकता/मांग का आकलन किया है। इसमें वर्ष 2009-10 के लिए राजस्थान और हरियाणा राज्यों के लिए क्रमशः 530.521 टीएमटी और 448.788 टीएमटी सम्मिलित हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) और (घ) इस समय राजस्थान और हरियाणा राज्यों सहित, देश में, कुल मिला कर, एलपीजी की कोई कमी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटरों को एलपीजी की आपूर्तियां, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास दर्ज ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार, स्वदेशी उत्पादन और आयातों के जरिए ओएमसीज द्वारा की जा रही हैं।

विवरण

वर्ष 2009-10 के लिए एलपीजी मांग

(आंकड़े मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष 2009-10 के लिए अनुमानित मांग			
	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	योग
1	2	3	4	5
चंडीगढ़	24069	5347	8016	37431
दिल्ली	428923	146735	103825	679484
हरियाणा	209897	150359	88532	448788
हिमाचल प्रदेश	73458	8293	14543	96294
जम्मू और कश्मीर	34528	13111	77846	125485
पंजाब	332972	140923	113739	587634
राजस्थान	231387	157635	141498	530521
उत्तर प्रदेश	809546	336740	174454	1320740
उत्तराखंड	117357	24291	10680	152328
उप योग उत्तर	2262138	983434	733133	3978704
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6020	14	0	6034
अरुणाचल प्रदेश	11331	0	0	11331
असम	177941	5922	2445	186308
बिहार	219412	38871	41436	299719
झारखण्ड	84898	12104	18701	115702
मणिपुर	17037	0	0	17037
मेघालय	13682	0	0	13682
मिजोरम	17925	0	0	17925
नागालैंड	14412	0	0	14412
उड़ीसा	68770	29073	67193	165036
सिक्किम	9333	0	0	9333
त्रिपुरा	20481	0	0	20481
पश्चिम बंगाल	417563	85273	134157	636993
उप योग पूर्व	1078804	171258	263932	1513993
छत्तीसगढ़	59154	20576	42105	121835
दादरा और नगर हवेली	778	851	11610	13239
दमन और दीव		3495	4023	7518
गोवा	1149	19429	36133	56710
गुजरात	373822	163585	144328	681735
मध्य प्रदेश	252848	104529	133015	490392
महाराष्ट्र	180164	881682	816812	1878658
उप योग पश्चिम	867916	1194146	1188026	3250088
आन्ध्र प्रदेश	374162	195209	468646	1038016
कर्नाटक	357676	214949	284285	856910
केरल	284276	187129	84280	555685
लक्षद्वीप	197	0	0	197

1	2	3	4	5
पुडुचेरी	14631	5861	10603	31095
तमिलनाडु	709823	324395	157658	1191875
उप योग दक्षिण	1740765	927542	1005471	3673778
अखिल भारत	5949622	3276379	3190562	12416563
एनओसी (नेपाल ऑयल कॉर्पो.)	120000	0	0	120000
कुल मांग	6069622	3276379	3190562	12536563

उर्वरकों की कमी

*96. **श्री अशोक कुमार रावत :**
श्री हरिभाऊ जावले :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में उर्वरकों की राज्य-वार मांग, उत्पादन और आपूर्ति कितनी रही है;

(ख) क्या देश में उर्वरकों की कमी है और किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है तथा नुकसान उठाना पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) किसानों को उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों की मांग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने और देश में उर्वरकों के उत्पादन और उनकी उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम.के. अलागिरी) : (क) गत तीन वर्षों 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा चालू वर्ष 2009-10 में खरीफ 2009 के दौरान (जून 2009 तक) प्रमुख उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, तथा एमओपी की राज्यवार मांग (आवश्यकता) आपूर्ति (उपलब्धता) संलग्न विवरण-I, II, III और IV में दी गई है। उर्वरक विभाग ने खरीफ 2008 से मिश्रित उर्वरकों की निगरानी करनी आरंभ की थी जिसकी सूचना दी गई है। गत तीन वर्षों में यूरिया, डीएपी तथा मिश्रित उर्वरकों का राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण-V, VI और VII में दिया गया है।

(ख) से (घ) खरीफ 2009 (अप्रैल-जून, 2009) के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा मिश्रित उर्वरकों की राज्यवार, माहवार आवश्यकता, उपलब्धता तथा बिक्री विवरण-IV में दी गई है। जैसा कि देखा जा सकता है, यूरिया की उपलब्धता इसकी बिक्री को पूरा करने के लिए पर्याप्त रही है। देश में डीएपी तथा एमओपी की कोई कमी नहीं है, तथापि देश में मिश्रित उर्वरकों (एनपीके) की उपलब्धता में मामूली सी कमी हो सकती है जिसका कारण स्वदेशी उत्पादन के स्तर का कम होना है और साथ ही रियायत स्कीम के अंतर्गत न आने के कारण इनका आयात भी नहीं किया जा सकता।

(ङ) उर्वरकों के सहज वितरण तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास निम्नानुसार है:-

(i) एक ऑनलाइन वैब आधारित निगरानी प्रणाली (*www.urvarak.co.in*) जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा देश भर में उर्वरकों के संचलन की निगरानी की जाएगी।

(ii) उर्वरक के जिले में पहुंचने पर ही राजसहायता दी जाएगी।

(iii) उर्वरक विभाग प्रमुख उर्वरक खपत वाले राज्यों में राज्य संस्थागत एजेंसियों/उर्वरक कंपनियों के माध्यम से यूरिया, डीएपी तथा एमओपी का क्रमशः 6.25 लाख मी.टन, 3.50 लाख मी.टन तथा 1.00 लाख मी.टन का बफर स्टाफ रखता है।

(iv) उर्वरक विभाग ने ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों की ढुलाई के लिए एकसमान भाड़ा राजसहायता स्कीम अधिसूचित की है।

(v) यूरिया की आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को आयात के द्वारा पूरा किया जाता है; और

(vi) 4 सितम्बर, 2008 को यूरिया के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नई मूल्य निर्धारण नीति घोषित की गई है। इसके अलावा, देश में उर्वरक क्षेत्र को गैस के आबंटन, कठिनाइयां दूर करने, विस्तार और पुनरुद्धार परियोजनाओं को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है।

विवरण-I

यूरिया, डीएपी और एमओपी की राज्यवार उपलब्धता और बिक्री

2006-07 (मात्रा लाख मी.टन)

उत्पाद

राज्य का नाम	यूरिया			डीएपी			एमओपी		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आन्ध्र प्रदेश	27.00	24.52	22.13	6.69	6.15	5.97	5.21	3.90	3.72
कर्नाटक	11.20	11.55	10.92	5.00	5.25	4.88	3.90	3.14	2.76
केरल	1.46	1.33	1.27	0.17	0.23	0.23	1.40	1.13	1.12
तमिलनाडु	10.00	9.59	9.18	3.85	3.98	3.84	4.85	3.48	3.48
गुजरात	15.00	15.22	15.03	5.75	5.79	4.56	1.65	1.46	1.42
मध्य प्रदेश	12.10	13.89	13.16	6.20	5.76	4.96	0.50	0.75	0.67
छत्तीसगढ़	4.90	5.93	5.53	1.38	1.59	1.27	0.52	0.67	0.59
महाराष्ट्र	19.00	20.70	19.87	6.25	7.06	6.49	3.00	2.48	2.34
राजस्थान	13.20	12.80	12.26	5.60	4.30	4.05	0.22	0.07	0.07
हरियाणा	17.50	18.04	17.33	5.60	5.04	4.46	0.40	0.32	0.23
पंजाब	25.00	26.16	25.74	7.90	7.60	7.12	0.90	0.52	0.47
जम्मू और कश्मीर	1.42	1.15	1.05	0.71	0.55	0.51	0.21	0.10	0.10
उत्तर प्रदेश	50.00	53.50	51.83	14.50	14.42	12.94	2.30	1.34	1.22
उत्तराखंड	1.65	2.17	2.10	0.32	0.24	0.23	0.12	0.06	0.04
बिहार	17.50	16.32	16.01	4.50	3.29	2.65	2.50	1.04	1.00
झारखण्ड	1.74	1.63	1.60	1.10	0.71	0.68	0.07	0.01	0.01
उड़ीसा	4.70	4.44	4.21	0.98	1.16	1.03	0.92	0.85	0.75
पश्चिम बंगाल	12.00	12.28	11.94	4.10	3.99	3.54	3.58	2.78	2.51
असम और अन्य उत्तर पूर्व	3.08	2.67	2.47	0.51	0.27	0.24	0.82	0.59	0.54
अन्य योग	1.10	0.90	0.90	0.20	0.17	0.12	0.20	0.13	0.13
अखिल भारत	249.55	254.79	244.52	81.31	77.57	69.75	33.27	24.82	23.17

विवरण-II

यूरिया, डीएपी और एमओपी की राज्यवार उपलब्धता और बिक्री

2007-08 (लाख मी.टन)

राज्य का नाम	यूरिया			डीएपी/एमएपी			एमओपी		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आन्ध्र प्रदेश	27.50	26.84	25.12	8.24	7.16	7.15	5.55	4.52	4.50
कर्नाटक	12.80	13.63	12.54	5.80	4.54	4.50	4.00	3.70	3.58
केरल	1.40	1.44	1.34	0.28	0.18	0.18	1.40	1.19	1.16
तमिलनाडु	9.85	9.68	9.16	4.25	3.35	3.35	4.90	4.85	4.77
गुजरात	17.25	18.37	17.93	5.80	6.76	6.47	1.70	1.82	1.79
मध्य प्रदेश	13.75	14.76	14.31	7.50	6.82•	6.34	1.10	0.76	0.74
छत्तीसगढ़	5.90	6.17	5.87	1.70	1.38	1.35	0.74	0.69	0.62
महाराष्ट्र	21.20	23.05	21.39	7.05	6.45	6.29	3.05	3.46	3.23
राजस्थान	14.70	13.83	13.21	6.05	5.51•	4.50	0.23	0.23	0.19
हरियाणा	18.75	19.30	18.47	5.85	6.80•	5.36	0.50	0.34	0.29
पंजाब	25.00	26.97	26.46	8.00	9.14•	6.81	0.95	0.58	0.57
उत्तर प्रदेश	55.00	54.37	52.72	15.50	14.89•	13.20	3.00	1.27	1.14
उत्तराखंड	2.30	2.42	2.31	0.32	0.23	0.23	0.18	0.05	0.05
जम्मू और कश्मीर	1.40	1.19	1.15	0.84	0.33	0.33	0.28	0.07	0.07
बिहार	20.00	19.40	18.56	4.25	3.30	3.07	2.05	1.19	1.07
झारखंड	2.10	1.67	1.58	0.90	0.75	0.74	0.13	0.08	0.08
उड़ीसा	5.50	5.19	4.58	1.25	1.79	1.72	1.20	1.05	1.01
पश्चिम बंगाल	12.95	12.45	11.56	4.55	3.80	3.78	4.00	2.76	2.73
असम	2.30	1.99	1.93	0.70	0.08	0.08	0.85	0.40	0.40
अखिल भारत	271.70	274.26	261.71	89.21	83.40	75.55	36.13	29.28	28.28

•इसमें राज्य संघों के पास उपलब्ध स्टॉक - एमपी - 0.35 लाख मी. टन, राजस्थान - 0.77 लाख मी.टन, हरियाणा - 1.15 लाख मी टन, पंजाब - 1.96 लाख मी.टन और उत्तर प्रदेश - 1.21 लाख मी.टन

विवरण-III

वर्ष 2008-09 (अप्रैल से मार्च, 09) के दौरान उर्वरकों की संचयी उपलब्धता

राज्य का नाम	यूरिया			डीएपी			एमओपी			मिश्रित उर्वरक		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आन्ध्र प्रदेश	27.50	27.84	27.33	8.50	9.98	9.97	5.85	6.27	6.04	20.50	16.50	16.30
कर्नाटक	13.50	12.88	12.82	6.05	8.12	8.07	4.55	5.14	5.05	11.17	8.44	8.39
केरल	1.49	1.68	1.63	0.31	0.24	0.24	1.33	1.53	1.51	1.72	1.85	1.81
तमिलनाडु	10.37	11.28	11.28	4.31	3.85	3.85	4.84	5.95	5.84	3.62	3.55	3.51
गुजरात	18.65	18.69	18.48	7.10	8.24	8.19	1.90	2.26	2.22	4.39	4.92	4.70
मध्य प्रदेश	15.75	13.83	13.59	8.25	8.31	8.14	1.20	1.17	0.88	4.35	2.20	2.15
चंडीगढ़	5.40	5.23	5.06	1.75	2.31	2.28	0.77	0.95	0.92	1.31	1.23	1.22
महाराष्ट्र	23.25	22.84	22.46	8.60	10.19	10.15	3.70	5.17	4.92	15.65	10.40	10.29
राजस्थान	15.10	13.21	12.97	5.60	5.90	5.77	0.33	0.32	0.24	1.42	0.67	0.66
हरियाणा	19.90	17.59	17.36	6.00	6.69	6.61	0.46	0.47	0.39	0.67	0.31	0.31
पंजाब	25.50	26.28	25.77	8.10	8.82	8.82	0.95	0.98	0.81	1.01	0.59	0.57
हिमाचल प्रदेश	0.65	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.07	0.06	0.06	0.44	0.40	0.40
जम्मू और कश्मीर	1.35	1.28	1.26	0.80	0.59	0.59	0.33	0.14	0.14	0.00	0.01	0.01
उत्तर प्रदेश	55.00	55.74	54.83	15.50	15.12	14.93	2.50	2.79	2.47	10.50	7.44	7.32
उत्तराखंड	2.30	2.22	2.20	0.35	0.31	0.31	0.18	0.08	0.08	0.45	0.51	0.51
बिहार	21.25	18.33	17.96	4.25	4.12	4.11	1.90	2.28	2.13	3.60	2.59	2.59
झारखंड	2.00	1.57	1.54	1.05	0.80	0.80	0.13	0.16	0.14	0.40	0.38	0.38
उड़ीसा	5.50	4.74	4.61	2.00	1.89	1.89	1.35	1.53	1.34	2.88	2.66	2.55
पश्चिम बंगाल	13.00	11.94	11.67	4.86	4.03	4.03	4.15	4.80	4.62	7.49	7.29	7.23
असम	2.40	2.30	2.30	1.03	0.14	0.14	1.06	1.08	0.95	0.30	0.06	0.06
अखिल भारत	281.34	270.88	266.51	94.83	99.78	99.03	37.86	43.34	40.95	92.32	72.26	71.22

$मार्च 2008 में बेचे गए 10.4 लाख मी.टन यूरिया को छोड़कर (मार्च 2008 - आवश्यकता - 10.36 लाख मी.टन और बिक्री - 22.76 लाख मी.टन थी)

टिप्पणी: उर्वरक विभाग ने खरीफ 2008 में मिश्रित उर्वरकों की निगरानी करना शुरू किया है।

विवरण-IV

खरीफ 09

यूरिया

(000' मी.टन)

06.07.09	अप्रैल			मई 2009			जून 2009		
राज्य का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आन्ध्र प्रदेश	35.00	148.26	28.73	65.00	215.35	58.00	200.00	290.64	141.15
कर्नाटक	40.00	68.59	44.83	60.00	81.61	51.05	130.00	135.91	112.27
केरल	10.50	13.63	8.69	10.25	13.16	9.48	20.00	21.16	16.92
तमिलनाडु	55.00	65.74	53.78	60.00	62.06	53.46	80.00	79.93	72.36
गुजरात	65.50	117.14	78.63	59.00	131.77	61.17	140.00	226.11	166.54
मध्य प्रदेश	26.00	75.17	15.85	71.50	123.77	36.98	136.50	185.49	103.72
छत्तीसगढ़	97.00	79.37	39.30	97.00	88.26	25.26	144.50	125.96	84.56
महाराष्ट्र	225.04	160.62	113.03	212.08	276.06	207.73	202.94	304.84	272.58
राजस्थान	34.00	84.87	35.34	55.00	107.38	38.95	90.00	148.94	87.10
हरियाणा	50.00	77.17	33.84	100.00	156.85	84.03	210.00	220.74	153.88
पंजाब	100.00	161.03	90.95	300.00	258.72	177.58	250.00	305.23	237.98
हिमाचल प्रदेश	5.00	3.09	0.03	10.00	8.97	5.21	15.00	12.37	7.57
जम्मू और कश्मीर	13.61	13.81	9.16	25.72	13.31	7.61	14.26	16.93	10.12
उत्तर प्रदेश	200.00	382.95	127.21	500.00	644.17	298.09	700.00	719.47	331.57
उत्तराखंड	2.50	10.03	5.53	23.00	21.70	15.70	30.00	37.79	22.95
बिहार	75.00	94.01	33.67	75.00	158.63	75.09	150.00	184.59	94.17
झारखंड	3.00	5.53	2.67	5.00	13.22	4.66	30.00	26.63	12.76
उड़ीसा	10.00	26.69	6.02	20.00	46.87	9.10	40.00	58.49	20.83
पश्चिम बंगाल	30.10	81.48	33.57	42.40	103.07	53.25	81.20	110.45	53.87
असम	10.80	22.83	20.06	15.60	23.46	21.25	25.20	28.41	25.66
अखिल भारत	1095.10	1697.39	785.96	1816.59	2555.55	1303.61	2706.51	3250.62	2038.96

खरीफ 09

डीएपी

(000' मी.टन)

06.07.09	अप्रैल			मई 2009			जून 2009		
राज्य का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आन्ध्र प्रदेश	25.00	35.55	19.79	60.00	126.15	84.50	80.00	193.74	107.46
कर्नाटक	30.00	61.83	60.92	75.00	144.07	135.73	123.30	164.33	127.68
केरल	2.00	1.50	1.38	2.00	2.18	2.18	4.50	10.27	9.77
तमिलनाडु	22.00	29.32	26.76	23.00	34.03	26.18	30.00	55.65	53.17
गुजरात	33.80	58.47	52.47	97.80	161.31	70.87	100.00	201.07	111.33
मध्य प्रदेश	31.50	67.15	44.78	139.50	147.06	64.26	112.50	212.57	144.16
छत्तीसगढ़	27.00	26.17	23.33	27.00	45.44	33.19	40.50	55.37	43.63
महाराष्ट्र	30.23	268.86	251.92	124.86	326.65	311.81	126.85	149.93	146.05
राजस्थान	13.00	21.32	12.87	18.00	59.97	53.81	60.00	78.66	72.49
हरियाणा	10.00	24.36	14.78	40.00	106.28	98.72	85.00	87.75	74.42
पंजाब	60.00	28.50	28.13	30.00	96.81	88.03	75.00	73.78	58.58
जम्मू और कश्मीर	6.79	0.00	0.00	14.37	10.53	10.52	9.26	7.91	7.51
उत्तर प्रदेश	50.00	57.17	36.75	50.00	205.56	149.28	100.00	245.33	163.97
उत्तराखंड	2.00	3.07	3.05	2.00	4.64	4.63	2.20	7.88	5.06
बिहार	15.00	15.24	3.01	25.00	39.22	23.69	50.00	24.94	16.85
झारखंड	2.50	1.39	1.39	5.00	7.02	4.41	20.00	16.42	11.33
उड़ीसा	2.00	7.34	7.33	5.00	10.37	4.74	24.00	58.17	33.93
पश्चिम बंगाल	11.90	22.94	19.49	15.50	36.73	31.20	32.90	53.47	34.22
असम	1.35	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	3.15	4.45	4.37
अखिल भारत	378.03	730.20	608.70	759.10	1565.01	1198.27	1084.70	1707.18	1231.42

खरीफ 09

एमओपी (000' मी.टन)

06.07.09	अप्रैल			मई 2009			जून 2009		
राज्य का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आन्ध्र प्रदेश	20.00	28.33	6.43	20.00	34.31	14.08	35.00	66.76	51.13
कर्नाटक	30.00	37.74	26.91	27.00	37.82	31.98	51.00	76.23	70.27
केरल	9.80	8.67	7.21	11.20	12.85	11.20	15.70	26.57	21.18
तमिलनाडु	45.00	28.09	18.80	30.00	34.01	21.75	53.00	51.36	34.14
गुजरात	13.10	27.34	20.99	14.50	22.87	18.11	20.70	25.49	23.17
मध्य प्रदेश	3.50	28.24	1.56	30.10	26.67	6.23	20.30	28.19	17.45
छत्तीसगढ़	12.00	11.20	5.08	13.80	18.61	9.97	18.00	16.52	10.23
महाराष्ट्र	28.70	74.81	49.63	25.06	73.02	56.37	58.14	63.62	57.86
राजस्थान	1.30	11.11	5.18	0.80	8.53	3.70	1.70	5.73	2.48
हरियाणा	5.00	18.91	9.95	5.00	8ए96	3.32	5.00	5.64	5.64
पंजाब	8.00	18.99	3.90	8.00	17.17	7.63	10.00	12.19	9.57
जम्मू और कश्मीर	2.93	0.00	0.00	2.86	0.27	0.27	2.30	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	15.00	43.42	10.88	15.00	39.26	5.75	20.00	33.51	26.63
उत्तराखंड	0.00	0.02	0.00	0.50	0.02	0.02	1.00	0.00	0.00
बिहार	5.00	30.47	5.19	10.00	38.97	15.49	20.00	26.19	17.27
झारखंड	0.00	2.96	0.38	0.50	2.84	0.34	1.50	5.08	3.55
उड़ीसा	2.50	21.57	2.73	12.50	23.85	7.12	24.50	25.69	16.31
पश्चिम बंगाल	12.32	25.06	10.04	14.10	47.90	30.22	17.80	35.33	25.91
असम	5.04	13.77	3.28	7.28	22.71	12.33	11.76	10.38	3.95
अखिल भारत	220.67	431.66	188.81	249.81	472.08	257.27	390.43	518.64	399.19

खरीफ 09

मिश्रित उर्वरक

(000' मी.टन)

06.07.09	अप्रैल			मई 2009			जून 2009		
राज्य का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आन्ध्र प्रदेश	120.00	122.45	66.63	100.00	179.96	117.49	150.00	201.26	152.28
कर्नाटक	50.00	86.24	76.55	76.90	107.45	93.65	109.50	94.51	84.20
केरल	12.50	22.49	16.06	14.75	20.21	15.79	23.25	29.95	27.58
तमिलनाडु	28.50	41.89	36.53	34.50	56.56	52.84	26.50	50.19	44.72
गुजरात	20.50	52.82	28.97	38.80	67.91	47.23	38.50	35.73	16.95
मध्य प्रदेश	11.85	20.12	7.30	54.35	30.79	22.76	84.55	13.13	6.01
छत्तीसगढ़	10.30	10.50	7.82	26.50	18.13	13.19	32.90	17.33	14.65
महाराष्ट्र	80.75	96.89	78.90	105.94	102.48	80.87	141.42	121.91	103.46
राजस्थान	3.40	2.51	1.92	9.00	3.36	2.77	11.85	4.81	4.13
हरियाणा	1.00	3.44	2.67	6.00	1.76	0.93	5.00	1.65	1.21
पंजाब	6.00	5.26	2.56	5.50	3.20	1.20	5.50	2.32	0.37
हिमाचल प्रदेश	2.60	0.00	0.00	2.55	2.66	2.58	2.60	0.08	0.07
उत्तर प्रदेश	50.00	50.39	27.59	50.00	55.36	38.54	50.00	42.29	24.69
उत्तराखंड	2.00	0.05	0.00	10.00	4.61	4.39	10.00	0.22	0.16
बिहार	15.00	15.71	10.10	25.00	33.82	25.43	42.50	26.63	18.93
झारखंड	1.00	3.29	3.28	3.00	8.43	8.18	4.50	4.39	4.37
उड़ीसा	6.70	14.16	3.55	17.60	33.33	17.13	35.30	49.59	22.39
पश्चिम बंगाल	21.05	76.47	65.33	22.60	56.00	47.40	32.00	46.23	41.43
असम	0.50	2.57	0.00	0.72	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00
अखिल भारत	445.58	627.44	439.30	606.01	788.42	594.72	812.28	745.67	571.06

विवरण-V

वर्ष 2006-07 से 2008-09 और खरीफ 2009 (अप्रैल से जून 2009) तक यूरिया का राज्यवार उत्पादन

(000' मी.टन.)

राज्य/क्षेत्र का नाम	1/4/2006 को स्थापित क्षमता मात्रा	उत्पादन			खरीफ 2009 (अप्रैल से जून 09) मात्रा
		2006-07 मात्रा	2007-08 मात्रा	2008-09 मात्रा	
1	2	3	4	5	6
दक्षिण क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	1194.6	1324.1	1354.4	1378.0	374.6
केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कर्नाटक	380.0	370.1	379.6	379.3	71.1
तमिलनाडु	1106.8	1118.8	440.5	405.7	62.3
योग (दक्षिण क्षेत्र)	2681.4	2813.0	2174.5	2163.0	508.0
पश्चिम क्षेत्र					
गोवा	399.3	402.5	395.4	412.4	110.9
मध्य प्रदेश	1729.2	1849.4	1766.5	1803.8	402.5
महाराष्ट्र	1706.8	1861.0	1832.3	1903.3	424.7
गुजरात	3280.3	3154.2	3195.3	3131.6	748.0
राजस्थान	2108.2	2286.7	2380.8	2313.6	524.5
योग (पश्चिम क्षेत्र)	9223.8	9553.8	9570.3	9564.7	2210.6
पूर्वी क्षेत्र					
झारखण्ड	—	0.0	0.0	0.0	0.0
बिहार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
उड़ीसा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
असम	555.0	307.4	329.3	189.2	79.0
योग (पूर्वी क्षेत्र)	555.0	307.4	329.3	189.2	79.0

1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	511.5	508.7	511.6	488.3	94.5
पंजाब	990.0	992.9	990.1	1052.0	237.6
उत्तर प्रदेश	5738.7	6133.0	6282.4	6464.9	1459.3
योग (उत्तरी क्षेत्र)	7240.2	7634.6	7784.1	8005.2	1791.4
सकल योग	19700.4	20308.8	19858.2	19922.1	4589.0

विवरण-VI

वर्ष 2006-07 से 2008-09 और खरीफ 2009 (अप्रैल से जून 2009) तक डीएपी की राज्य/क्षेत्रवार स्थापित क्षमता और उत्पादन

(000' मी.टन.)

राज्य/क्षेत्र का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता मात्रा	उत्पादन 2006-07 मात्रा	2007-08 मात्रा	2008-09 मात्रा	खरीफ 2009 (अप्रैल से जून 09) मात्रा
दक्षिण क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	670.0	616.1	567.9	518.2	113.7
केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कर्नाटक	180.0	203.9	211.4	158.3	42.1
तमिलनाडु	475.0	286.4	71.5	0.0	0.0
योग (दक्षिण क्षेत्र)	1325.0	1106.4	850.8	676.5	155.8
पश्चिम क्षेत्र					
गोवा	330.0	198.2	212.5	205.0	89.5
गुजरात	2749.0	1854.7	1438.0	1057.3	730.6
योग (पश्चिम क्षेत्र)	3079.0	2052.9	1650.5	1262.3	820.1
पूर्वी क्षेत्र					
उड़ीसा	2220.0	1240.4	1473.0	906.7	346.0
पश्चिम बंगाल	675.0	452.1	237.6	147.8	31.6
योग (पूर्वी क्षेत्र)	2895.0	1692.5	1710.6	1054.5	377.6
सकल योग	7299.0	4851.8	4211.9	2993.3	1353.5

विवरण-VII

वर्ष 2006-07 से 2008-09 और खरीफ 2009 (अप्रैल से जून 2009) तक मिश्रित उर्वरकों की राज्यवार/क्षेत्रवार स्थापित क्षमता और उत्पादन

(000' मी.टन.)

राज्य/क्षेत्र का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता मात्रा	उत्पादन			खरीफ 2009 (अप्रैल से जून 09) मात्रा
		2006-07 मात्रा	2007-08 मात्रा	2008-09 मात्रा	
दक्षिण क्षेत्र					
आध्र प्रदेश	600.0	1477.7	1194.5	1313.1	489.2
केरल	633.5	715.9	425.0	605.3	146.2
कर्नाटक	0.0	52.9	33.7	74.3	16.7
तमिलनाडु	1080.0	390.0	223.5	158.4	66.0
योग (दक्षिण क्षेत्र)	2313.5	2636.5	1876.7	2151.1	718.1
पश्चिम क्षेत्र					
गोवा	240.0	537.8	477.1	373.2	78.2
महाराष्ट्र	891.0	580.6	519.7	528.9	112.4
गुजरात	1357.9	2224.8	1908.0	1960.3	280.9
योग (पश्चिम क्षेत्र)	2488.9	3343.2	2904.8	2862.4	471.5
पूर्वी क्षेत्र					
उड़ीसा	420.0	830.4	676.8	1421.5	314.9
पश्चिम बंगाल	0.0	654.4	392.3	413.4	117.2
योग (पूर्वी क्षेत्र)	420.0	1484.8	1069.1	1834.9	432.1
सकल योग	5222.0	7464.5	5850.6	6848.4	1621.7

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा लौह अयस्क की कीमतों में वृद्धि

*97. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने लौह अयस्क की कीमतों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे लघु क्षेत्र के इस्पात उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय खनिज निगम द्वारा कीमत में वृद्धि किए जाने के बाद भी इस्पात संयंत्रों के लिए आवश्यक लौह अयस्क की आपूर्ति न किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा लौह अयस्क आधारित लघु संयंत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। दूसरी ओर एनएमडीसी ने अपने घरेलू दीर्घकालिक ग्राहकों के लिए लौह अयस्क की दीर्घकालिक कीमतों में दिनांक 1.12.2008 से 25 प्रतिशत की कमी की है। चूंकि वर्ष 2009-10 के लिए दीर्घकालिक कीमत अभी तक तय नहीं की गई हैं इसलिए वर्ष 2009-10 के लिए भी अनंतिम आधार पर वही कीमत ली जा रही है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) लौह अयस्क नियंत्रणमुक्त क्षेत्र में आता है और सरकार न तो इसकी कीमतों पर और न ही अलग-अलग इस्पात कंपनियों को इसके वितरण/आपूर्ति पर नियंत्रण रखती है। एनएमडीसी के अलावा देश में सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में लौह अयस्क के अनेक उत्पादक हैं। विभिन्न इस्पात इकाइयों को लौह अयस्क की आपूर्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उनका व्यक्तिगत संबंध एनएमडीसी तथा अन्य लौह अयस्क उत्पादकों के साथ कैसा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फाइबर नीति

*98. **श्री आनंदराव अडसुल :**
डॉ. के.एस. राव

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को घरेलू खपत और निर्यात के लिए फाइबर उत्पादन में धीमी वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए जिम्मेवार कारकों की पहचान की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय फाइबर नीति बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह नीति कब तक बनाए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) भारत में फाइबर उत्पादन की प्रवृति प्रगतिशील है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्धता घरेलू मांग को पूरा करने के लिए समुचित रूप से पर्याप्त रही है। कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा इसकी नवीनतम बैठक में लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2008-09 में कपास फाइबर की कुल उपलब्धता 230 लाख गांठ की आवश्यकता की तुलना में 340 लाख गांठ थी। इसी वर्ष में मानव निर्मित फाइबर की कुल उपलब्धता 967 मिलियन कि.ग्रा. की आवश्यकता की तुलना में 1147 मिलियन किग्रा. थी।

(ग) से (ङ) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय फाइबर नीति बनाने का निर्णय लिया है। सभी स्टेक होल्डरों के हित को दर्शाते हुए नीति बनाने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

निःशुल्क कानूनी सहायता

*99. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गरीबों और विचाराधीन कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सभी राज्यों ने इस धनराशि का उचित ढंग से उपयोग किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में मानदंडों को संशोधित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गरीबों और विचाराधीन कैदियों को पर्याप्त निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा), विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन विरचित की गई विधिक सहायता स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों आदि को निधियां आबंटित करता है। गरीबों और विचारणाधीन कैदियों के लिए निधियों का कोई विनिर्दिष्ट आबंटन नहीं किया गया है। निधियों का आबंटन,

उक्त अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट व्यक्तियों के सभी प्रवर्गों को, जिसमें अन्य के साथ विचारणाधीन कैदी भी सम्मिलित हैं, नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के संबंध में, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष मामलों में नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अंतिम तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2006-07, 2007-08, 2008-09 के दौरान प्रत्येक में और चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 (जून 2009 तक) के दौरान भी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों आदि को आबंटित की गई निधियों के विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्र. सं.	वर्ष	रकम
1.	2006-07	74643600/-रु.
2.	2007-08	147011650/-रु.
3.	2008-09	136124000/-रु.
4.	2009-10	5120000/- (जून, 2009 तक)

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) विधि कार्य विभाग (क) वरिष्ठ नागरिकों (ख) ऐसे सैन्य बल कार्मिक और परासैन्य बल कार्मिक के, जो लड़ाई में मारे गए हैं, आश्रित कुटुम्ब सदस्यों (ग) आतंकवादियों/अतिवादी हिंसा और बलवों के पीड़ितों के प्रवर्गों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में सम्मिलित करके हिताधिकारियों का विस्तार का प्रस्ताव करता है। मामला प्रक्रियाधीन है।

(च) उपरोक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर के कथनानुसार।

[अनुवाद]

स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका

*100. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :***
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सत्यम घोटाले के मद्देनजर स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका की संवीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार स्वतंत्र निदेशकों की शक्तियों, जिम्मेदारी और उनके हितों के टकराव के संबंध में कम्पनी विनियमों में कुछ परिवर्तन करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों में शब्द 'स्वतंत्र निदेशक' परिभाषित नहीं किया गया है। अधिनियम में केवल शब्द 'निदेशक', 'प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक' को ही परिभाषित किया गया है। तथापि, सूचीकरण करार, के खंड 49 के अनुसार सेबी ने सूचीबद्ध कम्पनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक को शामिल किए जाने का प्रावधान किया है।

दिनांक 23.10.2008 को लोक सभा में पुर:स्थापित कम्पनी विधेयक, 2008 के उपबंधों के अनुसार, यथानिर्धारित प्रदत्त शेयरपूंजी वाली सूचीबद्ध कम्पनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए एक उपबंध बनाया गया है। बेहतर कारपोरेट शासन एवं कम्पनियों का प्रबंधन बनाने के लिए निदेशकों के कर्त्तव्य और देयताएं कम्पनी विधेयक, 2008 में निर्धारित किए गए हैं तथा शब्द 'स्वतंत्र निदेशक' को भी परिभाषित किया गया है।

कम्पनी विधेयक, 2008 संविधान के अनुच्छेद 107(5) के मद्देनजर समाप्त हो गया। अब सरकार का विधेयक को संसद में कम्पनी विधेयक, 2009 के रूप में पुन: पुर:स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका अन्य बातों के साथ-साथ, संसद की वित्त संबंधी स्थाई समिति द्वारा विधेयक की संवीक्षा के दौरान विचार-विमर्श के लिए भी चर्चा में है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा निवेश

716. **श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने 57000 करोड़ रु. के परिव्यय के लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एक बृहद योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निवेशों में से अधिकांश घरेलू परियोजनाओं में किया जाएगा तथा उसके आर्थिक लाभ स्थानीय तौर पर उठाए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है और यह अर्थव्यवस्था में कितना सहायक होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) योजना आयोग ने संलग्न विवरण में दिए गए कंपनी-वार ब्यौरों के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियों के लिए 57475.74 करोड़ रु. के वार्षिक योजना परिव्यय को अनुमोदित किया है।

(ग) ओवीएल, जिसने विदेश में परियोजनाओं में निवेश किया है, के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य तेल कंपनियों के अधिकांश निवेश घरेलू परियोजनाओं में हैं। तथापि, दोनों घरेलू और विदेशी परियोजनाओं में किए गए निवेश में अंततः देश को लाभ होगा।

(घ) वर्ष 2009-10 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वार्षिक योजना परिव्यय में अन्वेषण और उत्पादन परियोजनाओं के लिए 38731.98 करोड़ रुपये, परिशोधन और विपणन परियोजनाओं के लिए 14285.79 करोड़ रुपये, पेट्रोरसायन परियोजनाओं के लिए 4362.97 करोड़ रुपये तथा इंजीनियरी परियोजनाओं के लिए 95 करोड़ रुपये के निवेश शामिल होंगे।

(ङ) योजना की प्रमुख विशेषता तेल और गैस के त्वरित अन्वेषण और उत्पादन द्वारा ऊर्जा सुरक्षा प्राप्ति में देश को सक्षम बनाना है और यह कि परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों का कंपनी-वार वार्षिक योजना परिव्यय

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी	योजना परिव्यय (2009-10) (रु. करोड़ में)
1	2
ओएनजीसी	20867.58
ओवीएल	9365.06
ओआईएल	2276.31
गेल	5558.00
आईओसी	11561.00
एचपीसीएल	1390.00
बीपीसीएल	3348.70
सीपीसीएल	716.09
एमआरपीएल	2048.00
एनआरएल	250.00
बामर लॉरी	90.00
बीको लॉरी	5.00
योग	57475.74

[हिन्दी]

पाटन और भिलडी के बीच रेलगाड़ी

717. **श्री जगदीश ठाकोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का गुजरात में पाटन और भिलडी के बीच रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल गैस पीड़ितों का कल्याण

718. **श्री असादूद्दीन ओवेसी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 में भोपाल गैस पीड़ितों के कल्याण से संबंधित चालू योजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) सरकार से अब तक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) अब तक क्षतिपूर्ति और सरकारी सहायता प्राप्त नहीं करने वाले भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं या उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) भोपाल गैस पीड़ितों के कल्याण के लिए जारी योजनाओं के अंतर्गत 7 अस्पताल, 5 सिविल डिस्पेंसरियां तथा 2 पॉलीक्लीनिक और होम्योपैथी, यूनानी और भारतीय चिकित्सा प्रणाली तीनों की एक-एक डिस्पेंसरियां चिकित्सा पुनर्वास एवं देखभाल में लगे हैं। इसके अतिरिक्त, 3 और अस्पताल भी कार्यरत हैं जिनमें एक आयुर्वेद दूसरा होम्योपैथी और तीसरा यूनानी दवा प्रणाली का है। आर्थिक पुनर्वास के अंतर्गत प्रभावित वार्डों के गैस प्रभावित युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है, 42 वर्कशेडों तथा 152 औद्योगिक शेडों का निर्माण किया गया था ताकि इन शेडों में स्थापित इकाइयों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। सामाजिक पुनर्वास योजना के अन्तर्गत लगभग 1077 विधवाओं को पेंशन दुग्धाहार कराने वाली माताओं और बच्चों आदि को दुग्ध वितरण जैसे आरंभिक राहत उपायों के अतिरिक्त गैस पीड़ितों की विधवाओं के लिए 2468 मकान बनाए गए हैं और आबंटित किए गए हैं।

पर्यावरणीय पुनर्वास के अन्तर्गत नालों का निर्माण, वृक्षारोपण तथा सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति को बढ़ाने का कार्य शुरू किया गया है। अप्रैल, 2006 में यूसीआईएल संयंत्र स्थल के आस-पास के 14 इलाकों के लिए कोलार जलाशय से पाइपलाइनों के जरिये सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अन्तर्गत एक परियोजना के लिए धन मंजूर किया था और मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल नगर निगम (बीएमसी) को 14.18 करोड़ रु. प्रदान किए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि 31 मार्च 2009 तक 512.10 करोड़ रु. की राशि इन योजनाओं पर खर्च की जा चुकी है।

(ख) से (घ) कल्याण आयुक्त का कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित के माध्यम से मुआवजे की राशि संवितरित की जा रही है। कल्याण आयुक्त के कार्यालय ने सूचित किया है कि 31.5.2009 की स्थिति के अनुसार एवार्ड दिए गए कुल 5,74,369 मामलों में से 5,73,878 दावेदारों को 1549.03 करोड़ रु. के मूल मुआवजे का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 5,62,488 दावेदारों को यथानुपात मुआवजा के रूप में 1509.40 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं। 491 दावेदारों ने मूल मुआवजे के लिए अपने दावों का अभी तक निपटान नहीं किया है और 11,881 दावेदारों ने अभी तक यथानुपात मुआवजे का निपटान नहीं किया है। मुआवजा राशि के भुगतान का कार्य जारी है। मुआवजा प्राप्ति के लिए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अनुपस्थित दावेदारों की सूची को समाचार पत्रों में अधिसूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एनजीओज को भी सूची प्रदान की गई थी। अनुपस्थित दावेदारों के हाजिर होते ही दावों का निपटान कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

'सेल' द्वारा इस्पात प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

719. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमि. (सेल) ने देश के विभिन्न भागों में इस्पात प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में ऐसी और अधिक इकाइयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) इस समय बेतिया, बिहार में इस्पात प्रक्रमण इकाई (एसपीयू) की स्थापना कर रहा है।

(ग) और (घ) बिहार में मेहनार और गया, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, उज्जैन और ग्वालियर, आसाम में गुवाहाटी, जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में इस्पात प्रक्रमण इकाइयां (एसपीयू) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

तमिलनाडु में पुल

720. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के विभिन्न भागों में सड़क उपरी पुल (आर ओ बी), रेल अंडर ब्रिज तथा समपार निर्माण की स्थिति क्या है तथा उनके पूरा होने के लिए निर्धारित तिथि क्या है;

(ख) उपर्युक्त लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य शुरू होना शेष है तथा विलंब, यदि कोई हो तो, के क्या कारण हैं;

(ग) राज्य के नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो रेलवे के विचाराधीन हैं;

(घ) क्या लागत हिस्सेदारी अनुपात में परिवर्तन करके उसे सरल बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्य राज्य-वार स्वीकृति नहीं किए जाते हैं। ये रेलवे जोन-वार शुरू किए जाते हैं। बहरहाल, तमिलनाडु राज्य को सेवित कर रही रेलों ने सूचित किया है कि राज्य में 2006-07 के दौरान ऊपरी/निचले पुलों के 29 कार्य, 2007-08 में 39 कार्य तथा 2008-09 में 23 कार्य स्वीकृत किए गए थे, इसी प्रकार, संबंधित रेलवे द्वारा 2006-07 में 49, 2007-08 में 21 तथा 2008-09 में 30 समपारों पर चौकीदार नियुक्त किए गए थे। ऊपरी/निचले पुलों का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का काम पूरा करने पर निर्भर करता है। रेलें पहुंच मार्गों का कार्य पूरा होने से पहले अथवा उसके साथ-साथ अपने हिस्से का कार्य (रेलपथ पर पुल खास) पूरा करने का हर संभव प्रयास करती हैं। अत: लक्ष्य तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ख) इस समय सभी कार्य योजना तथा निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। बहरहाल, निष्पादन में विलंब पहुंच मार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब, सामान्य आरेखण प्रबंधन के अनुमोदन में विलंब, पहुंच मार्गों के लिए आकलन के अनुमोदन में विलंब, राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण मुक्त स्थान की व्यवस्था में विलंब, यातायात के मार्ग परिवर्तन की व्यवस्था, लागत में भागीदारी के लिए वचनबद्धता देने तथा समपार को बंद करने आदि पर निर्भर करता है।

(ग) 2009-10 के दौरान तमिलनाडु से चार प्रस्ताव स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं:—

(1) तिरूनेलवेली यार्ड पर किमी. 27/500-600 पर समपार सं. 18 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(2) व्यासरपाडी में मौजूदा निचले पुल के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(3) त्रिची के समीप थिरूवनईकावल के समीप पुल सं. 328 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(4) तिरूचिरापल्ली यार्ड के समीप पुल सं. 1136 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(घ) और (ङ) लागत पैटर्न पूर्व के समान है। व्यस्थ समपारों, जहां यातायात घनत्व एक लाख अथवा अधिक गाड़ी वहन यूनिट है, के बदले लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत कार्यों के लिए रेलों तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में लागत वहन की जाती है।

[हिन्दी]

गुजरात में नया विमानपत्तन

721. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में नये विमानपत्तन की स्थापना हेतु स्थान का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्य में वर्तमान विमानपत्तनों के उन्नयन और/अथवा आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने गुजरात में भरूच-अंकलेश्वर, राजकोट तथा धोलेरा में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के संबंध में तीन कार्यस्थलों की पहचान कर ली है, जिनके बारे में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन स्थानों पर कार्यस्थल साध्यता अध्ययन कर लिया है और राज्य सरकार को उनकी आवश्यक कार्रवाई हेतु अपनी रिपोर्ट भेज दी है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

किसानों को राजसहायता लाभ

722. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान उर्वरक अनुदान का लाभ केवल बड़े किसान उठा रहे हैं और छोटे किसान इसके लाभों से तुलनात्मक रूप से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मूलत: उर्वरक विनिर्माता उर्वरकों पर अनुदान की वर्तमान प्रणाली का लाभ प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बारहवें वित्त आयोग ने इस प्रक्रिया में परिवर्तन की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) उर्वरक राजसहायता उर्वरकों की मानकीय सुपुर्दगी लागत और अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), जिस पर किसानों को इनकी बिक्री किया जाना अपेक्षित होता है, के बीच का अंतर होता है। किसानों को उर्वरक राजसहायता इन राजसहायता-प्राप्त अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में दी जाती है। जो फार्मगेट स्तर पर राजसहायता-प्राप्त उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत से काफी कम होते हैं। उर्वरक राजसहायता का संचालन उत्पादकों/आयातकों के जरिए होता है तथा उनको राजसहायता जिले में राजसहायता-प्राप्त उर्वरकों के पहुंचने पर जारी की जाती है। वर्तमान में, सभी किसान कृषि जोतों के आकार पर ध्यान दिए बिना राजसहायता व्यवस्था के अंतर्गत अधिसूचित राजसहायता-प्राप्त उर्वरक प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) बारहवें वित्त आयोग ने उर्वरक राजसहायता जारी करने की एक वैकल्पिक पद्धति विकसित करने की आवश्यकता का संकेत दिया है। उर्वरकों का संतुलित अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार मौजूदा उत्पाद मूल्य-निर्धारण व्यवस्था की बजाय एक पोषक-तत्व आधारित राजसहायता व्यवस्था लाने पर विचार कर रही है। तथापि, अभी इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

आंध्र प्रदेश में रेल परियोजनाएं

723. **श्री अंजनकुमार एम. यादव : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है तथा इनके पूरा होने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य में पूरी तरह/आंशिक रूप से पड़ने वाली नई लाइन की चालू रेल परियोजनाएं, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण तथा रेल विद्युतीकरण का विस्तृत ब्यौरा लक्ष्य सहित जहां कहीं निर्धारित किए गए हों, निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	योजना शीर्ष	परियोजना का नाम	लम्बाई कि.मी. में	नवीनतम स्वीकृत प्रत्याशित लागत	मार्च, 2009 तक खर्च	2009-10 के लिए परिव्यय	लक्ष्य, जहां कहीं निर्धारित किए गए हों
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नई लाइन	गढ़वाल-रायचूर	60	156.60	97.68	25.00	
2.	नई लाइन	जग्गयापेटा-मल्लाचेरूवू	19.1	94.69	60.24	22.99	2009-10

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	नई लाइन	काकीनाडा-पीथापुरम	21.5	85.51	0.01	0.01	
4.	नई लाइन	कोटिपल्लि-नरसापुर	57.21	695.00	9.42	0.01	
5.	नई लाइन	मनोहराबाद-कोटापल्लि	148.9	497.47	0.43	2.00	
6.	नई लाइन	मुनीराबाद-महबूबनगर	246	497.47	47.44	5.00	
7.	नई लाइन	नंदयाल-येरागुंतला	126	429.49	207.11	51.00	
8.	नई लाइन	ओबुलावारिपल्ले-कृष्णापटनम	113	732.81	95.00	50.00	2009-10
9.	नई लाइन	पेड्डापल्लि-करीमनगर-निजामाबाद	177.49	517.63	296.52	15.00	
10.	नई लाइन	रायदुर्ग-तुमकुर	213	1027.89	0.00	13.48	
11.	नई लाइन	विष्णुपुरम-जनापहाड़	11	54.56	6.34	10.00	
12.	नई लाइन	टिंडीवनम-नगारी	179.20	582.83	9.04	25.00	
12.	नई लाइन	अट्टिपट्टु-पुत्तुर	88.3	446.87	96.2	45.00	
14.	नई लाइन	कुड्डापह-बेंगलोर	255.4	1000.2	0.01	29.00	
15.	नई लाइन	मचेरला-नालगोंडा	92	243.17	0.27	0.10	
16.	आमान परिवर्तन	धर्मावरम-पकाला	227	610.0	404.00	1.00	2009-10
17.	आमान परिवर्तन	गुंटूर-गुंतकल-कल्लुरू	554	587.00	584.00	1.00	
18.	आमान परिवर्तन	नौपाडा-गुनुपुर	90	168.88	149.00	14.00	2009-10
19.	दोहरीकरण	गुत्ती-रेणिगुंटा-कही-कहीं दोहरीकरण	151	515.00	296.00	120.00	
20.	दोहरीकरण	कोट्टवलासा-सिंहाचलम नार्थ चौथी लाइन	16.69	95.00	19.51	32.00	
21.	दोहरीकरण	रायचुर-गुंतकल	81.1	221.93	137.00	55.00	2009-10
22.	दोहरीकरण	समलकोट-काकीनाडा पत्तन	15.6	114.50	85.00	9.70	
23.	दोहरीकरण	विजयनग्राम-कोट्टवला तीसरी लाइन	34.7	194.89	9.24	35.00	
24.	दोहरीकरण	राघवपुरम-मंडामरी	24.47	92.29	0	10.00	
25.	रेल विद्युतीकरण	रेणिगुंटा-गुंतकल	308.00	182.55	58.44	55.00	

[अनुवाद]

दिल्ली और मेरठ के बीच शटल रेलगाड़ी

724. श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-मेरठ-दिल्ली के बीच प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या रेलवे के अपर्याप्त शटल रेलगाड़ियों के कारण दैनिक यात्रियों को होने वाली असुविधा की जानकारी है; और

(ग) दिल्ली-मेरठ के बीच और अधिक शटल रेलगाड़ी उपलब्ध कराने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) दिल्ली-मेरठ-दिल्ली के बीच प्रतिदिन लगभग 4,150 यात्री यात्रा करते हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान में दिल्ली और मेरठ के बीच दैनिक यात्रियों के लिए चार जोड़ी गाड़ियां सुबह और शाम उपलब्ध हैं। यातायात के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए वर्तमान प्रबंधों को पर्याप्त समझा जाता है।

भेषज इकाइयों का पुनरूद्धार

725. श्री प्रबोध पांडा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) सहित सरकारी क्षेत्र की भेषज इकाइयों का पुनरूद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा कब तक उत्पादन शुरू किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) सरकार ने हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) तथा बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के पुनरूज्जीवन के लिए पुनर्वास योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) के पुनरूज्जीवन के लिए पुनर्वास योजना विचाराधीन है। तथापि, बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड (बीआईएल), कोलकाता के पुनरूज्जीवन की संभावना का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) एचएएल, बीसीपीएल और आईडीपीएल दवाओं के उत्पादन में पहले से ही लगे हुए हैं।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक समुदायों को स्वरोजगार

726. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के बेरोजगार युवाओं को उनके स्वरोजगार हेतु सीधी सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अल्पसंख्यक समुदायों के बेरोजगार व्यक्तियों को दी गयी/प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अल्पसंख्यक समुदाय के उन व्यक्तियों को आय-सृजक कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है जो दुगुनी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं।

(ख) एन.एम.डी.एफ.सी. राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों द्वारा नामित लोगों को ऋण उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, यह गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लघु ऋण प्रदान करता है। यह निगम, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण भी प्रदान करता है।

(ग) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वित्त वर्ष (30.6.2009 तक) के दौरान राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार संवितरित राशि और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में है। एन.एम.डी.एफ.सी. और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा 79,860 लाभार्थियों को 185.00 करोड़ रुपए की राशि संवितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वित्त वर्ष (30.06.2009 तक) के दौरान संवितरित राशि और लाभार्थियों की संख्या

(राशि लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10 (दिनांक 30.06.2009 तक)	
		लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	5117	756.7	2601	888.7	637	47.25	349	22.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	2180	100	654	134	0	0	80	5.67
4.	बिहार	700	304.5	893	204.51	33357	904.5	0	0
5.	चंडीगढ़	4	3	13	5	4	2	7	3
6.	छत्तीसगढ़	137	100	0	0	0	0	0	0
7.	दिल्ली	25	4.5	107	21.25	34	17	38	17
8.	गुजरात	925	295	474	200	1009	300	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	127	115	375	150	202	75	111	50
10.	हरियाणा	960	415	1073	450	777	359	0	0
11.	जम्मू-कश्मीर	740	370	1350	387.72	1641	420	0	0
12.	झारखंड	126	6.75	218	54.44	447	110	0	0
13.	केरल	8669	3275	10250	3150	14729	4229.5	2222	1000
14.	कर्नाटक	0	0	1234	525	1426	450	0	0
15.	महाराष्ट्र	150	75	1933	800	1000	500	1111	500
16.	मणिपुर	0	0	80	1.8	20	1.8	0	0
17.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	0	0	62	3.6	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	मिजोरम्	400	200	1000	400	910	300	0	0
20.	नागालैंड	1136	500	1681	713	1836	500	0	0
21.	उड़ीसा	140	4.5	0	0	382	27	0	0
22.	पांडिचेरी	25	10	57	23	303	100	0	0
23.	पंजाब	1050	525	1875	750	1628	400	0	0
24.	राजस्थान	335	154.72	626	252.25	205	100	25	2.25
25.	तमिलनाडु	14582	952.45	8042	1516	8039	965.25	446	36.9
26.	त्रिपुरा	41	25	75	30	206	50	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	615	45	0	0	0	0
28.	उत्तराखंड	292	265	0	0	0	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	9922	2818	12415	3707.74	12406	3214.49	3373	1502.25
	कुल	47783	11275.12	47703	14413.01	51198	13072.79	7762	3139.57

[अनुवाद]

मुम्बई विमानपत्तन पर दुर्घटना टलना

727. श्री मिलिंद देवरा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मई, 2009 को मुम्बई विमानपत्तन पर एयर इंडिया, जेट के विमान टकराते-टकराते बचे थे;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घटना की जांच के आदेश दिये गये थे;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और क्या दोनों विमानों के चालकों और विमान यातायात नियंत्रक सहित चूककर्त्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या इस घटना जैसी घटनाएं विगत में भी घटी हैं; और

(च) यदि हां, तो भविष्य में अनुपालन हेतु क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। दिनांक 31.5.2009 को क्रास-रनवे प्रचालनों के दौरान जेट एयरवेज की उड़ान जेएआई-615 तथा एअर इंडिया की उड़ान एआईसी-348 के बीच यह घटना हुई।

(ख) से (घ) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इस घटना की जांच की गई थी और यह पाया गया कि जेट एयरवेज की उड़ान को जारी किया गया टेक ऑफ क्लीयरेंस एअर इंडिया के पायलट द्वारा गलती से एअर इंडिया उड़ान के लिए क्लीयरेंस समझा गया और उसने टेक ऑफ रोल आरंभ किया जिसके कारण यह घटना हुई। एअर इंडिया की उड़ान के क्रू को ग्राउंडिड कर दिया गया था तथा एक माह की अवधि तक अपने लाइसेंस का प्रयोग न करने को कहा गया।

(ङ) जी, नहीं।

(च) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा क्रास-रनवे प्रचालनों के दौरान सेफ्टी संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। संबंधित एयरलाइनों को ऐसी घटना के बारे में जागरूकता पैदा करने, अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करने और निगरानी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए संबंधित एयरलाइनों को अनुदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

वीआईएसएल द्वारा संचालन रोका जाना

728. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय के निर्देशानुसार विश्वश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड (वीआईएसएल) को कर्नाटक में आबंटित केम्मनगुण्डी लौह अयस्क खानों का संचालन रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वीआईएसएल ने कर्नाटक में रक्षित लौह अयस्क खान के पट्टे हेतु सरकार से अनुमति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम को लौह अयस्क की उलपब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) जी, हां।

(ख) विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी) को आबंटित केमनगुंडी स्थित लौह अयस्क खान 1923 में चालू किये जाने के बाद प्रचालनरत थी। यह खान भद्रा वन्य जीव अभ्यारणय के समीप स्थित है। इसलिये पर्यावरण और वन मंत्रालय के निर्देशों पर यह वर्ष 2004 में बंद कर दी गई थी।

(ग) से (ङ) जी, हां। वीआईएसपी ने 24.1.2007 को बेल्लारी जिले के संदूर तालुक में एनईबी रेंज में खनन पट्टे (140 हेक्टेयर क्षेत्र) के आबंटन के लिये आवेदन किया था। कर्नाटक सरकार ने खान मंत्रालय, भारत सरकार को सिफारिश की थी कि यह क्षेत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के लिये आरक्षित कर दिया जाए। राज्य सरकार में सिफारिश के विरुद्ध कुछ आवेदकों ने खान मंत्रालय, भारत सरकार ने संशोधन याचिका दायर की है अंतिम निर्णय अभी प्राप्त होना है। शीघ्र निर्णय के लिये यह मामला खान मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है।

[हिन्दी]

केरोसिन/एलपीजी का आबंटन

729. **श्री ओम प्रकाश यादव :**
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और गोवा सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में केरोसिन और एलपीजी की मासिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी मात्रा में केरोसिन/एलपीजी की आपूर्ति की गयी है;

(ग) क्या सरकार को बिहार और गोवा सहित कई राज्यों में केरोसिन/एलपीजी की भारी कमी की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से अपने राज्यों में केरोसिन/एलपीजी का कोटा बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को पीडीएस नेटवर्क के अंतर्गत आगे वितरण के लिए पीडीएस मिट्टी तेल का तिमाही आबंटन करता है। प्रति कार्डधारी को वितरण के लिए पीडीएस मिट्टी तेल की मात्रा संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा निश्चित की जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों को एलपीजी की आपूर्तियां एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार की जा रही हैं।

सरकार द्वारा एलपीजी के आबंटन के लिए राज्यवार कोई कोटा निश्चित नहीं किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आबंटित पीडीएस मिट्टी तेल की मात्रा संलग्न विवरण-I में दी गई है। पिछले तीन वर्षों में घरेलू एलपीजी की राज्यवार खपत संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) देश में बिहार तथा गोवा राज्यों सहित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) तथा मिट्टी तेल की समग्र रूप से कोई कमी नहीं है। तथापि, ओएमसीज ने सड़कें टूटने, पुल गिरने, कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन की गतिविधियों/हड़तालों, परिवहन कंपनियों तथा ठेका मजदूरों द्वारा हड़ताल करने, हड़तालों आदि के कारण कुछ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अनियमित बैकलॉग की सूचना दी थी। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश में बैकलॉग की स्थिति को समाप्त करने के लिए भरण संयंत्रों को छुट्टी के दिनों में और काम के घंटे बढ़ाकर चलाया गया। जहां तक मिट्टी तेल की बात है, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा किसी प्रकार की कमी की सूचना नहीं दी गई है।

(ङ) एसकेओ का आबंटन बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ने दिसंबर, 2004 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के माध्यम से देश में मिट्टी तेल की मांग का एक विस्तृत अध्ययन कराया था। एनसीएईआर ने अक्तूबर, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एनसीएईआर ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि मिट्टी तेल पर राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों के लिए ही सीमित की जाए। साथ ही, पेट्रोलियम उत्पादों की एक दीर्घावधि मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित डा. रंगराजन समिति ने भी केवल बीपीएल परिवारों के लिए पीडीएस एसकेओ राजसहायता सीमित करने की सिफारिश की है। सरकार ने डा. रंगराजन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और "सिद्धांत रूप में" यह निर्णय लिया है कि पीडीएस मिट्टी तेल पर राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों के लिए सीमित की जाएगी। इस निर्णय को कार्यान्वित करने तथा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच पीडीएस मिट्टी तेल के आबंटन को युक्तिसंगत बनाने की रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विवरण-I

पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन

मात्रा हजार मीट्रिक टन (एम.टी.)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (अप्रैल से जुलाई 2009)
1	2	3	4	5
अण्डमान और निकोबार	5816	5816	5816	1921
आन्ध्र प्रदेश	517158	517158	517158	172379
अरुणाचल प्रदेश	9257	9257	9257	3075
असम	258007	258007	258007	85989
बिहार	647430	647430	647430	215405
चंडीगढ़	13067	13067	9999	2427
छत्तीसगढ़	146938	146938	146938	48855
दादरा और नागर हवेली	2782	2782	2782	927
दमन दीयु	2118	2118	2118	701
दिल्ली	168484	168484	160935	45757
गोवा	19212	19212	19212	6404
गुजरात	743759	743759	743759	247798
हरियाणा	145619	145619	145619	48452
हिमाचल प्रदेश	50537	50537	49409	15280
जम्मू एवं कश्मीर	76044	76044	76044	19238
झारखंड	211175	211175	211175	70367
कर्नाटक	461478	461478	461478	153811
केरल	216308	216308	216308	72103
लक्षद्वीप	795	795	795	400
मध्य प्रदेश	488609	488609	488609	162785
महाराष्ट्र	1276876	1276876	1276876	425593
मणिपुर	19907	19907	19907	6617
मेघालय	20401	20401	20401	6795
मिज़ोरम	6217	6217	6217	2068
नागालैण्ड	13312	13312	13312	4437
उड़ीसा	314977	314977	314977	104883
पांडिचेरी	12257	12257	12257	4084
पंजाब	237192	237192	237192	78787
राजस्थान	398913	398913	398913	132917
सिक्किम	5582	5582	5582	1858
तमिलनाडु	558929	558929	558929	186254
त्रिपुरा	30832	30832	30832	10267
उत्तर प्रदेश	1241772	1241772	1241772	413815
उत्तराखंड	89849	89849	89849	29949
पश्चिम बंगाल	752103	752103	752103	250638
योग	9163712	9163712	9151967	3033036

विवरण-II

घरेलू एलपीजी की खपत

मात्रा हजार मीट्रिक टन (टीएमटी)

राज्य	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	783.69	826.61	869.58
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.10	5.42	5.60
अरुणाचल प्रदेश	10.10	10.88	11.02
असम	166.31	174.18	175.84
बिहार	251.00	264.50	279.55
चण्डीगढ़	30.51	32.20	32.44
छत्तीसगढ़	98.18	108.47	110.33
दादरा और नागर हवेली	3.03	3.28	3.68
दमन दीयू	4.13	4.21	4.42
दिल्ली	565.64	590.68	606.52
गोवा	39.07	41.54	42.43
गुजरात	558.22	588.61	593.42
हरियाणा	370.00	383.41	393.01
हिमाचल प्रदेश	79.08	84.18	86.73
जम्मू एवं कश्मीर	109.30	121.24	120.38
झारखंड	91.41	98.50	103.81
कर्नाटक	586.32	622.63	646.57
केरल	417.74	438.76	443.30
लक्षद्वीप	0.24	0.21	0.19
मध्य प्रदेश	394.96	431.43	448.57
महाराष्ट्र	1372.32	1449.84	1499.08
मणिपुर	15.09	17.46	16.69
मेघालय	12.61	12.93	12.59
मिज़ोरम	17.79	17.40	17.53
नागालैंड	13.55	14.14	13.99
उड़ीसा	130.44	138.01	139.47
पांडिचेरी	25.34	26.50	25.91
पंजाब	512.60	535.72	548.01
राजस्थान	422.18	447.45	464.34
सिक्किम	8.11	8.06	8.43
तमिलनाडु	893.37	944.57	982.17
त्रिपुरा	18.94	20.00	20.03
उत्तर प्रदेश	1094.95	1160.45	1197.68
उत्तराखंड	129.92	135.91	139.01
पश्चिम बंगाल	519.04	547.55	574.13
योग	9750.28	10306.93	10636.45

[अनुवाद]

गरीब रथ

730. **श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का अबू रोड से बांद्रा तक प्रतिवेदन गरीब रथ शुरू करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टर्मिनल तथा संसाधन तंगियों के कारण, आबू रोड और बांद्रा के बीच गरीब रथ चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

जलगांव में विमानपत्तन का निर्माण

731. **श्री ए.टी. नाना पाटील :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के जलगांव में विमानपत्तन के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इस कार्य के पूरा होने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने जलगांव में हवाईअड्डे के विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त 262 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। इस हवाईअड्डे का विकास कार्य अपने आयोजन स्तर पर है।

शिमोगा और बंगलोर के बीच इंटर सिटी रेलगाड़ी

732. **श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार शिमोगा और बंगलोर के बीच भारी भीड़ को देखते हुए इस मार्ग पर इंटर सिटी रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) शिमोगा-बेंगलूरू इंटरसिटी एक्सप्रेस (दैनिक) को शुरू करने की घोषणा 2009-10 के रेल बजट में की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुंबई लोकल ट्रेन

733. **श्री संजय निरूपम :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मुंबई लोकल ट्रेनों में दैनिक यात्रियों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यात्रियों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए स्थापित तंत्र सहित लोकल यात्रियों को उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मुंबई लोकल ट्रेन प्रणाली के संबंध में रेलवे द्वारा आधुनिकीकरण योजना, यदि कोई हो तो, उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) मुंबई लोकल गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों का विश्लेषण नियमित आधार पर किया जाता है। लगभग 66 लाख यात्री मुंबई लोक गाड़ियों में प्रतिदिन यात्रा करते हैं।

(ग) लोकल यात्रियों को उपलब्ध सुविधाओं में बुकिंग खिड़की, कूपन वैलिडेटिंग मशीन, स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएमएस), गाड़ी संकेतक, जन उद्घोषणा प्रणाली, बैठने की व्यवस्था तथा मानदंडों के अनुसार अन्य सुविधाएं इत्यादि।

भारतीय रेल में निम्नानुसार गठित 4 स्तरीय जन शिकायत निवारण तंत्र (पीजीआरएम):–

स्तर	प्रमुख
रेलवे बोर्ड स्तर	कार्यपालक निदेशक, जन शिकायत
क्षेत्रीय रेल स्तर	अपर महाप्रबंधक/वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
मंडल स्तर	अपर मंडल रेल प्रबंधक
स्टेशन स्तर	स्टेशन प्रबंधक

(घ) आधुनिकीकरण योजनाओं में 3 फेज इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) रेकों का प्रापण, डीसी से एसी बदलने को पूरा करना, बोरीवहाली-विरार सेक्शन, विरार-हानु रोड को चार लाइन वाला बनाना, उपनगरीय गाड़ियों के चालन के लिए रेलपथ सेंटर वर्क की वृद्धि, मुंबई सेंट्रल बोरीवली के बीच पांचवीं एवं छठी लाइनों की व्यवस्था इत्यादि शामिल हैं।

केरल में रेल परियोजनाएं

734. **श्री पी. करूणाकरन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की योजना केरल में नई रेलगाड़ियां शुरू करने तथा सड़क उपरिपुलों के निर्माण सहित समर्पित रेल विकास परियोजनाएं शुरू करने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को शुरू करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) नई लाइनों के दो, आमान परिवर्तन का एक, दोहरीकरण के ग्यारह और ऊपरी/निचले सड़क पुलों के 64 कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। बहरहाल, केरल के लिए समर्पित रेल विकास परियोजनाओं का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इसके अतिरिक्त, केरल राज्य के लिए 2009-10 के रेल बजट में 8 जोड़ी नई गाड़ियों की घोषणा की गई है।

एर्णाकुलम-चानगनसेरी रेल लाइन का दोहरीकरण

735. **श्री जोस के. मणि** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की एर्णाकुलम में चानगनसेरी तक रेल लाइन के दोहरीकरण तथा सड़क उपरिपुल का निर्माण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का कोट्टायम रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। एर्णाकुलम तथा चानगनसेरी के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण तथा ऊपरी सड़क पुलों के निम्नलिखित स्वीकृत कार्य हैं।

I. दोहरीकरण

i. एर्णाकुलम-मुलानतूरूत्ति (17.37 कि.मी.)

ii. मुलानतूरूत्ति-कुरूप्पनतारा (24 किमी.)

iii. कुरूप्पनतारा-चिंगवानम (26.54 किमी.)

iv. चिंगवानम-चानगनसेरी-चेंगननूर (26.50 किमी.)

उपर्युक्त कहीं-कहीं दोहरीकरण भाग के रूप में कुछ ऊपरी सड़क पुलों के कार्य भी शुरू किए गए हैं।

II. ऊपरी सड़क पुल

i. एर्णाकुलम तथा तिरूतुन्नीथुरा स्टेशनों के बीच पुन्नरून्नी पर समपार सं. 2 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

ii. इत्तुमन्नूर तथा कुमारानालूर (एच) स्टेशनों के बीच कुमारानालूर में समपार सं. 33 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

iii. कोट्टायम तथा चिंगवानम स्टेशनों के बीच मूलेदम में समपार सं. 36 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(ग) और (घ) जी, हां। कोट्टायम रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं।

i. गुड्स एप्रोच सड़क तथा लाइटिंग में सुधार

ii. सभी प्लेटफार्मों के लिए इमरजेंसी लाइट

iii. अतिरिक्त टर्मिनलों की व्यवस्था

iv. आधुनिक संकेत चिह्नों की व्यवस्था

v. गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के लिए स्पिलिट/फ्लेप टाइप बोर्डों की व्यवस्था

vi. आगमन/प्रस्थान के लिए प्लाज्मा आधारित बोर्डों की व्यवस्था

vii. इलैक्ट्रानिक आरक्षण प्रदर्श चार्टों की व्यवस्था

[हिन्दी]

जखपुरा तथा बासपानी रेल लाइन

736. **श्री यशवंत लागुरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन कार्यालय के अंतर्गत जखपुरा तथा बासपानी रेल लाइन के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) पूर्व तट रेलवे पर बांसपानी-दैतारी-तुमका-जखपुरा खंड (180 किमी.) को 2008-09 में 1142.60 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत पर स्वीकृत किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ढासा-जूनागढ़ के बीच आमान परिवर्तन

737. श्री नारनभाई कछड़िया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढासा-खिजादिया तथा खिजादा-जूनागढ़ रेल लाइनों के आमान परिवर्तन का कार्य गत रेज बजट में स्वीकृत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया; और

(ग) कार्य कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों के लिए समेकित सुरक्षा योजना

738. श्री लालचन्द कटारिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने समेकित सुरक्षा योजना के अंतर्गत कतिपय रेलवे स्टेशनों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है;

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) परियोजना के निष्पादन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजनान्तर्गत, राजस्थान के चार स्टेशनों की पहचान की गई है।

(ग) और (घ) 2009-10 के निर्माण कार्यक्रम में 344.31 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर देश के 195 संवेदनशील स्टेशनों पर इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। संसाधनों की उपलब्धता के अध्ययधीन इसे शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे।

रेल लाइन

739. श्री के.डी. देशमुख : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्याा है जहां सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हो पाया है; और

(ख) उक्त लाइनों पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 8410 किमी. लंबाई के नई लाइनों, जिन्हें स्वीकृत नहीं किया गया है, के लिए 97 सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं।

(ख) समय-सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि परियोजनाएं स्वीकृत नहीं हैं।

[अनुवाद]

आगरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

740. प्रो. रामशंकर : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगरा में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो लंबे समय से लंबित इस मांग पर निर्णय नहीं लेने के क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) उच्च न्यायालयों के प्रधान स्थानों से परे उनकी न्यायपीठों की स्थापना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा, केवल तब विचार किया जाता है जब राज्य सरकार से ऐसा कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो, जिस पर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सहमति प्रदान की गई है। केंद्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

विदेशों में उड़ान प्रशिक्षण

741. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में छात्र उड़ान पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने हेतु विदेश जाते हैं;

(ख) किन कारणों के चलते भारतीय छात्र विदेशों में ऐसे पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता देते हैं; और

(ग) उड़ान पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने हेतु और संस्थान/महाविद्यालय खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भारतीय छात्रों में इस गलत रूझान को रोका जा सके?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) नागर विमानन मंत्रालय में ऐसे रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) भारत में या विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करना व्यक्तिगत रुचि का विषय है तथा विदेश में प्रारंभिक उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की प्रशिक्षण क्षमता के संवर्धन के लिए इसकी प्रशिक्षण अवसंरचना के स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण, गोंदिया, महाराष्ट्र में विश्वस्तरीय राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान (एनएफटीआई) की स्थापना तथा नागर विमानन महानिदेशालय/एयरो क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से ट्रेनर विमान आबंटित कराकर उड़ान क्लबों के सहयोग द्वारा भारत में प्रशिक्षण अवसंरचना के संवर्धन की दिशा में विभिन्न कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

कम्पनियों द्वारा कारपोरेट प्रकटीकरण

742. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शेयर बाजार में हाल में आए उछाल के परिप्रेक्ष्य में कम्पनियों द्वारा कारपोरेट प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों द्वारा कारपोरेट प्रकटीकरणों को व्यवहृत करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पहले से ही एक सुस्पष्ट नियामक ढांचा मौजूद है। इस ढांचे के अंतर्गत कम्पनियों के कार्य की स्थिति का सत्य एवं उचित अवलोकन करने के बारे में पणधारकों को सांविधिक प्रकटीकरणों का प्रावधान है। कम्पनियों द्वारा पणधारकों और नियामक अभिकरणओं को कारपोरेट प्रकटीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार ने इंटरनेट के माध्यम से दस्तावेजों की जांच सहित, चौबीसों घंटे की सुविधा वाली एक इलेक्ट्रोनिक रजिस्ट्री स्थापित की है। सरकार को कम्पनियों की लेखाबहियों का निरीक्षण करने और यदि आवश्यकता हो उनके कार्यों की कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जांच करने की भी शक्ति दी गई है। कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI और कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुपालन में अपनी वित्तीय स्थिति बताना भी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 628 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी रिटर्न, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, तुलन पत्र, विवरणी, विवरणों या अधिनियम के किसी उपबंध के उद्देश्य के द्वारा या के लिए अपेक्षित अन्य दस्तावेज में कोई मिथ्या विवरण देता है, तो उसे दो वर्षों तक की अवधि के कारावास की सज़ा होगी तथा जुर्माना भी देना होगा।

(ग) सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों में व्यापक संशोधन करने के लिए दिनांक 23.10.2008 को लोक सभा में कम्पनी विधेयक, 2008 पुर:स्थापित किया जिससे कम्पनियों द्वारा अनियमितताओं/धोखाधड़ियों को अधिक प्रभावी रूप से रोकने में मदद मिलेगी। कम्पनी विधेयक, 2008 संविधान के अनुच्छेद 107(5) के अंतर्गत समाप्त हो गया है। सरकार का अब उस विधेयक को संसद में कम्पनी विधेयक, 2009 के रूप में पुन: पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव है।

सड़क उपरि पुल

743. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री जगदम्बिका पाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन सड़क उपरिपुलों और सड़क अधोगामी पुलों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा समपारों पर सड़क उपरि पुलों और सड़क अधोगामी पुलों के निर्माण हेतु भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा उन पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे पुलों के निर्माण हेतु परियोजना-वार और राज्य-वार आबंटित धनराशि का ब्यौरा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) आज की तारीख में ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल परियोजनाओं के रूप में लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृति विभिन्न राज्यों में पड़ने वाले क्षेत्रीय रेलों पर ऊपरी सड़क पुलों (आरओबी) और निचली सड़क पुलों (आरयूबी) के 710 कार्य हैं। ये निम्नानुसार हैं:-

राज्य	आरओबी प्रस्तावों की संख्या
आंध्र प्रदेश	91
बिहार	62
दिल्ली	19
हरियाणा	40
कर्नाटक	38
महाराष्ट्र	25
असम एवं पूर्वोत्तर राज्य	3
छत्तीसगढ़	12
गुजरात	15
झारखंड	20
केरल	61
मध्य प्रदेश	8
उड़ीसा	9
पंजाब	32
तमिलनाडु	125
उत्तराखंड	1
जम्मू और कश्मीर	1
पांडिचेरी	3
राजस्थान	22
उत्तर प्रदेश	86
पश्चिम बंगाल	37
जोड़	710

(ख) और (ग) बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं लेकिन उन प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए विचार किया जाता है जो मौजूदा नियमों के तहत निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं जैसे समपारों ने कम से कम एक लाख गाड़ी वाहन इकाइयों का यातायात घनत्व पार कर लिया हो, राज्य सरकारों ने पूर्वापेक्षाएं पूरी कर ली हों यथा लागत का हिस्सा वहन करने की वचनबद्धता, पूरा होने पर समपार बंद करना, पहुंच मार्गों का अधिग्रहण करने के लिए अग्रिम कार्रवाई और अपनी वार्षिक योजना में उनके लिए प्रावधान द्वारा प्राथमिकता प्रदान करना। इस मानदंड का पालन करते हुए 710 ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो विभिन्न निर्माण कार्यक्रमों के दौरान स्वीकृति किए गए हैं और नियोजन एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय रेलों द्वारा इन कार्यों के लिए आबंटित निधियां नीचे क्षेत्रीय रेलवार दर्शाई गई हैं।

रेलवे	2006-07	2007-08	2008-09
मरे	12.04	11.85	15
पूरे	29.84	25.42	40
पूमरे	147.50	122.95	140
पूतरे	23.00	33.55	31
उरे	47.18	37.60	30
उमरे	17.85	15.30	15
पूर्वोत्तर	13.07	11.50	10
पूसीरे	5.94	8.48	42
उपरे	13.04	17.32	35
दरे	23.80	60.31	80
दमरे	14.06	66.33	36
दपूरे	9.67	15.20	25
दपूमरे	16.29	37.37	82
दपरे	29.20	49.10	60
परे	26.23	28.21	23
पमरे	8.12	10.29	36

प्राकृतिक गैस का आबंटन

744. **श्री टी.आर. बालू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन से प्राप्त प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा पश्चिम भारत ले जाया जाता है जिससे तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों के लिए कुछ भी नहीं बचता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा जरूरतमंद दक्षिणी राज्यों के बीच उपर्युक्त गैस के समान वितरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) कृष्णा गोदावरी बेसिन से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिलहाल एफसीएल, काकीनाड़ा के उर्वरक संयंत्र और विद्युत संयंत्रों नामतः कोंडापल्ली सीसीजीटी, जेगुरूपडु सीसीजीटी (जीवीके), जेगूरूपडु सीसीजीटी (जेवीके) विस्तार, साम्लकोट सीसीपीपी/पड्डापुरम, वेमागिरी सीसीपीपी, गोतमी सीसीपीपी और कोणासीमा सीसीपीपी जो सभी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, को की जा रही है।

इसके अतिरिक्त विजयवाड़ा-नेल्लूर-चेन्नई, चेन्नई-तुतीकोरन और चेन्नई-बंगलौर-मंगलौर ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए प्राधिकार जारी किए गए हैं। ये पाइपलाइन कृष्णा गोदावरी बेसिन से तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों में अन्य क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस का प्रेषण करेंगी।

[हिन्दी]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

745. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापक भ्रष्टाचार तथा राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को देखते हुए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में व्यापक परिवर्तन करने के संबंध में कोई नीति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 27 अक्तूबर, 2006 को माननीय विधि और न्याय मंत्री को व्यक्तियों के संसद के सम्मान्य सदनों और राज्य विधान मंडलों के सदस्य बनने संबंधी खतरे के बारे में पत्र लिखा था और यह सुझाव दिया था कि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है, जो पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय है, निर्वाचन लड़ने से उस समय भी निरर्हित करने के लिए, जब विचार लंबित हो, परंतु किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध आरोप विरचित कर दिए गए हों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किए जाएं। माननीय विधि और न्याय मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री के निदेश पर, संसदीय स्थायी समिति से यह अनुरोध किया था कि वह भारत के निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। समिति ने इस विषय पर अपनी 18वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ, पूर्वोक्त प्रस्ताव पर असहमति दी थी क्योंकि यह देश की विधि से एक प्रमुख विचलन है कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसे देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धदोष न ठहरा दिया जाए। संसदीय स्थायी समिति के संप्रेक्षणों को और उसकी निर्वाचन आयोग के, किसी नागरिक को, उसके विरुद्ध किसी विधि के न्यायालय में कतिपय अपराध करने के लिए मात्र आरोप विरचित किए जाने पर निर्वाचन लड़ने के लिए निरर्हित करने के प्रस्ताव पर असहमति को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर आगे और कार्यवाही न की जाए।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी

746. **श्री जगदीश शर्मा :**
डा. मुरली मनोहर जोशी :
श्री महेश जोशी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को उनकी वार्षिक आय का 20 प्रतिशत सामाजिक जिम्मेदारियों पर व्यय करने हेतु कोई निदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन आयल कार्पोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा किए गए सामाजिक कल्याण के कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान सामाजिक गतिविधियों हेतु प्रत्येक राज्य को आबंटित राशि का कंपनीवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 11 फरवरी, 2009 के अपने पत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को उनके पिछले वर्ष के निवल लाभ का 2% नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) कार्यकलापों पर व्यय करने को कहा है।

(ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने नैगम सामाजिक जिम्मेदारी कार्यकलापों के तहत देश भर में शिक्षा, खेल, पेय जल, स्वास्थ्य की देखभाल, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री जैसे विभिन्न कार्य किए हैं।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक कार्यकलाप करने के लिए नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राशि आबंटित करती हैं। सामान्यत: वे राज्य वार राशियों का आबंटन नहीं करती।

इंडियन आयल कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान नैगम सामाजिक जिम्मेदारी कार्यकलापों के लिए राशियों का आबंटन निम्नानुसार है:–

(रुपए लाख में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
आईओसी	3686	5625	5222	3769
एचपीसीएल	1500	1700	1700	1500
बीपीसीएल	145	902	790	1472

[अनुवाद]

तेल निकालने के उपायों को शुरू करना

747. श्री मनीष तिवारी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई हाई तथा अन्य ऐसे तेल क्षेत्रों जैसे घटते क्षेत्रों से सुधारित/बढ़ा हुआ तेल निकालने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय शुरू किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान डाउन स्ट्रीम सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों से कुल कितना कम तेल निकाला गया; और

(घ) डाउन स्ट्रीप सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की वित्तीय हालत बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) वर्धित तेल निकासी/उन्नत तेल निकासी (आईओआर/ईओआर) तकनीकों के जरिए मुंबई हाई जैसे परिपक्व क्षेत्रों में तेल कूपों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तेल कंपनियां विभिन्न नई प्रौद्योगिकियां अपना रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां जहां संभव हो तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए पुराने कूपों में साइड-ट्रेक, वर्कओवर, उद्दीपन, हाईड्रो-फ्रैक्चरिंग अम्लीकरण आदि के माध्यम से समानान्तर और बहुदिक कूपों के वेधन जैसी विभिन्न कूप रद्दोबदल तकनीकों के जरिए ऐसे कूपों के लिए सिद्ध नई प्रौद्योगिकियां अमल में ला रही हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को संवदेनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामत: पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की बिक्री पर वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान क्रमश: 77,123 करोड़ रुपये और 103,292 करोड़ रुपये की अल्प वसूलियां हुई हैं।

चूंकि तेल मूल्यों में वृद्धि का सारा बोझ उपभोक्ताओं पर डालने से घरेलू मूल्यों में तीव्र वृद्धि होगी, मूल्य वृद्धि की परिस्थितियां गंभीर रूप धारण कर लेंगी और अर्थव्यवस्था की उच्च विकास गति कमजोर पड़ जाएगी इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्प वसूलियों के बोझ में सभी पणधारकों नामत: सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों और उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी हो, सरकार समान बोझ हिस्सेदारी पद्धति का अनुपालन निम्नलिखित ढंग से कर रही है:–

- तेल बांडों के निर्गम के माध्यम से सरकार की हिस्सेदारी।
- ओएमसीज को मूल्यों में छूट देकर अपस्ट्रीम सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की हिस्सेदारी।
- अल्प वसूलियों के एक भाग को वहन करके सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज की हिस्सेदारी।
- न्यूनतम मूल्य वृद्धि वहन करके उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी।

वर्ष 2008-09 के दौरान ओएमसीज को 71292 करोड़ रुपये के तेल बांड जारी किए गए और अपस्ट्रीम तेल कंपनियों ने मूल्यों में छूटों के जरिए 32,000 करोड़ रुपये का अंशदान किया। इसके अतिरिक्त

अपस्ट्रीम तेल कंपनियों ने ओएमसीज के आयात घाटों के प्रति 943 करोड़ रुपये का भी अंशदान किया।

निजी एयरलाइनों का परिचालन

748. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्क देशों के अलावा अन्य देशों में निजी एयरलाइनों के परिचालन को अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रस्ताव कब से सरकार के विचारार्थ है;

(घ) आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लेने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गत कई वर्षों से देश के कई छोटे हवाईअड्डे कार्य नहीं कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन हवाई अड्डों को कार्यशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) भारत की पात्र निजी एयरलाइनें सरकार के अनुमोदन के अधीन अन्य देशों के साथ संबंधित द्विपक्षीय विमान सेवा प्रबंध व्यवस्था के तहत यथा सहमत अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन करने के लिए पात्र हैं।

(ङ) से (छ) भारत में 33 हवाईअड्डे गैर-प्रचालनिक हैं। इन हवाईअड्डों में पश्चिम बंगाल के 4, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा आंध्र प्रदेश प्रत्येक के 3, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक प्रत्येक के 2 तथा असम, मेघालय, मिजोरम, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड तथा तमिलनाडु प्रत्येक का एक-एक हवाईअड्डा शामिल है। गैर-प्रचालनिक हवाईअड्डों के प्रचालनीकरण के लिए साध्यता अध्ययन के आधार पर, इन हवाईअड्डों में से 13 हवाईअड्डों को प्रचालनीकरण के लिए विकसित किया जा रहा है।

एयर बस-ए 330 की व्यापक जांच

749. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक ने विभिन्न भारतीय कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उपयोग की जा रही सभी एयरबसों-ए330 की अनिवार्य व्यापक जांच का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशक को इस संबंध में विभिन्न प्रचालकों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय विमानों में लंबे अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) एयर-बस 330 प्रकार के विमानों की गति में विसंगति के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय के पास उपलब्ध प्राथमिक सूचना के आधार पर, नागर विमानन महानिदेशालय ने भारत में ए-330 विमानों के सभी प्रचालकों को अपने-अपने विमानों में माडिफाइड पिटाट (अर्थात गति के परिकलन के लिए वायुदवाब का पिकअप) लगाने को कहा है तथा सभी प्रचालकों द्वारा इसका अनुपालन किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी प्रचालकों को इंजन पावर बनाम विमान की उड़ान-ऊंचाई (क्षैतिज के अनुसार कोण) तथा सिमुलेटर प्रशिक्षणों के दौरान मैनुअल फ्लाइंग में कर्मीदल टेस्ट चेक के बारे में कार्कपिट में पहले से सूचना उपलब्ध कराते हुए, मौसम संबंधी सूचना के बारे में अपने-अपने कर्मीदल को ब्रीफिंग सुविधा मुहैया कराने के संबंध में भी कहा गया है।

(ङ) यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी उड़ानों को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मानक तथा संस्तुत पद्धतियों के अनुसार संचालित किया जाता है।

असम में नई रेल लाइन

750. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की निचले असम के बोडोलैंड क्षेत्र के अंतर्गत भूटान को जोड़ने के लिए गेलेगफू (भूटान) से सालाकटी-कोकराझार, संद्रुपजगखा (भूटान) से रंगिया तथा फकीराग्राम से जामद्वार तक रेल लाइन बिछाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रेलवे की मुर्कोंगसेलेख से रंगिया रेलवे जंक्शन को जाने वाली छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) भारत-भूटान सीमा पर निम्नलिखित स्थानों पर नई लाइनों के लिए व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन किए गए हैं:–

(i) रंगिया (असम) से समदुर्पजोंखर बरास्ता दारंगा (भूटान) (60 किमी.)

(ii) पठशाला (असम) से नंगलम (भूटान) (40 किमी.)

(iii) कोकराझार (असम) – गेलेफु (भूटान) (70 किमी.)

(iv) बर्नहाट (पश्चिम बंगाल) – समतसे (भूटान) (16 किमी.)

(v) हसीमारा (पश्चिम बंगाल) – फ्युंतशोलिंग (भूटान) (18 किमी.)

उपर्युक्त 5 स्थानों के अलावा हसीमारा (पश्चिम बंगाल) तथा फ्युंतशोलिंग (भूटान) (18 कि.मी.) के बीच रेल संपर्क को प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिए विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वेक्षण शुरू कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। रंगिया से मुर्कोंगसेलेख तक संबंध शाखा लाइनों सहित (510.33 किमी.) आमान परिवर्तन संबंधी कार्य 1555.23 करोड़ रु. की लागत पर शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के मार्च, 2013 तक संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन

751. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :**
डा. मुरली मनोहर जोशी :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान मिल क्षेत्र, विद्युत करघा और हस्तकरघा के लिए अलग-अलग कितने प्रतिशत अंश का आबंटन किया गया है;

(घ) ऐसी योजना के परिणामस्वरूप उत्पादन में वर्षवार कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) राज्यवार कितनी वस्त्र परियोजनाओं का उन्नयन किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) सरकार ने वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं:–

राशि (करोड़ रु.)

वर्ष	जारी की गई राशि
2006-07	823.92
2007-08	1143.37
2008-09	2632.00
2009-10	606.62

(ग) टीयूएफएस एक मांग अभिप्रेरित योजना है और निधियों का आबंटन क्षेत्रवार नहीं किया जाता है। पिछले 4 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्र अर्थात कम्पोजिट (मिल क्षेत्र), कताई, बुनाई को औसत आधार पर दी गई राशि निम्नानुसार है :

राशि (करोड़ रु.)

उद्योग क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
कम्पोजिट	169.73	235.53	542.19	124.96
कताई	279.56	387.95	893.04	205.83

1	2	3	4	5
बुनाई	63.36	87.93	202.40	46.65
अन्य	311.27	431.96	994.37	229.18
कुल	823.92	1143.37	2632.00	606.62

(घ) वस्त्र उद्योग में कच्चे मालों तथा तैयार उत्पादों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। फाइबर्स, यार्न और फैब्रिक्स का उत्पादन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) निधियां नोडल एजेंसियों को जारी की जाती हैं। टीयूएफएस की राजयवार प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

फाइबर्स का उत्पादन

(मिलि. किग्रा. में)

वर्ष	कच्ची कपास (अक्टूबर-सितम्बर)	पीएसएफ	सिंथेटिक एएसएफ	पीपीएसएफ	सेलुलोसिक पीएसएफ	योग
1999-2000	2652	551.49	79.31	2.14	202.04	834.98
2000-2001	2380	566.42	99.43	2.26	236.17	904.28
2001-2002	2686	551.42	94.84	2.38	185.28	833.92
2002-2003	2312	582.13	105.27	2.46	224.61	914.47
2003-2004	2907	612.58	117.00	2.74	221.01	953.33
2004-2005	4131	644.16	127.61	2.88	247.95	1022.60
2005-2006	4097	628.15	107.81	3.08	228.98	968.02
2006-2007	4760	791.99	97.13	3.52	246.83	1139.47
2007-2008	5355	879.61	81.23	3.43	279.90	1244.17
2008-09 (अन.)	4930	751.64	79.51	3.43	232.75	1067.33

स्पन यार्न का उत्पादन (एसएसआई तथा गैर-एसएसआई)

वर्ष	यार्न का उत्पादन (मिलि. किग्रा. में)			
	सूती	ब्लेंडिड	100% एन.सी.	सकल योग
1	2	3	4	5
1999-2000	2203.70	620.77	221.10	3045.57
2000-2001	2266.87	645.80	247.55	3160.22
2001-2002	2211.88	609.03	280.15	3101.06
2002-2003	2177.16	584.61	319.61	3081.37

1	2	3	4	5
2003-04	2120.71	589.33	341.76	3051.80
2004-05	2272.26	584.97	366.29	3223.52
2005-06	2520.87	588.11	349.31	3458.29
2006-07	2823.59	635.10	354.60	3813.39
2007-08	2948.36	677.11	377.75	4003.22
2008-09	2897.82	655.05	359.12	3911.99

फैब्रिक का उत्पादन

मिलियन वर्ग मी.

मिल क्षेत्र

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अन.)
	1	2	3	4	5	6	7	8
कपास	1036	1019	969	1072	1192	1305	1249	1259
ब्लैंडिड	296	263	253	243	252	330	422	426
100% गैर सूती	214	214	212	211	212	111	110	111
योग	1546	1496	1434	1526	1656	1746	1781	1796
हथकरघा क्षेत्र								
कपास	6698	5098	4519	4792	5236	5717	6076	5840
ब्लैंडिड	95	118	117	146	145	98	123	118
100% गैर सूती	792	764	857	784	727	720	748	719
योग	7585	5980	5493	5722	6108	6535	6947	6677
विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र								
कपास	6473	6761	6370	7361	8821	9647	9923	9621
ब्लैंडिड	5025	4695	4688	4526	4632	5025	4918	4764
100% गैर सूती	13694	14498	15889	16438	17173	18207	19884	19263
योग	25192	25954	26947	28325	30626	32879	34725	33648

	1	2	3	4	5	6	7	8
विकेन्द्रीकृत हौजरी क्षेत्र								
कपास	5562	6422	6182	7430	8624	9569	9948	10178
ब्लैंडिड	871	800	1010	1117	1269	1428	1425	1458
100% गैर सूती	634	659	655	565	525	507	431	441
योग	7067	7881	7847	9112	10418	11504	11804	12077
सभी क्षेत्र								
कपास	19769	19300	18040	20655	23873	26238	27196	26898
ब्लैंडिड	6287	5876	6068	6032	6298	6882	6888	6766
100% गैर सूती	15334	16135	17613	17998	18637	19545	21173	20534
योग	41390	41311	41721	44685	48808	52665	55257	54198
खादी, ऊन तथा रेशम	644	662	662	693	769	724	768	768
सकल योग	42034	41973	42383	45378	49577	53389	56025	54966

विवरण-II

टीयूएफएस की प्रगति (राज्यवार/नोडल एजेंसीवार) (अनंतिम) (01.04.1999 से 31.03.2009)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्षेत्र	स्वीकृत			संवितरित	
			आवेदन की संख्या	परियोजना लागत	राशि	आवेदन की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	गैर एसएसआई	303	7796.1	3838.1	302	3183.83
		एसएसआई	74	117.99	81.38	74	71.06
			377	7914.09	3919.49	376	3254.89
2.	चंडीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)	गैर एसएसआई	21	307.55	152.46	21	148.02
		एसएसआई	3	330.06	21.14	3	21.14
			24	637.61	173.60	24	169.16

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	दादरा और नागर हवेली (संघ शासित प्रदेश)	गैर एसएसआई	41	539.68	454.26	41	357.09
		एसएसआई	11	15.87	6.35	11	6.35
			52	555.55	460.61	52	381.44
4.	दमन व दीव (संघ शासित प्रदेश)	गैर एसएसआई	15	423.86	64.38	15	64.17
		एसएसआई	4	12.15	11.48	4	5.44
			19	436.01	75.86	19	69.62
5.	दिल्ली (संघ शासित प्रदेश)	गैर एसएसआई	203	3572.33	1517.83	202	1268.13
		एसएसआई	216	241.39	131.27	216	117.31
			419	3813.72	1649.11	418	1385.45
6.	गुजरात	गैर एसएसआई	902	13953.13	5398.42	901	4362.16
		एसएसआई	10271	2687.90	1869.09	10271	1515.59
			11173	16641.04	7267.50	11172	5877.76
7.	हरियाणा	गैर एसएसआई	218	2061.98	1208.31	207	1069.96
		एसएसआई	404	484.74	237.92	364	172.37
			622	2546.72	1446.23	571	1242.33
8.	हिमाचल प्रदेश	गैर एसएसआई	27	824.95	377.26	27	365.95
		एसएसआई	7	11.13	5.02	7	4.88
			34	836.08	382.08	34	370.83
9.	जम्मू-कश्मीर	गैर एसएसआई	22	612.45	447.24	22	337.84
		एसएसआई	0	0.00	0	0	0.00
			22	612.45	447.24	22	337.84
10.	झारखंड	गैर एसएसआई	3	48.50	29.80	3	18.00
		एसएसआई	0	0.00	0.00	0	0.00
			3	48.50	29.80	3	18.00

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	कर्नाटक	गैर एसएसआई	173	2213.23	1180.46	173	1049.20
		एसएसआई	256	198.33	137.69	234	102.41
			429	2411.56	1381.14	407	1151.61
12.	केरल	गैर एसएसआई	47	1395.82	479.69	45	390.30
		एसएसआई	19	17.07	10.52	19	7.80
			66	1412.89	490.21	64	398.11
13.	मध्य प्रदेश	गैर एसएसआई	59	1562.84	750.73	58	650.92
		एसएसआई	14	6.20	8.46	14	8.05
			73	1569.04	759.19	72	658.97
14.	महाराष्ट्र	गैर एसएसआई	1096	36263.65	15708.56	1093	13733.69
		एसएसआई	788	4105.66	544.75	781	443.92
			1884	40369.31	16253.31	1874	14177.61
15.	उड़ीसा	गैर एसएसआई	1	3.75	2.75	1	2.75
		एसएसआई	1	2.09	1.34	1	0.92
			2	5.84	4.09	2	3.67
16.	पांडिचेरी	गैर एसएसआई	2	45.57	33.65	2	30.28
		एसएसआई	0	0.00	0.00	0	0.00
			2	45.57	33.65	2	30.28
17.	पंजाब	गैर एसएसआई	620	26990.18	11637.8	616	8147.34
		एसएसआई	1857	1153.85	604.53	1853	497.79
			2477	28144.03	12242.3	2469	8645.13
18.	राजस्थान	गैर एसएसआई	632	20805.40	4781.73	631	4265.14
		एसएसआई	317	382.81	192.79	317	177.99
			949	21188.21	4974.52	948	4443.13

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	तमिलनाडु	गैर एसएसआई	2467	30066.55	16701.11	2463	14910.79
		एसएसआई	3214	3036.48	2024.36	3206	1855.39
			5681	33103.03	18725.5	5669	16766.18
20.	उत्तर प्रदेश	गैर एसएसआई	92	2983.14	1047.70	92	972.60
		एसएसआई	89	106.43	53.99	86	45.28
			181	3089.56	1101.70	178	1017.88
21.	उत्तराखंड	गैर एसएसआई	4	269.65	119.03	4	74.97
		एसएसआई	1	0.15	0.11	1	0.11
			5	269.79	119.14	5	75.08
22.	पश्चिम बंगाल	गैर एसएसआई	78	1062.24	562.05	78	415.57
		एसएसआई	113	125.87	82.97	113	64.69
			191	1188.11	645.02	191	480.25
	कुल	गैर एसएसआई	7026	153802.54	66493.32	6997	55836.71
		एसएसआई	17659	13036.16	6025.17	17575	5118.50
			24685	166838.70	72518.49	24572	60955.21

टिप्पणी :

1. परियोजना लागत गैर टीयूएफ पात्र निवेश के लिए इक्विटी ऋण (गैर ऋण राशि) शामिल है।
2. टीयूएफएस के तहत सरकार का ऋण प्रवाह संवितरित राशि का लगभग 5% है।

अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

752. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का क्षमता से कम उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विमानपत्तन का इसकी पूर्ण क्षमता के अनुरूप उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। अमृतसर अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा अनेक घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनुसूचित एयरलाइन आपरेटरों के वाणिज्यिक विवेकानुसार प्रयुक्त किया जाता है। इस समय, एअर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, गो एयरवेज, उज्बेकिस्तान एयरवेज, तुर्कमेनिस्तान एयरवेज, एयर स्लोवाकिया तथा एरियाना अफगान एयरलाइंस अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से विमान सेवा प्रचालित कर रही हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बरहज बाजार में रेलवे यार्ड

753. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास पूर्वांचल के बरहज बाजार में एक रेलवे यार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हीराखंड एक्सप्रेस रेलगाड़ी

754. श्री प्रदीप माझी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को रेलगाड़ी सं. 8447/8448 हीराखंड एक्सप्रेस को भुवनेश्वर से कोरापुट तक विस्तारित करने हेतु जन-प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) भुवनेश्वर और कोरापुट के बीच 8447/8448 हीराखंड एक्सप्रेस पहले से ही चल रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

755. श्री सज्जन वर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उज्जैन से आगरा, सुसनेर, सोयान, झालावाड़ और रामगंज तक एक नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेल लाइन पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस रेल लाइन पर कार्य कब तक प्रारंभ हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) आगरा, सुनेर के रास्ते उज्जैन से झालावाड़-रामगंज मंडी तक नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण 2000-01 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 190 किमी. इस लाइन के निर्माण की लागत नकारात्मक प्रतिफल की दर के साथ 860 करोड़ रुपए आंकी गई थी। लाइन की अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की तंगी के कारण, नई लाइन के प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए विचार नहीं किया जा सका।

लौह अयस्क की मांग में वृद्धि

756. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के भंडार अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लौह अयस्क की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) प्रत्येक वर्ष अनुमानित कितनी मात्रा में लौह-अयस्क का निर्यात किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) देश में उच्च (+ 65 प्रतिशत लोहांश) तथा मध्यम ग्रेड (+ 62 प्रतिशत लोहांश से 65 प्रतिशत लोहांश) के लौह अयस्क के कुल संसाधन निम्नानुसार हैं:–

(इकाई : मिलियन टन)

ग्रेड	दिनांक 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार कुल संसाधन
उच्च ग्रेड (+) 65% लोहांश	1933
(+) 62% से 65% लोहांश	6606

(स्रोत: खान मंत्रालय)

देश में लौह अयस्क का मौजूदा उत्पादन घरेलू इस्पात उद्योग की मौजूदा जरूरत से काफी अधिक है और देश से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है। तथापि, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाईड इकॉनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर), नई दिल्ली ने एक पेपर (2006) में निष्कर्ष निकाला है कि औसत खपत स्तर (मौजूदा तथा अनुमानित खपत स्तरों का औसत) पर उच्च तथा मध्यम ग्रेड के लौह अयस्क का उपयोगी जीवनकाल केवल 19 वर्ष है।

(ख) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 पर विचार करते समय मंत्रियों के समूह ने निर्णय लिया था कि देश के लौह अयस्क संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथापि, ऐसा लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर अथवा इसे सीमित करके नहीं किया जा सकता है अपितु उपयुक्त राजस्व उपाय करके ऐसा किया जा सकता है। तदनुसार लौह अयस्क पर समय-समय पर विभिन्न दरों पर निर्यात शुल्क लगाया गया था। इस समय लौह अयस्क निर्यात पर शुल्क की दरें निम्नानुसार हैं:–

(i)	लौह अयस्क चूरा (सभी प्रकार का)	–	शून्य
(ii)	चूरे के अलावा लौह अयस्क (डलों और पैलेटों सहित)	–	5 प्रतिशत यथा मूल्य

सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 को भी अनुमोदित कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निजी लौह अयस्क खानों के आबंटन में मूल्य संवर्धकों को तरजीह दिए जाने का प्रावधान किया गया है जिससे घरेलू इस्पात उद्योग की लौह अयस्क की मांग पूरी होने की उम्मीद है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क का निर्यात निम्नानुसार है:–

(मिलियन टन)

2006-07	2007-08	2008-09
93.79	104.27	105.86*

(*अनंतिम संशोधित)

(स्रोत: एमएमटीसी)

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

इस्पात का उत्पादन

757. **श्री निशिकांत दुबे :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में इस्पात उत्पादन में कंपनी-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितनी उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इस्पात उत्पादन में कोई गिरावट दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर झारखंड में नए इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन संयंत्रों को स्थापित करने पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(छ) इस्पात संयंत्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप्र) : (क) से (ग) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। इस्पात मंत्रालय के अधीन संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) देश में इस्पात के उत्पादन, खपत, निर्यात एवं आयात से संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के संबंध में उत्पादन लक्ष्यों के आंकड़े उपलब्ध हैं जबकि निजी उत्पादक अपने उत्पादन लक्ष्यों की जानकारी सामान्यत: संयुक्त संयंत्र समिति को नहीं देते हैं।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामत: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) द्वारा अपने उत्पादन के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों के आंकड़े तथा निजी उत्पादकों द्वारा किये गये अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिये गये हैं:–

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन (मिलियन टन)

	2006-07		2007-08		2008-09*		अप्रैल-जून* 2009.10	
उत्पादक	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
सेल	13.032	13.506	13.739	13.962	13.978	13.411	3.143	3.271
स्रोत: सेल								
आरआईएनएल	03.567	03.606	03.620	03.322	03.450	03.145	0.795	0.796
स्रोत आरआईएनएल								

*अनंतिम

निजी उत्पादकों द्वारा अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन (मिलियन टन)

2006-07	2007-08	2008-09*	2009-10*अप्रैल-जून
33.81	36.77	38.15	09.90

स्रोत: जेपीसी, *अनंतिम

सभी इस्पात उत्पादक सामान्यत: इस्पात का उत्पादन अपनी स्थापित क्षमताओं तथा बाजार मांग के अनुरूप अपने अनुमान के आधार पर करते हैं। तथापि उत्पादन में कुछ गिरावट विभिन्न कारणों यथा कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता, अवसंरचनात्मक समस्याओं, संयंत्रों के नवीकरण/उच्चीकरण और मांग में उतार-चढ़ाव आदि की वजह से को सकती है।

(घ) से (छ) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उपक्रम की झारखंड में कोई नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने की योजना नहीं है।

[हिन्दी]

रेलवे में भ्रष्टाचार

758. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे में भ्रष्टाचार की वजह से रेलवे को राजस्व की भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप काली सूची में डाली गई फर्मों के नाम क्या हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी एफ.आई.आर. दर्ज की गई है; और

(ङ) इसके लिए कितने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) रेलों के सतर्कता विभाग द्वारा नियमित रूप निवारक जांचे की जाती हैं। इन जांचों के परिणामस्वरूप, विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे राजस्व को 321 करोड़ रु. की हो रही हानि का पता लगाया गया, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	पता लगाए गए लीकेज (करोड़ रु.)
2006	105
2007	93
2008	123
जोड़	321

(ख) नियमित जांचों और शिकायतों की छानबीन के दौरान आरोपी कर्मचारियों को रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील नियम) 1968, के तहत गिरफ्तार किया गया और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को उपयुक्त दंड दिया गया।

(ग) 2006-2007 और 2008 के दौरान जिन फर्मों के साथ व्यवसाय डीलिंग में निलंबन/रोक लगाई गई थी, उनके नाम की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो और राज्य पुलिस जैसी अन्वेषण करने वाली एजेंसियां एफ आई आर दर्ज करती हैं जिसका ब्यौरा रेलवे द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तरदायी पाए गए एवं दंडित अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है।

दंडित राजपत्रित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	बड़ी शास्ति	छोटी शास्ति	जोड़
2006	51	108	159
2007	36	130	166
2008	52	125	177
जोड़	139	363	502

विवरण

क्र. सं.	2006 के दौरान, जिन फर्मों पर प्रतिबंध लगाया गया, उनके नाम
1.	मै. गणपति इंडस्ट्रीज, कोलकाता
2.	मै. इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हावड़ा
3.	मै. पावर ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन, गोरखपुर
4.	मै. धीरेन्द्र कुमार, पटना

क्र. सं.	2007 के दौरान, जिन फर्मों पर प्रतिबंध लगाया गया, उनके नाम
1	2
1.	मै. सुखदेव सिंह एंड सन्स, कपूरथला
2.	मै. बलवंत सिंह एंड सन्स, कपूरथला
3.	मै. फ्रांटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड, कानपुर
4.	मै. जी.बी. स्प्रिंग्स (पी) लिमिटेड, देहरादून
5.	मै. गुर्जर इंटरप्राइजेज, जोधपुर
6.	मै. ब्लू स्टार ट्रेडर्स एंड इंजीनियर्स, जोधपुर
7.	मै. नवीत इलेक्ट्रीकल्स, जोधपुर
8.	मै. दीपक ट्रेडर्स, जोधपुर
9.	मै. मोदी ट्रेडर्स, जोधपुर
10.	मै. स्वाति इंटरप्राइजेज, जोधपुर
11.	मै. मैरीन इंटरप्राइजेज, जोधपुर
12.	मै. यूनिक इलेक्ट्रीकल्स, जोधपुर
13.	मै. मनीफ इलेक्ट्रीक एंड जनरल सप्लायर, जोधपुर
14.	मै. आनंद इंटरप्राइजेज, जोधपुर
15.	मै. चांद ट्रेडर्स, जोधपुर
16.	मै. अग्रवाल इंटरप्राइजेज, जोधपुर
17.	मै. मैन इंटरप्राइजेज, जोधपुर
18.	मै. मिनिरलल्स एंड रिफ्रेक्टोरिज कॉर्पोरेशन, मुंबई
19.	मै. हिना ट्रेडिंग कंपनी, सिकंदराबाद
20.	मै. जनरल हार्ड वेस्ट सी, कोलकाता
21.	मै. शिव शंकर मैनुफैक्चरिंग कंपनी, लुधियाना
22.	मै. चंपालाल महेश्वरी एंड ब्रदर्स, कोलकाता
23.	मै. जहीर स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, मद्रास
24.	मै. रामाकृष्णा फेब्रिक्स (पी) लिमिटेड, पश्चिम बंगाल
25.	मै. अरविन्द एंड कंपनी, विशाखापत्तनम
26.	मै. साहनी कीर्कवुड प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई
27.	मै. साहनी कमुटेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर
28.	मै. गोथामी इंडस्ट्रीज, चेन्नै
29.	श्री के. वैंकट रेड्डी, सिकंदराबाद

1	2
30.	श्री आदित्य राय कंस्ट्रक्शन कंपनी, बर्दवान
31.	मै. हरपालदास मंधियानी, कटिहार
32.	मै. आहूति बिल्डर्स, आगरा
33.	मै. एस. आर. गोवर्धनदास एजेंसी, चेन्नै
34.	मै. शिव कुमार, मनपाडा, आगरा
35.	मै. मास कंस्ट्रक्शन, रानीपेट, तमिलनाडु
36.	मै. पी.पी. शक्तिवेल, धारापुरम, पेरियार जिला
37.	मै. एल.के. सन्स, बीकानेर
38.	मै. एस.आर. गोवर्धनदास एजेंसी, चेन्नै
39.	मै. एडवांस ज्यूटेक एंड कंस्ट्रक्शन, नवी मुंबई
40.	मै. ब्रिज इंटरप्राइजेज, जयपुर
41.	मै. के.एस. एंड कंपनी, कोयम्बटूर
42.	मै. बिजोय कुमार इंटरप्राइजेज, कोलकाता
43.	मै. गीता मेकैनिकल वर्कस, हाजीपुर
44.	मै. शिव शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी, पलवल
45.	मै. एम.सी. बेबी, कॉनट्रेक्टर, एर्णाकुलम
46.	मै. कपूर ब्रदर्स, मॉडल टाउन, दिल्ली
47.	मै. ब्रिज ट्रेडर्स, सवाईमाधोपुर
48.	मै. आदेशकर सिंह, पटियाला
49.	मै. डेका कंसलटेंसी एंड एजेंसी सर्विसेज, गुवाहाटी
50.	मै. एन.के. शर्मा एंड कंपनी, नई दिल्ली
51.	मै. आर. वैंकटरमैया नेल्लोर, आंध्र प्रदेश
52.	मै. विश्ववाडा मजदूर सहकारी मंडली लिमिटेड, पोरबंदर
53.	मै. एम.के. सिंह, सतना
54.	मै. संतोष कुमार पांडे, सतना
55.	मै. सत्तूर्न प्रोजेक्ट लिमिटेड, नई दिल्ली
56.	मै. देश पाल गुप्ता एंड कंपनी, सूरतगढ़
57.	मै. शिवा कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी, जमशेदपुर

क्र. सं.	2008 के दौरान, जिन फर्मों पर प्रतिबंध लगाया गया, उनके नाम
1.	मै. मिश्रा एंड कंपनी, कानपुर
2.	मै. मेसा कंस्ट्रक्शन, कोलकाता
3.	मै. जय भारत कंस्ट्रक्शन, बोकारो
4.	मै. सतीश कुमार एंड कंपनी, अंबाला
5.	मै. रामाकृष्णा कंस्ट्रक्शन, संबलपुर मंडल
6.	मै. संजीव मैथ्यू एंड कंपनी, सरकारी ठेकेदार, केरल
7.	मै. खैशगी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, मैसूर
8.	मै. प्रदीप कोंच, ठेकेदार, डिब्रूगढ़
9.	मै. एस.के. गुप्ता एंड कंपनी, विकासपुरी, नई दिल्ली
10.	मै. सम्राट कंस्ट्रक्शन कंपनी, विकासपुरी, नई दिल्ली
11.	मै. पवन कंस्ट्रक्शन, समस्तीपुर
12.	मै. शिवा कंस्ट्रक्शन, मालदा
13.	मै. जे.वी. इंटरप्राइजेज, जमशेदपुर

क्र. सं.	2008 के दौरान, जिन फर्मों पर प्रतिबंध लगाया गया, उनके नाम
1.	मै. पायोनियर फ्रीक्शन लिमिटेड, कोलकाता
2.	मै. वेबटेक कॉर्पोरेशन, यूएसए

रासायनिक उर्वरकों की कीमतें

759. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान रासायनिक उर्वरकों की कीमतें घटी हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत घटी है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप किसानों को अपेक्षाकृत कम दरों पर रासायनिक उर्वरक प्राप्त होंगे; और

(घ) यदि हां, तो किसानों के लिए कीमतों में कितने प्रतिशत की कमी होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान एमओपी को छोड़कर रासायनिक उर्वरकों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट आई है जैसाकि नीचे सारणी से दिखाया गया है:–

औसत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अमेरिकी डॉलर में (प्रति मी. टन)

माह	यूरिया (एफओबी)	डीएपी (सीएंडएफ)	एमओपी (एफओबी)	फोस्फोरस एसिड (सीएंडएफ)	रॉक फोस्फेट्स (सीएंडएफ)	अमोनिया (सीएंडएफ)	सल्फर (सीएंडए)
अप्रैल, 08	453	1330	515	1985	425	529	697
मई, 08	628	1331	666	1985	433	533	744
जून, 08	678	1274	700	1985	460	490	831
जुलाई, 08	811	1290	726	2427	389	558	849
अगस्त, 08	815	1269	858	2255	363	720	769
सितम्बर, 08	777	1175	933	2200	348	834	566
अक्तूबर, 08	459	1013	945	1920	347	756	334
नवम्बर, 08	255	654	918	1810	353	290	65
दिसम्बर, 08	246	441	918	1560	353	181	59
जनवरी, 09	268	373	918	980	250	168	57
फरवरी, 09	302	405	918	760	250	196	54
मार्च, 09	306	414	768	705	250	261	57
अप्रैल, 09	278	377	718	630	134	296	64
मई, 09	264	346	717	630	154	292	61
अप्रैल, 08 की तुलना में मई, 09 में % वृद्धि	-42%	-74%	39%	-68%	-64%	-45%	-91%

पिछले छह से अधिक वर्षों से एमआरपी के स्थिर रहने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ने दिया गया है। इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में परिवर्तन से किसानों के लिए राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

[अनुवाद]

अमृतसर विमानपत्तन पर लैंडिंग शुल्क

760. **डॉ. रतन सिंह अजनाला : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर विमानपत्तन पर वसूल किया जा रहा लैंडिंग शुल्क देश में अन्य विमानपत्तनों की तुलना में अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) अमृतसर हवाईअड्डे पर अवतरण प्रभार देश के अन्य हवाईअड्डों के समकक्ष है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राचीन तीर्थस्थलों को रेल सेवा से जोड़ना

761. **श्री संजय सिंह चौहान : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास प्राचीन तीर्थस्थलों को सीधी रेल सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई नई रेल सेवाओं और रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने दिल्ली और बिजनौर के बीच बरास्ता हस्तिनापुर एक सीधी रेलगाड़ी सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) रेल सेवाओं को संसाधनों की उपलब्धता और परिचालनिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण स्टेशनों से/तक यात्री यातायात की नियमित मांग के आधार पर मुहैया कराया जाता है। इसके अनुरूप, विशेषत: तीर्थ स्थानों को जोड़ने के उद्देश्य से पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है। बहरहाल, इन स्थानों को नई लाइन परियोजनाएं जब कभी क्षेत्र में शुरू हों, द्वारा जोड़ा/सेवित किया जा सकता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शीतागार सुविधा

762. **श्री वीरेन्द्र कश्यप :**
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कुल खाद्य उत्पादन का कितना प्रतिशत खाद्य-प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रयुक्त होता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में घटिया शीतागार सुविधाओं की वजह से राज्यवार किस हद तक हानि हुई है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार देश में उपलब्ध कोल्ड चेन सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान शीतागार सुविधाओं को सुधारने हेतु राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी और कितनी धनराशि खर्च की गयी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) अनुमान है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रसंस्करण स्तर 6% से बढ़कर 10% और मूल्यवर्धन 20% से बढ़कर 26% हो गया है। कृषि खाद्य वस्तुओं की बरबादी के स्तर का अनुमान लगभग 50,000 करोड़ रुपये लगाया गया है जो खंडित जुताई, शीतागार सुविधाओं, ढुलाई, पर्याप्त भंडारण सुविधाओं आदि फसलोत्तर बुनियादी ढांचा विकास जैसे फसल काटने के बाद उसकी उठाई-धराई के विभिन्न चरणों में होती है। वैसे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वास्तविक वृद्धि दर जोकि वर्ष 2003-04 में 7% थी, वर्ष 2006-07 में बढ़कर 13.14% हो गई है और इसने बरबादी में कमी और बेहतर मूल्यवर्धन में अंशदान किया है।

विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय से उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार देश में शीतागारों की कुल संख्या 5316 है। राज्यवार और क्षमतावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

देश में शीत श्रृंखला सुविधाओं और बैकवर्ड लिंकेज की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचा विकास के लिए सरकारी/निजी संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता देने के लिए 11वीं योजना के दौरान शीत श्रृंखला, मूल्यवर्धन और परिरक्षण बुनियादी ढांचा

संबंधी एक स्कीम है। इस स्कीम में सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत के 50% की दर पर और पूर्वोत्तर क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर पर सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है जिसकी अधिकतम सीमा 10.00 करोड़ रुपये है। इस पहल का उद्देश्य सप्लाइ श्रृंखला में मौजूद अन्तर को पाटना, शीत श्रृंखला संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, नैसर्गिक उपज, समुद्री, डेरी, पॉल्ट्री आदि समेत बागवानी के लिए छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और प्रसंस्करण जैसी बुनियादी ढांचा विकास संबंधी सुविधाओं के साथ मूल्यवर्धन की स्थापना करना है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राज्य सरकार जैसी सरकार की अन्य एजेंसियां भी अपनी संबंधित स्कीमों के तहत शीतागार के लिए वित्तीय सहायता देती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीम परियोजना उन्मुखी हैं न कि राज्य विशिष्ट। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की शीतागार/शीत श्रृंखला समेत बुनियादी ढांचा विकास संबंधी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीम के लिए गत तीन वर्षों के दौरान संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 क्रमशः 13.60 करोड़, 15.00 करोड़ और 48.50 करोड़ रुपये है और इन वर्षों के दौरान व्यय क्रमशः 11.62 करोड़, 14.79 करोड़ और 48.28 करोड़ रुपये है।

विवरण

31.12.2007 की स्थिति के अनुसार शीतागारों का क्षेत्रवार वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	निजी क्षेत्र		सहकारी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र		कुल संख्या	कुल क्षमता (मी.टन में)
		संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित)	01	170	00	00	01	40	02	210
2.	आंध्र प्रदेश	260	830762	11	11598	10	3451	281	845811
3.	अरुणाचल प्रदेश	01	5000	00	00	00	00	01	5000
4.	असम	20	88706	01	1000	04	1120	25	90826
5.	बिहार	234	1233266	18	77200	00	00	252	1310466
6.	चंडीगढ़ (संघ शासित)	05	11216	01	1000	00	00	06	12216
7.	छत्तीसगढ़	58	278636	01	29	01	41	60	278706
8.	दिल्ली	75	103210	02	5201	16	17680	93	126091
9.	गुजरात	351	1075148	21	30669	05	6437	377	1112254
10.	गोवा	28	7105	00	00	00	00	28	7105
11.	हरियाणा	233	377319	04	3403	06	11399	243	392121
12.	हिमाचल प्रदेश	08	11413	02	767	07	6195	17	18375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	जम्मू एवं कश्मीर	15	40689	03	2134	01	46	19	42869
14.	झारखंड	35	142733	08	27415	00	00	43	170148
15.	केरल	168	54095	06	1080	10	1590	184	56765
16.	कर्नाटक	122	380751	18	6689	17	9594	157	397034
17.	लक्षद्वीप (संघ शासित)	00	00	00	00	01	15	01	15
18.	महाराष्ट्र	361	488667	55	25346	32	13724	448	527737
19.	मध्य प्रदेश	160	671374	20	101348	05	2434	185	775156
20.	मणिपुर	00	00	00	00	00	00	00	00
21.	मेघालय	01	1200	00	00	02	2000	03	3200
22.	मिजोरम	00	00	00	00	00	00	00	00
23.	नागालैंड	01	5000	01	1150	00	00	02	6150
24.	उड़ीसा	83	206840	11	17400	00	00	94	224240
25.	पांडिचेरी (संघ शासित)	02	35	01	50	00	00	03	85
26.	पंजाब	402	1298425	18	39092	00	00	420	1337517
27.	राजस्थान	97	310901	09	3832	01	14	107	314747
28.	सिक्किम	00	00	00	00	00	00	00	00
29.	तमिलनाडु	122	224129	13	7562	04	5162	139	236853
30.	त्रिपुरा	03	12750	01	5000	07	11700	11	29450
31.	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	1498	8749567	87	281480	03	8000	1588	9039047
32.	पश्चिम बंगाल	476	5634500	51	339000	00	00	527	5973500
	कुल	4820	22243607	363	989445	133	100642	5316	23333694

स्रोत: विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय

उत्तर प्रदेश में नई रेल लाइन

763. श्री जगदम्बिका पाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर से फैजाबाद बरास्ता बस्ती नई रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त रेल लाइन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस रेल लाइन पर कार्य कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिना चौकीदार वाले समपार

764. श्री एस. सेम्मलई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार सेलम-विरुदाचलम खंड पर चौकीदार रहित समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। सलेम-वृद्धाचलम खंड पर तीन बिना चौकीदार वाले समपार सं. 107 (किमी. 107/8-9), 123 (किमी. 126/4-5) तथा 179 (किमी. 186/6-7) पर दिसम्बर, 2010 तक चौकीदार तैनात करने का प्रस्ताव है।

न्यायालयों का आधुनिकीकरण

765. श्री भर्तृहरि महताब : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों के आधुनिकीकरण और अवसरंचना विकास हेतु निधियां आबंटित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त आबंटन बढ़ाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (घ) उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों के आधुनिकीकरण और अवसंरचनात्मक विकास के लिए उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों में निहित है। जहां तक उच्चम न्यायालय का संबंध है, अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तथापि, सरकार 441.8 करोड़ रुपए की लागत से देश में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना की प्रोन्नति और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम का अनुमोदन फरवरी, 2007 में किया गया था और इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा किया जा रहा है। एनआईसी को अभी तक इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 212.95 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। सभी जिला न्यायालयों को समान सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना प्रदान की जा रही है और उच्च न्यायालयों में विद्यमान आईसीटी अवसंरचना को इसी भांति प्रोन्नत किया जा रहा है। इस स्कीम के अधीन आबंटन न्यायालय-वार नहीं किया जाता है।

न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए 1993-94 से एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके अधीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को, न्यायालय भवनों (उच्च न्यायालय भवनों हेतु सन्निर्माण अपेक्षा को सम्मिलित करते हुए) और न्यायाधीशों के लिए आवासों के सन्निर्माण के लिए उनके संसाधनों का संवर्धन करने के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस स्कीम के अधीन आबंटन न्यायालय-वार नहीं किया जाता है। 2009-10 के लिए इस स्कीम हेतु बजट उपबंध (सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए) 125.50 करोड़ रुपए है। इस रकम को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को, केंद्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए उपयोग के आधार पर जारी किया जाता है। कुछ राज्य सरकारों ने स्कीम के अधीन अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ न्यायपीठ हेतु एक नए भवन के सन्निर्माण के लिए, नागालैंड सरकार से कोहिमा में उच्च न्यायालय भवन के सन्निर्माण के लिए और केरल सरकार से पांच न्यायालय परिसरों के सन्निर्माण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ये अनुरोध समीक्षाधीन हैं। इस स्कीम के लिए 2006-07 में 65.00 करोड़ रुपए, 2007-08 में 117.96 करोड़ रुपए और 2008-09 में 133 करोड़ रुपए की रकम आबंटित की गई थी। 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई रकमें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों के ब्यौरे

राज्य	2006-07 के दौरान जारी की गई रकम	2007-08 के दौरान जारी की गई रकम	2008-09 के दौरान जारी की गई रकम
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	386.00	595.00	913.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
असम	443.11	0.00	1047.00
बिहार	0.00	436.00	330.00
छत्तीसगढ़	114.00	233.58	722.00
गोवा	0.00	162.00	33.00
गुजरात	190.00	1006.00	1035.00
हरियाणा	80.00	161.00	306.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	324.00
झारखंड	70.00	0.00	756.00
कर्नाटक	200.00	516.00	423.00
केरल	128.00	118.26	255.00
मध्य प्रदेश	205.00	1000.00	53.00
महाराष्ट्र	416.00	1330.00	1517.00
मणिपुर	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	53.70	51.00
नागालैंड	550.00	635.60	502.00
उड़ीसा	503.00	687.00	0.00
पंजाब	105.00	1100.00	268.00
राजस्थान	0.00	0.00	1256.75
सिक्किम	542.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	245.00	924.00	170.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
उत्तराखंड	0.00	0.00	275.00
उत्तर प्रदेश	642.00	1222.00	1290.00
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	728.05
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	0.00	200.00	720.00
दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00
पुडूचेरी	0.00	0.00	272.52
योग (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	4819.11	10380.14	13247.32

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरकों का मूल्य

766. श्री महेश जोशी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण रासायनिक उर्वरकों के थोक मूल्य और खुदरा मूल्य क्या रहे हैं; और

(ख) ऐसे उर्वरकों के खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी हेतु सरकार की क्या नीति है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य नीचे दिया गया है:–

उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य – उत्पाद-वार

क्र. सं.	उत्पाद	17 जून, 2008 तक मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य	18 जून, 2008 से प्रभावी नए अधिकतम खुदरा मूल्य
		रु./मी.टन	
1.	यूरिया	4830	4830
2.	डीएपी/एमएपी	9350	9350
3.	एमएपी	9350	9350
3.	एमओपी	4455	4455
4.	एसएसपी	3400	3400
	मिश्रित उर्वरकों की ग्रेड-एन:पी:के:एस		
5.	16:20:00:13	7100	5875
6.	20:20:00:13	7280	6295
7.	20:20:00:00	7280	5343
8.	23:23:00:00	8000	6145
9.	28:28:00:00	9080	7481
10.	10:26:26:00	8360	7197
11.	12:32:16:00	8480	7637
12.	14:28:14:00	8300	7050
13.	14:35:14:00	8660	8185
14.	15:15:15:00	6980	5121
15.	17:17:17:00	8100	5804
16.	19:19:19:00	8300	6487

टिप्पणी : 1 मई, 2008 से पहले एसएसपी के अधिकतम खुदरा मूल्य का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था और प्रायः यह प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होता था।

इसके अलावा, अमोनियम सल्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट को भी क्रमशः 1 जुलाई, 2008 और 1 अप्रैल, 2008 से रियायत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य क्रमशः 10350 रुपए प्रति मी.टन और 7460 रुपए प्रति मी.टन था।

सरकार रियायत योजना के अंतर्गत यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और अन्य राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के सांकेतिक अधिकतम खुदरा मूल्य अधिसूचित करती है। उर्वरक विभाग द्वारा चलाई जा रही राजसहायता व्यवस्था के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त करने के पात्र बनने हेतु उर्वरक उत्पादकों/आयातकों द्वारा इन राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की बिक्री सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य/सांकेतिक अधिकतम खुदरा मूल्य पर किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 (एफसीओ) के खण्ड 21 के तहत उर्वरकों के बैगों पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करना अनिवार्य है और किसी भी व्यक्ति को सांविधिक/सांकेतिक मूल्यों से अधिक मूल्य पर इनकी बिक्री करने की अनुमति नहीं है। राज्य सरकारों को ऐसी गतिविधियां रोकने के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

767. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजकोट और बडोदरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने हेतु गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) उच्च न्यायालयों के प्रधान स्थानों से परे उनकी न्यायपीठों की स्थापना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा, केवल तब विचार किया जाता है जब राज्य सरकार से ऐसा कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो, जिस पर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सहमति प्रदान की गई है। केंद्रीय सरकार को गुजरात सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गांधीधाम और हावड़ा के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी

768. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले बजट को घोषित की गई गांधीधाम से हावड़ा तक सुपरफास्ट रेलगाड़ी अभी भी शुरू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) जी, हां। गांधीधाम-हावड़ा सुपरफास्ट (सप्ताह में एक दिन) की 2009-10 के रेल बजट में घोषणा की गई है। गाड़ी वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान शुरू की जाएगी।

एअर इंडिया के लिए नये वायुयान

769. **श्री रूद्रमाधव राय :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एअर इंडिया के लिए नये वायुयान के आदेश में काट-छाँट करने का है;

(ख) यदि हां, तो एअर इंडिया हेतु वायुयान खरीदने की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) एअर इंडिया की वित्तीय स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) एअर इंडिया के लिए एक व्यापक पुनर्संरचना संबंधी योजना तैयार की जा रही है। ऐसे सभी मुद्दों पर उसके बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र

770. **श्रीमती जयाप्रदा :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष उपाय किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बुनकरों को दी गई वित्तीय सहायता की मात्रा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) भारत सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सहित देशभर में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है:-

1. एकीकृत हथकरघा विकास योजना।
2. विपणन तथा निर्यात संवर्धन योजना।
3. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना।
4. मिल गेट कीमत योजना।
5. विविधीकृत हथकरघा विकास योजना।

(ख) (i) विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में हथकरघा बुनकरों के समग्र विकास और कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्र. सं.	वित्त वर्ष	उत्तर प्रदेश राज्य को दी गई वित्तीय सहायता (लाख रुपये)
1.	2006-07	974.00
2.	2007-08	371.00
3.	2008-09	1367.00
4.	2009-10 (30.06.2009 तक)	—

(ii) भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में बुनकरों की सामान्य/दुर्घटना से मृत्यु, दुर्घटना के कारण पूर्ण/आंशिक विकलांगता के मामले में चिकित्सकीय सुविधा और जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए (i) स्वास्थ्य बीमा योजना, और (ii) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना नामक संघटकों सहित हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना कार्यान्वित की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में विगत 3 वर्षों के दौरान इस योजना में कवर किए गए बुनकरों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए बुनकर	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए बुनकर
2006-07	88372	17163
2007-08	431921	14350
2008-09	371617	21560

वास्को और केरल के बीच रेलगाड़ी की शुरूआत

771. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को गोवा के लोगों से वास्को से केरल को मंगलोर होते हुए कोई रेलगाड़ी शुरू करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। मंगलौर के रास्ते गोवा-एर्णाकुलम एक्सप्रेस को चलाने की 2009-10 के रेल बजट में घोषणा की गई है।

रेल संपर्क

772. **श्री इन्द्र सिंह 'नामधारी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड के चतरा जिला मुख्यालय को रेलवे से जोड़ने हेतु जन-प्रतिनिधियों का अनुरोध बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) गया से चतरा नई लाइन के कार्य को 2008-09 के बजट में शामिल किया गया है। प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

धौलपुर-गंगापुर के बीच आमान परिवर्तन का कार्य

773. **श्री खिलाड़ी लाल बैरवा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने धौलपुर से सर मथुरा तथा सर मथुरा से गंगापुर के बीच आमान परिवर्तन हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन रेल लाइनों के आमान परिवर्तन में अत्यंत विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस कार्य हेतु कितना बजटीय आबंटन किया गया है तथा कितना व्यय होगा; और

(ङ) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) जी हां। गंगापुर सिटी तक विस्तार के साथ धौलपुर-सर्मुत्रा के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 144.6 किमी. लंबी इस लाइन के निर्माण की लागत 622.41 करोड़ रुपए आंकी गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कार्य अभी स्वीकृत नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डीजल मल्टीपल यूनिट रेलगाड़ी

774. **श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को आंध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद-सिकन्दराबाद और मिरथालगुडा के बीच डीजल मल्टीपल यूनिट रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) हैदराबाद/सिकंदराबाद तथा मिरयालागुडा के बीच डीजल मल्टीपल यूनिट सेवाओं की शुरूआत के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की जांच की गई है लेकिन संसाधनों की तंगियों के कारण, इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

दीघी और इकारा में समपार

775. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन पर दीघी और इकारा में समपार के ऊपर उपरिपुल के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) दीधी तथा इकारा में निर्माण कार्यक्रम 2002-03 के दौरान ऊपरी पुलों के तीन कार्य स्वीकृत किए गए थे जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(i) हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड पर दीधी में समपार सं 54-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल का कार्य 11.72 करोड़ रु. की लागत पर लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा छोड़ दिया गया।

(ii) हाजीपुर-बीदुपुर खंड पर दीधी में समपार सं.-54-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल का कार्य 11.58 करोड़ रु. की लागत पर लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया। कार्य अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाना है।

(iii) हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड पर इकारा में समपार सं. 47 के बदले ऊपरी सड़क पुल का कार्य 11.36 करोड़ रु. की लागत पर लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया। अब यह कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग कार्य के साथ-साथ निष्पादित किया जाना है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा क्र.सं. ख (i) का कार्य छोड़ दिया गया तथा शेष दो कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं। अत: इन कार्यों का पूरा होना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर स्थापित उपकरण

776. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष कोहरे वाले मौसम से निपटने हेतु दिल्ली और अन्य विमानपत्तनों पर स्थापित श्रेणी-III उपकरणों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रेणी-III उपकरण अच्छी सहायता नहीं कर रहे थे जिससे यात्रियों को उड़ान के रद्दीकरण और ठंडे मौसम की समस्याओं का पहले की तरह ही सामना करना पड़ रहा था; और

(घ) भविष्य में यात्रियों को असुविधा को न्यूनतम स्तर तक लाने हेतु क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) उपकरण अवतरण प्रणाली (आई एल एस) कैट III-बी दिल्ली हवाईअड्डे के केवल रनवे 28 पर ही संस्थापित थी। वर्ष 2008 में, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (डायल) ने नए रनवे 29/11 पर उपकरण अवतरण प्रणाली कैट III-बी को चालू किया था जो 13 दिसम्बर, 2008 से प्रचालन में है। अतिरिक्त रनवे पर इस प्रणाली के चालू होने से, पश्चिमी हवाओं के दौरान, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली पर कैट III-बी प्रचालनों के लिए निम्न दृश्यता परिस्थितियों के दौरान दोनों रनवे यथा रनवे 28 तथा 29 एक साथ प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इससे दिल्ली हवाईअड्डे पर निम्न दृश्यता परिस्थितियों में विमान सेवा को हैंडल करने की क्षमता बढ़ी है।

(ग) सभी एयरलाइनें इस सुविधा का प्रयोग नहीं कर सकती हैं क्योंकि घरेलू अनुसूचित एयरलाइनों के लिए निम्न दृश्यता परिस्थितियों के दौरान कैट II/III प्रचालनों के बारे में उनके उड़ान कर्मीदल को प्रशिक्षित कराया जाना अनिवार्य नहीं है और इसके परिणामस्वरूप उड़ानों में विलंब, डाइवर्जन और उड़ानें रद्द होती हैं।

(घ) घरेलू एयरलाइनों को निम्न दृश्यता परिस्थितियों में प्रचालन के लिए अपने-अपने पायलटों को प्रशिक्षित कराने हेतु समय-समय पर कहा जाता है। केवल उन्हीं पायलटों को जो कैट II/III के बारे में प्रशिक्षित हैं को इन्स्ट्रक्टर/एक्जामिनर के रूप में अनुमोदित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रचालनिक दक्षता में और सुधार लाने के लिए कैट II/III प्रचालनों हेतु अधिक से अधिक प्रशिक्षित पायलट उपलब्ध हो सकें। निम्न दृश्यता के समय प्रचालनों के लिए प्रचालकों द्वारा प्रशिक्षित पायलटों की संख्या तथा ऐसे प्रचालनों के लिए विमानों की उपयुक्तता के आधार पर कोहरे वाले हवाई अड्डों के लिए घरेलू अनुसूचित प्रचालन के उड़ान शेड्यूल को अनुमोदित किया जाता है।

विमानपत्तन पर चोरी के मामले

777. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों पर यात्रियों के बैगेज/सामान चोरी हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई जिम्मेदारी तय की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि बैगेज/सामान गलत जगह पर न जाएं/चोरी न हों, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

वर्ष	दिल्ली	मुम्बई
2006	119	34
2007	94	21
2008	32	23

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित चोरी के मामलों के संबंध में, दिल्ली पुलिस ने 37 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा मुम्बई पुलिस ने 37 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(ङ) सरकार ने सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को निम्नलिखित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं:–

(i) सभी अनुसूचित एयरलाइनों को प्रस्थान हॉल निगरानी के लिए एक या अधिक सुरक्षा कार्मिकों, बैगेज मेकअप एरिया के लिए दो कार्मिकों, विमान तक सिक्युरिटी क्लियर्ड कार्गो की सुरक्षा के लिए एक या अधिक व्यक्तियों तथा बैगेज ब्रेकअप एरिया के लिए एक कार्मिक को तैनात करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं; (ii) यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने चेक्ड-इन बैगेज में जेवरात एवं नगदी न ले जाएं; (iii) चोरी/उठाईगिरी के मामलों की जांच के लिए प्रमुख हवाईअड्डों पर एयरलाइनों की इन-हाऊस सतर्कता दल; (iv) लोडिंग से पूर्व और पश्चात् लोडरों की औचक फ्रिस्किंग तलाशी; (v) सुरक्षा/हवाईअड्डा सेवा स्टाफ के सुपरविजन में चेक्ड-इन बैगेज की लोडिंग/अनलोडिंग; (vi) हवाईअड्डों पर उपलब्ध सीसीटीवी का उपयोग; (vii) ऐसी मिसहैंडलिंग के मामलों को कम करने के लिए प्रमुख हवाईअड्डों पर स्वचालित बैगेज विनियोजन प्रणाली; (viii) बैगेज हैंडलिंग के बारे में रैम्प कर्मचारियों (विशेष रूप से लोडरों) को व्यापक प्रशिक्षण दिलाया जाना; (ix) मेट्रो हवाईअड्डों पर समर्पित बैगेज हैंडलिंग इकाइयों की स्थापना; (x) एयरलाइनें अपनी-अपनी कम्पनी की नीति, जिसे उनकी संबंधित बेवसाइटों पर प्रदर्शित किया गया है, के अनुसार खोये समान के मामलों में क्षतिपूर्ति भी देती हैं।

इस्पात निर्यात में गिरावट

778. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन इस्पात निर्यातकों, जिन्होंने अमरीका द्वारा इस्पात आयात में आई भारी गिरावट जो अत्यंत गिरकर 2006 के 41 एमटी से 2007 से 31 एमटी और आगे 2008 में 30 एमटी थी, का दृढ़ता से मुकाबला किया है, मंदी की मार से अन्ततः उनका मनोबल टूट गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस्पात निर्यात में वर्ष 2004 के 816 डालर प्रति टन से बढ़कर 2008 में 1468 डालर प्रति टन यूनिट 79.9% की वृद्धि से लाभ प्राप्त करने वालों में दूसरे स्थान पर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस्पात के निर्यात में आ रही गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) भारतीय इस्पात के निर्यात में वर्ष 2006-07 से ठहराव आना शुरू हो गया क्योंकि घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी के चलते घरेलू मांग बढ़ने लगी। अक्तूबर, 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट से भारत से इस्पात का होने वाला निर्यात और प्रभावित हुआ। इस्पात के निर्यात में ठहराव आ गया और इसमें मामूली सी गिरावट आई तथा यह वर्ष 2006-07 और 2007-08 के बीच 5.242 मिलियन टन से घटकर 5.077 मिलियन टन रह गया। तथापि, अगले वर्ष अर्थात वर्ष 2008-09 में निर्यात में (-) 27.9 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 3.658 मिलियन टन रह गया।

वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान उत्पादन, खपत, निर्यात और आयात

(मिलियन टन)

वर्ष	उत्पादन	खपत	निर्यात	आयात
2004-05	43.513	36.377	4.705	2.293
2005-06	46.566	41.433	4.801	4.305
2006-07	52.529	46.783	5.242	4.927
2007-08	56.075	52.125	5.077	7.029
2008-09	56.416	52.054	3.658	5.718
2009-10* (अप्रैल-मई)	9.240	9.282	0.426	0.978

स्रोत: जेपीसी* अनंतिम आंकड़े

(ख) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि निर्यात की इकाई कीमत की दृष्टि से लाभ प्राप्त करने वालों में भारत दूसरे स्थान पर था। भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सप्लाई करने वाला एक मार्जिनल सप्लायर है और इस्पात के विश्व व्यापार की कुल मात्रा में इसकी हिस्सेदारी केवल 1 प्रतिशत – 1.5 प्रतिशत है। इसके अलावा अप्रैल-अगस्त, 2008 के दौरान उच्च वैश्विक मांग के चलते अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कीमतें सुदृढ़ थीं। इससे कच्ची सामग्रियों की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई जिसके परिणामस्वरूप इस्पात की कीमतों में और बढ़ोतरी हुई। इस अवधि के दौरान भारत में घरेलू मांग भी मजबूत थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे माल की आपूर्ति बहुत कम थी।

(ग) जैसा पहले बताया गया है कि भारतीय निर्यात में गिरावट शुरू हो गई क्योंकि घरेलू उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग में अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ोतरी हुई। तथापि, अक्तूबर, 2008 के बाद तेजी से आई गिरावट का कारण वैश्विक वित्तीय संकट रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापक मंदी और इसके बाद पूरे विश्व के ऑटोमोबाइल, कंन्ज्यूमर ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स उद्योगों और खासतौर से उन बाजारों में वित्तीय संकट से इस्पात के निर्यात में गिरावट आई जिनमें भारतीय इस्पात का निर्यात किया जाता है।

(घ) इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित नीतिपरक उपाय किए गए हैं:–

(i) सभी इस्पात मदों (मैल्टिंग स्क्रैप को छोड़कर) पर निर्यात शुल्क को दिनांक 31.10.2008 से समाप्त कर दिया गया है।

(ii) इस्पात मदों पर डीईपीबी को दिनांक 14.11.2008 से बहाल कर दिया गया है।

निर्यात में वृद्धि बहाल करने और इस्पात के निर्यात को बढ़ाने में और मदद करने के लिए यूनियन बजट 2009-10 में निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं:–

(i) बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों को 95 प्रतिशत एनहैंस्ड एक्सपोर्ट क्रैडिट एंड गारंटी कार्पोरेशन (ईसीजीसी) कवर उपलब्ध करवाने के लिए समायोजन सहायता योजना को मार्च, 2010 तक बढ़ा दिया गया है।

(ii) 7 रोजगार परक निर्यात सैक्टरों के लिए प्री-शिपमेंट क्रैडिट पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता को मौजूदा समय-सीमा दिनांक 30/09/2009 से 31/03/2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

(iii) आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अंतर्गत निर्यात लाभों के संबंध में कटौती के लिए सन-सैट शर्तों को एक और वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बढ़ाया जा रहा है।

[हिन्दी]

रेल सेवाओं में महिला कर्मचारी

779. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास रेल सेवाओं में महिला कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख में रेल सेवाओं में नियुक्त महिला कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। विभिन्न महिला-हितैषी नीतियां पहले से विद्यमान हैं; जैसे मातृत्व अवकाश, बच्चा देखभाल अवकाश, आयकर में छूट, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को निपटान करने के लिए महिला कक्ष, कार्य स्थल पर/के नजदीक क्रेच, अतिरिक्त वेतनवृद्धि

सहित परिवार नियोजन आपरेशनों हेतु विशेष अवकाश। इन महिला हितैषी नीतियों और लाभों को भावी महिला अभ्यार्थियों के ध्यान में लाया जाता है। इन्हें रेडियो, प्रिन्ट मीडिया और होर्डिगों के जरिए व्यापक प्रचार द्वारा अधिक बड़े समूहों के ध्यान में लाया जा रहा है।

(ग) 31.3.2008 को रेल सेवाओं में 82712 महिला कर्मचारी सेवारत हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में एलपीजी एजेंसी खोला जाना

780. **श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों की मांग पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, बलूरघाट और पुरूलिया जिलों में एलपीजी की और अधिक एजेंसियां खोलने हेतु नयी निविदाएं आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई एजेंसियां कब तक खोले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) कूच बिहार में 4 स्थलों, दक्षिण दीनाजपुर में दो (इनमें से एक बालूरघाट) तथा पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में 2 स्थलों पर नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के उद्देश्य से इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए आवेदन मंगाने हेतु वर्ष 2007-08 में नोटिस जारी किए गए हैं।

तथापि, इस चरण पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट कर पाना संभव नहीं है।

रेलगाड़ियों पर विज्ञापन

781. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार रेलगाड़ियों पर बड़े पैमाने पर विज्ञापन दाताओं को उत्पाद का प्रचार करने की अनुमति देकर अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस योजना में कितनी रेलगाड़ियों का चयन किया गया है तथा इस योजना के माध्यम से वार्षिक रूप से कितना राजस्व अर्जित होने की संभावना है;

(ग) क्या योजना का आगे विस्तार किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) गाड़ियों पर वाणिज्यिक विज्ञापन देने के लिए पहले ही दिशा-निर्देश मौजूद हैं। गाड़ियों पर विज्ञापन पैनलों का डिस्पले, सवारी डिब्बों की विनायल रैपिंग, विज्ञापन अधिकारों के पैकेज आदि जैसी गाड़ियों के भीतर और बाहर वाणिज्यिक विज्ञापन देने की विभिन्न योजनाएं हैं। गाड़ियों पर वाणिज्यिक विज्ञापन देने के लिए विभिन्न नए विचारों/योजनाओं का समय-समय पर प्रयास किया जाता है। बहरहाल, इस स्तर पर उनसे प्राप्त आमदनी का आकलन किया जाना व्यवहारिक नहीं है।

दवाओं पर प्रतिबंध

782. **श्री एस.एस. रामासुब्बू :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी दवाएं देश में भेषज फुटकर केन्द्रों के माध्यम से बिक्री हेतु प्रतिबंधित हैं;

(ख) क्या अनेक ऐसी दवाएं जो विभिन्न देशों में स्वास्थ्य कारणों से प्रतिबंधित हैं इस देश में आसानी से उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) एमिडोपायरीन, पेन्सिलीन स्किन आयंटमेंट, नियालामाइड, प्रेक्टोलॉल, मेथाक्वीलोन, मेथापायरिलीन, क्लोरल हायड्रेट, डोवर्स पाऊडर आईपी आदि जैसी अठहत्तर (78) श्रेणियों के ड्रग फार्मूलेशनों, को केन्द्र सरकार द्वारा देश में विनिर्माण, बिक्री और संवितरण के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है जिन्हें वर्तमान ज्ञान के संदर्भ में असंगत या नुकसानदेह माना गया था।

(ख) से (घ) विनियामक प्राधिकारियों द्वारा दवाओं पर प्रतिबंध

या उन्हें वापस लिए जाने का निर्णय सामान्यत: जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित है जो किसी देश में बीमारी के पैटर्न, अनुमत्य दवा के संकेतों और डोजेज, दवाओं के बारे में निश्चित आबादी में कतिपय जातीय समूहों की अलग-अलग प्रतिक्रियाओं जैसे कई कारकों से प्रभावित होता है। यह सर्वविदित सत्य है कि किसी दवा का उपयोग आबादी के सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन प्रबोधक में दुष्प्रभाव या प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं है।

कतिपय औषध या फार्मूलेशन जो एक या कुछ देशों में बाजार से वापस ले लिए जाते हैं, वे भारत सहित अन्य देशों में विपणित होते रहते हैं। ऐसे औषधों के औचित्य की इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर गठित विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा जांच की जाती रही है। इन औषधों के बारे में और देश में उपयोग की प्रकृति से संबंधित उपलब्ध वर्तमान जानकारी के आधार पर इन औषधों को देश में उपयोग की अनुमति दी गई थी और जहां आवश्यक समझा गया, वहां इनके उपयोग पर कतिपय संकेतों तक ही, प्रतिबंध लगाया गया था।

जब भी जहां कहीं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, डब्ल्यूएचओ सूचनापत्रों में कोई गंभीर प्रतिकूल घटना की रिपोर्ट आती है या जब किसी औषध फार्मूलेशन को कुछ देशों में वापस ले लिए जाने की रिपोर्ट आती है, वहां औषध फार्मूलेशन की स्थिति की समीक्षा के लिए भारत में समुचित क्रियातंत्र उपलब्ध है। इस प्रकार रिपोर्ट किए गए औषध के उपयोग का आकलन, विशेषज्ञों के परामर्श से उपलब्ध तकनीकी जानकारी, लाभ-जोखिम अनुपात, स्थानीय आवश्यकता आदि के आधार पर किया जाता है। मामले पर आगे औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय ड्रग टेक्नीकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी), द्वारा विचार किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा देश में अब तक 78 श्रेणी के औषध फार्मूलेशनों, जिन्हें वर्तमान ज्ञान के आधार पर अतार्किक या नुकसानदेह समझा गया, को प्रतिबंधित किया गया है।

भारतीय रेलों का उन्नयन

783. श्री नवीन जिन्दल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष चीन के एक शिष्टमंडल ने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन पर चर्चा करने हेतु भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इन चर्चाओं के परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी चीन-भारत रेल सहयोग कार्यदल का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दल ने अब तक क्या कार्य किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) वर्ष 2008 में दो देशों के रेल मंत्रालयों के बीच हस्तांतरित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में मार्च, 2008 एवं जुलाई, 2008 के महीनों में दो बहुप्रभागी चीनी रेल प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया। दोनों प्रतिनिधिमंडलों के साथ आयोजित विचार-विमर्शों में गति बढ़ाने, भूरा भार परिचालनों को चलाने और लोजिस्टिक पार्कों के विकास के क्षेत्रों में सहयोग सुदृढ़ करने पर सहमति हुई। भुवनेश्वर और बैयापनाहली स्टेशनों का विश्व श्रेणी के स्टेशनों के रूप में विकास के लिए डिजाइन और परामर्शी समर्थन प्रदान करने की संभावना पर विचार करने हेतु चीनी प्रतिनिधिमंडल ने भुवनेश्वर और बैयापनाहली (बंगलुरू के नजदीक) का भी दौरा किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित वस्त्र पार्क योजना

784. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मांडया जिले के समेकित वस्त्र पार्क में मूल अवसंरचना के विकास हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समेकित वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के अंतर्गत किसी कंपनी को सम्मिलित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को मंजूरी देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आन्ध्र प्रदेश में आमान परिवर्तन

785. श्री अंजनकुमार एम. यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में मीटर गेज रेलवे लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइनों के आमान परिवर्तन हेतु कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश में आमान परिवर्तन का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) मदनापल्ली में धर्मावरम जिसके 2009-10 तक पूरा होने की संभावना है, के अलावा आन्ध्र प्रदेश में सभी मीटर लाइनें परिवर्तित हो गई हैं।

[अनुवाद]

सहायक उत्पादन यूनिट की स्थापना

786. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर बस कंसोर्टियम टौलाउज अपने विमान के लिए भारत में किसी सहायक उत्पादन यूनिट की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार इस उद्देश्य के लिए बंगलौर से लगे अनन्तपुर जिले में लेपाक्षी नॉलेज सेन्टर को सौंपने का प्रस्ताव लाई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रगति हुई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनियों का मेगा विलय

787. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पालन किए जाने हेतु मेगा विलय तथा कारपोरेट पुनर्संरचना समझौतों के लिए विनियम तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित विनियम केवल भविष्य में विलय का सहारा लेने वाली कम्पनियों पर ही लागू होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विलय के लिए सरकार के पास लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्यमंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार संयोजनों को विनियमित करने का प्रस्ताव है। तथापि, विलयों और समामेलनों सहित संयोजनों के नियमनों से संबंधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंधों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) अधिनियम केवल उत्तरव्यापी प्रभाव के मामले में ही लागू होता है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

पोर्ट ब्लेयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान

788. श्री मिलिंद देवरा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोर्ट ब्लेयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू किए जाने से विदेशी पर्यटकों के द्वीपों में आगमन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) एशियाई और सार्क (पाकिस्तान को छोड़कर) देशों की नामित विमान कंपनियों को पोर्ट ब्लेयर सहित भारत में 18 पर्यटक गंतव्य स्थलों के लिए असीमित पहुंच अधिकार प्रदान किया गया है। तथापि, किसी एयरलाइन द्वारा वास्तविक प्रचालन सेवा सदैव उसके अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार मार्गदर्शित होती है। इसके अलावा, पर्यटक चार्टर उड़ानें अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन को सुसाध्य बनाने के लिए भारत के उदारीकृत पर्यटक चार्टर मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन अंतरराष्ट्रीय गंतव्य स्थलों से पोर्ट ब्लेयर के लिए नियमित आधार पर प्रचालन कर रही हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ

789. श्री जगदीश ठाकोर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा कंपनी-वार कुल कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) विगत तीन वर्षों के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ निम्नवत् है:–

(रु. करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09
	1	2	3
आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन	15,643	16,702	16,126
आयल इंडिया लिमिटेड	1640	1789	2162
ओएनजीसी विदेश लि.	1663	2397	2807
इंडियन आयल कारपोरेशन लि.	7499	6963	2950
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	1571	1135	575
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	1805	1581	736
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	2387	2601	2804

ऊपर उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के संबंध में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लाभ के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों, नामत: पेट्रोल, पीडीएस मिट्टी तेल, डीजल व घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों (आरएसपीज) में 01 अप्रैल, 2006 से प्रतिशत वृद्धि/कमी के साथ संशोधन संलग्न विवरण में दिया गया है। संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों से अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का खुदरा बिक्री मूल्य, बाजार दशाओं के आधार पर समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा संशोधित किया जाता है।

ओएमसीज जब घरेलू रिफाइनरियों से पेट्रोलय और डीजल की खरीद करती हैं तो वे व्यापार समता मूल्य का भुगतान करती हैं तथा पीडीएस मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी की खरीद के लिए आयात समता मूल्य का भुगतान करती है। हाल में पिछले दिनों से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अत्यंत अस्थिर बना हुआ है।

तथापि, तेल मूल्यों में वृद्धि का सारा बोझ उपभोक्ताओं पर डालने से घरेलू मूल्यों में तीव्र वृद्धि होगी, मूल्य वृद्धि की परिस्थितियां गंभीर रूप धारण कर लेंगी इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्प वसूलियों के बोझ में सभी पणधारकों नामत: सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों और उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी हो, सरकार समान बोझ हिस्सेदारी पद्धति का अनुपालन निम्नलिखित ढंग से कर रही है:–

- तेल बाण्डों के निर्गम के माध्यम से सरकार की हिस्सेदारी।
- ओएमसीज को मूल्यों में छूट देकर अपस्ट्रीम सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की हिस्सेदारी।
- अल्प वसूलियों के एक भाग को वहन करके सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज की हिस्सेदारी।
- न्यूनतम मूल्य वृद्धि वहन करके उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी।

विवरण

01 अप्रैल, 2006 से दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य में प्रमुख संशोधन

	पेट्रोल (रु./लीटर)	पीडीएस केरोसीन (रु./लीटर)	डीजल (रु./लीटर)	घरेलू एलपीजी (रु./सिलेंडर)
01.04.2006 को	43.51	9.08	30.47	294.75
25.05.06		9.09		
06.06.06	47.51		32.47	
21.06.06@	46.85		32.25	
30.11.2006	44.85		31.25	
16.02.2007	42.85		30.25	
06.06.07@@	43.52		30.48	
08.02.08 (प्रदूषण उपकर)			30.76	
15.02.08	45.52		31.76	
24.05.08 (डीलर कमीशन संशोधित)	45.56		31.80	
05.06.08	50.56		34.80	346.30 (09.06.08 से प्रभावी रु. 304.70/ सिलेंडर)#
18.07.08*****	50.62		34.86	
12.09.08		9.22		
06.12.2008	45.62		32.86	
29.01.2009	40.62		30.86	279.70
02.07.2009	44.63		32.87	281.20## (01.07.09 से प्रभावी)
01.04.06 के मूल्य पर वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य की प्रतिशत वृद्धि/(कमी)	2.57%	1.54%	7.88%	(4.60%)

***** पेट्रोल व डीजल में साइडिंग व पंटिंग प्रभारों में वृद्धि के कारण

@ पेट्रोल व डीजल पर वैट में कर छूट के कारण

@@ पेट्रोल व डीजल के लिए वैट पर कर छूट वापस लेने के कारण

दिल्ली राज्य सरकार द्वारा प्रति सिलेंडर 40/- रु. की राजसहायता पर विचार करने के बाद।

डिस्ट्रीब्यूटरों के कमीशन में संशोधन के कारण मुख्यत: डीलर कमीशन में वृद्धि के कारण पीडीएस मिट्टी तेल के मूल्य में वृद्धि।

दिल्ली में लाल किले के पास सड़क उपरिपुल की जीर्ण-शीर्ण दशा

790. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल किले के समीप निर्मित सड़क उपरिपुल की दशा जीर्ण-शीर्ण हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सड़क उपरिपुल के जीर्णोद्धार के लिए रेलवे की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रतिस्थापन के आधार पर नए पुल के निर्माण का विनिश्चय किया गया है। तदनुसार, उत्तर रेलवे के दिल्ली-दिल्ली शाहदरा लाइन पर यमुना नदी पर पुल सं. 249 के बदले में एक नए पुल (13×61 मी.) का कार्य 1997-98 में स्वीकृत किया गया था।

(घ) नए पुल की अनुमानित लागत लगभग 80 करोड़ रु. और मार्च 09 तक लगभग 37.48 करोड़ रु. खर्च कर दिए गए हैं। नए पुल के 14 में से 9 पायों को मार्च, 09 तक पूरा कर लिया गया है। नए पुल का निर्माण मौजूदा पुल के उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर की दूरी पर किया जा रहा है। नए पुल के पश्चिमी छोर पहुंच पर रेलपथ स्वतंत्रता सेनानी स्मारक (सलीमगढ़ किला) की भूमि के कोने से गुजरता है। बहरहाल, यह लाल किला से नहीं गुजरता है। रेलपथ सलीमगढ़ किले की दीवार को पार कर रहा है। चूंकि नए पुल मौजूदा पुल से 30 मीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, अत: पहुंच मार्गों पर रेलपथ संरेखण की दिशा को बदलना भी अपेक्षित है। इससे उन स्थानों, जहां रेलपथ किले की दीवार (दीवार के ऊपरी सतह के बराबर) को क्रास रहा है, में भी परिवर्तन करना होगा। संरेखण की दिशा परिवर्तित करने के लिए लगभग 1000 वर्ग मीटर कोने वाली भूमि की आवश्यकता होगी। 26 मार्च, 2004 को हुई बैठक में, माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने जनहित में आवश्यक समझते हुए इन प्रस्तावित संरेखण के अनुसार 1000 वर्ग मीटर की ए.एस.आई. भूमि के आदान प्रदान के लिए सहमति दे दी थी। बहरहाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) ने अपने 19.5.06 के पत्र में विशेषकर, किले की दीवार के ऊपरि सतह के बराबर रेल पथ गुजारने के लिए बनने वाली नई औपनिंग को देखते हुए आपत्ति उठाई है। इस मामले पर रेल मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय के साथ नए पुल के निर्माण के महत्व को देखते हुए समाधान खोजने के लिए मामला उठाया है। हाल ही में ए.एस.आई. ने सांस्कृतिक एवं विरासत के प्रभावों के आकलन के लिए पूछा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में भर्ती

791. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में तीन प्रतिशत आरक्षण के लिए अनुदेशों का केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) में पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (ग) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अनुसार सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में पहचान किए गए पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए रोजगार के सभी समूहों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित करने का परामर्श दिया गया है। इस 3 प्रतिशत में से 1 प्रतिशत प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए गए पदों में निम्न से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा:

(i) अन्धापन या कम दृष्टि

(ii) बधिरता

(iii) चलने-फिरने में निशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात

इन दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संगत निदेशक मण्डल और सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करना

792. श्री बलीराम जाधव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों के प्रशासित मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने तथा इन उत्पादों को बाजार निर्धारित मूल्यों के खुदरा कारोबार में प्रवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी के स्थान पर गरीब एवं मध्यम आय वाले परिवारों को लाभान्वित करने के लिए किसी वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने 1 अप्रैल, 2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) समाप्त कर दी थी और निर्णय लिया था कि पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी को छोड़कर, सभी पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्यनिर्धारण बाजार द्वारा तय किया जाएगा। पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी को वहनीय मूल्यों पर मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने राजसहायता योजनाएं बनाई थी जो अप्रैल, 2002 से लागू हैं।

उपभोक्ता तथा अर्थव्यवस्था को तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की अस्थिरता और अनिश्चितता से बचाने के लिए सरकार चार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामत: पेट्रोल, डीजल, घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा रही है। निजी तेल कंपनियां वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के आधार पर अपने मूल्य निर्धारण निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल कोई और प्रसताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

रेल यात्रियों का उत्पीड़न

793. श्री राधा मोहन सिंह :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिक द्वारा चलती रेलगाड़ी से यात्रियों को बाहर फेंके जाने की घाटनाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी पाए गए सुरक्षा कार्मिक के विरुद्ध रेलवे द्वारा क्या कार्रवाही की गई है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) वर्ष 2008 के दौरान रेल सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा चलती गाड़ी से यात्रियों को फेंके जाने की 02 घटनाओं की रिपोर्ट की गई है।

(ख) दोनों मामले भारतीय पेनल कोड के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित राजकीय रेल पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) गेघाट पीएस जमानिया, जिला गाजीपुर (उ.प्र.) के संतोष कुशवाहा पुत्र श्री इंद्रजीत कुशवाहा नामक पीड़ित यात्री द्वारा आरोप लगाया गया कि गाड़ी सं. 2402 डाउन की एस्कोर्ट पार्टी ने उसे दिलदारनगर के नजदीक 24.01.2008 को गाड़ी से बाहर फेंका। इस शिकायत के आधार पर राजकीय रेल पुलिस स्टेशन/मुगलसराय ने 326, 338 आईपीसी एवं 317 पीसी अधिनियम के अंतर्गत 24.01.2008 को सं. 15/08 के तहत एक मामला दर्ज किया और दूसरी बटालियन डी कंपनी/गोरखपुर के रे.सु.वि.ब. के दोनों कर्मचारियों को हिरासत में भेज दिया और उन्हें निलंबित कर दिया।

(ii) सिविल पुलिस स्टेशन/गाजीपुर ने दो अज्ञात रे.सु.ब. कर्मचारियों के विरुद्ध 03.09.2008 को खंड 326 आईपीसी के अधीन अपराध सं. 0/08 में एक मामला दर्ज किया और आगे की जांच के लिए मामले को एस आर पी/गोरखपुर को स्थानांतरित कर दिया। मामला जांचाधीन है। चूंकि शिकायतकर्ता ने किसी रेल सुरक्षा बल कर्मचारी के नाम का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए राजकीय रेल पुलिस की जांच के दौरान रेल सुरक्षा कर्मचारी की पहचान करने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

1. रे.सु.ब. कर्मचारियों को नियमित रूप से चेताया जाता है कि वे ऐसी घटनाओं में लिप्त न हों।

2. अधिकारी और पर्यवेक्षक स्टाफ द्वारा औचक जांचें आयोजित की जा रही हैं।

3. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रे.सु.ब. स्टाफ की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है और विश्लेषण किया जाता है।

4. यात्रियों की शिकायतों को सुनने के लिए मुख्यालय स्तर पर जनशिकायत कक्ष कार्यरत हैं

5. चूककर्ता/गलती करने वाले रे.सु.ब. कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीयकृत रेलवे पूछताछ प्रणाली

794. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीयकृत रेलवे पूछताछ प्रणाली द्वारा प्रदान की जा रही त्रुटिपूर्ण सेवाओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में रेलवे द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। विज्ञापन, मौखिक पूछताछ की अनुपलब्धता और गाड़ियों की चालन स्थिति से संबंधित अनुपयुक्त जानकारी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) केवल कॉल प्रतीक्षा समय और पूछताछ प्रक्रिया समय ही विज्ञापन प्रसारित करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं। इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम के माध्यम से पूछताछ करने वालों के प्रत्युत्तर में अपेक्षित नंबर को डायल नहीं करने वालों को स्वत: मेन्युअल आपरेटर से जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय रेल पूछताछ प्रणाली में यात्रियों को समय पर और उचित सूचना सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों को उचित रूप से फीड करने की मानीटरिंग की जा रही है।

[अनुवाद]

फास्ट ट्रैक न्यायालय योजना

795. श्री हरिन पाठक : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फास्ट ट्रैक न्यायालयों की योजना को शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को वर्ष 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता में काफी कमी कर दी गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार योजना के लिए सहायता को बहाल करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी) की स्कीम को, 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2000 में पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया था। राज्यों को, अनावर्ती व्यय के लिए 5.00 लाख रुपए प्रति न्यायालय, जिसके अंतर्गत 3.4 लाख रुपए सन्निर्माण के लिए और 1.6 लाख रुपए कंप्यूटर और पुस्तकालय के लिए थे, की दर से केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। आवर्ती व्यय के लिए 4.8 लाख रुपए प्रति न्यायालय प्रति वर्ष उपलब्ध कराए गए थे।

(ग) और (घ) त्वरित निपटान न्यायालयों की स्कीम की समयावधि, जिसकी सिफारिश 11वें वित्त आयोग द्वारा की गई थी, 31 मार्च, 2005 को समाप्त हो गई थी। उच्चतम न्यायालय ने, जो बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले के माध्यम से त्वरित निपटान न्यायालयों के कार्यकरण की मानीटरी कर रहा है, यह संप्रेक्षण किया था कि त्वरित निपटान न्यायालयों की स्कीम को एकाएक समाप्त नहीं किया जाना चाहिए और उसने अपने तारीख 31 मार्च, 2005 के आदेश में भारत संघ को त्वरित निपटान न्यायालय जारी रखने का निदेश दिया था। सरकार ने 1562 त्वरित निटान न्यायालयों को, जो 31.03.2005 को कार्यरत थे, पांच वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2010 तक जारी रखने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया था। विस्तारित अवधि के लिए, राज्यों को दी जाने वाली सहायता संबंधी सन्नियमों में 8.6 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि का उपबंध था, जिसे राज्यों को न्यायालय कक्ष में अतिरिक्त स्थान के लिए सन्निर्माण की लागत के मद्दे पहले दो वर्षों में राज्यों को उपलब्ध कराया जाना था और 4.8 लाख रुपए प्रति न्यायालय प्रति वर्ष आवर्ती व्यय के मद्दे उपलब्ध कराए जाने थे।

(ङ) जी, नहीं।

(च) से (ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

सैटेलाइट स्टेशन

796. **श्री पी. करूणाकरन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की व्यस्त केन्द्रों के उपनगरीय क्षेत्रों यथा कोच्ची में कतिपय रेलवे स्टेशनों को सैटेलाइट स्टेशनों में बदलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण रेलवे ताम्बरम और कोचुवेली स्टेशनों को सैटेलाइट टर्मिनलों के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है।

ताम्बरम स्टेशन को 26 सवारी डिब्बों लम्बाई क्षमता की 2 गर्त लाइनें, 26 सवारी डिब्बा लम्बाई क्षमता की एक स्टैबलिंग लाइन, एक शंटिंग नैक, तथा एकीकृत अनुरक्षण सुविधाओं के साथ चेन्नै शहर के लिए एक सैटेलाइट कोचिंग टर्मिनल के रूप में तैयार किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत 25.49 रु. है।

कोचुवेली स्टेशन को त्रिवेन्द्रम शहर के लिए एक सैटेलाइट कोचिंग टर्मिनल के रूप में तैयार किया जा रहा है। चरण-1 का कार्य 24 सवारी डिब्बा लम्बाई क्षमता के 1 प्लेटफार्म, 1 गर्त तथा एक स्टैबलिंग लाइन के साथ पूरा हो गया था। चरण-2 का कार्य 24 सवारी डिब्बा लम्बाई क्षमता के 2 गर्त लाइनें, 24 सवारी डिब्बा लम्बाई क्षमता के साथ 2 स्टैबलिंग लाइनें, एकीकृत सिक लाइन सुविधाएं तथा यात्री सुविधाओं के साथ परिचालन क्षेत्र शुरू किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत 23.99 करोड़ रु. है।

हेलीपैडों का निर्माण

797. **श्री वैजयंत पांडा :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बहुमंजिली इमारतों पर हैलीपैडों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन हेलीपैडों का उपयोग वाणिज्यिक कार्यकलापों अथवा सुरक्षा से भिन्न प्रयोजनों के लिए भी किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे हेलीपैडों की स्थापना के बारे में प्राप्त प्रस्तावों को सरकार की नीति के अनुसार क्लियर किया जाता है। आज की स्थिति के अनुसार, मैसर्स ताज वेलिंगटन म्यूज, मुम्बई तथा मैसर्स एस्सार ग्रुप, महालक्ष्मी, मुम्बई के रूफ टॉप हेलीपैड के निर्माण संबंधी प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है।

(ग) और (घ) हेलीपैडों का इस्तेमाल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है जिनके लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। मैसर्स ताज वेलिंगटन म्यूज तथा मैसर्स एस्सार ग्रुप के हेलीपैडों को केवल 'निजी उपयोग' के लिए 'निजी श्रेणी' के तहत ही मंजूरी दी गई है।

[हिन्दी]

पुराने रेल कोच

798. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने रेल कोचों का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कोचों के उन्नयन के लिए रेलवे द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) सवारी डिब्बों का अनुरक्षण और रख-रखाव एक सतत आवश्यकता है तथा इसे ओपन लाइन डिपुओं में निर्धारित अनुरक्षण अनुसूची के दौरान तथा क्षेत्रीय रेलों में कारखानों में आवधिक ओवरहाल के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, सवारी डिब्बों की हालत को बहाल करने के लिए 12-15 वर्ष के उपयोग के बाद 'मध्य काल' पुनर्स्थापन भी किया जाता है।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

799. **श्री अशोक कुमार रावत :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में रेलवे स्टेशनों विशेषकर देश के पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए जोन-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इन परियोजनाओं पर अब तक हुए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण कार्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है जहां अभी कार्य चल रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण योजना शीर्ष-यात्री सुविधाएं के अंतर्गत किया जाता है। योजना शीर्ष-यात्री सुविधाएं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान निधियों का आबंटन और किए गए खर्च तथा चालू वर्ष अर्थात् 2009-10 के लिए प्रस्तावित आबंटन का जोनवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) रेलवे स्टेशनों पर आधुनिकीकरण से संबंधित कार्य, जहां प्रगति पर है, को मार्च, 2010 तक पूरा करने की योजना है।

विवरण

योजना शीर्ष-यात्री सुविधाएं के अंतर्गत अंतिम आबंटन तथा खर्च

वर्ष	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10
रेलवे	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च (लगभग)	प्रस्तावित आबंटन
मध्य रेलवे	327529	346300	496885	510900	533400	683900	527876
पूर्व रेलवे	446048	379400	607950	600800	588800	682500	2558445
उत्तर रेलवे	375437	407700	766438	693300	790900	1033200	1776025
पूर्वोत्तर रेलवे	222606	233000	130670	2655500	151500	199800	257805
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	322173	338300	519758	478000	333600	309100	666508
दक्षिण रेलवे	351808	444600	503898	761000	796700	873900	753640
दक्षिण-मध्य रेलवे	347425	398800	939795	1167800	1479500	1707800	1185333
दक्षिण-पूर्व रेलवे	104395	99300	149700	136000	192300	212300	263561
पश्चिम रेलवे	284854	287700	554952	434400	626500	754900	567482
पूर्व मध्य रेलवे	331549	223500	305376	275300	315600	227900	376335
पूर्व तट रेलवे	134395	114300	245721	194200	235400	287200	199357
उत्तर मध्य रेलवे	130873	80400	228493	183400	279700	264200	424763
उत्तर पश्चिम रेलवे	172281	213300	286879	231800	265800	218400	275414
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	193644	169800	200653	157200	150500	119500	363206
दक्षिण पश्चिम रेलवे	124016	192300	249594	406200	309000	426000	304866
पश्चिम मध्य रेलवे	129500	140500	121733	169200	225900	209100	295962
मैट्रो रेलवे	12500	9900	29121	19900	39600	21200	138422
जोड़	4011033	4079100	6337616	6684900	7314700	8230900	11025000

[अनुवाद]

कोंकण रेलवे तथा केरल के लिए रेलवे जोनों का विलय

800. **श्री के.सी. वेणुगोपाल:**
श्री एम.के. राघवन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई सहमति अथवा शर्त है कि कोंकण रेलवे की स्थापना के दस वर्ष बाद इसका विलय भारतीय रेल के साथ कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कोंकण रेलवे की किस रेलवे जोन के साथ सम्बद्ध किया जाएगा;

(ग) क्या रेलवे को केरल होकर चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए एक पृथक रेलवे जोन के सृजन के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नए अथवा पृथक रेलवे मंडल/जोन के सृजन के लिए कोई मानदंड/दिशानिर्देश विद्यमान हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) सरकार ने 04.12.2008 को निर्णय लिया है कि कोंकण रेलवे अपनी दायित्व समाप्त करने के बाद भी केन्द्रीय सार्वजनिक केन्द्र के उपक्रम के रूप में कार्य करता रहेगा। अब भविष्य में निगम का भारतीय रेल के साथ विलय नहीं होगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने हेतु विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव की जांच की गई है तथा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदंडों के आलोक में रेल सुधार समिति तथा सलाहकारों की समिति ने इसे व्यावहारिक नहीं पाया है।

(ङ) जी, हां।

(च) आकार कार्यभार, सुगम्यता, यातायात का स्वरूप तथा अन्य परिचालनिक प्रशासनिक आवश्यकताएं आदि जैसे कारकों के दृष्टिगत क्षेत्रीय पहलुओं पर ध्यान न देते हुए अर्थव्यवस्था तथा कार्यक्षमता के अनुरूप नए जोनों/नए मंडलों का गठन किया जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण एककों को प्रोत्साहन

801. **श्री आनंदराव अडसुल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बैंक द्वारा ऋण दिए जाने की समस्याओं को उबरने के लिए एक पृथक शीर्ष का सृजन करने तथा इस क्षेत्र का उपयोग ग्रामीण आय में वृद्धि करने एवं किसानों की आय को अधिकतम करने हेतु एक साधन के रूप में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पृथक शीर्ष के सृजन से मूल्य संवर्धन स्तर में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का बैंक द्वारा ऋण दिए जाने की समस्याओं आदि से उबरने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए पृथक शीर्ष सृजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है: (i) प्रमुख घटकों अर्थात मेगा फूड पार्क, शीत श्रृंखला, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण और मूल्यवर्धित केंद्रों वाली बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी स्कीम (iii) गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान एवं विकास संबंधी स्कीम (iv) मानव संसाधन विकस संबंधी स्कीम (v) संस्थानों को सुदृढ़ करने संबंधी स्कीम; और (vi) सड़क गली किनारे बिकने वाले खाद्य की गुणता के उन्नयन संबंधी स्कीम।

खाद्य प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु सरकार ने मेगा खाद्य पार्क से संबंधित एक स्कीम अनुमोदित की है जिसमें सरकार ने मेगा खाद्य पार्क, शीत श्रृंखला, मूल्यवर्धन केंद्र और बूचड़खानों के आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम अनुमोदित की है जिसमें बुनियादी ढांचा संबंधी स्कीम में अधुनातम प्रसंस्करण सुविधाओं को शामिल करते हुए सुपरिभाषित कृषि/बागवानी प्रसंस्करण अंचल की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक मंच पर लाने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना और कृषि

उत्पादन को बाजार से जोड़ना है ताकि अधिकतम मूल्यवर्धन, न्यूनतम अपव्यय और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित हो सके। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य मूल स्तर पर प्रसंस्करण और अपेक्षत फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज द्वारा समर्थित एक समेकित मूल्यश्रृंखला की स्थापना को सुकर बनाना है।

11वीं योजना के दौरान अन्य रणनीतिक पहल में नियंत्रित वातावरण/संशोधन वातावरण शीतागारों, मूल्यवर्धित केंद्रों, पैकेजिंग केंद्रों तथा प्रदीपन सुविधाओं समेत समेकित शीतश्रृंखला और परिरक्षण बुनियादी ढांचा संबंधी स्कीम शामिल है। इस स्कीम के लाभ मूल्यवर्धन/प्रसंस्करण/बागवानी-परिरक्षण, डेरी, समुद्री और मांस क्षेत्र की समेकित परियोजनाओं को भी उपलब्ध होंगे।

बूचड़खानों का आधुनिकीकरण वह स्कीम है जिसका लक्ष्य मांस प्रसंस्करण उद्योग को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। इसका लक्ष्य बूचड़खानों की गुणात्मक और मात्रात्मक क्षमताओं का उन्नयन करना है जो स्वदेशी उपभोग और निर्यात दोनों के लिए मांस के वाणिज्यिक प्रसंस्करण के साथ लिंग होगी। इस स्कीम के तहत सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत के 50% और दुर्गम क्षेत्रों में 75% और प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 15.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता, सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जा रही है। मंत्रालय ने देश में 127.00 करोड़ रुपये की कुल लागत से 10 बूचड़खानों की स्थापना के लिए "सिद्धांतत:" अनुमोदन दे दिया है। 7.94 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

अन्य बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन है जिससे स्वदेशी उद्योग, निर्यातकों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमियों, वर्तमान शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, खाद्य मानक निर्धारक निकायों समेत सभी पणधारियों को लाभ पहुंचाएगी।

इसके अलावा, मंत्रालय ने पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए अन्य अनेक स्कीमें हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम का उद्देश्य नई प्रसंस्करण क्षमताओं का सृजन, विद्यमान प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन तथा दूध, फल और सब्जियां, मांस, पॉल्ट्री, मात्स्यिकी, अनाज, उपभोक्ता वस्तुएं, तिलहन, चावल मिलिंग, आटा मिलिंग, दाल आदि को शामिल करते हुए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है।

इसी प्रकार गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी स्कीम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रेरित करना है कि वे आईएसओ-14000, आईएसओ-22000, एचएसीसीपी, जीएमपी, जीएचपी समेत संपूर्ण गुणता प्रबंधन जैसे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को अपनाएं और उन्हें इस तरह तैयार करना है कि वे डब्ल्यूटीओ के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैश्विक प्रतियोगिता का सामना कर सकें। स्कीम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य के अंतिम उत्पाद परिणाम/निष्कर्ष खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उत्पाद और प्रसंस्करण विकास, सुधरी हुई पैकेजिंग की शर्तों के अनुरूप खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाभ मिल सके जिससे वाणिज्यिक मूल्य समेत नवोत्पाद उत्पाद और प्रसंस्करण हो सके।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम खाद्य प्रसंस्करण में गुणता प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकीविदों, प्रबंधकों, उद्यमियों और जनशक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इस स्कीम का उद्देश्य स्थानीय रूप से पैदा होने वाली कच्ची सामग्री का उपयोग करते हुए इन उत्पादन व प्रशिक्षण केंद्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए ग्रामीण उद्यमशीलता का विकास और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तथा व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराना है।

संस्थानों को सुदृढ़ करने संबंधी स्कीम का उद्देश्य भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे वर्तमान संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान की स्थापना करना है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान का उद्देश्य स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय निकायों दोनों विद्यमान संस्थानों के बीच सहयोग और नेटवर्किंग का संवर्धन करना, स्वदेशी संसाधनों पर संपूर्ण आंकड़ा आधार तैयार करना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रक्रियाओं को अपनाना है। उपरिलिखित संस्थानों के अतिरिक्त मंत्रालय के अधीन इस स्कीम के तहत दो बोर्ड स्थापित किए गए हैं अर्थात भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड और भारतीय मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड।

उपर्युक्त उल्लिखित स्कीमों के अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कतिपय राजकोषीय प्रोत्साहन दिए गए हैं इनमें से कुछ ये हैं – फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों को आयकर के भुगतान से छूट, पैक किए हुए खाने के लिए तैयार खाद्य और इन्स्टेंट फूड मिक्सेज के लिए उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100% विदेशी इक्विटी का स्वत: अनुमोदन।

राजस्थान में सीएनजी बिक्री केन्द्रों की स्थापना

802. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राजस्थान सहित सीएनजी फिलिंग स्टेशनों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान सहित प्रत्येक राज्य में कुल कितने नए सीएनजी स्टेशन स्थापित किए गए;

(ग) क्या वाहनों की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए सीएनजी स्टेशन पर्याप्त होंगे, और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 1.4.2009 की स्थिति के अनुसार, देश में राज्यवार सीएनजी फिलिंग स्टेशनों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 2009-10 में गेल (इंडिया) लिमिटेड के संयुक्त उद्यमों द्वारा स्थापना के लिए प्रस्तावित नए सीएनजी स्टेशनों की कुल संख्या भी संलग्न विवरण में वर्णित है। वर्तमान में, राजस्थान के किसी भी शहर में शहरी गैस वितरण आरंभ नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) देश भर में शहर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने के लिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006" अधिनियमित किया है। राजस्थान के संबंध में पीएनजीआरबी ने कोटा में शहर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजना की स्थापना के लिए कंपनी के चयन को अंतिम रूप दे दिया है। जोधपुर और उदयपुर के लिए पीएनजीआरबी को रुचि की अभिव्यक्तियां (ईओआईज) प्रस्तुत की गई हैं।

राजस्थान को ट्रंक पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के संबंध में, गेल में जनवरी, 2007 में विजयपुर-कोटा पाइपलाइन चालू कर दी है। गेल को चैंसा-गुड़गांव-झज्झर-हिसार पाइपलाइन जोकि राजस्थान में अलवर के पास से गुजरती है के लिए भी प्राधिकार जारी किया जा चुका है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	सीएनजी स्टेशनों की संख्या (1.4.2009 की स्थिति के अनुसार)	गेल के जेवीज द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए प्रस्तावित सीएनजी स्टेशन
1	2	3	4
1.	गुजरात	107	1
2.	दिल्ली	181	30
3.	महाराष्ट्र	143	25
4.	आंध्र प्रदेश	10	0
5.	उत्तर प्रदेश	15	13
6.	त्रिपुरा	1	4
7.	मध्य प्रदेश	5	14
	अखिल भारत	462	87

महुवा-सूरत इंटरसिटी रेलगाड़ी

803. श्री नारनभाई कछाड़िया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को महुवा-सूरत रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसे वर्तमान में सप्ताह में एक दिन चलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां, 9025/9026 महुवा-सूरत एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन) की बारम्बारता में वृद्धि करने के लिए संसद सदस्य सहित विभिन्न विभागों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

कम्पनियों के लेखों का निरीक्षण

804. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री मधु गौड़ यास्खी :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ वर्गों से शिकायतें मिलने के बाद कुछ कम्पनियों के लेखों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो कथित अनियमितताओं के लिए जिन कम्पनियों का निरीक्षण किया है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार कम्पनी

अधिनियम, 1956 के उपबंधों के गैर-अनुपालन या उल्लंघन या से संबंधित शिकायत या अन्य सूचना या अन्य अनियमितताओं के आधार पर चयनित कम्पनियों की लेखाबहियों के निरीक्षण के आदेश कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत देती है।

(ख) दिनांक 01.04.2006 से 31.03.2009 तक 149 कम्पनियों की उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर निरीक्षण किया गया। इन कम्पनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर किसी कम्पनी के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 के गैर-अनुपालन/उल्लंघन पाए जाने के मामले में कानून के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाती है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2006-07

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1	2
1.	मनाली पेट्रोकैमिकल्स लि.
2.	तमिलनाडु विश्वकर्मा म्युचुअल बेनीफिट फंड लि.
3.	सैग आर आर इन्फ्रा लि.
4.	यशस्वी लि.
5.	मैगासिटी (बैंगलोर) डेवलोपर्स एंड बिल्डर्स लि.
6.	जे.आर. फूड्स लि.
7.	इमैक्स इंजीनियरिंग कं. लि.
8.	गोल्डेन कारपेट्स लि.
9.	अर्चना साफ्टवेयर लि.
10.	नार्थ मद्रास बेनीफिट एंड लि.
11.	नूचेम लि.
12.	आर्या होटल्स लि.
13.	बसुन्धरा मेरीन प्रोडक्ट्स लि.
14.	के.डी.टी. होटल्स एंड रिजोर्ट्स लि.
15.	प्रेटो लेदर इंडिया लि.
16.	प्रतिमा मिल्क एंड फूड एग्रो लि.
17.	लक्ष्मी शुगर ऑयल मिल्स लि.
18.	के.डी.टी. एग्रो इंडस्ट्रीज लि.
19.	गोविन्द नगर शुगर मिल्स लि.
20.	बेनकिसर (इंडिया) लि.
21.	कान्ट्रैक्ट (इंडिया) लि.
22.	मोटर फाइनेंस लि.
23.	कमर्शियल ऑटोमोबाइल्स लि.
24.	मोटर्स प्रा.लि.
25.	कमर्शियल इंजनियरिंग एंड बॉडी बिल्डर्स प्रा.लि.
26.	शिवालिक ग्लोबल लि.
27.	दोषी एजेंट्स प्रा.लि.
28.	सेठ मेहता एंड कंपनी प्रा.लि.
29.	एमएनआर एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.
30.	ओसीएल इंडिया लि.
31.	बेनलक्स होटल्स इंडिया प्रा.लि.
32.	ग्वालियर पोंलीपाइप्स लि.
वित्तीय वर्ष 2007-08	
33.	कलाभवन स्टूडियोज लि.
34.	सेन्ट्रल ट्रावनकोर स्पेशलिस्ट्स हॉस्पिटल्स लि.
35.	एसडीएफ इंडस्ट्रीज लि.
36.	फस्ट कोमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
37.	सोमातीरम आयुर्वेदिक बीच रिजोर्ट्स लि.
38.	कुमार म्युचुअल फंड लि.
39.	एसडब्ल्यूपी मद्रास लि.
40.	इग्गी रिजोर्ट्स इंटरनेशनल लि.
41.	ओरियन्टल होटल्स लि.

1	2
42.	मैक्सवर्थ कंट्री (आई) लि.
43.	लीडर सॉफ्टवेयर प्रा.लि.
44.	वेस्ट कॉस्ट पेपर मिल्स लि.
45.	सूजन यूनीवर्सल इंडस्ट्रीज लि.
46.	मॉडल फाइनेंस कारपोरेशन लि.
47.	पालमोर एग्रो कॉमप्लेक्स लि.
48.	सीडीआर हेल्थकेयर लि.
49.	फोर्थ जनरेशन सिस्टम्स लि.
50.	टेरी गोल्ड (इंडिया) लि.
51.	लिफिंग इंडिया लि.
52.	सूर्यज्योति स्पीनिंग मिल्स लि.
53.	स्फायर ग्लोबल मेडीकेयर लि.
54.	ईमेड. कॉम. टेक्नोलॉजीस लि.
55.	कन्ट्री क्लब (इंडिया) लि.
56.	अमित ऑयल्स लि.
57.	अमित वेजीटेबल्स ऑयल्स लि.
58.	वर्लपूल इंडिया लि.
59.	केशव फूड्स लि.
60.	अमृत एग्रो इंडस्ट्रीज लि.
61.	बंकरपूर डिस्टीलेरीज लि.
62.	स्रिष्टि इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेंट कारपोरेश लि.
63.	केएमजी मिल्क फूड लि.
64.	लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स लि.
65.	शकून इंटरप्राइसेस प्रा.लि.
66.	क्रास ट्रेडिंग प्रा.लि.
67.	निकेतन ट्रेडर्स प्रा.लि.
68.	पिटूनियां फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि.
69.	बजाज हिन्दुस्तान लि.
70.	फेनिल शुगर्स प्रा.लि.
71.	जेटा इन्वेस्टमेंटस प्रा.लि.
72.	पीआर शिवा फाइनेंस प्रा.लि.
73.	यू.जी. होटल्स एंड रिजोर्ट्स लि.
74.	डीसीएम सर्विसेज लि.
75.	विस्टार फाइनेंसियर्स प्रा.लि.
76.	जग्दीश्वर फार्मास्युटिकल वर्क्स लि.
77.	यूनीवर्सल पेपर मिल्स लि.
78.	मन्ना ग्लास-टेक. इन्डस्ट्रीज लि.
79.	लेन एसेडा स्टील लि.
	वित्तीय वर्ष 2008-09
80.	इटीना प्रोपर्टीज प्रा.लि.
81.	आईगेट ग्लोबल साल्यूशन्स लि.
82.	सूफला प्लानटेशन (इंडिया) प्रा.लि.
83.	गुरूविजन प्राइवेट लि.
84.	स्टाइलस पोलिस्टोर प्राइवेट लि.
85.	अप्पूज ट्रेवल एंड टूरिजम प्रा.लि.
86.	किरण कृष्णा एग्रो टेक लि.
87.	मुकुन्दा डेयरी प्राइवेट लि.
88.	किरण कृष्णा रियल स्टेट एंड कंन्सट्रकसन्स लि.
89.	जीपीआर हाउसिंग प्राइवेट लि.
90.	स्टरलिंग ट्री मैग्नम (इंडिया) लि.
91.	दिव्याम्बिका एसोशिएट चिट्स एंड फाइनेंस प्रा.लि.
92.	श्री अम्बिका हाउसिंग सिन्डीकेट (इंडिया) लि.
93.	नवरत्न बिजनेस डेवलपर्स प्रा.लि.
94.	सदर्न विंड फार्म्स लि.

1	2
95.	लाइफ बिजनेस प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.
96.	मिडल ईस्ट एस्टेट बिल्डर प्रा.लि.
97.	जेएम एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लि.
98.	त्रिवेनी इन्फ्रासट्रक्सर्च डेलवपमेंट कं.लि.
99.	डॉलफिन इंटरनेशनल लि.
100.	हीरा रियलटर्स प्रा.लि.
101.	लूमेन कंट्रोल (इंडिया) प्रा.लि.
102.	सीएमआई लि.
103.	रोलाटेनर्स लि.
104.	आइशर मोर्टस लि.
105.	वीएन इन्फ्रास्ट्रक्सर्च लि.
106.	भूषण स्टील लि.
107.	अंशल बिल्डवेल लि.
108.	डीएलएफ लि.
109.	एम टेक डेवलपर्स लि.
110.	पेंग्विन बुक्स इंडिया प्रा.लि.
111.	विघ्नेश्वरा डेवलपर्स लि.
112.	कृष्णा कॉन्टीनेंटल लि.
113.	सरस्वती इन्डस्ट्रियल सिन्डीकेट लि.
114.	वेहलर क्लव लि.
115.	वेश फ्लोर एंड गिनिंग मिल्स कं.लि.
116.	स्टरडी इंडस्ट्रीज लि.
117.	तिरूपति एल्यूमीनियम लि.
118.	जेम्स होटल्स लि.
119.	प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स लि.
120.	रोडको (इंडिया) प्रा.लि.
121.	रौनक फाइनेंस लि.
122.	पीआर इंडस्ट्रीज लि.
123.	इंडस्ट्रियल प्रोगेसिव इंडिया लि.
124.	आरके मारबल प्रा.लि.
125.	बैद लीजिंग एंड फाइनेंस कं.लि.
126.	क्रास कंट्री होटल्स लि.
127.	विन्सम ब्रीविरीज लि.
128.	इनानी मारबल्स एंड इंडस्ट्रीज लि.
129.	एडूकाम्प सोल्यूशन्स लि.
130.	पॉजिटिव टेलीविजन प्रा.लि.
131.	मयूरथ फिल्मस प्रा.लि.
132.	पॉजिटिव रेडिया प्रा.लि.
133.	एनई टेलीविजन नेटवर्क्स प्रा.लि.
134.	नार्थ ईस्ट मल्टीमीडिया प्रा.लि.
135.	एम-3 मीडिया प्रा.लि.
136.	ज्वाय आपर्टमेंट्स प्रा.लि.
137.	बजाज हिन्दुस्तान लि.
138.	एस्सार स्टील लि.
139.	मधु रिफॉयल्स एंड कैमिकल्स लि.
140.	डॉयनोवोक्स इंडस्ट्रीज लि.
141.	तेनवाला कैमिकल्स एंड प्लास्टिक्स (इंडिया) लि.
142.	गोदरेज इंडस्ट्रीज लि.
143.	तपसूर्या स्टील्स लि.
144.	वाइटल फूड्स लि.
145.	वर्लपूल ऑफ इंडिया लि.
146.	नाथ सीड्स लि.
147.	सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लि.
148.	डेट्रायल इंडस्ट्रीजल लि.
149.	चोकसी ट्यूब लि.

[हिन्दी]

राजस्थान में रेल परियोजनाएं

805. श्री लालचन्द कटारिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के लिए स्वीकृत रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की गई है लेकिन उनका कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है तथा उक्त प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस संबंध में हुए विलंब के क्या कारण है और इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में स्वीकृत रेल परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	स्वीकृत वर्ष	परियोजना का नाम	2008-09 के लिए परिव्यय (करोड़ रु. में)	स्थिति
1.	2006-07	दौसा-बांदीकुई (29.04 कि.मी.) दोहरीकरण	30	मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी, गिट्टी आपूर्ति संबंधी कार्य प्रगति पर है। समग्र वास्तविक प्रगति 30% है।
2.	2007-08	अलवर-हरसौली (34.86 कि.मी.) दोहरीकरण	40	मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी, गिट्टी आपूर्ति तथा ब्लैंकटिंग संबंधी कार्य प्रगति पर है। समग्र वास्तविक प्रगति 25% है।
3.	2007-08	हरसौली-रेवाडी (39.33 कि.मी.) दोहरीकरण	20	मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी, गिट्टी आपूर्ति तथा ब्लैंकटिंग संबंधी कार्य प्रगति पर है। समग्र वास्तविक प्रगति 15% है।
4.	2007-08	सादुलपुर-बीकानेर (292.07 कि.मी.) तथा रतनगढ़-देगाना (150.93 कि.मी.) आमान परिवर्तन	249.98	मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी, गिट्टी आपूर्ति तथा गिट्टी आपूर्ति संबंधी कार्य बीकानेर-रतनगढ़ में प्रगति पर है। समग्र वास्तविक प्रगति 52% है।
5.	2008-09	बांगुरग्राम-रास (27.80 कि.मी.) नई लाइन	1.0	अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान तैयार कर दिए गए हैं। अगली कार्रवाई शुरू की जा रही है।
6.	2008-09	हिम्मतनगर-उदयपुर (211.95 कि.मी.) आमान परिवर्तन (अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर आमान परिवर्तन का मार्ग) (240.95 कि.मी.)	0.01	अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। विस्तृत विस्तृत अनुमान तैयार कर दिए गए हैं। अगली कार्रवाई शुरू की जा रही है।
7.	2008-09	सूरतपुड़ा-हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर (240.95 कि.मी.) आमान परिवर्तन	0.01	विस्तृत अनुमान तैयार कर दिए गए हैं। अगली कार्रवाई कार्रवाई शुरू की जा रही है।
8.	2008-09	जयपुर-रिंगस-चुरू तथा सीकर-लोहारू (320.04 कि.मी.) आमान परिवर्तन	0.01	विस्तृत अनुमान तैयार कर दिए गए हैं। अगली कार्रवाई शुरू की जा रही है।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने में लगने वाले समय पर निर्भर करते हुए लागत में वृद्धि होगी।

उर्वरक इकाइयों का कार्य-निष्पादन

806. श्री के.डी. देशमुख : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान उर्वरक इकाइयों द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में उर्वरक का उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या देश में कुछ उर्वरक इकाइयों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त इकाइयों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2006-07 से 2008-09 तक) के दौरान मौजूदा इकाइयों द्वारा उत्पादित उर्वरकों की कुल मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) देश में कुछेक उर्वरक इकाइयों का निष्पादन स्तर से कम रहा है। प्रमुख उर्वरक उत्पादक इकाइयों की इकाई-वार स्थापित क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग का प्रतिशत संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

यूरिया संयंत्रों में कम उत्पादन का मुख्य कारण प्राकृतिक गैस की सीमित उपलब्धता है। उर्वरक विभाग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, गेल और प्राकृतिक गैस/एलएनजी के भावी आपूर्तिकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है ताकि उर्वरक उद्योग की गैस की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके। फॉस्फोरिक उर्वरक के मामले में, आदानों/कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों की कीमतों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आई है। कम्पनियां इन आदानों की प्राप्ति के लिए संविदा कर रही हैं। इसके अलावा, उर्वरक विभाग ने स्पिक-तूतीकोरिन को एमसीएफ-मंगलौर के साथ उत्पादन और विपणन की व्यवस्था करने की अनुमति दी है।

विवरण-I

वर्ष 2006-07 और 2008-09 के लिए इकाई/उत्पादवार वार्षिक स्थापित क्षमता और उर्वरक का उत्पादन

('000 मी.टन)

इकाई/संयंत्र का नाम	उत्पाद का नाम	संस्थापित क्षमता (1.04.2006 के अनुसार)	उत्पादन		
			2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र:					
एनएफएल नांगल-I	सीएएन	0.0	0.0	0.0	0.0
एनएफएल नांगल-II	यूरिया	478.5	481.5	478.7	514.4
एनएफएल बठिण्डा	यूरिया	511.5	511.4	511.4	537.4
एनएफएल पानीपत	यूरिया	511.5	508.7	511.6	488.5
एनएफएल विजयपुर	यूरिया	864.6	874.5	899.9	865.7
एनएफएल विजयपुर विस्तार	यूरिया	864.6	974.9	866.6	938.0
योग (एनएफएल):		3230.7	3351.0	3268.2	3344.0

1	2	3	4	5	6
बीवीएफसीएल नामरूप-II	यूरिया	240.0	60.5	77.5	60.6
बीवीएफसीएल नामरूप-III	यूरिया	315.0	246.9	251.7	128.5
योग (बीवीएफसीएल)		555.0	307.4	329.2	189.1
फैक्ट उद्योगमंडल	ए/एस	225.0	183.5	30.5	128.8
	20:20	148.5	141.7	90.8	115.8
फैक्ट कोचीन-II	20:20	485.0	574.2	334.3	489.5
योग (फैक्ट)		858.5	899.4	455.6	734.1
आरसीएफ ट्राम्बे	15:15:15	300.0	482.9	468.4	471.0
	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0
आरसीएफ : ट्राम्बे-IV	20.8:20.8	361.0	35.3	0.0	0.0
आरसीएफ : ट्राम्बे-V	यूरिया	330.0	0.0	0.0	0.0
आरसीएफ : थाल	यूरिया	1706.8	1861.0	1832.3	1903.4
योग (आरसीएफ):		2697.8	2379.2	2300.7	2374.4
एमएफएल : चेन्नई	यूरिया	486.8	473.3	440.5	405.9
	17:17:17	840.0	57.1	35.1	0.0
	19:19:19	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	0.0	0.0	0.0	0.0
	डीएपी	0.0	0.0	0.0	0.0
योग (एमएफएल):		1326.8	530.4	475.6	405.9
सेल राउरकेला	सीएएन	480.0	0.0	0.0	0.0
उप उत्पाद	ए/एस	182.9	90.0	90.0	90.0
एचसीएल : खेत्री	एसएसपी	188.0			0.0
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	80.0	0.0	0.0	0.0
कुल सार्वजनिक क्षेत्र:		9599.7	7557.4	6919.3	7137.5

1	2	3	4	5	6
सहकारी क्षेत्र:					
इफको: कांडला	10:26:26	515.4	572.0	841.2	1041.1
	12:32:16	700.0	1100.3	691.4	538.0
	डीएपी	1200.0	804.4	438.5	214.7
योग (इफको/कांडला)		2415.4	2476.7	1971.1	1793.8
इफको कलोल	यूरिया	544.5	559.9	544.5	559.9
इफको फूलपुर	यूरिया	551.1	573.8	629.9	662.5
इफको फूलपुर-विस्तार	यूरिया	864.6	882.8	924.3	840.6
इफको आंवला	यूरिया	864.6	885.3	875.7	986.9
इफको आंवला-विस्तार	यूरिया	864.6	880.5	989.3	1018.3
योग (इफको)		6104.8	6259.0	5934.8	5862.0
इफको : पारादीप	डीएपी	1500.0	418.2	593.3	436.5
	20:20	100.0	332.2	272.2	869.5
	10:26:26	160.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	160.0	0.0	0.0	0.0
योग (इफको पारादीप):		1920.0	750.4	865.5	1306.0
कृभको : हजीरा	यूरिया	1729.2	1714.5	1739.7	1743.1
योग सहकारी क्षेत्र		9754.0	8723.9	8540.0	8911.1
निजी क्षेत्र:					
जीएसएफसी : वडोदरा	यूरिया	370.6	253.6	240.8	236.4
	ए/एस	228.0	290.7	256.3	181.0
	डीएपी	165.0	14.2	87.8	43.5
	20:20	0.0	242.9	120.2	197.3
योग (जीएसएफसी):		763.6	801.4	705.1	658.2

1	2	3	4	5	6
सीएफएल : विजाग	28:28	200.0	363.2	391.1	207.1
	14:35:14	200.0	173.8	0.0	67.2
	डीएपी	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	200.0	445.4	208.2	434.0
	16:20	0.0	0.0	0.0	0.0
	10:26:26	0.0	23.6	98.7	31.4
कुल (सीएफएल)		600.0	1006.0	698.0	739.7
एसएफसी : कोटा	यूरिया	379.0	361.1	380.9	395.5
डीआईएल : कानपुर	यूरिया	722.0	0,0	0,0	0.0
जैडआईएल : गोवा	यूरिया	399.3	402.5	395.5	412.4
	19:19:19	240.0	305.7	250.1	32.1
	28:28	0.0	0.0	0.0	0.0
	डीएपी	330.0	198.2	212.1	205.0
	10:26:26	0.0	215.3	179.1	270.1
	14:35:14	0.0	0.0	0.0	0.0
	17:17:17	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	0.0	0.0	0.0	3.3
	12:32:16	0.0	16.8	48.4	67.7
योग (जैडआईएल)		969.3	1138.5	1085.2	990.6
स्पिक : तूतीकोरिन	यूरिया	620.0	645.5	0.0	0.0
	डीएपी	475.0	286.5	71.4	0.0
	17:17:17	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	0.0	38.3	1.0	0.0
योग (स्पिक)		1095.0	970.3	72.4	0.0

1	2	3	4	5	6
एमसीएफ : मंगलौर	यूरिया	380.0	370.1	379.6	379.3
	डीएपी	180.0	203.9	211.5	158.3
	20:20	0.0	52.9	33.7	74.3
	16:20	0.0	0.0	0.0	0.0
		560.0	626.9	624.8	611.9
	16:20	170.0	183.8	148.7	158.4
योग (एमसीएफ):		70.0	110.8	38.4	0.0
कुल (सीएफएल):	सीएफएल : एन्नौर	240.0	294.6	187.1	158.4
जीएनएफसी : भरूच	यूरिया	636.0	626.2	670.4	592.3
	सीएएल	142.5	144.0	134.8	138.5
	23:23	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	142.5	198.9	193.1	134.0
योग (जीएनएफसी):		921.0	969.1	998.3	864.8
टीएसी : तूतीकोरिन	ए/सी	64.0	64.8	0.0	0.0
टीसीएल : हल्दिया	डीएपी	675.0	452.0	237.6	147.8
	28:28	0.0	4.9	0.0	0.0
	14:35:14	0.0	47.5	35.6	0.0
	12:32:16	0.0	244.7	120.4	104.9
	10:26:26	0.0	357.3	234.3	308.5
	एसएसपी	165.0	181.6	95.5	127.8
	15:15:15	0.0	0.0	0.0	0.0
योग (टीसीएल) :		84.00	1288.0	723.4	689.0
पीएनएफ : नांगल	ए/सी	64.0	0.0	0.0	0.0
जीएसएफसी : सिक्का-I	डीएपी	588.0	425.5	396.1	233.4

1	2	3	4	5	6
	12:32:16	0.0	82.5	28.3	49.9
	10:26:26	0.0	0.0	16.4	0.0
योग (जीएसएफसी/सिक्का-I)		588.0	508.0	440.8	283.3
जीएफसीएल: सिक्का-II	डीएपी	396.0	419.9	384.7	397.1
	12:32:16	0.0	0.0	0.0	0.0
योग (सिक्का-I और II)		984.0	927.9	825.5	680.4
जीएफसीएल : काकीनाडा	डीएपी	670.0	616.1	567.8	518.2
	14:35:14	0.0	180.7	25.4	102.1
	20:20	0.0	21.4	0.0	48.9
	17:17:17	0.0	0.0	0.0	0.0
	10:26:26	0.0	194.2	420.5	399.4
	12:32:16	0.0	75.4	50.6	23.0
योग (जीएफसीएल):		670.0	1087.8	1064.3	1091.6
आईजीसीएल : जगदीशपुर	यूरिया	864.6	1028.0	880.3	1068.6
हिन्द इण्ड. लि. दाहेज	डीएपी	400.0	190.9	131.2	168.6
	20:20	0.0	6.2	0.0	0.0
	10:26:26	0.0	4.2	10.1	0.0
	12:32:16	0.0	17.8	8.1	0.0
योग (दाहेज)		400.0	219.1	149.4	168.6
डीएफपीसीएल : तलोजा	23:23	230.0	62.4	51.5	57.9
एनफसीएल : काकीनाडा-I	यूरिया	597.3	726.7	757.2	768.9
एनएफसीएल : काकीनाडा-II	यूरिया	597.3	597.2	597.2	609.1
योग (एनएफसीएल):		1194.6	1323.9	1354.4	1378.0

1	2	3	4	5	6
सीएफसीएल : गडेपान-I	यूरिया	864.6	973.6	1004.4	909.8
सीएफसीएल : गडेपान-II	यूरिया	864.6	952.0	995.6	1008.3
योग (सीएफसीएल):		1729.2	1925.6	2000.0	1918.1
टीसीएल : बबराला	यूरिया	864.6	1010.7	1069.8	1023.8
केएसएफएल : शाहजहांपुर	यूरिया	864.6	872.1	913.2	864.2
पीपीएल : पारादीप	डीएपी	720.0	822.3	879.9	470.2
	20:20	0.0	328.8	188.5	176.0
	14:35:14	0.0	0.0	0.0	0.0
	28:28	0.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	0.0	59.5	42.6	98.5
	10:26:26	0.0	109.9	168.3	277.5
	16.20	0.0	0.0	4.8	0.0
योग (पीपीएल):		720.0	1320.5	1284.1	1022.2
उप-उत्पाद	ए/एस	35.7	14.8	18.0	18.0
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	6441.2	2625.0	2700.0	2700.0
योग निजी क्षेत्र		22216.4	19938.5	17785.7	17099.5
योग (सार्वजनिक + सहकारी + निजी):		41570.1	36219.8	33245.0	33148.1

2006-07 से 2008-09 तक उर्वरकों के उत्पादन का उत्पादनवार सार

('000 मी.टन)

उत्पाद का नाम	संस्थापित क्षमता (1.04.2006 के अनुसार)	उत्पादन		
		2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
यूरिया	20752.4	20308.8	19858.5	19922.3
ए/एस	671.6	579.0	394.8	417.8
सीएएन	622.5	144.0	134.8	138.5

1	2	3	4	5
ए/सी	128.0	64.8	0.0	0.0
डीएपी	7299.0	4852.1	4211.9	2993.3
एसएसपी	6874.2	2806.6	2795.5	2827.8
20:20	1146.0	2493.7	1480.4	2542.6
15:15:15	300.0	482.9	468.4	471.0
एएनपी (20.8:20.8)	361.0	35.3	0.0	0.0
17:17:17	840.0	57.1	35.1	0.0
10:26:26	675.4	1476.5	1968.6	2328.0
12:32:16	860.0	1597.0	989.8	882.0
14:35:14	200.0	402.0	61.0	169.3
19:19:19	240.0	305.7	250.1	32.1
28:28	200.0	368.1	391.1	207.1
16:20	170.0	183.8	153.5	158.4
23:23	230.0	62.4	51.5	57.9
योग	41570.1	36219.8	33245.0	33148.1
मिश्रित उर्वरक:	5222.4	7464.5	5849.5	6848.4

2006-07 से 2008-09 तक उर्वरकों का क्षेत्रवार उत्पादन

('000 मी.टन)

क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (1.04.2006 के अनुसार मात्रा	उत्पादन		
		2006-07 मात्रा	2007-08 मात्रा	2008-09 मात्रा
सार्वजनिक	9599.7	7557.4	6919.3	7137.5
सहकारी	9754.0	8723.9	8540.0	8911.1
निजी	22216.4	19938.5	17785.7	17099.5
योग :	41570.1	36219.8	33245.0	33148.1

विवरण-II

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए इकाई-वार स्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग

नाइट्रोजन

कंपनी/संयंत्र का नाम	उत्पादों का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता (1.04.06 तक) ('000 मी.टन)	उत्पाद ('000 मी.टन)		प्रतिशत क्षमता उपयोग	
			2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र:						
एनएफएल नांगल-II	यूरिया	220.1	220.2	236.6	100.0	107.5
एनएफएल नठिण्डा	यूरिया	235.3	235.2	247.2	100.0	105.1
एनएफएल पानीपत	यूरिया	235.3	235.3	224.7	100.0	95.5
एनएफएल विजयपुर	यूरिया	397.7	414.0	398.2	104.1	100.1
एनएफएल विजयपुर विस्तार	यूरिया	397.7	398.6	431.5	100.2	108.5
योग (एनएफएल):		1486.1	1503.3	1538.2	101.2	103.5
बीवीएफसीएल: नामरूप-II	यूरिया	110.4	35.7	27.9	32.3	25.3
बीवीएफसीएल नामरूप-III	यूरिया	144.9	115.8	59.1	79.9	40.8
योग (बीवीएफसीएल)		255.3	151.5	87.0	59.3	34.1
फैक्ट उद्योगमंडल	ए/एस 20:20	77.0	24.6	50.2	31.9	65.2
फैक्ट कोचीन-II	20:20	97.0	66.9	97.9	69.0	100.9
योग (फैक्ट)		174.0	91.5	148.1	52.6	85.1
आरसीएफ: ट्रॉम्बे	15:15:15	45.0	70.3	70.7	156.2	157.1
आरसीएफ: ट्रॉम्बे-IV	20.8:20.8	75.1	0.0	0.0	0.0	0.0
आरसीएफ: ट्रॉम्बे-V	यूरिया	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0
आरसीएफ: थाल	यूरिया	785.1	842.9	875.6	107.4	111.5
योग (आरसीएफ):		1057.0	913.2	946.3	86.4	89.5
एमएफएल: चेन्नई	यूरिया/17:17:17	366.7	208.6	186.7	56.9	50.9

1	2	3	4	5	6	7
सेल: राउरकेला	सीएएन	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0
उप-उत्पाद	ए/एस	38.4	18.9	18.9	49.2	49.2
योग (सार्वजनिक)		3497.5	2887.0	2925.2	82.5	83.6
सहकारी क्षेत्र						
इफको: कांडला	10:26:26/ 12:32:16/डीएपी	351.5	246.0	207.3	70.0	59.0
इफको: कलोल	यूरिया	250.5	250.5	257.5	100.0	102.8
इफको: फूलपुर-I	यूरिया	253.5	289.8	304.8	114.3	120.2
इफको: फूलपुर-II	यूरिया	397.7	425.2	386.7	106.9	97.2
इफको: आंवला-I	यूरिया	397.7	402.8	454.0	101.3	114.2
इफको: आंवला-II	यूरिया	397.7	455.1	468.4	114.4	117.8
इफको: पारादीप	डीएपी/10:26:26/ 20:20/12:32:16	325.2	161.3	252.5	49.6	77.6
योग (इफको)		2373.8	2230.7	2331.2	94.0	98.2
कृभको: हजीरा	यूरिया	795.4	800.3	801.8	100.6	100.8
योग (सहकारी)		3169.2	3031.0	3133.0	95.6	98.9
योग (सार्वजनिक + सहकारी):		6666.7	5918.0	6058.2	88.8	90.9
निजी क्षेत्र/राज्य पीएसयू						
जीएसएफसी: वडोदरा	यूरिया/डीएपी/ 20:20/ए/एस	248.1	204.4	194.0	82.4	78.2
जीएसएफसी: सिक्का-I	डीएपी/12:32:16	105.8	76.4	48.0	72.2	45.4
जीएसएफसी: सिक्का-II	डीएपी/12:32:16	71.3	69.2	71.5	97.1	100.3
योग (जीएसएफसी-सिक्का)		177.1	145.6	119.5	82.2	67.5
सीएफएल: विजाग	28:28/14:35:14/ 20:20/16:20/ 10:26:26	124.0	161.0	157.3	129.8	126.9

1	2	3	4	5	6	7
सीएफएल: कोटा	यूरिया	174.3	175.2	181.9	100.5	104.4
डीआईएल: कानपुर	यूरिया	332.1	0.0	0.0	0.0	0.0
जैडआईएल: गोवा	यूरिया/डीएपी 19:19:19 10:26:26/12:32:16	288.7	291.5	268.5	101.0	93.0
स्पिक: तूतीकोरिन	यूरिया/डीएपी/20:20/ 17:17:17	370.7	13.3	0.0	3.5	0.0
एमसीएफ: मंगलौर	यूरिया/डीएपी/20:20/ 16:20	207.2	219.4	217.8	105.9	105.1
सीएफएल: एन्नौर	16:20/20:20	41.2	31.5	25.3	76.5	61.4
जीएनएफसी: भरूच	यूरिया/कैन/20:20	356.7	380.7	333.9	106.7	93.6
टीएसी: तूतीकोरिन	ए/सी	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
टीसीएल: हल्दिया	डीएपी/10:26:26/ 12:32:16/14:35:14/ 15:15:15	121.5	85.6	70.0	70.5	57.6
पीएनएफ नागल	ए/सी	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जीएफसीएल: काकीनाडा	डीएपी/10:26:26/ 20:20/14:35:14/ 12:32:16	120.6	153.9	160.1	127.6	132.8
आईजीसीएल: जगदीशपुर	यूरिया	397.7	404.9	491.6	101.8	123.6
हिन्दू, इण्ड लि. दाहेज	डीएपी/10:26:26/ 12:32:16	72.0	25.6	30.4	35.6	42.2
डीएफपीसीएल: तलोजा	23:23	52.9	11.8	13.3	22.3	25.1
एनएफसीएल: काकीनाडा-I	यूरिया	274.8	348.3	353.7	126.7	128.7
एनएफसीएल: काकीनाडा-II	यूरिया	274.8	274.7	280.2	100.0	102.0
योग (एनएफसीएल)		549.6	623.0	633.9	113.4	115.3
सीएफसीएल: गडेपान-I	यूरिया	397.7	462.0	418,5	116.2	105.2
सीएफसीएल: गडेपान-II	यूरिया	397.7	458.0	463,8	115.2	116.6
योग (सीएफसीएल)		795.4	920.0	882.3	115.7	110.9

1	2	3	4	5	6	7
टीसीएल: बबराला	यूरिया	397.7	492.1	470.9	123.7	118.4
केएसएफएल: शाहजहांपुर	यूरिया	397.7	420.1	397.5	105.6	99.9
पीपीएल: पारादीप	डीएपी/14:35:14/ 20:20/12:32:16/ 10:26:26/28:28	129.6	218.8	159.4	168.8	123.0
उप उत्पाद	ए/एस	7.5	3.8	3.8	50.7	50.7
योग (निजी क्षेत्र)		5394.3	4982.0	4811.4	92.4	89.2
योग (सार्वजनिक+सहकारी+निजी)		12061.0	10900.0	10869.6	90.4	90.1
फॉस्फेट						
सार्वजनिक क्षेत्र						
फैक्ट: उद्योगमंडल	20:20	29.7	18.2	23.2	61.3	78.1
फैक्ट: कोचीन-II	20:20	97.0	66.9	97.9	69.0	100.9
योग (फैक्ट)		126.7	85.1	121.1	67.2	95.6
आरसीएफ: ट्राम्बे	15:15:15	45.0	70.3	70.7	156.2	157.1
आरसीएफ ट्राम्बे-IV	20.8:20.8	75.1	0.0	0.0	0.0	0.0
योग (आरसीएफ):		120.1	70.3	70.7	58.5	58.9
एमएफएल: चेन्नई	20:20/19:19:19/ 17:17:17	142.8	6.0	0.0	4.2	0.0
एचसीएल: खेतरी	एसएसपी	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0
योग (सार्वजनिक):		432.5	161.4	191.8	37.3	44.3
प्रचालन क्षेत्र						
इफको: कांडला	डीएपी/10:26:26/ 12:32:16	910.0	641.7	541.5	70.5	59.5
इफको: पारादीप	डीएपी/10:26:26/ 20:20/12:32:16	802.8	327.5	374.7	40.8	46.7
योग (सहकारी)		1712.8	969.2	916.2	60.5	53.5
योग (सार्वजनिक+सहकारी):		2145.3	1130.6	1108.0	52.7	51.6

1	2	3	4	5	6	7
निजी क्षेत्र						
जीएसएफसी: वडोदरा	डीएपी/20:20	75.9	64.4	59.5	84.8	78.4
जीएसएफसी: सिक्का-I	डीएपी	270.5	195.6	123.4	72.3	45.6
जीएसएफसी: सिक्का-II	डीएपी	182.2	177.0	182.7	97.1	100.3
योग (जीएसएफसी-सिक्का)		452.7	372.6	306.1	82.3	67.6
सीएफएल: विजाग	14:35:14/28:28/ 10:26:26/20:20	166.0	176.8	176.5	106.5	106.3
जैडआईएल: गोवा	डीएपी/19:19:19/ 10:26:26/12:32:16	197.4	207.2	193.0	105.0	97.8
स्पिक: तूतीकोरिन	डीएपी/17:17:17/ 20:20	218.5	33.0	0.0	15.1	0.0
एमसीएफ: मंगलौर	डीएपी/20:20/16:20	82.8	104.4	87.7	126.1	105.9
सीएफएल: एन्नौर	16:20/20:20	48.0	37.4	31.7	77.9	66.0
जीएनएफसी: भरूच	20:20	28.5	38.6	26.8	135.4	94.0
टीसीएल: हल्दिया	डीएपी/10:26:26/ 12:32:16/14:35:14	336.9	236.5	202.2	70.2	60.0
टीसीएल: हल्दिया	डीएपी/12:32:16/ 20:20/14:34:14/10:26:26	308.2	395.6	395.1	128.4	128.2
हिन्दु इण्ड. लि. दाहेज	डीएपी/10:26:26/ 12:32:16	184.0	65.6	77.6	35.7	42.2
डीएफपीसीएल: तलोजा	23:23	52.9	11.8	13.3	22.3	25.1
पीपीएल: पारादीप	डीएपी/14:35:14/ 20:20/12:32:16/ 10:26:26/28:28	331.2	500.8	355.1	151.2	107.2
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	1030.6	432.0	432.0	41.9	41.9
योग (निजी क्षेत्र):		3513.6	2676.7	2356.6	76.2	67.1
योग (सार्वजनिक+सहकारी+निजी):		5658.9	38073	3464.6	67.3	61.2

[अनुवाद]

पीएनजी की आपूर्ति

807. **प्रो. रामशंकर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में आगरा और गुजरात में बनासकांठा सहित देश के विभिन्न शहरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) इस संबंध में राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनिसामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006 में अन्य बातों के साथ साथ पीएनजी की आपूर्ति के लिए नगर अथवा स्थानीय गैस वितरण संजालतंत्र (नेटवर्क) के विकास के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान है।

पीएनजीआरबी अधिनियम में प्रावधान है कि जब पीएनजीआरबी मत बनाता है कि किसी विनिर्दिष्ट भौगसेलिक क्षेत्र में किसी नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने अथवा विस्तृत किये जाने की आवश्यकता अथवा शीघ्रता है तो बोर्ड ऐसा करने के अपने आशय का व्यापक प्रचार कर सकता है और नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने निर्मित करने, प्रचालित करने अथवा विस्तार करने के लिए इच्छुक पक्षकारों से आवेदन आमंत्रित कर सकता है।

पीएनजीआरबी द्वारा जब और जैसे ही बोलियां आमंत्रित की जातीं हैं विभिन्न नगरों में पीएनजी के क्रियान्वयन का कार्य चरणबद्ध ढंग से आरंभ किया जाएगा। वर्तमान में सात नगर नामत: यानम, शाहदोल, राजमुंदरी, गाजियाबाद, चंडीगढ़, झांसी और इलाहाबाद बोली के दूसरे दौर में पीएनजीआरबी द्वारा बोली प्रक्रिया के अधीन हैं। बोली के प्रथम दौर में जोकि मार्च, 2009 में पूरा हुआ है, छह नगरों नामत: कोटा, देवास, सोनीपत, मेरठ, काकीनाडा और मथुरा के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं थीं।

एक बार बोली के आधार पर नगरों के अवार्ड किए जाने पर नगर गैस वितरण परियोजनाएं उनके लिए प्राधकृत कंपनी द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी।

जहां तक आगरा, ग्रीन गैस लिमिटेड का संबंध है इस नगर में पीएनजी और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के क्रियान्वयन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड, आईओसी, और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के एक संयुक्त उद्यम को केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

[हिन्दी]

धोखाधड़ी जांच कार्यालय में पंजीकृत मामले

808. **कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गम्भीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा कितने मामले पंजीकृत किए गए हैं;

(ख) आज की तारीख तक इन मामलों में कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(ग) उक्त मामले किस प्रकार के हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) कुल मिलाकर, विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय (एसएफआईओ) को 37 मामले भेजे गए।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, एसएफआईओ को भेजे गए इन 37 मामलों में से 9 मामलों के संबंध में जांच पूरी कर ली गई है। जिन तीन मामलों के संबंध में व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की गई है उन व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:-

कम्पनी का नाम	व्यक्तियों की संख्या
मोरपेन लेबोरेट्रीज लि.	07
शॉक टेक्नोलॉजिज लि.	08
शॉक टेक्नोलॉजिज इंटरनेशनल लि.	10

अन्य छ: कम्पनियों के संबंध में व्यक्तियों की संख्या केवल अभियोजन आरंभ करने के पश्चात् ही मालूम होगी।

(ग) ऊपर पैरा (ख) में संदर्भित 9 मामलों का स्वरूप/ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बाकी 28 मामलों के संबंध में जांच चल रही है।

(घ) ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए एक विस्तृत नियामक ढांचा मौजूद है। इस ढांचे के अंतर्गत कम्पनियों के कार्य की स्थिति का सत्य एवं उचित अवलोकन करने के बारे में पणधारकों को सांविधिक प्रकटीकरणों का प्रावधान है। कम्पनियों द्वारा पणधारकों और नियामक अभिकरणों को कारपोरेट प्रकटीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार ने इंटरनेट के माध्यम से दस्तावेजों की जांच सहित, चौबीसों घंटे की सुविधा वाली एक इलेक्ट्रोनिक रजिस्ट्री स्थापित की है। सरकार को कम्पनियों की लेखाबहियों का निरीक्षण करने और यदि आवश्यकता हो उनके कार्यों की कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जांच करने की भी शक्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में लेखाओं की लेखापरीक्षा करने और शेयरधारकों को रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र, सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस तरह लेखापरीक्षित लेखाओं को सामान्य विचार-विमर्श के लिए इलेक्ट्रोनिक रजिस्ट्री पर प्रदर्शित भी किया जाता है। यदि रिपोर्ट करने संबंधी अपेक्षाएं कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विनियमित की जाती है, तो लेखापरीक्षकों का आचरण चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए, इन सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन प्रैक्टिसरत किसी कम्पनी सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित होता है जिसे कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। सरकार ने चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 को क्रमशः चार्टर्ड एकाउंटेंटों और कम्पनी सचिवों के दुराचरण के मामलों से निपटने के लिए अधिक प्रभारी अनुशासनात्मक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में संशोधन किया है। वर्ष 2006 में, सरकार ने उचित, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर कम्पनियों के लेखाओं को तैयार करने और प्रकट करने का सामर्थ्य प्रदान करने के लिए लेखामानकों को अधिसूचित किया है। सरकार का कम्पनी विधेयक, 2008 को कम्पनी विधेयक, 2009 के रूप में पुनः पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें कम्पनियों, इनके निदेशकों और लेखापरीक्षकों आदि के द्वारा धोखाधड़ियों के मामले में अधिक सख्त प्रावधान किए जाने का विचार है।

विवरण

क्रम सं.	कम्पनियों का नाम	मामले का स्वरूप/ब्यौरा
1	2	3
1.	मोरपेन लेबोरेट्रीज लि. (एमएलएल)	एमएलएल ने कम्पनी में से निकाले धन को कपटपूर्ण तरीके से आवर्ती निधियों के माध्यम से एक्विटी सृजित की। यह धन कम्पनी से निकालकर प्रवर्तकों के व्यक्तिगत खातों में डाला गया। कम्पनी की उच्चतर निवल धनराशि निधियों के आवर्तन, काल्पनिक निवेशों और काल्पनिक ऋणधारकों के माध्यम से दर्शाई गई। कम्पनी उच्चतर लाभों को बुक करने के लिए स्टॉक के अधिमूल्यन में लिप्त रही तथा स्टॉक के रहन के माध्यम से बैंकों से अधिक ऋण प्राप्त किया।
2.	शॉक टेक्नोलॉजिज लि.	इस मामले में प्रवर्तक कम्पनी को निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को प्रीमियम की मनमानी दरों पर शेयर आबंटित करके गलत ढंग से नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए गए। वे चेकों के आवर्तन के माध्यम से गलत एक्विटी के सृजन द्वारा और राजस्व एवं लाभ में वृद्धि के लिए काल्पनिक बिक्री दर्शाकर लेखाओं में जालसाजी के दोषी भी पाए गए थे।
3.	शॉक टेक्नोलॉजिज इंटरनेशनल लि.	कम्पनी के निदेशक कम्पनी के कार्यों को सत्य एवं सही ढंग से न दर्शाकर वार्षिक रिपोर्टों की तैयारी सहित कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन करने के दोषी पाए गए थे।

1	2	3
4.	जेवीजी होटल्स लिमिटेड	यह चार कम्पनियां 13 कम्पनियों के जेवीजी ग्रुप का हिस्सा है जिनका मामला जांच के लिए एसएफआईओ को भेजा गया। इसमें मुख्य प्रवर्तक श्री विजय कुमार शर्मा है। इन पर जेवीजी फाइनेंस लिमिटेड जो एक नोन बैंकिंग वित्त कम्पनी थी, में पब्लिक द्वारा निवेश किए गए धन में से राशि निकालने के आरोप हैं तथा इनमें से कुछ कम्पनियों का इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया।
5.	जेवीजी पब्लिकेशन्स लि.	
6.	जेवीजी टेक्नो इंडिया लिं.	
7.	जेवीजी होल्डिंग लि.	
8.	लिफिन इंडिया लिमिटेड	इस कम्पनी की निधियों को गैर-मौजूद परिस्थितियों के संबंध में पट्टा करारों के सृजन और उन पर भुगतान किए गए पट्टा किराओं के माध्यम से निकाला गया। इसमें राजकोष को ठगने का प्रयास किया गया।
9.	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल)	इसमें कम्पनियों के शेयरों का कपटपूर्ण निर्गम था तथा लेखाबहियों में जालसाजी की गई। प्रबंधन को कम्पनी की मूर्त परिसम्पत्तियों के अंतरण में आपराधिक विश्वास भंग के अपराध का दोषी पाया गया। कम्पनी के अधिकारियों ने जांच के दौरान जानबूझकर शपथ लेकर गलत साक्ष्य दिए।

[अनुवाद]

ऑटोमोबाइल का उत्पादन

809. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के मई माह की तुलना में इस वर्ष मई माह में ऑटोमोबाइल के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तुलनात्मक रूप से कितनी वृद्धि हुई है और यह कितने प्रतिशत है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान व्यावसायिक वाहनों और यूटीलिटी वाहनों की बिक्री में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और व्यावसायिक तथा यूटीलिटी वाहनों की बिक्री में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क)और (ख) जी हां। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (एसआईएएम) से प्राप्त सूचना के अनुसार मई, 2008 में कुल 980067 मोटर वाहनों का उत्पादन किया गया जो मई, 2009 में बढ़कर 1044084 हो गया। इस प्रकार इसमें 6.5% की वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) जी हां, मई, 2009 में 30,800 व्यावसायिक वाहनों की बिक्री हुई जबकि मई, 2008 में 36141 वाहनों की बिक्री हुई थी। इस प्रकार (-)15% की कमी हुई। इसी प्रकार मई, 2009 के महीने में बेचे गए कुल यूटीलिटी वाहनों की संख्या 16266 थी जबकि मई, 2008 में इसकी संख्या 22958 थी। इस प्रकार (-)29% की गिरावट आई।

भारत सरकार ने तीन प्रोत्साहन पैकेजों के जरिए भारतीय मोटर वाहन क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें उत्पाद शुल्क में कमी, बाजार में लिक्विडीटी और ऋण प्रवाह बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा बसों की खरीद के लिए जेएनएनयूआरएम योजना के जरिए व्यावसायिक वाहनों की मांग बढ़ाने और इस क्षेत्रा के लिए विशेष ऋण प्रवाह के उपाय किए गए हैं। इसके अलावा मांग बढ़ाने के लिए व्यावसायिक वाहनों के लिए 50% की दर से त्वरित मूल्यह्रास भी किया गया है।

[हिन्दी]

विमान दुर्घटनाएं

810. श्री गणेश सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवीय भूल के कारण 1 जनवरी, 2008 को अनेक विमान दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने ऐसी कितनी

दुर्घटनाओं का होना स्वीकार किया है और उक्त दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विमानचालकों (पायलटों) और चालक दल के सदस्यों को तनाव से निपटने के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) दिनांक 01.01.2008 से अब तक मानवीय भूल के कारण 08 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ख) दिनांक 01.01.2008 से अब तक नागर विमान महानिदेशालय को 09 विमान घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिन्हें गंभीर घटनाएं माना गया है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय ने अनेक उपाए किए हैं जिनमें फ्लाइट डाटा रिकार्डर्स की पूर्ण मॉनिटरिंग सहित, न्यूनतम सुरक्षित ऊंचाई चेतावनी प्रणाली का संस्थापन, मोनोपल्स सेकेण्डरी सर्विलेंस राडार का संस्थापन, एयरबॉर्न कोलिजन एवाएडेंस सिस्टम का संस्थापन, ट्रांसपोंडरों का संस्थापन, भू-समीपता चेतावनी प्रणाली का संस्थापन, उड़ान ड्यूटी समय सीमितता की कम्प्यूटरीकृत मॉनिटरिंग, पायलटों का प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं लाइसेंस वैद्यता, प्रचालकों का सेफ्टी ऑडिट, प्रचालनिक सेफ्टी एवं निरंतर उड़न योग्यता (साऊथ एशिया) कार्यक्रमों के सहकारी विकास के अंतर्गत विमानन कार्मिकों का प्रशिक्षण शामिल है।

(ग) सभी प्रचालकों को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में तनाव प्रबंधन मॉड्यूल कार्यक्रम को भी शामिल करने को कहा गया है जिनका प्रशिक्षण उन्हें अपने पायलटों एवं कर्मी दलों को दिलवाना होता है।

[अनुवाद]

कोयम्बटूर डिंडीगुल के आमान परिवर्तन

811. **श्री टी.आर. बालू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयम्बटूर को डिंडीगुल से जोड़ने वाली आमान परिवर्तन परियोजना के लिए आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे के पास धनराशि के आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि यह परियोजना तमिलनाडु के पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों को जोड़ने में महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) 2009-10 के रेल बजट में डिंडीगुल-पौलाची-पालघाट तथा पौलाची-पालाघाट आमान परिवर्तन परियोजना के लिए 31 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) इस लाइन का परिवर्तन संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति करेगा।

[हिन्दी]

बद्दी से पांवटा साहिब तक नई रेल लाइन

812. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर :**
श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बद्दी बरोटीवाला, परवाणु काला-अम्ब और पांवटा साहिब रेल लाइन बिछाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) उक्त रेल लाइन के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

813. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
श्री एम.आई. शानवास :

क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा सरकारी सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों को निदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सच्चर समिति की रिपोर्ट और प्रधान मंत्री के नए पंद्रह-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन से अल्पसंख्यकों के रोजगार की स्थिति में कितना सुधार होने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और उनके संगठनों में समुदाय-वार अल्पसंख्यक समुदाय के कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधान मंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम में पुलिस, केन्द्रीय पुलिस बलों, रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्मिकों की भर्ती के समय अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान है तथा इस प्रयोजन से चयन समिति की संरचना में अल्पसंख्यक प्रतिनिधि को भी शामिल किए जाने का प्रावधान होना चाहिए।

इसके अनुसरण में ही कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 8 जनवरी, 2007 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) चयन समितियों की संरचना प्रतिनिधित्वपूर्ण होनी चाहिए। दस अथवा इससे अधिक रिक्तियों पर भर्ती के लिए चयन बोर्डों/चयन समितियों में अनिवार्य रूप से एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से तथा एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए।

(ii) दस से कम रिक्तियों पर चयन के लिए यह प्रयास होना चाहिए कि समितियों/बोर्डों में एक अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से तथा एक अल्पसंख्यक समुदाय से रखा जाए।

(iii) सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में की जाने वाली सभी नियुक्तियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। अंग्रेजी और हिन्दी भाषा के अतिरिक्त राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में विज्ञापन जारी की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त केवल न्यूनतम अर्हक अपेक्षा वाले समूह "ग" और "घ" के पदों की रिक्तियों और उन पर भर्ती से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार भी सामान्य चैनलों के अतिरिक्त उस क्षेत्र के स्कूलों और कालेजों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(iv) जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की आबादी अधिक है उन क्षेत्रों में रिक्तियों से संबंधित परिपत्र को उपयुक्त व्यवस्था द्वारा उस क्षेत्र में स्थानीय भाषा में वितरित किया जाना चाहिए।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों में सभी मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में अल्पसंख्यकों की भर्ती की प्रगति की निगरानी के भी अनुदेश हैं।

(ग) और (घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधान मंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम में की गई परिकल्पना तथा सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई के बाद लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप केवल अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं और एक कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं से छात्र प्राइमरी से लेकर उच्चतर स्तर की शिक्षा तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्राप्त करने में तथा सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में रोजगार प्राप्त करने के लिए कोचिंग लेने के साथ-साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय-वार आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं अपितु पांचों अल्पसंख्यक समुदाय के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संगठनों में अल्पसंख्यक समुदाय से भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:-

2006-07 भर्ती किए गए अल्पसंख्यक (70 मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों के संदर्भ में)	2007-08 भर्ती किए गए अल्पसंख्यक (61 मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों के संदर्भ में)	2008-09 भर्ती किए गए अल्पसंख्यक (32 मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों के संदर्भ में)
12,182	12,195	4,479

एयर इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधकों को वेतन

814. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री मधुगौड़ यास्खी :
श्री प्रदीप माझी :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या नागर **विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया प्रबंधन ने अपने उच्च प्रबंधन स्टाफ से जुलाई, 2009 के वेतन तथा प्रोत्साहनों को न लेने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप लागत में होने वाली बचत का आकलन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। चूंकि सभी वरिष्ठ एक्जिक्यूटिव (महाप्रबंधक तथा इससे बड़े अधिकारियों) से जुलाई, 2009 माह के अपने वेतन तथा उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन राशि स्वैच्छिक आधार पर छोड़ने के बारे में अपील की गई। इस बारे में प्रत्युत्तर बहुत सकारात्मक था।

(ग) और (घ) जी, हां। इससे लगभग 1.5 करोड़ रुपए की बचत होगी।

भेषज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

815. **डॉ. के.एस. राव :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औषधियों के किफायती मूल्य पर विपणन के लिए इनकी खोज और संपाकों में अनुसंधान और विकास (आर. एंड डी.) की क्या स्थिति है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में अनुसंधान और विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और अनुसंधान क्रियाकलापों को सुचारु बनाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार नई औषधि खोज परियोजना के वित्त-पोषण हेतु कोष का सृजन करने का है ताकि भारत को नई औषधियों की खोज में एक अग्रणी देश बनाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में नई औषधियों की खोज के लिए घरेलू और बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों को प्रोत्साहन देने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) मुख्यत: इंडियन फार्मास्यूटिकल एलायंस के अंतर्गत विभिन्न दवा कंपनियां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), आयुष आदि जैसे सरकारी विभागों/संस्थानों के साथ औषध खोज और फार्मूलेशन अनुसंधान में लगी हैं। भारत सरकार, नव सृजित औषध निर्माण विभाग के साथ विभिन्न विभागों के माध्यम से औषध खोज की भिन्न-भिन्न योजनाएं चला रही है। औषधीय खोज और विकास एक सतत और लम्बी प्रक्रिया है जिसमें सुरक्षित, प्रभावी और वहनीय औषधियों के विनिर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 10-12 वर्षों का समय लगता है।

भारतीय औषध उद्योग नई औषधियों के विकास के लिए अनुसंधान में लगा है। औषधीय क्षेत्र में आयकर की धारा 35 (2कख) के अंतर्गत डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित लगभग 58 कंपनियां हैं जिनके पास अनुसंधान और विकास केन्द्र हैं। इनमें से लगभग 15 कंपनियां नई औषधियों में अनुसंधान और विकास कार्य कर रही हैं और इन्होंने रासायनिक अनुसंधान, औषधीय अनुसंधान, फर्मेंटेशन अनुसंधान तथा नई औषधीय खोज अनुसंधान (एनडीडीआर) तथा अनूठी औषध डिलीवरी प्रणली में अनुसंधान के क्षेत्र में प्रभावशाली अनुसंधान और विकास संबंधी अधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया है। इन कंपनियों ने जिन नैदानिक क्षेत्रों में लीड मालिक्यूल विकसित किए हैं, वे हैं - मलेरिया, यूरोलॉजी, मेटाबॉलिक डिसआर्डर, कार्डियोवैस्कुलर इंडिकेशन, कैंसर, मधुमेह, डिसलिपिडेमिया, मोटापा, इनफक्शन व दर्द, स्टेफाइलोकोक्कल इन्फेक्शन, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन,, स्किन इन्फेक्शन, एंटी-माइग्रेन, एंटी टीबी व एंटी सोराइसिस।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों के भिन्न-भिन्न योजना परिव्यय हैं। नव सृजित औषध निर्माण विभाग ने मुख्यत: औषधीय शिक्षा व अनुसंधान संस्थान (नाईपर) को अनुसंधान के लिए निधि आवंटित की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) तथा नाईपर द्वारा अनुसंधान और विकास पर विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के बजट परिव्यय संलग्न विवरण-I और II में दिया गया हैं। नाईपर की राशि में डीएसटी द्वारा प्रदान की गई राशि भी शामिल है।

(ग) से (च) यह विभाग पुनरावृत्ति रोकने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यकलाप में लगे डीएसटी/डीबीटी आदि जैसे अन्य विभागों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि विभाग द्वारा हाथ में लिए जाने वाले विभिन्न कार्यों को अंतिम रूप दिया जा सके। वर्तमान में, नई योजनाओं हेतु विभाग के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभाग ने विभिन्न लघु अनुसंधान और विकास योजनाएं तैयार की हैं जिन्हें ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन के लिए योजना आयोग को अग्रेषित किया गया है।

औषध और भेषज में अनुसंधान और विकास के लिए उद्योगों को निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं:

1. आयकर अधिनियम की धारा 35 (2कख) के अंतर्गत अनुमोदित अनुसंधान और विकास व्यय पर 150% की भारित कर छूट।

2. अधिसूचना सं. 24/2007-कस्टम दिनांक 1 मार्च, 2007 और 16/2007/सेंट्रल इक्साइज दिनांक 1 मार्च, 2007 के अनुसार डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास केन्द्र सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क छूट प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ भी डीएसआईआर के साथ पंजीकृत हैं।

विवरण-I

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के औषध और भेषज अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय/आबंटित निधि का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	ऋण (करोड़ रु. में)	सहायता अनुदान (करोड़ रु. में)	योग (करोड़ रु. में)
2006-07	35.00	25.00	60.00
2007-08	60.00	58.00	118.00
2008-09	56.50	40.00	96.50
2009-10 (ब.अ.)	66.00	30.00	96.00

विवरण-II

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा व अनुसंधान संस्थान (नाईपर) एस.ए.नगर

विगत 3 वर्षों के वित्तीय ब्यौरे (करोड़ रु. में)

(क) 10वीं योजना से जारी/चालू योजनाएं

क्रम सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10
1.	मधुमेह की पेचिदगियां	0.95	2.00	0.80
2.	टीबी, मलेरिया व लिजमेनिया के लिए लीड अणु	1.10	1.50	0.80
3.	चिराल ओषध/बायो-केमो इंजायमेटिक ट्रांसफर्मेशन	0.36	0.35	0.36
4.	नेनोटेक्नोलॉजी व औषध डिलीवरी प्रणाली	0.40	1.45	1.10
5.	अशुद्धि प्रोफाइलिंग सुविधा	0.17	0.19	0.21
	योग (क)	2.98	5.49	3.27
(ख) अधारभूत सुविधाओं का विकास व नई योजनाएं				
1.	अत्यधिक अपेक्षित रोगों के लिए औषध	0.31	2.20	4.06
	योग (ख)	0.31	2.20	4.06
	सकल योग (क+ख)	3.29	7.69	7.33

रेलवे स्टेशनों पर व्हिलचेयरों का अभाव

816. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में स्थित रेलवे स्टेशनों पर व्हिलचेयरों को चलाने वाले पोर्टरों के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में व्हिलचेयरों का अभाव है;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) सामान्यत: दक्षिणी राज्यों में स्थित रेलवे स्टेशनों सहित स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर मुहैया कराए गए हैं। प्रभारों के भुगतान पर सहायता मुहैया कराने के लिए लाइसेंससुदा पोटर्स भी उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दक्षिण भारत में स्टेशनों सहित सभी स्टेशनों पर प्रचलित नियमों के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। 473 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किया गया है जिनपर बेहतर सुविधाएं हैं।

कांताबंजी-जैपोर रेल लाइन

817. श्री प्रदीप माझी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कांताबंजी-राजखरीयर-जूनागढ़-नवरंगपुर और जैपोर रेल लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं। बहरहाल, इस नई लाइन के लिए सर्वेक्षण जनवरी, 2009 में स्वीकृत किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सर्वेक्षण पर अभी तक कोई खर्च नहीं हुआ है।

ट्रेनों में बेटिकट यात्री

818. श्री निशिकांत दुबे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने के मामलों में वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान जोन-वार कितने बेटिकट यात्रियों को पकड़ा गया और उनसे दंड के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बेटिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए रेलवे अधिकारियों ने चलती गाड़ियों में कितने औचक निरीक्षण किए है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस समस्या को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क)जी हां। बिना टिकट के रेल यात्रा करने से संबंधित मामलों में वृद्धि हुई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) चलती गाड़ियों में की गई औचक जांचों से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) उठाए गए कदमों में रेलवे मजिस्ट्रेट तथा पुलिस के समन्यवय से नियमित तथा औचक जांचें, विभिन्न प्रकार की विशेष जांचें आयोजित करना जैसे घात लगाकर, घेराबंदी करके तथा स्थापन्न जांच के द्वारा, अनारक्षित भागों पर गहन जांच पोस्टों (आईसीपी) की स्थापना करना, 01.07.2004 से बिना टिकट/अनधिकृत यात्रा के लिए न्यूनतम दण्ड राशि को 50/- रुपये से बढ़ाकर 250/- रुपये करना और बिना टिकट यात्रा के परिणामों से विभिन्न मीडिया के माध्यम से यात्रा करने वाली जनता को जागरूक करना शामिल है।

विवरण

रेलवे	बिना टिकट यात्रा करने वाले पकड़े गए यात्रियों की संख्या (लाख में)				वसूली गई रेलवे की देय राशि (करोड़ रुपयों में)			
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (मई, 09 तक)	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (मई, 09 तक)
मध्य रेलवे	7.00	8.34	9.37	2.10	26.75	32.36	38.65	9.88
पूर्व रेलवे	3.94	4.28	4.33	0.79	10.30	11.96	12.19	2.25
पूर्व मध्य रेलवे	2.94	3.39	3.87	0.74	9.70	11.15	12.96	2.53
पूर्व तट रेलवे	0.94	1.01	1.34	0.25	3.33	3.60	4.71	0.92
उत्तर रेलवे	11.42	12.43	13.83	2.55	44.45	48.71	54.52	10.45
उत्तर मध्य रेलवे	4.56	4.98	6.04	1.31	17.78	19.49	25.02	5.54
पूर्वोत्तर रेलवे	2.82	3.30	3.80	0.70	10.01	12.08	14.82	2.81
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1.37	1.61	1.93	0.38	5.76	6.61	8.53	1.71
उत्तर पश्चिम रेलवे	2.54	2.81	3.03	0.72	8.57	9.44	10.54	2.65
दक्षिण रेलवे	2.90	3.43	4.33	0.80	10.68	12.44	16.57	3.11
दक्षिण मध्य रेलवे	5.35	6.47	7.35	1.42	20.85	24.53	29.28	5.76
दक्षिण पूर्व रेलवे	1.51	1.63	2.01	0.42	4.79	5.63	7.05	1.44
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	1.06	1.22	1.53	0.31	3.47	4.09	5.37	1.16
दक्षिण पश्चिम रेलवे	1.13	1.51	1.84	0.39	4.23	5.67	6.97	1.57
पश्चिम रेलवे	7.00	7.78	9.11	2.24	24.20	27.79	34.17	9.13
पश्चिम मध्य रेलवे	2.77	3.01	3.00	0.60	10.84	11.48	11.84	2.48
जोड़	59.25	67.20	76.71	15.72	215.71	247.13	293.19	63.39

फास्ट ट्रैक न्यायालय योजना

819. **श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में कितने फास्ट ट्रैक न्यायालय काम कर रहे हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन न्यायालयों द्वारा राज्य-वार कितने मामले निपटाए गए हैं;

(ग) क्या देश में और अधिक फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, मई, 2009 तक देश में 1237 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना, आवश्यकता पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।

विवरण

त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य का नाम	2007 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	2008 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	2009 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	24730	17605	6442 (5/2009 तक)
2.	अरुणाचल प्रदेश	164	212	113 (5/2009 तक)
3.	असम	4586	6524	2278 (5/2009 तक)
4.	बिहार	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
5.	छत्तीसगढ़	9349	7744	2680 (4/2009 तक)
6.	गोवा	1368	672	उपलब्ध नहीं है
7.	गुजरात	106802	57136	11989 (3/2009 तक)
8.	हरियाणा	–	–	24239 (आरंभ से मार्च 2009 तक)
9.	हिमाचल प्रदेश	4807	5251	2591 (5/2009 तक)
10.	झारखंड	–	–	74374 (आरंभ से मई 2009 तक)
11.	कर्नाटक	26378	24351	उपलब्ध नहीं है
12.	केरल	11545	11090	4596 (5/2009 तक)
13.	मध्य प्रदेश	51307	54068	उपलब्ध नहीं है
14.	महाराष्ट्र	61497	46747	14050 (5/2009 तक)
15.	मणिपुर	209	282	71 (5/2009 तक)
16.	मेघालय	75	69	65 (5/2009 तक)
17.	मिजोरम	185	371	53 (5/2009 तक)

1	2	3	4	5
18.	नागालैंड	32	68	19 (4/2009 तक)
19.	उड़ीसा	–	–	43521 (आरंभ से मार्च 2009 तक)
20.	पंजाब	–	–	31553 (आरंभ से मार्च 2009 तक)
21.	राजस्थान	14969	13555	3589 (3/2009 तक)
22.	तमिलनाडु	59216	70070	उपलब्ध नहीं है
23.	त्रिपुरा	716	502	156 (5/2009 तक)
24.	उत्तर प्रदेश	47397	52699	13309 (3/2009 तक)
25.	उत्तराखंड	4881	5006	395 (1/2009 तक)
26.	पश्चिमी बंगाल	18596	16719	4073 (3/2009 तक)

बाबा बाकला पर सड़क उपरिपुल

820. डॉ. रतन सिंह अजनाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को बाबा बाकला में सड़क उपरिपुल को शीघ्र पूरा करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा उक्त सड़क उपरिपुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) शीघ्र समाप्ति हेतु पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड.आर.) अमृतसर के पदाधिकारियों से पत्र प्राप्त हुआ है।

(ग) रेलवे के हिस्से के लिए निविदा दी जा चुकी है और जून, 09 से वास्तविक निष्पादन शुरू हो चुका है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में रेल लाइन

821. श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में उना में अम्ब-इन्दौर-नांगल-तलवाड़ा रेलमार्ग तक रेल लाइन बिछाने की चल रही परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने की तारीख जून, 2009 निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रेल लाइन का निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

(ङ) परियोजना का नांगल डैम-चुरारू तकराला (33 कि.मी.) खंड पहले ही पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। चुरारू तकराला से अम्ब अंदौरा तक के कार्य को 2009-10 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना की समाप्ति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कुल्टी वर्क्स में उत्पादन

822. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के कुल्टी वर्क्स में उत्पादन पुनः प्रारम्भ करने हेतु कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में और क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कुल्टी वर्क्स का नाम बदल कर "सेल ग्रोथ वर्क्स कुल्टी" कर दिया गया है। नॉन फैरस फाउंड्री और मशीन शॉप तथा पैटर्न शॉप में 15 अप्रैल, 2008 से उत्पादन शुरू हो गया है। स्टील फांउड्री में 2 सितम्बर, 2008 से उत्पादन शुरू हुआ है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाएं

823. **श्री जगदम्बिका पाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उत्तर प्रदेश सहित देश में नई रेल परियोजनाओं हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, नई लाइनों जिनमें 10,294 कि.मी. की लंबाई शामिल है, के लिए 115 सर्वेक्षण पूरे हुए हैं। इसी अवधि के दौरान 656 कि.मी. लंबाई के लिए उत्तर प्रदेश में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली नई लाइनों के 10 सर्वेक्षण किए गए हैं।

रेशम उद्योग को सहायता

824. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रेशम उद्योग के लाभार्थ राज्य-वार कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र के व्यापारियों और शिल्पकारों को हाल के वर्षों में कच्ची रेशम सामग्री की लागत में वृद्धि होने के कारण कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या सरकार की रेशम क्षेत्र को सहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) 11वीं योजना के दौरान देश के सभी रेशम उत्पादक राज्यों में रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्र द्वारा प्रायोजित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के तहत विभिन्न योजनाओं/संघटकों का कार्यान्वयन करता रहा है। सीडीपी का कार्यान्वयन मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों अर्थात् बीज क्षेत्र, कोया क्षेत्र और कोया पश्चात् क्षेत्र के तहत पैकेजों के रूप में परियोजना मोड के माध्यम से केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के रूप में किया जा रहा है तथा इसे समर्थन सेवाओं के अन्य संघटकों द्वारा मजबूत बनाया जा रहा है जो किसानों, रीलरों और बुनकरों जैसे सभी श्रेणी के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाता है।

(ख) हाल के वर्षों में रेशम के कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण कठिनाईयों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के व्यापारियों और शिल्पियों के बारे में कोई विशिष्ट घटना सरकार के ध्यान में नहीं लायी गई है।

(ग) और (घ) रेशम उत्पादन में सहायता करने के लिए मौजूदा योजनाओं के अनुसार केन्द्र और राज्य, दोनों सरकारें महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में रेशम उत्पादन के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास, बीज, विस्तार और बाजार सहायता प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।

11वीं योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा सीडीपी के लिए 1476.24 करोड़ रु. का कुल प्रावधान किया गया है जिसमें से केन्द्र का हिस्सा 661.62 करोड़ रु. है। राज्यों को 311.73 करोड़ रु. का वहन करना होगा जबकि लाभार्थियों का अंशदान 502.89 करोड़ रु. होगा। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, 11वीं योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात् 2007-08 और 2008-09 के दौरान, सरकार ने सीएसबी के

माध्यम से क्रमश: 81.01 करोड़ रु. और 76.73 करोड़ रु. के कुल परिव्यय की तुलना में सीडीपी योजना के तहत विभिन्न संघटकों के कार्यान्वयन के लिए क्रमश: 80.82 करोड़ रु. और 91.74 करोड़ रु. का अपना हिस्सा जारी किया था। चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए, बजट प्राक्कलन 2009-10 के तहत 75.58 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है।

[अनुवाद]

वायु यातायात में वृद्धि

825. श्री भर्तृहरि महताब : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वायु यातायात में वृद्धि का प्रतिशत कितना रहा तथा चालू वर्ष में इसमें कितनी वृद्धि अनुमानित है;

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के अनुमान के अनुसार अगले तीन वर्षों में वायु यातायात में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ग) भविष्य में वायु यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अवसंरचना निर्माण हेतु ए.ए.आई. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विमान आवागमन तथा यात्री यातायात (घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों) की प्रतिशत वृद्धि तथा चालू वर्ष (2009-10) में अनुमानित वृद्धि निम्नानुसार है:-

वर्ष	विमान आवागमन	यात्री
2006-07	28.6	31.4
2007-08	21.3	21.2
2008-09	-0.1	-6.8
2009-10	3.4 (अनुमानित)	-2.1 (अनुमानित)

(ख) भारतीय विमापनत्तन प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार वर्ष 2008-09 से आगे तीन वर्षों के दौरान विमान आवागमन तथा यात्री यातायात (घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों) की प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार है:-

वर्ष	विमान आवागमन	यात्री
2009-10	3.4	-2.1
2010-11	4.8	4.5
2011-12	4.9	5.3

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश के 35 गैर-महानगरीय हवाई अड्डों का समयबद्ध तरीके से स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण किए जाने का जिम्मा उठाया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के हवाई अड्डों का विकास कार्य भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चेन्नई में 1808 करोड़ रुपए तथा कोलकाता में 1942.51 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार कार्य का भी जिम्मा उठाया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्यालय का स्थानांतरण

826. श्री रामसिंह राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को गुजरात सरकार से पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई से बड़ोदरा स्थानांतरित करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, विभिन्न बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों से पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को महाराष्ट्र में मुंबई से गुजरात में विभिन्न अलग-अलग स्थानों अर्थात् अहमदाबाद, गांधीनगर, गांधीधाम और वड़ोदरा में बदलने के लिए मांगे प्राप्त हुई हैं।

(ग) क्षेत्रीय रेल मुख्यालय के लिए जगह बिना किसी क्षेत्रीयता के परिचलनिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित की जाती है। इसके अलावा, पूर्ण रूप से स्थापित कार्यालय को बदलने से बड़ी संख्या में कर्मचारियों का स्थानांतरण भी शामिल होगा परिणामस्वरूप परिवार का सेट-अप बिगड़ेगा और अन्य संबंधित कठिनाइयां उपस्थित होंगी। मुंबई में पश्चिम रेल का मुख्यालय संतोषप्रद कार्य कर रहा है। वर्तमान व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

कोकराझार में विमानपत्तन

827. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम के कोकराझार में एक ग्रीनफील्ड विमानपत्तन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। असम सरकार द्वारा कार्यस्थल की पहचान कर ली गई थी और जिसका निरीक्षण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया था लेकिन यह स्थल हवाईअड्डे के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। तद्नुपरांत, राज्य सरकार द्वारा कोकराझार में हवाईअड्डे के लिए दो वैकल्पिक कार्यस्थलों के बारे में प्रस्ताव किया गया।

मिथेन गैस के भंडार

828. **श्री इन्दर सिंह नामधारी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखण्ड राज्य के लातेहर जिले के बालूमठ ब्लाक के दुधा और मारपा गांवों में मिथेन गैस के भंडार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनमें कितनी मात्रा में गैस होने का अनुमान है;

(ग) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को मिथेन गैस के उचित प्रयोग का जिम्मा सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (घ) जी नहीं। एक कोल बेड मीथेन (सीबीएम) ब्लाक, जो दो गांवों में फैला है, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) को प्रदान किया गया है। इस ब्लाक में अन्वेशण क्रियाकलाप प्रगति पर हैं परंतु अब तक कोई मीथेन भंडार नहीं पाया गया है।

मिनरल वाटर

829. **श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पालनपुर तथा देश के अन्य भागों में मिनरल वाटर परियोजना की स्थापना करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नया विमानपत्तन आरम्भ करना

830. **श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेलंगाना क्षेत्र के रामागुडम, कोठागुडम और आदिलाबाद में नए विमानपत्तनों को आरम्भ करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर राज्य में सामरिक अवस्थितियों पर क्षेत्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के संबंध में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने रामागुडम तथा कोठागुडम में आंध्र प्रदेश द्वारा चिह्नित कार्यस्थलों के बारे में साध्यता अध्ययन किया है और इस बारे में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज दी है।

[हिन्दी]

बिहार में गैस एजेंसियों का आबंटन

831. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने ब्लॉक मुख्यालयों में गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं;

(ख) राज्य के कितने ब्लॉकों में उनका आबंटन किया जाना भी शेष है;

(ग) शेष ब्लॉकों में गैस एजेंसियां कब तक आबंटित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) ग्रामीण उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) 1.7.2009 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की

तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) बिहार राज्य में 533 ब्लाक मुख्यालयों में से 167 ब्लाक मुख्यालयों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का प्रचालन कर रही हैं।

(ख) और (ग) ओएमसीज ने बिहार राज्य में 61 और ब्लॉक मुख्यालयों में नये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने की योजना बनाई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना करना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें उपयुक्त स्थान का पता लगाना, गोदाम स्थापित करने के लिए भूमि की व्यवस्था करना तथा अन्य कानूनी स्वीकृतियां प्राप्त करना शामिल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख कर पाना संभव नहीं है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने तथा दूर-दराज और साथ ही निम्न संभावना वाले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए एक नई योजना कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के विस्तृत विवरण शीघ्र ही अधिसूचित किये जाएंगे।

[अनुवाद]

मुम्बई हाई उत्तरी पुनर्विकास योजना

832. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने मुंबई हाई उत्तरी पुनर्विकास योजना का दूसरा चरण आरंभ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना से होने वाले उत्पादों की मात्रा सहित ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी हां। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने मुम्बई हाई उत्तरी पुनर्विकास परियोजना के द्वितीय चरण को 7133.39 करोड़ रुपए के निवेश पर अनुमोदित कर दिया है।

(ख) इस परियोजना में 6 नये प्लेटफार्म, 10 विद्यमान कूप प्लेटफार्मों का टॉप साइड संशोधन, डब्ल्यू.।-4 पर उत्पादन सुविधाएं, 73 नये कूप, 38 साइड ट्रैक कूप 26 अतिरिक्त इंजेक्टर कूप, 21 विद्युत सबमर्सिबल पम्पों (ईएसपी) की स्थापना तथा 141 किलोमीटर सब-मैरिन पाइपलाइन आदि शामिल हैं।

(ग) इस परियोजना को सितंबर, 2012 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(घ) इस परियोजना में वर्ष 2030 तक क्रमश: 17,354 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) और 2,987 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) वृद्धिमान तेल तथा गैस उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

गैस का परिवहन शुल्क

833. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में गैस के परिवहन के लिए परिवहन शुल्क निर्धारित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या गुजरात राज्य उच्च परिवहन लागत का भार उठाकर तथा गैस के मामले में आंतरिक राज्य के रूप में समान परिवहन शुल्क चुकाकर ऊर्जा लागत में अन्याय का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस कठिनाई को कम करने के गुजरात सरकार के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ङ) गुजरात में अपतट/अलग-थलग पड़े क्षेत्रों से गैस की आपूर्ति राज्य में ग्राहकों को समर्पित क्षेत्रीय नेटवर्क अथवा स्पर लाइनों के माध्यम से की जाती है। इन मामलों में पारगमन शुल्क की गणना संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क अथवा स्पर लाइनों में निवेश के आधार पर की जाती है।

ट्रंक लाइनों, जैसे हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एचवीजे) पाइपलाइन तथा दहेज-वीजापुर पाइपलाइन (डीवीपीएल) के मामले में, देश में उनके स्थलों को ध्यान में रखे बिना, ग्राहकों के लिए 01.06.2006 से वृद्धिमान फार्मूले के साथ 831 रुपए/एमएससीएम (हजार मानक घन मीटर) का भिन्नित एकल प्रशुल्क अपनाया जा रहा है।

इसके अलावा, 20.11.2008 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का निर्धारण) विनियम,

2008 की अधिसूचना के बाद, पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए प्रशुल्क इस विनियम के अनुसार पीएनजीआरबी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

कर्नाटक में एल.पी.जी. वितरण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि

834. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में एल.पी.जी. संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त राज्य में एल.पी.जी. वितरण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कोई नया प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचना दी है कि इस समय, कर्नाटक राज्य सहित देश में एलपीजी की समग्र रूप में कमी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटरों को एलपीजी की आपूर्तियां ओएनजीसीज द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार स्वदेशी उत्पादन तथा आयातों के माध्यम से की जा रही हैं।

(ख) और (ग) 01.06.2009 की स्थिति के अनुसार, ओएमसीज कर्नाटक राज्य में 485 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से 61.61 लाख एलपीजी ग्राहकों को गैस दे रही है जिसमें अनुमानित जनसंख्या की लगभग 59.2% जनता शामिल है। ओएमसीज ने एक समान उद्योग विपणन योजना को अंतिम रूप दिया है जिसमें नये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना करने के लिए कर्नाटक राज्य में, विशेष रूप से ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण (अर्ध नगरीय) स्थानों के लिए 62 स्थान शामिल किए गए हैं। इन सभी स्थानों के लिए विज्ञापन दे दिए गए हैं और नीति के अनुसार उनका चयन प्रगति पर है।

कच्चे तेल की मांग

835. **श्रीमती सुप्रिया सुले :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कच्चे तेल का आयात करने के लिए तुर्की सरकार से संपर्क स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तुर्की से कुल कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) टर्की के विदेश मंत्री ने फरवरी, 2008 में भारत के अपने दौरे के दौरान, भूमध्यसागर और लाल सागर के माध्यम से कैस्पियन क्षेत्र से भारत में कच्चे तेल के परिवहन के लिए टर्की, इजराइल और भारत के बीच सहयोग हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया था। सक्षेप में, इस परियोजना में प्रारम्भ में अत्यंत बड़े क्रूड वाहकों (वीएलसीसीज) द्वारा तथा अंततः एक सब-समुद्री पाइपलाइन बिछाते हुए भूमध्यसागर में टर्की के सेदान पत्तन से इजराइल के अश्केलोन पत्तन तक कच्चे तेल के परिवहन की परिकल्पना की गई है। तत्पश्चात्, इजराइल में मौजूदा अश्केलोन-ईलाट पाइपलाइन से लाल सागर में ईलाट पत्तन तक कच्चे तेल का परिवहन किया जाएगा। वहां से कच्चा तेल भारत/एशिया के अन्य भागों तक ले जाया जा सकता है। परियोजना अभी संकल्पनात्मक स्तर पर है और इसकी तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रमाणित करने के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन अपेक्षित है। परियोजना की संकल्पनात्मक विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए सितम्बर, 2008 में अंकारा में टर्की-इजराइल-भारत के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया था। चूंकि परियोजना अभी संकल्पनात्मक आधार पर है। इसलिए इस स्तर पर उस कच्चे तेल की कुल मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता जो टर्की से आयात किया जाएगा।

[हिन्दी]

बुलेट ट्रेन आरम्भ करना

836. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बुलेट ट्रेन आरम्भ करने का रेलवे का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बुलेट ट्रेन आरम्भ करने के लिए रेलवे ने किसी रेल लाइन मार्ग की पहचान कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी नहीं। फिलहाल, रेल मंत्रालय ने केवल अत्याधुनिक सिगनलिंग तथा गाड़ी नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित चिंहित उच्च गति वाले यात्री गलियारे के निर्माण के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करने का विनिश्चय किया है। इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) और (घ) पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन की समाप्ति के बाद ही उच्च गति वाली यात्री गाड़ियों को आरम्भ करने के लिए विशिष्ट मार्ग की पहचान की जा सकती है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में एल.पी.जी. डीलरशिप का आबंटन

837. **श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से एल.पी.जी. डीलरशिप के आबंटन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को एल.पी.जी. डीलरशिप आबंटित की गई;

(ग) इस समय कितने आवेदन लंबित है; और

(घ) लंबित आवेदनों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने पश्चिम बंगाल में विगत तीन वर्षों के दौरान 83 स्थलों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

वर्ष	विज्ञापित स्थलों की संख्या
2006-07	00
2007-08	83
2008-09	00

(ख) से (घ) उपरोक्त 83 स्थलों में से 41 स्थल आबंटन के लिए लंबित हैं। निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिपों का चयन स्वयं ओएमसीज द्वारा किया जाता है। एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिपों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें उपयुक्त स्थल का पता लगाना, गोदाम बनाने के लिए भूमि व्यवस्था तथा अन्य सांविधिक मंजूरियां शामिल हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को स्थापना के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है, किन्तु यथा संभव शीघ्रता से करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

838. **श्री नवीन जिन्दल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है तथा उक्त कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा;

(ग) अन्य स्टेशनों का ब्यौरा क्या है, जहां इस प्रकार का कार्य आरम्भ किया गया है;

(घ) क्या इस कार्य हेतु विदेशी कंपनियों को लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या किसी भारतीय कंपनी को कुछ स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य सौंपा गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (छ) नई दिल्ली स्टेशन के लिए वास्तुशिल्पीय एवं तकनीकी परामर्श, कानूनी परामर्श, वित्तीय परामर्श आदि जैसी विभिन्न कंसलटेंसीज व्यावसायिक परामर्शदाताओं को दी गई हैं। संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए तथा उनका क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए डी.डी.ए., जल बोर्ड, डी.यू.ए.सी., यातायात पुलिस आदि जैसे स्थानीय प्राधिकरणों के साथ मामले पर विचार-विमर्श चल रहा है।

पटना तथा मुम्बई सी.एस.टी. रेलवे स्टेशन के लिए भी वास्तुशिल्पीय एवं तकनीकी परामर्श ठेके पर दे दिए गए हैं।

[हिन्दी]

रेल परिसम्पत्तियों को क्षति

839. **श्री एम.राजा मोहन रेड्डी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक सरकार के ध्यान में आतंकवादियों/नक्सलवादियों/असामाजिक तत्वों द्वारा रेल लाइनों/रेलवे स्टेशनों/रेलवे परिसम्पत्तियों की क्षति के वर्षवार और रेलवे जोनवार कितने मामले आए हैं;

(ख) क्या प्रत्येक ऐसे मामले की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट के अनुसार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) रेलवे द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने और रेलवे परिसम्पत्ति की क्षति को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) पिछले तीन वर्ष अर्थात् 2006, 2007, 2008 और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2009 (मार्च तक) क्षेत्रीय रेलों पर आतंकवादियों/नक्सलवादियों/असामाजिक तत्वों द्वारा रेल लाइनों/रेलवे स्टेशनों/रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले सूचित किए गए मामलों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है:

वर्ष	आतंकवादी	नक्सलवादी	असामाजिक
2006	18	28	24
2007	10	42	30
2008	07	27	51
2009 (मार्च तक)	02	08	15

जोनवार विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) जी हां। चूंकि कानून एवं व्यवस्था का रख-रखाव राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तरदायित्व है इसलिए ऐसे सभी मामले राजकीय रेलवे पुलिस, जो संबंधित राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है, को रिपोर्ट किए जाते हैं, उनके द्वारा दर्ज किए और छानबीन किए जाते हैं इस प्रकार, रेल मंत्रालय रेलों पर अपराध पर काबू पाने के लिए अधिकांशत: राजकीय रेलवे पुलिस पर निर्भर करती है।

(ङ) रेल मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण और भेद्य रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए जा रहे हैं:

(1) भेद्य रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजनों की संस्थापना।

(2) प्रवेश/निकास बिंदुओं पर पहुंच नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक सुरक्षा गजट जैसे हस्त धारित मेटल डिटेक्टर्स, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स, प्रवेश स्कैन/एक्सरे मशीन आदि।

(3) तोड़फोड़ रोधक जांच करने के लिए विभिन्न मंडलों में और रेलवे स्टेशनों पर श्वान दस्ते का उपयोग।

(4) रेल सुरक्षा बल कार्मिकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का उन्नयन।

(5) प्लेटफार्मों, अन्य परिसरों और सवारी डिब्बों में पड़े हुए लावारिस सामानों के बारे में सतर्क रहने और नजदीक उपलब्ध रेसुब/रारेपु/रेलवे अधिकारियों को सूचित करने के लिए सभी यात्रियों को चौकन्ना और शिक्षित करने हेतु गहन प्रचार एवं जन जागरूकता अभियान।

(6) सहयात्रियों की संदेहास्पद हरकत और खासतौर पर साधारण डिब्बों में किसी संदेहास्पद सामान/बैग को नहीं छूने के बारे में यात्रियों को चौकन्ना करने के लिए सभी स्टेशनों पर अक्सर उद्घोषणाएं।

(7) प्रारंभिक/गंतव्य स्टेशनों पर अनुरक्षण साइडिंगों में स्थापन से पहले और बाद में रेलगाड़ियों में और खाली कोचिंग रेकों में अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश रोकने के कदम।

(8) किसी अप्रिय घटना की रोकथाम करने के लिए रारेपु/राज्य पुलिस/केंद्रीय आसूचना एजेंसियों के साथ निकट समन्वय।

विवरण

मामलों की जोनवार संख्या

रेलवे	2006			2007			2008			2009 (मार्च तक)		
	आतंकवादी	नक्सल	असामाजिक तत्व	आतंकवादी	नक्सल	असामाजिक तत्व	आतंकवादी	नक्सल	असामाजिक तत्व	आतंकवादी	नक्सल	असामाजिक तत्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मरे	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पूरे	–	02	07	–	05	06	–	05	07	–	01	02
पूमरे	–	10	11	–	09	03	–	04	17	–	02	01
पूतरे	–	08	–	–	21	00	–	15	–	–	01	–
उरे	01	–	–	01	–	03	–	–	07	–	–	–
उमरे	–	–	–	–	–	06	–	–	05	–	–	01
पूर्वोत्तर	–	–	01	–	–	06	–	–	01	–	–	–
पूसीरे	10	–	–	09	–	02	06	–	01	02	–	03
उपरे	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दरे	–	–	–	–	–	02	–	–	04	–	–	–
दमरे	–	02	03	–	–	02	–	–	05	–	–	07
दपूरे	–	05	–	–	07	–	–	03	–	–	04	–
दपूमरे	–	01	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–
दपरे	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
परे	07	–	02	–	–	–	–	–	02	–	–	01
पमरे	–	–	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–
जोड़	18	28	24	10	42	30	7	27	51	2	8	15

[अनुवाद]

रेल उपरी पुलों का निर्माण

840. श्री बलीराम जाधव :
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन सड़क उपरि पुलों और सड़क अधोगामी पुलों का आज की तारीख तक परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) समपारों पर सड़क ऊपरी पुलों/सड़क अधोगामी पुलों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और,

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे पुलों के निर्माण हेतु परियोजनावार और राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) क्षेत्रीय रेलों द्वारा लागत में भागीदारी के आधार पर विभिन्न राज्यों में पड़ने वाले 710 ऊपरी/निचले पुल स्वीकृत हैं।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों द्वारा प्रायोजित 102 नए प्रस्ताव जो नीचे दर्शाए गए हैं, को क्षेत्रीय रेलों द्वारा अग्रेषित किया गया है। इन प्रस्तावों को 2009-10 के रेलवे बजट में शामिल किया गया है, ब्यौरा निम्नानुसार है:

महाराष्ट्र	4	कर्नाटक	23
उत्तर प्रदेश	12	छत्तीसगढ़	3
तमिलनाडु	3	राजस्थान	1
झारखंड	1	उड़ीसा	11
मध्य प्रदेश	4	हरियाणा	7
पश्चिम बंगाल	5	आंध्र प्रदेश	9
पंजाब	11	गुजरात	8

(घ) निधियों का आबंटन जोन-वार किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल परियोजनाओं के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

रेलवे	2006-07	2007-08	2008-09
मध्य रेलवे	12.04	11.85	15
पूर्व रेलवे	29.84	25.42	40
पूर्व मध्य रेलवे	147.50	122.95	140
पूर्व तट रेलवे	23.00	33.55	31
उत्तर रेलवे	47.18	37.60	30
उत्तर मध्य रेलवे	17.85	15.30	15
पूर्वोत्तर रेलवे	13.07	11.50	10
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5.94	8.48	42
उत्तर पश्चिम रेलवे	13.04	17.32	35
दक्षिण रेलवे	23.80	60.31	80
दक्षिण मध्य रेलवे	14.06	66.33	36
दक्षिण पूर्व रेलवे	9.67	15.20	25
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	16.29	37.37	82
दक्षिण पश्चिम रेलवे	29.20	49.10	60
पश्चिम रेलवे	26.23	28.21	23
पश्चिम मध्य रेलवे	8.12	10.29	36

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए रक्षित लौह अयस्क खान

841. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पास विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी.एस.पी.) के लिए लौह अयस्क हेतु अपनी रक्षित खानें नहीं हैं;

(ख) क्या रक्षित लौह अयस्क खानों के अभाव में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र अत्यधिक वित्तीय घाटा उठा रहा है तथा उसे अत्यधिक मूल्य पर बाह्य स्रोतों से लौह अयस्क की खरीद करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कार्यवाही की है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन. एल.) को लौह अयस्क की अपनी समस्त आवश्यकता मौजूदा कीमत पर बाह्य स्रोतों से खरीदनी होती है जिसकी वजह से इसकी इस्पात की प्रति टन उत्पादन लागत निजी लौह अयस्क खानों वाले दूसरे संयंत्रों की तुलना में अधिक हो जाती है। उत्पादन की लागत अधिक होने के बावजूद आर.आई.एन.एल. ने वर्ष 2008-09 के दौरान लगभग 1300 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है।

(घ) आर.आई.एन.एल. लौह अयस्क के खनन पट्टों के लिए ऐसे क्षेत्रों का स्वामित्व रखने वाली राज्य सरकारों के पास आवेदन करता है। इस्पात मंत्रालय भी आर.आई.एन.एल. को लौह अयस्क खान आबंटित किये जाने हेतु खान मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के साथ मामला उठाता रहा है। लेकिन इन प्रयासों का अभी तक कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार ने वैकल्पिक समाधान के रूप में दूसरी उन कंपनियों के साथ आर.आई.एन.एल. की नीतिपरक साझेदारी करने का एक विकल्प तैयार किया है जिनके पास अपनी निजी लौह अयस्क खाने हैं।

[हिन्दी]

सेल को लाभ/घाटा

842. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और इसकी अनुषंगी इकाइयों विशेषकर बोकारो इस्पात संयंत्र को कितना लाभ/घाटा हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सेल और इसकी अनुषंगी इकाइयों द्वारा उत्पादित इस्पात की मात्रा कितनी है; और

(ग) उन्हें लाभ कमाने वाली इकाई बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा इसकी सभी सहायक कंपनियों, विशेष रूप से बोकारो इस्पात संयंत्र (बी एस एल) द्वारा अर्जित लाभ नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु.)

		2006-07	2007-08	2008-09
सेल	कर-पूर्व लाभ	9422	11469	9403
	कर-पश्चात लाभ	6202	7537	6175
एम ई एल*	कर-पूर्व लाभ	28	56	62
	कर-पश्चात लाभ	19	36	41
बी एस एल	कर-पूर्व लाभ	2737	2830	1293

(*महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड - सेल की सहायक कम्पनी)

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल-जून, 09) के दौरान सेल और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा विक्रेय इस्पात का किया गया उत्पादन नीचे दिया गया है:

(इकाई : हजार टन)

2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (अप्रैल-जून)
12581	13044	12503	3064

(एम ई एल फेरो मिश्र का उत्पादन करती है)

(ग) सेल और एम ई एल ने पिछले चार वर्षों के दौरान लाभ अर्जित किया है।

[अनुवाद]

पाटन-भिलडी मिसिंग लिंक

843. श्री हरिन पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पाटन-भिलडी मिसिंग लिंक के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल विकास निगम लिमिटेड का इस परियोजना पर कार्य शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पाटन-भिलाडी मिसिंग लिंक का निर्माण पिपाव, सुरेन्द्रनगर, वीरमागम, मेहसाना, पाटन, भिलाडी, भटिंडा तक का एक समर्पित मालभाड़ा गलियारा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। राजस्व, आपदा प्रबन्धन, सड़क एवं भवन कैपीटल परियोजना, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, गुजरात सरकार ने फरवरी, 2008 में एक पत्र भेजा है जिसमें गुजरात में 10 नई रेल परियोजनाओं के लिए अनुरोध किया है। पाटन-भिलडी के बीच एक नई लाइन का निर्माण इनमें से एक था। यह कार्य भिलडी से वीरमगांव तक ब.ला. रेल संपर्क का स्वीकृत भाग है।

(ग) और (घ) यह कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड को नहीं सौंपा गया है। यह कार्य पश्चिम रेलवे द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य तथा प्रमुख पुलों पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ङ) पाटन-भिलड़ी समर्पित माल गलियारे का भाग नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में बायो-डीजल रिफाइनरी

844. श्री वैजयंत पांडा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में निजी क्षेत्र के अंतर्गत बायो-डीजल रिफाइनरी स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में जटरोपा की खेती को बढ़ावा देने में यह इकाई किस सीमी तक मददगार साबित होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी नहीं। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यायालय में मामलों का निपटान

845. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे** : **क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज तक विभिन्न निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है; और

(ख) न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. पीरप्पा मोइली) : (क) प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभिन्न न्यायालयों के द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

न्यायलय/वर्ष	2006	2007	2008
उच्चतम न्यायालय	56540	61957	67464
उच्च न्यायालय	1440354	1497086	1458168
अधीनस्थ न्यायालय	15811027	16670572	16548251

(ख) सरकार ने न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निपटारे को सुकर बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं:

(1) सरकार आवधिक रूप से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पदसंख्या का पुनर्विलोकन करती है और रिक्तियों का तुरंत भरा जाना सुनिश्चित करती है जिससे कि न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या के कारण न्याय प्रशासन प्रभावित न हो। इस पुनर्विलोकन के आधार पर, विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 163 पद सृजित किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश पदसंख्या को 26 से बढ़ाकर 31 किया गया है।

(2) सरकार ने 'त्वरित निपटान न्यायालयों' की एक स्कीम आरंभ की थी, जिसे 31.03.2010 तक विस्तारित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन न्यायालयों ने, उन्हें अंतरित 31.01 लाख मामलों में से 25.07 लाख मामलों का निपटान कर दिया है।

(3) न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए और न्यायालयों में सिविल तथा दांडिक मामलों के निपटान में शीघ्रता लाने के लिए कुछ विधायी उपाय भी किए गए हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया गया है और 'सौदा अभिवाक्' की अवधारणा को प्रारंभ किया गया है।

(4) मध्यकता, बातचीत और माध्यस्थम सहित विवाद के वैकल्पिक ढंगों को बढ़ावा दिया गया है।

(5) अन्य उपाय भी किए गए हैं, जैसे कि विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को समूहबद्ध करना, विशेषीकृत न्यायपीठों का गठन, विशेष न्यायालयों की स्थापना और नियमित अंतरालों पर लोक अदालतों का आयोजन करना।

(6) न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से न्यायिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए भी कदम उठाए गए हैं। सरकार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना के उन्नयन के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है।

(7) सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम सं.4) को अधिनियमित किया है जो लगभग 5067 ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए उपबंध करता है।

नकली गैस सिलेंडरों का परिचालन

846. **श्री अशोक कुमार रावत** : **क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बड़ी संख्या में नकली गैस सिलेंडरों के परिचालन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(घ) देश में नकली गैस सिलेंडरों के परिचालन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) ने देश में नकली एलपीजी सिलिंडरों के बड़े पैमाने पर प्रचलन के मामलों की रिपोर्ट नहीं दी है। हालांकि कुछ ऐसे मामले हुए हैं जब ओएमसीज़ द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों के परिसरों में नकली सिलिंडर पकड़े गए थे। वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और अप्रैल-मई, 2009 वर्षों के दौरान, ओएमसीज़ ने देश में 156 नकली सिलिंडर पकड़े हैं। वर्ष-वार और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) ओएमसीज़ एलपीजी सिलिंडर ऐसे निर्माताओं से खरीद रहे हैं जो तेल उद्योग तकनीकी समिति (ओआईटीसी) द्वारा अनुमोदित हैं और उनके पास भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक (सीसीओई) से प्राप्त वैध निर्माता लाइसेंस हैं। बीआईएस द्वारा निर्माण प्रक्रिया पर कड़ाई से नियंत्रण रखा जाता है। ओएमसीज़ द्वारा खरीदे जाने वाले एलपीजी सिलिंडर अपेक्षित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।

भरण संयत्रों पर डिस्ट्रीब्यूटरों/परिवहनकर्त्ताओं से प्राप्त एलपीजी सिलिंडरों की गुणवत्ता और यर्थार्यता की दृष्टि से अनिवार्य तौर पर जांच की जाती है ताकि नकली और अत्याधिक पुराने सिलिंडरों को प्रचलन में आने से रोका जा सके। घटिया/नकली सिलिंडरों के पकड़े जाने पर इन्हें जब्त कर लिया जाता है और उसके बाद उनको शक्ल बिगाड़ दी जाती है/कुचल दिया जाता है ताकि वे प्रचलन में दोबारा न आ सकें।

एलपीजी के नकली उपकरणों के किसी भी आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त यदि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के कब्जे में कोई नकली उपकरण पाया जाता है या वितरण प्रणाली में ऐसे उपकरण को शामिल करता है, तो विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों में अन्य उपायों के साथ-साथ, उपकरण जब्त करने, प्रथम और दूसरे अपराधों के लिए जुर्माना लगाने और दांडिक दरें वसूल करने और तीसरे अपराध की स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त करने की व्यवस्था है।

विवरण

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और अप्रैल-मई, 2009 वर्षों के दौरान ओएमसीज़ द्वारा पकड़े गए नकली एलपीजी सिलेंडरों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	अप्रैल-मई, 2009
आन्ध्र प्रदेश	–	19	4	–
गुजरात	–	–	2	–
मध्य प्रदेश	–	–	80	1
महाराष्ट्र	6	–	–	–
उड़ीसा	32	–	–	–
राजस्थान	–	2	2	–
उत्तर प्रदेश	–	6	2	–
योग	38	27	90	1

[अनुवाद]

उर्वरकों के उत्पादन में कमी

847. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में उर्वरकों के उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आगामी पांच वर्षों में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ङ) जी नहीं। चालू वर्ष की पहली मिताही के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है। पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 09) के दौरान, प्रमुख उर्वरकों के उत्पादन का ब्यौरा पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में निम्नानुसार है:-

(लाख मी.टन में)

उत्पाद	अप्रैल-जून, 2009	अप्रैल-जून, 2009
यूरिया	45.89	45.89
डीएपी	13.53	8.84
मिश्रित उर्वरक	16.21	13.61

वर्ष 2009-10 के लिए यूरिया, डीएपी तथा मिश्रित उर्वरकों के लिए निर्धारित निश्चित लक्ष्य क्रमश: 216.32 लाख मी.टन, 36.62 लाख मी.टन. और 83.05 लाख मी.टन. है। उर्वरक विभाग यूरिया संयंत्रों में कम उत्पादन का मुख्य कारण प्राकृतिक गैस की सीमित उपलब्धता है। उर्वरक विभाग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, गेल और प्राकृतिक गैस/एलएनजी के भावी आपूर्तिकर्ताओं के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है ताकि उर्वरक उपयोग की गैस की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके। फॉस्फोरिक उर्वरक के मामले में, आदानों/कच्चे माल/मध्यवर्तियों की कीमतों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आई है। कम्पनियों ने इन आदानों की खरीद के लिए ठेके किए हैं। साथ ही, उर्वरक विभाग ने स्पिक-तूतीकोरिन को एमसीएफ-मंगलौर के साथ उत्पादन और विपणन की व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

[हिन्दी]

फल और सब्जियों का प्रसंस्करण

848. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काफी कम मात्रा में फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण होता है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित प्रत्येक राज्य में फलों और सब्जियों की प्रसंस्करण क्षमता कितनी है; और

(ग) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) देश में फल और सब्जी प्रसंस्करण के स्तर का अनुमान 2.20% लगाया गया है। फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत लाइसेंस दिए गए फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापित क्षमता 01.01.2008 की स्थिति के अनुसार 26.80 लाख टन से बढ़कर 01.01.2009 की स्थिति के अनुसार 30.089 लाख टन हो गई है। देश में फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत पंजीकृत फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की कुल संख्या 5166 है जिसमें से 1048 फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटें महाराष्ट्र में हैं। लघु उद्योग मंत्रालय और औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के अनुसार देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की कुल संख्या 2005-06 तक 17.873 लाख थी जिसमें से 2.713 लाख यूनिटें पंजीकृत थीं और 15.16 लाख यूनिटें अपंजीकृत थीं। देश में फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत लाइसेंस दी गईं फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को दर्शाने वाले राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

प्रसंस्करण के स्तर में बढ़ोत्तरी करने तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की संभावनाओं के दोहन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विजन, 2015 डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप दिया गया है जिसमें प्रसंस्करण क्षेत्र के आकार को तिगुना करने की परिकल्पना की गई है जिससे जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण के स्तर को 6% से बढ़ाकर 20% करने, मूल्यवर्धन को 20% से बढ़ा कर 35% करने और वर्ष 2015 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के हिस्से को 1.5% से बढ़ाकर 3% हो सके। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए

कृषि कारोबार - विजन, रणनीति और कार्ययोजना के संवर्धन के लिए समेकित रणनीति को भी सरकार ने अनुमोदित किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की तदनुरूपी वृद्धि वर्ष 2003-04 के 7% से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 13.14% हो गई है।

सरकार वित्तीय सहायता संबंधी अपनी योजना स्कीमों और अन्य संवर्धनात्मक उपायों के जरिए प्रसंस्करण सुविधाओं समेत बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित खाद्य के सृजन को सुकर बनाने का उद्देश्य बरबादी में कमी लाना, मूल्यवर्धन में बढ़ोत्तरी करना और शेल्फ लाइफ में बढ़ोत्तरी करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन और विकास हेतु विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50.00 लाख रुपये है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, समेकित जनजातीय विकास क्षेत्रों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर पर वित्तीय सहायता देता है जिसकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्रों और हिमालयी राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत फल और सब्जी प्रसंस्करण की स्थापना के लिए 50% की उच्चतर सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 4.00 करोड़ रुपए और उन्नयन के लिए 1.00 करोड़ रुपए की उच्चतर सहायता उपलब्ध है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। इन स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, मानव संसाधन विकास, गुणता आश्वासन और अनुसंधान और विकास का संवर्धन तथा अन्य संवर्धनात्मक उपायों के संवर्धन हेतु सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। संस्थानों को सुदृढ़ करने संबंधी स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, राष्ट्रीय मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड की स्थापना करके तथा भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का उन्नयन करके अंगूर, मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण जैसे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र समेत मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र की वृद्धि में तेजी लाने के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत 5 वर्षों के लिए लाभ पर 100% की छूट और नये कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना परिरक्षण और पैकेज्ड फल और सब्जी के मामलों में अगले 5 वर्षों के लिए लाभ पर 25% की छूट की अनुमति दी है। फल और सब्जी उत्पादों को उत्पाद शुल्क के भुगतान पर पहले से ही छूट प्राप्त है। बागवानी क्षेत्र की वृद्धि के उद्देश्य के साथ एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया है।

विवरण

01.01.2009 की स्थिति के अनुसार फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों (फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत लाइसेंस प्राप्त) राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	यूनिटों की संख्या
1	2	3
1.	दिल्ली	209
2.	चंडीगढ़	10
3.	राजस्थान	106
4.	हरियाणा	166
5.	जम्मू-कश्मीर	77
6.	पंजाब	230
7.	हिमाचल प्रदेश	116
8.	उत्तर प्रदेश	485
9.	उत्तराखण्ड	129
10.	महाराष्ट्र	1048
11.	गोवा	42
12.	मध्य प्रदेश	113
13.	छत्तीसगढ़	6
14.	गुजरात	305
15.	दादरा नगर हवेली और दमण दीव	7
16.	आंध्र प्रदेश	296
17.	कर्नाटक	328
18.	केरल	445

1	2	3
19.	तमिलनाडु	544
20.	पाण्डिचेरी	9
21.	पश्चिम बंगाल	308
22.	झारखण्ड	28
23.	बिहार	43
24.	उड़ीसा	20
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
26.	असम	46
27.	मेघालय	10
28.	सिक्किम	4
29.	अरुणाचल प्रदेश	2
30.	मिजोरम	3
31.	त्रिपुरा	7
32.	मणिपुर	16
33.	नागालैंड	6
34.	लक्षद्वीप	0
	कुल	5166

स्रोत: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

[अनुवाद]

अमरेली से सूरत और मुंबई के बीच विमान सेवा

849. श्री नारनभाई कछाड़िया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरेली से सूरत और मुंबई के बीच विमान सेवा शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। अमरेली हवाईअड्डा गैर-प्रचालनिक के है और जो राज्य सरकार का है।

[हिन्दी]

रेल समपार निर्माण

850. श्री लालचन्द कटारिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा राजस्थान सहित विभिन्न राज्य सरकारों से समपार निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे द्वारा अब तक स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति के साथ-साथ इन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है/कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) रेलवे को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा एक प्रस्ताव सहित राज्य सरकारों से समपारों के निर्माण हेतु तेरह प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राजस्थान से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य सरकार के परामर्श से नई लाइन बिछाने या उसके यातायात के लिए खोले जाने से 10 वर्ष के भीतर समपार बनाए जाते हैं। उसके बाद समपार जैसे ऐसे किसी भी कार्य की व्यवस्था निक्षेप शर्तों पर तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त स्थल पर की जा सकती है बशर्ते कि ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा समपारों के निर्माण की प्रारंभिक लागत और आवर्ती अनुरक्षण एवं परिचालनिक प्रभारों की एकबारगी पूंजीकृत लागत वहन करने की विधिवत सहमति देते हुए प्रायोजित किए जाएं।

ऐसे 'निक्षेप' कार्यों की लागत राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा वहन की जानी है, और कार्य रेलवे द्वारा किया जाता है।

क्रम सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव	स्थिति
1	2	3	4
1	बिहार	01	भागलपुर और नाथनगर के बीच स्थल पर पूरा हो गया है।

1	2	3	4
2	पश्चिम बंगाल	02	01 - बरुईपुर और कल्याणपुर के बीच कार्य प्रगति पर है। 01 - राज्य सरकार की ओर से धन की प्रतीक्षा है।
3	कर्नाटक	01	चित्तपुर में सिकंदराबाद - वाडि खंड पर पूरा हो गया है।
4	महाराष्ट्र	03	राज्य सरकार की ओर से धन की प्रतीक्षा है।
5	उड़ीसा	01	राज्य सरकार की ओर से धन की प्रतीक्षा है।
6	मध्य प्रदेश	01	राज्य सरकार की ओर से धन की प्रतीक्षा है।
7	सेल/पश्चिम बंगाल	01	दानकुनी और भट्टानगर के बीच भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की ओर से धन की प्रतीक्षा है।
8	पंजाब	02	01 - 0.9 लाख रुपये जमा करवाऐ गए हैं और एलडीएच-जेएचएल खंड के लिए शेष राशि की प्रतीक्षा है। 01 - एलडीएच - जेएचएल खंड के लिए निर्माण कार्य सौंपा गया है।
9	हरियाणा	01	राज्य सरकार की ओर से धन की प्रतीक्षा है।

*अन्य राज्यों से समपार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उर्वरकों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी

851. **श्री के.डी. देशमुख :**
श्री कमल किशोर 'कमांडो' :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार देश में उर्वरकों के अपमिश्रण, कालाबाजारी तथा नकली कीटनाशकों की बिक्री से अवगत है और उसे इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) देश में उर्वरकों के अपमिश्रण और कालाबाजारी तथा नकली कीटनाशकों की बिक्री को रोकने एवं उर्वरकों की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) देश में राजसहायता-प्राप्त उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) विगत 6 वर्षों से स्थिर हैं। तथापि, भारत सरकार की रियायत योजना के अंतर्गत मिश्रित उर्वरकों के सांकेतिक अधिकतम खुदरा मूल्यों में 18 जून, 2008 से कमी की गई है।

(ग) से (ङ) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 (एफसीओ) के खण्ड 21 के तहत उर्वरकों के बैगों पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित किया जाना अनिवार्य है और किसी भी व्यक्ति को सांविधिक/सांकेतिक मूल्य से अधिक मूल्य पर इनकी बिक्री करने की अनुमति नहीं है। राज्य सरकारों को इस की गतिविधियों को रोकने के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। एफसीओ, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955/एफसीओ, 1985 के तहत दण्डात्मक/प्रशासनिक

कार्रवाई की जा सकती है। राज्य सरकारों को ऐसे कदाचार रोकने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि किसानों को सांविधिक/सांकेतिक मूल्य पर उचित गुणवत्ता सहित उर्वरक उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में तेलशोधनशालाओं की शोधनक्षमता

852. **श्री टी.आर. बालू :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में विद्यमान तेलशोधनशालाओं की शोधनक्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) राज्य की मौजूदा कुल शोधनक्षमता कितनी है और इन शोधनशालाओं को कच्चे तेल की आपूर्ति का स्रोत क्या है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम के पास तमिलनाडु के इन्नौर में एक मेगा ग्रास रूट तेलशोधनशाला की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी हां। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, मौजूदा रिफाइनरी अर्थात् तमिलनाडु, राज्य में चेन्नै पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की शोधन क्षमता 10.5 मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष (एम.एम.टी.पी.ए.) से बढ़कर 12.2 एम.एम.टी.पी.ए. तक हो जाने की आशा है।

(ख) चेन्नै पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.पी.सी.एल.) जो तमिलनाडु राज्य में इंडियन आयल कापोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) की समूह कम्पनी है, की कुल मौजूदा शोधन क्षमता 10.5 एम.एम.टी.पी.ए. है। कच्चा तेल स्वदेशी तथा विदेश स्थित स्रोतों, दोनों, से जुटाया जा रहा है।

(ग) और (घ) इस समय आईओसीएल द्वारा तमिलनाडु के एन्नौर में विशाल ग्रास रूट रिफाइनरी स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना

853. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड में आदेशों और निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की है अथवा स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 110 के अंतर्गत स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के लिए भी अपीलीय न्यायाधिकरण है। धारा 30 में इस अपीलीय न्यायाधिकरण में एक या अधिक तकनीकी सदस्यों (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) को नियुक्त किए जाने का भी प्रावधान है। एक तकनीकी सदस्य (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) को 25 जून, 2007 को नियुक्त किया गया था।

सेल और आरआईएनएल का विस्तार

854. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के विस्तार कार्यक्रम को जारी रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कंपनीवार कितना व्यय आया है;

(ग) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र तथा अन्य इस्पात संयंत्रों का विस्तार करके इस्पात की मांग को पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशों में स्थापित नए कोयला उद्यमों हेतु कोई रणनीतिक प्राथमिकता तय की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) दोनों अपने विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। सेल में तप्त धातु का उत्पादन 14.4 मिलियन टन प्रति वर्ष के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 23.46 मिलियन

टन प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है तथा आर.आई.एन.एल. में द्रव इस्पात का उत्पादन 3.0 मिलियन टन प्रति वर्ष के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। पिछले तीन वर्षों (2006-07 से 2008-09) के दौरान सेल और आर.आई.एन.एल. द्वारा किया गया संचयी व्यय क्रमशः 3799 करोड़ रुपए तथा 4041 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) सेल के समग्र विस्तार के भाग के रूप में राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) का तप्त धातु उत्पादन 2.12 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.) के स्तर से बढ़कर 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.) हो जाएगा।

(ङ) और (च) निम्नलिखित उद्देश्यों से विदेशों में धातुकर्मीय और थर्मल कोल परिसम्पत्तियां प्राप्त करने के प्रयोजन से एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड (आई.सी.वी.एल.) स्थापित की गई है जिसमें स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल), कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.), नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन.एम.डी.सी.) तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) प्रमोटर हैं:-

(i) सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों (पी.एस.यू.) की 2019-20 की आवश्यकता की कम से कम 10% आवश्यकता के लिए आयातित धातुकर्मीय कोल की सप्लाई सुनिश्चित करना।

(ii) 2019-20 तक लगभग 500 मिलियन टन धातुकर्मीय कोल के भंडारों का स्वामी बनना, तथा

(iii) उनके क्षेत्र की जानकारी को बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय खनन कारोबार विकास के लिए मानव पूंजी तथा एन.टी.पी.सी. जैसी कंपनियों के लिए उच्च क्वालिटी के थर्मल कोल की प्राप्ति के लिए सुविधा प्रदान करके अन्य भागीदार कंपनियों जैसे सी.आई.एल., एन.टी.पी.सी. और एन.एम.डी.सी. की जरूरतें पूरी करना और संगठनात्मक आकांक्षाओं को पूरा करना।

धातुकर्मीय तथा थर्मल कोल की सप्लाई में दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आई.सी.वी.एल. ने कच्चे माल के संभावित स्रोतों के लिए आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, मोजाम्बिक, इंडोनेशिया, यू.एस.ए. और कनाडा जैसे देशों की पहचान की है।

पाइपलाइनों से तेल और गैस की चोरी

855. डॉ. के.एस. राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पाइपलाइन से तेल और गैस की चोरी के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं, और इसके कारण कितनी हानि हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार तेल और प्राकृतिक गैस की ढुलाई हेतु उच्च दबाव पर संचालित पेट्रोलियम और गैस पाइपलाइन से चोरी करने और इसे नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों को कड़ा दंड देने के लिए वर्तमान कानून को और कठोर बनाने हेतु इसमें संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान पाइपलाइन से तेल और गैस की चोरी/चोरी की कोशिश के 311 मामले हैं और 14.32 करोड़ रुपयों की हानि हुई है।

(ख) यह रिपोर्ट दी गई है कि चोरी की कोशिश के प्रत्येक मामले के लिए संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुछ मामलों में, दोषियों को स्थल पर पकड़ा गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है। इन मामलों को संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां, राज्य प्रशासन और पुलिस प्राधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर उठा रही हैं।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम और गैस पाइपलाइन से चोरी करने और इसे नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों को कड़ा दंड देने के लिए वर्तमान कानून को और कठोर बनाने हेतु पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के प्रावधानों में उचित संशोधन करने के लिए, भारतीय पेट्रोलियम संघ, जोकि पेट्रोलियम उद्योग के हितों के उन्नयन के लिए स्थापित एक संगठन है, ने सरकार से अनुरोध किया है।

भेल में इक्विटी की बिक्री

856. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि. (भेल) में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी के दस प्रतिशत भाग को बेचने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भेल ने भारतीय रेल के साथ स्टेनलेस स्टील से निर्मित ईएमयू कोचों की दीर्घकालिक आधार पर आपूर्ति करने के लिए एक समझौते के अतिरिक्त विद्युत उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए कई अन्य समझौते किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अपने हिस्से को कम करने से भेल की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि बीएचईएल ने रेल मंत्रालय को दीर्घकालिक आधार पर स्टेनलेस स्टील ईएमयू कोच की आपूर्ति के लिए एक समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। उक्त प्रस्ताव फिलहाल रेलवे बोर्ड के पास है।

(ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जेपोर और मालकानगिरी के बीच नई रेल लाइन

857. **श्री प्रदीप माझी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार जेपोर और मालकानगिरी के बीच नई रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस लाइन पर कार्य कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जेयपोरे से मल्कानगिरि तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण 2004-05 में पूरा हो गया था। 130 किमी. लंबी लाइन की लागत 562 करोड़ रु. आंकी गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि परियोजना स्वीकृत नहीं है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

858. **श्री असादूद्दीन ओवेसी** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ख) उन उच्च न्यायालयों के नाम क्या है जहां 2007 से रिक्त हुए पदों को भरने के लिए के लिए अब तक प्रस्ताव भी नहीं किया गया है; और

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान इस संबंध में कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और स्वीकृत किए गए?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में 30.06.2009 को न्यायाधीशों के रिक्त पदों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ख) इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, बम्बई, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों ने अभी तक ऐसे रिक्त पदों को, जो 2007 में रिक्त थे, भरने के लिए प्रस्ताव नहीं चलाए हैं।

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है। 1.1.2009 से 30.06.2009 की अवधि के दौरान न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के 70 रिक्त पदों को नई नियुक्तियों के माध्यम से भरा गया था वर्तमान में, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 42 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

30.6.2009 तक उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की अनुमोदित पद संख्या, कार्यरत पद संख्या ओर रिक्त पद

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	अनुमोदित पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			अनुमोदित पद संख्या के अनुसार रिक्त पद		
		स्थायी	अतिरिक्त	योग	स्थायी	अतिरिक्त	योग	स्थायी	अतिरिक्त	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उच्च न्यायालय										
1.	इलाहाबाद	76	84	160	57	31	88	19	53	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	आन्ध्र प्रदेश	33	16	49	26	4	30	7	12	19
3.	बम्बई	48	27	75	47	19	66	1	8	9
4.	कलकत्ता	45	13	58	41	0	41	4	13	17
5.	छत्तीसगढ़	6	12	18	5	5	10	1	7	8
6.	दिल्ली	29	19	48	29	15	44	-	4	4
7.	गुवाहाटी	17	7	24	16	5	21	-1	2	3
8.	गुजरात	29	13	42	27	-	27	2	13	15
9.	हिमाचल प्रदेश	7	4	11	8	2	10	-1	2	1
10.	जम्मू-कश्मीर	9	5	14	7	4	11	2	1	3
11.	झारखंड	10	10	20	10	4	14	-	6	6
12.	कर्नाटक	33	8	41	30	8	38	3	-	3
13.	केरल	27	11	38	21	12	33	6	-1	5
14.	मध्य प्रदेश	32	11	43	31	6	37	1	5	6
15.	मद्रास	45	15	60	28	28	56	17	-13	4
16.	उड़ीसा	17	5	22	14	2	16	3	3	6
17.	पटना	29	14	43	17	6	23	12	8	20
18.	पंजाब और हरियाणा	38	30	68	36	10	46	2	20	22
19.	राजस्थान	32	8	40	27	3	30	5	5	10
20.	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	-	0	
21.	उत्तराखंड	9	0	9	8	0	8	1	0	1
	योग	574	312	886	488	164	652	86	148	234

[हिन्दी]

अंब-अंदौरा से दौलतपुर तक रेल लाइन

859. श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंब-अंदौरा से दौलतपुर चौक खण्ड तक रेल लाइन के निर्माण में धनराशि की कमी के कारण विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए धनराशि प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) 2009-10 के दौरान परियोजना के लिए 25 करोड़ रु. मुहैया कराए गए हैं। रेलों के पास निधियों की सीमित उपलब्धता के साथ चालू परियोजनाओं का अत्यधिक थ्रोफारवर्ड है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाएं प्रगति कर रही हैं।

[अनुवाद]

उधमपुर-बारामूला रेल परियोजना

860. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उधमपुर-बारामूला रेल परियोजना के कटरा-काजीगुंड खण्ड का कार्य जुलाई, 2008 से बंद पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या समस्या का अभियांत्रिकी समाधान ढूंढने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे को पूर्ववर्ती सर्वेक्षण के अनुसार पहले से अधिगृहित भूमि के अतिरिक्त और भूमि अधिग्रहित करनी होगी; और

(च) यदि हां, तो अब तक भूमि अधिगृहण के लिए किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है और सरेखण में परिवर्तन के कारण रेलवे को कितना अतिरिक्त वित्तीय व्यय वहन करना होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) कतिपय तकनीकी मुद्दों के कारण जुलाई, 2008 से उधपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल परियोजना के कटरा-काजीगुंड खंड के किमी. 30 किमी. से 144 तक के कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) अभी तक भूमि अधिग्रहण के लिए 624.88 करोड़ रु. का भुगतान किया गया है।

विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन

861. श्री एन. चेलुवराया स्वामी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार देश के महानगरों, छोटे महानगरों तथा अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों के रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

गोरखपुर से गोण्डा तक आमान परिवर्तन

862. श्री जगदम्बिका पाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से गोण्डा तक मीटर गेज को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) जी हां। गोंडा-गोरखपुर, आनंदनगर-नौतनवा आमान परिवर्तन परियोजना पर गोरखपुर-आनंदनगर-नौतनवा (81.28 कि.मी.) खंड पर अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्यों के पूरा होने तथा रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के बाद परिवर्तित मार्ग शुरू किया जाएगा। आनंदनगर-गोंडा खंड (178.89 कि.मी.) के शेष हिस्से पर मिट्टी, पुल संबंधी कार्य आदि शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस वेधन/अन्वेषण

863. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी बेसिन और महानदी के तट पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का वेधन/अन्वेषण कार्य चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की वेधन/अन्वेषण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) महानदी बेसिन में, आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने 38,404 किलोमिटर द्वि-आयामी भूकंपीय तथा 34,046 वर्ग किलोमीटर त्रि-आयामी भूकंपीय आंकड़े (01.04.2009 को) अर्जित किए हैं। इसके अतिरिक्त, महानदी अपतट में ओएनजीसी तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा 22 अन्वेषी कूपों का वेधन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 11 हाइड्रोकार्बन खोजें की गई हैं।

वडोदरा विमानपत्तन पर नया हवाई कार्गो टर्मिनल

864. श्री रामसिंह राठवा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वडोदरा विमानपत्तन पर कोई नया हवाई कार्गो टर्मिनल बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। तथापि, इस समय कार्गो हैण्डलिंग के लिए सुविधा सेवा उपलब्ध हैं जिनसे वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कैरोसीन में अपमिश्रण रोधी

865. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैरोसीन में अपमिश्रण रोधी तत्व से कैंसर का खतरा होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कैरोसीन के अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए प्रयुक्त मार्कर के जलने से निकलने वाले कैंसरकारी धुएं से कैरोसीन प्रयोक्ता परिवारों को खतरा हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) 01 जनवरी, 2009 से मिट्टी के तेल में किसी मार्कर का प्रयोग नहीं किया जाता। मार्कर प्रणाली के चयन हेतु प्राप्त प्रस्ताव मूल्यांनाधीन हैं।

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के प्रत्युत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मार्कर के प्रयोग के संबंध में संभावित स्वास्थ्य जोखिम तथा विषवैज्ञानिक दृष्टि से भी पूर्वोपाय कार्रवाई के तौर पर टेंडरों में एक विशिष्ट शर्त रखी जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि **मार्कर** व्यावसायिक और विषवैज्ञानिक दृष्टि से सुरक्षित है। विक्रेताओं को समग्री सुरक्षा आंकड़ा पत्र उपलब्ध कराना चाहिए। तेल विपणन कंपनियों द्वारा आगे यह भी निर्णय लिया गया कि विशेषज्ञ राय ली जाए तथा राष्ट्रीय संस्थानों, नामत: आईटीआरसी, लखनऊ या एनआईओएच, अहमदाबाद में तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त मार्करों पर विषवैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए।

रायल्टी का भुगतान

866. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल कंपनियों द्वारा सरकार को कच्चे तेल और गैस पर रायल्टी का भुगतान करने के लिए कोई नई प्रणाली प्रारंभ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उससे सरकार को अनुमानत: कितना राजस्व अर्जित होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खुदरा पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र खोलना

867. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :**
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों की स्थान-वार, कंपनी-वार और राज्य-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) सहित तेल विपणन कंपनियों का विचार वर्ष 2009-10 के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्यों में इस प्रकार के और बिक्री केन्द्र खोलने और पुराने खुदरा बिक्री केन्द्रों को आधुनिक बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन खुदरा बिक्री केन्द्रों के कब तक खुलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामत: इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज़) की कुल संख्या कंपनीवार और राज्यवार संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 2009-10 के दौरान ओएमसीज़ का प्रस्ताव महाराष्ट्र में 222 खुदरा बिक्री केन्द्र सहित देशभर में 2263 खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओज़) खोलने का है। खुदरा बिक्री केन्द्रों का आधुनिकीकरण, ग्राहकों की जरूरत, स्थानों की बिक्री संभाव्यता, पर्याप्त स्थान की उपलब्धता के आधार पर और सभी कानूनी अनुमोदनों की प्राप्ति की शर्त पर एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) ओएमसीज़ ने सूचित किया है कि चूंकि खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना की प्रक्रिया में विज्ञापन जारी करने, आवेदनों और कागजात की जांच करने, डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार आयोजित करने, गुणावगुण (मेरिट) नामावलियां जारी करने, चयन किए गए उम्मीदवारों के संबंध में क्षेत्र जांच करने, आशय पत्र जारी करने, विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से विभिन्न अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने आदि जैसे विभिन्न सौंपान शामिल हैं, इसलिए आरओ डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू किए जाने के लिए कोई निश्चित समयसीमा बताना कठिन है।

विवरण

01.04.2009 को स्थिति के अनुसार पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्यवार और कंपनीवार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1429	723	769	**2921**
2.	अरुणाचल प्रदेश	46	1	0	47
3.	असम	447	22	61	530
4.	बिहार	911	306	249	1446
5.	छत्तीसगढ़	217	150	142	509
6.	दिल्ली	200	105	96	401
7.	गोवा	21	39	32	92
8.	गुजरात	928	439	411	1778
9.	हरियाणा	911	257	363	1531
10.	हिमाचल प्रदेश	164	52	67	283
11.	जम्मू-कश्मीर	184	91	103	378
12.	झारखंड	342	156	168	666
13.	कर्नाटक	1172	532	556	2260
14.	केरल	769	388	481	1638
15.	मध्य प्रदेश	781	483	379	1643
16	महाराष्ट्र	1241	1035	902	3178
17.	मणिपुर	54	2	0	56
18.	मेघालय	98	6	18	122

1	2	3	4	5	6
19.	मिजोरम	20	0	2	22
20.	नागालैंड	42	3	2	47
21.	उड़ीसा	509	245	175	929
22.	पंजाब	1453	547	652	2652
23.	राजस्थान	1126	551	666	2343
24.	सिक्किम	14	12	3	29
25.	तमिलनाडु	1423	793	753	2969
26.	त्रिपुरा	41	0	0	41
27.	उत्तर प्रदेश	2386	929	947	4262
28.	उत्तराखंड	188	78	100	366
29.	पश्चिम बंगाल	926	411	387	1724
30.	अण्डमान निकोबार	7	0	0	7
31.	चण्डीगढ़	22	10	11	43
32.	दादरा और नगर हवेली	8	1	3	12
33.	दमन और दीव	10	3	5	18
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	50	19	36	105
	योग	18140	8389	8539	35068

[अनुवाद]

मेहसाणा से तारंगा के बीच आमान परिवर्तन

868. **श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महेसाणा से तारंगा (पश्चिम रेलवे) के बीच आमान परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने उक्त कार्य को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) मेहसाणा-तारंगा हिल का आमान परिवर्तन स्वीकृत नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वारंगल विमानपत्तन पर सेवाएं बहाल होना

869. **श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से वारंगल विमानपत्तन पर विमान सेवाएं शीघ्रता से बहाल करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। वारंगल हवाईअड्डे को चरणों में, आरम्भिक तौर पर एटीआर-72 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए और तत्पश्चात बी-737-800/ए-321 प्रकार के विमानों के प्रचालन हेतु विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिनांक 30.03.2007 को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वारंगल हवाईअड्डे पर विकास कार्यों को हाथ में लेने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 438 एकड़ नि:शुल्क भूमि अधिग्रहित कराके उपलब्ध कराने के आशय से आंध्र प्रदेश सरकार के पास एक मास्टर प्लान भेजा गया है।

ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रेल फैक्ट्री

870. **श्री मधु गौड यास्खी :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार देश में कोई ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रेल फैक्ट्री स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किस स्थान की पहचान की गई है;

(ग) उस पर अनुमानत: कितना खर्च होने की संभावना है;

(घ) उक्त फैक्ट्री में कितने व्यक्तियों को नौकरी मिलने की संभवना है; और

(ङ) उक्त फैक्ट्री कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) जी हां। मधेपुरा, बिहार में 1293.57 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक ग्रीन फील्ड बिजली रेल इंजन फैक्ट्री स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। चूंकि भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है, अत: फैक्टरी में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है या परियोजना के पूरा होने की तारीख के संबंध में फिलहाल उल्लेख करना व्यवहारिक नहीं है।

सूरत-हजीरा रेल लाइन

871. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत-हजीरा रेल लाइन का विकास कार्य सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन की स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना के विभिन्न अंशधारियों/कंपनियों का वित्तीय अंशदान कितना है;

(घ) क्या रेलवे ने रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को और अधिक निधियां आबंटित की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान आरवीएनएल को आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। सूरत-हजीरा नई लाइन परियोजना, (37 किमी.) (अस्वीकृत) रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड जिसका सृजन पहचाने गए स्वर्णिम चतुर्भुज तथा राष्ट्रीय रेल विकास योजना के पत्तन संपर्कता संबंधी कार्यों को तेजी से निष्पादित करने के उद्देश्य से किया गया है, को कार्यान्वित करने के लिए स्थानान्तरित कर दी गई है। गुजरात सरकार के दिनांक 10.06.2009 के संकल्प सं. जी.आई.डी. 102007-1213-जी के तहत सूरत-हजीरा रेल लाइन परियोजना के सरेखण संबंधी कार्य को बंद कर दिया गया है। इस परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए गुजरात सरकार ने मुख्य सचिव, गुजरात सरकार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। रेल विकास निगम बंद किए गए सरेखण संबंधी कार्य की लागत तथा व्यवहार्यता तैयार कर रहा है तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए मामले पर कार्यवाही करेगा।

(ग) परियोजना विकास के पूरा होने तथा उसकी व्यवहार्यता स्थापित हो जाने पर विभिन्न दावेदारों/कंपनियों के बीच वित्तीय अंशदान के बारे में निर्णय लिया जाएगा। इस समय गुजरात सरकार, एस्सार इस्पात लि. तथा हजीरा पोर्टप्राइवेट लि. ने इक्विटी भागीदारी में इच्छा दिखाई है।

(घ) और (ङ) रेल बजट 2009-10 में रेल विकास निगम लि. के लिए 1420.00 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

यात्री रेलगाड़ियों का ठहराव

872. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को कर्नाटक के दावनगेरे जिले के लोगों से दावनगेरे जिले में मायाकोण्डा रेलवे स्टेशन के निकट हुच्चावजाहल्ली गांव में हुबली-बंगलौर यात्री रेलगाड़ी का ठहराव प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) उक्त ठहराव कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) हरिहर-चिकजाजूर खंड पर एक नया हाल्ट मुहैया कराकर मायाकोंडा खंड के निकट हुच्चावनहल्ली पर बेंगलूरू-हुबली रेलगाड़ी के ठहराव के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अनुरोध का जांच की गई है तथा परिचालनिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं समझा गया है।

दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी

873. **श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दवा कंपनियों को पैकेटबंद दवाओं के 285 ब्राण्डों के मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या एंटी बैक्टीरियल, डोक्सीसायक्लिन, इंसुलिन, मल्टीविटामिन सीरप और मानव इंसुलिन ब्राण्डों की कीमतें 15 से 29% बढ़ गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये दवाएं राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की मूल्य सीमा के दायरे में आती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन दवाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी कीमत में वृद्धि नहीं हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के तहत इसकी अनुसूची में शामिल 74 बल्क औषधों और इनमें से किन्हीं भी अनुसूचित औषधों वाले फार्मूलेशन, नियंत्रित हैं। एनपीपीए/सरकार, डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधों/फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित या संशोधित करती है, जोकि एक सतत प्रक्रिया है। एनपीपीए द्वारा 12.3.2009 को 285 फार्मूलेशन पैकों के मूल्य निर्धारित/संशोधित किए गए थे। 285 फार्मूलेशन पैकों की सूची में तैयार रूप में आयातित 6 फार्मूलेशन, 25 नए फार्मूलेशन पैक, 28 मूल्य संशोधन एवं 226 स्वेच्छा से पहली बार मूल्य निर्धारण के मामले शामिल हैं। मूल्य संशोधन में मूल्य में कमी और बढ़ोतरी दोनों तरह के मामले हैं।

मूल्य संशोधन के 28 मामलों में से, 12 मामले इन्सुलिन/ह्यूमन इन्सुलिन फार्मुलेशन के मूल्य में बढ़ोतरी वाले थे जिनमें मूल्य वृद्धि का दायरा 14.56% से 17.08% तक था, एक मामला डाक्सीसाइक्लिन फार्मूलेशन का था जिसमें 26.22% मूल्य वृद्धि हुई तथा एक मामला मल्टीविटामिन सिरप का था जिसमें 26.15% मूल्य वृद्धि हुई थी। मूल्यों में वृद्धि मुख्य रूप से कनवर्जन लागत (सीसी), पैकेजिंग शुल्क (पीसी) एवं पैकिंग सामग्री मानकों तथा बल्क औषधों की दरों के कारण हुई थी। ट्राइमेथोप्रिम + सल्फामेथोक्साजोल टैब्लेट्स के कम्बीनेशन के एक पैक के मूल्य में कमी हुई थी। इसके अतिरिक्त, दो आयातित फार्मूलेशनों-मल्टीविटामिन टैबलेट एवं मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट के मामले में भी मूल्य में कमी करके मूल्य संशोधित किए गए थे।इन्सुलिन फार्मूलेशन गैर-उच्चतम मूल्य सीमा की श्रेणी में आते हैं जबकि अन्य दो मामले-डॉक्सीसाइक्लिन एवं मल्टीविटामिन सिरप उच्चतम मूल्य सीमा की श्रेणी के तहत आते हैं।

[हिन्दी]

बल्लारशाह-अलापल्ली-सुरजागढ़ रेल लाइन

874. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बल्लारशाह-अलापल्ली-सुरजागढ़ रेल लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) बल्लारशाह से सुरजागढ़ (इटापल्ली) (130 कि.मी.) तक नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण के वर्ष 2009-10 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

निवेशकों को सुरक्षा

875. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभूत बंधपत्र/डिबेंचर के माध्यम से धन की उगाही करने वाली कम्पनियां दस्तावेज जमा करने संबंधी अपेक्षाओं का आमतौर पर अनुपालन नहीं करती हैं जिससे निवेशकों में असुरक्षा पैदा होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में नियमों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं। प्रतिभूत बंधपत्र/डिबेंचर के माध्यम से धन एकत्र करने वाली कम्पनियां सेबी (निर्गम और ऋण प्रतिभूतियों का सूचीकरण) विनियम, 2008, सेबी (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993 और सेबी [प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा (डीआईपी)] दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किए जाते हैं। इन विनियमों के अंतर्गत, जनता को ऋण प्रतिभूति जारी करने वाली किसी भी कम्पनी को अनिवार्यत: सूचीबद्ध करना होता है तथा ड्राफ्ट आफर दस्तावेज स्टाक एक्सचेंज के साथ-साथ कम्पनी रजिस्ट्रार के पास भी दायर करने होते हैं। स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की अनुमति निर्गम और

ऋण प्रतिभूतियों के सूचीकरण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज एक्सचेंज को प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रदान की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 128 के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, प्रतिभूत डिबेंचरों के माध्यम से धन एकत्र करने वाली प्रत्येक कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फार्म 10 भरते समय डिबेंचर ट्रस्ट दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करना सांविधिक रूप से आवश्यक है। प्रतिभूत ऋण निर्गमों के सूचीकरण के लिए, निर्गमकर्ताओं को डिबेंचर न्यासी की नियुक्ति करना आवश्यक है। डिबेंचर न्यासी को निर्गम खोलने से पूर्व सेबी को उचित कर्मिष्ठता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें यह सुनिश्चित हो कि कम्पनी ने जारी किए जाने वाले डिबेंचरों के लिए प्रतिभूति के लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं; कम्पनी ने उक्त सम्पत्ति पर प्रतिभूति लेने के लिए सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है तथा कम्पनी द्वारा सभी आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने की जवाबदेही कि पर्याप्त प्रतिभूति ले ली गई है और जारी किए जा रहे परिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में निरंतर आधार पर निभाई जा रही है, मर्चेंट बैंकर और डिबेंचर न्यासी की है। पब्लिक/राइट्स इश्यू के लिए आफर दस्तावेज में ली जा रही और निभाई जा रही प्रतिभूति के संबंध में प्रकटीकरण शामिल करने आवश्यक हैं। इन प्रकटीकरणों में उन परिसम्पत्तियों जिन पर प्रतिभूति ली जाएगी, शुल्कों की दर, द्वितीय या बकाया शुल्क के मामले में बाद के शुल्क सहित जुड़े जोखिम, प्रतिभूति/परिसम्पत्ति कवर का रख-रखाव किया जाता है, के संबंध में तथा इसके परिकलन, मूल्यांकन पद्धतियां आदि के आधार पर सूचना सम्मिलित होगी।

किसी उल्लंघन के मामले में, सेबी को सेबी अधिनियम, विनियम और इनके अंतर्गत बने दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित एनटिटियों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

पंजीकृत कम्पनियों की मूल्यांकन रिपोर्ट

876. श्री बलीराम जाधव : क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए पंजीकृत कम्पनियों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के संबंध में कानूनी और विनियामक आवश्यकताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने मूल्यांकनकर्ताओं के लिए कोई आचार संहिता निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 में अधिग्रहण के उद्देश्य से सूचीबद्ध कम्पनियों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में किसी विधिक और नियामक अपेक्षा का वर्णन नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग

877. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न न्यायालयों में मामलों की सुनवाई में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में न्यायालयों में हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं का कितना प्रतिशत प्रयोग किया जा रहा है;

(घ) क्या संविधान के अनुच्छेद 19क में उपबंध किया गया है कि अधिवक्ता तथा उनके मुवक्किल अपनी सुविधानुसार किसी भी भाषा में न्यायालय के समक्ष अपने मुकदमे प्रस्तुत कर सकते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1) यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियों की भाषा तब तक अंग्रेजी होगी जब तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। अनुच्छेद 348(2) के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ऐसे उच्चतम न्यायालय की, जिसका प्रधान स्थान उस राज्य में है, कार्यवाहियों में हिंदी भाषा या उस राज्य के किसी शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु ऐसे उच्च न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री, निर्णय या आदेश अंग्रेजी में होंगे।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या किसी राज्य की शासकीय भाषा के प्रयोग को उस

राज्य के राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों आदि के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा। न्यायालय के मामलों की सुनवाई में हिंदी के प्रयोग का संवर्धन करने संबंधी विषय उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य सरकार में निहित होता है।

अब तक चार राज्यों अर्थात् बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपालों ने अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों में होने वाली कार्यवाहियों और साथ ही निर्णयों, डिक्रियों आदि में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया है। इन राज्यों के उच्च न्यायालयों में हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग के प्रतिशत के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) अनुच्छेद 19(क) भारत के संविधान में सम्मिलित नहीं है।

[अनुवाद]

समर्पित मालभाड़ा गलियारा

878. **श्री हरिन पाठक :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की कांडला से पालनपुर तक के रास्ते की दिल्ली-मुंबई के बीच समर्पित मालभाड़ा गलियारे के भाग के रूप में परिवर्तित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के किसी अन्य भाग में इस प्रकार की 'डबल स्टैक' सुविधा प्रदान करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया देश में पत्तनों को जोड़ने वाली विशेष रेलगाड़ी चला रहा है; और

(च) यदि हां, तो पत्तनों व राज्यों का नाम दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, कांडला-पालनपुर खंड पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के पहचाने गए फीडर मार्गों में से एक है।

(ग) और (घ) इस समय डबल स्टैक कंटेनर गाड़ियां पिपावाव/मुन्दड़ा और कनकपुरा (जयपुर) के बीच चल रही हैं। पश्चिमी समर्पित फ्रेट गलियारे (मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पत्तन से दिल्ली में दादरी/तुगलकाबाद) पर डबल स्टैक कंटेनर गाड़ियां चलाने की योजना है।

(ङ) और (च) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (कॉनकोर) अपने हिंटरलैंड इनलैंड कंटेनर डिपो से जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई पत्तन (महाराष्ट्र), कोलकाता पत्तन (पश्चिम बंगाल), चेन्नै पत्तन, तूतीकोरिन पत्तन, (तमिलनाडु), कोचीन पत्तन (केरल), विशाखापत्तनम पत्तन (आंध्र प्रदेश), कांडला पत्तन, मुन्दड़ा पत्तन और पिपावाव पत्तन (गुजरात) सहित विभिन्न पत्तनों को सामान्य कंटेनर सेवाएं प्रदान कर रही है। यातायात की मात्रा के आधार पर पत्तनों से और पत्तनों तक गाड़ी सेवाओं की योजना बनाई जाती है।

कम भार के सिलेण्डरों की आपूर्ति

879. **श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :**
श्री एन.एस.वी. चित्तन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कम भार वाले एलपीजी सिलेण्डरों की आपूर्ति के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल कंपनियों ने एलपीजी वितरकों को यह सुनिश्चित करने का अनुदेश दिया है कि 'डिलीवरी मैन' अपने पास स्प्रिंग वाला तराजू रखें ताकि ग्राहको को आपूर्ति करते समय एलपीजी सिलेण्डरों का भार तोला जा सके;

(ग) यदि हां, तो क्या इन अनुदेशों का सतर्कता से पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव 'डिलीवरी मैन' को शिकायत कार्ड उपलब्ध कराने का है तथा एक समयबद्ध तरीके से ग्राकों की शिकायतों पर कार्यवाही करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार द्वारा देश में एलपीजी वितरकों को तुरंत कम भार चाले सिलेण्डरों को प्रतिस्थापित करने के संबंध में कोई निदेश जारी किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (छ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को यह सुनिश्चित करने

के लिए अनुदेश दिए हैं कि उनके डिलीवरी मैन अपने साथ स्प्रिंग वाला तराजू रखें और एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति करते समय ग्राहक को सिलिंडर का वजन दिखाएं। ओएमसीज के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को दिए गए अनुदेशों का पालन किया जा रहा है। यदि निरीक्षण के दौरान, कोई विपथन पाया जाता है तो विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। यदि ग्राहक द्वारा कम वजनी सिलिंडर प्राप्त किया जाता है तो ऐसे सिलिंडरों को ओएमसीज द्वारा नि:शुल्क बदल दिया जाता है।

ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा कम वजनी सिलिंडरों की आपूर्ति करने/उत्पाद चुराने की सिद्ध शिकायतों के आधार पर, एमडीजी/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करारों के प्रावधानों के अनुसार, अप्रैल-मई, 2009 की अवधि के दौरान 10 मामलों में कार्रवाई की गई है।

ग्राहकों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए डिलिवरीमैन को शिकायत-कार्ड मुहैया कराने की ओएमसीज की कोई योजना नहीं है। तथापि, डिस्ट्रीब्यूटरशिप शो-रूम में एक शिकायत रजिस्टर रखा जाता है। इस समय ग्राहकों के पास शिकायतें दर्ज कराने के लिए विभिन्न साधन हैं, अर्थात् डिस्ट्रीब्यूटरशिप में रखा गया शिकायत रजिस्टर, ओएमसीज की वेबसाइट के जरिए, डाक के द्वारा, ग्राहक/ऊंचल सेवा प्रकोष्ठ तथा ओएमसीज के शिकायत काल सेंटरों को किए जाने वाले निम्नलिखित टोल फ्री नम्बरों के जरिए:-

आईओसी	18002333555
बीपीसीएल	1800222725
एचपीसीएल	18002333777

इन शिकायतों की ओएमसीज द्वारा निगरानी की जाती है और समयबद्ध ढंग से उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन

880. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हथकरघा इकाइयों की स्थापना के पहले और बाद में अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने हेतु राज्य हथकरघा वित्त निगमों को वित्तीय सहायता मुहैया करायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इसके माध्यम से राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य विमानपत्तनों पर एयर कार्गो

881. **श्री अशोक कुमार रावत : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक मुख्य विमानपत्तनों पर कितनी एयर कार्गो की संभलाई की गई;

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान इन विमानपत्तनों द्वारा कार्गो की संभलाई में कितनी अनुमानित वृद्धि की जाएगी;

(ग) बढ़ते हुए एयर कार्गो यातायात से निपटने के लिए अवसंरचना के विस्तार, आधुनिकीकरण, स्वचालित प्रणाली को आरंभ करने तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितने अनुमानित निवेश की आवश्यकता है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) प्रमुख हवाई अड्डों अर्थात् मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर तथा हैदराबाद में वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान हैण्डल किए गए एयर कार्गो की मात्रा (हजार मीट्रिक टन में) क्रमश: लगभग 1329, 1457 तथा 1418 थी।

(ख) निम्नलिखित प्रमुख हवाई अड्डों के लिए वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए हवाई कार्गो में अनुमानित वृद्धि दरें क्रमश: (मुंबई-1%, 6.99% तथा 8%), (दिल्ली-3.7%, 4% तथा 5%), (चेन्नई-2%, 5% तथा 10%), (कोलकाता-3%, 6% तथा 8%), (बंगलौर-3.8%, 6% तथा 7%) तथा (हैदराबाद-6%, 8% तथा 9%) हैं।

(ग) एयरकार्गो को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों में - आधुनिक रंगीन एक्सरे मशीनों की संस्थापना, एयर कार्गो हैंडलिंग संबंधी गतिविधियों में और अधिक स्वचालन तथा मशीनीकरण प्रणाली की शुरूआत, इलैक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणालियों का

क्रियान्वयन, परेषण माल की बार-कोडिंग प्रणाली की शुरूआत, एकीकृत कार्गो टर्मिनलों का प्रावधान आदि शामिल हैं।

(घ) प्रमुख हवाई अड्डों पर अवसंरचना विकास की अनुमानित लागत लगभग 830 करोड़ रुपए बनती है।

[अनुवाद]

तेल प्रसंस्करण मिलों का संवर्धन

882. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में तेल आधारित तेल प्रसंस्करण मिलों का संवर्धन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में केंद्रीय सहायता से कितनी तेल प्रसंस्करण मिलों की स्थापना की गई;

(ग) क्या सरकार को विशेष रूप से राजस्थान में सरसों और सोयाबीन आधारित मिलों के तेल प्रसंस्करण मिलों के संवर्धन के क्षेत्र के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरसों तथा सोयाबीन की उपलब्धता आधारित तेल और खाद्य उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) देश में तेल प्रसंस्करण मिलों के संवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है तथा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वित्तीय सहायता के त्वरित संवितरण के लिए मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के तहत 01.04.2007 से बैंकों के जरिए संवितरण प्रक्रिया को विकेंद्रित किया हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्कीमें परियोजना उन्मुखी हैं न कि राज्य विशिष्ट। राजस्थान समेत देश के सभी राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर मार्गनिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाता है। देश में वनस्पति, वनस्पति तेल एवं वसा निदेशालय के अनुसार 152006 वनस्पति तेल इकाइयां मौजूद हैं। इकाइयों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। 10वीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में 154 तेल प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता दी है जिनमें से राजस्थान में 16 इकाइयों को सहायता दी गई है। तेल प्रसंस्करण इकाइयों का विवरण जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीम के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है के विवरण के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

कृषि, मंत्रालय, भारत सरकार ने तिलहन तथा दालों पर एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है जिसका लक्ष्य सुनिश्चित आपूर्ति तथा प्रौद्योगिकी पैकेजिस के जरिए विभिन्न तिलहन फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है तथा अधिकतम उपज के लिए प्रत्येक फसल के लिए स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी का विकास करना है। कुछ प्राथमिकता प्राप्त फसलें हैं- मूंगफली, तेरिया बीज सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम, अलसी, तिल एवं नीगर।

विवरण-I

(जनवरी, 2009 के अनुसार) वनस्पति तेल उद्योग की स्थिति

क्रम सं.	वनस्पति तेल उद्योग के प्रकार	इकाइयों की संख्या
1.	तिलहन पिराई इकाइयां	1,50,000
2.	विलायक निस्सारण इकाइयां	795
3.	वनस्पति तेल इकाइयां	943
4.	वनस्पति इकाइयां	268
	जोड़	152006

स्रोत: वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय

विवरण-II

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उद्योग मंत्रालय की स्कीम के तहत सहायता प्राप्त तेल प्रसंस्करण इकाइयों के राज्यवार ब्योरों का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	राज्य का नाम	इकाइयों की संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16	648.15
2.	असम	2	36.66

1	2	3	4
3.	बिहार	1	21.69
4.	छत्तीसगढ़	3	78.33
5.	दिल्ली	1	35.00
6.	गुजरात	12	439.76
7.	हरियाणा	4	166.24
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1	8.43
9.	कर्नाटक	6	188.61
10.	केरल	3	107.14
11.	महाराष्ट्र	40	1249.88
12.	उड़ीसा	2	50.00
13.	पाण्डिचेरी	1	32.60
14.	पंजाब	27	876.29
15.	राजस्थान	16	443.31
16.	तमिलनाडु	5	157.38
17.	उत्तर प्रदेश	6	143.08
18.	पश्चिम बंगाल	8	365.88
	कुल	154	5048.43

[हिन्दी]

होजरी मिलों का पुनरुद्धार

883. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक होजरी मिलें बंद हो गई हैं या बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनके पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) 31.5.2009 की स्थिति के अनुसार विभिन्न बाह्य और आंतरिक कारकों जैसे बिजली की समस्या, श्रमिक विवादों, फालतू क्षमता, आधुनिकीकरण के अभाव, उभरते हुए क्षेत्रों में विविधिकृत करने में असफलता, घटिया प्रबंधन, समय पर और समुचित कार्यशील पूंजी वित्त प्राप्त करने में कठिनाईयों, आंतरिक कारकों आदि के कारण होजरी मिलों सहित 70 वस्त्र मिलों के बंद होने की सूचना है। ऐसी मिलों के लिए पुनर्गठन/पुनरुद्धार प्रस्तावों पर बीआईएफआर द्वारा विचार किया जाता है। तथापि, सरकार वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस) के प्रावधानों के तहत ऐसी बंद मिलों के कामगारों को सहायता के लिए प्रावधान करती है। 31.5.2009 की स्थिति के अनुसार 102711 कामगारों को 26,199 लाख रु. की राशि राहत के रूप में प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

भारतीय न्यायिक सेवा

884. श्री टी.आर. बालू : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना नहीं की गई है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 में परिकल्पना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) भारत के संविधान की अपेक्षानुसार इस सेवा के सृजन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) जी नहीं। चूंकि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का सहयोग अपेक्षित होगा, इसलिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से उनके विचार और टिप्पण मांगे गए हैं। अब तक 15 राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और 12 उच्च न्यायालयों ने अपने विचार भेजे हैं। सभी राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों से उनके विचार प्राप्त होने के पश्चात् गुणागुण के आधार पर मामले की समीक्षा की जाएगी।

एयर इंडिया में विनिवेश

885. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री मिलिंद देवरा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एयर इंडिया में सरकारी हिस्सेदारी का विनिवेश का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय विमान सेवा प्रदाता एयर इंडिया का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आई.पी.ओ.) लाने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संगठन में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कपास का उत्पादन और निर्यात

886. डॉ. के.एस. राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान कपास का कितना उत्पादन हुआ तथा इसकी कितनी मांग थी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान वस्त्र के निर्यात पर उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या प्रभाव पड़ा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष की मांग और उत्पादन दर्शाने वाला तुलन पत्र नीचे दिया गया है:

(लाख गांठ में, प्रत्येक गांठ 170 किग्रा.)

कपास वर्ष (अक्तूबर-सितम्बर)

आपूर्ति	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
प्रारम्भिक भंडार	72.00	52.00	47.50	43.00
उत्पादन	241.00	280.00	315.00	290.00
आयात	5.00	5.53	6.50	7.00
कुल आपूर्ति	318.00	337.53	369.00	340.00
मांग				
मिल खपत	180.00	194.89	203.00	195.00
लघु मिल खपत	19.00	21.26	23.00	20.00
गैर मिल खपत	20.00	15.88	15.00	15.00
कुल खपत	219.00	232.03	241.00	230.00
निर्यात	47.00	58.00	85.00	50.00*
कुल लोप (डिसअपिरेंस)	266.00	290.00	326.00	280.00
अग्रेणीत	52.00	47.50	43.00	60.00

स्रोत: कपास सलाहकार बोर्ड (*अनुमानित)

(ख) उच्चतर एमएसपी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कच्ची कपास का लागत ढांचा प्रभावित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में घरेलू कपास में विषमता और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण प्रमुख आयातक देशों द्वारा कपास की खपत में कमी के कारण देश से कपास का निर्यात प्रभावित हुआ है।

चेन्नई विमानपत्तन पर 'नो बेक अप राडार' प्रणाली न होना

887. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई विमानपत्तन पर 'बेक अप राडार' प्रणाली की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चेन्नई विमानपत्तन से व्यस्त समय के दौरान 30 से 35 विमान से अधिक विमान आते-जाते हैं;

(घ) क्या चेन्नई विमानपत्तन पर वर्तमान राडार प्रणाली गत तीन वर्षों से बार-बार विफल हो रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) चेन्नई हवाई अड्डे पर ड्यूल चैनल वाली प्राइमरी

तथा सेकण्डरी राडार प्रणाली मौजूद है। एक चैनल के फेल हो जाने की दशा में, दूसरा चैनल काम करने लगता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित अनुरक्षण/अप्रत्याशित खराबी की वजह से केवल कुछेक ही व्यवधान आए हैं। पिछले तीन वर्षों में राडार सेवा की उपलब्धता 99% से अधिक थी।

मिट्टी तेल की निर्यात-आयात नीति

888. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समानांतर बजारों द्वारा बढ़िया किस्म के किरोसीन तेल (एस.के.ओ.) के आयात संबंधी निर्यात-आयात नीति में परिवर्तन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नीति में बदलाव होने से ग्राहकों को मुक्त बिक्री के एस.के.ओ. प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जबकि यह खुले बाजारों में आसानी से उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) दिनांक 02.09.1993 की अधिसूचना के द्वारा मिट्टी तेल के लिए समानान्तर विपणन प्रणाली (पीएमएस) लागू की गई थी जिसके अंतर्गत देश में निजी एजेंसियों को बाजार मूल्य पर मिट्टी तेल का आयात करने और बेचने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सिफारिश पर, वाणिज्य विभाग ने दिनांक 25.11.2003 की अपनी अधिसूचना द्वारा राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा मिट्टी तेल का आयात करने की अनुमति दी। ऐसा आयात विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.11 की शर्तों के अधीन और राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीईज) अर्थात् इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के माध्यम से अनुमत है। स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन (एसटीसी) को भी अग्रिम लाइसेंस धारकों को आपूर्ति करने के लिए राज्य व्यापार उद्यम के रूप में मनोनीत किया गया है। मिट्टी तेल नियंत्रण आदेश, 1993 दिनांक 06.07.2006 को संशोधित किया गया है जिसके द्वारा समानान्तर विपणनकर्ताओं को अपनी मांग स्वदेशी स्रोतों से भी जुटाने के लिए अनुमत किया गया है।

आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल गैर-पीडीएस मिट्टी तेल को खुले बाजार में बेच रहे हैं। गैर पीडीएस मिट्टी तेल की मौजूदा विपणन प्रणाली के अनुसार, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अपना रही हैं, जिन वास्तविक औद्योगिक और गैर-घरेलू ग्राहकों की मांग एक बार में एक टैंक लॉरी भार से अधिक होती है, उन्हें इसकी आपूर्ति सीधे ही की जा रही है और जिन छोटे ग्राहकों की मांग पूरे टैंक लॉरी भार से कम है, उन्हें मौजूदा एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से गैर-राजसहायता प्राप्त दर पर आपूर्ति की जा रही है। मिट्टी तेल (उपयोग और उच्चतम मूल्य निर्धारण पर प्रतिबंध) आदेश 1993, के प्रावधानों के अंतर्गत, सरकार ने आयल एंड नेचुरल गैस कापोरेशन (ओएनजीसी), मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को पीडीएस मिट्टी तेल की मांग पूरी करने के बाद, गैर-पीडीएस ग्राकों को भी स्वदेश में उत्पादित मिट्टी तेल को बेचने की अनुमति दी है। ये कम्पनियां मांग के अनुसार बाजार मूल्यों पर मिट्टी तेल की खुली बिक्री कर सकती हैं।

ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि किसी थोक ग्राहक/ग्राहकों को गैर-पीडीएस मिट्टी तेल प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है।

रेलवे में अतिविशिष्टता वाले अस्पताल

889. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की देश के विभिन्न भागों में अतिविशिष्टता वाले अस्पताल स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कर्नाटक सहित किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) सुपर स्पेशियेलिटी सुविधाएं मुहैया कराने हेतु चिंहित तथा स्वीकृत केन्द्र हैं:

(i) कार्डियोलाजी और नेफ्रोलाजी में सुपर स्पेशियलिटी विंग सहित पटना में पूर्व मध्य रेलवे के लिए केन्द्रीय चिकित्सालय

(ii) उत्तर रेलवे केन्द्रीय चिकित्सालय, नई दिल्ली में कैन्सर कार्डिक सेन्टर

(iii) पश्चिम रेलवे, मुम्बई के जगजीवनराम अस्पताल में कार्डिक सेन्टर, और

(iv) सियालदह, पूर्व रेलवे में बी.आर. सिंह अस्पताल में कार्डिक यूनिट का सर्जन।

[हिन्दी]

'रनवे' दुर्घटनाएं

890. **श्री जगदम्बिका पाल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तनों पर अनेक रनवे की खस्ता हालत के चलते पिछले दो वर्षों के दौरान वायु दुर्घटनाओं की प्राप्त हुई जानकारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्षा के दौरान विशेषकर मानूसन की अवधि में रनवे विमानों के लिए खतरनाक हो जाते हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के रनवे की मरम्मत करने के संबंध में कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) विगत दो वर्ष के दौरान हवाई अड्डों पर रनवे की खस्ता हालत के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रनवे क्लीनिंग तथा रनवे फ्रिक्शन टेस्टिंग नियमित रूप से की जाती है। जब भी आवश्यकता पड़ती है उसी समय रनवे की रिकार्पेटिंग तथा रिसर्फेसिंग की जाती है।

[अनुवाद]

अमरावती से नरखेर के बीच नई रेल लाइन

891. **श्री आनंदराव अडसुल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरावती और नरखेर के बीच नई रेल लाइन बिछाने का कार्य काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चन्दुर बाजार-नरखेर पर कार्य धीमे चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस रेल लाइन को कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) नई लाइन परियोजना 1993-94 में शुरू की गई थी। अमरावती-चंदूर बाजार (44 किमी.) को पहले ही पूरा किया जा चुका है। परियोजना की समग्र वास्तविक प्रगति 67 प्रतिशत है। परियोजना संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही है तथा समग्र लाइन को मार्च 2011 तक पूरा करने की संभावना है।

रोजगार में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

892. **श्री आनंदराव अडसुल :** क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में उद्योगों से ब्यौरा मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सूचना मांगने के क्या कारण हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मनमाड से ननदावा तक रेल लाइन

893. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने महाराष्ट्र में मनमाड-मालेगांव-धूले-ननदावा रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) क्या रेलवे की नासिक जिले के मालेगांव क्षेत्र में अनारक्षित टिकट प्रणाली शुरू करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता देने के लिए अपनी सहमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना के अंतर्गत कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) मालेगांव गैर-रेलशीर्ष स्थान है नजदीकी रेलवे स्टेशन मनमाड जो 30-35 कि.मी. दूरी पर है। मनमाड में अनारक्षित टिकट प्रणाली है।

(ग) और (घ) मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र ने हाल ही में निम्नलिखित नई लाइन परियोजनाओं को 50:50 की लागत में भागीदारी के आधार पर शुरू करने का अनुरोध किया है:

1. मनमाड-इंदौर
2. वडसा-देसाईगंज-गढचिरोली
3. पुणे-नासिक

(ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नई लाइन संबंधी कार्य स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

मेहसाणा से आबू रोड तक यात्री गाड़ी

894. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मेहसाणा और आबू रोड के बीच त्वरित डीजल यात्री गाड़ी चलाने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चलाए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिल्पकारों और बुनकरों को सहायता

895. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र सहित विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों और बुनकरों को कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार और योजनावार कितने शिल्पकार और बुनकर लाभान्वित हुए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सरकार की आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र सहित देश में स्व रोजगार के लिए कारीगरों और बुनकरों को सीधे वित्तीय सहायता देने की हस्तशिल्प एवं हथकरघा, दोनों क्षेत्रों में कोई स्कीम नहीं है।

तथापि, इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार कई स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिनमें कारीगरों एवं हथकरघा बुनकरों को सहायता दी जाती है। हस्तशिल्प क्षेत्र में, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित स्कीमों में अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना; विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीम; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम; हस्तशिल्प कारीगर कल्याण स्कीम; मानव संसाधन विकास स्कीम और अनुसंधान एवं विकास स्कीम शामिल हैं। हथकरघा क्षेत्र में स्कीमों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से बुनकरों का उत्पादन, उत्पादकता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हें कौशल उन्नयन, बुनियादी सुविधाएं तथा आदान सहायता उपलब्ध करवाकर उनकी आय बढ़ाने और सामाजार्थिक स्थिति बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का आधुनिकीकरण

896. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का उत्पादन बढ़ाने और नए खोज अभियान चलाने के लिए आधुनिककीण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विचार भी छर्रा संयंत्रों (पेलेट प्लांट्स) की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) जी हां। एन.एम.डी.सी. अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाने के लिए अपनी विद्यमान लौह अयस्क खानों में खोजी कार्य कर रही है। एन.एम.डी.सी. अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए नई खानें (छत्तीसगढ़ में बैलाडिला डिपाजिट 11 बी और कर्नाटक में कुमारस्वामी लौह अयस्क खान) भी विकसित कर रही है। अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए वह

नवीनतम और उच्च क्षमता वाली मशीनें भी प्राप्त कर रहा है। उसने कई नई लौह खानों हेतु पूर्वेक्षण लाईसेंस/खनन पट्टे के लिए भी आवेदन किया है।

इसके अतिरिक्त, यह आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में हीरे के लिए खोजी कार्य कर रही है। हाल ही में एन.एम.डी.सी. ने कोयना, प्लेटिनम, गोल्ड और बीच सेंड आदि के खोजी कार्य भी आरम्भ किये हैं। एन.एम.डी.सी. कल्याणदुर्ग, आंध्र प्रदेश के चारों ओर कुल 123 वर्ग कि.मी. क्षेत्र वाले 8 स्थानों में भी हीरे के लिए पूर्वेक्षण कार्य कर रही है। एन.एम.डी.सी. को मध्य प्रदेश में दो कोयला ब्लाकों यथा शाहपुर ईस्ट और शाहपुर वैस्ट का आबंटन भी किया गया है, जहां एन.एम.डी.सी. ने मै. एम.ई.सी.एल. के माध्यम से विस्तृत खोजी कार्य कराये हैं।

(ग) और (घ) जी हां। एन.एम.डी.सी. की छत्तीसगढ़ के बचेली में 2 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का एक पैलेट प्लांट और कर्नाटक के दोनीमलाई में 1.2 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का एक पैलेट प्लांट स्थापित करने की योजना है।

यात्री गाड़ी का चलाया जाना

897. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में हरिहर और बिसर के बीच यात्री गाड़ी चलाए जाने से संबंधित प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस पर कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता

[हिन्दी]

तत्काल आरक्षण

898. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने शयनयान श्रेणी टिकटों की संख्या घटा दी है और उसे तत्काल आरक्षण श्रेणी में बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो सामान्य शयनयान श्रेणी और तत्काल आरक्षण श्रेणी का तुलनात्मक प्रतिशत क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा तत्काल आरक्षण श्रेणी टिकटों से कितना राजस्व संग्रहीत किया गया है;

(घ) क्या रेलवे का विचार यात्रियों को हो रही कठिनाइयों के मद्देनजर टिकटों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) सामान्य कोटा के समान तत्काल कोटा के तहत यात्रियों द्वारा आरक्षण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। अग्रिम आरक्षण अवधि में केवल तुलनात्मक अंतर है और यात्रियों के लिए जगह में कोई कमी नहीं की गई है। स्लीपर श्रेणी में उपलब्ध कुल आरक्षित जगह में से लगभग 12% तत्काल यात्रियों के लिए रखा गया है। यदि यह अप्रयुक्त रहता है, तो यह कोटा सामान्य यात्रियों को जारी कर दिया जाता है।

(ग) रेलवे द्वारा 2008-09 के दौरान सभी श्रेणी की यात्राओं में जिसमें तत्काल जगह चिन्हित की गई है, टिकटों की बिक्री से 605 करोड़ रु. के राजस्व की रकम अर्जित की गई है।

(घ) और (ङ) बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्थान का सृजन एक सतत प्रक्रिया हैं। रेलवे ने बड़ी संख्या में गाड़ियां शुरू की है और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा गाड़ियों की क्षमता बढ़ाई गई है।

[अनुवाद]

संविदाओं की शर्तों को लागू किया जाना

899. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविदाओं को लागू किए जाने संबंधी मुद्दे की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रभागों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को उच्च न्यायालयों में एक प्रायोगिक योजना के रूप में मामला प्रबंधन प्रणाली शुरू किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव मिला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (च) संविदाओं के प्रवर्तन से संबद्ध मुद्दे की समीक्षा करने और सुधारों की सिफारिश करने के लिए विधि सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें औद्योगिक नीति और संवर्धन, बैंकिंग और कारपोरेट कार्य मंत्रालय/विभाग से प्रतिनिधि सम्मिलित थे। उक्त समिति ने 23 जुलाई, 2008 को अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल सचिव के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी।

समिति ने पृथक वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना के लिए विश्व बैंक के सुझाव को निर्दिष्ट किया था और उसने उस प्रस्ताव के लिए सहमति दी है। भारत के विधि आयोग ने "उच्च न्यायालयों में उच्च प्रौद्योगिकी त्वरित निपटान वाणिज्यिक प्रभाग के गठन के लिए प्रस्ताव" विषय पर अपनी 188वीं रिपोर्ट में भी प्रत्येक उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रभाग के गठन सिफारिश की है। इसे ध्यान में रखते हुए, समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि 1 करोड़ रुपए और अधिक के मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों पर कार्यवाही करने के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रभाग की स्थापना की जाए और न्यायपालिका में मामला प्रबंध प्रणाली को भी प्रारंभ किया जाए।

नागपुर विमानपत्तन

900. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर विमानपत्तन को विश्व स्तरीय मल्टी माडल, अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो केन्द्र के रूप में उन्नयनित किए जाने की दृष्टि से महाराष्ट्र विमानपत्तन विकास कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके उन्नयन कार्य की स्थिति क्या है; और

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है तथा इस पर कुल कितना निवेश किया गया है/किए जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाए जाने के लिए एक करार किया जा चुका है। संयुक्त उद्यम कंपनी को एमआईएचएएन के नाम से पंजीकृत किया गया है।

हवाईअड्डे के हस्तान्तरण की औपचारिकताएं प्रगति पर हैं और इन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। नागपुर हवाईअड्डा संयुक्त उद्यम कंपनी को सौंपे जाने के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के बीच कोई नीति अथवा अन्य लंबित मुद्दे नहीं हैं।

(घ) संयुक्त उद्यम कंपनी मास्टर प्लान के मुताबिक 3327.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हवाईअड्डे का विकास करेगी।

[हिन्दी]

उपरि पुलों का निर्माण

901. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के भारी यातायात वाले रेलवे समपारों में उपरि पुलों के निर्माण हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन प्रस्तावों की स्थिति क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में झारखण्ड और बिहार में बिना चौकीदार वाले और चौकीदार वाले समपारों पर कितने उपरि पुल निर्मित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) विगत में समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से प्रायोजित किए गए निम्नलिखित ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए थे:

राज्य	प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुलों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	91
बिहार	62
दिल्ली	19
हरियाणा	40

1	2
कर्नाटक	38
महाराष्ट्र	25
उड़ीसा	9
पंजाब	32
तमिलनाडु	125
असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	3
छत्तीसगढ़	12
गुजरात	15
झारखंड	20
केरल	61
मध्य प्रदेश	8
पांडिचेरी	3
राजस्थान	22
उत्तर प्रदेश	86
उत्तराखंड	1
जम्मू और कश्मीर	1
पश्चिम बंगाल	37
कुल	710

(ख) उपर्युक्त सभी ठोस प्रस्ताव लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किए गए थे तथा कार्य योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों पर हैं।

(ग) झारखंड और बिहार राज्य में पिछले 3 वर्षों के दौरान तथा 2008-09 के चालू वर्ष के दौरान पूरे किए गए ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्य निम्नानुसार हैं:

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
बिहार	0	2	0	1
झारखंड	2	4	3	2

[अनुवाद]

एल.पी.जी. बॉटलिंग संयंत्र

902. **श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में कितने एल.पी.जी. बॉटलिंग संयंत्र है और प्रत्येक संयंत्र की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में नए एल.पी.जी. संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) दिनांक 01.04.2009 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां 8967 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष (ह.मी.ट.प्र.व.) की कुल भरण क्षमता के साथ 182 एलपीजी भरण संयंत्रों का प्रचालन कर रहीं थी। क्षमता के साथ मौजूदा भरण संयंत्रों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) ओएमसीज द्वारा पैक्ड एलपीजी की संभाव्य मांग को ध्यान में रखते हुए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर एलपीजी भरण संयंत्रों की स्थापना की जाती है।

मुज्जफरपुर (बिहार), बड़ौदा (गुजरात) तथा इरूमपनम (केरल), प्रत्येक में एक, कुल तीन भरण संयंत्र निर्माणाधीन हैं।

ओएमसीज द्वारा देश में 14 और नए एलपीजी भरण संयंत्रों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। स्थल-वार/राज्य वार ब्यौरा निम्नवत हैं:-

स्थल और राज्य का नाम	भरण संयंत्रों की संख्या
1	2
विजाग (आंध्र प्रदेश)	1
रायपुर (छत्तीसगढ़)	1
मैंगलोर (कर्नाटक)	1
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	1
जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1
भोपाल (मध्य प्रदेश)	1

1	2
कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	1
बाडनेरा (महाराष्ट्र)	1
अकोलनर (महाराष्ट्र)	1
नागपुर (महाराष्ट्र)	1
गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	1
कानपुर (उत्तर प्रदेश)	1
विरूधाचलम (तमिलनाडु)	1
मदुरै (तमिलनाडु)	1

विवरण

दिनांक 01.04.2009 को देश में एल.पी.जी. भरण संयंत्रों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	भरण संयंत्रों की संख्या	क्षमता (ह.मी.ट.प्र. वर्ष में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12	706
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	5
3.	असम	7	210
4.	बिहार	5	230
5.	छत्तीसगढ़	2	88
6.	दिल्ली	2	308
7.	गोवा	2	66
8.	गुजरात	10	550
9.	हरियाणा	6	418
10.	हिमाचल प्रदेश	2	44
11.	जम्मू-कश्मीर	4	91
12.	झारखंड	4	142
13.	कनार्टक	11	574
14.	केरल	6	342
15.	मध्य प्रदेश	7	352
16.	महाराष्ट्र	19	1344
17.	मणिपुर	1	10
18.	मेघालय	—	—
19.	मिजोरम	1	5
20.	नागालैंड	1	5
21.	उड़ीसा	4	176
22.	पंजाब	5	396
23.	राजस्थान	11	442
24.	सिक्किम	1	5
25.	तमिलनाडु	17	800
26.	त्रिपुरा	1	11
27.	उत्तर प्रदेश	26	1048
28.	उत्तराखंड	3	110
29.	पश्चिम बंगाल	9	462
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	5
31.	चण्डीगढ़	—	—
32.	दादर और नगर हवेली	—	—
33.	दमन और दीव	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	—
35.	पुडुचेरी	1	22
	योग	182	8967

[हिन्दी]

उपक्रमों का निजीकरण/विनिवेश

903. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के तहत आज तक किन-किन उपक्रमों का निजीकरण किया गया या विनिवेश किया गया है;

(ख) इस पहल से सरकार को उपक्रम-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या इन उपक्रमों के निजीकरण या विनिवेश के दौरान कोई अनियमितता हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) इस्पात मंत्रालय के अधीन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) तथा के आई ओ सी एल लिमिटेड में विनिवेश हो चुका है।

(ख) सरकार को सेल और के आई ओ सी एल लिमिटेड में इस प्रकार के विनिवेश से क्रमशः 1036.33 करोड़ रु. 11.40 करोड़ रु. प्राप्त हुए।

(ग) इन विनिवेशों में किसी अनियमितता के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कुटुम्ब न्यायालय

904. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री ई. जी. सुगावनम :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कुटुम्ब न्यायालय हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा राज्यवार कितने मामले निपटाए गए हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में विभिन्न राज्यों में और कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नए न्यायालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि कुटुम्ब न्यायालयों में दायर मामले लंबे समय तक लंबित न रहें?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार देश में 175 कुटुंब न्यायालय कार्यरत हैं।

(ख) वर्ष 2006, 2007 और 2008 के दौरान कुटुंब न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या उपदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से नए कुटुंब न्यायालयों की स्थापना करने का कार्य राज्य सरकार का है। केंद्रीय सरकार स्कीम के सन्नियमों के अनुसर कुटुंब न्यायालयों संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। सभी राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों से प्रत्येक जिले में कम से कम एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

(च) सरकार न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और आधुनिकीकरण के लिए, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रसुविधाएं उपलब्ध कराना भी है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराके न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बना रही है। तथापि, मामलों के निपटान में लगने वाला समय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है।

विवरण

कुटुंब न्यायालयों में गत तीन वर्षों के दौरान निपटान

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों के दौरान निपटान		
		2006	2007	2008
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4886	5163	2929
2.	असम			#
3.	बिहार	6701	8591	9031
4.	छत्तीसगढ़	4204	5632	5652

1	2	3	4	5
5	गुजरात	4409	5487	5739
6	झारखंड	2718	3154	3238
7	कर्नाटक	9779	7888	15156
8	केरल	30347	37953	35659
9	मध्य प्रदेश	7793	9414	9168
10	महाराष्ट्र*			49293
11	मणिपुर	683	372	271
12	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
13	उड़ीसा	2113	1641	1313
14	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य
15	राजस्थान	7590	8882	457
16	सिक्किम	108	97	#
17	तमिलनाडु	9157	9157	#
18	त्रिपुरा	718	763	949
19	उत्तर प्रदेश*			84139
20	उत्तराखण्ड	3771	4674	3716
21	पश्चिमी बंगाल	732	435	588
22	पुडुचेरी	655	1081	1002
	योग	229796	110384	94868

* गत तीन वर्षों के दौरान कुल निपटान

जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

कोयला भण्डारों का उपयोग

905. **श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक उत्पादन और फीडस्टाक की आपूर्ति के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने विशाल कोयला भण्डारों का उपयोग करने का है जैसा कि अन्य देशों, विशेषकर चीन में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यूरिया उत्पादकों को गैस की आपूर्ति की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) नई मूल्य निर्धारण योजना चरण-III देश में यूरिया के उत्पादन के लिए ईंधन/फीडस्टाक के रूप में कोयला गैस और कोयला आधारित मीथेन का प्रयोग करने की सिफारिश करता है। इसके अलावा, देश में प्रचालनरत 28 यूरिया उत्पादन इकाइयों में से 6 यूरिया इंकाइयां उपयोगिताओं के रूप में वाष्प/विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से कोयला को ईंधन के रूप में प्रयोग करती हैं। सरकार प्राकृतिक गैस, कोयला गैस, कोयला आधारित मीथेन (सीबीएम) आदि के आधार पर नई ब्राउनफील्ड परियोजनाएं लगाकर हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) और फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की बंद पड़ी यूरिया इकायों का पुनरुद्धार करने की व्यवहार्यता की जांच भी कर रही है।

(ग) सरकार ने देश में मौजूदा यूरिया इकाइयों को गैस का आबंटन करने को उच्चतम प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। सरकार ने देश में उर्वरक क्षेत्र की कठिनाइयां दूर करने, विस्तार करने और पुनरुद्धार परियोजनाएं लगाने के लिए गैस का आबंटन करने को भी उच्चतम प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन में देश में मौजूदा गैस आधारित यूरिया इकाइयों को केजीडी 6 बेसिन से लगभग 15 एमएमएससीएमडी गैस का आबंटन किया गया है ताकि देश में यूरिया का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में सम्पूर्ण कमी को पूरा किया जा सके।

गुजरात में सड़क उपरिपुल

906. **श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में स्वीकृति हेतु लम्बित प्रस्तावित सड़क उपरिपुलों (आर.ओ.बी.) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और उनके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) 7 प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:

(1) मुंबई सेंट्रल मंडल के उदवडा स्टेशन के समीप विरार-सूरत खंड पर किमी. 181/18-20 पर समपार सं. 87 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

(2) मुंबई सेंट्रल मंडल के डूंगरी-स्टेशन के समीप विरार-सूरत खंड पर किमी. 203/28-204/2 पर समपार सं. 101 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

(3) राजकोट मंडल के कुरंगा स्टेशन के समीप वीरमगांव-ओखा खंड पर किमी. 936/13-14 पर समपार सं. 274 के बदले ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था।

(4) राजकोट मंडल के लखमाची स्टेशन के बीच थान-चोटिला रोड पर किमी. 674/7-8 पर समपार सं. 73 के बदले ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था।

(5) अहमदाबाद मंडल के ए.डी.आई.-पी.एन.यू. खंड पर जागुदान-मेहसाणा के बीच किमी. 721/4-5 पर समपार सं. 202 एक्स के बदले 4 लेन वाले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

(6) अहमदाबाद मंडल के मेहसाणा-पाटन खंड पर राज्य राजमार्ग पर स्थित किमी. 1/7-8 पर समपार सं. 1बी के बदले 4 लेन वाले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

(7) विश्वामित्री तथा प्रतापनगर स्टेशन के बीच किमी. 1/15-2/1 पर समपार सं. 2 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

(ख) सभी प्रारंभिक पूर्व अपेक्षित शर्तों तथा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के आधार पर प्रस्तावों को व्यावहारिक पाए जाने पर रेलों के भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा तथा इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत किए जाने पर संबंधित रेलवे के पास धनराशि तथा थ्रोफारवर्ड की उपलब्धता के अनुसार आबंटन किया जाएगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

इस्पात मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 84/15/09]

(2) वर्ष 2009-2010 के लिए इस्पात मंत्रालय की परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 85/15/09]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2009-10 का संख्यांक सीए 22) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 86/15/09]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2009-10 का संख्यांक सीए 23) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 87/15/09]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2009-10 का संख्यांक सीए 24) अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 88/15/09]

(2) वर्ष 2009-2010 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 89/15/09]

विधि और न्याय मंत्री (श्री एस. वीरप्पा मोइली) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 90/15/09]

[श्री एस. वीरप्पा मोइली]

(2) वर्ष 2009-2010 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 91/15/09]

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : महोदया, मैं राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 92/15/09]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 93/15/09]

(2) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 2 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 68(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 13 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 94(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 2009 जो 19 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 101(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(चार) वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2009 जो 25 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 126(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(पांच) वायुयान (छठा संशोधन) नियम, 2009 जो 4 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 150(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(छह) वायुयान (सातवां संशोधन) नियम, 2009 जो 12 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 165(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(सात) वायुयान (आठवां संशोधन) नियम, 2009 जो 13 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 167(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(आठ) वायुयान (नौवां संशोधन) नियम, 2009 जो 13 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 168(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(नौ) वायुयान (दसवां संशोधन) नियम, 2009 जो 16 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 254(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 94/15/09]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने

में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 95/15/09]

(6) (एक) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 10 के अंतर्गत रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 96/15/09]

(7) वर्ष 2009-2010 हेतु नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 97/15/09]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 136(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (वार्षिक लेखा विवरण प्रपत्र) नियम, 2009 जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 204(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2009 जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 137(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 339(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (अपील दाखिल करने संबंधी प्रपत्र और शुल्क तथा प्रतिकर अनुप्रयोग दाखिल करने हेतु शुल्क) नियम, 2009 जो 4 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 387(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (चयन समिति का कार्यकाल तथा नामों के पैनल के चयन की रीति) संशोधन नियम, 2009 जो 20 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 260(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति का कार्यकाल तथा नामों के पैनल के चयन की रीति) संशोधन नियम, 2009 जो 6 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 156(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति का कार्यकाल तथानामों के पैनल के चयन की रीति) दूसरा संशोधन नियम, 2009 जो 20 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 259(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और व्यावसायिकों की नियुक्ति) विनियम, 2009 जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर-40007/6/आरईजी एक्सपर्ट/नोटि/04-सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2009 जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर-40007/6/आरईजी सामान्य/नोटि/04-सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कार्य निपटान हेतु बैठक) विनियम, 2009 जो 22 मई, 2009 के भारत के

[श्री सलमान खुर्शीद]

राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर-40007/6/आरईजी बैठक/नोटि/04-सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 98/15/09]

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अंतर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (समूह क और समूह 'ख') भर्ती संशोधन नियम, 2008 जो 24 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 99/15/09]

(3) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विनियम, 2009 जो 8 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (3) 2008 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 100/15/09]

(4) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 163(अ) जो 12 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 448(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) गुणवत्ता पुनरीक्षा बोर्ड की बैठकों की सनदी लेखाकार प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें व निबंधन तथा भत्ते (संशोधन) नियम, 2009 जो 5 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 152(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 101/15/09]

(5) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 30ख, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत उसमें उल्लिखित अध्यक्ष और 8 सदस्यों से बना अपीलीय प्राधिकरण जो 20 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 789(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 102/15/09]

(6) वर्ष 2009-2010 के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 103/15/09]

(7) वर्ष 2009-2010 के लिए अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदनों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 104/15/09]

(8) वर्ष 2009-2010 के लिए अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 105/15/09]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन ओर उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 106/15/09]

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 107/15/09]

(तीन) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक

मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 108/15/09]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 109/15/09]

(4) वर्ष 2009-2010 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 110/15/09]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 111/15/09]

(2) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखि पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 112/15/09]

(4) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल (मौद्रिक देयता की सीमा तथा प्रतिशतता प्रभार का निर्धारण) संशोधन नियम, 2009 जो 30 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 219(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 113/15/09]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): महोदया, मैं म्निलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 114/15/09]

(2) वर्ष 2009-2010 के लिए वस्त्र मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 115/15/09]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : महोदया, मैं वर्ष 2009-2010 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 116/15/09]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 117/15/09]

(दो) भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 118/15/09]

(तीन) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 119/15/09]

(चार) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 120/15/09]

(पांच) केआईओसीएल (पूर्ववर्ती कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड) तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 121/15/09]

(छह) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 122/15/09]

(सात) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 123/15/09]

(आठ) मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 124/15/09]

(नौ) मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 125/15/09]

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति•

•सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 127/15/09

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदया, आपकी अनुमति से मैं 01 सितम्बर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग-II के तहत जारी माननीय अध्यक्ष के निदेश 73-क के अनुसरण में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन (2008-09) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रख रहा हूं।

उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। देश में कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए उर्वरकों की पर्याप्त और समयोचित उपलब्धता सुनिश्चित करना इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य है और इस प्रयोजन के लिए विभाग उर्वरक क्षेत्र के स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन एवं सहयोग देता है तथा उर्वरकों के आयात व वितरण की व्यवस्था करता है।

उर्वरक उद्योग के लिए योजना बनाना, इसका संवर्धन एवं विकास करना, उर्वरक उत्पादन का कार्यक्रम बनाना एवं निगरानी करना, उर्वरकों का मूल्य-निर्धारण, आयात एवं आपूर्ति करना और स्वदेशी व आयातित उर्वरकों के लिए राजसहायता/रियायत देकर वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना उर्वरक विभाग के प्रमुख कार्य हैं। उर्वरक विभाग रियायत योजना के अंतर्गत किसानों को निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर नियंत्रणमुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उर्वरकों के उत्पादकों/आयातकों को रियायत का भुगतान भी करता है।

इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग के कार्यों में उर्वरक क्षेत्र के निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सहकारी समिति का प्रशासनिक नियंत्रण भी सम्मिलित है:--

(i) फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआई) (बन्द है)

(ii) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर (एफएसीटी)

(iii) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)

(iv) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)

(v) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ)

(vi) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड (बीवीएफसीएल)

(vii) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन (एचएफसी) (बंद है।)

(viii) प्रोजेक्ट एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल)

(ix) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड

(x) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको)

वर्तमान में एफसीआईएल और एचएफसीएल के संयंत्र बंद हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों की इकाइयों के पुनरुद्धार के

लिए उपयुक्त विकल्पों पर विचार कर रही है जिसके लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (सीओएस) का गठन किया गया है।

कार्यकारी निदेशक का कार्यालय, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) भी उर्वरक विभाग के अधीन कार्य करती है। यह विभाग उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की प्रतिधारण मूल्य योजना और विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की व्यवस्था के लिए गठित एफआईसीसी को सचिवालयी सहायता प्रदान करता है।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने उर्वरक विभाग के प्रतिनिधियों के साथ सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्रों में उर्वरक उद्योग के कार्य-निष्पादन विषय पर चर्चा की और 21 अक्तूबर, 2008 को लोक सभा/राज्य सभा की 27वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट प्रतिवेदन में 14 सिफारिशें दी गई हैं, जिनका सार नीचे दिया गया है:–

(i) समिति चाहती है कि नई निवेश नीति का तुरन्त कार्यान्वयन किया जाना चाहिए ताकि पर्याप्त स्वदेशी उत्पादन के जरिए यूरिया की मांग-आपूर्ति के बीच अंतर को कम किया जा सके।

(ii) समिति सिफारिश करती है कि नए संशोधित नीति ढांचे को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ताकि देश फास्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो सके और फास्फेटयुक्त उर्वरकों के आयात पर इसकी निर्भरता न्यूनतम हो सके।

(iii) सपिति चाहती है कि उर्वरक क्षेत्र में सभी रुग्ण पीएसयू का एक निश्चित समय-सीमा में पुनरुद्धार करने हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(iv) समिति सिफारिश करती है कि पर्याप्त और नियमित गैस आपूर्ति के प्रावधान के साथ-साथ संयंत्रों का आधुनिकीकरण भी किया जाना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और उर्वरक औद्योगिक इकाइयों, विशेष रूप से पीएसयू द्वारा अकुशल कामगारों में दक्षता विकास की व्ययवहार्यता का भी पता लगाया जाना चाहिए।

(v) समिति सिफारिश करती है कि ईंधन तेल/एलएसएचएस आधारित संयंत्रों को गैस-आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन देने और उसमें तेजी लाने की योजना को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

(vi) समिति सिफारिश करती है कि सरकार को मशीनरी/यंत्रों का पुनरुद्धार करने में उर्वरक उद्योग की उदारता से सहायता करनी चाहिए ताकि ऊर्जा बचत की जा सके और ऊर्जा का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

(vii) समिति महसूस करती है कि यूरिया और एसएसपी के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करना समय की मांग है क्योंकि दोनों उर्वरकों के स्वदेशी मूल्य और आयात मूल्य में बहुत अंतर है।

(viii) समिति चाहती है कि विभाग को वित्त मंत्रालय के साथ यह मामला उठाना चाहिए कि राजसहायता की अधिकतम राशि का भुगतान बांड की बजाय नकद किया जाना चाहिए।

(ix) समिति ने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया कि सरकार को निजी क्षेत्र के उद्योगों को विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु जरूरी सहायता और प्रोत्साहन, जहां आवश्यकता हो, देना चाहिए।

(x) समिति सुझाव देती है कि सरकार राजसहायता बिलों का भुगतान करने हेतु पर्याप्त निधियां निर्धारित करनी चाहिए।

(xi) समिति सिफारिश करती है कि सरकार को घटिया उत्पादों के उत्पादन को रोकने हेतु ऐसे मामलों में कड़ाई से निपटाना चाहिए।

(xii) समिति सिफारिश करती है कि दोनों उर्वरकों के आयात में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ, डीएपी के लिए कच्ची सामग्री खरीदने हेतु प्रयत्न किए जाने चाहिए ताकि इसके स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि की जा सके और मांग-आपूर्ति के बीच अंतर को कम किया जा सके।

(xiii) समिति सिफारिश करती है कि सरकार उर्वरकों की कृत्रिम कमी को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक निगरानी तंत्र बनाए ताकि जिलों और ब्लाकों में समय पर पर्याप्त उर्वरक पहुंच सके।

(xiv) समिति यह सिफारिश भी करती है कि उर्वरकों के प्रभावी प्रयोग हेतु राज्यों में सिंचाई सुविधाओं में भी सुधार किया जाना चाहिए। यदि उर्वरक विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन मंत्रालय और राज्य सरकारों के सिंचाई और कृषि विभागों द्वारा परस्पर-सहयोग करके प्रयास किए जाते हैं तो वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

2008-09 के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट स्थायी समिति की सभी सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और उन पर उर्वरक विभाग में विचार किया गया है। इन सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट समिति को भेज दी गई है।

अपराह्न 12.04½बजे

समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : अब सभा में अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों को लिया जाएगा।

डॉ. रामचन्द्र डोम।

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदया, वह अत्यधिक चिन्ता की बात है कि कैपिटेशन फीस के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायाल के स्पष्ट आदेश के बाद भी यह आरोप लगाया गया है कि देश के विभिन्न भागों में कुछ निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों ने राज्य कोटे की सीटों को मैनेजमेंट कोटे में बदलकर मेरिट की अवहेलना कर विद्यार्थियों से अत्यधिक कैपिटेशन फीस लेकर सभी सीटें बेच दी हैं। अनेक अभिभावकों ने यह आरोप लगाया है और आज सुबह प्रेस में भी यह आया है कि ये कॉलेज प्रति सीट 20 लाख रु. तक ले रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के इस वर्ष 27 मई को विशेषकर मध्य प्रदेश के तीन मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के बारे में दिए गए निदेश के बावजूद ऐसा हो रहा है।

राज्य द्वारा आयोजित कॉमन एंटरेन्स टेस्ट (सीईटी) की मेरिट सूची के वास्तविक अभ्यर्थियों को दाखिला नहीं दिया गया। निजी प्रबंधन द्वारा राज्य कोटे की सीटों का दुरुपयोग अत्यंत निंदनीय है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसको गंभीरता से लिया जाए और सख्त नियामक तंत्र बनाकर व्यावसायिक शिक्षा में प्रचालित इस प्रकार के वाणिज्यीकरण और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।

[हिन्दी]

श्री उमाशंकर सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदया, मैंने सबसे पहले नोटिस दिया था। सभी लोगों ने कहा कि आपका पहला नम्बर है, लेकिन मेरा नाम तीसरे या चौथे नम्बर पर कैसे आ गया? आप इसे जरा दिखवाइये।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदया, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल – चार राज्यों के करीब 40 जिलों में कालाजार महामारी का रूप ले रहा है, खासकर जो गरीब लोग - मुसहर, धानुक, मल्हार, नौनियां, ततमा, धुनिया, ड्राइवर आदि हैं, जो गरीब आदमी सरजमीं पर सोते हैं, सेंटफ्लाई मक्खी उन्हीं को काटती है। मलेरिया का मच्छर भी गरीब व्यक्ति को ही काटता है। इन दोनों बीमारियों मे करीब 50 हजार गरीब लोग पीड़ित हैं। प्रिवैंटिव मेजर्स के तौर पर डीडीटी का स्प्रे भी नहीं हुआ है। कहीं आंशिक रूप से छुटपुट हुआ है और कहीं वह भी नहीं हुआ। क्यूरेटिव मेजर्स की दवा – पेन्टामिडिन, लोमोडिन, कैल्शियम बायग्लूकोनिट आदि सभी का अभाव हो गया है। गरीब आदमी इन्हें कहां से खरीदेगा? वह भगवान भरोसे जी रहा है। इससे हजारों लोग मर गये, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा कोई उपाय होता हमने नहीं देखा। क्रिमिनल नेग्लीजैंस हुआ है, आपराधिक लापरवाही हो रही है।

अध्यक्ष महोदया, बाहर के देशों से स्वाइन फ्लू हवाई जहाज द्वारा इस देश में भी आ गया है। कभी-कभी डेंगू की बीमारी भी फैलने लगती है। अगर कोई बड़ा आदमी बीमार हो जाता है, तो हल्ला मच जाता है। तकरीबन सौ लोग बीमार हुए हैं। स्वाइन फ्लू का हल्ला मचा, एच वन, एन वन आया। लेकिन गरीब लोग कालाजार बीमारी से मर रहे हैं। खौर नहीं खरखरा रहा है, पानी का बुलबुला नहीं उठ रहा है।

महोदया, मेरी दो प्रार्थनाएं हैं - एक प्रार्थना यह है कि भारत सरकार कैटेगॉरिकल स्टेटमैंट दे कि कितने गांवों में यह बीमारी फैली हुई है, कितने लोग मारे गये हैं, कितने लोग प्रभावित हैं, कहां-कहां डीडीटी का स्प्रे हुआ है? भारत सरकार ने क्या सहायता दी और राज्य सरकारों ने उसका कैसे इस्तेमाल किया? प्रिवैंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स अपनाने के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई करती है? दूसरी प्रार्थना यह है कि स्वाइन फ्लू पर बहस अधूरी हुई है। उस बहस में केवल दो माननीय सदस्यों ने ही अभी तक भाग लिया है।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि स्वाइन फ्लू के साथ कालाजार बीमारी के बारे में बहस हो, लेकिन उससे पहले सरकार का स्टेटमैंट आये। कालाजार बीमारी पर सदन में बहस हो, नहीं तो गरीब लोग मरते रहेंगे। उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। यदि बड़े लोगों को कोई बीमारी हो जाती है, तो हल्ला मच जाता है। गरीबों पर अन्याय हो रहा है। सरकारों का क्या हाल है?...*(व्यवधान)* यदि सरकार कालाजार और मलेरिया के मच्छरों को भी नहीं मार सकती, तो और क्या कर सकती है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदया, हमने सवाल उठाया है, इसलिए सरकार को उस पर रिस्पांस देना चाहिए।...*(व्यवधान)* केवल टुकर-टुकर ताकना नहीं चाहिए, उठकर रिस्पांस देना चाहिए कि जो गरीब लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय किये गये, कौन सी कार्रवाई हुई, नहीं तो सरकार कहे कि गरीब व्यक्ति भगवान भरोसे जीयेगा।...*(व्यवधान)* नैशनल रूरल हैल्थ मिशन, डब्ल्यूएचओ ...*(व्यवधान)* मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सब बेकार हैं।:.. *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : गरीबों के लिए कोई उपाय नहीं किया गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पबन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : महोदया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान असम में बाढ़ की विध्वंसकारी स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस बाढ़ में राज्य की हजारों हेक्टेअर भूमि में धान के खेत डूब गए हैं। सैकड़ों हेक्टेअर भूमि कट गई है। अनेक लोग बेघर हो गए हैं और अनेक लोग काल के गाल में समा गए हैं। इस बाढ़ में काज़ीरंगा नेशनल पार्क का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा डूब गया है और अनेक जंगली जानवर मारे गए हैं।

असम में पिछले दशक में बाढ़ के कारण लाखों हेक्टेअर कृषि योग्य उपजाऊ भूमि बेकार हो गई है और हज़ारों एकड़ चाय बागान की भूमि और सड़क तथा भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा ये नुकसान हज़ारों करोड़ रु. का था।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह असम में बाढ़ की विध्वंसकारी स्थिति का अध्ययन करने के लिए तत्काल एक टीम भेजे और असम में तत्काल राहत और पुनर्वास एवम अपरदन को रोकने के लिए तत्काल 1,000 करोड़ रु. जारी करे।

राज्य सरकार के सीमित संसाधनों से राज्य की बाढ़ की स्थिति और अपरदन की समस्या को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। केन्द्र सरकार को इसे राष्ट्रीय समस्या घोषित करना चाहिए और इस संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि नदियों के कारण उपजाऊ भूमि कष्ट न हो। बाढ़ के कारण अपना घर, खेती योग्य भूमि तथा बहुमूल्य सम्पत्ति खोने वालें लोगों की सहायता के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि असम के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए बाढ़ नियंत्रण और अपरदन को रोकने हेतु अल्कालिक दीर्घावधिक योजना बनाने के लिए तत्काल सभी कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं आपके माध्यम से बहुत गंभीर मामला इस सदन में उठाना चाहूंगा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

कि पूरे देश में खाद्य पदार्थों में जबर्दस्त मिलावट हो रही है। मानव जीवन को एक तरीके से खतरा उत्पन्न हो गया है। जैसा कि अभी रघुवंश प्रसाद जी ने भी अपने भाषण में कहा है। इधर खाद्य पदार्थों में मिलावट के गंभीर मामले समाचार पत्रों और टेलीविजन के माध्यम से प्रकाश में आए हैं। मानव जीवन के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप अगर देखें तो खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली वस्तुएं घी, तेल, दूध, दही, मसाले, सब्जियां, इन सभी चीजों में जबर्दस्त मिलावट हो रही है। अभी आगरा में बड़े पैमाने पर चर्बी और जानवरों की हड्डियों को बड़ी-बड़ी भट्टियां लगाकर, उसे गलाकर खाद्य पदार्थों में मिलाने का गोरखधंधा जबर्दस्त तरीके से चल रहा है। यह प्रकाश में भी आया है। इस कार्य के लिए न तो कोई लाइसेंस दिया गया है, न ही कोई अनुमति दी गई है। जनपद के सभी आला अफसर इस गोरखधंधे में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री भी इस धंधे में शामिल हैं। मामले की लीपापोती के लिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच वही लोग कर रहे हैं जो इसमें शामिल हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी नागपुर में कनस्तरों में नकली दही भेजने का काम हो रहा है।

अध्यक्ष महोदया : आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, वह कहिए और अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, पानीपत में श्री शक्ति जनरल स्टोर पर नकली घी बरामद हुआ है। जयपुर में नकली मसाले बनाने की फैक्टरीज़ पकड़ी गई हैं। इसी तरह से आगरा में घी और गुड़ में मिलावट की शिकायतें मिल रही हैं। रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र में लाखों लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया है, जो दिल्ली तक सप्लाई होता है और मदर डेयरी तक में उसकी सप्लाई होती है।

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। मैं जनहित से जुड़े इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग करता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ऐसा सख्त बिल लाना चाहिए, जिसमें मिलावट करने वालों को दस साल कठोर कारावास और भारी जुर्माने की व्यवस्था हो।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मैडम, मैं आपकी अनुज्ञा से एक बहुत ही अविलम्बनीय एवम् लोक महत्व के विषय की ओर आपका और माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सामाजिक जीवन में राजनैतिक प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विकास के प्रश्न पर यह सदन या सभी राजनैतिक जीवन के लोगों के बीच कदाचित कोई मतभेद या मतभिन्नता नहीं होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सम्मानित सदन ने हिन्दुस्तान के पेट्रोलियम क्षेत्र के मामले में देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए एक कानून बनाया था कि राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना की जाएगी। उस संस्थान में पूरे देश के विद्यार्थियों को पेट्रोलियम की बी.टैक. की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। उस दिशा में 435 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा जमीन देने की बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन के अधिग्रहण के लिए 6 जून, 2007 को जिला प्रशासन को पत्र लिखा और अध्यापित विभाग ने उस सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू कर दी। लेकिन पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार ने उस केन्द्रीय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, जो केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा चलाई जानी थी, भारत सरकार द्वारा चलाई जानी थी, आईआईटी स्तर के उस शैक्षणिक संस्थान की जमीन को निरस्त कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का अवमूल्यन, क्षरण राजनीति में नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं पूरी बात नहीं कह पाया हूं इसलिए कृपया मेरी बात सुन लें। इसके पहले भी एक रेल कोच की फैक्टरी की जमीन का मामला था, वह भी पूरे देश ने देखा कि किस तरह से आज सार्वजनिक जीवन में बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शैलेन्द्र कुमार जी, इस तरह आप कोई बात नहीं करेंगे। आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, आप मुझे संरक्षण दें। इसी सदन ने यह बिल पास किया था।

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप अपनी बात खत्म करें।

श्री जगदम्बिका पाल : उसमें पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। वहां फिरोज़ गांधी पॉलिटेक्निक के किराए के भवन में उस संस्थान की

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पढ़ाई भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। उसके बावजूद राज्य सरकार ने जिस तरीके से प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की है, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल भी न्यायसंगत बात नहीं है। इससे पहले रेल कोच फैक्टरी की जमीन कैंसिल की और शूगर मिल स्थापित करने के मामले में भी ऐसी ही कार्रवाई की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा किए जाने से उसका विकास विरोधी चेहरा बेनकाब हो रहा है। आज मूर्तियों के लिए अगर हाई कोर्ट सरकार स्टे आर्डर देती है।

अध्यक्ष महोदया : केन्द्र सरकार से आप क्या चाहते हैं, यह कहकर अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आप इस बात को जानते हैं। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.17 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद सं. 16 आज की कार्यसूची में नियम 377 के अधीन मामलों को सभापटल पर रखा माना जाए।

(एक) राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के इन्दिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के अंतिम छोर पर स्थित गांवों में पीने के पानी का भयंकर संकट हो गया है। इससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पानी एवं जल संसाधन के संबंधित विभागों से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि वो इस मामले में लाचार और बेबस हैं। उनका यह तर्क है कि पंजाब से भाखड़ा प्रबंध मंडल द्वारा राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार ने अंतिम छोर में निवास करने वाले लाखों निवासियों के लिए मात्र 200 टैंकरों से दिनांक 2 जुलाई, 2009 से पानी उपलब्ध कराने का एलान किया है, जो समुचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर के अंतिम छोर पर बसे, गांवों में पीने के पानी की अविलम्ब समुचित व्यवस्था की जाए।

(दो) पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती) : उत्तर प्रदेश का पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में बुद्धा सर्किट के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व व लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटकों के आने व इससे मिलने वाली बिदेशी मुद्रा के बावजूद यह क्षेत्र, अब तक अपनी पहचान बनाने में असमर्थ रहा है। यह क्षेत्र देश के प्रमुख शहरों से सड़क व रेल मार्ग से सीधे नहीं जुड़ पाया है। यही कारण है कि यहां के निवासी अपने को राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाये हैं।

अब समय आ गया है कि केन्द्र को इसके लिए पहल करनी पड़ेगी। अत: मैं, इस सदन के माध्यम से, सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जनहित में, पूर्वोत्तर रेलवे के आनन्दनगर से गोंडा तक रेल के आमान परिवर्तन, बहराइच से तुलसीपुर तक नई रेल बिछाने व बुद्धा सर्किट पर बुद्धा-ऑन-व्हील विशेष रेलगाड़ी चलाकर, पर्यटन, इससे अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा और लोगों के जीवनस्तर को बढ़ाने के लिए, इन रेल परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से अविलंब स्वीकृत करें।

(तीन) देश के स्कूलों और कॉलेजों के पाठयक्रमों में महात्मा गांधी की शिक्षाओं को शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : वर्तमान परिदृश्य में समाज में मूलभूत मानवीय मूल्य कम होते जा रहे हैं। किसी न किसी कारण से अत्यधिक हिंसा, घृणा, विवाद, संघर्ष है जो नैराश्य का वातावरण तैयार करने के लिए पर्याप्त है। इसको महसूस करते हुए यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली ने गांधी जी के जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मानने की घोषणा की है। अनेक देशों ने किसी न किसी रूप में गांधीजी को सम्मान दिया है और उनके उपदेशों को अपनी शैक्षणिक संस्थाओं में पाठ्यक्रम में शामिल किया है। न्यू जर्सी ने भी महात्मा गांधी की शिक्षाओं को पाठ्यक्रम के एक विषय के रूप में शामिल किया है।

समाज में बढ़ती अहिंसा के संदर्भ में हमारे स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में महात्मा गांधी की शिक्षाओं को शामिल करना व्यवहारिक और लाभकारी होगा ताकि आने वाली पीढ़ी राष्ट्रीयता और अहिंसा की भावना को आत्मासात कर सके।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(चार) मत्स्यपालन विकास के लिए पृथक मंत्रालय गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : मत्स्यपालन विकास हेतु एक पृथक मंत्रालय का गठन किया जाना एक ऐसा मामला है, जिस पर भारत सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में, मत्स्यपालन विभाग कृषि मंत्रालय का एक भाग है। कृषि मंत्रालय, मत्स्यपालन क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण विभाग के रूप में ध्यान नहीं दे पाता है और उसे एक लघु विषय माना जाता है। यदि मत्स्यपालन हेतु एक पृथक मंत्रालय का गठन किया जाता है, तो इससे देश के मछुआरों के आर्थिक विकास को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा।

जैसा कि सर्वविदित है कि भारत में 8118 किमी लंबे तटीय क्षेत्र और 2.02 मिलीयन वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित व्यापक मत्स्य संसाधन मौजूद हैं। ये संसाधन ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों, विशेषकर मछुआरा समुदाय की आजीविका का एक मुख्य स्रोत है। देश में लगभग 14 मिलीयन लोग मछली पकड़ना, मत्स्यपालन तथा अन्य आनुषंगिक कार्यों में लगे हुए हैं। मछुआरा समुदाय के अधिकांश लोग निर्धन हैं और उनका जीवन रहन-सहन का स्तर अच्छा नहीं है। केरल के मछुआरा समुदाय की अनुमानित जनसंख्या 11 लाख है और अलप्पुझा जिला, 1.90 लाख की मछुआरा जनसंख्या के साथ पहले स्थान पर है।

मछलियों के उत्पादन में भारत, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और स्वच्छ जल मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश का 20 प्रतिशत मछली उत्पादन केरल में होता है। वर्ष 2006-07 के दौरान देश से कुल 8363.53 करोड़ रुपये के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया।

चूंकि मत्स्यपालन क्षेत्र, एक बहुत बड़ी ऐसी जनसंख्या को आजीविका प्रदान करता है, जिनके रहन-सहन का स्तर बहुत खराब है, अत:, उनके कल्याण के लिए योजनाएं लागू करने की दिशा में सरकार द्वारा विशेष और तत्काल ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त परिस्थितियों में, मैं सरकार से कृषि मंत्रालय का विभाजन करके मत्स्यपालन विकास हेतु एक पृथक मंत्रालय का गठन करने हेतु तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) बांसगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए बेहतर ट्रेन सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कमलेश पासवान (बांसगांव) : मैं रेल मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बांसगांव की रेल समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। गोरखपुर जनपद का संसदीय क्षेत्र बांसगांव प्राचीन काल से ही शासन का केन्द्र रहा है। राप्ती व सरयू नदी के बीच स्थित यह क्षेत्र अपने धार्मिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के कारण चर्चा में रहा है। संत कबीर से लेकर देवरहवा बाबा के स्थान तक फैला यह क्षेत्र नदियों के कारण जलभराव से ग्रसित रहा है। गोरखपुर से वाराणसी को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क मार्ग जो बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है, यातायात का साधन है। यहां बौद्ध तीर्थों के ऐतिहासिक केन्द्र है और देश-विदेश से हजारों पर्यटक यहां आते हैं। गोरखपुर से नेपाल बार्डर तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण हो चुका है। यदि दोहरीघाट से गोरखपुर की रेल लाइन का निर्माण हो जाए और मऊ से बांसगांव होते हुए आमान परिवर्तन कर बड़ी रेल लाइन बना दी जाए तो बनारस से काठमाण्डू की दूरी कम हो जायेगी। गोरखपुर से बनारस तक अभी 8 घंटे लगते हैं। गोरखपुर से दोहरीघाट तक रेललाइन का निर्माण हो जाए तो यह दूरी मात्र तीन घंटे में पूरी हो जायेगी। अत: रेल मंत्री इस ओर ध्यान दें।

(छह) मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और अन्य भागों में स्थित पुराने ऐतिहासिक तालाबों के पुनरुद्धार, संरक्षण तथा सौंदर्यीकरण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत टीकमगढ़ जिले में चंदेलकालीन ऐतिहासिक लगभग 950 तालाब थे जिनमें अभी भी लगभग 400 तालाब अस्तित्व में हैं, बाकी तालाबों पर अतिक्रमण हो जाने तथा वहां खेती का कार्य प्रारम्भ हो जाने से उनका नाम भी मिट गया। जो तालाब बचे हैं उनसे न केवल बहुत बड़ी मात्रा में किसान सिंचाई करते हैं बल्कि पेयजल की आपूर्ति भी इन्हीं से होती है तथा जमीन के जलस्तर को भी यह तालाब बढ़ाते हैं एवं समाज के लोगों को रोजी-रोटी भी उपलब्ध कराते हैं। लगभग हर गांव में एक न एक तालाब मिल जाता है किन्तु इन तालाबों की डूब भूमि भी धीरे-धीरे सिमटती चली जा रही है जिससे इस क्षेत्र का जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि टीकमगढ़ जिले के ऐतिहासिक तालाबों के साथ ही मध्य प्रदेश के सभी प्राचीन ऐतिहासिक तालाबों का गहरीकरण, सौन्दर्यकरण एवं उनकी डूब भूमि को अतिक्रमण से सुरक्षित करवाने का सहयोग करें।

(सात) भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान को प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में क्लाज 79 (2) अ के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बी.बी.एम.बी

में दो पूर्णकालीन सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। मंत्री जल संसाधन, भारत सरकार की अध्यक्षता में 29, 30 जुलाई, 1992 एवं 2 अगस्त, 1992 को मुख्यमंत्री पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा के साथ आयोजित बैठक में यह सहमति बनी थी कि बी.बी.एम.बी. में सदस्य, सिंचाई के पद पर नियुक्ति वर्ष 1.1.1992 से प्रत्येक दो वर्ष पश्चात् रोटेशन से की जायेगी, लेकिन इस निर्णय के पश्चात् भी सदस्य सिंचाई के पद पर हरियाणा राज्य के अधिकारियों की लगातार नियुक्ति की जा रही है। राजस्थान राज्य का रावी-व्यास पानी में बहुत बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी बी.बी.एम.बी. में प्रतिनिधित्व देने से इंकार किया जा रहा है जो अनुचित है। राजस्थान सरकार ने बार-बार इस मुद्दे को उठाकर इस संबंध में निवेदन किया है व यह भी कहा है कि यदि सदस्य, सिंचाई का पद राजस्थान व हरियाणा को बारी-बारी से दिया जाना संभव नहीं हो तो इस स्थिति में बी.बी.एम.बी. में एक तीसरे सदस्य का पद सृजित किया जाये जिससे राजस्थान को उसका उचित हक मिल सके। मैंने व राजस्थान के अधिकांश सांसदों द्वारा पिछली लोकसभा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर इसके लिए निवेदन किया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान को हक दिलाने के लिए सदस्य, सिंचाई का प्रतिनिधित्व दिलाने में आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि राजस्थान के हितों की रक्षा हो सके।

(आठ) इंदौर मध्य प्रदेश में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : इंदौर के केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को एक के.स.स्वा.यो. औषधालय की बहुत आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के कारण इंदौर में 20000 से अधिक केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं। उनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो कि अपनी चिकित्सा सुविधाओं के लिए केवल 1000 रुपये प्राप्त करते हैं। आजकल, एक बार किसी डॉक्टर के पास जाने पर किसी भी आम आदमी को जांच और दवाइयों सहित 1000 रुपये से अधिक का खर्च आता है। ऐसी स्थिति में हम एक सेवानिवृत्त व्यक्ति पर पड़ने वाले वित्तीय भार का अंदाज लगा सकते हैं। वृद्धावस्था में चिकित्सा देखभाल की अधिक आवश्यकता होती है। केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समन्वय समिति ने भी औषधालय खोलने के लिए 4 एम.आई.जी. क्वार्ट्रस का प्रबंध किया है। माननीय मंत्री जी ने जुलाई, 2003 में इंदौर में के.स.स्वा.यो. औषधालय खोलने के संबंध में घोषणा की थी, परन्तु, इसे अभी कार्यान्वित किया जाना शेष है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी केन्द्र सरकार को औषधालय खोलने के निर्देश दिए हैं, परन्तु, अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह औषधालय तत्काल खोला जाए।

(नौ) हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा) : हिमाचल प्रदेश का चम्बा जिला विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण तो विकास में पिछड़ा ही है, परन्तु इस जिले में बहुत से क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां अधिकांश समय अत्याधिक बर्फ व ठंड रहती है, परिणामस्वरूप कार्य दिवस अपेक्षाकृत कम प्राप्त होते हैं। इस जिले में कृषि भूमि भी अपेक्षाकृत बहुत कम है तथा भेड़ बकरी पालन में कार्यरत गद्दी समुदाय के हजारों लोगों को भी जंगलों में निरन्तर बढ़ रही कठिनाईयों के कारण रोटी रोज़ी का यह साधन भी कम होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस पिछड़े जिले में गरीब लोगों को जीवनयापन करने हेतु रोटी रोज़ी के और विकल्प भी बहुत सीमित हैं तथा आशा की किरण वर्षों से चर्चित सीमेंट कारखाना मुख्यतया है, अत: भारत सरकार अतिशीघ्र जिला चम्बा में सीमेंट कारखाने को प्रारम्भ करने में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर इस हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर इसे तुरन्त शुरू करवाए।

(दस) उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित बुन्देलखंड क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा) : देश में लगातार सूखे के कारण किसानों की हालत बिगड़ गई है। उत्तरी राज्यों विशेषकर उ.प्र. के बुन्देलखंड सहित बांदा/चित्रकूट मंडलों के किसानों की अभी तक खरीफ की फसलों की बुआई नहीं हो सकी है। वहीं लगातार कई वर्षों से कम वर्षा के कारण बांधों, पोखरों, नदी, तालाबों, कुओं का पानी सूख गया है, नहरें सूखी पड़ी हैं जिसके कारण पीने के पानी का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। हैण्डपम्प से पानी निकलना बंद हो गया है। किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ करके पेयजल का इन्तजाम तत्काल कराया जाये एवं टीम गठित कर जांच दल भेजा जाए।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तीर्थस्थल नैमिषारण्य को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख) : उत्तर प्रदेश राज्य के मिसरिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नैमिषारण्य एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस क्षेत्र में दधीच कुंड, पाण्डव किला, हनुमानगढ़ी, सुदर्शन चक्र, मां ललिता देवी मन्दिर (शक्ति पीठ) जैसे अन्य बहुत से धार्मिक स्थल हैं। चारों धाम की यात्रा के बाद धार्मिक श्रद्धालु 84 कोस की परिक्रमा भी करते हैं। तभी यात्रा पूरी मानी जाती है।

[श्री अशोक कुमार रावत]

यहां पर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। इन धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।

मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त धार्मिक स्थल के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने, अन्तर्राज्यीय बस अड्डा स्थापित करने, नैमिषारण्य व मिसरिख को राजधानी दिल्ली से एक्सप्रेस रेलगाड़ी से जोड़ने, सड़क के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ने और मिसरिख रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यीकरण करने के साथ-साथ वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु समुचित कदम उठाएं।

(बारह) कोलकाता के हल्दिया पत्तन की ड्रेजिंग के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुवेन्दु अधिकारी (तामलुक) : हल्दिया पत्तन देश का एकमात्र रिवर लाइन पत्तन है। यह पत्तन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। यह पत्तन कोलकाता पत्तन की सहायक इकाई है। पत्तन की इमारत जर्जर होने के कारण यह पत्तन गंभीर संकट से गुजर रहा है। इसके अतिरिक्त, चैनलर में प्रतिदिन भारी मात्रा में गाद जमा हो रही है। गाद निकालने वाले उपकरण उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी पहले ही 100 दिवस की एक कार्य योजना की घोषणा कर चुके हैं। परन्तु, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हल्दिया पत्तन और कोलकाता पत्तन को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह कृपा करके इस मामले पर ध्यान दें और इस सूची में हल्दिया और कोलकाता पत्तन को शामिल किया जाए।

(तेरह) उड़ीसा के कंधमाल जिले के विकास के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रुद्रमाधव राय (कंधमाल) : मैं उड़ीसा के कंधमाल जिले के लोगों की दयनीय स्थिति की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में हाल ही में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है और इस क्षेत्र में माओवादी हमलों की भी संभावना रहती है। कंधमाल जिला प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रकोप झेलता है। विभिन्न, विश्व बैंक और सरकारी रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि खाद्य सुरक्षा के मामले में भी कंधमाल जिले को निम्नतम स्तर पर रखा जाता है। मैं सरकार से कंधमाल जिले के विकास के लिए एक विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।, मैं, जनजातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना करता हूं। मैं सरकार से कंधमाल जिले को भारत सरकार की केबीएस योजना के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) महाराष्ट्र राज्य के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को अनुमोदित किए जाने की आवश्कता

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 के अपने पत्र के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से पुलिसबल के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 2009-10 की योजना भेजने के लिए कहा था। 26.11.2008 के आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए तथा आगामी दो वर्षों के दौरान पुलिस बलों की उपकरणों और शस्त्र-अस्त्रों की कुल आवश्यकता पर विचार करते हुए, वर्ष 2009-10 हेतु 585.4652 करोड़ रुपये की एक विस्तृत योजना तैयार करके 18 मई, 2009 को भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी। तथापि, 11 जून, 2009 को हुई भारत सरकार की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा भेजी गई योजना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की गई एक संशोधित योजना 16 जून, 2009 को भारत सरकार को भेजी गई थी। चूंकि, आतंकी हमलों का खतरा अभी बना हुआ है, अत:, यह आवश्यक है कि योजना का अनुमोदन किया जाए, ताकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार किए गए पुलिस सुधार कार्यक्रम को लागू किया जा सके।

मुझे आशा और विश्वास है कि सरकार इस संबंध में तत्काल कदम उठाएगी, ताकि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को तत्काल लागू किया जा सके।

अपराह्न 12.20 बजे

रेल बजट (2009-10) — सामान्य चर्चा — *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद सं. 17 माननीया रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी उत्तर देंगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शून्य पहर के बाकी मामलों को दिन की समाप्ति पश्चात् लिया जाएगा, अभी नहीं इसलिए आप लोग बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदया, उत्तर देंगी। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : सिर्फ ममता जी का भाषण ही रिकार्ड में जाएगा।

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : माननीय अध्यक्ष महोदया जी,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय ममता जी जो कह रही है केवल वही रिकार्ड में जाएगा।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर रिप्लाई करने के लिए समय दिया।...*(व्यवधान)*

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा) **:** पूरा उत्तर प्रदेश हाहाकार कर रहा है। हम किसान हैं और यह केवल मेरी बात नहीं है, पूरे देश के किसानों की बात है। किसानों की बात यहां क्यों नहीं सुनी जा रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। जीरो-आवर के-मैटर, एंड ऑफ द डे में उठाये जाएंगे। आप कृपया शांत हो जाइये। यह मामला भी उठाया जायगा, आप कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : देखिये, यह तय हो चुका है कि जीरो-आवर के कुछ नोटिसेज इस समय लिये जाएंगे, बाकी बाद में लिए जाएंगे। कोई भी नोटिस ऐसा नहीं होगा जो नहीं लिया जाएगा। आप कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : देखिये, यह तय हो चुका है कि हर रोज जीरो-आवर में 20 नोटिसेज लिये जाएंगे। बीस में से पांच समय लिये जाएंगे और बाकी 15 बाद में लिए जाएंगे। सारे नोटिसेज लिए जाएंगे, आप कृपया माननीय मंत्री महोदया को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.23 बजे

(तत्पश्चात् श्री आर.के. सिंह पटेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदया, मैंने आपकी उपस्थिति में 3 जुलाई, 2009 को रेल बजट प्रस्तुत किया था...*(व्यवधान) [हिन्दी]* चेयर ने बहुत देर तक हाउस चलने दिया और बहुत तकलीफ उठाई। हमारे जो माननीय संसद सदस्य हैं उनके दिल की बात जानने का मौका मिला।

[अनुवाद]

मैं समझती हूं लगभग 131 वक्ताओं *[हिन्दी]* ने रेल बजट में भाग लिया है, जोकि एक बहुत बड़ी संख्या है। मैं हर माननीय सदस्य और सदस्या की जिन्होंने इसमें भाग लिया है और जो भाग लेना चाहते थे लेकिन जिन्होंने भाग नहीं लिया है, केवल सदस्यों को सुना है, उनकी भी मैं आभारी हूं। *[अनुवाद]* इसके अतिरिक्त, मैं संसदीय कार्य मंत्री और हमारे मंत्रिमंडल के सभी सार्थियों को धन्यवाद देती हूं। जिन्होंने तकलीफ उठायी, उनकी और लोकसभा स्टाफ की भी आभारी हूं। महोदया, मैं वास्तव में पीठ को धन्यवाद देती हूं क्योंकि इसने हमारे लिए सराहनीय कार्य किया है। मैडम, रेलवे विजिबल है, रेलवे राष्ट्र की जीवन रेखाएं हैं, और यह राष्ट्रीय एकता की भी जीवन रेखा है। *[हिन्दी]* रेलवे विजिबल होता है, गांव-गांव में लोगों को देखने को मिलती है, देखने को नहीं मिलती है तो उसे दुःख होता है। मैंने अपने बजट में कहा था कि जो अंडर-डैवलेप एरिया है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे झारखंड हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे नार्थ-ईस्ट का इलाका हो, अंडमान है, अंडर सी एरियाज़ हैं, हिमाचल प्रदेश हो। हिमाचल प्रदेश में कालका बहुत अच्छी जगह है। कालका, कुल्लू-मनाली बहुत सुंदर प्रदेश हैं, लेकिन इनके लिए मैंने कहा कि बात करनी पड़ेगी। यदि सभा इसे ठीक समझे तो हम

[कुमारी ममता बनर्जी]

इस पर सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। सरकार के साथ, प्लानिंग कमिशन के साथ बात करके अंडर डवलेपमेंट एरिया का जो थीम है, मैं फाइनेंसि मिनिस्टर की आभारी हूं और सरकार की भी कि हम लोग इस बारे में चर्चा करके इस बारे में अगर कुछ कर सकते हैं, जहां रेल लाइन भी नहीं है, इकोनोमिक वायबिलिटी की बात कि वह इकोनोमिकली वायबल नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत है। *[अनुवाद]* हम इसे देखेंगे और योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ इस पर विचार करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने भी कहा है कि सरकार अधिक आधारभूत ढांचा और रोजगार सृजन करना चाहती है। यह उससे जुड़ा हुआ है। *[हिन्दी]* आप देखिए, पहले पांच साल, छह साल, दस साल, वर्ष 2002-03 से हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन के कारण, हमारे देश की अर्थ नीति अच्छी हुई, कौन कहता है कि ऐसा नहीं हुआ। *[अनुवाद]* ऐसा केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में हुआ है। यदि व्यवसाय अच्छा है तो धन आता है; यदि व्यवसाय अच्छा नहीं है तो मंदी होगी। संपूर्ण विश्व में अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही थी लेकिन केवल पिछले 9 वर्ष से अर्थव्यवस्था में मंदी है। जब रुपया नहीं होता है, तो डाउन हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है और यह केवल भारत में ही नहीं हो रहा है बल्कि संपूर्ण विश्व में हो रहा है। *[हिन्दी]* 18 साल की उम्र में एक नौजवान क्या कर सकता है और 70 साल की उम्र वाले को बुजुर्ग कहते हैं। नौजवान बुजुर्गों को देख कर रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दे देता है, ऐसी एक परम्परा है। ऐसी ही जब बुरा समय आता है, तो उसके बाद अच्छा समय भी आता है। बुरा समय भी आया था, भारत में इतना डिजास्टर नहीं हुआ, जो पूरे विश्व में हुआ। बेरोजगार युवा अभी भी दिक्कत में हैं, विदेशों में उनकी नौकरी भी चली जाती है। इस दिक्कत के बाद भी मैं कहना चाहती हूं कि मैंने देखा कि रेल मिनिस्टर के नाते बुहत से मिनिस्टर चाहे इधर के हों या उधर के हों, उन्होंने काम किया है। *[अनुवाद]* मैं सभी पूर्व मंत्रियों का सम्मान करती हूं। बात यह है कि रेलवे की सेफ्टी, सिक्योरिटी की दिक्कत तो है। राजग शासन के दौरान, मैंने संरक्षा और सुरक्षा का म ुद्दा उठाया था। तब श्री दिग्विजय सिंह थे, और वह यहां बैठे हैं। हमने सुरक्षा सम्बन्धी निधि बनाने का मुद्दा उठाया था। गैजल ट्रेन दुर्घटना के पश्चात् हमने वह मुद्दा उठाया था। तत्पश्चात्, सरकार ने सुरक्षा संबंधी निधि के लिए 15000 करोड़ रु. दिए। नीतीश कुमार जी के समय में कुछ हुआ और लालू जी के समय में भी कुछ हुआ, सेफ्टी रिलेटेड सिस्टम में थोड़ा पैसा खर्च किया गया, इश्यु रेज़ करने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप आज पहल करें और कल यह पूरा हो जाएगा। इसे टाइम लगता है। मैं एक बात में सभी सदस्यों के साथ जरूर सहमत हूं। कि विकास चरणबद्ध ढंग से प्रत्येक भाग में जमीनी स्तर पर पहुंचाना चाहिए। इसके ब्लूप्रिंट की मैंने बात कही है, हम उसका पालन करते हैं। दूसरी बात है कि बजट में जो रुपया देते हैं। *[अनुवाद]* कि धन ठीक ढंग से खर्च होना चाहिए। जहां तक निगरानी का सम्बन्ध हो, सदस्य (अभियांत्रिकी), जो अभियांत्रिकी गतिविधियों के प्रभारी हैं, जिम्मेदार हैं और वह इसका ध्यान रखेंगे। सदस्य (यातायात) को सभी यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और यात्रियों से जुड़ी दूसरी चीजों का ध्यान रखना है, चाहे यह तत्काल से स्थानीय हो, या वैश्विक से स्थानीय चाहे यातायात व्यवस्थाएं और अन्य बातें हों। यह सदस्य (यातायात) है जो इन बातों का ध्यान रखेगा। सभी संभागीय और क्षेत्रीय प्रबंधक इन बातों का ध्यान रखेंगे। सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में, मैंने यह कार्य रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को सौंपा है जो इसका ध्यान रखेंगे। महोदया, आप इस तथ्य को मानेंगी कि रेल मंत्री इंजन नहीं चलाते।

वे नीति बनाते हैं। हम संचालन के बारे में नहीं जानते। यदि आप मुझसे यह करने को कहें तो मैं यह नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती कि क्या रैक उपलब्ध हैं, क्या कोच उलपब्ध है और क्या यह तकनीकी रूप से संभव नहीं है। *[हिन्दी]* यह भी हमें देखना पड़ता है। *[अनुवाद]* मैं यह नहीं कर सकती। *[हिन्दी]* इसीलिए एक्सपेक्टेशनंस हाई है। हम आप लोगों की इज्जत करते हैं लेकिन अगर एक साथ सब चाहते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोचेज कहां से मिलेंगे? रेक्स कहां से मिलेंगे? जैसे आप लोगों ने कहा की कमरे में सफाई नहीं है, कॉकरोच हैं। कोच पुराना हो गया है। अगर ट्रेन नहीं होगी तो भी कैसे चलेगा? इसीलिए हम लोगों को रौलिंग स्टॉक भी बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बताया कि लॉंग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। हमें 5 साल में क्या चाहिए? 10 साल में क्या चाहिए? हमें 20 साल में क्या चाहिए? जो माननीय सदस्यों ने बातें यहां उठाईं, मैं उनको एप्रूव करती हूं। *[अनुवाद]* शारीरिक रूप से विकलांग और बुजुर्ग व्यक्ति सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते। *[हिन्दी]* बड़ी-बड़ी सीढ़ियां हैं। कैसे वे लोग रेल स्टेशन में जाएंगे? एक रेल पकड़ने के लिए उनको कितना चलना पड़ता है। उनको आधा कि. मी. चलना पड़ता है, कभी-कभी तो एक कि.मी. तक चलना पड़ता है। इसीलिए चार बड़े स्टेशंस में हम लोगों ने एसकैलेटर्स इत्यादि लगाने की बात कही। लेकिन कोचेज भी फिर उसी तरह के अगले चरण में करने की बात होगी। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। नहीं तो कैसे होगा?

हमने डबल-डैकर की बात कही। कोई-कोई बोलते हैं कि कैसे होगा? कैसे क्या होगा, अगर बस में चलता है तो ट्रेन में क्यों नहीं होगा? वह पहले चालू करने की कोशिश की थी लेकिन उसमें एयरकंडीशन नहीं था, दिक्कत होती है। इसीलिए एक साल के अंदर

हम लोग करेंगे और दुरंत एक्सप्रैस जो हमने नॉन-स्टॉप देने की बात कही है, हम एक महीने के अंदर दो-दो चलाएंगे। *[अनुवाद] एक माह के भीतर, यह दुरान्तो दो स्थानों पर शुरू होगा और अन्य भी शुरू हो जाएंगे। [हिन्दी]* फेज़ बाई फेज़ हम करेंगे। लेकिन बजट का कमिटमेंट बजट के ईयर में ही खत्म होगा। *[अनुवाद]* यह हमारी प्रतिबद्धता है। *[हिन्दी]* बजट में जो प्रोविजन रखते हैं, उसके बाद खर्च नहीं होगा तो *[अनुवाद]* यह अच्छा नहीं लगता। *[हिन्दी]* यह अच्छा नहीं लगता। मैडम, आप तारीफ करेंगी कि जब मैं आई तो मैंने देखा, मुझे प्रैस मीडिया ने भी बताया, *[अनुवाद]* मैं उनकी आभारी हूं। *[हिन्दी]* बहुत लोगों ने भी बताया कि स्टेशन में पानी नहीं, खाना नहीं है। केवल बर्गर ही उपलब्ध हैं। मैडम, 200 रुपया खर्च करके अगर कोई टिकट खरीदेगा और स्टेशन में 60 रुपये में खाली बर्गर मिलेगा। मैडम, हम बर्गर के खिलाफ नहीं हैं। हमारे बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। *[अनुवाद]* मैं प्रशंसा करती हूं कि यह अच्छा भोजन है। *[हिन्दी]* लेकिन अगर एक गरीब आदमी 200 रुपए के किराये में चलेगा और 60 रुपए का बर्गर खरीदेगा, इतना खर्च वह नहीं सकता है। इसीलिए मैंने जनता खाना चालू करने के लिए वायदा किया है और निर्देश भी दिया है। इसको हम लोग चालू करेंगे। आउटसोर्सिंग सब जगह नहीं होती है। अगर हम कहेंगे कि आउटसोर्सिंग मुझे खिलाएगी, नहीं होता है। हमें खुद खाना पड़ता है। कोई हमारे हाथ में दे देगा लेकिन खुद मुझे खाना पड़ेगा जब तक मुझे खाने की आदत है। हम कर सकते हैं। खाने की चीज राजधानी, शताब्दी की हमने डिपार्टमेंट में ले आने का फैसला किया है। इसीलिए इसमें आउटसोर्सिंग की जरूरत नहीं है। यह काम नहीं किया। हर राजधानी शताब्दी का आदमी इसके खिलाफ बोला। खाना को हम डिपार्टमेंटल अरेंज करेंगे। कैटरिंग कॉरपोरेशन और ट्यूरिज्म कॉरपोरेशन को हम रीकांस्टीट्यूट करेंगे। *[अनुवाद]* उन्हें पर्यटन का कार्य करना चाहिए लेकिन भोजन का नहीं। *[हिन्दी]* आउटसोर्सिंग का मतलब यह हुआ। कुछ नहीं है। *[अनुवाद]* पेयजल एक सच्चाई है रोजमर्रा के आधार पर पेयजल का संकट है। *[हिन्दी]* स्टेशन में पीने का पानी नहीं मिलता है। अभी ट्यूबवैल भी डिग करने में दिक्कत होती है। इसीलिए पीने के पानी की समस्या है। लेकिन इस समस्या का समाधान भी हमें करना होगा। यह सब एक दिन में नहीं होगा। हमने कहा है लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए। सफाई के संबंध में भी हमने निर्देश दिये हैं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा। पैसेंजर्स एमीनिटीज एडं क्लीनलीनैस को हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। *[अनुवाद]* एक महत्वपूर्ण अधिकारी को इसका ध्यान रखने के आदेश दिए जाएंगे। *[हिन्दी]* रेल के एम्पलाईज को भी बहुत काम करना पड़ता है। *[अनुवाद]* संचालन उतना आसान नहीं है। *[हिन्दी]* बहुत रेल चलानी पड़ती है। केवल मुम्बई के कितने कम्यूटर्स हैं, आप देख लीजिए। सबर्बन में बैंगलोर, कोलकाता और चेन्नई में देखिए। जो भी महत्वपूर्ण सबर्बन एरियाज हैं, इसको देखना इतना आसान नहीं है। *[अनुवाद]* वे दिन-रात काम कर रहे हैं। वे अकेले हर काम नहीं कर सकते। इस उद्देश्य से, प्रत्येक संभाग में एक अधिकारी को यह कार्य सौंपा जाता है। और वह केवल यात्री सुविधाओं की देखरेख करेगा। हमारे पास सात हजार से अधिक स्टेशन हैं। *[हिन्दी]* इसमें ए, बी और सी ग्रेड है। इसलिए मैंने कहा कुछ वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाएंगे और फेस बाए फेस अदर स्टेशन भी लेंगे। पहले मॉडल स्टेशन भी बनाए गए हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन वर्ल्ड क्लास लैवल पर हों। इसके लिए एमपी को एन्ट्रस्ट किया गया। बजट पेश होने से पहले मुझे मालूम था और मैंने बता दिया – *[अनुवाद]* आप निविदा आमंत्रित कीजिए। *[हिन्दी]* ग्लोबल टेंडर होगा इसलिए इस टेंडर के लिए प्रॉसेस शुरू कर दीजिए। *[अनुवाद]* हम रेलवे निधि का प्रयोग यात्री सुविधाओं का प्रयोग संचालन, कर्मचारी कल्याण के लिए कर सकते हैं लेकिन हम रेलवे निधि का प्रयोग विश्व स्तरीय प्रणाली बनाने में नहीं कर सकते। *[हिन्दी]* इसलिए हमने कहा है कि पीपीपी होगा। कोई कहता है कि पीपीपी कर दिया, लैंड बेच दिया लेकिन ऐसा नहीं है। हमें लैंड बेचने की अथॉरिटी नहीं है। मंत्री आते हैं और जाते हैं लेकिन विभाग और सरकार हमेशा रहेंगे। अत: मैं रेलवे की सम्पत्ति बेचने के लिए अधिकृत नहीं हूं। हम लोग लीज़ के लिए देंगे, 99 साल लीज़ के लिए देंगे और इसके लिए हमें बिजनेस प्लान तैयार करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि व्यापारिक घरानों से विशेषज्ञ और तकनीकी लोग, सीआरबी, एमटी होंगे। इसके साथ एक एक्सपर्ट कमेटी, लैंड बैंक, लैंड मैप, डेडिकेटिड फ्रेट कोरीडोर को जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश करेंगे। समर्पित माल भाड़ा गलियारा सभी राज्यों से होकर गुजरेगा। यदि पश्चिमी हिस्सा पूरा होता है तो पूर्वी शुरू होगा फिर दक्षिण-मध्य शुरू होगा और फिर दक्षिण शुरू होगा। जो चार हाई नेकलेस का ताला है जिसे डायमंड फ्रेट कोरिडोर कहते हैं हमें उसे खोलने के लिए कोशिश करनी है। भूमि हमारी मुख्य परिसंपत्ति है। हम लैंड बेच नहीं सकत हैं लेकिन वह लैंड तो एन्क्रोच हो गया। वह लैंड ऐसे ही पड़ी रहती है जिससे रेल को भी फायदा नहीं होता है और देश को भी फायदा नहीं होता है। हां, गरीब जनता उधर बैठ जाती है। मैं किसी को एविक्शन करने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन हमारे पास जो वैकेंट लैंड है, उसे हम कैप्चर नहीं करने देंगे। हमने वैकेंट लैंड को लैंड बैंक बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी है। हमारा विभाग भूमि बैंक के लिए आंकड़े तैयार कर रहा है। यह जल्दी से जल्दी दस दिन में हो जायेगा, मैडम, यह जानकर खुश होंगी। देश में लैंड को लेकर बहुत गड़बड़ होती है। हमने कोशिश की है कि रेलवे के पास जो

[कुमारी ममता बनर्जी]

वैकेंट लैंड है वह तीन लाख एकड़ से ज्यादा है। यह परिसंपत्ति है। यहां बहुत इंडस्ट्री बन सकती है। कौन कहता है नहीं बन सकती है? हम रेल को कभी कोरपोरेटाइज नहीं करेंगे। हम एम्पलाइज को ज्यादा पसंद करते हैं। कोई कह रहा था कि मैं निगमीकरण कर रही हूं। नहीं, मैं यह करने वाली अन्तिम व्यक्ति होऊंगी। हम नहीं करेंगे लेकिन उसे मजबूत करने के लिए, फैसिलिटीज को स्ट्रांग करने के लिए, पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए, ज्यादा ट्रेन चलाने के लिए अगर हम कमर्शियल एक्सपलॉयटेशन को यूटिलाइज करते हैं, तो क्या नुकसान है?

मैं माननीय सदस्य अनंत कुमार जी की बहुत आभारी हूं, मैंने आप के साथ काम किया है। अरुण जी ने भी राज्य सभा में बोला, बहुत अच्छा बोला और अनंत जी आपने भी बहुत अच्छा बोला। उन्होंने कहा रेलवे क्यों समानान्तर सरकार चला रहा है? समानान्तर सरकार से क्या तात्पर्य हैं? आप बताइए कि रेलवे के 16 अस्पताल तो 90-100 साल से हैं, मैंने तो नहीं बनाए, ये ऑलरेडी हैं। हमारे 14 लाख कर्मचारियों के कल्याण के लिए, हमारे पास विद्यालय, महाविद्यालय, क्लब विकास केन्द्र आदि है। हमारे पास जो भी है हमारे कर्मचारियों के कल्याण के लिए है। पोर्ट में भी है, बहुत से डिपार्टमेंट्स में है। यह रेलवे में कोई विशेष नहीं है। आज आप कह रहे हैं। अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं और उस अस्पताल की एक्सीलरी लैंड को एक्सटैंड करके एक मेडिकल कॉलेज बनाते हैं तो इसमें क्या एतराज़ है?

हमारे 40 लाख इम्पलायीज हैं, उन्हें अपार्चुनिटी नहीं मिलती है। कर्मचारियों के पुत्र और पुत्रियों की 50% मिलेगा। उन्हें अवसर मिलेगा और 50 परसैन्ट हम जनरल के लिए भी करेंगे, जो बाहर के हैं, जिन्हें एडवांटेज नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि हम पी.पी.पी. में जायेंगे। वे भूमि और आधारभूत ढांचा दे सकते हैं। लेकिन आपको केयर करना है। रेलवे के पास इतना रुपया नहीं है कि रेलवे मैडिकल कॉलेज प्रिपेयर करे। रेलवे भूमि, आधारभूत ढांचा, और अन्य सुविधाएं देगा। हम सार्वजनिक-निजी भागीदारी करेंगे ताकि लोग बाहर आ सकें – 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए और 50 प्रतिशत सामान्य विद्यार्थियों के लिए वे भी खुश हों। अगर हम सात जगह मैडिकल कालेज खोलेंगे तो – लाभार्थी कौन होगा? हमारी नई और युवा पीढ़ी लाभान्वित होगी। अगर हम नर्सिंग सैन्टर बनायेंगे

[अनुवाद]

तो लाभान्वित कौन होगा? नर्सें लाभान्वित होंगी। मुझे गर्व है कि चेन्नई और केरल में अच्छी संख्या में नर्स हैं। उनके पास कुछ अच्छे अस्पताल हैं। मुझे यह पता है। अब, हम यह सुविधा अन्य सात-आठ क्षेत्रों में भी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए, हमें नर्स भी भर्ती कर चाहिए। नर्सों के बिना चिकित्सक इलाज नहीं कर सकते। चिकित्सक केवल सलाह दे सकते हैं, केवल नर्सें ही उस कार्य को लागू करती हैं, और ऑक्सीजन, 'सेलाइन वाटर' और दवाई देना जानती हैं। यह नर्सों पर है, न कि चिकित्सकों पर। चिकित्सक मरीज के साथ 24 घंटे नहीं रह सकते। वे देखते हैं और सलाह देते हैं औनर्स की भी जरूरत होती है। इसमें गलत क्या है?

मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखती हूं। यदि मैं सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए जाती हूं तो क्यों न हम हमारे रेलवे कर्मचारियों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करें। अन्य को भी 50 प्रतिशत अवसर मिलेंगे। आप मुझे बताएं कि कितने सांसद रेलवे परिवार से हैं। बहुत कम। रेलवे कर्मचारियों की संख्या 14 लाख है लेकिन हमारे देश की आबादी 100 करोड़ से अधिक है, हमें यह भी याद रखना है। मैंने इसीलिए बोला, यह आप लोगों के लिए होगा।

अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। मेरे भाजपा के बंधुओं ने प्रमुख और गैर-प्रमुख वर्गों के बारे में उल्लेख किया है। कोर ग्रुप में अनंत जी मैंने बता दिया, आडवाणी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी और राजनाथ जी आप बताइये क्या मिनिस्टर ट्रेन चलाते हैं? नहीं। ये हैं रेलवे कर्मचारी, रेलवे बोर्ड, रेल विभाग संभाग, क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यालय। लेकिन हम लोगों ने कोर ग्रुप में जो करना है – मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं। यदि आप मुझसे ट्रेन चलाने को कहें तो मैं नहीं चला सकती। मैं असहाय हूं। उन्हें ट्रेन चलानी है। मैंने कहा है, समय की पाबंदी के सम्बन्ध में कड़ी निगरानी होनी चाहिए जो मैंने पहले ही किया है। हमने पाबंदी के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ गठित किया है। ट्रेन 10 घंटे, 14 घंटे और कभी-कभी 30 घंटे या 40 घंटे विलम्ब से चलती थी। कभी-कभी ऐसा आंदोलनों, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक अपदाओं से हो सकता है। लेकिन हमें निगरानी रखनी है। यदि 100 प्रतिशत नहीं तो कम से कम 85 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक करना है। हमें उसके लिए प्रयास करना है हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। हमें बेहतर की आशा करनी चाहिए।

गैर-प्रमुख वर्गों के संबंध में, हमने विशेषज्ञ दल रखने का निर्णय किया है। मैं समझती हूं हम फिक्की, सीआईआई, विभिन्न राज्यों से अन्य विशेषज्ञों को शामिल करेंगे, जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से परामर्श

कर सकते हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे श्री अमित मित्र का नाम घोषित करते हुए खुशी है – वह औद्योगिक पृष्ठ भूमि से हैं और वह पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। वह व्यावसायिक योजना के लिए विशेषज्ञ दल के अध्यक्ष होंगे और नए सदस्यों को शामिल करेंगे। रेल मंत्रालय से मैं सदस्य (यातायात), सदस्य (अभियांत्रिकी) चाहती हूं जो अध्यक्ष के साथ काम करेंगे ताकि वें परस्पत बात कर सकें और हमें व्यावसायिक सौदों के लिए सलाह दे सकें।

महोदया, अपेक्षाएं बहुत ऊंची है। मैं प्रत्येक को गाड़ी या स्टेशन या अन्य कोई परियोजना देकर प्रसन्न होऊंगी। *[हिन्दी]* लेकिन हमारे पास कोचेज, रैक्स आदि फैसिलिटीज इतनी नहीं हैं, जितना हम कर सकते हैं, हमने किया है। इसके अलावा बाकी एम.पीज. ने जो बोला है, हम उसे रखेंगे और एक-एक क्षेत्र का जो डिटेल्ड रिप्लाई है, वह हम देंगे।...*(व्यवधान)* एक के कहने से दूसरे और चिल्लायेंगे। इसी बात की दिक्कत है। मैडम, आर.आर.बी. में जो दिक्कत है, बहुत सारे स्टेट्स में एग्जाम के लिए लोग जाते हैं तो दिक्कत होती है, महाराष्ट्र में झगड़ा भी हो गया, बंगलुरू और बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ। आसाम में हुआ, नॉर्थ-ईस्ट में भी हुआ। *[अनुवाद]* मैं समझती हूं, यह ऐसा समय है जब राज्य और क्षेत्रीय अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा है। इससे हम टकरा नहीं सकते हैं। यह राष्ट्रीय संगठन है। हमारे पास उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार की ओर से कुछ संवैधानिक दिशा-निर्देश है। हम उनकी समीक्षा करेंगे। मैं नहीं जानती, मुझे विस्तृत जानकारी लेनी है। लेकिन यदि आप मेरी राय जानना चाहें तो मैं आपको यह बताऊंगी। क्वैश्चन पेपर इंगलिश में हो, हिन्दी में हो लेकिन लोकल के लिये रिजनल लैंग्वेज में भी होना चाहिये। पहले साउथ वाली भाषा नहीं थी लेकिन अभी तो हो गया है। क्योंकि ने अंग्रेजी भाषा नहीं समझते। संथालियों के लिए, संथाली भाषा नहीं है, उनकी भाषा में यह अलचिकी कहलाती है।...*(व्यवधान)* क्या आपको पता है? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं आपसे बेहतर जानती हूं। मणिपुर में, उच्चारण भिन्न है। यदि आप केवल शब्द देखें तो यह बंगाली जैसा लगेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं।

हमें यह कहते हुए गर्व हैं कि हम पंजाबी भाषा जानते हैं, हम मराठी, गुजराती, उत्तर-पूर्व की भाषा समझते हैं क्योंकि वे एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम संस्कृत भी जानते हैं। कोई भी शब्द लीजिए यह शब्द बांग्ला, उर्दू, हिन्दी में हो सकता है और प्रत्येक इसे समझता है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हम आरआरबी की समीक्षा करेंगे। यदि आप मुझसे पूछे तो मैं इसके पक्ष में हूं। 50 परसेंट लोकल होना चाहिये। यह उन्हें मजबूती देने के लिए है। इसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये तो नेशनल लैंग्वेज़ हैं। रेलवे में अगर दूसरे स्टेट्स के लोग आयेंगे तो रेलवे को भी लाभ होगा क्योंकि वे वार्तालाप कर सकते हैं। लोकल लोगों की भी जरूरत है। हम सभी के लिए रेलवे चाहते हैं, न कि इसी विशेष व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के लिए। यह सबके लिए होनी चाहिए। इसमें लोकल सैंटिमेंट्स को हम इज्जत देते हैं और इज्जत देने के लिये हम समीक्षा करेंगे और फिर हम फार्मूले की घोषणा करेंगे। ...*(व्यवधान)* मैंने अपने दिल की बात कही है कि रिव्यु किया जायेगा। जो मैंने कहा है, वह अपनी स्पीच में कहा है। बाहर दिए गए भाषणों पर ध्यान न दिया जाए। श्री अनन्त कुमार ने किसी बात का जिक्र किया था। मैं सभा पटल पर जो भी रखती हूं वही मेरा भाषण होगा। जहां तक आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. की बात है, स्टेट गवर्नमेंट आर.यू.बी. के लिये 50 परसेंट शेयर देती है और सैंट्रल गवर्नमेंट 50 परसेंट शेयर देती है। बहुत सारी जगह में स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया लेकिन बहुत सारी जगहों पर नहीं किया, इससे दिक्कत होती है। हमने योजना आयोग से बात करने का निर्णय किया है। कुछ ऐसे राज्य हैं मैं जिनकी प्रशंसा करती हूं कि वे इसके लिए इच्छुक हैं। *[हिन्दी]* जैसे महाराष्ट्र ने किया है, कर्नाटक ने भी कहा है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा है। जो किया है, हम उसकी सपोर्ट करते हैं...*(व्यवधान)* मेरी बात सुनिये। जो दिया है, जो देते हैं, उसके लिए ठीक है लेकिन जो देते नहीं हैं, वह पड़ा है रहता।

...*(व्यवधान)* उसके लिए मैंने कह दिया है। हम लोगों ने इसके लिए तैयार किया है। मैंने बजट में कह दिया है कि प्लानिंग कमीशन से बात करेंगे। जो अरजैंट है, उन्हें करने के लिए कोई न कोई तरीका निकालना है। अगर 10-20 साल तक पड़ा रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी। इतने दिन तक पड़े रहने की जरूरत नहीं है। यह बहुत इम्पार्टेंट ऐरिया है। इसमें बहुत टाइम एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसलिए इसे देखने की जरूरत है...*(व्यवधान)* जो अधूरे पड़े हुए हैं, उसके लिए आप सरकार से कहिये कि एक साल पार्टी मीटिंग बुलाकर सब के साथ बातचीत करेंगे। *[अनुवाद]* हमारे पास रैक, कोच और प्रत्येक चीज उपलब्ध नहीं है। अत:, हमें गाड़ी के अधिक 'रोलिंग स्टॉक' चाहिए। अत: अब, 11000 के बजाय, हमने 18000 डिब्बों का ऑर्डर दिया है। हमारी उत्पादन इकाइयों और अन्य-चितरंजन लोकोमोटिव्ज और अन्य सहित जो देश के अन्य भागों में स्थित है, वैगन उद्योग को लाभ होगा।

[हिन्दी]

मैंने एक्सपैंडिचर्स के बारे में जो बोलना था, वह बोल दिया कि सरकार की जो अर्निंग्ज़ होती हैं, उसमें खर्चा भी होता है। यह

[कुमारी ममता बनर्जी]

नहीं कि केवल अर्निंग्ज़ होती हैं और बाकी बैंक में डाल देते हैं। लालू जी के टाइम में हुआ। यह कोई इंडिविज्युल की बात नहीं है।

यह कभी माधवराज जी का हुआ, कभी जार्ज फर्नांडीज़ जी का हुआ, कभी नीतीश जी का हुआ और कभी लालू जी का हुआ है। हम केवल व्यक्ति हैं? विभाग यन सरकार मुख्य हैं। गवर्नमेंट तो आती, जाती रहती हैं, लेकिन उनके समय में कुछ काम अच्छा भी होता है और कुछ खराब भी होता है।

महोदया, जिस 90 हजार की बात हम लोगों ने कही थी, यह पांच वर्षों का अतिरिक्त धन है। इसमें से खर्चा भी करना पड़ेगा। खर्चा दिखाने के बाद एक्सपेंडीचर नहीं होता है, हम अर्न कर सकते हैं। हमें सैलरी मिलती है तो क्या हम सैलरी से खाने का खर्चा नहीं देते हैं, क्या हम सैलरी से ट्रैवलिंग का खर्चा नहीं देते हैं, यह सब तो सैलरी से ही जाता है या हम सैलरी को बैंक में रख देते हैं। अगर हम सैलरी को बैंक में रख देते हैं तो भी कभी-कभी तो खर्च करना ही पड़ता है। यह भी इंडीविजुअल ही होता है लेकिन विभाग अलग हैं।

महोदया, हमें अपने 14 लाख एम्प्लाइ को सैलरी देनी पड़ती है, ट्रेनें चलानी पड़ती हैं। यह सब खर्चा देने के बाद हमारा निवेशयोग्य सरप्लस 8,631 करोड़ रुपया रहेगा। *[अनुवाद]* तथ्य यही है क्योंकि हम केवल कमाई नहीं कर रहे हैं। हम खर्च भी कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* मैंने कहा हमारा सरप्लस रहेगा।

श्री लालू प्रसाद (सारण) : इस साल का बताइए।

कुमारी ममता बनर्जी : इस साल का क्या है, अभी तो एक महीना हुआ है। *...(व्यवधान)* यह पूरे साल का होगा। लालू जी, मैंने एक्चुअल फिगर बोली हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

कुमारी मामता बनर्जी : महोदया, मैं यह सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि सदस्यों ने मुझसे विवरण मांगा है। *[हिन्दी]* हमने 13,600 करोड़ रुपए छठे वेतन आयोग के लिए लास्ट इयर दिये हैं और हमें इस साल भी 14,600 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। *[अनुवाद]* छठे वेतन आयोग के भार स्वरूप हम 28,200 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे हैं। हम वित्त मंत्रालय को शे लाभांश का भुगतान कर रहे हैं और उसके बाद हमारी निवेश योग्य अतिरिक्त राशि केवल 8,637 करोड़ रुपए है। क्या यह स्पष्ट है?*...(व्यवधान) [हिन्दी]* यह हमने पूरे पांच साल के एक्सपेंडीचर के लिए किया है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदया, आप श्वेत पत्र कब ला रही हैं?

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : हम अभी उसी पर आ रहे हैं। कभी-कभी एमपी लोग बोलते हैं कि रेल ने केवल 10 हजार किलोमीटर लाइन एक्सटेंड की है और कुछ नहीं किया है। यह बात सच है, लेकिन यह बात भी सच है कि अंग्रेजों ने जो किया था वे मीटरगेज थीं, उसे ब्राडगेज किया गया है। हमने 10 हजार किलोमीटर रूट लाइन इंक्रीज किया है। हमने लाइनों को मीटरगेज से ब्राडगेज किया है, इलेक्ट्रीफिकेशन किया है, डबलिंग किया है। *[अनुवाद]* आप उसकी भी गणना करें। हमनें 12,430 किलोमीटर न्यू लाइन बनायी हैं, हम लोगों ने 14,490 किलोमीटर डबलिंग किया है और 18,449 किलोमीटर लाइन को मीटरगेज से ब्राडगेज किया है। *[अनुवाद]* महोदया, कुल रेल मार्ग में लगभग 45,309 कि.मी. और जोड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया है। *[हिन्दी]* मैंने बोला है कि मैं एक व्हाइट पेपर लेकर आऊंगी और मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहती हूं। *[अनुवाद]* मैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ नहीं कर रही हूं। *[हिन्दी]* व्हाइट पेपर केवल आज ही नहीं पहले भी आया है। गवर्नमेंट कभी-कभी व्हाइट पेपर या स्टेटस पेपर हाउस में ले आती है। *[अनुवाद]* यदि मैं गलत नहीं हूं तो *[हिन्दी]* जॉर्ज फर्नांडीज़ जी ने ऐसा किया था, नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया था, *[अनुवाद]* अन्य विभागों के कई अन्य मंत्री रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया है। *[हिन्दी]* इससे यह होता है, जैसा कि मैंने बताया कि लांग टर्म, शॉट टर्म में क्या था, क्या हुआ, क्या बनेगा, प्रजेंट, पास्ट और फ्यूचर को अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो यह ठीक नहीं होता है। आज एक बच्चे को जन्म लेने पर उसके माता-पिता आज सबसे पहले उसके लिए एजुकेशन लोन का फार्म भरते हैं। यह इसलिए कि जब वह बड़ा हो जायेगा तो उसे पढ़ने का मौका मिलेगा। यह हमारे फ्यूचर के लिए है कि हम फ्यूचर में कुछ करेंगे।*...(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : एजुकेशन लोन के लिए बचपन में कोई फार्म नहीं भरता है।

कुमारी ममता बनर्जी : आपको पता नहीं है, बहुत भरते हैं। फार्म नहीं भरेंगे तो हायर एजुकेशन कैसे लेंगे? हायर एजुकेशन के

लिए लोन है। हमने आपको केवल एक उदाहरण दिया है और यह आपकी मर्जी है कि आप इसे मानें या न मानें। मैंने यही बोला है कि पहले का क्या है, अभी क्या है और आगे का क्या होगा, इसीके बारे में हमें एक व्हाइट पेपर लाना है, *[अनुवाद]* वृत्तीय पृष्ठभूमि से नई रेल पारियोजना की पृष्ठभूमि तक। *[हिन्दी]* इसमें हम शॉर्ट टर्म क्या कर सकते हैं, लॉंग टर्म क्या कर सकते हैं, कैसे रेलवे अच्छा परफॉर्म कर सकती है, *[अनुवाद]* और हम देख सकते हैं कि रेलवे किस तहर आम लोगों तक पहुंचा। हम इसका ध्यान रखेंगे। इसलिए आप सराहना करेंगे कि हमने अपनी परिसंपत्तियां बनाई है और हमने अपनी आय से अपना आधारभूत ढांचा भी तैयार किया है। हम यहां अतिरिक्त कमाई करने नहीं आए हैं बल्कि अवसंरचना के निर्माण और उसके विकास के लिए आए हैं। *[हिन्दी]* हम उसको खर्च करते हैं। जो इनकम होती हैं, हम उसको खर्च करते हैं। इसीलिए हमारा जो व्हाइट पेपर है, डिपार्टमेंट को अच्छा करने के लिए और जनता के हित में इसको बनाने के लिए *[अनुवाद]* इसमें आर्थिक पृष्ठभूमि से प्रचालन पृष्ठभूमि; आर्थिक पृष्ठभूमि से अवसंरचनात्मक पृष्ठभूमि और आर्थिक पृष्ठभूमि से भावी अवसंरचना के मिर्नाण का उल्लेख होगा। यह मारा भविष्य है और यह स्वर्णिम होगा। इसलिए हमने ऐसा करने का निर्णय किया है।

श्री अनंत कुमार : ममता जी, क्या आप एक मिनट बोलने देंगी? महोदया, मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि अपने बजट भाषण में उन्होंने दो बातें कही हैं। पहली यह कि वह पिछले पांच वर्ष के कार्यनिष्पादन पर श्वेत पत्र जारी करने जा रही हैं। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही है कि वह रेलवे के लिए 2020 तक के किए दृष्टिकोण पत्र (विजन डाक्यूमेंट) जारी करने जा रही हैं। यद्यपि ये दोनों अलग-अलग दस्तावेज हैं तथापि वे एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि श्वेत पत्र और इसके विश्लेषण के बिना आप दृष्टिकोण पत्र (विजन डाक्यूमेंट) नहीं बना सकते। अत: मेरा आपसे यही सीधा प्रश्न है क्या आप शीतकालीन पत्र के पहले दिन श्वेत पत्र सभा में प्रस्तुत करेंगी? क्योंकि इसका बहुत महत्व है ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले पांच वर्षों में जो कुछ हुआ है, वह पूरे देश के सामने आ जाएगा।

कुमारी ममता बनर्जी : अनंत जी, आप भी सरकार में थे और आप जानते हैं कि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। मुझे आंतरिक लेखा परीक्षा या बाह्य लेखा परीक्षा की जानकारी नहीं है। लोग इसका ध्यान रखेंगे। हमारे पास सभी तरह की व्यवस्था है और जब प्रक्रिया वास्तव में पूरी हो जाएगी तो मैं सभा में श्वेत पत्र और दृष्टिकोण पत्र (विजन डाक्यूमेंट) की लाऊंगी जो कि बहुत शानदार होगा। यह सिर्फ लिखित ही नहीं होगा बल्कि एक शानदार दस्तावेज होगा। अत: हमें कुछ समय दीजिए। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हम एक शानदार दुनिया में रह रहे हैं, इसलिए यह भी शानदार होगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

क्या पूछा आपने?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर) : आचार्य जी उसको देखेंगे कि नहीं?

कुमारी ममता बनर्जी : स्टैन्डिग कमेटी चेयरमैन रहेंगे तो देखेंगे।

[अनुवाद]

ऑप्टिक फाइबर के संबंध में श्री सैम पित्रोदा 33000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर बिछाने हेतु हमें सप्ताह देंगे जिसे हम बिछाना चाहते हैं। *[हिन्दी]* अरुन जी ने भी बोला कि रेलवे को क्या जरूरत है ऑप्टिक फाइबर केबल करने की? रेलवे के लिए भी ज़रूरत है। *[अनुवाद]* यह निचले स्तर तक भी पहुंचेगा। *[हिन्दी]* मैं जब एनडीए सरकार में थी, तब किया था। आपने तब तो नहीं बोला, आज क्यों मुझे गाली देते हैं? मैंने इनीशियेट किया था। *[अनुवाद]* कृपया बजट का अवलोकन कीजिए। *[हिन्दी]* मैंने आपके खिलाफ नहीं बोला। *[अनुवाद]* यदि आप बजट का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि मैंने भूमि और खुली जगह के वाणिज्यिक उपयोग तथा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात की थी। मैंने पहल की थी। *[हिन्दी]* लेकिन अभी हुआ नहीं है। इसलिए दोबारा मुझे दौड़ना पड़ा। अगर हो जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैंने इनीशियेटिव लिया था, उस समय में, जब हम एनडीए सरकार में थे। *[अनुवाद]* कृपया इसका ध्यान रखें। *[हिन्दी]* आप मुझे जो भी कहना है, वह सकते हैं, *[अनुवाद]* आपको बोलने की स्वतंत्रता है। *[हिन्दी]* लेकिन जो फैक्ट्स हैं, मैंने इसके बारे में आपको कहा है।

महोदया, मुम्बई में हमने रेल विकास कार्पोरेशन बनाया है। इसको 1004 करोड़ रुपये दिये हैं और थोड़े प्रोजैक्ट दिये हैं जल्दी से जल्दी करने के लिए। *[अनुवाद]* उपनगरीय रेलवे के लिए भी *[हिन्दी]* इसमें 40 ज्यादा दिया है, ऐड भी किया है। रैक मिल जाने से आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। जो कोच हमने दिया है, वह काम हो जाएगा। उड़ीसा में भी ऐसा रेल विकास निगम लिमिटेड ट्रैक इंप्लीमैंटेशन के लिए किया है।

[अनुवाद]

इसमें हरिदासपुर-पारादीप, अंगुल-सुकिन्दा, नई रेल लाइनें तथा कटक बरांग, खुरदा-बरांग, रजतगढ़-बरांग, रायपुर-तितलागढ और संबलपुर-तितलागढ़ रेल लाइनों का दोहरीकरण भी शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

[कुमारी ममता बनर्जी]

[हिन्दी]

यह आप लोक देख लीजिए।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में भी कुछ समस्याएं हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

आंध्र प्रदेश राज्य के माननीय सदस्यों ने कुछ समस्याओं का उल्लेख किया है और मैं उन पर विचार करूंगी। वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में शेष मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाएगा। *[हिन्दी]* यह भी आपको देखना चाहिए। *[अनुवाद]* ओबुलावारीपल्ले-कृष्णापट्टनम की नई लाइन और रायचुर-गुंटकल एवं गूरी-रेनीगुंटा लाइन के दोहरीकरण का कार्य आरवीएनएल द्वारा तेजी से किया जा रहा है।

महोदया, इसी तरह कर्नाटक में कोत्तूर, हरिहर, हसन बंग्लोर नई रेल लाइनों, शिमोगा-तालगुप्पा लाइन के आमान परिवर्तन और रमनाग्राम–मैसूर लाइन के दोहरीकरण के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। देवबंद-रुड़की, गुना-इटावा की नई रेल लाइनों, मथुरा, अचनेरा, कासगंज-बरेली लाइनों के आमान परिवर्तन और लखनऊ-मुगलसराय और गोण्डा-गोरखपुर-छपरा मार्गों के दोहरीकरण के साथ उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

ऐसा मुंबई में भी होगा...*(व्यवधान)*एमयूटीपी के तहत होगा ...*(व्यवधान)* लेकिन आप बोलने तो दीजिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदया, महाराष्ट्र में अमरावती-नारखेड नई लाइन और पंधरपुर-मिराज लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। एमयूपीटी के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं। पनवेल-पेन-रोहा और उधाना-जल गांव लाइन के दोहरीकरण के कार्य में भी तेजी लाई जाएगी और अन्य परियोजनाओं के किए मुंबई रेलव विकास निगम की स्थापना की गई है...*(व्यवधान)*। यह बजट नहीं है। मैं और विवरण नहीं दे सकती...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदया, कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे अपनी बाज पूरी करनने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

आंध्र प्रदेश राज्य को पांच नई रेलगाड़ियां मिली हैं, तीन गड़ियों का विस्तार किया गया है और दो गाड़ियों के फेरे बढ़ाए गए हैं। उड़ीसा को सात नई रेलगाड़ियां मिली हैं, चार गाड़ियों का विस्तार किया गया है और दो गाड़ियों के फेरे बढ़ाए गए हैं। उत्तर प्रदेश को 21 नई रेलगाड़ियां मिली हैं, ग्यारह गाड़ियों का विस्तार किया गया है और सात रेलगाड़ियों का फेरे बढ़ाये गये हैं। कर्नाटक को 12 नई रेलगाड़ियां मिली हैं, चार गाड़ियों का विस्तार किया गया है और एक गाड़ी के फेरे बढ़ाए गए हैं। महाराष्ट्र को 19 नई रेलगाड़ियां मिली हैं, पांच गाड़ियों का विस्तार किया गया है और चार गाड़ियों के फेरे बढ़ाए गए हैं...*(व्यवधान)* और आप क्या चाहते हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक साल में हम और क्या कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय रेल मंत्री जो कह रही है, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : मेरा उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं यहां कुछ और कहना चाहती हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदया, यदि आप अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहती हैं, तो आप रख सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : मैं यहां कुछ और कहना चाहती हूं ...*(व्यवधान)* यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं कुछ और नहीं कह पाऊंगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे कुछ कहना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों तथा उनके निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित कुछ मामले हैं। वे माननीय मंत्री से मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं और मुद्दों की चर्चा उनसे कर सकते हैं। अब उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस तरह से हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। कृपया उनसे मिलें और जो भी समस्या है वे अपने समर्थ्यानुसार हर समस्या का समाधान करेंगी। मंत्री महोदया, कृपया अपना उत्तर जारी रखिए।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदया, मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि हजारों अनुरोध, जो मुझसे किए गए हैं, को स्वीकार करूं *...(व्यवधान)* कृपया अब मुझे कुछ रियायतों की घोषणा करने दीजिए*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : मैं भारतीय पुलिस पदक धारकों के लिए सहर्ष रियायत की घोषणा कर रही हूं। अब राजधानी, शताब्दी या जनशताब्दी ट्रेनों को छोड़कर माहिलाओं के लिए 60 प्रतिशत और पुरुषों के लिए 50 प्रतिशत की रियायत होगी। कलाकारों, पेन्टरों, सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने वाले सूहों के लिए पहले सेकेंड क्लास स्लीपर में 50 प्रतिशत तक रियायत थी।

हम सब सांस्कृतिक क्षेत्र के कलाकारों, संगीतज्ञ और नर्तकों को राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस अथवा जनशताब्दी ट्रेनों में एसी 2, एसी 3 अथवा एसी चैयर कार में वही रियायत दे रहे हैं ताकि हमारी कला और संस्कृति का विकास हो और वह पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो सके*...(व्यवधान)*

अब मैं कुछ और घोषणाएं करना चाहती हूं। मुझे माननीय सदस्यों से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मैं उनमें से कुछ अनुरोध स्वीकार कर रही हूं*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अभी कोई रह गया है तो बाद में दे देंगे।*...(व्यवधान)*

मैडम, वर्ल्ड क्लास स्टेशन में हमने गोवा को एकोमोडेट किया है।

[अनुवाद]

गोवा और कालीकट पर्यटन स्थल हैं। मैंने आदर्श स्टेशनों में शामिल किए जाने के लिए निम्नलिखित अनुरोधों को स्वीकार किया है। ये हैं– रामागुंडम, तामलुक, सासाराम, विज़ियानागरम, कासरगोड, कोंटई, काकीनाडा, महीशाडल, चंचोल, निज़ामाबाद, जहीराबाद, बापाटला, नांदयाल, कुरनूल, अनंतपुर, नेल्लौर, गुंटाकल, रेनीगुंटा, आदिलाबाद, मेचेदा, मेडक, महबूबनगर, थालासेरी, बडागरा, पट्टीक्कड, थिरूर, ऊना, रोहतक, बहादुरगढ़, सोनीपत, कोसली, कलानौर, नोआगाचिया, पानीपत, अजनी, ऊधमपुर, मरेठ, बलिया, तिरूचिरापल्ली, जहानाबाद, ढेंकानाल, ललितपुर, बीदर, गुलबर्गा, वाडी और दादर, मऊ, आज़मगढ़, कोट्टयम. *..(व्यवधान)* मैं कालीकट, राजकोट, नांदेड, काठगोदाम, नैनीताल, हरिद्वार, त्रिचूर, हल्दिया, कुरूक्षेत्र, अयोध्या, अलेप्पी, तलचर, गुंटूर, राजमुंदरी और बर्दवान, कन्नूर, चामराजनगर, अमुदालावाल्सा में बहुदेश्य परिसरों की अनुमति देना चाहती हूं।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या इलाहाबाद वर्ल्ड क्लास में नहीं है। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : इलाहाबाद वर्ल्ड क्लास में है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं आंध्र प्रदेश के लिए दिल्ली से सिकन्दराबाद तक एक, 'नान-स्टॉप ट्रेन', और मुम्बई से नागपुर तक एक ड्यूरोन्टों गाड़ी की अनुमति दे रही हूं। मैं बंगलौर तक इसे बढ़ाना चाहती हूं लेकिन पहले मैं इसे अंतिम रूप दे दूं*...(व्यवधान)* मैं बंगलौर तक भी एक ड्यूरोन्टो गाड़ी चलाने की स्वीकृति दूंगी।

केरल के लिए माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया है*...(व्यवधान)* जयपुर तक जानेवाली गाड़ी को अजमेर तक बढ़ाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया, कुछ अन्य अनुरोध भी हैं। मैं विस्तार से बताऊंगी। मैं माननीय सदस्यों को उत्तर दूंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभा से अनुरोध करती हूं कि वर्ष 2009-10 हेतु अनुदानों की मांगें (रेल) को पारित किया जाए*...(व्यवधान)*

[कुमारी ममता बनर्जी]

मैं इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगी। कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं सभी अनुरोधों पर विचार करूंगी।

अपराह्न 1.11 बजे

नियम 331(छ) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331छ को वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान के संबंध में लागू करने से निलंबित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331छ को वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान के संबंध में लागू करने से निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.12 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभा अब वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) पर मतदान करेगी। यद्यपि, प्रक्रिया नियमों के नियम 331छ को निलंबित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभा अनुदानों की मांगों को विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के पास भेजे बिना पारित कर दे, तथापि मांगों को रेल संबंधी स्थायी समिति के गठन के पश्चात् जांच करने तथा सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उसको सौंपी जाएगी।

अपराह्न 1.12½ बजे

अनुदानों की मांगें (रेल), 2009-10*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, 8 जुलाई, 2009 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) पर सभा द्वारा बिना चर्चा किए मतदान किया जाए। चूंकि कटौती प्रस्तावों को पेश किए जाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है, अत: सभी कटौती प्रस्तावों को जिन्हें परिचालित किया गया है, पेश किया गया समझा जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग सं.	मांग का नाम	19.2.2009 को सभा द्वारा स्वीकृति लेखानुदान की मांगों की राशि (रुपये)	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांग की (रुपये)
1	2	3	4
1	रेलवे बोर्ड	75,99,49,000	113,98,98,000
2	विधि व्यय (सामान्य)	233,25,49,000	346,50,99,000
3	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	1962,60,37,000	2443,20,73,000

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

2		3	4
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	2983,97,92,000	3924,97,52,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	1317,55,54,000	1989,11,09,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	3044,48,49,000	4380,96,98,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	1741,93,40,000	2267,86,80,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	2243,41,67,000	3019,17,54,000
9.	परिचालन व्यय – यातायात	5861,11,11,000	5320,54,61,000
10.	परिचालन व्यय – ईंधन	4977,06,17,000	9736,12,35,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	1265,96,65,000	1914,36,27,000
12.	विधि संचालन व्यय	1297,88,19,000	1859,76,39,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्त लाभ	6555,09,80,000	7710,19,61,000
14.	निधियों में विनियोग	8757,42,00,000	12659,84,00,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	8,56,23,000	5470,65,77,000
16.	परिसंपत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव		
	राजस्व	20,00,00,000	39,98,00,000
	अन्य व्यय		
	पूंजी	14758,98,40,000	28443,77,80,000
	रेलवे निधियां	6668,04,46,000	10315,09,54,000
	रेलवे संरक्षा निधि	566,59,67,000	890,28,33,000
	जोड़	64339,95,05,000	102846,43,30,000

श्री वैजयंत पांडा (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

उड़ीसा में रेल के विकास के लिए वर्तमान बजट में 1520 करोड़ रुपये दिए जाने की आवश्यकता। (1)

चेन्नई-कोलकाता रेल कॉरिडोर को उड़ीसा राज्य से होकर निकाला जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (2)

गरीब रथों को पूर्व तटीय रेल पर चलाए जाने की आवश्यकता। (3)

शीघ्र आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और उड़ीसा में नई रेल लाइनों को बिछाने के लिए पूर्व तटीय रेल को एक अनन्य वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (4)

पारादीप से बरौनी तक रेल लाइन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (5)

देश के महत्वपूर्ण शहरों और नगरों के बीच संपर्क में सुधार

[श्री वैजयंत पांडा]

लाने के लिए पूर्व तटीय रेल में नई ट्रेनों को चलाए जाने की आवश्यकता। (6)

उड़ीसा राज्य में रेल उत्पादन इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (7)

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

गोण्डा और करनैलगंज रेलवे स्टेशनों का विकास किए जाने की आवश्यकता। (8)

राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली बरास्ता गोण्डा हाजीपुर/पटना तक चलाए जाने की आवश्यकता। (9)

रेलवे टिकट आरक्षण सेवा को माफियाओं से मुक्त कराए जाने की आवश्यकता। (10)

किसानों को रेल से तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए नि:शुल्क यात्रा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (11)

सप्तक्रांति एक्सप्रेस को गोंडा रेलवे स्टेशन पर ठहराव किए जाने की आवश्यकता। (12)

श्री वैजयंत पांडा (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व तटीय रेल के सभी चौकीदार रहित रेलवे क्रॉसिगों पर चौकीदारों को तैनात किए जाने की आवश्यकता। (13)

उड़ीसा के कम विकसित कोरापुट-बोलंगीर-कालाहंडी (केबीके) क्षेत्र में नई लाइनें बिछाए जाने की आवश्यकता। (14)

पूर्व तटीय रेल के अंतर्गत नए रेल लाइन बिछाने/विस्तृत रेल टर्मिनलों और बल्क कार्गो हैंडलिंग प्वाइंटों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (15)

पूर्व तटीय रेल प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाओं का विकास किए जाने की आवश्यकता। (16)

नीति निरनुमोदन

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

उत्तर प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों को रेल नेटवर्क में जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाने और कार्यान्वित करने में असफलता। (17)

उत्तर प्रदेश में पर्याप्त यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने में असफलता। (18)

नमक और अन्य आवश्यक वस्तुओं के संबंध में माल भाड़ा प्रभार कम करने में सरकार की अफसलता। (19)

उत्तर प्रदेश में ''पैलेस ऑन व्हील्स'' की तर्ज पर रेलगाड़ी चलाए जाने में सरकार की असफलता। (20)

मासिक सीजन टिकटों का प्रभार कम करने में सरकार की असफलता। (21)

पुराने डिब्बों को बदलने में असफलता। (22)

देश में रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने को दूर करने में असफलता। (23)

उत्तर प्रदेश में पर्याप्त रेलगाड़ी सम्पर्क की व्यवस्था करने में असफलता। (24)

रेल यात्रा सस्ती बनाने में असफलता। (25)

देश में काफी समय से लम्बित परियोजनाओं तथा रेल लाइनों के नवीनीकरण का कार्य समय पर पूरा करने में असफलता। (26)

रेल कर्मचारियों को नियमित आधार पर ओवरटाइम भत्ता दिए जाने में आवश्यकता। (27)

उत्तर प्रदेश में ऊपरि पुलों/अंडरब्रिजों का समय पर निर्माण किए जाने में असफलता। (28)

रेलवे की खाली भूमि के उपयोग के लिए एक स्पष्ट नीति बनाए जाने में असफलता। (29)

सांकेतिक

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

राष्ट्रपति पदक धारक व्यक्तियों तथा सरकारी कर्मचारियों को रेल पास जारी किए जाने की आवश्यकता। (30)

सीतापुर, हरदोई और कानपुर से चलने वाली रेलगाड़ियों में आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (31)

सेवानिवृत्ति से होने वाले रिक्त पदों पर विशेषकर समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की भर्ती सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (32)

लखनऊ और दिल्ली के बीच प्राथमिकता के आधार पर एक नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता (33)

देश में विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत रेल पथों के अनुपात में गैंगमैन की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता। (34)

बिना चैकीदार वाले रेल फाटकों पर, विशेषकर रात में, चौकीदारों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (35)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेल खंडों पर जारी सर्वेक्षण के लिए निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (36)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 03.01.1-03.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर रात में ड्यूटी पर तैनात गैंगमैन को पर्याप्त सुरक्षा और संचार सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (37)

कि संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 07.01.1-07.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

सीतापुर, हरदोई और कानपुर में अतिरिक्त पुर्जे विनिर्माण इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (38)

उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेल प्रमंडलों में संयंत्रों और उपस्करों तथा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (39)

(नीति निरनुमोदन)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफलता। (40)

रेल दुर्घटनाओं को रोकने में असफलता। (41)

कि परिसपंत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

उत्तर प्रदेश में नई रेल लाइनें बिछाने का कार्य पूरा करने में असफलता। (42)

उत्तर प्रदेश में रेल लाइनों के दोहरीकरण के कार्य को समय पर पूरा करने में असफलता। (43)

(सांकेतिक)

कि परिसंपत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

रेलगाड़ियों में स्वच्छता तथा यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (44)

सीतापुर, हरदोई और कानपुर रेलवे स्टेशनों पर और अधिक प्लेटफार्मों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (45)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित नैमिषारण्य के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को एक्सप्रेस रेलागड़ी के जरिए दिल्ली से जोड़े जाने की आवश्यकता। (47)

मिसरिख को एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी के माध्यम से दिल्ली से जोड़ने की आवश्यकता। (48)

उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का हाल्ट बनाए जाने की आवश्कयता। (49)

कोयला के ढुलाई भाड़े में वृद्धि को कम किए जाने की आवश्यकता। (50)

नमक का ढुलाई प्रभार कम एिक जाने की आवश्यकता। (51)

द्वितीय श्रेणी के यात्री किराए को घटाए जाने की आवश्यकता। (52)

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रेल द्वारा माल डिब्बे की खरीद का लक्ष्य पूरा करने की आवश्यकता। (53)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों के बीच ईएमयू सवारी डिब्बों की संख्या उनकी मांग के अनुरूप बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (54)

उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थस्थलों तथा शहरों में रेलवे स्टेशनों पर तीर्थयात्री निवास बनाए जाने की आवश्यकता। (55)

उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों के लिए पृथक विश्राम गृह बनाए जाने की आवश्यकता। (56)

[श्री अशोक कुमार रावत]

उत्तर प्रदेश में नया रेलवे जोन बनाए जाने की आवश्यकता। (57)

उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेलवे स्टेशनों का कंप्यूटरों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने और एक अतिरिक्त पूछताछ लिपिक की तैनाती किए जाने की आवश्यकता। (58)

रेल विभाग में फिजुलखर्ची को हतोत्साहित किए जाने की आवश्यकता। (59)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए विद्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि का आबंटन किए जाने की आवश्यकता। (60)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल खंडों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (61)

उत्तर प्रदेश में अत्यधिक आवागमन वाले रेल समपारों पर रेल उपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (62)

उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर वाटर कूलरों का प्रबंध किए जाने की आवश्यकता। (63)

उत्तर प्रदेश में सभी रेलवे स्टेशनों पर बैठने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (64)

उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर घोषणा प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता। (65)

उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर क्रेडिट कार्ड सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (66)

उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (67)

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की ढुलाई हेतु मांग के अनुरूप माल डिब्बे उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (68)

विभिन्न रेलवे जोन के रेलवे स्टेशनों में प्लेटफॉर्मों में लगाए गए पी.सी.ओ. का सुचारु कार्यकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (69)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.01-01.02.01) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोके जाने की आवश्यकता। (70)

विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों को रेल भर्ती बोर्ड के माध्यम से प्राथमिकता आधार पर भरे जाने की आवश्यकता। (71)

देश में रेल वर्कशापों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (72)

शीघ्र नष्ट होने वाली मदों का रियायती भाड़ा प्रभारों पर तीव्र संचालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (73)

देश में बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता। (74)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता। (75)

गरीब परिवारों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर केटरिंग और बुक स्टॉल आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (76)

रेलवे में गैर-योजना व्यय को कम किए जाने की आवश्यकता। (77)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेल जोनों के अंतर्गत आने वाले समस्त रेलवे क्रांसिंग को मानवयुक्त बनाए जाने की आवश्यकता। (78)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 11.01.01-11.03.01) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश राज्य में गुर्दा प्रत्यार्पण, हृदय रोग शल्य-चिकित्सा और कैंसर के विशेष उपचार के लिए रेलवे अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (79)

कि विविध और संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 12.01.01-12.03.01) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलवे में चोरी को रोकने के लिए सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता। (80)

रेल यात्रियों के लिए समुचित सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (81)

रेलवे में केटरिंग सेवाओं को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता। (82)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.01-16.02.03) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलवे द्वारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की प्राप्ति बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (83)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

लम्बी दूरी की एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में चिकित्सक तैनात किए जाने की आवश्यकता। (84)

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रियायती मासिक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता। (85)

उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मुख्यालयों के रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशनों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता। (86)

देश के निर्धन लोगों को रेलवे भूमि पट्टे पर दिए जाने की आवश्यकता। (87)

रेलवे किराए तथा आवश्यक वस्तुओं का मालभाड़ा कम किए जाने की आवश्यकता। (88)

उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत की आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण विभिन्न रेलवे जोनों के तहत रेलवे स्टेशनों पन बहुधा होने वाली यातायात के कारण भीड़भाड़ का निवारण किए जाने की आवश्यकता। (89)

उत्तर प्रदेश राज्य में यातायात के कारण भीड़भाड़ के मद्देनजर विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर समुचित पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (90)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत स्टेशनों पर पूर्ण रेक लोडिंग सुविधाएं प्रदान करने में अवांछनीय विलंब को दूर किए जाने की आवश्यकता। (91)

उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत स्टेशनों तक पहुंचने के मार्गों का अविलम्ब नवीकरण किए जाने की आश्यकता। (92)

उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत अतिरिक्त यात्री रेल गाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता। (93)

शहरों के निकटतम उप नगरीय क्षेत्रों में रेल बुकिंग काउंटर खोले जाने की आवश्यकता। (94)

कि प्रकीर्ण व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न स्थानों के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता। (95)

कि स्टाफ कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश राज्य जिला मुख्यालयों के रेलवे स्टेशनों के भवनों का सुधार और उन्नयन किए जाने की आवश्कयता। (96)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

मिसरिख रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किए जाने की आवश्यकता। (97)

उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मुख्यालयों में रेलवे स्टेशनों परीकवर्ड पार्किंग और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (98)

उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर उच्च एवं द्वितीय श्रेणी के और अधिक संख्या में विश्रामकक्ष का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (99)

उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत स्टेशनों पर प्लेटफार्मों के शेडों का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (100)

उत्तर प्रदेश राज्य में सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण, सिग्नल और किराया प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (101)

उत्तर प्रदेश राज्य में रेल समपारों पर चौकीदार तैनात किए जाने की आवश्यकता। (102)

उत्तर प्रदेश राज्य में नई रेल लाइनें बिछाए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता। (103)

उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों की रेल लाइनों का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (104)

रेल पुलों के नीचे पक्की सड़क बनाए जाने की आवश्यकता। (105)

उत्तर प्रदेश राज्य के रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (106)

[श्री अशोक कुमार रावत]

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता। (107)

उत्तर प्रदेश में सभी रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (108)

उत्तर प्रदेश में सभी रेलवे स्टेशनों पर पेयजल और कैन्टीन की समुचित व्यवस्था किए जाने तथा उन्हें साफ रखे जाने की आवश्यकता। (109)

उत्तर प्रदेश में मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (110)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों की मरम्मत और रखरखाव किए जाने की आवश्यकता। (111)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म पर शेड की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (112)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (113)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर सफाई व्यवस्था में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (114)

(नीति निरनुमोदन)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

उत्तर प्रदेश में रेल लाइनों के लंबित सर्वेक्षण कार्य को पूरा किए जाने में असफलता। (115)

(सांकेतिक)

कि मरम्मत और मोटिव पावर का रखरखाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 05.01.1-05.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में रेल इंजनों के रख-रखाव के लिए वर्कशाप स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (116)

कि सवारी डिब्बों और वैगनों की मरम्मत और रखरखाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 06.01.1-06.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वैगनों की मरम्मत के लिए वर्कशाप की स्थापना किए जाने की असफलता। (117)

(नीति निरनुमोदन)

कि स्टाफ कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मां की राशि (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

उत्तर प्रदेश में आने वाले रेलवे डिवीजनों की रेल कॉलोनियों की मरम्मत और रख-रखाव कराए जाने में आवश्यकता। (118)

(सांकेतिक)

कि स्टाफ कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों के कार्मिकों के बच्चों के लिए समुचित शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (119)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों के रेलवे स्टेशनों पर कार्मिकों को आवास प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (120)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को आपात चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (121)

उत्तर प्रदेश में मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल कार्मिकों के कल्याण के लिए 50 विस्तरों वाले रेलवे अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (122)

रेल कार्मिकों विशेषत: गैंगमैन के लिए समुचित आवास प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (123)

कि विविध कार्य चालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

रेलवे परिसम्पत्तियों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए और रेलवे सुरक्षा बल कार्मिकों को तैनात किए जाने की आवश्यकता। (124)

रेलगाड़ियों में खान-पान और विस्तर संबंधी सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (125)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापना शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में सभी छोटी लाइनों में बदले जाने की आवश्यकता। (126)

(नीति निरनुमोदन)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचोरे (शिरडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:-

महाराष्ट्र के सभी पर्यटन स्थलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कोई योजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित किए जाने में असफलता। (127)

साईं बाबा शिरडी धाम को रेल मार्ग से दिल्ली से जोड़े जाने में असफलता। (128)

महाराष्ट्र में 'पैलेस ऑन व्हील्स' की तर्ज पर रेलगाड़ी चलाए जाने में असफलता। (129)

महाराष्ट्र पर्याप्त संख्या में ट्रेनें प्रदान किए जाने में असफलता। (130)

महाराष्ट्र में रेल ऊपरि पुल/निम्न पुल का निर्माण समय पर किए जाने में असफलता। (131)

(सांकेतिक)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-.01.02.1) में से 100 रुपये कम किया जाएं।

सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस (2629), पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस (1037) और यशवंतपुर-बंगलौर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस सहित सभी एक्सप्रेस ट्रेनों को कोपरगांव स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (132)

कोपरगांव रेलवे स्टेशन को विश्व प्रसिद्ध शिरडी धाम के निकटतम होने के कारण माडल रेलवे का दर्जा दिए जाने तथा वहां आने वाले श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (133)

दिल्ली से शिरडी और शिरडी से दिल्ली के लिए विशेष सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (134)

विश्व प्रसिद्ध साईं बाबा शिरडी धाम के निकट नागरसुल स्टेशन को माडल रेलवे स्टेशन का दर्जा दिए जाने तथा दक्षिण भारत से वहां आने वाले सभी श्रद्धरलुओं को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (135)

शिरडी जाने वाली रेल गाड़ियों में आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (136)

देश के महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों विशेषत: विश्व प्रसिद्ध साईं बाबा शिरडी धाम के लिए भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम द्वारा विशेष टूर पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (137)

महाराष्ट्र में रेलवे के विभिन्न जोनों में रेलमार्ग की लंबाई के अनुपात में गैंगमेन नियुक्त किए जाने की आवश्यकता। (138)

महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न रेल डिवीजनों में रेल फाटकों पर, विशेषत: रात्रि के दौरान, रेल कर्मी तैनात किए जाने की आवश्यकता। (139)

महाराष्ट्र के सभी प्रमुख स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (140)

महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर क्रेडिट कार्ड सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (141)

महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (142)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 02.01.0-02.02.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में विभिन्न रेलवे लाइनों के संबंध में चल रहे सर्वेक्षण के लिए निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (143)

कि रेल के सामान्य निरीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 03.01.1-03.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण रेलवे डिवीजनों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (144)

[श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचोरे]

महाराष्ट्र में भारी यातायात वाले रेलवे क्रासिंग पर ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (145)

कि संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और रखरखाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 07.01.1-07.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

शिरडी में रेलवे कलपुर्जों का निर्माणकारी एकक स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (146)

(नीति निरनुमोदन)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

महाराष्ट्र में नई रेल लाइन बिछाए जाने का कार्य पूरा किए जाने में असफलता। (147)

महाराष्ट्र में रेल लाइनों का दोहरीकरण समय पर पूरा किए जाने में असफलता। (148)

(सांकेतिक)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

कोपरगांव/मनमाड से गुजरने वाली सभी सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में सभी श्रेणियों की सीटों/बर्थों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (149)

महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे डिवीजनों से सभी संयंत्रों और उपकरणों तथा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (150)

कोपरगांव स्टेशन पर और प्लेटफार्मों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (151)

महाराष्ट्र में विशेष रूप से शिरडी टाउन में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (152)

महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों पर वाटर कूलर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (153)

महाराष्ट्र में सभी रेलवे स्टेशनों पर बैठने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (154)

महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता। (155)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में खाद्यान्न की ढुलाई के लिए मांग के अनुरूप पर्याप्त संख्या में साल डिब्बे उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (156)

महाराष्ट्र में और अधिक सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता। (157)

महाराष्ट्र में मांग के अनुरूप विभिन्न स्टेशनों के बीच ईएमयू कोचों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (158)

महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरों के समुचित रखरखाव और अतिरिक्त पूछताछ क्लर्क नियुक्त करे जाने की आवश्यकता। (159)

महाराष्ट्र में समयबद्ध तरीके से लंबित रेल परियोजनाओं को पूरा किए जाने की आवश्यकता। (160)

महाराष्ट्र में सभी रेलवे स्टेशनों के समुचित रखरखाव की आवश्यकता। (161)

महाराष्ट्र के जिला मुख्यालयों के रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता। (162)

महाराष्ट्र के विभिन्न रेलवे जोनों में ईएमयू रेलगाड़ियों को समय पर चलाए जाने की आवश्यकता। (163)

महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों में कुशल कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (164)

महाराष्ट्र में रेलगाड़ियों के सुचारू परिचालन के लिए विभिन्न रेलवे जोनों में और अधिक रेल डिब्बों और इंजनों को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (165)

महाराष्ट्र के विभिन्न रेलवे जोनों में रेलवे स्टेशनों पर पूर्ण रेक लेडिंग सुविधा उपलब्ध कराए जाने में विलंब को समाप्त किए जाने की आवश्यकता। (166)

महाराष्ट्र के विभिन्न रेलवे जोनों में अतिरिक्त यात्री गाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता। (167)

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी चौकीदार रहित, रेल समपार पथों पर चौकीदार नियुक्त किए जाने की आवश्यकता। (168)

महाराष्ट्र में जिला मुख्यालयों के रेलवे स्टेशनों पर शेड वाली पार्किंग और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (169)

महाराष्ट्र के जिला मुख्यालयों के स्टेशन भवनों का पुनरुद्धार और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (170)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल भवनों के निर्माण हेतु भूमि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (171)

महाराष्ट्र में गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा और कैंसर के उपचार की सुविधा वाले सुसज्जित रेलवे अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (172)

कि विविध संचालन व्यय के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 1201.1-12-03.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत आने वाले रेल समपारों में समुचित सुरक्षा की आवश्यकता। (173)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

नासिक और पुणे के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (174)

मनमाड-शाहपुर बरास्ता अकोला के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (175)

नेवसा पार्ली-वैद्यनाथ बरास्ता बेलापुर में नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (176)

महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (177)

महाराष्ट्र के विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण यातायात जमाव को कम करने की आवश्यकता। (178)

महाराष्ट्र के विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत यातायात की भीड़-भाड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (179)

महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों के पहुंच मार्गों की मरम्मत अविलंब कराए जाने की आवश्यकता। (180)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (01.01.1-01.02.01) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों में स्वच्छता प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (181)

महाराष्ट्र में सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में आरक्षण, सिगनल और किराए की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली की आवश्यकता। (182)

महाराष्ट्र में सभी रेल समपार पथों पर चौकीदारों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता। (183)

महाराष्ट्र राज्य में विशेषकर शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी रेलवे स्टेशनों पर अधिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (184)

रेलगाड़ियों में दी जा रही खान-पान और बिस्तर की सुविधा में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (185)

(नीति का निरनुमोदन)

कि विविध व्यय (सामान्य) के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ (02.01.1-01.02.01) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

महाराष्ट्र राज्य में रेल लाइनों के लंबित सर्वेक्षण कार्य को पूरा किए जाने में असफलता। (186)

महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनों के बिछाये जाने के लिए सर्वेक्षण कार्य कराये जाने में असफलता। (187)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरमम्त और सनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (04.01.1-04.03.01) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य किए जाने में असफलता। (188)

[श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचोरे]

(सांकेतिक)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (04.01.1-04.03.01) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों के रेलवे प्लेटफार्म पर शेड की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (189)

महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर द्वितीय श्रेणी के विश्रामालयों के विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (190)

कि रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (05.01.1-05.03.1) में से 100 रुपये, कम किये जाएं।

महाराष्ट्र राज्य में शिरडी शहर में रेल इंजनों के रखरखाव के लिए वर्कशाप स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (191)

(नीति का निरनुमोदन)

कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (06.01.1-06.03.1) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

महाराष्ट्र राज्य में पुराने रेल कारखानों का पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण किए जाने में असफलता। (192)

(सांकेतिक)

कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (06.01.1-06.03.1) में से 100 रुपये कम किये जाएं।

महाराष्ट्र राज्य में शिरडी निर्वाचन क्षेत्र में माल गाड़ी के डिब्बों की मरम्मत के लिए वर्कशाप स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (193)

(नीति का निरनुमोदन)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं के अंतर्गत मांग की राशि (11.01.1-11.03.01) को कम करके 1 रुपये किया जाए।

महाराष्ट्र राज्य के रेल डिवीजनों के अंदर आने वाली रेलवे कालोनियों की मरम्मत और रखरखाव किए जाने में असफलता। (194)

(सांकेतिक)

कि कर्मचारी कल्याण और सुख सुविधाएं के अंतर्गत मांग की राशि (11.01.1-11.03.01) में से 100 रुपये कम किये जाएं।

महाराष्ट्र में विभिन्न रेलवे जोनों के अधिकारियों के बच्चों के लिए समुचित शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (195)

महाराष्ट्र में विभिन्न रेलवे जोनों में रेलवे स्टेशनों पर अधिकारियों को ठहराने की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (196)

कि विभिन्न संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (12.01.1-12.03.1) में से 100 रुपये कम किये जाएं।

महाराष्ट्र में विभिन्न रेलवे जोनों में रेलवे स्टेशनों पर खान-पान की सुविधा में अनियमितताओं को दूर किए जाने की आवश्यकता। (197)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (16.01.1-16.02.03) में से 100 रुपये कम किये जाएं।

महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों पर मांग के अनुरूप प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी विश्राम गृहों के निर्माण की आवश्यकता। (198)

महाराष्ट्र के विभिन्न रेलवे जोनों के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म के शेड के विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (199)

महाराष्ट्र में सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में आमान परिवर्तित करने की आवश्यकता। (200)

महाराष्ट्र में सभी रेलवे स्टेशनों पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, अल्पाहार गृहों की व्यवस्था तथा साफ-सफाई रखने की आवश्यकता। (201)

महाराष्ट्र राज्य में विशेषकर शिरडी संसदीय क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (202)

महाराष्ट्र राज्य में सभी रेलवे डिवीजनों के अंतर्गत जिला मुख्यालयों में कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता। (203)

शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुर्दवाडी स्थित माल डिब्बा मरम्मत वर्कशाप के मामले में यथास्थिति बनाए रखने की आवश्यकता। (204)

महाराष्ट्र राज्य में विशेषकर शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों पर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (205)

महाराष्ट्र में विभिन्न रेलवे जोनों के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (206)

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो (बाल्मीकिनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

(नीति का निरनुमोदन)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (01.1.1-01.02.01) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

विश्वस्तरीय स्टेशनों के रूप में उन्नय हेतु पटना, बेतिया और मोतीहारी स्टेशनों को शामिल किए जाने में असफलता। (207)

आदर्श स्टेशन की सूची बेतिया, बगहा स्टेशनों को शामिल किए जाने में असफलता। (208)

साप्ताहिक बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस को सप्ताह में दो या तीन बार चलाये जाने में असफलता। (209)

नई दिल्ली से बगहा बरास्ता गोरखपुर नई ट्रेन चलाने में असफलता। (210)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि रेलवे बोर्ड सांकेतिक बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (01.01.01.02.01 में से 100 रुपए कम किए जाए)

रेलवे द्वारा खेलकूद के विकास हेतु डिवीजन स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित कराए जाने की आवश्यकता। (211)

बर्थों के आबंटन में भ्रष्टाचार को रोकने कि लिए सतर्कता टीम द्वारा चलती रेलगाड़ियों में छापे मारे जाने की आवश्यकता। (212)

देश के महत्वपूर्ण नगरों के बीच बुलेट रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता। (213)

नागपुर और मुम्बई के बीच बिना ठहराव वाली रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (214)

देश के सभी जनजातीय क्षेत्रों को रेल द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता। (215)

प्रतीक्षा सूची की सवारी को कुर्सीयान सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (216)

देश के तीर्थस्थलों और पर्यटन स्थलों पर बजट होटलों के निर्माण की आवश्यकता। (217)

नागपुर डिवीजन के वानी और मुकुटबन रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किए जाने की आवश्यकता। (218)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (03.01.1-03.03.01) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

खेलकूद के विकास और प्रोत्साहन के लिए विख्यात खिलाड़ियों को रेलवे द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (219)

खिलाड़ियों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दिए जाने की आवश्यकता, जिससे कि उन्हें खेल-कूद के आधार पर जीवनयापन का साधन प्राप्त हो सके। (220)

राज्यस्तरीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को रेलवे में भर्ती करने की आवश्यकता। (221)

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो (बाल्मीकिनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

(नीति का निरनुमोदन)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (04.1.1-04.03.01) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

रेल दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय करने में असफलता। (222)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

(सांकेतिक)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (04.01.1-04.03.01) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

चंदा फोर्ट-गोंडिया रेलवे लाइन के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा नये शौचालयों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (223)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (09.01.1-09.03.01) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलगाड़ियों और प्लेटफार्मों पर सिगरेट और गुटका की बिक्री रोकने की आवश्यकता। (224)

[श्री हंसराज गं. अहीर]

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (11.01.1-11.03.01) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रक्त संबंधी सिकल सेल रोग से पीड़ित मरीजों को रेल किराये में रियायत दिये जाने की आवश्यकता। (225)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (12.01.1-12.03.01) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

यात्रियों को रेल द्वारा दी जा रही सुविधाओं का व्यापक प्रचार किए जाने की आवश्यकता। (226)

यात्रियों की शांतिप्रद और सुरक्षित यात्रा के लिए रेलगाड़ियों में और प्लेटफार्मों पर भिखारियों और किन्नरों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता। (227)

रेलगाड़ियों में क्लोज-सर्किट कैमरा लगाए जाने की आवश्यकता। (228)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से (16.01.1-16.02.03) 100 रुपए कम किए जाएं।

चंदा फोर्ट-गोंडिया रेल मार्ग के सभी रेलवे स्टेशनों पर पार्सल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता। (229)

एक्सप्रेस रेलगाड़ियों जिन्हें सुपरफास्ट रेलगाड़ी का दर्जा दे दिया गया है की गति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (230)

सूरजगढ़ के लौह अयस्क के दोहन के लिए बैलाडीला से सूरजगढ़ तक नई रेललाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (231)

चन्द्रपुर जिले में धान के विपणन के अतिरिक्त रेक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (232)

किसानों तथा उर्वरक और बीज समय पर पहुंचाने के लिए अतिरिक्त रेक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (233)

चंदा फोर्ट-गोंडिया रेलवे लाइन के सभी स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफार्म शेडों के निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (234)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

विदर्भ के सिख समुदाय के लिए चैन्नई से अमृतसर के बीच वाया बलारशाह एक नई रेलग्राड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (235)

चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल एक्सप्रेस रेल गाड़ियों को ठहराव प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (236)

चंद्रपुर रेलवे स्टेशन से मुंबई तक एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (237)

रेल भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने से पूर्व सूचना दिये जाने की आवश्यकता। (238)

बलारशाह रेलवे स्टेशन पर नई रेलगाड़ियों के संचालन के लिए पिट लाइन सुविधा प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (239)

चन्द्रपुर में ताप विद्युत संयंत्र को कोयले की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त मालगाड़ियां प्रदान करने की आवश्यकता। (240)

घुग्गस-बलारशाह-चंद्रपुर रेल मार्ग के यात्रियों की सुविधा के लिए एक यात्री गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (241)

गडचंदूर औद्योगिक परिसर से चंद्रपुर तक वाया बलारशाह एक नई यात्री गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (242)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और संवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 03.01.1-03.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

रेलवे में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की आवश्यकता। (243)

रेलवे भर्ती में महाराष्ट्र के लोगों की संख्या कम होने के कारण वहां के बेरोजगार लोगों को रेल भर्ती में प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता। (244)

रेलवे में विकलांग लोगों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की आवश्यकता। (245)

रेलवे के विभिन्न विभागों में स्थानीय लोगों की भर्ती सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (246)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 04.01.1-04.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 8 के निकटवर्ती विश्राम गृह को प्रदूषण रहित बनाये जाने की आवश्यकता। (247)

नागपुर सर्किल में चन्द्रपुर, वोरास और भद्रावती रेलवे स्टेशनों पर समुचित सफाई सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (248)

चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन पर पुरानी जन-सुविधाओं की स्थिति में तत्काल सुधार किये जाने की आवश्यकता। (249)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

रेलगाड़ियों में खान-पान सेवाओं को अपग्रेड करने और यात्रियों को मूल्य सूची तथा मेन्यू प्रदान करने की आवश्यकता। (250)

खानपान सेवाओं के लिए ठेका प्रदान करने और वेंद की नियुक्ति के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता। (251)

चन्द्रपुर और बलारशाह रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा स्थापित किये जाने की आवश्यकता। (252)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.02.1-16.02.3) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

सेवाग्राम एक्सप्रेस में एसी और स्लीपर डिब्बों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (253)

चन्द्रा फोर्ट-गोंडिया रेल मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता। (254)

बलारशाह-मानिकगढ़ रेल लाइन पर राजौरा समपार पर रेल उपरि पुल का तत्काल निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (255)

नागभिद-नागपुर के बीच आमान परिवर्तन का कार्य तत्काल शुरू किये जाने की आवश्यकता। (256)

रेलवे के निर्माण और संबद्ध आपूर्ति कार्यों में बेरोजगार इंजीनियरों को प्राथमिकता आधार पर नौकरी प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (257)

मध्य रेलवे के भद्रक और बारोरा रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (258)

दक्षिण मध्य रेलवे के मानिकगढ़ रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान-किये जाने की आवश्यकता। (259)

चंद्राफोर्ट, छिछपाली और केलजार रेलवे स्टेशनों पर कृषि उत्पादों तथा अन्य माल के लिए माल शेडों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (260)

बल्लारपुर-गोंडिया रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता। (261)

चन्द्रपुर और बलारशाह रेलवे स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ट नागरिकों के लिए अलग टिकट काउंटर बनाये जाने की आवश्यकता। (262)

चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन पर भूमि के कथित अतिक्रमण द्वारा दीवार के निर्माण से संबंधित कार्य को रोकने की आवश्यकता। (263)

नागपुर-बलारशाह रेलवे लाइन पर बुटीबोरी रेलवे गेट पर सड़क उपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (264)

(सांकेतिक)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-1.02.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

बालारशाह-चंद्रपुर-नागपुर के बीच इंटरसिटी रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता। (265)

चंद्रपुर जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (266)

नंदीग्राम एक्सप्रेस को बालारशाह रेलवे स्टेशन से वाया मजारी-आदिलाबाद-नांदेड़-मुम्बई चलाए जाने की आवश्यकता। (267)

बढ़ते हुए यातायात की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा के लिए बालारशाह-नई दिल्ली मार्ग पर एक नई गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (268)

पंडारपुर, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के लिए नागपुर से सीधी एक नई गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (269)

वर्षा जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए सभी रेलवे स्टेशनों पर वर्षा जल संचयन सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (270)

रेलवे भूमि के वाणिज्यिक उपयोग हेतु शापिंग सेंटरों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (271)

सिंगारेनी एकसप्रेस 324 को चंदाफोर्ट रेलवे स्टेशन तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (272)

[श्री हंसराज गं. अहीर]

किसानों को उर्वरकों के वितरण हेतु वानी, मुल और मुकुदबन स्टेशनों पर रैक-प्वाइंट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (273)

नंदीग्राम एक्सप्रेस को मुकुदबन रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने आवश्यकता। (274)

बद्सा-अरमोरी-गड़चिरोली के दुर्गम और आदिवासी क्षेत्रों में रेल लाइन, जिसका सर्वेक्षण पूरा हो गया है, बिछाने के लिए धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (275)

बालारशाह-दादर के बीच लिंक एक्सप्रेस चलाए जाने की घोषणा को यथाशीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता। (276)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 03.01.1-03.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

भारतीय खेलों के विकास और प्रोत्साहन हेतु खाली अनुपयोगी रेलवे भूमि पर स्टेडियम और जिम बनाए जाने की आवश्यकता। (277)

देश के सांस्कृतिक प्रतिभा और विरासत को बनाए रखने और प्रोत्साहित करने के लिए खाली अनुपयोगी रेलवे भूमि पर सभागार का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (278)

कि प्रचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 09.01.1-09.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

रेलगाड़ियों में प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को बर्थ प्रदान करने की प्रणाली को और तर्कपूर्ण और पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता। (279)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

रेल दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल लोगों को मुआवजा दिए जाने संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान किए जाने की आवश्यकता। (280)

चलती रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों के प्रति हिंसा की बढ़ती घटनाओं की दृष्टि से रेलगाड़ियों में महिला सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाने की आवश्यकता। (281)

रेलवे खान-पान सेवा में प्राथमिकता के आधार पर महिला स्वसहायता समूहों को कार्य दिए जाने की आवश्यकता। (282)

रेलगाड़ियों में लूटपाट की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाने की आवश्यकता। (283)

रेल यात्रियों को नशीले खाद्य पदार्थ दिए जाने के पश्चात् उन्हें लूटने की बढ़ती घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता। (284)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

प्रस्तावित वर्धा-यवतमाल-नांदेड नई रेल लाइन को माहुर के बरास्ते बिछाए जाने की आवश्यकता। (285)

अल्पविकसित विदर्भ क्षेत्र के विकास हेतु नए रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए नए रेल मार्गों का पता लगाए जाने की आवश्यकता। (286)

मध्य रेल के अंतर्गत वाबूपेठ रेल समपार संख्या 43 पर सड़क उपरि पुल का तत्काल निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (287)

मध्य रेल के अंतर्गत मंडक रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का तत्काल विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (288)

चंद्रपुर स्टेशन पर स्थित प्रदूषणकारी गुड्स शेड को अंयत्र स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता। (289)

बढ़ते यातायात की दृष्टि से नागपुर और बालारशाह के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (290)

सार्वजनिक उपयोग हेतु विवेकानंद नगर रेल उपरि पुन पुन: खोले जाने की आवश्यकता। (291)

माजारी जंक्शन, मध्य रेल में पार्सल सेवा सुविधा पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता। (292)

चंद्रपुर जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों हेतु आरक्षण कोटा को दुगना किए जाने की आवश्यकता। (293)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

कटक रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता। (294)

बारांग रेलवे स्टेशन को उपग्रह से जुड़े आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता। (295)

पूर्व तटीय रेलवे जोनों के रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किये जाने की आवश्यकता। (296)

राज-अथागर्ग रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगड़ियों का ठहराव प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (297)

कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रक्सौल से गुवाहाटी तक बरास्ता मुजफ्फरपुर एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (298)

मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता। (299)

बापूधाम मोतिहारी-हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ रेलगाड़ी को मुजफ्फरपुर तक चलाए जाने की आवश्यकता। (300)

9269/9270 बापूधाम मोतिहारी-पोरबंदर एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर तक चलाए जाने की आवश्यकता। (301)

905/9052 सोनपुर-बलसाड़ एक्सप्रेस का मुजफ्फरपुर तक चलाए जाने की आवश्यकता (302)

सोनपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस की मुजफ्फरपुर तक चलाए जाने की आवश्यकता। (303)

5159/5160 छपरा-दुर्ग एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर तक चलाए जाने की आवश्यकता। (304)

गोरखपुर-बंगलौर एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर तक चलाए जाने की आवश्यकता। (305)

गोरखपुर-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर तक चलाए जाने की आवश्यकता। (306)

छपरा-गोरखपुर इन्टरसिटी एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर तक चलाए जाने की आवश्यकता। (307)

दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को बरास्ता हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बरौनी प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (308)

मुजफ्फरपुर से कोलकाता तक रात्रि में सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (309)

मुजफ्फरपुर और कोलकाता के बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस और गरीब रथ चलाए जाने की आवश्यकता। (310)

मुजफ्फरपुर से मुम्बई तक एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (311)

मुजफ्फरपुर से राजस्थान तक एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (312)

मुजफ्फरपुर से बंगलुरू तक सीधी सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (313)

संसद सदस्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित अथवा उसके समीप स्थित जोनल कार्यालयों से बनकर चलने वाली रेलगाड़ियों में संसद सदस्य की सिफारिश पर उनके परिवार के सदस्यों तथा मेहमानों के लिए सुनिश्चित आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (314)

श्री पी. लिंगम (तेनकासी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

मदुरै-चेन्नै एकसप्रेस को मदुरै मंडल में शेंनकोटा तक चलाए जाने की आवश्यकता। (315)

कोयम्बटूर-सोवनूर सवारी गाड़ी को मदुरै मंडल में शेंनकोटा तक चलाए जाने की आवश्यकता। (316)

कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जीर्णोद्धार और सौन्दर्यीकरण का कार्य किये जाने की आवश्यकता। (317)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

हरिदासपुर और पारादीप के बीच रेल पटरी बिछाए जाने की आवश्यकता। (318)

तालचेर और गोपालपुर बंदरगाह के बीच बरास्ता नरसिंगपुर-खांडापाड़ा नई रेल लाईन बिछाए जाने आवश्यकता। (319)

श्री पी. लिंगम (तेनकासी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

मदुरै मंडल के श्रीविल्लिपुतूर को नई यात्री आरक्षण व्यवस्था संबंधी स्थानों की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता। (320)

टेंकाशी, शंकरनकोविल, राजापलायम, श्रीविलिपुतूर स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता। (321)

सभी रेलवे स्टेशनों पर फलों, सब्जियों, दूध और अन्य शीघ्र खराब होने वाली चीजों के लिए प्रशीतागार निर्मित किये जाने की आवश्यकता। (322)

मदुरै से शेंनकोटा तक बरास्ता वथरैपू, सेतूर, शिवगिरि, वासूदेवानल्लूर, पुलीगुंड़ि रेल लाईन का विस्तार किये जाने की आवश्यकता। (323)

(नीति निरनुमोदन)

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने में असफलता। (324)

रेलवे में विकलांगों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणियों की रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरे जाने में असफलता। (325)

आदर्श स्टेशनों के रूप में उन्नयन किए जाने हेतु प्रस्तावित स्टेशनों की सूची में सुपौल, राघोपुर, प्रतापगंज और ललितग्राम स्टेशनों को शामिल किए जाने में असफलता। (326)

(सांकेतिक)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपए कम किया जाएं।

पैसेंजर ट्रेनों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (327)

हिन्दुओं के पवित्र स्थलों का दौरा करने के लिए हिन्दू तीर्थयात्रियों को रियायती टिकट प्रदान कराये जाने की आवश्यकता। (328)

गोंदिया से नागबीड तक 7 जीडब्ल्यू डीएमयू ट्रेन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (329)

बिलासपुर-यशवंतपुर ट्रेन को आमान परिवर्तित चंदा फोर्ट-गोंदिया रेलवे स्टेशन होते हुए दैनिक आधार पर चलाए जाने की आवश्यकता। (330)

गोंदिया-चंदापुर पैंसेंजर ट्रेन का विस्तार बल्लारशाह तक किए जाने की आवश्यकता। (331)

हावड़ा और हैदराबाद के बीच चंदापुर-गांदिया होते हुए एक नई ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (332)

2069/2070 जनशताब्दी एक्सप्रेस का विस्तार चंदा फोर्ट तक किए जाने की आवश्यकता। (333)

6511/6512 यशवन्तपुर-बिलासपुर ट्रेन का विस्तार हावड़ा स्टेशन तक किए जाने की आवश्यकता। (334)

चंदा फोर्ट रेलवे स्टेशन से गोंदिया के बीच नागबीड होते हुए एक नई ट्रन चलाए जाने की आवश्यकता। (335)

(नीति निरनुमोदन)

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 04.01.1-04.03.1) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

ट्रेनों और प्लेटफार्मों पर शौचालयों और स्नानघरों के लिए समुचित प्रावधान किए जाने में असफलता। (336)

रेल दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाने में असफलता। (337)

कि कर्मचारियों कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

रेलवे कर्मचारी की विधवाओं और आश्रितों के लिए प्रावधान किए जाने में असफलता। (338)

सुपौल में रेलवे भूमि पर रेलवे नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु प्रावधान किए जाने में असफलता। (339)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

ट्रेनों में चोरी और डकैती की घटनाओं को रोकने के लिए प्रावधान किए जाने में असफलता। (340)

(नीति निरनुमोदन)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.03) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

अररिया होते हुए सुपौल से गलगलिया तक एक नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने में असफलता। (341)

सुपौल में कोसी नदी पर रेल महासेतु के निर्माण को समय पर पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने में असफलता। (342)

सुपौल रेलवे स्टेशन होते हुए सहरसा से फारबिसगंज तक रेल लाइन के आमान-परिवर्तन के प्रस्ताव को शामिल किए जाने में असफलता। (343)

(सांकेतिक)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियों-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.03) में से 100 रुपए कम किए जाए।

नागबीड रेलवे स्टेशन में एक कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता। (344)

चंदापुर फोर्ट रेलवे स्टेशन से गोंदिया रेलवे स्टेशन तक सभी चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर चौकीदारों की तैनाती किए जाने की आवश्यकता। (345)

यात्रियों की सुविधा के लिए नागभीड जंक्शन रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म शेड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (346)

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

मेदिनपुर और गोडपियासोल के बीच भालूतला पर नये ठहराव स्टेशन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (347)

खड़गपुर में नई कोच फैक्ट्री स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (348)

हिजली से हावड़ा तक "टेक्नोलाजी एक्सप्रेस" नामक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (349)

आसनसोल खड़गपुर एक्सप्रेस को दीघा तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (350)

पुरी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 2815 नालांचल एक्सप्रेस को अमृतसर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (351)

विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशनों की सूची में खड़गपुर जंक्शन को शामिल किए जाने की आवश्यकता। (352)

बेल्टा, डॉटन, हिजली, बखराबाद, नारायणगढ़, नेकुरसेनी, गिरी मैदान और गोकुलपुर को आदर्श स्टेशन घोषित किए जाने की आवश्यकता। (353)

खड़गपुर से बालासोर तक नई ईएमयू सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता। (354)

कम से कम 25 वर्षों से रेलवे की भूमि पर रह रहे लोगों के लिए उचित पुनर्वास नीति बनाए जाने की आवश्यकता। (355)

रेलवे में अनुबंध पर कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए कार्यस्थल तक मुफ्त रेलवे पास शुरू किए जाने की आवश्यकता। (356)

रेलगाड़ियों में विशेषकर स्थानीय रेलगाड़ियों में फेरीवालों के लिए 25 रुपए मासिक रेलवे सीजन टिकट शुरू किए जाने की आवश्यकता। (357)

खड़गपुर जंक्शन में रेलवे भूमि पर स्थित इंडोर स्टेडियम का विकास और आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (358)

सड़क उपरि पुलों और अंडरपासों के निर्माण हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (359)

खड़गपुर के आउटडोर स्टेडियम (एसईएसआरए) का उन्नयन और आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (360)

सभी लांइसेंस प्राप्त विक्रेताओं और उनके सहायकों को नियमित किए जाने की आवश्यकता। (361)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाए।

[श्री प्रबोध पांडा]

दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत बेल्डा से कन्टाई तक नई लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता। (362)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 12.01.1-12.3.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

बेरोजगार युवाओं, शारीरिक रूप से विकलांगों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता के आधार पर खान-पान के ठेके दिए जाने की दृष्टि से वर्तमान खान-पान नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता। (363)

खान-पान सुविधा के प्रयोजनार्थ रेलवे की खाली पड़ी भूमि को नाममात्र का लाइसेंस शुल्क लेकर छोटे और गरीब व्यापारियों तथा सहकारिताओं को दिए जाने पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता। (364)

कि परिसंपत्ति अर्जन, निर्माण तथा प्रतिस्थापन शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

खड़गपुर में इनर प्रिंटिग प्रेस के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (365)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

हैदराबाद-दिल्ली रूट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, इस रूट पर नई ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (366)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

बोकारो स्टील सिटी से धनबाद-पटना-गंगा दामोदर एक्सप्रेस शुरू किए जाने की आवश्यकता। (367)

बरकाकाना से पटना के लिए नई ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (368)

गिरिडीह से पटना तक सुबह के समय नई ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (369)

बरकाकाना और धनबाद के बीच ईएमयू ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (370)

नई दिल्ली-रांची गरीब रथ का रूट बोकारो से किए जाने की आवश्यकता। (371)

3025/3026 हावड़ा-भोपाल एक्सप्रेस का ठहराव चन्द्रपुरा रेलवे स्टेशन पर भी किए जाने की आवश्यकता। (372)

8103/8104 अमृतसर-जालियांवाला बाग एक्सप्रेस का ठहराव चन्द्रपुरा पर भी किए जाने की आवश्यकता। (373)

2825/2826 रांची-नई दिल्ली एक्सप्रेस का ठहराव चन्द्रपुरा स्टेशन पर भी किए जाने की आवश्यकता। (374)

5761/5762 रांची-अलीपुरद्वार एक्सप्रेस का ठहराव चन्द्रपुरा स्टेशन पर भी किए जाने की आवश्यकता। (375)

किऊल-चितरंजन, धनबाद से होकर पटना जाने वाले पैसेंजर ट्रेन को बरकाकाना तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (376)

हटिया-पटना एक्सप्रेस को बक्सर स्टेशन तक किए जाने की आवश्यकता। (377)

(नीति निरनुमोदन)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 09.01.1-09.03.1) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

अनारक्षित डिब्बों में ट्रेन कंडक्टर प्रतिनियुक्त करने में असफलता। (378)

रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विद्यमान प्रणाली को सरल और कारगरबार बनाए जाने की आवश्यकता। (379)

सभी ट्रेनों की समय सारणी को सुनिश्चित करने में असफलता। (380)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

रेलवे अस्पतालों में चिकित्सकों विशेषरूप से विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रतिनियुक्त किए जाने और उनको चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाने में असफलता। (381)

झारखंड के गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिलों में रेलवे स्कूलों को सहायतानुदान प्रदान कराए जाने में असफलता। (382)

बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिलों में रेलवे कालोनियों की स्थिति में सुधार करने में असफलता। (383)

गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिलों में कर्मचारी आवासों का उन्नयन और विकास करने में असफलता। (384)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

अनेक ट्रेनों विशेषकर शक्तिपुंज एक्सप्रेस में पैन्ट्री कार जोड़े जाने में असफलता। (385)

ट्रेनों में गुणवत्ताप्रद खान-पान सेवाएं दिए जाने में असफलता। (386)

ट्रेनों में आपराधिक घटनाओं को रोकने में असफलता। (387)

सुरक्षाकर्मियों की कमी के कारण, ट्रेनों और रेलवे परिसरों में अपराध की बढ़ती घटनाओं को रोकने में असफलता। (388)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

पैसेन्जर ट्रेनों में लाईटों सहित पर्याप्त यात्री सुविधाएं दिए जाने में असफलता। (389)

कोडरमा-हजारीबाग-गिरिडीह रेल परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने में असफलता। (390)

प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल पारसनाथ को गिरीडीह के साथ रेल रूट से जोड़ने में असफलता। (391)

गिरिडीह और धनबाद जिलों में कारखानें और उत्पादन इकाईयां स्थापित किए जाने में असफलता। (392)

गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिलों में रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं दिए जाने में असफलता। (393)

कोडरमा-हजारीबाग-गिरीडीह रेल लाईन का निर्माण किए जाने में असफलता। (394)

गिरिडीह, बोकारों और धनबाद जिलों के रेल परिसरों में ऊपरिपुलों का निर्माण किए जाने में असफलता। (395)

सांकेतिक

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

पलामु एक्सप्रेस में तृतीय श्रेणी वातानुकूलित डिब्बों को जोड़े जाने की आवश्यकता। (396)

गिरिडीह स्टेशन पर यार्ड और साइडिंग का निर्माण किए जाने और इसका विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (397)

पूर्व मध्य रेलवे के पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर पैदल यात्रियों के लिए ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (398)

झारखंड के टुंडी में ट्रैकों की मरम्मत और अनुरक्षण और निर्माण कार्यों के लिए कार्यशाला को स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (399)

गिरिडीह में डिब्बों और वैगनों की मरम्मत और उनके अनुरक्षण के लिए वर्कशाप स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (400)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) में से 100 कम किए जाएं।

चन्द्रपुर जिले में किसानों को समय पर उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने के लिए टडाली रेलवे स्टेशन में रैक प्वाइंट दिए जाने की आवश्यकता। (401)

बल्लारशाह-नागपुर मार्ग के सभी स्टेशनों पर शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (402)

आमान परिवर्तित चंदाफोर्ट-गोंडिया रेल रूट के सभी स्टेशनों पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (403)

(नीति निरनुमोदन)

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) की राशि में से 1 रुपया कम किया जाए।

उड़ीसा में समय पर नई रेल लाइनें बिछाने के कार्य को पूरा कराने में सरकार की असफलता। (404)

केबीके जिलों में रेल कारखाने स्थापित करने में सरकार की असफलता। (405)

(सांकेतिक)

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुड़ी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपये कम किए जाएं।

जलपाईगुड़ी से सियालदह तक बरास्ते हल्दीबाड़ी-बंगलादेश एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (406)

जलपाईगुड़ी-कूचविहार और दार्जिलिंग के मैदानों के बीच सर्कुलर रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (407)

जलपाईगुड़ी से सिल्ली गुड़ी तथा जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार तक प्रत्येक के लिए दो लोकल रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता। (408)

बनारहाट स्टेशन पर सभी एक्सप्रैस रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (409)

हल्दीवाड़ी-कोलकाता सुपरफास्ट को प्रतिदिन चलाए जाने तथा इसको बढ़ाकर सियालदह स्टेशन तक प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता। (410)

कंचनकन्ना और नार्थ बंगाल एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता। (411)

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

आसनसोल और वर्धमान के बीच लोकल सवारी गाड़ी के लिए कोंडईपुर को हाल्ट स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता। (412)

सियालदह राजधानी एक्सप्रेस का वर्धमान स्टेशन पर ठहराव प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (413)

डा. रामचन्द्र डोम (बोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलवे सेवाओं के तेजी से निजीकरण को रोकने की आवश्यकता। (414)

पूर्वी रेलवे के अंडलपलस्थाली सेक्शन पर ठप पड़ी रेल सेवाओं को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता। (415)

श्री रुद्रमाधव राय (कंधमाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

खुर्दा-बोलनगिर रेलवे परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (416)

केन्द्रपाड़ा और बारबिल के बीच रेल लाईन बिछाए जाने की आवश्यकता। (417)

उड़ीसा में रेलवे के विकास हेतु चालू बजट में 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता। (418)

पूर्व-तटीय रेलवे के अंतर्गत गरीब रथ चलाए जाने की आवश्यकता। (419)

डा. रामचंद्र डोम (बोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि निधियों में विनियोग शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलवे सेवाओं की सुरक्षा और आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किये जाने की आवश्यकता। (420)

रेलवे में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता। (421)

रेलवे हाकड़ों को लाइसेंस दिए जाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (422)

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

(नीति निरनुमोदन)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) 1 रुपया कम किया जाए।

गाजियाबाद में साहिबाबाद पीआरएस के निर्माण कार्य को पूरा करने में असफलता। (423)

उड़ीसा में चौकीदार रहित सभी रेलवे समपारों को चौकीदार युक्त समपारों में परिवर्तित करने में सरकार की असफलता। (424)

उड़ीसा की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में पर्याप्त यात्री सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की असफलता। (425)

उड़ीसा में लाइनों के दोहरीकरण के कार्य को समय पर पूरा करने में सरकार की असफलता। (426)

उड़ीसा के विभिन्न स्टेशनों में उचित यात्री सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की असफलता। (427)

(सांकेतिक)

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुड़ी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) 100 रुपए कम किए जाएं।

न्यूमैनागुड़ी से जोगीफोपा रेल लाइन के लिए और अधिक धनराशि आबंटित किये जाने की आवश्यकता। (428)

जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में उन्नत किये जाने की आवश्यकता। (429)

जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन मार्केट परियोजना का नवीकरण पुनः आरंभ किये जाने की आवश्यकता। (430)

धुपगुरी से बारास्ता फलकता और मयानग्री के बीच चलने वाली एक्सप्रैस रेल गाड़ियों में सब्जियां और अन्य सामान ले जाने के लिए और अधिक माल डिब्बे जोड़ने की आवश्यकता। (431)

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) 100 रुपए कम किए जाएं।

वर्धमान और कटवा के बीच नैरो गेज रेल लाइन को ब्राड गेज में बदलने हेतु धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता। (432)

डा. रामचन्द्र डोम (बोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे में सूरी से प्रांतिक स्टेशन तक प्रस्तावित नई रेल लाइनों हेतु धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता। (433)

पूर्व रेलवे में अहमदपुर से कटवा तक की नैरो गेज लाइन को ब्राड गेज में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता। (434)

श्री रुद्रमाधव राय (कंधमाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) 100 रुपए कम किए जाएं।

पारादीप रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (435)

धुर्डा-बोलांगीर रेलवे परियोजना का कार्य पूरा करने के लिए एक लक्षित तिथि नियत किए जाने की आवश्यकता। (436)

(सांकेतिक)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.01) में से 100 कम किए जाएं।

केन्दुझरगढ़ से बार्बिल तक रेल लाइन का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (437)

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.01) में से 100 रुपए कम किए जाए।

खुर्दा-बोलांगीर रेल लाइन के लिए 240 करोड़ रुपए का आबंटन और इस परियोजना को वर्ष 2012 तक पूरा किए जाने की आवश्यकता। (438)

नई दिल्ली से पुरी तक नान-स्टाप ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (439)

श्री रुद्रमाध्यव राय : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.01) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

भुवनेश्वर में रेलवे अस्पताल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नर्सिंग कालेज खोले जाने की आवश्यकता। (440)

भंजानगर में यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) शुरू किए जाने की आवश्यकता। (441)

चेन्नई-कोलकाता रेल कारिडोर को उड़ीसा राज्य से होकर निकाला जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (442)

(नीति निरनुमोदन)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) 1 रुपया कम किया जाए।

[श्री रुद्रमाधव राय]

ईस्ट-कोस्ट रेलवे पर सभी मानवरहित रेल क्रांसिंग को मानवयुक्त में बदले जाने की आवश्यकता। (443)

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की सहायता के लिए पुरी बहुउपयोगी परिसर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (444)

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) 100 रुपए कम किए जाएं।

भुवनेश्वर में अथवा उसके आस-पास रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (445)

ईस्ट कोस्ट रेलवे में सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सभी यात्रियों को 'ए' श्रेणी की यात्री सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (446)

उड़ीसा के कोरापुट-बोलांगीर-कालाहांडी क्षेत्र में नई लाइनें बिछाए जाने की आवश्यकता। (447)

ईस्ट कोस्ट रेलवे पर सिग्नलों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (448)

श्री इंदर सिंह नामधारी (चतरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से (पृष्ठ 16.01.1-16.02.3) 1 रुपया कम किया जाए।

झारखण्ड में चतरा जिला मुख्यालय और बिहार में गया जंक्शन के बीच रेल संपर्क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (449)

चन्दवा में रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (450)

बरवाडीह और चिरिमिरि के बीच रेल संपर्क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (451)

अध्यक्ष महोदया : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों, जिन्हें प्रस्तुत माना गया है, को सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया : अब मैं वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल) सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.13 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2009-10 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्रधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2009-10 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्रधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदया विचारार्थ विधेयक प्रस्तुत करेंगी।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2009-10 की सेवाओं के

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 9.7.09 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

लिए भारत की संचित निधि में और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्रधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

''कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2009-10 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्रधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं:-

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.17 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.17 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सामान्य बजट (2009-10)-सामान्य चर्चा

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)-2006-07*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मद सं. 22 और 23 को एक साथ लिया जाएगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

''कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 और 22 के सामने दिखायी गयी मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।''

लोक सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत वर्ष 2006-2007 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे को छोड़कर)

मांग की संख्या एवं शीर्षक		सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मांग राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
16	कम्पनी कार्य मंत्रालय	...	40,000
22	रक्षा सेवा-थल सेना	667,16,95,590	...
	जोड़	667,16,95,590	40,000

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ. मुरली मनोहर जोशी।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस सरकार की दूसरी पारी के पहले बजट के बारे में अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है और समय दिया है। मेरे सामने माननीय वित्त मंत्री जी विराजमान हैं। उन्होंने

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

अपने बजट भाषण में कुछ ऐसे लक्ष्य रखे हैं जो यदि पूरे हो जाएं, तो सारे देश को बहुत प्रसन्नता होगी और मैं प्रभु से यह कामना करता हूं कि उन्हें शक्ति दे कि वह इन लक्ष्यों को पूरा करने में सफल हो सकें। मुझे यह आशंका है कि जितने महान लक्ष्य उन्होंने रखे हैं, वे पूरे हो सकेंगे या नहीं।

महोदय, बजट भाषण में लक्ष्य घोषित करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको पूरा करना और उसको पूरा करने के लिए साधन जुटाना और उसके साथ-साथ एक इच्छा शक्ति को प्रकट करना, एक प्रबंधन को सामने लाना, आर्थिक और वित्तीय साधनों को जुटाना, यह बहुत कठिन काम है। आज की परिस्थिति में जो लक्ष्य उन्होंने रखे हैं, उनकी तरफ वे सफलता के साथ बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि देश को बहुत प्रसन्नता होगी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य बनाने के बाद शायद वह अब यह सोचें कि वे कुछ ज्यादा कह गए हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारी किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए, गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, किसानों और खेती को उसकी वास्तविक स्थिति जो इस देश में कभी थी, वहां तक पहुंचाने के लिए जहां कहीं हमारी और हमारे राज्यों की सरकारों की सहायता की जरूरत होगी, हम उसके लिए तैयार हैं।

आपने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि नई सरकार सन् 2009 और 2010 की अपनी जो नीतियां बनाएगी, उनके कुछ विशेष और ऐसे लक्ष्य होंगे जिन्हें आपने गिनाया है। आपने 8 या 10 लक्ष्य गिनाए हैं। उनमें से एक लक्ष्य है -

[अनुवाद]

"एक लम्बे समय के लिए प्रतिवर्ष कम से कम से कम 9 प्रतिशत तक की वृद्धि दर बनाए रखना।"

[हिन्दी]

इसके साथ-साथ आपने और जो बातें लिखी हैं उनका एक महत्वपूर्ण पैरा आपको बताता हूं-

[अनुवाद]

"यह सुनिश्चित करना कि भारतीय कृषि प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से वृद्धि करती रहे।"

[हिन्दी]

यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और यदि इसे चार प्रतिशत कंटीन्यू करें, इसे आप इनश्योर करें, अगर आप इस बजट के माध्यम से उसे कर सकें, तो मैं समझता हूं कि आप इस देश में चमत्कार कर देंगे।

मेरे सामने रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट है जो अप्रैल, 2008 में छपी। उसमें कहा गया है-

[अनुवाद]

"ग्यारहवीं योजना के 'एर्पोच पेपर' में कृषि की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की गई है और कृषि उत्पादन की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी को यदि स्वभावत: वृद्धि न भी माना जाए तो भी इसे समग्र विकास के केन्द्र के रूप में देखा जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

इनक्लूसिव ग्रोथ आपके इस बजट का एक मुख्य केन्द्र बिन्दु रहा है। आगे चलकर रिपोर्ट कहती हैं-

[अनुवाद]

"सबसे पहले यदि हम पैदावार में वृद्धि की बात करें तो यह पता चलता है कि हरित क्रांति के लगभग चार दशक बीत जाने के बाद भी वृद्धि दर में कोई स्थाई वृद्धि नहीं हुई है। 1991 से अनाज के आकड़ों को देखने पर यह पता चलता है कि इस दशक में पैदावार मैं कमी आई जिसके कारण वृद्धि दर में 1967 से 2003 तक की अवधि में कमी आई हैं। अर्थात भारतीय कृषि के दो मुख्य समूहों की पैदावार में 1991 से उत्पादन में कमी आई हैं। सभी फसलों के तेज उत्पादन और उपज में कमी आई है।"

फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और उपज की वृद्धि में कमी आई हैं। यह अत्यंत गंभीर स्थिति है। उसमें आगे यह कहा गया है:-

"वर्ष 1991 अर्थात सुधार कार्य प्रारंभ होने के बाद की अवधि समय का एक ऐसा मोड़ बन गई है जब भारतीय कृषि में वृद्धि जो वर्ष 1960 के मध्य से बढ़ने लगी थी, वह स्थिर हो गई। अत: कृषि की वर्तमान दर से आजीविका और खाद्य सामग्री की खपत संबंधी चिंता उत्पन्न होना स्वभाविक ही हैं।"

[हिन्दी]

आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ पर इम्प्लॉयमेंट निर्भर करता है, उस पर देश का सारा आर्थिक विकास निर्भर करता है क्योंकि 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है।

उपाध्यक्ष जी, मेरे सामने एक और तस्वीर है जो बहुत चिन्ताजनक है। वह यह है कि हमारे देश की जनसंख्या जैसे-जैसे बढ़ी है, वैसे-वैसे मैं देख रहा हूं कि हमारा अन्न का उत्पादन घटा है और अन्न उत्पादन के लिए जो कृषि क्षेत्र था, कृर्षित क्षेत्र था, वह भी घट गया है। इसके साथ-साथ अन्न की उत्पादकता भी घट गई है यानी प्रति हैक्टेयर जितना उत्पन्न होना चाहिए, उतना उत्पन्न नहीं हो रहा है। हमारे देश में कृषि के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है, वह उपलब्ध नहीं है, वह निरंतर घट रही है। हमारे पास उसके आंकड़े हैं। हमारे पास सन् 1971 में 1,24,316 हजार हैक्टेयर उपलब्ध था और आज यह 1,23,710 हजार हैक्टेयर रह गया है। यह फूडग्रेन्स के अंदर ही घटा है। इसके अतिरिक्त जो भूमि है, जिसमें अन्न के अलावा और चीजें पैदा होती हैं, वह क्षेत्र भी घट गया है। इसी तरह यील्ड घट गई है और फूडग्रेन प्रोडक्शन जो एक बार हमारे देश में 202 किलोग्रा पर कैपिटा, पर ईयर हो गया था, वह फिर से घटकर 191 किलोग्राम पर कैपिटा पर ईयर हो गया है।

इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा को छोड़कर बाकी सब जगह अन्न उत्पादन घटा है। केवल पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, जिसमें अन्न उत्पादन अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन बाकी सब जगह घट गया है। बिहार में 134 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से घटकर 91 किलोग्राम रह गया है। इसमें झारखंड भी शामिल है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 254 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हुआ करता था, वह घटकर 210 किलोग्राम रह गया है। इसमें उत्तरांचल भी शामिल है। तमिलनाडु में सिर्फ 104 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का उत्पादन हो रहा है और केरल में केवल 19 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की ऐवेलेबिलिटी है। खेती की यह जो स्थिति है, उसी तरह से अन्न के लिए उपलब्ध भूमि और पैदावार की स्थिति है, यह बहुत चिंताजनक है। आप कहते हैं कि इसे आप चार प्रतिशत तक ले जायेंगे। आप इसे कैसे ले जायेंगे? मैं आपका एलोकेशन देखता हूं, तो इस बार एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए 10629 करोड़ रुपये है, जो सारे खर्चे का केवल एक प्रतिशत है। आपने जो 10 लाख कुछ हजार करोड़ रुपये रखे हैं, उसका केवल एक प्रतिशत भाग आप कृषि पर खर्च कर रहे हैं जबकि आपका लक्ष्य उसे चार प्रतिशत तक की ग्रोथ तक ले जाने का है। दूसरी तरफ हम यह देख रहे हैं कि किसानों की आमदनी किस तरह से घट रही है और आज उसकी क्या हालत है? एनएसएसओ के वर्ष 2003-04 में जो आंकड़े थे, उसके तहत किसानों की आमदनी 2115 रुपया प्रति परिवार प्रति मास थी। आजकल घर में काम करने के लिए हमारे जो भाई बहन आते हैं, उनको भी तीन हजार रुपये से कम नहीं मिलता। दिल्ली में तो चार, साढ़े चार हजार रुपए तक मिलते हैं, लेकिन किसानों की आदमनी औसत देश भर में 2115 रुपया प्रति परिवार प्रति मास थी। यह आमदनी प्रति व्यक्ति न होकर प्रति परिवार है।

कल्याण सिंह जी, यू.पी. में यह आमदनी 1630 रुपए प्रति परिवार है। जम्मू-कश्मीर में सबसे अधिक आमदनी 5500 रुपए है। वहां बागवानी की वजह से यह आमदनी ज्यादा है। पंजाब में तीन हजार रुपए है। उसके बाद केरल है। अगर यह स्थिति किसानों की आमदनी की है, अगर यह स्थिति भूमि पर काम करने वाले लोगों की है, तो स्वाभाविक है कि लोग छोड़कर चले जाएंगे और आपका एनएसएसओ 2005 का कहना है कि

[अनुवाद]

"लगभग 41 प्रतिशत भारतीय किसानों ने कृषि कार्य छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है। पंजाब में भी लगभग 37 प्रतिशत किसानों ने कृषि कार्य छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1990-2001 के दौरान पंजाब में लगभग दो लाख छोटे और सीमांत किसानों ने कृषि कार्य से बाहर खदेड़ दिए गए हैं।"

[हिन्दी]

अब अगर आप यह स्थिति देखें, तो इसे चार परसेंट ग्रोथ तक ले जाना, वास्तव में आपने बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है। अगर आप इसे पूरा करेंगे, तो देशवासी आपका बहुत गुणगान करेंगे। हम इसमें आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं, मगर हम रास्ता जानना चाहते हैं कि इसे आप कैसे करेंगे? मेरे पास बहुत आंकड़े हैं, जिन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहेंगे, तो मैं दे सकता हूं। वैसे सब आंकड़े आपकी ही सरकार के दिए हुए हैं। हालत यह है कि अभी उस दिन सदन में हमारे एक सम्मानित सदस्य ने बताया था कि चार-पांच हजार किसान इच्छा मृत्यु के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें मरने की इजाजत दे दी जाए।

[अनुवाद]

छत्तरपुर से जनता दल (संयुक्त) के विधायक श्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा था कि इसके लिए, वर्ष 1974 में केन्द्र द्वारा घोषित सूखा ग्रस्त क्षेत्र में जल की कमी मुद्दे को हल न करने में उत्तरवर्ती सरकार की विफलता जिम्मेदार है।

[हिन्दी]

आप पानी के लिए क्या करेंगे? कृषि को ठीक करने के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे सामने आपके पुराने वित्त मंत्री माननीय श्री चिदम्बरम जी, उन्होंने इससे पहले की सरकार में जो पहला सामान्य बजट पेश किया था, उसका भाषण है। उसमें वे कहते हैं कि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के पांच उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विविधीकरण के माध्यम से कृषि विकास में तेजी लाना है।

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

वह आगे कहते हैं:

"अब मैं अपने एक बड़े स्वप्न की चर्चा करता हूं। जल किसी भी सभ्यता की जीवन रेखा है। हमें चेतावनी दी गई है कि 21वीं शताब्दी में विश्व को जिस सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, वह जल का संकट होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि एक मिलियन से भी अधिक ऐसी संरचनाएं हैं, जिनमें से लगभग 5 लाख संरचनाओं का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। उनमें से बहुत-सी संरचनाओं का उपयोग ही नहीं किया जाता है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि कृषि से जुड़े सभी जल-निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुन:स्थापना के लिए एक बड़ी योजना आरम्भ की जाए।"

यह योजना आरंभ करने की घोषणा की गई, पांच साल पूरे हो गए। मैं नहीं जानता कि इन पांच लाख में से कितने कुएं, कितने तालाबों, कितनी झीलों का पुनर्वास हुआ। अगर कृषि के लिए यही दृष्टिकोण रहेगा तो यह विकास दर चार प्रतिशत नहीं, मुझे शक है कि यह 1.6 प्रतिशत से भी कम होकर कहीं एक प्रतिशत न रह जाए। उन्होंने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था।

फिर कहा गया कि दूध और दुग्ध उत्पादों में आनन्द मॉडल बहुत अधिक सफल रहा है। सरकार का एक बागवानी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। यह मामला भी कृषि से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं, इसका लक्ष्य बागवानी उत्पादन को 150 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से दोगुना करके वर्ष 2011-2012 तक 300 मिलियन टन करना है। हम इस समय वर्ष 2009-10 में हैं। मैं नहीं जानता हूं कि कृषि क्षेत्र में, बागवानी या डेरी फार्मिंग में केन्द्रीय सरकार की किसी भी योजना से कोई प्रगति हुई हो और वह इतनी पर्याप्त हो कि हमारे कृषि उत्पादन को चार प्रतिशत तक पहुंचा सके। इसी तरह से कृषि कारोबार को बढ़ाने के लिए एक संगठन की स्थापना करने की बात कही गई थी, उसका कहीं पर जिक्र नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि कृषि की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक सिंचाई है, पानी है, लेकिन उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। नदियां सूख रही हैं, ग्लेशियर्स सूख रहे हैं, जलस्तर भूमि के नीचे बहुत दूर तक जा चुका है, आप कैसे कृषि को उबारेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हवा से तो कृषि नहीं होगी। यहां बहुत से लोग हैं जो कृषि करते हैं, पानी जमीन के बाद मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं है। जमीन घटर रही है, पानी घट रहा है, मगर कृषि में विकास दर को बढ़ाने की बात की जा रही है। यह विसंगति मेरी समझ में नहीं आ रही है।

कृषि के ऊपर जिस एक अन्य बात का घातक दुष्परिणाम होने वाला है वह जलवायु परिवर्तन है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर कभी माननीय वित्त मंत्री जी और उनकी सरकार जलवायु परिवर्तन के मामले में इस सदन में कोई गंभीर बहस, इस आशय से ही करे कि उसका असर इस देश की खेती पर, इस देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर, उद्योगों पर, इस देश के रोजगार पर क्या होगा। यह कहा जाता है कि बहुत दिनों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा जा रहा है कि सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पेयजल हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और जीवन के अधिकार के साथ-साथ स्वच्छ पेयजल मिलने का अधिकार उसको दिया जाना चाहिए। यह एक लम्बी बात होगी, लेकिन अभी जो ग्लोबल ह्यूमेनिटेरियम फोरम की रिपोर्ट है, जो 29 मई को श्री कोफी अन्नान जी द्वारा प्रकाशित हुई है, उसमें कहा गया है:

[अनुवाद]

"जलवायु वरिवर्तन के कारण भूखमरी, बीमारी और मौसम में बदलाव के कारण प्रतिवर्ष लगभग 3,15,000 लोगों की मृत्यु हो जाती हैं तथा वर्ष 2030 तक यह वार्षिक मृत्यु दर लगभग आधा मिलियन तक पहुंचने की आशंका है।"

[हिन्दी]

अगर खेती में अनाज का उत्पादन कम होगा तो भूख बढ़ेगी। मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि दुनिया के 100 करोड़ भूखों में से 25 करोड़ से अधिक इस देश में निवास करते हैं। अगर कृषि नहीं बढ़ी तो यह भूख कैसे मिटेगी? आप इस देश को कैसे आगे ले जाएंगे? अगर जलवायु परिवर्तन के बारे में गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो फिर यह प्रश्न कैसे हल होगा? क्या हिन्दुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा भूखों, सबसे ज्यादा बेघरों का, सबसे ज्यादा कुपोषित लोगों का और सबसे ज्यादा बीमार लोगों का देश बनेगा? कृषि के माध्यम से ही आप लोगों को भोजन दे सकते हैं, बच्चों को भोजन दे सकते हैं, बच्चों की माताओं को भोजन दे सकते हैं। अगर देश में स्वस्थ माताएं और स्वस्थ बच्चे होंगे तभी इस देश के उत्पादन में, इस देश की इकोनॉमिक एक्टीविटीज में आपको वृद्धि मिलेगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो आंकड़े हैं, उसमें स्टिंटेड ग्रोथ बढ़ रही है। मेंटली रिटार्डेड बच्चों की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि वे कुपोषित हैं। अगर बच्चा अंडरवेट है, उसे और उसकी मां को पोषण नहीं मिला है, तो वह बच्चा देश के लिए उपयोगी नागरिक नहीं हो सकता, वह देश पर भार होगा। वैसे भी इस देश में काफी मात्रा में भूख से पीड़ित, बेरोजगारी से ग्रसित और बीमारियों से परेशान जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, चाहे कृषि के बारे में हो या औषधियों की तरफ से हो या जल के कारण से हो, उस पर जितना बल आपके बजट में दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है। उसका उल्लेख है, लेकिन उस बारे में गम्भीरता नहीं है। आपने कृषि विकास दर चार प्रतिशत रखने की बात कही है, तो इस तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल इकॉनोमिक प्रोसेपेक्ट्स 2009 के लिए विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है, वह कहती है कि हम सिर्फ सब-सहारन कंट्रीज से आगे हैं, बाकी दुनिया में हम गरीबी के मामले में सबसे पीछे हैं। भारत में 12 मिलियन नए रोजगार पैदा करने का उद्देश्य दर्शाया गया है, जो गरीबी मिटाने के लिए आपके कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण चीज है। मैं जानना चाहता हूं कि गरीबी मिटाने के लिए आप क्या करेंगे? गरीबी की परिभाषा क्या है, पावर्टी लाइन किसे कहा जाएगा, क्या जो विश्व बैंक की परिभाषा है, वह मानी जाएगी या जो एनएसएस जो परिभाषित करता है, वह मानी जाएगी, जबकि उसकी भी दो-दो परिभाषाएं हैं या योजना आयोग जो कहे, वह मानेंगे या कोई राज्य सरकार अपनी परिभाषा कर ले तो उसे मानेंगे या कैलोरी इनटेक को हम गरीबी की परिभाषा मानेंगे या आर्थिक वह कितना खर्च करता है उसे मानेंगे? सिर्फ खाने पर कितना खर्च करता है, उसे मानेंगे, दवाई-कपड़े और मकान पर खर्चा भी शामिल होगा या नहीं, ये सब सवाल आपके बजट में कहीं आते नहीं हैं या नहीं? हमें यह बताया गया कि हिन्दुस्तान में आपके जो आंकड़े आते हैं, उनसे लगता है कि कुछ गरीबी घटाई गई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पड़ौस के देशों में गरीबी तेजी से घटी है। उसे घटाने में बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे आगे हैं, चीन तो बहुत आगे है। ये आंकड़े कहते हैं कि 1990 में हमारे यहां 51.3 प्रतिशत एक्सट्रीम पावर्टी के लेवल पर थे, जो 2005 में घटकर 41.6 प्रतिशत हो गए। लेकिन इसी दौरान चीन में यह स्थिति 60 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत तक हो गई। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर दो पड़ौसी देशों के बीच में, जिनकी समस्या लगभग समान है, जो लगभग एक ही समय आजाद हुए हों, वहां अगर प्रतिस्पर्धा में वह आगे बढ़ रहा हो और इस मामले में हम पिछड़ जाएं, तो वित्त मंत्री जी मुझे क्षमा करें, हम फौज का भी अच्छी तरह से निर्माण नहीं कर सकेंगे, शिक्षा का भी नहीं कर सकेंगे। इतनी बड़ी संख्या देश में गरीबों की रहेगी, तो यह चिंता का विषय हमारे लिए होगा। हम जानते हैं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे इस देश के अंदर आंतरिक सामाजिक असंतोष बढ़ेगा। देश में इससे डिवाइसिव टेंडेंसीज़ बढ़ेंगी। यह इन्क्लूसिव ग्रोथ के खिलाफ जा रहा है, यह डिवाइसिव ग्रोथ है। अगर 50 प्रतिशत लोग इसी तरह देश में पड़े रहेंगे तो बहुत मुश्किल बात होगी। अगर मैं अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के बारे में जिक्र करूं, तब तो स्थिति और भी भयावह है। रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अनुसार 77 प्रतिशत लोग 20 रुपए प्रतिदिन पर गुजर करते हैं। यह बहुत भयावह स्थिति है। इस सारे असंगठित क्षेत्र के लिए इस बजट में आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहेंगे कि ग्रामीण रोजगार योजना की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं और उससे हम नए रोजगार पैदा करेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसका जो परिणाम है, वह बहुत ही निराशाजनक है। अभी आपके मंत्री महोदय ने बयान दिया है कि *[अनुवाद]* एनआरजीईए ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। *[हिन्दी]* वे कहते हैं कि 100 दिन का रोजगार कहीं भी नहीं दिया जा सका है, ज्यादातर राज्यों में 40 दिन, 42 दिन, 43 दिन से अधिक रोजगार नहीं मिला है। बहुत अधिक मात्रा में पैसे का क्षरण हुआ है और इनकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है। इनसे स्थाई रोजगार पैदा नहीं हो सकता है। यह अब एक तरह से अनएम्प्लायमेंट डोल है और उसमें काम नहीं हो रहा है। हम इस योजना में पैसा लगा रहे हैं, मुझे आपकी सद्-इच्छा पर मुझे कोई संदेह नहीं है, आप जरूर चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए ही क्यों न हो, 100 दिनों के लिए ही क्यों न हो लोगों को काम मिलना चाहिए। वैसे तो आपने इसमें एक परिवर्तन कर दिया, जहां पहले घोषणा थी कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, अब शायद उसमें केवल प्रति-परिवार बीपील में एक ही व्यक्ति को रोजगार मिलता है। सवाल यह है कि यदि यह भी 42-43 दिन का ही है तो बाकी समय का क्या है? रिपोर्ट एक यह भी है कि बजाए इसके कि इससे वहां लोगों को रोजगार मिले, कुछ किसानों के सामने समस्या आ गई क्योंकि वे इस रेट के ऊपर देने में असमर्थ हैं। अच्छा हो अगर आप इस योजना के दूसरे पहलू पर भी विचार करें। क्या आप एम्प्लायमेंट सब्सिडी एम्प्लायर को दे सकते हैं, जो एम्प्लायमेंट जैनरेट करे। जो जितना ज्यादा एम्प्लायमेंट जैनरेट करे, अगर उसे कुछ नुकसान या घाटा है तो उस सब्सिडी से वहां भी घाटा पूरा किया जाएगा, ताकि उसे स्थाई रोजगार मिल सके। कोई संस्थान है, कोई इकोनॉमिक एक्टीविटी करने वाले लोग हैं, आप उनके लिए कोई नियम बना सकते हैं, कोई कसौटी बना सकते हैं लेकिन जब तक स्थाई रोजगार नहीं बनेगा, तब तक काम नहीं होगा। इस पहलू पर विचार करें, इस योजना का एक अंग यह भी हो सकता है कि एक परमानेंट रोजगार देने के लिए इस योजना के एक हिस्से का उपयोग किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर एग्रो-इंडस्ट्रीज का विस्तार किया जा सकता है और उनके एम्पलायर्स को इस नीति से काम दिया जा सकता है। गांव में ऐसे बहुत से काम हैं जो भट्टे के, ईंट के, लकड़ी के, खेल-खिलौनों के, आचार-मुरब्बों के हैं। एग्रो-इंडस्ट्री से बहुत सा एम्प्लायमेंट जैनरेट हो सकता है। आप अगर इस तरफ भी सोचें, योजना का एक हिस्सा इस तरफ भी लाएं तो शायद कुछ लोगों को स्थाई रूप से रोजगार मिलेगा और उनको काम करने में सुविधा होगी। लेकिन यह चिंताजनक बात है कि जो परिणाम आ रहा है वह ज्यादा उत्साहपूर्ण नहीं है।

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

सारी दुनिया में गरीबी से लड़ने के लिए बड़े-बड़े देश ऊंची-ऊंची बातें करते हैं लेकिन उनकी नीयत हमें साफ नजर नहीं आती है। मैं समझता हूं कि ऐसा हमारे देश में नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हम लोग सही मायने में गरीबी को दूर करना चाहते हैं। अगर इस मामले में कहीं पर भी हमारी जरूरत है, लोगों की गरीबी दूर करने के लिए, उनको दरिद्रता के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए तो हमारे नेता यहां बैठे हुए हैं और मैं बिल्कुल नि:संकोच कह सकता हूं कि हम इस मामले में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। यह जानकर बहुत दु:ख होता है जब कोई कहता है कि आप सिर्फ सब-सहारन कंट्रीज से ही आगे हैं, बाकी सबसे पीछे हैं।

सवाल यह आता है कि अनाज के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और हिंदुस्तान में अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि यह कैसी विडम्बना है कि सरकार कह रही है कि मुद्रा-विस्तार नैगेटिव हो गया, लेकिन खाद्यान्न और सब्जी के दाम निरंतर ऊंचे होते जा रहे हैं। अगर ये बढ़ा तो इंफ्लेशन के इंडैक्स के बारे में बड़ी फड़फड़ाहट है कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का भयानक अंतर क्यों है? मुझे मालूम है कि आप भी इससे चिंतित हैं और प्रधानमंत्री जी भी इससे चिंतित हैं। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का पुनर्निर्धारण होना चाहिए और यह वस्तुस्थिति को सही बताए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि बजट में इस तरफ ध्यान देने की बात नहीं कही गई है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का यह भेद और उनका रेशनलाइजेशन, उनको ठीक ढंग से निर्धारण करने की पद्धति विकसित की जानी चाहिए और यह जितनी जल्दी की जाए, उतना अच्छा है।

अगर खाद्यान्नों के दाम और बाकी दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ते गए तो फिर आप कितना भी पैसा इन योजनाओं में लगाएंगे, वह बेकार हो जाएगा, वह उत्पादक श्रम के लिए नहीं जाएगा, केवल आहार और दिनोंदिन चीजों की पूर्ति में लग जाएगा।

मेरा एक सुझाव है कि आप लक्ष्य निर्धारित करें कि हम हिंदुस्तान को भूख से मुक्त करें। भूख मुक्त हिंदुस्तान, कर्ज मुक्त किसान, यह है सम्पन्न भारत की पहचान। हिंदुस्तान में कोई भूखा न रहे। हिंदुस्तान में कोई किसान कर्जदार न रहे, प्राइवेट बैंक का भी नहीं और महाजन का भी नहीं। किसान को कर्ज लेने की जरूरत ही न पड़े। वह खेती में इनवेस्ट कर सके, उसकी इतनी आमदनी हो। जीरो हंगर - हम जीरो टालरेंस फार टेरेरिज्म करते हैं, जीरो टोलरेंस फार सो मैनी थिंग्स करते हैं, करप्शन के लिए करते हैं, क्या हम देश के सामने जीरो हंगर का लक्ष्य नहीं रख सकते हैं? तब आप चार प्रतिशत ग्रोथ बढ़ाने के लिए लोगों को उत्साहित करने के लिए प्रेरित करेंगे। यह बड़ा लक्ष्य है कि इस देश में कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए। 25 करोड़ लोग इस देश में रोज भूखे सोएं, यह किसी भी सरकार के लिए शोभनीय नहीं है। आपने कौटिल्य का उदाहरण दिया था, थोड़ा बहुत कौटिल्य मैंने भी पढ़ा है, उसने कहा कि राजा का बहुत बड़ा दायित्व देश में अनाज पैदा करने का है। आपकी इजाजत हो, तो मैं चाल लाइन पढ़ना चाहता हूं-

[अनुवाद]

"सैल्युटेशन टू गॉड प्रजापति कश्यप। लैट द क्राप्स फ्लोरिश ऑलवेज, लैट द गॉड्स रिसाइड इन द सीड्स एण्ड द ग्रेन्स।"

[हिन्दी]

अन्नं ब्रह्म: - इस रूप में अन्न पैदा हो, सारी फसल हमेशा लहलहाती रहे। शस्य श्यामला भूमि बनी रहे। वंदे मातरम, हम लोग यहां गाते हैं। उसी प्रकार की शस्य श्यामला भूमि वित्त मंत्री जी बनाइए। हम आपका साथ देंगे आप यह लक्ष्य रखें, तो शायद देश को प्रेरित कर सकें। खाली बजट के आंकड़े रखने से बात नहीं बनती है, *[अनुवाद]* व्यय और राजस्व में सन्तुलन बैठाना। *[हिन्दी]* यह तो चार्टर्ड एकाउंटेट भी कर लेता है, उसके लिए प्रणब मुखर्जी की जरूरत नहीं है। आज जरूरत इच्छाशक्ति और लक्ष्य की है। यदि आप हिन्दुस्तान को हंगर फ्री बनाएंगे, तो वह एक बड़ी बात होगी।

महोदय, मंत्री जी ने सोशल सिक्योरिटी और हेल्थकेयर का एक लक्ष्य रखा है। यह बहुत अच्छी बात है। देश का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, लेकिन वह कैसे होगा? हिन्दुस्तान में सोशल सिक्योरिटी की हालत यह है कि 0.25 प्रतिशत भी उसमें नहीं दे रहे हैं। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में आपका प्लान का खर्च 18380 करोड़ रुपए है, जो कि पूरे प्लान आउट ले का 0.25 प्रतिशत भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप इस देश के लोगों को हेल्थकेयर कैसे दे सकते हैं? हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में फैमिली प्लानिंग के नाम से जो चीजें चलती हैं, उस पर खर्चे हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसे बदलने की जरूरत है। मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी है, जिससे मुझे चिन्ता हुई है। इस देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देश में धीरे-धीरे बिगड़ रहा है। विश्व बैंक और डब्ल्यूएचओ के आंकड़े आपके पास हैं। मैं उसे कहना नहीं चाहता हूं और अच्छा भी नहीं लगता है। हमारे देश में इन्फेन्ट मोर्टेलिटी रेट इस समय क्या है? यह कहते हुए शर्म आती है कि प्रेगनेंट मदर्स की मृत्यु दर अभी घट नहीं पायी है। शर्म आती है, जब हम यह देखते हैं कि प्रीनेटल और पोस्ट-नेटल केयर नहीं है। हम देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में माताओं के लिए कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। मूल रूप से जहां से मानव संसाधन शुरू होता है, वहां यदि चिकित्सा ठीक नहीं है, तो चिंता होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन्स की कमी हो गई है। दिसम्बर 2008, *[अनुवाद]* "में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के एक

दल ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा करने के लिए 13 राज्यों का दौरा किया। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया कि बिहार के अस्पतालों में 'डिप्थीरिया,' 'वूफिंग कफ' और 'टेटनेस', के लिए टीके नहीं थे। *[हिन्दी]* यह वैक्सीन्स बिहार सरकार नहीं बनाती है। यदि वह बनाती होती तो हम उन्हें दोष दे सकते थे। यह सरकारी कम्पनियों में बनते थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह बंद कर दी गईं और अब प्राइवेट कम्पनियों को वैकसीन्स बनाने का काम दे दिया गया है।

आज नतीजा यह है कि *[अनुवाद]* इस समीक्षा में यह भी बताया गया था कि असम में खसरे के टीके उपलब्ध नहीं थे; छत्तीसगढ़ में खसरे के टीके काफी कम मात्रा में थें; केरल में थिरूवन्तत्तपुरम में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों में 'डिप्थीरिया' और 'टिटनेस' के टीकों की मात्रा काफी कम थी और उत्तर प्रदेश में डीपीटी और टीटीके टीके नहीं थे। *[हिन्दी]* यह रिपोर्ट में लिखा है कि कितने बच्चे इसके अभाव में असमय में ही काल के गर्त में चले गये। गांवों में जहां अधिकतर पोलियो का तो बहुत जोर से प्रचार करते रहे हैं, कुछ काम होता भी रहा है, लेकिन टिटेनस हो जाए और एक स्थान पर जहां टिटेनस का इलाज होता है, उसे बच्चा मुर्दाघर कहा जाता है क्योंकि वहां कोई वैक्सीन नहीं है। डिप्थीरिया की वैक्सीन नहीं है, डीसीजी की वैक्सीन नहीं है, टी.बी. फैल जाए तो क्या होगा? एक तरफ हम मलेरिया और कालाजार की चिंता करते हैं लेकिन उसकी रिसर्च के बारे में हमारा कोई ध्यान नहीं है। मलेरिया और कालाजार इस देश को बहुत बड़ी मौत की तरफ धकेलने वाली बीमारियां हैं। ये फैमिली हैल्थ केयर का मतलब सिर्फ कंडोम्स का प्रचार करना नहीं होना चाहिए। उसका यह अर्थ होना चाहिए कि हमारे देश के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य मिले। वैक्सीन्स मिले, बच्चों को न्यूट्रिशंस मिले, प्रेगनेंट मदर्स को न्यूट्रिशंस मिले। उसकी तरफ ध्यान नहीं है और हैल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में यह बात स्वीकार की है:- *[अनुवाद]* टीकों की कमी से वर्ष 2008 में भारत का टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित हुआ। श्री रामदास ने कहा कि वर्ष 2007 की तुलना में अप्रैल और दिसम्बर के बीच डीपीटी खुराक की उपलब्धता में बिहार में 3.5 मिलियन, उत्तर प्रदेश में 6.2 मिलियन और पश्चिम बंगाल में 3.3 मिलियन की कमी आई है। *[हिन्दी]* वह उपलब्ध नहीं है। जिन प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है, उनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाये गए हैं। मैं नहीं जानता कि वे कहां तक सच हैं और कहां तक गलत हैं? अगर वे सच हैं तो बहुत चिंता की बात है। देश में सरकार जो वैक्सीन दे रही थी, उनसे कई गुना दाम देने पर भी बाहर वैक्सीन नहीं मिल रहा है। जो एक बहुत चिंता की बात है। बजट में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह ठीक है कि आप एनआरआईजी में पैसा लगा दें, आप किसी तरफ पैसा लगा दें, आप अपने मतदाताओं को धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें वोट दिया है, हम आपको पैसा दे रहे हैं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि देश की सम्पूर्ण मूलभूत आर्थिक व्यवस्था का जो ढांचा है, जो बुनियाद है, उसको आप कमजोर करें।

अब मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूं कि अभी-अभी आज ही मेरे सामने रिपोर्ट आई है और बहुत चिंता की बात हो रही है कि इस बार सोइंग, बुवाई बहुत कम हो गई है। आज के हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, इसे आप देखें। उससे आपका यह 4 प्रतिशत तक जाने का सवाल कहीं से भी हल होता ही नहीं है। बेरोजगारी दूर करने के लिए भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या करेंगे? आपने अपने बजट में एक्सपोर्ट के लिए कहा है कि आप एक्सपोर्ट में वृद्धि कराएंगे।

[अनुवाद]

वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती स्वीकार करने और निर्यात में निरंतर बढ़ोत्तरी के लिए भारतीय उद्योग को समर्थन दीजिए।

[हिन्दी]

बाहर की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? अभी एक रिपोर्ट मेरे सामने है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत चिंताजनक हालात पैदा करती है। यह बैंक ऑफ इंटरनेशनल सैटिलमेंट्स की रिपोर्ट है।

[अनुवाद]

श्री जोक्विन एलम्युनिया मीरा, कमिश्नर आफ इकोनॉमिक एण्ड मोनेटरी अफयरस आफ यूरोपियन यूनियन ने कहा कि जर्मनी के आर्थिक निष्पादन में छः प्रतिशत; ब्रिटेन के आर्थिक निष्पादन में 4 प्रतिशत; फ्रांस में आर्थिक निष्पादन में 3 प्रतिशत; इटली के आर्थिक निष्पादन में 3.5 प्रतिशत; रौमनिया के आर्थिक निष्पादन में 4 प्रतिशत; लालविया के आर्थिक निष्पादन में 13.1 प्रतिशत; स्लोवाकिया के आर्थिक निष्पादन में 2.6 प्रतिशत की कमी आएगी। यूरोपीय संघ के 27 राज्यों में से केवल साइपरस के आर्थिक निष्पादन में वृद्धि होगी। यूरोपीय तेल में आर्थिक मंदी वर्ष 2011 तक रहेगी इस अवधि के दौरान 8.5 मिलियन यूरोपीय अपनी नौकरी गंवा बैठेंगे। यूरोपीय संघ में वर्ष 2010 में 10.9 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 11.5 प्रतिशत बैरोजगारी के आंकड़े को छूने से यूरोपीय संघ ने 2010 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद में 0.1 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान लगाया है।

[हिन्दी]

अगर वह सिकुड़ रही है तो इसमें हमारे एक्सपोर्ट की गुंजाइश नहीं है। आपको अपना एक्सपोर्ट सस्ता करना पड़ेगा, जब आप एक्सपोर्ट सस्ता करेंगे तो इसके लिए बहुत सोप्स इंडस्ट्री को देने पड़ेंगे और ड्यूटीज़ के बारे में विचार करना पड़ेगा। लेकिन आपके रिसोर्सिस क्या

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

हैं? यह एक दुष्चक्र है, जिसमें हम फंस गए हैं। यह कहना है कि वर्ष 2011 में यह सुधर जाएगा, मैं यह नहीं मानता हूं। आप मुझे पेसिमिस्ट कह सकते हैं, आप मुझे शंकाग्रस्त व्यक्ति कह सकते हैं। वित्त मंत्री जी, मैं पिछले बीस साल से निरंतर कह रहा हूं कि जो डेवलपमेंट मॉडल पश्चिम ने लिया है, उसके ये परिणाम होने हैं, जो अवश्यंभावी थे और हो रहे हैं। आप उन परिणामों से बच नहीं सकते और ग्लोबल इकनॉमी को जोड़कर अपने यहां को समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते हैं। हम ग्लोब में हैं, दुनिया में हैं इसलिए अलग नहीं रह सकते। लेकिन कितना जोड़ना है, कहां जोड़ना है और कैसे जोड़ना है, इस पर विचार करना होगा। इसके बारे में अब सारी दुनिया ही चिंता कर रही है कि क्या करें। अब बड़े पुराने इकनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक के सलाहकार कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन को सुधारने की जरूरत है। *[अनुवाद]* यह गरीबों के हित के लिए कार्य नहीं कर रही हैं। यह सबके हित के लिए कार्य नहीं कर रहा हैं। यह समग्र विकास का प्रतिनिधित्व नहीं करता। *[हिन्दी]* ये सब बातें स्टिगालिट्ज कह रहा है, पॉल कुगमैन कह रहा है, वांग हू कह रहा है, जो कोरियन इकनॉमिस्ट बहुत दिनों तक वर्ल्ड बैंक में रहे हैं। इस तरह से यह गड़बड़ हो रही है। हम उससे कितना जुड़ें, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। क्या हम सिर्फ उनकी इकानॉमी को ठीक करने के लिए अपनी इकानॉमी में बहुत से भूचाल लाते रहें? आज दुनिया के 40 देश अनाज पैदा नहीं कर रहे हैं लेकिन वे देश, जो अनाज पैदा कर रहे थे, उनके सामने संकट है। अमेरिका ने अपना सारा मेज़ इथनॉल बनाने में खर्च कर दिया और मेज़ के दाम बढ़ गए, गेहूं के दाम बढ़ गए। आप इस तरफ गौर कीजिए कि किस तरह जुड़ना है, कहां जुड़ना है और क्यों जुड़ना है। वित्त मंत्री जी आप भारत के वित्त मंत्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मंत्री नहीं हैं, इसलिए आपका मुख्य काम भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना होना चाहिए। इसके लिए जितनी बाहरी सहायता की जरूरत होगी, जरूर लेंगे। बाहरी सहायता लेनी जरूरी है और इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दें, यह ठीक नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है। आप पश्चिम बंगाल से आते हैं और आपका साथ बसुदेव जी से रहा है, आप कुछ उनकी भी बात सुन सकते हैं और कुछ हमारी भी सुन सकते हैं। आप मिलकर कुछ कीजिए तभी शायद देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन अगर आप अमेरिका, यूरोपीय यूनियन या इन शक्तियों की तरफ देखेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा काम नहीं बनेगा। आप हिंदुस्तान की तरफ पहले देखिए और फिर जो बाहर की जरूरत हो उसे देखिए। इसमें हम आपके साथ रहेंगे, इसमें हमारा आपसे कभी विरोध नहीं होगा। हमारा बराबर आग्रह है कि भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की बुद्धि, शक्ति और संसाधनों से सुधारने का प्रयास करें। इसमें जहां जरूरत होगी, वहां हम अवश्य मदद देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।

महोदय, आपने बजट में ग्रोथ की बात कही है। मैं देख रहा हूं कि इस बारे में लोगों का क्या कहना है। एक सवाल हिन्दुस्तान टाइम्स ने किया है, आप वह रिपोर्ट देख लें। अखबार कहता है- *[अनुवाद]* क्या बजट 2009 में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उचित उपाय सुझाए गए हैं? 86 प्रतिशत का कहना है 'नहीं'। क्या बजट 2009 में सरकार से भारतीय कारपोरेट जगत की समग्र संभावित अपेक्षाओं को पूरा किया गया है। 64 प्रतिशत ने 'हां' में जवाब दिया है। *[हिन्दी]* आपके बारे में यह धारणा है कि इंडिया इंक के बारे में आपने काफी काम किया है लेकिन देश के वे लोग, जो ग्रोथ से जुड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि ग्रोथ होगी तो देश आगे बढ़ेगा, वे कहते हैं - नहीं। फिर कहा गया - *[अनुवाद]* बजट 2009 में वर्ष 2010 हेतु 'जीएसटी रोडमैप डेडलाइन' दी गई है। क्या इसे पूरा किया जाएगा। 75 प्रतिशत ने 'नहीं' में जवाब दिया।

अपराह्न 3.00 बजे

[हिन्दी]

आपके जो लक्ष्य रखे जा रहे हैं, उनके बारे में अभी तक के जो रिएक्शंस हैं, वे "नो" में ज्यादा हैं, "यस" केवल उन लोगों के पक्ष में है, जो बड़े उद्योग चला रहे हैं। यह भी सोचने की बात है। अगर ऐसा है और लोगों में निराशा हो गई कि 9 परसैंट ग्रोथ की तरफ बजट नहीं बढ़ रहा है तो मैं समझता हूं कि आपको काफी कठिनाई होगी।

अब सवाल आता है कि आपने इस बजट में साधनों के बारे में क्या कहा। 6.8 परसैंट आपका फिस्कल डेफिसिट है। मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानता हूं कि विकास के लिए घाटा कोई गलत चीज नहीं है, उठाया जा सकता है, लेकिन वह प्रोडक्टिव इनवैस्टमैन्ट होना चाहिए। अगर वह नॉन-प्रोडक्टिव है, अगर वह सिर्फ लार्जेस बांटने के लिए है, अगर वह सिर्फ लोन ले-लेकर पैसा लुटाने के लिए है तो माफ कीजिए, वह देश में और अधिक मुद्रा विस्तार करेगा। मैं नहीं जानता कि आपका रोड मैप क्या है। आप कहां से पैसा लायेंगे और उसे किस तरह से इनवैस्ट करेंगे, यह एक बहस का सवाल है। बजट इस मामले में कुछ साफ नहीं करता। ये छः लाख करोड़ रुपए जो आप लाएंगे, ये कहां से लाएंगे? अब सवाल यह है कि आपने यह भी देखा होगा कि टैक्स जी. डी.पी. रेश्यो घट गया और घटता जा रहा है। ...*(व्यवधान)* अब तो घटता जा रहा है। अब आंकड़े घटने के है, 11 परसैन्ट पर आ गया है और अब जो वर्ष 2009-10 का बजट ऐस्टीमेट है, उसमें 10.9 परसैन्ट है। यह बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ी। आप इस बार इसे बढ़ा नहीं सकते थे, मैं इस बात को समझ सकता हूं। लेकिन यह भी तो बताइये कि आप ये साधन कहां से लाएंगे, विल यू मोनिटाइज। पिछले साल आपने करीब सवा लाख करोड़ रुपए की मुद्रा बाजार में फेंकी थी। क्या

आप यह चार लाखं करोड़ रुपए की मुद्रा बाजार में एक्स्ट्रा फिर से फेकेंगे? इसके क्या परिणाम होंगे? अमेरिकन्स आज परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो 700-800 बिलियन डॉलर्स बैंकों में झोंक दिये थे और अगर वहां इकोनोमी हीट अप हो गई तो आप देखिए, हमारा और आपका क्या बनेगा। इसलिए इस बात पर जरा गहराई से गौर कीजिए कि पैसा कहां से आयेगा? क्या विदेशों से लाएंगे, क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इनवैस्टमैंट होगा? वह किस जगह करेंगे, वह गांव में तो नहीं करेंगे। वह आपके सोशल प्रायोरिटी सैक्टर्स में तो नहीं करेंगे। उनके इनवैस्टमैंट के क्या नतीजे होंगे। लॉंग टर्म के लिए इस पर सोचने की जरूरत है। हो सकता है कि इस वक्त आपको कुछ पैसे मिल जाएं और आप कहें कि देखिये यह करिश्मा हो गया या फिर आपने सोचा होगा कि यह आपका आखिरी बजट है, इसके बाद आप इसमें भाग नहीं लेंगे, तब तो अलग बात है, आप कर गये और आने वाला भुगते। इसकी बात मैं नहीं कहता। लेकिन अगर आप इस पर गौर करेंगे तो पता लगेगा कि यह बहुत गहराई से सोचने का समय है। क्या आप डिसइनवैस्ट करेंगे, कितना डिसइनवैस्ट करेंगे, क्यों डिसइनवैस्ट करेंगे, कैसे डिसइनवैस्ट करेंगे, फिर उस फंड का क्या होगा, जो डिसइनवैस्टमेंट फंड आपने बनाया है? जो कंपनियां इस समय लाभ से लबालब भरी हुई हैं, क्या आप उन्हें डिसइनवैस्ट करेंगे? वह ठीक है कि आप अपने जेवर बेचकर बनिये का उधार चुकाइये, वह कोई खास बात नहीं हैं, गिरवी रख दीजिए। वहां मेरा ख्याल है आप कौटिल्य को भूल गए हैं और चर्वाक पर चले गए हैं - "यावज्जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत। भस्मीभूतस्त देहस्य पुनरागमनं कुत?" वित्त मंत्री जी आप इस तरफ मत जाइये। देश के साधन जुटाइये। मैं देखता हूं कि आपने इंकम टैक्स में जो कमाल किया है, वह बहुत ही एक दर्शनीय चीज है। आपने सरचार्ज घटा दिया और हम लोगों को दस हजार रुपये की लॉलीपॉप दे दी। मैंने इसका आंकड़ा लगाया है, अगर किसी की एक लाख रुपये तक इनकम है तो उसे आज टैक्स नहीं देना पड़ता। दो लाख रुपये पर पहले हमें 5150 रुपये देना पड़ता था, अब यह 4120 रुपए हो गया है। 1030 रुपए की हमें पाकेट मनी मिल गई। इसके बाद तीन लाख, पांच लाख, सात लाख, दस लाख तक यही हालत है। मैं नहीं जानता यहां कितने लोगों की आमदनी दस लाख रुपए है। परंतु जिनकी दस लाख रुपए तक है, उन्हें 1030 रुपए का फायदा है। लेकिन जिनकी 15 लाख रुपए की आमदनी है, उन्हें 37,595 रुपए का फायदा है।

जिनकी 50 लाख रुपए की आमदनी है, उनको एक लाख 45 हजार 745 रुपए की बचत है। यह इनकम टैक्स का खेल है, यह देखने की बात है। पहले तो हम खुश हुए कि हमारी छूट की लिमिट 10 हजार रुपए बढ़ गई है। वित्त मंत्री जी समझते होंगे कि बड़े आदमियों के पास पैसा ज्यादा आयेगा तो वे बाजार में लायेंगे लेकिन जिन कामों में लायेंगे उससे आम आदमी का भला नहीं होगा। इससे देश का उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। इससे देश में बेरोज़गारी मिटने वाली नहीं है। वह रुपया एशो-आराम की चीजों में खर्च होगा। वह विदेशों में घूमने पर खर्च होगा। वह लग्ज़री गुड्स में खर्च होगा। वित्त मंत्री के बजट की दिशा मेरी समझ में नहीं आती है कि यह किधर जाना चाहता है? एक तरफ आप खेती की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं मगर बजट इससे अलग विपरीत दिशा में जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप गहराई से इस ओर ध्यान दें। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए यह देखें कि इस साल जिस विभीषिका से देश गुजर रहा है, उससे ज्यादा विभीषिका में न फंसे।

उपाध्यक्ष जी, मुझे चिन्ता है कि जिस तरह का इस बार मौनसून है, क्लाइमेट चेंज है, इस साल अगर फसल 10-15-20 परसेंट भी कम हो गई तो आपको भारी कीमतों पर अनाज बाहर से आयात करना पड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स हैं, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं। माननीय वित्त मंत्री जी, चाणक्य ने कहा था कि आने वाली विपत्ति को ध्यान में रखकर राजा को प्रबल सैन्य का प्रबंध कर लेना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप ऐसा प्रबंध करेंगे तो देश को विपत्ति से बचाने वाला होगा, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आपके बजट से देश पर विपत्ति आने की गुंजाइश होगी, तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हम आपका समर्थन नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव (एलूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विशेष रूप डा. मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ सदस्य जो कि बहुत लोकप्रिय, शिक्षित और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं के वक्तव्य के पश्चात आम बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तथापि, मैं अपने अनुभवों के आधार पर अपनी राय देना चाहता हूं।

मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य डा. मुरली मनोहर जोशी जी ने आपके बजट की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि उनकी प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। उन्हें केवल इस बात का संदेह था कि इसके लिए आप आवश्यक संसाधन जुटा पाएंगे अथवा नहीं। उनका यह कहना था कि अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है। उन्होंने कृषि, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी, जल प्रबंधन और लगभग सभी अन्य मुद्दों की चर्चा की। मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा के वरिष्ठ सांसद ने कृषि विषय पर चर्चा की। जहां तक मेरी जानकारी है मैंने जितने भी वजट सत्रों में भाग लिया है उनमें कृषि, गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर केवल चर्चाएं की गई हैं परन्तु, विपक्ष में या सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने कभी कोई ठोस सुझाव नहीं दिए हैं।

[डॉ. के.एस. राव]

मैं, सप्रंग सरकार के वर्ष 2004-05 के बजट जो कि सप्रंग सरकार का पहला बजट था उल्लेख नहीं करता, परन्तु तथ्य यह है कि माननीय जोशी जी ने उस बजट का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004-05 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने 7-8 प्रतिशत की विकास दर बनाए रखने के लिए सात लक्ष्यों का उल्लेख किया था। इस तथ्य के बावजूद कि पिछले वर्ष मंदी का दौर था, सप्रंग सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान 8.5 प्रतिशत की औसत विकास दर प्राप्त की है।

अन्य मुद्दा, सभी को मूलभूत शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में है। सरकार ने कर दाताओं पर दो प्रतिशत अधिभार लगाया और आरंभ में 5000 करोड़ रुपये एकत्र किए। अब, केबल प्राथमिक शिक्षा के लिए यह बढ़कर 13,100 करोड़ रुपये हो गया है। किसी निर्धन व्यक्ति को जीवित रहने या जीवन में कुछ करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आबंटन किया जाना अनिवार्य है क्योंकि किसी निर्धन या मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति के जीवन में ऊपर उठने के लिए शिक्षा ही सबसें उत्तम साधन है। केवल सप्रंग सरकार ने ही शिक्षा हेतु आबंटन किया। एक निर्धन व्यक्ति अपने दस वर्ष के पुत्र को भी स्कूल नहीं भेजता। उसे ऐसा लगता है कि वहां जाने से उसे कोई लाभ नहीं होगा; उसे पढ़ने-लिखने से कोई रोजगार नहीं मिलेगा इसलिए वह उसे कुछ कमाई करने के लिए भेजता है। इसके बावजूद, एक निर्धन व्यक्ति अपने जीवन स्तर को नहीं उठा पाया है या अपना स्वयं का एक घर बना लेने की स्थिति में वह नहीं है। सप्रंग सरकार ने इस बात को महसूस किया। यह केवल कोई दिखावा या व्याख्यान या एक ही बिंदु पर स्पर्श किए जाने वाला मुद्दा नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका गहराई तक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर बहुत अधिक है। यदि सौ लड़कों को प्राथमिक विद्यालय में भर्ती कराया जाता है तो उनमें से विश्वविद्यालय स्तर तक केवल नौ प्रतिशत छात्र ही पहुंचते हैं। अतः, निर्धन वर्गों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लाभान्वित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने केवल शिक्षा के लिए 36,400 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं और जिसमें से 13,100 करोड़ रुपये सर्व शिक्षा अभियान और 8000 करोड़ रुपये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए हैं। केवल इतना ही नहीं, हम सबका अनुभव यह है कि किसी प्राथमिक विद्यालय हेतु भवन निर्माण करने या शैक्षणिक संस्थानों हेतु किसी सुविधा के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं। हम यह कार्य बहुत उदारतापूर्वक कर रहे हैं। यह सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा किए गए आबंटनों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा शिक्षा के लिए बहुत अधिक आबंटन किया गया है।

जिन सात बातों का उन्होंने उल्लेख किया उनमें से एक लाभप्रद रोजगार पैदा करने के बारे में है। यह केवल बजट में कोई वक्तव्य देने या वादा करने के लिए नहीं है। एन.आर.ई.जी.ए. कार्यक्रम को शीघ्रता से लागू किया गया है। हमने उन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों, जिनके पास गांवों में केवल फसल के समय ही रोजगार होता है के लिए यह सुनिश्चित किया है कि उनके पास अब फसल के बाद भी कम से कम 100 दिनों का कार्य सरकार ने इस अधिनियम के माध्यम से प्रत्येक परिवार में एक सदस्य के लिए 100 दिनों के रोजगार का अधिकार सुनिश्चित किया है। माननीय जोशी जी यह कह सकते हैं कि 100 दिनों के बजाय केवल 43 दिन ही कार्य किया गया। यह सत्य हो सकता है। मैं इस बात से इंकार नहीं करता। परन्तु, सरकार की मंशा जहां कहीं आवश्यक हो रोजगार प्रदान करने की है। मैं इस बात का प्रत्यक्ष दर्शी हूं। जहां कहीं उपजाऊ भूमि हैं यदि वहां सरकार 100 दिन के लिए रोजगार देने के लिए तैयार है तो भी वे लोग इसमे उत्सुकता नहीं दिखाते क्योंकि वहां पर वे प्रतिदिन 150 से 200 रुपये कमा लेते हैं। हमने उनके पारिश्रमिक को बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है इस पर भी वे वहां न आकर कहीं और जाकर कार्य कर सकते हैं। यदि कार्य दिवसों की संख्या 100 से कम है तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। उन्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इसमें केवल कार्य दिवसों की संख्या की बात नहीं है, अपितु, सरकार ने यहां तक कहा है कि यदि किसी गांव में कोई श्रमिक कार्य मांगता है और यदि संबंधित विभाग या ग्राम पंचायत का अध्यक्ष उसके लिए कोई कार्य नहीं तलाश पाता है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे बिना काम के भुगतान करे। क्या कोई ऐसा सोचता है कि यह एक गलत अधिनियम था? क्या यह अधिनियम, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान नहीं कर रहा है? इसके विपरीत मेरी मंशा केवल अपनी राय देना है न कि इसकी आलोचना करना।

श्री जोशी जी रोजगार के बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि इस देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने का एक तरीका यह है कि निर्यात में वृद्धि की जाए और निर्यातित वस्तुएं सस्ती हों। क्या सब यही मानते है कि इस देश में रोजगार देने या रोजगार के अवसर बढ़ाने का एकमात्र यही तरीका है?

निर्यात क्षेत्र में कितने मिलियन लोगों को रोजगार दिया जा सकता है? यदि हम सब अंतर्राष्ट्रीय दरों की तुलना में अपने उत्पादों को काफी कम दरों पर बेचने के लिए तैयार हों तो भी कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है? इसके विपरीत माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह 50 प्रतिशत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के दायरे में लाना चाहते हैं; पूंजी के अतिरिक्त ब्याज पर छूट देने के

साथ-साथ वे 1 लाख रुपये का ऋण देने के लिए तैयार हैं। पश्चिम गोदावरी जिला, मेरा अपने निर्वाचन क्षेत्र जिसमें स्वयं सहायता समूहों की संख्या बहुत अधिक है, में 58,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। पूरे समूह के लिए 1.50 लाख रुपये-संभवत: प्रत्येक सदस्य द्वारा 15000 रुपये प्राप्त करते समय महिलाओं के चेहरे पर खुशी, साहस, विश्वास, प्रसन्नता और दमकते गर्व का आसानी से अनुभव किया जा सकता है। इस 15000 रुपये से वे 2000 से 3000 रुपये प्रतिमाह कमा सकती हैं। यह आप उनके पति या पिता द्वारा अर्जित आय के अतिरिक्त है, 2000 रुपये मेरे आपके और मेरे लिए एक बहुत छोटी धनराशि हो सकती है। परन्तु, 100 रुपये के लिए भी वह पीढ़ियों से अपने माता-पिता, पतियों और पुत्रों पर निर्भर रहती आ रही हैं। आज उनके पास पैसे हैं।

पूरे देश में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर, इसके दायरे में 50 प्रतिशत महिलाओं को लाने का लक्ष्य निर्धारित करके, आप 50 मिलियन से अधिक रोजगार सृजित कर रहे हैं। इस देश में 18 से 65 आयु वर्ग के बीच 600 मिलियन लोग हैं। जिसमें मोटे तौर पर 300 मिलियन पुरुष और 300 मिलियन महिलाएं हैं, उनमें से आधे यानि 150 मिलियन महिलाएं स्वयं सहायता समूह की सदस्य बन सकती हैं। हमारे लिए यह संभव नहीं है कि एक वर्ष में इन सभी को स्वयं सहायता समूहों में शामिल कर लिया जाए।

किंतु केवल यही एक समस्या है। माननीय मंत्री महोदय महिलाओं में इस धन के उपयोग को लेकर एक विश्वास, एक योग्यता और चेहरे पर एक चमक है। जो कुछ हमें करना है वह यह कि महिलाओं को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर कम करना। इसे तीन प्रतिशत रखें। उनके उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए हमें रास्ता खोजना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सकें तो आने वाली पीढ़ियों तक कोई हमसे यह प्रश्न नहीं कर सकता कि क्या हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं या अर्थव्यवस्था सुधार रहे हैं। वे आप के लिए धन का सृजन करेंगी। यह नौ प्रतिशत नहीं है। मैं जानता हूं। अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक मंदी के बावजूद आपने लक्ष्य निर्धारित किया। इससे देश की अर्थव्यवस्था में आपके विश्वास का पता चलता है। इसी से आप ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को समझा। रोजगार उपलब्ध कराने का यही सबसे अच्छा रास्ता है। हमने नरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया है। मैं इससे खुश हूं।

मैं बता रहा था और उन्होंने भी इस बारे में अच्छा सुझाव दिया। उन क्षेत्रों के अलावा जहां आपने परिसंपत्ति के निर्माण के लिए संसाधन उपलब्ध करायें हैं, अन्य क्षेत्रों में भी ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ हमें इस योजना का विस्तार करना है। अभी हाल तक इसमें सड़कें शामिल नहीं थी। अब हमने सड़कों को इसमें शामिल किया है। इसका अर्थ यह है कि हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, परिसंपत्तियों का उपयोग कर रहे हैं और गांवों में परिसंपत्तियों का सृजन कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहता हूं कि सभी कार्यों में केवल मानव श्रम शामिल नहीं होता।

इसमें कुछ प्रतिशत सामग्री का घटक भी शामिल है। अत: यदि आपको इसे शामिल करना था तो इसे 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत तक रखने की आवश्यकता नहीं है, यदि ऐसा करना था तो नरेगा के अंतर्गत 30 से 40 प्रतिशत तक सामग्री का घटक शामिल किया जा सकता है और हम वास्तव में गांवों में परिसंपत्ति का सृजन कर सकते हैं। जिसका उपयोग पीढ़ियों तक किया जा सकेगा।

उदाहरण के लिए जल निकाय हैं। उन्होंने जल निकायों के बारे में उल्लेख किया। हां, हम गाद निकालने के लिए मानव श्रम लगा सकते हैं। लेकिन यदि जल को बनाए रखने के लिए एक अवसंरचना बनानी है तो आपको सामग्री की भी आवश्यकता होती है। इस संबंध में मेरा एक विनम्र अनुरोध है। माननीय सदस्य भी बता रहे थे कि इसे गांव के उद्योग तथा कुटीर उद्योग तक विस्तारित किया जाए। मैं उनसे सहमत हूं। यदि ऐसा होता है। तो आबंटित किए गए 39,100 करोड़ रुपए देश के लिए शानदार संपत्ति होंगे।

39100 करोड़ रुपऐ के आबंटन से देश में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्ति का निर्माण होगा। यहां मैं ग्रामीण क्षेत्रों और नरेगा के बारे में बात कर रहा हूं।

माननीय सदस्य बता रहे थे कि कर - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में कमी आई है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसा कहां देखा है। उन्होंने कुछ अखबारों में देखा होगा। मैंने किताबों में देखा है कि कर - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि हुई है। यह पहले 9.2 प्रतिशत था और पिछले वर्ष 11.5 प्रतिशत था। यह देश के लिए सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है जहां कर अनुपात बढ़ रहा है। वे इस बारे में भी वे संशकित थे कि हम ये संसाधन कैसे जुटा रहे हैं, जिसका उल्लेख बजट में किया गया है। लेकिन बजट में संसाधनों में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है, यह लाभ 2000 करोड़ रुपए है। कराधान उपायों से उन्होंने केवल 2000 करोड़ रुपए जोड़े हैं। कर-स्तर बढ़ाकर किसको लाभ हुआ है? वे वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और सामान्य क्षेत्र हैं। संभवत: उन्होंने प्रभारों को खत्म कर दिया है, फिर भी उन्होंने कर छूटों को वापस ले लिया है जिससे कर राजस्व में कमी होती थी।

हमने वित्त संबंधी स्थायी समिति में कई बार चर्चा की है। हमने सुझाव दिया कि इन छूटों को वापस ले लिया जाए क्योंकि कुछ लोग

[डॉ. के.एस. राव]

विशेषकर कारपोरेशन तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन छूटों का लाभ ले रहे हैं और वे अपने कर के भार को कम कर रहे हैं। इसलिए हमने सुझाव दिया कि हमें इसे हटा देना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया है। हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। उन्होंने कर आधार को भी व्यापक बनाया है; उन्होंने कर-दाताओं की संख्या में वृद्धि की है। यह करीब तीन करोड़ थी। वह इसे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति का कारोबार 40 लाख है तो वह स्वेच्छा से रिर्टन कर सकता है। उसे परेशान नहीं किया जाएगा और उसे किसी अधिकारी की ओर से उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा। उसे केवल आठ प्रतिशत आय की घोषणा करनी है, और उसे लेखा बही बनाने की आवश्यकता भी नहीं है।

अत: उन्होंने प्रक्रिया को सरल बनाया है और वे इसे और अधिक सरल बना रहे हैं न कि जटिल। अत: इस प्रकार उन्होनें इस बजट में जो किया वह शानदार है।

मेरा इरादा आलोचना करने का नहीं है। मैं वही कहूंगा जो माननीय मंत्री जी ने बजट में किया है। मूलरूप से मैं हमेशा मानता हूं कि संसद का कर्तव्य या भारत सरकार का कर्तव्य ऐसे कानूनों को बनाना है जो व्यक्ति के कार्य करने, मेहनत करने के लिए प्रेरित करें न कि उसे हतोत्साहित करें। व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इन्हें सौहार्द का वातावरण बनाना चाहिए; इन्हें विनियमित करना चाहिए। लेकिन सरकार को हर चीज करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे कर रहे हैं।

मैंने देखा है कि उनके विनिवेश के प्रस्ताव में पांच कंपनियों में कुछ हद तक विनिवेश करना शामिल है न कि जैसा राजग सरकार ने पूर्व में किया था। राजग के शासनकाल में हर ओर विनिवेश की नीति थी। लेकिन वर्तमान वित्त मंत्री ने ऐसा नहीं किया।

वे पंडित नेहरु ही थे जो समाजवादी लोकतंत्र में विश्वास करते थे और वे सार्वजनिक क्षेत्र विशेषकर बुनियादी क्षेत्र के उपक्रमों को ऐस समय में प्रोत्साहित करना चाहते थे जब भारत में कोई निवेशक नहीं थे और दूसरों की तुलना में हमारी उद्यमशीलता उतनी प्रतिभाशाली नहीं थी। अत: बुनियादी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया और उन्हें संरक्षण दिया गया। इसलिए आज हमारे पास बुनियादी मदों की कमी नहीं है। हम अपनी आवश्यकताओं चाहे यह इस्पात हो या सीमेंट की शर्त स्वयं स्वदेशी उत्पादन से रह रहे हैं। हमारे पास इन चीजों की अधिकता है, हम निर्यात करने की स्थिति में है। उस समय वही नीति थी।

मैं फिर एक बार कहता हूं कि, मैंने भाजपा सरकार को कभी भी किसानों या गरीबी उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्धता के संदर्भ में बोलते हुए नहीं देखा है। ये मेरे शब्द नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि उनके बजट में क्या है। वर्ष 2003-04 के बजट में क्या है? मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा; मैं केवल 2003-04 के बजट के बारे में बोलूंगा।

मैं केवल पूर्व वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या सोचा था, उस समय उनका विचार या धारणा क्या थी। महोदय, 2003-04 का बजट भाषण तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह ने दिया था। उन्होंने राजग सरकार की पांच प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की थी:

1. गरीबी उन्मूलन, जिसे मैं उत्तम विचार कहूंगा।
2. स्वास्थ्य, जिससे कोई इंकार नहीं कर सकता।
3. आवास, यह गरीब आदमी की बुनियादी जरूरत है।
4. शिक्षा, जिसके बिना कोई भी आम आदमी आगे नहीं बढ़ सकता।
5. रोजगार, जो दूसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।

लेकिन, इनके सम्बन्ध में उनकी क्या धारणा थी? मैं उद्घृत करना चाहता हूं। "मेरी राय हमेशा यह है, यह भाषा और शब्दों का खिलवाड़ नहीं है, यह इरादा है, आपका विचार या जो आप कहते है उसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता है।" ऐसा कहने से उनका क्या तात्पर्य था? वह शिक्षा में सुधार चाहते थे। उन्होंने शिक्षा में सुधार हेतु बजट में क्या किया? उन्होंने 12000 रु. प्रति बच्चा और दो बच्चों पर 24000 रु. आयकर में छूट प्रदान की। तत्कालीन सरकार ने यह सोचा कि वह आयकर में छूट देकर शिक्षा में सुधार कर सकती है। आयकर का भुगतान कौन करता है या किसे आयकर में छूट की जरूरत हैं?

पुस्तकों के लेखकों को 8 लाख रु. तक की रायल्टी के लिए आयकर से छूट प्रदान की जाती है। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार शिक्षा में सुधार किया जा सकता है।

अब मैं स्वास्थ्य पर आता हूं। उनके अनुसार स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? भारत को वैश्विक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए, वे देश में स्वास्थ्य की स्थिति को बढ़ावा देना चाहते थे। 100 से अधिक बिस्तरों वाले निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन दिए गए। ऐसे अस्पताल कौन बनाता है? क्या कोई गरीब आदमी किसी भी समय किसी कारपोरेट अस्पताल में जा सकता है?

उन्होंने जीवन रक्षा उपकरणों पर 40% वृद्धि ह्रास की अनुमति दी है। जीवन रक्षा उपकरण और दवाइयों पर सीमा शुल्क में कमी की घोषणा करके वे आम आदमी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना चाहते थे।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र का उदाहरण देता हूं यदि पत्नी, पति और बच्चा सुबह 6.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक काम करने के बावजूद भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी लाखों लोग मकान बनाने हेतु जमीन का एक टुकड़ा खरीदने का या स्वयं अपना स्थायी आवास बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हममें से प्रत्येक कहता है कि आवास बहुत महत्त्वपूर्ण है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास के सबन्ध में राजग सरकार का क्या दृष्टिकोण था? दृष्टिकोण यह था, कि रियल एस्टेट के विकास के लिए भूमि देकर गंदी बस्तियों के उन्नयन को प्रोत्साहन देना। दूसरी छूट, वेतन पाने वाले लोगों के लिए आवास के लिए 1,50,000 रु. तक ब्याज में छूट देना था। 1,50,000 रुपये की छूट पाने के लिए वे किस प्रकार का मकान बना सकते हैं। संप्रग सरकार प्रत्येक मकान के लिए 40000 रु. दे रही थी। ऐसे गरीब लोग भी हैं जो स्वयं 1000 रु. का निवेश कर घर बनाने की स्थिति में भी नहीं हैं। क्या यह 1,50,000 रु. की छूट किसी तरह गरीब आदमी की मदद करेगी?

रोजगार के संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण था। माननीय मुरली मनोहर जोशी ने अभी कहा है कि निर्यात व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमतों में कमी करना रोजगार बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है। श्री जसवंत सिंह इसके बारे में क्या सोचते थे? उन्होंने सोचा कि वेतन में मानक कटौती को 40 प्रतिशत करने या वेतन पाने वाले और सेवानिवृत्त दोनों लोगों को लीव ट्रेवल कन्सेशन देने से ऐसा होगा ताकि वे गरिमामय जीवन जी सकें, इससे रोजगार भी बढ़ाया जा सकता है। ये उन्हीं के शब्द हैं मेरे नहीं। उनका विश्वास था कि इस प्रकार इस देश में निर्धन व्यक्ति के जीवन में सुधार किया जा सकता है और देश में रोजगार की स्थिति को सुधारा जा सकता है।

इस देश में रोजगार बढ़ाया जा सकता है और निर्धन वर्ग को आवास प्रदान किया जा सकता हैं। संप्रग सरकार ने क्या किया है? मैं आपको बताता हूं कि संप्रग सरकार ने क्या किया है। जहां तक शिक्षा का संबंध है, मैं अपको पहले ही बता चुका हूं कि उन्होंने पहले वर्ष में कर पर दो प्रतिशत अधिभार लगाया और 5000 करोड़ रु. एकत्रित किए और इन्हें प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया। आज माननीय मंत्री जी ने 39000 करोड़ रु. आबंटित किए हैं और मध्याह्न भोजन के लिए 8000 करोड़ रु. तथा भारत सरकार की ओर से प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग से 13,100 करोड़ रु. दिए गए हैं। उच्च शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए भी धन आबंटित किया गया है।

मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि माननीय वित्त मंत्री का विषय नहीं है लेकिन वह इससे बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। यह हो सकता है, कि ब्रिटिश शासन के दौरान बनाई गई शिक्षा प्रणाली हमारे मस्तिष्क को तेज किए बिना या भारतीयों को कुछ भी उत्पादक कार्य के लिए तैयार किए बिना बाबू तैयार करने के लिए ही बनाई गई हो। आज, हमने ए.आई.सी.टी.ई. आरंभ किया है। हमने तकनीकी शिक्षा आरंभ की है। आज, हमने कक्षा आठ से ही व्यावसायिक शिक्षा आरंभ कर दी है। आज, हमने कौशल विकास के लिए 1500 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। हमारे देश में संपदा कैसे सृजित होगी? हम सब यह जानते हैं कि हमारे पास देश में सबसे बड़ी तकनीकी क्षम शक्ति है। लेकिन यह दयनीय बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जहां भारत की चारों ओर प्रशंसा हो रही है, जर्मनी, जापान, यू.के. और यूरोप जैसे देशों से साफ्टवेयर विशेषज्ञ बुलाए जा रहे हैं। आज हम पाते हैं कि भारतीय साफ्टवेयर विशेषज्ञों की प्रासंगिता भारतीय उद्योगों के अनुरुप नहीं है। आप मुझे बताइए कि किस व्यवसाय में हमारे पास कुशल व्यक्ति हैं। यदि आपको ड्राइवर की आवश्यकता है तो अच्छे ड्राइवर नहीं है। यदि आपको स्कूटर या कार की मरम्मत के लिए तकनीशियन की जरूरत है तो वे भी नहीं हैं। यदि आपको घर में लाइट रेड़ियों या टी.वी. की मरम्मत करानी है तो उसके लिए भी कोई नहीं है। एक आदमी को पकड़ने में आपको समय बर्बाद करना पड़ता है। अत: मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार को कौशल विकास पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। यह एम.ए. या बी.ए. या पी.एच.डी. जैसी उच्च शिक्षा नहीं है जिसका स्वयं में महत्त्व हो। मैं एक अभियंता हूं लेकिन अपने अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के दौरान मैंने क्या सीखा। मुझे केवल ए बी सी डी आदि आते हैं। मैंने जाना कि जब 'सी' 'ए' 'टी' साथ-साथ रखे जाते हैं तो यह 'कैट' बन जाता है जिसका अर्थ है बिल्ली और यह मैंने तब जाना जब मैंने जीवन की कक्षा में प्रवेश किया न कि महाविद्यालय में। अत: हमें कुशल व्यक्ति बनाने होंगे। हमारे पास कुशल व्यक्ति होने चाहिएं और सरकार को इस बारे में गंभीर होना चाहिए। मैंने आंकलन किया है कि यदि उन्हें प्रत्येक वर्ष कुछ हजार करोड़ रु. दिए जाएं तो गांवों में जो अशिक्षित लोग हैं उन्हें किसी व्यवापाय में प्रशिक्षित किया जा सकता हैं। वे इस देश के लिए संपत्ति सृजित कर सकते हैं। यदि माननीय सदस्य श्री जोशी को 9 प्रतिशत की महत्त्वाकांक्षी वृद्धि दर के बारे में संदेह है, जिसे प्राप्त करने के प्रति आप विश्वस्त हैं तो देश में कौशल को विकसित कर आप 13 या 14 प्रतिशत तक जा सकते हैं।

[डॉ. के.एस. राव]

आप चीन से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। दूसरे पक्ष के सदस्य हमारे देश की प्रगति की तुलना चीन से कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। आज वे चीन की तुलना भारत से करते हैं। मैं सहमत हूं कि चीन ने प्रगति की है। मैं केवल इस सीमा तक प्रसन्न हूं कि वे इस संबंध में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यदि ऐसा विचार भी वहां है तो वही पर्याप्त है। जब राष्ट्र के विकास की बात आती है तो हम सब एक हैं। हम चुनाव लड़ते है। हमें अपने विचारों का प्रचार करना चाहिए और अपने दलों के माध्यम से जीतने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब सही निर्णय लेने की बात आती है और यदि निर्णय गलत हो तो आप हमेशा आलोचना कर सकते हैं। इसमें कुछ बुराई नहीं है।

महोदय, मेरा अगला प्रश्न कृषि से संबंधित है। एक किसान की क्या आवश्यकता होती है? किसान को समुचित ऋण तथा फसल बीमा की आवश्यकता होती है। यदि किसान की फसल चक्रवात में नष्ट होती है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती तो उसे बचाने कौन आया है? यदि एक व्यापारी या एक उद्योग पति की आग लगने से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट होती है तो बीमा कंपनियां उस घाटे की भरपाई के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन किसानों का क्या होगा? किसान अपनी फसल बीमा तथा अपनी उपज का लाभकारी मूल्य चाहता है। इस संबंध में मुझे कहते खुशी हो रही है कि पांच वर्षों तक धान का मूल्य 580 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर था लेकिन संप्रग के शासन काल में इस मूल्य को बढ़ाकर 930 रुपए प्रति क्विंटल किया गया।

महोदय, एक बार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जहां सभी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और कांग्रेस पार्टी से संबंधित होने के बावजमद मैंने उस बैठक में कहा कि विपक्षी दल सड़क पर बैठेंगे और यह कहते हुए सरकार की आलोचना करेंगे कि सरकार किसान, जो कि इस देश की रीढ़ हैं, को लाभकारी मूल्य नहीं दे रही है और इसलिए सत्तारूढ़ सरकार अक्षम है अत: इसे गिराए जाने की आवश्यकता है। किंतु वही विपक्षी दल यदि सत्ता में आता है तो किसानों के हितों को भूल जाते हैं। इसका क्या कारण हैं? इसका कारण यह होता है कि यदि सरकार किसानों की उपज का मूल्य बढ़ाती है तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी और इस स्थिति में वही विपक्षी दल आटा, अदरक, काले चने और अन्य सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर धरना देंगे। वे कहेंगे कि कल इस वस्तु की कीमत 10 रुपए थी और आज बढ़कर 20 रुपए हो गई है; कल खाद्य तेल की कीमत 30 रुपए थी और आज बढ़कर 60 रुपए हो गई है। इसलिए यह सरकार अक्षम है और इस सरकार को गिराना चाहिए। तब मैं यह कहता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सत्ता में रहे या न रहें, चाहे हम एक बार हार भी जाएं तब भी यह समस्या नहीं होनी चाहिए, जब तक सरकार कृषि उपज की कीमतों को बढ़ाने का साहसिक कदम नहीं उठाती तब तक किसी भी दल की कोई भी सरकार इस देश के किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाएगी। मुझे कम से कम इतनी प्रसन्नता है, कम से कम इतना गर्व है कि इस संप्रग सरकार ने धान के लाभकारी मूल्य को 580 रुपए से बढ़ाकर 930 रुपए किया और यही कारण था कि पिछले एक वर्ष के दौरान मुद्रा स्फीति की दर में वृद्धि हुई। जब अनाज की कीमतों में वृद्धि होती है तो स्वभाविक रूप से मुद्रा स्फीति और उसके परिणाम स्वरूप चारों ओर किस तरह का हो हल्ला मचेगा उसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन इस सरकार ने यह किया। मैं मा. वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि इस सरकार को पांच वर्ष तक चलाना है और मेरा स्पष्टीकरण यह है कि यदि कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्यों में वृद्धि की जाए और किसानों के लिए लाभकारी मूल्यों को बढ़ाया जाए तो होगा यह कि संपत्ति शहरी क्षेत्रों से हटकर ग्रामीण क्षत्रों में आएगी। इससे कौन प्रभावित होगा? हमने 65 प्रतिशत लोग गांव में रहते है। हमारे पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। अब हम चावल 3 रुपए प्रति किलो दे रहे है। इसलिए कीमतों में कितनी भी वृद्धि हो, गांव में गरीब आदमी प्रभावित नहीं होगा। दी जा रही मात्रा के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई यह तर्क दे सकता है कि उसे उपभोग किए 50 कि.ग्रा. की आवश्यकता है किंतु केवल 25 कि.ग्रा. ही दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही कीमतें बढती हैं, वैसे ही गांवों में मजदूरी बढ़ जाएगी। इसलिए गांवों का श्रमिक प्रभावित नहीं होगा। तब, कौन प्रभावित होगा? शहरी क्षेत्रों का मध्यम वर्ग इससे प्रभावित होगा। धनी व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। एक धनी व्यक्ति अपनी आय का कितने प्रतिशत खाद्यानों पर खर्च करता है? उसे इसकी परवाह नहीं होती। अत: यदि सरकार कृषि उपज के लाभकारी मूल्य में वृद्धि करनी है तो यह लक्ष्य प्राप्त होगा। कि धन शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाएगा।

महोदय, मैं यह जानकर अचंभित हूं इसमें से सभी लोगा जानते हैं कि शेयरों के मूल्यों में एक दिन की वृद्धि के चलते उद्योगपतियों की पूंजी के मल्य में 5,60,000 रुपए की वृद्धि हुई है।

क्या उन्होंने पसीना बहाकर या कठोर परिश्रम करके अर्जित किया है? एक उद्योग का शेयर कैसे 10 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए हो सकता है? यह स्पष्ट है कि वह अपने उत्पाद भारी लाभ लेकर बेच रहा है। आप हमें बताइए कि आज कौन सा किसान अपनी 20 एकड़ जमीन पर उगी फसल को बेचकर हुई आप से एक एकड़ जमीन खरीद सकता है। आज कौन सा किसान अपने उपज के बल पर

बच्चे को शिक्षा दे सकने की स्थिति में हैं? कोई किसान ऐसा नहीं कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति गांव में जमीन खरीद रहा है तो वे उसके पुत्र या पुत्री कहीं नौकरी या व्यापार कर रहे होंगे या बाहर के व्यापारी होंगे जो इसे खरीदते है न कि कोई ग्रामीण। आपने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है। हमने ऋण भी बढ़ा दिया है। श्री राजीव गांधी ने फसल बीमा योजना की शुरूआत की और हम इसे कई वर्षो से देख रहे हैं। अब इसे इस तरह संशोधित करना है ताकि वास्तव में यह किसान को उबार सके। पहले यह मण्डल के आधार पर होना था, हमने इसे गांव के आधार पर किया है। किंतु उनकी सहायता हो रही है, यह देखने के लिए कुछ और किया जाता है।

रोजगार के संबंध में आप महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह को प्रोतसाहित करने का वादा कर चुके हैं। हमारी बैठकों के दौरान मैं कई बैंकों के अक्ष्यक्षों से मिला। उनमें से प्रत्येक ने कहा कि वे स्वयं-सहायता समूहों को अधिकतम धनराशि का ऋण देंगे क्योंकि इनकी वसूली की दर 97 प्रतिशत है।

ग्रामीण विकास के संबंध में, आज, आपने 80,770 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और विशेषकर प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए आपने 12,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये हैं। जब आप एक गांव में जाते हैं तो गांव वाले कंक्रीट की सड़क या उनके गांव और अन्य गांव को जोड़ने वाली सड़क की मांग करते हैं। आज हम सब ने अवसंरचना के महत्व को स्वीकार किया है। अवसंरचना का अर्थ केवल दिल्ली और मुंबई को जोड़ने से नहीं है। इसका अर्थ गांवों को जोड़ने से भी है। अत: आपके पास इसके लिए प्रावधान है और हमें इसके बारे में खुशी है लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य सरकारें भी इस संबंध में अपना धन प्रदान करने के लिए आगे आएं। राजमार्गों के लिए आपने 20,450 करोड़ रु. दिए हैं। मुझे इससे बहुत खुशी है।

मेरी राय है कि जहां तक आर्थिक मंत्रालयों का संबंध है वर्ष दर वर्ष बजटीय सहायता कम करने की आवश्यकता है। हमें यह विद्युत क्षेत्र, नागरिक उड्डयन और रेलवे के लिए देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने लिए स्वयं कमाना चाहिए! यदि रेलवे के पास लाखों करोड़ की संपत्ति है तो उन्हें उससे धन क्यों नहीं कमाना चाहिए? क्या उन्हें प्रत्येक वर्ष बजटीय सहायता की ओर देखना चाहिए? यदि आप एक ड्राइवर को ट्रक खरीदने के लिए 4 लाख रु. का ऋण देते हैं तो आप उससे उस ऋण पर व्याज लेते हैं, फिर उसे सेवा कर, आयकर का भुगतान करने को भी कहते हैं लेकिन उसे अभी भी उस राशि का पुर्नभुगतान करना है। रेलवे या नागर विमानन ऐसा क्यों नहीं करते? यदि रेलवे के पास धनाभाव है तो उसे बांड एकत्रित करने चाहिए या जैसाकि आपने कहा उन्हें पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) के लिए जाना चाहिए। यह उनके लिए उत्तम तरीका है। दूसरे चाहे जो भी सोचें, परिवर्तित वातावरण में, हमें निजी निवेश की आवश्यकता है। आप इससे नहीं बच सकते। निजी निवेश स्वीकार करते हुए आपकी कड़ी शर्तें होती हैं, जिससे यह एक समय के बाद देश की परिसम्पत्ति बन जाती है। यदि एक सड़क बी.ओ.टी. या एन्युटी के अंतर्गत बनाई जाती है, दस वर्ष या चार वर्ष या छ: वर्ष के अंतर्गत यह गुणवत्ता युक्त सड़क या गुणवत्ता युक्त रेलवे लाइन सरकारी संपत्ति बन जाती है। अत:, हमें एक प्रक्रिया या शर्तें तैयार करनी चाहिएं जिससे हम निजी निवेश को बढ़ावा दे सकें और उन्हें किसी भी कार्य में शामिल कर सकें। वे इसके लिए तैयार हैं। केवल बात यह है कि यदि हम उदार हुए तो कोई स्थिति का शोषण कर सकता है। अन्य लोग भी इसे देखेंगे और वे भी ऐसा ही करना चाहते हैं।

स्वास्थ्य के संबंध में भी मैं पत्र लिखता हूं। माननीय मंत्री ने स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। राजग सरकार में भी स्वास्थ्य बीमा था। लेकिन विगत वर्षों में कितने लोगों का बीमा हुआ है? यह संख्या केवल 11,000 है। लेकिन माननीय मंत्री ने कहा है कि वे इस स्वास्थ्य बीमा का विस्तार पूरे देश में सभी बी.पी.एल. परिवारों तक करेंगे। मैं इससे बहुत खुश हूं। यदि हम बाद में होने वाले लाभों को देखें तो यह वास्तव में खजाने पर बोझ नहीं डालता। होता यह है कि डाक्टरों में भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का विश्वास पैदा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब ग्रामीण लोगों का भी बीमा होगा तो डाक्टरों को भी यह आश्वासन रहेगा कि उन्हे भुगतान मिलेगा। पति और पत्नी जाएंगे और गांवों में इलाज करेंगे, जिसके लिए वे अभी तैयार नहीं हैं। यदि माननीय मंत्री ने इसे सभी बी.पी.एल. परिवारों के लिए बढ़ाया होता तो यह एक विशेष राशि तक हो सकती है। इसे लाख या दो लाख रु. होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, यह वर्ष में 30,000 या 40,000 रु. हो सकती है।

आंध्र प्रदेश में, मुख्यमंत्री ने आरोग्यश्री योजना में हृदयाघात, कैंसर, किडनी जैसी बीमारियों को शामिल करके शुरूआत की है। हम बहुत लोकप्रिय हैं। जब हम गांवों में जाते हैं तो प्रत्येक इसके बारे में बात करता है। बीमा द्वारा इसे अन्य बीमारियों तक भी बढ़ाया जा सकता है। आज, गरीब आदमी की स्थिति क्या है? यदि उसे अचानक हृदयाघात होता है या दुर्घटना होती है और यदि वह सरकारी अस्पताल जाता है तो कोई भी उसकी देखभाल नहीं करेगा। वे कहेंगे "कोई बिस्तर" नहीं है। उसे घंटों तक बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या वह निजी अस्पताल जा सकता है? वह भुगतान के बारे में सोच भी नहीं सकता। तब, उसके लिए क्या रास्ता बचता है? यह उसे

[डॉ. के.एस. राव]

भगवान पर छोड़ना पड़ता है कि वह कितने घंटे या दिन या वर्ष जिएगा। यदि माननीय मंत्री इसे सभी बी.पी.एल. परिवारों के लिए बढ़ाते हैं तो पूरा देश माननीय मंत्री जी के साथ होगा।

हमें सम्पत्ति सृजित करनी है। लेकिन यदि हम केवल धन उत्पन्न करें और यदि यह आम आदमी तक न पहुंचे तो इसका कोई उपयोग नहीं है। केवल अरबपति होंगे। अत: समग्र विकास जिसका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है, सबसे बेहतर रास्ता है और इसे पूरी तरह लागू करना पड़ेगा। इसके लिए हमें किसी व्यक्ति विशेष को करोड़ो रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। देश में कोई भी गरीब आदमी लाखों रुपए या बड़े भवन की मांग नहीं कर रहा है। वह केवल राशन कार्ड, उचित मूल्य पर भोजन, आवास, स्वास्थ्य कार्ड, शिक्षा हेतु स्कूल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की मांग कर रहा है। ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिनकी वह मांग कर रहा है। बाद में, यदि आप गांवों में संचार प्रणाली, आधारभूत ढांचे का विकास करें तो कोई भी ग्रामीण शहर नहीं जाना चाहेगा। आज एक किसान की बेटी जिसके पास 20 एकड़ भूमि है गांव में 10 एकड़ भूमि के मालिक के बजाय शहर में एक बैंक में अटेण्डेंट से शादी करना पसंद करती है। किसानों की स्थिति कितनी दयनीय है। वे गांव में रहने के बजाय शहर में रिक्शा चलाने को तैयार हैं। हमें ऐसे आबंटनों और धारणाओं द्वारा इस प्रवृत्ति को बदलना चाहिए।

जब तक गांव धनवान नहीं बन जाते, जब तक ग्रामीणों की आय नहीं बढ़ जाती, उद्योगों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं या उत्पादों को कौन खरीदेगा? यदि कोई उद्योगपति लाखों साइकिलें बनाता है, यदि लोगों के पास क्रय शक्ति ही नहीं है तो उन्हें कौन खरीदेगा? क्या वह हमेशा इनका निर्यात दूसरे देशों को करता रहेगा? मूल रूप से, हमें अपने लोगों की आवश्यकताओं को देखना है। अत:, जब तक क्रेता नहीं है, तो विनिर्माता अपना सामान किसे बेचेगा?

अमरीका की सन्धि हममें क्यों है? क्यों अमेरिका हमें और चीन को चाहता है। यह केवल उनके उत्पादों के लिए बाजार की वजह से है। वे समझते हैं कि मध्य वर्ग की जनसंख्या का 30 से 40 प्रतिशत जो लगभग 400 मिलियन है, उनके लिए पर्याप्त बाजार है जबकि हम अपने लोगों की आवश्यकताओं की ओर नहीं देख रहे हैं। माननीय मंत्री जी ऋण माफ करके ग्रामीण क्षेत्रों में 72000 करोड़ रु. हस्तांतरित कर रहे हैं। यह न केवल किसानों की सहायता कर रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहायता पहुंचा रहा है।

अब, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने यह तारीख दिसम्बर तक बढ़ा दी है। केवल चार दिन पहले जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र में गया तो सभी किसान मेरे पास आए। उन्होंने कहा, महोदय, हमारे पास तत्काल ऋण चुकाने हेतु धन नहीं है जैसा कि आप हमारी स्थिति से अवगत हैं। अत:, इसे कम से कम एक महीने तक बढ़ा दें। वे केवल एक या दो माह का समय मांग रहे थे। अब, माननीय मंत्री ने इसे दिसम्बर तक बढ़ा दिया है। संपूर्ण कृषक समुदाय आपके प्रति आभारी है।

माननीय मंत्री ने सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था में सुधार के बारे में भी कहा है। वह राज्यों और केन्द्र के बीच समन्वित प्रयास में विश्वास करते है। इसपर जोर देना पड़ेगा। उन्हें राज्य सरकारों पर भी दबाव डालना चाहिए। वे गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। उनके कार्य से पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जैसा कि वह बता रहे थे, वैश्वीकरण के आगमन से केवल देश ही नहीं बल्कि यदि एक राज्य ठीक से कार्य नहीं करता या धन का उपयोग लापरवाही से करता है तो इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर पड़ेगा। जैसा कि उन्होंने कहा था कि वे विभिन्न प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुला रहे हैं और इसमें इस मुद्दे पर उनका ध्यान आकर्षित किया जाऐगा और उस पर दबाव बनाया जाएगा।

मा. मंत्री ने राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत तक के बराबर इस सुविधा में वृद्धि की है जिससे वे 21,000 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। लेकिन धन को लौटाने के लिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वे अनुत्पादक कार्यों पर धन को खर्च कर सकते हैं। उनमें बहुत से ऋण ले रहे हैं और उनका उपयोग अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए करते हैं जिससे वे अपने ऋणें का पुनर्भुगतान नहीं कर सकते। जब राज्य सरकार या केन्द्र सरकार ऋण लेती है तो उन्हें सोचना चाहिए कि वे किस प्रयोजन के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। यदि यह कल्याणकारी कार्यों के लिए होता है, तो यह आपका दायित्व है; यदि यह किसी दूसरे चीजों के लिए है तो इससे संपत्ति का सृजन होना चाहिए। उस संपत्ति से उन्हें ऋण का भुगतान करना चाहिए। इस तरह के विचार न केवल भारत सरकार के हों बल्कि राज्य सरकार के भी हों।

महोदय, माननीय मंत्री 6.37 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के बारे में प्रश्न कर रहे थे। बजट भाषण पढ़ते समय उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसा अपनी मर्जी से नहीं किया- उन्हे ऐसा करने में आनंद नहीं आता- और उन्होंने ऐसा केवल इस अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किया है। जब वैश्विक मंदी की ओर हमारा बैंकिंग उद्योग और अर्थव्यवस्था उतनी प्रभावित नहीं थी, वह इसमें गति देना चाहते थे। हमने राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत तक करने का जो राष्ट्र से वादा किया था, उन्होंने वह निभाया। पहले हम इसे 2.7 प्रतिशत

तक लाए और आगे चलकर इसे शून्य तक ले गए। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हम इसे वर्ष 2007-08 में 2.7 प्रतिशत तक लाए। निश्चित रूप से कुछ समय बाद हम पुन: इसे वापस लाएंगे। अत: जब तक हम इसे आम नहीं करते तब तक मंदी और बढ़ेगी। अत: इस संबंध में उनके कार्य को या उद्योग को 1,86000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने तथा अर्थ व्यवस्था को गति देने के बारे में किसी व्यक्ति को कभी गलत फहमी नहीं हो सकती।

माननीय मंत्री ने अवसंरचना के बारे में कहा है। बैंकरों को 60 प्रतिशत तक ऋण देने के लिए उन्होंने अवसंरचना वित्त कंपनी का सृजन किया है जिसके लिए उन्होंने एक लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराये हैं। यह निश्चित रूप से उस अवसंरचना को बड़े रूप में मदद करेगा जो आज कुछ हद तक शिथिल है।

जिस दिन मा. मंत्री ने अपना भाषण दिया, उस समय अवसंरचना से जुड़े लोगों में इसके प्रति पूरा विश्वास था। वे दुगुनी ऊर्जा के साथ आएंगे। वे और अधिक निवेश करेंगे जिसके बारे में वे निश्चित नहीं थे कि यदि वे ऐसा करते तो उन्हें अपने पूर्व का निवेश वापस मिलता या नहीं। आपके आश्वासन के कारण अब केवल एक लाख करोड़ रुपए ही नहीं बल्कि निजी निवेश भी बड़े पैमाने पर हो सकता है।

जहां तक निर्यात में वृद्धि की बात है, मेरे विपक्ष के मित्र ज्यादा इसके प्रति अधिक इच्छुक हैं। मैं कोई बड़ा स्पष्टीकरण या इसका बड़ा ब्यौरा नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मेरा दृढ़ विचार है कि व्यापार संतुलन वर्ग को बनाए है। हम हमेशा कम निर्यात नहीं कर सकते। अत: इस संबंध में हमें व्यापार संतुलन बनाए रखने के बारे में सोचना चाहिए। मैं नहीं मानता कि इससे केवल बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होना चाहिए। किंतु विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुए हमें अपने उत्पादन और निर्यात बढ़ाना चाहिए।

यह पर्याप्त है कि हम खाद्यान्नों का आयात नहीं करते। यदि भारत को बीस लाख टन खाद्यान्न का आयात करना हो, तो उसी दिन विश्व के राष्ट्र जान जाएंगे कि भारत- जो विश्व में खाद्यान्नों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, को खाद्यान्नों की आवश्यकता है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतें दोगुनी हो जाएंगी। तब हमें कतने का घाटा होगा? यदि हम यह साबित कर सके है। कि हमें एक किलोग्राम भी आयातित खाद्यान्न नहीं चाहिए तो कीमतों में जबर्दस्त गिरावट होगी। अत: मैं इसके बारे में आश्वस्त हूं।

निर्यातकों को पुन: प्रेरित करने तथा उनमें विश्वास भरने के लिए आपने उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन भी दिया है। मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं- आपने भी इसके बारे में कहा है- कि मध्यम अवा उपाय किए जाए, भुगतान का स्थायी संतुलन बनाया जाए और ब्याज दरों को मध्यम स्तर तक बनाए रखा जाए। मैंने कई बार इसका अध्ययन किया। आप मुझसे कही अधिक जानकार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्याज दरें पूरे देश के लोगों को मार रही हैं। मेरा विचार है कि यदि मेरे पास एक मिलियन रुपए हों तो मैं काम काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरा धन और अधिक धन कमाएगा। मेरे पास कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मानव मूल्य या 'मानव रेटिंग' या अर्जन करने की क्षमता या मानक प्रयास का महत्व कम हो रहा है। यदि धन को बहुत अर्जन व करना होता तो या पश्चिम की तरह ब्याज दर दो या तीन प्रतिशत हो, तब हर व्यक्ति कार्य करेगा; हर व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा। लोगों को अपने जमा धन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए पैसा पेसे को न कमाए, लोगों को पसीना बहाकर, कठिन परिश्रम और विवेक का उपयोग कर पैसा कमाना चाहिए। तभी हर व्यक्ति को दक्षता हासिल करने का प्रयास करेगा, तभी हर व्यक्ति पैतृक संपत्ति या अपने जमा धन पर अश्रित न होकर आत्म निर्भर होगा। अत: मैं माननीय मंत्री से एक बार पुन: अनुरोध करता हूं कि वे ब्याज दरों को कम करने के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर और बैंकरो सहित देश के वित्तीय विशेषज्ञों से चर्चा करें। मैं इस तर्क से सहमत हूं कि विश्व में हमारी बचत दर सर्वाधिक है जोकि 38 प्रतिशत है, लेकिन बचत निवेश के लिए मुख्य वस्तु नहीं होनी चाहिए। कम दरों के कारण लोग कहीं और नहीं जाएंगे। बैंक में रखने की जगह वे इसे शेयर में लगाएंगे, निवेश करेंगे और धन बाहर जाएगा। उनकी बचत बनी रहेगी। निवेश का रास्ता बदलेगा। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि ब्याज दरों को कम करने के लिए आप गंभीरता से विचार करें।

आपने बजट में किसानों को उर्वरकों पर सीधे राज-सहायता देने के बारे में जो कहा है, उससे मैं खुश हूं। देश में ऐसी धारणा है कि रुग्ण एकक जैसे सिन्द्री एकक में उर्वरक बनाने की सबसे पुरानी प्रौद्योगिकी है। मैंने आकड़ों को देखा है। मद्रास फर्टिलाइजर कंपनी में एक टन यूरिया के उत्पादन की लागत लगभग 500 रुपए है जबकि कुछ अन्य कारखानों में इसकी लागत 5000 हजार रुपए है। यहां बहुत अंतर है। वे राज-सहायता दे रही हैं। इसलिए कोई प्रयास नहीं करेगा। आपने कहा कि आप प्रतिस्पर्धा की शुरूआत करेंगे। वे भाड़ में जाएं। उनके संसार में नवीनतम तकनीक का पता लगाना चाहिए। उन्हें कड़ी मेहनत करने दे। उन्हें वेतन घटाने या जो वे चाहें, करने दें, लेकिल उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से सभी उर्वरकों का उत्पादन करने दें। यदि हम उत्पादकों को सब्सिडी देना जारी रखें, तो उसके लिए उत्पादन की लागत कम करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा...*(व्यवधान)* अत:, आपका किसानों को सब्सिडी हस्तांतरित करने का वादा श्रेष्ठ है।

[डॉ. के.एस. राव]

महोदय, आपने खाद्य सुरक्षा के बारे में कहा है। यह अदभुत है। यदि हम वास्तव में बुनियादी जरूरत का चावल या गेहूं 3 रु. प्रति किलो पर उपलब्ध कराते, यदि हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराते, तो हमें एक काम करना होगा। मेरे माननीय साथी ने पूर्व में कहा कि सरकार द्वारा एकित्रत आंकड़ों के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 28 प्रतिशत है। लेकिन यदि हम गांवों में जाएं, हमें अधिक संख्या में लोग मिलेंगे। महोदय, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दिए जाने वाले 25 किलोग्राम चावल या गेहूं के संबंध में, मैं आपसे पूरे देश में बीपीएल परिवारों का पुन: आकलन करने और तदनुसार इसका वितरण करने का निवेदन करता हूं।

इसी तरह, मैं चाहता हूं कि सरकार खाद्य तेल, दाल, चीनी, इमली, केरोसिन, रसोई गैस जैसी बुनियादी जरूरतों को निर्धन लोगों को विशेष रियायती मूल्य पर प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करें- यद्यपि यह आपका विषय नहीं है- ताकि वे सोच सकें कि धनी लोगों के अनुसार उन्हें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है।

अपराह्न 4.00 बजे

अन्यथा वे अपनी जीवन शैली बदलने के लिए सैंकड़ो वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बजाय एक या दो दशक में अपनी जीवन शैली बदल लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपकी पार्टी की ओर से 20 से भी अधिक सदस्य है जो बजट पर बोलना चाहते हैं। कृपया उनका भी ध्यान रखें।

डॉ. के.एस. राव : महोदय, वित्त मंत्री जी ने असंगठित क्षेत्र के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है। वह असंगठित क्षेत्र में और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के माध्यम से भी लोगों को पेंशन प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 60 या 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी योग्य लोगों और ऐसे लोगों को जो गांवों में, जहां उनके अपने बच्चे उनकी देखभाल करने की स्थिति में नहीं हैं, अनाथों की तरह रह रहें हैं, यह पेंशन दी जाए। अत:, मैं चाहता हूं कि उनका भी ध्यान रखा जाए।

तब, माननीय वित्त मंत्री नई पेंशन योजना लाए हैं। यद्यपि साम्यवादी पार्टियों के सदस्य बीच में आएंगे, मंत्री जी को इसे शीघ्र ही क्रियान्वित करना हैं, ताकि अंतराल पूरा हो जाएगा और कुछ समय बाद उन्हें वास्तव में लाभ होगा। यह शायद अभी पता न लगाया जा सके, क्योंकि बीमाकिक गणना की प्रत्येक को जानकारी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डा. के.एस. राव : महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मेरा निश्चित रूप से मानना है कि यह बजट, जिसे माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है, की चहुंओर प्रशंसा हुई है। हम केवल एक बात की कामना करते हैं कि यदि 5 वर्ष में देश में समाज के निर्धन वर्ग के लोगों की समग्र रूप में बुनियादी आवश्यकताएं पूरी की जाएं, तो यह एक क्रांति होगी। चीन कहीं भी नहीं टिकेगा। भारतीय सबसे अधिक बुद्धिमान लोग हैं। उन्होंने स्वयं को साबित किया है, जब वे देश छोड़कर बाहर गए थे। जब तक वे इस देश में थे, उनकी प्रतिभा को पहचान नहीं मिली। लेकिन जिस क्षण वे बाहर गए, वे नोबेल पुरस्कार विजेता बन गए। अत: हमें इस देश में भी गरीब लोगों की क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। सरकार द्वारा समर्थन, प्रेरणा और अवसर दिए जाने पर वह धन पैदा कर सकता है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे सामान्य बजट पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जहां तक बजट पर बोलने का सवाल है तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से बातें आई हैं और यह नहीं कि हम अपने दल की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो हम बजट का विरोध ही करेंगे, बल्कि कुछ सुझाव भी देना चाहेंगे। यह बजट आम आदमी का बजट तो लगता नहीं है। पहले बजट के प्रति लोगों में उत्सुकता रहती थी कि आज बजट पेश हो रहा है तो कौन-कौन सी वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, किस-किस वस्तु के दाम घटेंगे, यह एक जिज्ञासा रहती थी। लेकिन अचानक रात्रि में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो लोगों की उत्सुकता खत्म हो गई और बजट के प्रति जो लगाव था वह खत्म हो गया। देखा जाए तो यह बजट आम आदमी का बजट न होकर खास आदमियों का बजट लगता है। कुछ कारपोरेट घराने ऐसे हैं जिनको लाभ देने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें लाभ न दिया जाए। मेरा कहना है कि देश के अंदर बहुत से ऐसे कारपोरेट घराने हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में अपना योगदान देते हैं। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के लिए आपने 100 करोड़ रुपया दिया और कहा कि नागरिक सुरक्षा हम मजबूत करेंगे और सभी नागरिकों का पहचान पत्र बनाएंगे।

अपराह्न 4.04 बजे

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन* हुए]

आपने मतदाता पहचान-पत्र भी देश में बनाया था, लेकिन कितना सफल वह हो पाया है यह बात 20 साल से आप देख रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह बात बड़े जोरदार तरीके से कही गई थी कि 100 दिन के अंदर हम देश के अंदर क्रांतिकारी व्यवस्था ले देंगे, हम देश को तरक्की पर ले जाएंगे और सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार के सामने पांच चुनौतियों भरे विषय हैं जिनपर सरकार को ध्यान देना है।

सभापति महोदय, जहां तक खाद्य सुरक्षा और व्यवस्था के बारे में बात कही गई है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में 20 करोड़ लोगों को ढंग का खाना नहीं मिल पा रहा है और 50 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं। सरकार ने कुपोषण समाप्त करने के लिए व्यवस्था की है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर देखें, तो उसका सही स्वरूप हमें दिखाई पड़ेगा। देश में सलाना पांच लाख महिलाओं की मौत प्रसव के समय हो जाती है। अगर हम ग्रामीण स्तर पर देखें तो आज भी 80 प्रतिशत भारतीय स्वास्थ्य उपयोग का उपयुक्त ढांचा है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

दूसरा आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। बजट में व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो आंतरिक सुरक्षा में पूरे विश्व में आज विभिषिका है, उसमें भारत का छठवां स्थान है। 1970 से लेकर 2004 के बीच आतंकी घटनाओं की संख्या 4100 है। देश के 14 प्रदेशों और 602 जिलों में नक्सलवाद है, जिससे वहां का विकास भी रुका हुआ है।

शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो 15 से 19 वर्ष के बच्चे 71 प्रतिशत सैकेंडरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको सही स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद ही दिखाई देगा। रोजगार सुरक्षा की जहां तक बात है, संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन ने विश्व स्तर पर छाई मंदी 2009 की बात कही है, उसमें दुनिया में कम से कम 21 करोड़ नौकरियों का नुकसान होने वाला है, उसमें भारत अछूता नहीं रहेगा। आज भी आईटी, बीपीओ सैक्टर में छाई मंदी से निपटने और नए रोजगार सृजन करने की चुनौती सरकार के सामने है। ऐसा नहीं है कि आपने नरेगा में पैसा दे दिया तो रोजगार सबको मिल जाएगा।

जहां तक ऊर्जा और पर्यावरण की बात है, उसकी तरफ हम ध्यान दें, तो देश के अंदर केवल चालीस वर्ष के लिए पर्याप्त भंडार कोयले का हमारे पास है। उसी से हमें थरमल पावर प्लांट चलाने हैं, उद्योग-धंधे, इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रख कर आर्थिक मंदी से पार पाना है। तेल के भंडार के बारे में सोचा जाए, तो जो सर्वेक्षण आपके पास है, केवल 20 वर्ष के लिए आपके पास भंडार बचा हुआ है। यह बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। बहुत से सांसदों ने सदन में बात उठाई है, जब राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की बात होती है, आज 57 प्रतिशत भारतीय बिजली उपयोग से वंचित हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े गांवों में काम हो गया है, छोटे गांवों में काम नहीं हुआ है। यह सोचने का विषय है। वित्त मंत्री जी चले गए हैं, उन्होंने अपने बजट भाषण में महान अर्थशास्त्री कौटिल्य जी की बात का जिक्र किया है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि महान अर्थशास्त्री कौटिल्य ने कहा कि जनता पर आय का दस प्रतिशत से कम टैक्स नहीं थोपना चाहिए, अन्यथा वैमनस्यता और अपराध बढ़ेगा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आज जो वैमनस्यता और अपराध बढ़े हैं, उसका क्या कारण है? जितना हम टैक्स लगाएंगे, महंगाई उतनी बढ़ेगी। महंगाई के विषय में मेरे ख्याल से इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जहां तक किसानों की बात है, हम समाजवादी पार्टी की तरफ से आते हैं। किसानों के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आपने एक मुश्त ऋण माफी की बात कह कर कि 75 प्रतिशत जमा कर दीजिए, तो 25 प्रतिशत की छूट मिल जाएगी। पिछली बार आपने सीमांत लघु कृषकों के ऋण माफ करने की बात कही, इससे आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी। कृषक का उत्पादन में जो खर्च लगता है, उस हिसाब से उसे उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पाता है। जो आत्महत्याएं हो रही हैं, वे रुक जाएंगी। यह अभी रुकने वाला नहीं है। अभी मैं रायबरेली के बारे में लाया नहीं हूं वर्ना मैं रायबरेली का जिक्र कर देता कि यूपीए की चेयरपर्सन के निर्वाचन क्षेत्र जिले में एक किसान ने आत्महत्या की है। उसने ट्रैक्टर का लोन लिया था, भर नहीं पाया तो उसने सुसाइड किया। यह प्रमुखता से अखबार में आया है। वहीं पर अगर देखा जाए तो आज भारत के अंदर 70 से 75 प्रतिशत किसान कृषि पर निर्भर हैं। हमारी 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और भारत की कृषि व्यवस्था पर ही आर्थिक व्यवस्था डिपेंड है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बाद कई बार इस सदन में चर्चा हुई है। तमाम माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की है। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट कही गई है कि कम से कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाए और यही नहीं जो कृषि स्थायी समिति है, उसने दो बार सिफारिश की है कि 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाए लेकिन उसका भी अनुपालन नहीं हुआ। अभी बात हमारे सम्मानित सदस्यों ने कही है। आज पूरे देश के अंदर और खासकर उत्तर भारत इस समय सूखे की चपेट में है। आज जो रिपोर्ट आई है कि अभी तक पूरे देश में 38.14

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

लाख हेक्टेयर धान की रोपाई हो पाई है। जो पिछले वर्ष से कम से कम 13.66 लाख हेक्टेयर कम है। बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। बजट में बात कही गई है कि 3 रुपए प्रति दर के हिसाब से 25 कि.ग्रा. गेहूं और चावल देने की बात कही गई है। जहां तक तिलहन की बात अगर देखें तो आधी से भी कम तिलहन की बुवाई हो पाई है। मोटे अनाज की बात अगर की जाए तो पिछले वर्ष 56.54 लाख हेक्टेयर की तुलना में 26.6 लाख हेक्टेयर बोया गया जो 30 लाख हेक्टेयर कम है। आपने घंटी बजा दी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे आपको अनुमति देने में समस्या नहीं है लेकिन फिर आपकी पार्टी के अन्य सदस्यों को समय नहीं मिलेगा। कृपया इसे ध्यान में रखें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर, हम यहीं समाप्त करके बैठ जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज जो सर्वे आया, उत्तर प्रदेश जो पूरे भारत का हृदय प्रदेश है, वह सूखे की चपेट में है। 54 जिलों से सूखे की रिपोर्ट आ चुकी है। 13 जिलों में तो बारिश ही नहीं हुई है। जहां तक अभी खाद्य प्रसंस्करण की बात कही गई है, आज भी चाहे वह सब्जी हो, या फल हो या फूल हो, उसके उत्पादन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। जहां तक अनाज की पैदावार अगर देखी जाए तो प्रति वर्ष जिस हिसाब से मानसून है, उस हिसाब से 3 से 4 प्रतिशत आज अनाज की पैदावार घट रही है। हमारी जमीन भी सिकुड़ रही है। आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उस पर बजट में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है कि कैसे आबादी पर नियंत्रण किया जाए। दूसरी तरफ भुखमरी फैली हुई है और जल का संकट भी है। जहां तक किसानी के क्षेत्र में जो रिसर्च की बात कही जाती है, तमाम अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन जो अनुसंधान रिसर्च सेंटर हैं, चाहे एडीआरएफ हो या आईसीआर केन्द्र हो, वे जब अपना पैसा पर्याप्त रूप से मांगते हैं कि हम इस पर रिसर्च करेंगे तो उनको बजट में पैसा भी नहीं मिल पाता जिसके कारण वे कृषि का उत्पादन बढ़ाने में अक्षम हैं। आज देखा जाए तो पूरे देश के अंदर सिंचाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। आज आधी से ज्यादा असिंचित जमीन पड़ी हुई है जिन पर हम सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कोआपरेटिव सैक्टर की ओर देखें तो खासकर किसानों से यह डाइरेक्ट जुड़ा हुआ सवाल है। सहकारिता की ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। जहां तक फूड प्रोसैसिंग के लिए बात कही गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं है, बजट में भी बहुत कम प्रावधान किया गया है। यदि अपने देश में देखा जाए तो आज भी 50 हजार करोड़ रुपये चाहे वह फल हो, सब्जी हो, मांस या मछली हो, वे सड़ जाते हैं। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम उनको संरक्षित करके रख सकें।

ब्राजील या और छोटे देश 60 से 80 प्रतिशत संरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे देश में इस तरह की फूड प्रॉसेसिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मेरे ख्याल से भारत में केवल दो से तीन प्रतिशत संरक्षित रख पाते हैं, बाकी सब सड़ जाता है। आज देश में गरीबी बढ़ी है और रोजगार के अवसर घटे हैं। ऐसा नहीं है कि नरेगा योजना चल गई है तो सबको रोजगार मिल जाएगा। हमें इस तरफ सोचना होगा। खास तौर में उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड की स्थिति के बारे में सम्मानित सदस्यों ने जोरदार तरीके से शून्य काल में बात उठाई और सदन का बहिर्गमन भी किया है। यह सोचने की बात है कि कौन सी देश में जगह हैं, जहां सूखे की स्थिति है, वहां विशेष ध्यान देकर पैकेज देने की बात होनी चाहिए।

महोदय, बीपीएल के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि बीपीएल का सही स्वरूप क्या है? हम कैसे इसे परिभाषित कर सकते हैं? माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने भी यह बात कही है। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, वहां तमाम लोग घेर लेते हैं और कहते हैं - साहब हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमें यह नहीं मिल रहा है, हमें वह नहीं मिल रहा है। चाहे स्थानीय सरकार हो या राज्य की अन्य सरकार हो, उन्होंने सूची दी है कि बीपीएल को ही लाभ पहुंचाना है। लेकिन बीपीएल की स्थिति से भी बदतर स्थिति तमाम गांवों में है। आज बीपीएल को परिभाषित करने की जरूरत है। बीपीएल की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। यहां आंकड़ों के स्वरूप में तमाम बातें रखी गई हैं।

महोदय, मैं प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि सौ करोड़ की व्यवस्था की गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से क्या रखेंगे? उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर गांव योजना चलाई गई है। आज किसी भी गांव में चले जाइए जहां अम्बेडकर योजना चल रही है, ठीक है, वहां नाली, खडंजा, सड़क के थोड़े बहुत काम हुए हैं। लेकिन अम्बेडकर गांव योजना के अलावा तमाम ऐसे गांव हैं, जिनके बारे में परिभाषित किया गया है कि जहां 45-50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग होंगे, वहां विकास किया जाए। लेकिन जहां 35-45 प्रतिशत लोग हैं, वहां की क्या व्यवस्था होगी? इसे परिभाषित करना पड़ेगा। देश में कृषि नवीनीकरण ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत 115 जिले चयनित किए गए हैं। लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है कि बजट में क्या व्यवस्था की है और सरकार क्या करने जा रही

है? राजीव गांधी शहरी आवास योजना की बात कही गई है। शहरों में स्लम बस्तियों की हालत आज भी बहुत बदतर है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से इलाहाबाद के लिए जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना की बात कही गई है लेकिन अभी तक काम नहीं शुरू हो पाया है। जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना जिस शख्सियत के नाम से है, यह उन्हीं का नगर है। मैंने कहीं-कहीं देखा है कि कांशीराम शहरी नवीनीकरण योजना भी है, हो सकता है कि पैसा वही हो और नाम बदल दिया गया हो। इस तरह की व्यवस्था को भी देखने की जरूरत है। जिन गरीब लोगों के सिर पर छत नहीं है, मैं चाहता हूं कि उनके लिए छत की व्यवस्था की जाए। आपने इनके लिए 5000 रुपये बढ़ा देते हैं। और 25,000 से 30,000 रुपए देते हैं। एक गरीब अपने घर में एक बरामदा और कमरा बनाता है जो अब 25,000 रुपए में बनने वाला नहीं है। आपको आज के समय में कम से कम 50,000 रुपए की व्यवस्था करनी होगी तब जाकर एक कमरा और बरामदा बन सकता है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने अल्पसंख्यक कल्याण योजना की बात कही है। अभी माननीय मंत्री जी बैठे थे लेकिन अब चले गए हैं। आज भी अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की स्थिति बहुत बदतर खराब है। इनके सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक आधार को मजबूत करने की बात है। यह ठीक है कि आरक्षण की बात कही गई है लेकिन ऐसी बहुत सी रिक्तियां हैं जो भरी नहीं जा रही हैं, उनकी उपेक्षा करके जनरल कैटेगिरी से भरी जा रही हैं। आज भी उनकी माली हालत बहुत खराब है। अत: इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी आवास योजना के नाम पर पीडी साहब, प्रतापगढ़ ने 2008 में ही 17 ब्लॉकों में धन उगाही का काम किया लेकिन आज तक किसी को कहीं भी आवास नहीं मिला। जब वहां के सीडीओ और डीएम ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही तब पता चला कि सीडीओ और डीएम का ट्रांसफर हो गया। इस तरह से बहुत बड़ा घोटाला देश में हो रहा है और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि किस तरह से भ्रष्टाचार मिटाया जाए। भ्रष्टाचार नीचे से नहीं है ऊपर से है। आज भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जब ऊपर से हथौड़ा चलेगा तब जाकर नीचे सुधार आ पाएगा और सही लाभार्थियों को फायदा मिल पाएगा।

इन्हीं बातों के साथ चूंकि समय की कमी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सभी सांसदों के क्षेत्र में टाउन एरियाज हैं, जिनमें कस्बे के रूप में लगभग 30-40 या 45 हजार की आबादी है। वहां बी.आर.जी.एस. योजना के अंतर्गत एक टाउन एरिया को आप पांच करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन बाकी तमाम टाउन एरियाज की उपेक्षा हो रही है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम जो बजट बनाकर निचले स्तर पर भेज रहे हैं, वह सब जगह जाए, सबको वितरित हो। इसके बाद बी.पी.एल. की गरीबी हटाने की बात कही जाती है। मैं समझता हूं कि उन्हें तभी फायदा होगा, जब उनके खाते से डायरेक्ट पैसे जाएं। 'नरेगा' में आपने चैक की व्यवस्था की है। जब तक आदमी एक हफ्ते में बैंक से चैक कैश करायेगा, तब तक उसका परिवार भुखमरी का शिकार हो जायेगा। इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कम से कम जो गरीब लाभार्थी है, उन सबको इसका डायरेक्ट फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, आज सम्मानित सांसदों की उपेक्षा हो रही है। मंत्री जी खड़े होकर जवाब दे देते हैं कि निगरानी सतर्कता समिति बनी है, उसमें आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन आज सांसदों की स्थिति यह है कि कहीं भी, किसी भी जगह, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो या शासन से संबंधित अधिकारी हो, उस पर किसी सांसद का कोई अंकुश नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि जो बजट में प्रावधान हुआ है, वह सही लोगों तक जाए और उसकी निगरानी में तमाम जवाबदेही सांसद, विधायक, बी.डी.सी. के प्रधान, ब्लाक प्रमुख और सदस्य, जिला पंचायत आदि की बनती है। आप इनकी जवाबदेही सुनिश्चित कीजिए, इन्हें अधिकार दीजिए। तभी आपकी परियोजनाएं सार्थक हो पायेंगी और लोगों को फायदा मिलेगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट (सामान्य) की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शायद पहली बार देश में ऐसा बजट पेश हुआ है, जिस पर लोगों में कोई जिज्ञासा, कोई चाह और कोई खुशी नहीं है और मैं कह सकता हूं कि यूपीए सरकार जब आम जनता के बीच में गई थी तो लुभावने नारों के साथ गई थी। लेकिन सत्ता में लौटने के बाद जनता के लिए जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया, उससे आम जनता को बड़ी निराशा हुई है। इसमें सच्चाई कम है और आंकड़ों की बाजीगरी ज्यादा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह बजट निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक है। क्योंकि इस बजट में किसानों, व्यापारी, बुनकर, बेरोजगार नौजवान आदि सब लोगों की अनदेखी की गई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह बजट दिशाहीन और जनविरोधी है। इस बजट में सामाजिक क्षेत्रों की अनदेखी की गई है तथा गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के विकास के लिए कोई प्रभावशाली ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

[श्री दारा सिंह चौहान]

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। इस बजट में हथकरघा बुनकरों के लिए स्थापित किए जाने वाले क्लस्टर को स्थापित करने की बात तो कही गई है, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं है। हमारे प्रदेश को इससे वंचित रखा गया है। वहां पर अल्पसंख्यक और एस.सी., एस.टी. के बुनकर काफी तादाद में हैं। इस बजट में हैंडलूम सैक्टर की उपेक्षा की गई है तथा हाथ से इस्तेमाल करने वाला जो कॉटन यार्न होता है, उस पर आठ प्रतिशत टैक्स लगाकर गरीबों को तबाह करने की साजिश की गई है और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने और फायदा पहुंचाने का काम किया गया है।

मैं समझता हूं कि बजट में तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन पर टैक्स हॉलिडे की सुविधा की लाभ चुनिंदा उत्पादकों को पहुंचाने की गरज से किया गया है। प्रणब दा एक जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। बजट पेश करने से पहले आम जनता को भरोसा था कि यह बजट गरीब किसानों और नौजवानों या ऐसे पिछड़े समाज के हित में होगा लेकिन बजट देखने के बाद पूरे देश को यह संदेश गया कि यह बजट आम जनता के लिए नहीं बल्कि देश में पूंजीपतियों के हित के लिए लाया गया है। कांग्रेस ने नारा दिया था कि कांग्रेस का हाथ, गरीबों के साथ। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का यह हाथ पूंजीपतियों के लिए है। इसलिए मैं इस बजट को देश को गुमराह करने वाला बजट कह सकता हूं।

सभापति जी, पिछली यू.पी.ए. सरकार ने 7 जून, 2008 को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये। जब चुनावी वर्ष 2009 आने वाला था तो जनवरी, 2009 में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम फिर घटा दिये। केवल सैंसैक्स के आंकड़े देखकर इस देश की गरीबी और अमीरी को नापना गैर-सैद्धांतिक बात है। देश की भोली-भाली जनता को गुमराह करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए। जनता बहकावे में आ गई। जब यू.पी.ए. सत्ता में आई तो पूंजीपतियों के चंगुल में फंसी सरकार ने संसद का सत्र शुरू होने से ठीक 11 घंटे पहले उसने पेट्रोल और डीजल के दाम संसद को विश्वास में लिये बिना ही बढ़ाकर देश के गरीबों पर महंगाई का चाबुक चलाने का काम किया। मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहिन मायावती को बधाई दूंगा कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों से महंगाई से त्रस्त आम आदमी को महंगाई की मार से बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स न लगाकर प्रदेश की जनता को राहत देने का साहसिक कदम उठाया। मैं उसका स्वागत करता हूं।

सभापति जी, मैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में कहना चाहूंगा कि देश के 44 हजार गांवों की इस बजट में चर्चा की गई है। जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा एस.सी.एस.टी. के लोग रहते हैं, उनके बेहतर विकास के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है। उसमें महज 100 ग्रामों के विकास की बात कही गई है। इसके लिए केवल 100 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। मैं उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगा कि जहां एस.सी.एस.टी. बाहुल्य गांवों का सम्पूर्ण विकास करने के लिए काफी पैसा खर्च किया गया है। मैं जानता हूं कि हमारे मित्र उसकी चर्चा कर रहे थे। ऐसा नहीं कि केवल अम्बेडकर गांवों - जहां एस.सी.एस.टी. के लोग रहते हैं, उन का विकास किया जाना है बल्कि जहां सामान्य जाति या ओ.बी.सी. के लोग रहते हैं, उन गांवों का समग्र विकास किया जाना है। उनके विकास के लिए कहीं-कहीं 80 लाख रुपया और कहीं कहीं तो दो-ढाई करोड़ खर्च किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्र के 10 लाख रुपए से गांव का कौन सा विकास हो पायेगा?

सभापति जी, वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की बात की है लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समाज में जहां एस.सी.एस.टी. या ओ.बी.सी. या सामान्य वर्ग के गरीब लोग रहते हैं, उनके विकास के लिए कोई कार्यक्रम बनाने का आश्वासन इस बजट में नहीं दिया गया है।

काफी दिनों से संसद में यह मांग होती रही है कि एस.सी, एस.टी. और ओबीसी कोटे को पूरा किया जाए, लेकिन इसके लिए बजट में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। इस देश में 60-65 फीसदी से ज्यादा किसान हैं और उनकी बेहतरी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। किसानों को सस्ती दर पर बिजली, खाद उपलब्ध कराने के लिए, सस्ते दर पर किसानों को यंत्र उपलब्ध कराने के लिए, किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देश में जो गरीब लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है और वे आज असहाय की जिंदगी जी रहे है, ऐसे लोगों का जीवन बचाने के लिए भी इस देश की सरकार ने अपने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हर साल देश के एक बहुत बड़े भू-भाग में बाढ़ की तबाही से बहुत नुकसान होता है। इस बजट में उस बाढ़ की तबाही से देश को बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यूपीए सरकार नरेगा पर अपनी पीठ खूब थपथपा रही है और इस पर इन्होंने काफी चर्चा की है। सरकार कहती है कि हमने नरेगा में 144 परसेंट बजट बढ़ा दिया है। मैं कहता हूं कि यह बाजीगरी का आंकड़ा हैं और इसमें जल संसाधन से लेकर फॉरेस्ट और ग्रामीण सड़क का सारा बजट इंक्लूड कर दिया गया है। सब यह कहकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा काम किया है। इन्होंने इसमें लिखा

है कि नरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को 100 रुपए मजदूरी देने के लिए केन्द्र सरकार वचनबद्ध है। ऐसा करके ये सोच रहे हैं कि इन्होंने मजदूरों को बहुत बड़ी चीज दे दी है। जब से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है तब से ही, दो साल पहले ही बहन कुमारी मायावती जी ने यह घोषणा की थी कि प्रदेश में गरीब मजदूरों को 100 रुपए मजदूरी दी जाएगी और यह दी भी जा रही है।

महोदय, केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर संतरी तक सारे लोग नरेगा पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था दी है कि इस देश में एक परिवार को साल भर में 6 से लेकर 8 सिलेंडर दिये जाएंगे। यह आश्वासन निश्चित रूप से अव्यवहारिक है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क बढ़ाकर हमारे वित्त मंत्री जी और यूपीए की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं, हम गरीब इलाके से आते हैं कि ब्रांडेड ऑर्नामेंट्स पर छूट दी गई है। हम यह जानते हैं कि मेट्रोपोलिटन सिटी में जो गरीब लोग रहते हैं, जो गांव, देहात में झोंपड़ियों में रहते हैं, वे बड़े-बड़े मॉल में नहीं जा सकते हैं। उन्होंने तो मॉल देखा भी नहीं है कि वह कैसा होता है, उन लोगों ने तो मॉल का नाम तक नहीं सुना है। यहां पर बैठे बहुत से माननीय सदस्यों ने भी मॉल नहीं देखा होगा, जहां ब्रांडेड ऑर्नामेंट्स होते हैं। बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की गरज से सोने, चांदी पर शुल्क बढ़ाया गया है। गरीब आदमी तो छोटी सुनार की दुकान पर जाता है और मात्र 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार या 10 हजार के गहने खरीदता है। आपने इससे गरीब को निराश किया है और उनके साथ धोखाधड़ी की है।

महोदय, बीपीएल की सूची वर्ष 2002 में तैयार की गई थी। मैं समझता हूं कि इस हाउस में बैठे सभी सांसद इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए। जहां भी हम लोग जाते हैं वहां लोग कहते हैं कि हमारे पास लाल कार्ड नहीं है या बीपीएल की सूची में हमारा नाम नहीं है। इस बात पर पूरा हाउस एकमत है कि बीपीएल सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए और बीपीएल सूची में आने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। इस बात का जिक्र इस बजट में नहीं हुआ है।

महोदय, नौजवानों के लिए भी बहुत कुछ करने का इस बजट में आश्वासन दिया है। देश में नौजवानों को नौकरी देने के लिए आपने कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है। इस ओर मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महिला आरक्षण की बात कई बार आई। इस बजट में बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई सार्थक और साहसिक कदम नहीं उठाया गया। इस देश की संसद में कई बार कन्या भ्रूण हत्या रोकने की बात कही गई, लेकिन कभी भी संसद में इसके लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने गरीब बालिकाओं की शिक्षा के लिए, चाहे वे समाज के किसी भी तबके की हों, अपने शासनकाल में प्रोत्साहन स्वरूप 25000 रुपए और एक साइकिल देने का काम किया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए किया गया कि जिस घर में बच्ची पैदा होगी, उसी दिन उसके नाम से 20 हजार रुपए जमा कर दिए जाएंगे और जब 18 साल की वह बच्ची होगी तो एक लाख रुपए उसे दिए जाएंगे। इस योजना से कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सकता था, लेकिन इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अलावा मैं शहरों में श्रमिकों की बात करना चाहता हूं। जब से देश आजाद हुआ, तब से पहली बार शहरों में गरीबों के आवास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसी योजना के नाम पर, इंदिरा आवास या जिस नाम पर 20000 रुपए मिलता था, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे दो कमरे और लैट्रीन बाथ सहित उसको आवास बनाने की योजना दी। अब तक उनके साथ मजाक होता रहा। शहरों में गरीबों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने शहरों में गरीबों के रहने के लिए कांशीराम साहब के नाम से, जिन्होंने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए इस देश में एक संदेश दिया, उनके नाम पर गरीबों को आवास देने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट पेश किया गया है, निश्चित रूप से यह निराशाजनक है, इसके बावजूद भी मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : महोदय, हमारी पार्टी के सदस्य का नाम चौथे नमबर पर है। मैं समझता हूं अब हमारी पार्टी की बारी होनी चाहिए।

सभापति महोदय : अगली बारी आपकी पार्टी के सदस्यों की होगी।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। लोक सभा में आम चुनाव के बाद जब केन्द्र में यूपीए की सरकार बनी और बहुत लंबी चर्चा के बाद जब प्रणब दा वित्त मंत्रालय में आए तो पूरे देश के लोगों में यह आम चर्चा थी कि प्रणब दा का जो लंबा अनुभव रहा है वित्त मंत्रालय और सरकार में कामकाज करने

[श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह]

का, उसका लाभ इस देश को मिलेगा और इस बार का जो बजट है, वह आम लोगों को राहत पहुंचाने वाला होगा। लेकिन जब बजट पेश हुआ, और बजट पेश होने के बाद आज की तारीख में भले सरकार को यह अहसास नहीं है, लेकिन हर चौक-चौराहे पर, सड़क पर, गली में और गांव में इस बात की चर्चा है कि इस बजट ने पूरे देश का भट्ठा बैठाने का काम किया है। सरकार ने जो बजट पेश किया है, 10,20,838 करोड़ रुपए का, उसमें 6,14,497 करोड़ रुपया इन्होंने दिखाया है कि राजस्व से आएगा और 4,06,341 करोड़ रुपए इन्होंने ऋण से दिखाया है कि मार्केट बॉरोइंग से आएगा। पिछली बार का 2008-09 का बजट अगर हम देखें और उस बजट में इनका जो वास्तविक आकलन था, बजट अनुमान था, वह था 1,40,724 करोड़ रुपए ऋण का, और जब वास्तव में वह आया तो 3,08,796 करोड़ रुपए आया।

अगर यही रफ्तार इनकी मार्किट बोरोइंग की है, तो साल के बजट में इन्होंने 406341 करोड़ रुपयों के ऋण की बात कही है, यह बढ़ कर 12 लाख करोड़ पर जाएगा। आप देश को कहां ले जा रहे हैं? आपने बहुत ढिंढोरा पीटा है कि कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत क्रांति लाए हैं, इन्होंने क्या किया है? इनका जो प्लान आउट-ले है, उसमें कृषि के क्षेत्र में मात्र 10629 करोड़ रुपया दिया है। 1020838 करोड़ रुपए के बजट में सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपया कृषि क्षेत्र में दिया है। एक प्रतिशत कृषि सैक्टर में दे कर इन्होंने क्रांति लाने की बात कही है। हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमारे 75-80 परसेंट लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। बेरोजगारी को यदि दूर करना चाहते हैं, तो आपको कृषि पर केन्द्रित करना होगा।

महोदय, यूपीए की सरकार ने पांच वर्षों के बजट औद्योगिक उत्पादन को केन्द्रित करके बनाए हैं। उसी का परिणाम है कि आज देश कहां पहुंच चुका है और आप आगे देश को कहां ले जाना चाहते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने गैस के बारे में अपने बजट में जरूर कहा है। गैस एक ऐसा महत्वपूर्ण कम्पोनेंट है जिसकी आवश्यकता हमारे औद्योगिक उत्पादन, बिजली उत्पादन और खाद के उत्पादन के लिए होती है। इन्टरनेशनल स्टैन्डर्ड पर कम्पीट करने के लिए गैस उत्पादन सबसे चीपेस्ट माध्यम है। गैस के उत्पादन पर मंत्री जी एक पॉलिसी बजट भाषण में लेकर आए हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम वित्त मंत्री जी से यह उम्मीद करते हैं कि वह उसे शीघ्र लागू करेंगे और कार्यान्वित करेंगे। ईस्टर्न क्षेत्र, जो कि गैस की पहुंच से अछूता है, वहां भी गैस पहुंचाने का काम करेंगे।

महोदय, अब मैं अपनी पूरी बात अपने प्रदेश की ओर केन्द्रित करना चाहूंगा। आप यह कह रहे हैं कि हम अगले 15 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करेंगे। हमारा बिहार प्रदेश दस करोड़ की आबादी वाला है। दस करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को निगलैक्ट करके आप किस प्रकार से विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, यह हमारी समझ से बाहर है।

महोदय, मैं चाहूंगा कि आप वर्ष 2004 और वर्ष 2005 का बजट भाषण देखिए। उस समय चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे। उस समय उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। वर्ष 2004 में जब चिदम्बरम साहब ने पहला बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने इसी सदन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने वर्ष 2005 में रीपीट भी किया था। लेकिन आज हमारा स्पेशल पैकेज कहां चला गया है? आपने कितने रुपए का स्पेशल पैकेज हमें दिया है? हमारा प्रदेश कृषि पर आधारित है। वह बाढ़ और सूखाड़ से प्रभावित है, लेकिन आप हमें एक रुपया भी अनुदान नहीं दे रहे हैं। हमारे आंतरिक संसाधन सीमित हैं। हम किस पर निर्भर करें। बंगाल में आइला आया, आपने उसके लिए एक हजार करोड़ रुपया दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप पांच सौ करोड़ रुपए दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने मुम्बई को दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोसी में बाढ़ आई, जिसके कारण लाखों लोग बेघर हो गए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां गए, उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय आपदा है, हम इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं। वह राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कहां चली गई? आपने एक रुपया भी नहीं दिया। वहां के खेतों में बालू और मिट्टी भर गई। राज्य सरकार ने लोगों के पुनर्वास और रहने की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव दिया। लेकिन आप उस पर सोए हुए हैं। एक रुपए की भी घोषणा आपने बजट भाषण में नहीं की है। आप किस प्रकार का बजट लाना चाहते हैं?

महोदय, सरकार माइनोरिटी की बात करती है। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोलने की बात अपने बजट भाषण में कही है। राज्य सरकार ने कहा कि किशनगंज में आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोलिए, हम उसके लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं। आप क्यों नहीं आगे आए, क्यों नहीं आपने उसे वहां खोलने का काम किया? आपने कहा कि हैंडलूम और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करेंगे। हमारा भागलपुर सिल्क के मामले में एक समय में पूरे विश्व में विख्यात था। आज भागलपुर का सिल्क उद्योग मृतप्राय है। वहां छोटे बुनकर और हैंडलूम क्लस्टर हैं, आपने भागलपुर में खोलने की बात क्यों नहीं की? वह पिछड़ा प्रदेश है, आप उसे क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं? आप वहां के लिए स्पेशल पैकेज नहीं दे रहे, आप कोई काम करना नहीं चाहते हैं। आपकी नीयत में खोट है। पांच

वर्षों की बात हम समझ सकते हैं, आपने इतने लम्बे वर्षों में क्या किया, हम समझ सकते हैं। प्रजातंत्र में किसी को ताकत मिलती है, प्रजा अगर किसी को ताकत देती है तो उस ताकत का इस्तेमाल लोग राज्य हित में करते हैं। यहां पिछले पांच वर्षों में उस ताकत का इस्तेमाल राज्य को बर्बाद करने में किया गया। राज्य की विकास योजनाओं को रोकने में किया गया।

सभापति महोदय, बिहार की जनता ने इन्हें सजा दे दी है। प्रजातंत्र में जनता मालिक है। लोग जितना भी समझें, लेकिन प्रजातंत्र में प्रजा मालिक है। वह सब देखती रहती है, उन्होंने इन्हें सजा दे दी। अब आपको क्या हुआ, आप उस दबाव में क्यों नहीं मुक्त हो रहे हैं? आप बिहार के साथ न्याय क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप बिहार का हक उन्हें क्यों नहीं देना चाहते हैं? हमारा उद्योग इथनोल, सामान्य बजट से उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा के लिए हम यहां कहना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी ने कहा, उन्होंने हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि आज जो पेट्रोलियम की स्थिति पूरे विश्व में है, उसके लिए इथनोल के उत्पादन को बढ़ावा दीजिए। जिस दिन प्रधानमंत्री जी का पत्र राज्य में पहुंचता है, उसके दूसरे दिन कृषि मंत्रालय और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन पहुंचता है कि जब तक चीनी का उत्पादन नहीं होगा, तब तक इथनोल का उत्पादन नहीं हो सकता है। अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है, वह चीनी या इथनोल का उद्योग लगाए उसे आप क्यों रोकना चाहते हैं? यह साबित करता है कि आप बिहार और उस प्रदेश के विकास को बाधित करना चाहते हैं। आप विकास को बाधिक कर रहे हैं, आप यह काम दबाव में कर रहे थे, इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में आप पर कोई दबाव नहीं है। आज की तारीख में अगर आपको जनता के बीच में बिहार में जाना है तो बिहार का जो हक, हिस्सा एवं हुकूक है, उसे आपको बिहार को देना होगा और अगर बिहार को ये सब नहीं देंगे तो बिहार के लोग उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप जब बजट में उत्तर देंगे, आपने जो बिहार की उपेक्षा की है, उस उपेक्षा का आप उत्तर यहां अपने वक्तव्य में देंगे।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हम दो बिन्दुओं पर सिर्फ एक-एक मिनट चर्चा करना चाहते हैं। यहां नरेगा की बात हुई। नरेगा पूरे देश में चला, कुछ लोग घूम-घूम कर अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि नरेगा में हमने तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने नरेगा में क्या तूफान खड़ा कर दिया, मैं चुनौती देता हूं कि किसी भी इनडिपेंडेंट एजेंसी को अगर इसकी समीक्षा करने के लिए, पूरे दूश में इसका सर्वे करने के लिए भेज दीजिए, उससे फ्लॉप स्कीम आज तक कोई साबित नहीं हुई, उससे ज्यादा लूट का कोई जरिया साबित नहीं हुआ। लूट का जरिया खोल कर लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये अपने आपको बढ़ा तीसमारखां साबित करना चाहते हैं। उन्हें छूट है, वे करें, लेकिन धरातल में स्थिति यही है।

सभापति महोदय, बीपीएल की चर्चा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक फैसला हुआ था, कि डोर टू डोर सर्वे करके सर्वेक्षण किया जाएगा। अंक निर्धारित किए गए और उस अंक के आधार पर घर-घर जाकर सर्वेक्षण हुआ। हमारे प्रदेश में एक करोड़ पैंतीस लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। भारत सरकार कहती है कि मेरा संपूर्ण सर्वे कहता है कि 65 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। बाकी जो 35 और 85 लाख परिवार का गेप है, वह कहां से पूरा होगा। इस तरह से आंकड़ों के बल पर केन्द्र की सरकार साबित करना चाहती है कि गरीबी मिट गई। यह साबित करना चाहते हैं, यह इस बात का प्रमाण है। अगर गरीबी मिटाने का आपका यही मापदण्ड है तो अगले 10 वर्षों में क्या, अगले 100 वर्षों में भी देश से गरीबी नहीं मिटा सकते हैं।

यही कहकर हम अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

डॉ. काकोली घोष दास्तिदार (बारासात) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी अपने लोगों तथा स्वयं की ओर से अपने विचार व्यक्त करने तथा सम्मानीय सभा के माननीय सदस्यों का ध्यानाकर्षण की अनुमति देने हेतु आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत आम बजट वर्ष 2009-10 का समर्थन करती हूं।

माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री के घरेलू मांग पर आधारित वृद्धि को सुगम बनाने के प्रयास, नए रोजगार के अवसर के सृजन के प्रयत्न और गांव तथा शहर के गरीब तक पहुंच बनाने के लिए बधाई देती हूं। मेरे विचार में ऐसा करने के लिए रेलवे को अधिक निधि के आबंटन की आवश्यकता है।

जहां तक खाद्य सुरक्षा की बात है, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह 25 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। निःसंदेह इससे भुखमरी पर रोक लगेगी परंतु क्या इससे स्वास्थ्य की देखभाल होगी, क्या इससे 'क्वाशिओकोर माराखमस' नामक रोग नियंत्रित होगा संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी शिखर वार्ता में संयुक्त राष्ट्र आम सभा में भारत सहित 189 सदस्य देशों ने गरीबी को कम करने, स्वास्थ्य सुधाराने, शांति तथा मानवाधिकारों

[डा. काकोली घोष दॉस्तिदार]

एवं पर्यावरणीय स्थापित्व को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की इस प्रकार सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में शामिल सहस्त्राब्दी घोषण पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और गरीबी, भूख, खराब स्वास्थ्य, लिंग असमानता को कम करने और 2015 तक सबके लिए शिक्षा, के प्रचार प्रसार में सुधार, स्वच्छ जल एवं स्वच्छ वातावरण के लिए आठ लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इनके लिए एक समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया गया।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश ने विकास के कार्य मानकों के अनुसार प्रगति की है किंतु कुपोषण से संबंधित निरंतर भूख और लंबे समय से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। प्रत्येक दो बच्चे में से एक बच्चा और तीन वयस्क महिलाओं में से एक कुपोषण के शिकार हैं। पूरी जनसंख्या में चार बच्चों में से तीन बच्चे और दो महिलाओं में से एक महिला रक्ताल्पता की शिकार है, गर्भवती महिलाओं में यह संख्या और ज्यादा है। बच्चों की मृत्यु में 50 प्रतिशत योगदान कुपोषण का है। एक खराब स्वास्थ्य वाली महिला से पैदा हुए बच्चे में बीमारी और मृत्यु की संभावना ज्यादा होती है और यही स्थिति मां के साथ भी है। मातृत्व मृत्यु और बाल और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुझावानुसार तीन रुपए किलोग्राम की दर पर एक महीने में 25 किलोग्राम अनाज की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। अन्य पौष्टिक पदार्थ जैसे विटामिन, खनिज और प्रोटीन एवं फैट की नियमित मात्रा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा। तथा इस संबंध में जागरूकता फैलानी होगी। इस प्रकार मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पौष्टिक अनाज एवं ऐसे तत्वों की आपूर्ति पर विचार करें।

मैं अर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस गरिमामय सदन में आपको यह जानकारी होगी कि अर्सेनिक जहर पश्चिम बंगाल में जहां से मैं आयी हूं, विशेष रूप से मेरे उत्तर 24 परगना जिले में एक महामारी की तरह है जिससे कैंसर और जिगर (लीवर) से जुड़ी बीमारियां होती हैं। हजारों लोग मर रहे हैं। अर्सेनिक मुक्त जल की परियोजनाओं को तुरंत शुरू किया जाए और इस प्रयोजन के लिए निधि स्वीकृत की जाए।

मैं दक्षता विकास के प्रयास तथा शिक्षा ऋण को धारा 80 ई के अंतर्गत छूट के बाद व्यवसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा के समकक्ष रखने के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देती हूं।

नरेगा, एसजीएसवाई, एसजीएच, राष्ट्रीय महिला कोष का लाभ अधिकतम लोगों को दिलाने के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं। लेकिन कई राज्यों में पश्चिम बंगाल की भांति रोजगार गारंटी योजना ने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, उन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र और राज्य में योजना के परिणाम में कोई सुधार नहीं है, क्योंकि वास्तव में इसमें गरीब और और सबसे गरीब लोगों को शामिल नहीं किया गया है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की सूची बनाने का कार्य ठीक ढंग से तत्काल किया जाए और इसे सार्वजनिक किया जाए जिससे कि वे लोग इसके लिए तैयार की गई परियोनाओं का लाभ उठा सके।

मैं लघु और सीमांत करदाताओं की और से माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। तथापि, मैं यहां विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि वे छोटे एवं सीमांत करदाताओं के व्यक्तिगत आयकर की सीमा को 2.5 रुपए प्रतिवर्ष करने की संभावना तलाशे और छोटे बजट पर ब्याज दरों को बढ़ाएं ताकि ज्यादा गरीब और मध्यम आय वर्ग इसका लाभ ले सके।

माननीय वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान दिया है। यह निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है। तथापि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। यदि एक राष्ट्र को बुद्धिमतापूर्ण और प्रभावी ढंग से प्रगति करनी है तो उसे स्वास्थ्य होना चाहिए क्यों कि अस्वस्थ राष्ट्र की उत्पादकता निश्चित रूप से कम होती है। यह जानकर उत्साह वर्धन होता है कि नौ विशेष जीवन रक्षक दवाएं और उपकरण की उन्होंने स्वीकृति दी है, यद्यपि इसका विशेष ब्यौरा नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें थ्रोम्बोलिटिक एजेन्ट जैसे स्ट्रेपो किनासे या अल्टेप्लासे, गोनाडोट्रोपाइन्स और पेसमेकर्स, जिस पर मुख्य रूप से पांच प्रतिशत कर, चार प्रतिशत अधिभार, तीन प्रतिशत उपकर और चार प्रतिशत मूल्यवार्धित कर लगता है, को शामिल किया गया है या नहीं।

[हिन्दी]

माननीय वित्त मंत्री ने एक यात्रा का अनुसरण किया है- "मृत्यु मां अमृतो गमयो", *[अनुवाद]* वह जीवन को बचाने का प्रयास है। क्या मैं इस अवसर पर प्रकाश की ओर यात्रा करने का अनुरोध कर सकता हूं- *[हिन्दी]* तमसो मां ज्योर्तिगमयो"। *[अनुवाद]* महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध कर सकता हूं कि वे संतान हीन महिलाओं की आंखों में झाके उनकी आंखों में अंधेरे तथा निराशा को देखें। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सठीक और पूर्ण वर्णन रूप से इसे एक बीमारी घोषित किया है तब भी हमारे देश की महिलाओं को उनकी इस बीमारी के लिए बहिस्कृत प्रताड़ित किया जा रहा है और तलाक दिया जा रहा है। क्या उन्हें न्याय मिलेगा। क्या उन्हें जन्म

देने के मानव अधिकार से वंचित किया जाएगा? उन्हे चिकित्सा बीमा सुविधाओं से क्यों वंचित किया जाता है? *[हिन्दी]* बांझपन बीमारी है, लंकिन इन्हे डायन क्यों कहा जाता है? *[अनुवाद]* अधिकतर सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा नहीं हैं, प्रत्येक वर्ष बीस से तीस लाख महिलाएं इससे प्रभावित होती है। जीवन सृजन के उपकरणों के लिए विश्व स्तर का परिणाम देने वाली सुविधाओं पर भारी कर देना पड़ता है। हमने जीवन रक्षक उपकरणों के बारे में बजट में कहा है, मैं आपका ध्यान जीवन सृजन करने वाले उपकरणों की भ्रूण दिखाता हूं।

यहां मैं आपका ध्यान जीवन सृजन के उपकरण जैसे 'कल्चर मीडिया' की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें शुरूवाती मानव भ्रूण जीवित रहते है, पर 28 प्रतिशत कर किया जाता है, इसे मिट्टी के तेल आदि जैसे साधारण रसायन के रूप में किया जाता है। 'कार्बनडाईआक्साड इनक्यूबेटर' जो ऐसे बच्चे के लिए गर्भ की भांति होता है, पर 28.6 प्रतिशत कर लिया जाता है- इसे 'पोल्ट्री ओवेन' के रूप में लिया जाता है। पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं होता। अन्य 'टीश श्रेड प्लास्टिक' 'कैथेटर्स' सुइयों को सामान्य प्लाष्टिक, सामान्य केरोसीन जार के रूप में लिया जाता है और इस पर 28.6 प्रतिशत कर भी लिया जाता है।

ये सभी लाखों लोग संतानहीनता से पीड़ित हैं जिन्हें 'असिस्टेड रिपोडाक्टिव टेक्नोलॉजी' की आवश्यकता है जिसके लिए वे आपकी ओर देख रहे हैं। भारतीय दल के इन विषयों पर 27 से अधिक वर्षों तक काम करने के परिणामस्वरूप ये विश्व के किसी भी विकसित केन्द्र के समकक्ष हैं, आपके माध्यम से वित्त मंत्री इन लाखों लोगों के साथ इस सेवा को समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध करवाएं चूंकि जहां तक मेरी जानकारी है, यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सिवाय सरकारी क्षेत्र में भी नहीं है। यदि इस कराधान पर ध्यान दिया जाए तो समाज के सभी वर्गों को यह सुविधा अधिक सस्ती दर पर उपलब्ध होगी। मैं इन लाखों पीड़ितों की इन मदों संबंधी शुल्क प्रणाली पर पुनर्विचार करने की मांग का समर्थन करता हूं ताकि वे यह सुविधा प्राप्त कर सकें जो कि आज विज्ञान में पूरे विश्व में उपलब्ध है। विश्व स्वासथ्य संगठन ने हमेशा इसका समर्थन किया है लेकिन हमारे देश में, छोटे बच्चों, जो भावी माता-पिता हैं जो प्रयोगशालाओं में संतानहीन माताओं से जन्म ले रहे है, को चूजों की तरह देखा जा रहा है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : माननीय सभापति महोदय, अपनी पार्टी, ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से, मैं माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए प्रस्तुत सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमें यह देखकर खुशी है। कि '100 दिन की कार्यसूची', 'राष्ट्रीय नागरिक पहचान पत्र, जैसे कुछ कार्यक्रम और 'फिंज बेनीफिट टैक्स उन्मूलन', पुलिस आधुनिकीकरण के लिए अधिक आवंटन, रक्षा और अधिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना आदि के लिए अधिक निधि जैसे अन्य उपाय जो हमारी ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में थे, उनके बजट भाषणमें शामिल किए गए हैं और क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

मुझे आशा थी कि वर्तमान वित्त मंत्री कृषि संकट, मूल्य वृद्धि, रोजगार खोने और मंदी जैसी समस्याओं, जिनका देश सामना कर रहा है, का समाधान करेंगे। इस बजट में करदाताओं के हाथों में अधिक धन देकर और आधारभूत ढांचे तथा समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए अधिक धन का आबंटन करके कुछ अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए किसी दीर्घकालिक रणनीति का अभाव स्पष्ट है और यह निराशाजनक है।

इस बजट में 6,95,689 करोड़ रु. गैर योजनागत व्यय और 3,25,149 करोड़ रु. योजना व्यय सहित कुल 10,20,838 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया है। बजट आंकड़ों में सकल कर प्राप्ति 6,41,079 करोड़ रु. दर्शाई गई है जो विगत वर्ष में 6,87,715 करोड़ रु. थी।

इस वर्ष गैर-योजना व्यय के 37 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। 2.25 लाख करोड़ रु. का बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान में जाता है। केन्द्र सरकार का उधार 4 लाख करोड़ रु. होने की संभावना है जो विगत वर्ष से तीन गुना अधिक है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वीकार किया है। राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 प्रतिशत हो जाएगा, जो कि चिंताजनक है। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुसार सरकार प्रति वर्ष राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत तक घटाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां तक कि 2010-11 में इस घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6.8 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत तक कम करने के लिए और अगले राजकोषीय वर्ष में 4% तक करने के लिए उच्च वृद्धि के माध्यम से घाटे में 2.8 लाख करोड़ रु. तक की कटौती करनी थी।

क्या यह प्राप्त किया जा सकता है या अनुमानित उच्च जोखिम पर आधारित केवल कल्पना है, ऐसा हमारे वित्त मंत्री ने कहा है? कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि क्या यह अनुमानित जोखिम निकट भविष्य में उच्च वृद्धि के संदर्भ में काम आएगा। उन्होंने

[डॉ. एम. तम्बिदुरई]

इस राजकोषीय घाटे के लिए वैश्विक मंदी को दोषी ठहराया लेकिन यह कोई विश्वसनीय कारण नहीं है। यह राजकोषीय घाटा विगत में अर्थव्यवस्था के कुप्रबन्धन के कारण है।

अपेक्षा से अधिक राजकोषीय घाटे ने कष्ट और बढ़ा दिए हैं। घाटा बाजार के लक्ष्य से अधिक है और सरकार को इस वर्ष अपने आम आदमी कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने के लिए बाजार से अधिक उधार लेना पड़ा है। चूंकि सरकार धन के लिए निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करेगी, इसलिए इससे निश्चित रूप से ब्याज दर बढ़ेगी और निजी क्षेत्र इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगा। यह वृद्धि अन्नत: वृद्धि में सहायता की अपेक्षा व्यवधान पैदा करेगी। निजी निवेश के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में और बिलम्ब हो सकता है।

अपने भाषण के पैरा सं. 5 में उन्होंने, 9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखने, प्रतिवर्ष लगभग 12 मिलियन नए रोजगार सृजित करने के लिए समावेशी विकास हेतु तंत्र को सशक्त करने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात घटाने, 4 प्रतिशत कृषि वृद्धि दर सुनिश्चित करने और ऊर्जा सुरक्षा आदि प्रदान करने हेतु आगे बढ़ने की आवश्यकता जैसी बातों का उल्लेख किया है।

अगले पैरा में उन्होंने निराशावादी दृष्टिकोण दिखाया है, उन्होंने कहा कि बजट इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि देश के वित्त मंत्री इन समस्याओं का समाधान करने में समर्थ नहीं तो उन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? उन्हें उन वित्तीय अनियमितताओं, जो उनकी सरकार ने विगत वर्षों में की हैं, को सुधारने के लिए साधन ढूंढने चाहिए।

तब वे तीन चुनौतियों का उल्लेख करते हैं, ये हैं- विकास और सरकार में पुन: ऊर्जा का संचार तथा सुपुर्दगी तंत्र को मजबूत करने सहित उच्च सकल घरेलू उत्पाद में 9 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि किन्तु वे इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, इसका उन्होने कोई उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि सकल घरेलू उत्पाद जो 9 प्रतिशत से अधिक था, इस वर्ष घटकर 6-7 प्रतिशत हो गया है। इससे रोजगार सृजन तथा निवेश प्रभावित हुए हैं और राजस्व में कमी हुई है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे 9 प्रतिशत की वृद्धि दर कैसे प्राप्त करेंगे।

सरकार कह रही है कि मुद्रा स्फीति में रिकार्ड स्तर की गिरावट आई है। खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के बारे में क्या कहना है? आवश्यक वस्तुओं और चीनी, दाल नमक, मौसमी सब्जियों और यहां तक कि माचिस जैसी वस्तुओं के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है।

सरकार ने पहले पांच वर्षों के दौरान मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? मध्यम वर्ग के लोगों और आम आदमी का क्या होगा? सरकार दावा कर सकती है कि मुद्रास्फीति में नकारात्मक वृद्धि हो रही है, लेकिन आम आदमी का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। यह दयनीय स्थिति है और सरकार को मूल्य वृद्धि के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार को आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, और दालों के आन लाइन व्यापार को पूरी तरह बंद करना पड़ेगा, जिससे मध्यम वर्ग और आम आदमी प्रभावित होता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कच्चे तेल और पेट्रोल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन सरकार ने पिछले हफ्ते देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की है। इससे खाद्य वस्तुओं की लागत में भारी वृद्धि होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत 50 डालर से नीचे गिर गई थी, तो सरकार ने भारतीय तेल की कीमत को उस स्तर तक कम नहीं किया, किंतु जब इसमें वृद्धि होती है तो यह सरकार तेल की कीमतों के बढ़ाने के लिए तत्काल कार्रवाई करती है।

माननीय मंत्री ने कहा कि कृषि में 4 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। किंतु उस वृद्धिदर को प्राप्त करने के लिए आवंटन अपर्याप्त हैं। देश में कृषि पर संकट है। बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में देश में 1,90,753 किसानों ने आत्म हत्या की है।

जाने-कृषि वैज्ञानिक डा. स्वामीनाथन ने स्पष्ट सिफारिश की है कि कृषि ऋण पर ब्याज दर को 4 प्रतिशत किया जाए। लेकिन आज भी राष्ट्रीयकृत बैंक 7 प्रतिशत की दर से कृषि ऋण दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने इसे घटाकर 6 प्रतिशत किया है, वह भी उन ऋणों के लिए जो 3 लाख तक हों और वह भी केवल उन लोगों के लिए, जो समय पर भुगतान करते हों।

महाराष्ट्र क्षेत्र में, निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं से लिए गए ऋण की माफी पर विचार करने के किस प्रस्तार्थित कार्य बल को देश के अन्य क्षेत्रों, जहां ऐसी समस्याएं विद्यमान हों, पर भी विचार करना चाहिये।

अत: ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से, हमारी मा. अम्मा ने सुझाव दिया था कि गैर-राष्ट्रीयकृत व्यवसायिक बैंकों से लिए गए कृषि ऋणों सहित सभी वर्तमान ऋणों को माफ किया जाए। बीज और उर्वरक के लिए राज-सहायता दी जानी चाहिए।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि एक किसान आयोग गठित किए जाए, जो लाभकारी खरीद मूल्य निर्धारित कर सके।

वित्त मंत्री, किसानों को आसानी से धन उपलब्ध कराने की निगरानी करने हेतु नाबार्ड को उन्हे सीधे धन देने वाले वित्तीय संस्थान में बदलने की संभावना पर विचार करें।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या आधी की जाएगी और वह तीन रुपए प्रति किलो की दर से 25 किलो चावल या गेहूं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। यद्यपि यह स्वागत योग्य कदम है, तथापि निधि आबंटन अपर्याप्त है।

पूरे देश में आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। लगभग एक वर्ष पूर्व, प्रधान मंत्री तथा तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है, हमारी बुनियाद मजबूत है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? पिछले छह महीनों में, प्रत्येक क्षेत्र चाहे गारमेंट हों, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी हो, चाहे निर्माण कार्य हो या, वस्त्र उद्योग, उत्पादन और आटोमोबाइल-सबमें छटनी और ताला बंदी हुई है, और वे अपनी क्षमता का 10 से 20 प्रतिशत कार्य कर रहे है। मोटे अनुमान के अनुसार, पिछले छह महीनों में 50 लाख रोजगार खत्म हुए है; और दो करोड़ लोगों का रोजगार जाने की आशंका है।

यहां मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कसर अपने वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर है, लेकिन यह कई कारणों से प्रभावित हुआ है, उनमें से एक है- बार-बार बिजली की कटौती! उन उद्योगों में कई शिफ्टें बंद कर दी गई हैं, जिससे कसर और इसके आस-पास के क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है। वस्त्र का निर्यात प्रभावित हुआ है। कसर में इस उद्योग में 3000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का व्यापार होता था, जो घटकर 1200 करोड रुपए हो गया है। इस पर केन्द्र सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए।

यद्यपि वित्त मंत्री ने ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे कई कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा की है, तथापि यह वांछित लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। राज्य सरकार इन कार्यक्रमों का गंभीरता से क्रियान्वयन नहीं कर रही हैं। आम आदमी को लाभ नहीं मिल रहा है और बिचौलिए उनका शोषण कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देखे कि धनराशि आम आदमी को उचित ढंग से बांटी जाती है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक आर्थिक और अन्य प्रोत्साहन उपायों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

अत: हमारी पार्टी की महासचिव पुराची थलैवी मा. जे. जयललिता ने वर्तमान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सुधार और पुन: नामकरण करके। राष्ट्रीय ग्रामीण उत्थान योजना करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें 75 प्रतिशत भुगतान वस्तुओं के रूप में और शेष 25 प्रतिशत नकद के रूप में किया जाए। इससे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और अनावश्यक व्यय को रोकने में मदद मिलेगी सरकार कम से कम 150 दिन का रोजगार सुनिश्चित कर सकती है।

अपनी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से, मुझे लगता है कि वेतन भोगी कर्मचारी सर्वाधिक ईमानदार कर दाता है। मैं अनुरोध करता हूं कि सभी वेतन भोगी कर्मचारी-सरकारी और निजी- को आयकर की बेडियों से मुक्त किए जाए और अन्य सभी के लिए आयकर से छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख प्रतिवर्ष किया जाए।

प्राय: मध्यमवर्ग के लोगों में विवाद होता रहता है और उन्हें अधिवक्ताओं और न्यायालय के पास जाना पड़ता है। अब इस पर 'सेवाकर' लगता है। इस प्रकार आम आदमी तथा मध्यवर्ग के लोग बुरी तरह प्रभावित होते हैं।

मेरे पास माननीय वित्त मंत्री के विचारार्थ निम्नलिखित सुझाव हैं-

(एक) जरूरतमंद छात्रों को समय पर शिक्षा ऋण देने के लिए बैंकों को निर्देश दिए जाएं।

(दो) पुलिस बल, स्वास्थ्य क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, शिक्षा आदि के आधुनिकीकरण हेतु अधिक धन आबंटित किया जाए और इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

(तीन) यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि 72 लाख करोड़ की भारतीय मुद्रा अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय 'टैक्स हैबन्स' में जमा है। हमारी माननीय अम्मा पुरातची थलैवी जे. जयललिता की मांग के अनुसार वित्त मंत्री उस धन को शीघ्र वापस लाने हेतु गंभीर प्रयास करें।

(चार) हमारे देश में पड़ोसी देशों द्वारा चोरी-छिपे भेजी गई जाली मुद्रा का परिचालन हो रहा है। सरकार को इस पर नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए अन्यथा हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी।

वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन समय से गुजर रही है। कठिन समय में कड़ी कार्यवाही और कड़े निर्णय लेने होते हैं। इस नाजुक मोड़ पर भारत को प्रभावी और क्रियान्वयन योग्य कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।

जैसा कि हमारी नेता माननीय अम्मा जे. जयललिता ने कहा है: "वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि वित्त मंत्री ने देश को मंदी से उबारने के लिए कोई प्रयास किया है। किन्ही दीर्घावधि सुधारों की घोषणा

[डॉ. एम. तम्बिदुरई]

नहीं की गई है। कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। 'पुनरोत्थान अभियान' का पूरा दायित्व बिना किसी सरकारी मदद के उद्योगों पर डाल दिया गया है।"

बजट अंशत: लोकलुभावन और कल्पना से परे है और यह एक बेहतर भारत के लिए कोई स्पष्ट 'रोड मैप' नहीं बनता।

सभापति महोदय : अब, माननीय विदेश मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 5.15 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य - *(जारी)*

(दो) हमारे पड़ोसी देशों में महत्वपूर्ण गतिविधियां

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : मैं सदन को अपने तीन महत्वपूर्ण पड़ोसियों-पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के साथ हमारे संबंधों के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में अवगत करना चाहता हूं।

माननीय सदस्य 9 जून, 2009 को संसद में प्रधान मंत्री की टिप्पणी का स्मरण करें। उस समय उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करना हमारा महत्वपूर्ण हित है। एक सहयोगी तथा शांतिपूर्ण उप महाद्वीप की हमारी परिकल्पना को भारत-पाकिस्तान संबंध एक महत्वपूर्ण स्वरूप दे सकता है। प्रधान मंत्री ने यह उल्लेख भी किया था कि यदि पाकिस्तान के नेताओं के पास शांति के पथ पर चलने का साहस, निश्चय तथा राजनीतिमत्ता है, तो हमारा इरादा है कि हम आधे से अधिक रास्ता तय करके पाकिस्तान से मिल सकते है। हमारे दृष्टिकोण में ये भावनाएं निहित हैं। हम पाकिस्तान के साथ अपनी सतत वार्ताओं के महत्व व प्रमुखता को भी पहचानते हैं। तथापि साझा चिन्ताओं को दूर करने से संबंधित वार्ता हिंसा के खतरे से मुक्त वातावरण पर निर्भर करती है। इस स्पष्ट आधार पर ही वर्ष 2004 में संयुक्त वार्ता प्रक्रिया फिर से प्रारम्भ की गई थी। इन उपलब्धियों के बावजूद पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गुटों को भारत पर हमले करने के लिए दी गई छूट के कारण पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध तथा वार्ताएं प्रभावित हुई हैं।

माननीय सदस्य पाकिस्तान द्वारा उच्चतम स्तर पर हमें दिए गए आश्वासन के बारे में जानते हैं कि वह भारत के विरुद्ध हमले के लिए अपने नियंत्रणाधीन भू-भाग का उपयोग नहीं होने देगा। इन आश्वासनों के बावजूद हमारे ऊपर पाकिस्तान की ओर से बार-बार तथा तीव्र श्रृंखलाबद्ध आतंकवादी हमले हुए हैं। पाकिस्तान सरकार का यह दायित्व है कि वह इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने तथा ऐसे हमलों के लिए उत्तरदायी साजिशकर्ताओं तथा साजिशों को उजागर करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के उपाय करे। दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी भारत के खिलाफ निरंतर हमले करते रहे हैं।

विगत माह में जब प्रधानमंत्री ने रूस में आयोजित एससीओ सम्मेलन के अवसर पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की थी तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हमें आतंकवाद के संकट से निपटने के लिए किए गए पाकिस्तान के प्रयासों तथा उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया था। यह सहमति हुई थी कि भारत व पाकिस्तान के विदेश सचिव यह चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ हो रहे आतंकवाद को रोकने तथा मुम्बई हमलों के खौफनाक अपराध सहित इन हमलों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दंड देने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है तथा क्या कर रहा है। विदेश सचिवों की रिपोर्ट के पश्चात, शरम-अल-शेख में हो रहे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अवसर पर अतिरिक्त समय में जब प्रधानमंत्री पाकिस्तानी नेतृत्व से मुलाकात कर रहे होंगे तब हम स्थिति का जायजा लेने में समर्थ होंगे।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, वक्तव्य बहुत लंबा लग रहा है। आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री एस.एम. कृष्णा : महोदय, मैं आप की अनुमति से अपने शेष वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं।

*अब मुझे श्रीलंका में हाल में घटे घटनाक्रमों के विषय में संक्षेप में सदन को अवगत कराने की अनुमति प्रदान करें। जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, श्रीलंका की सरकार और भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईलम (एलटीटीई) के बीच दो दशकों के युद्ध के बाद श्रीलंका सरकार ने लिट्टे द्वारा धारित सभी भू-भागों पर पुन: कब्जा करने के बाद मई, 2009 के मध्य में सैन्य अभियान समाप्त होने का दावा किया। एलटीटीई के कई नेताओं जिनमें वेलुपिल्लै प्रभाकरण भी शामिल है के मारे जाने की घोषणा की गई जो कि भारत में एक घोषित अपराधी है। उत्तरी श्रीलंका में सैन्य संघर्ष का यह एक महत्वपूर्ण अंत है।

उत्तरी एवं पूर्वी श्रीलंका में सैन्य अभियानों की समाप्ति ने युद्ध के विनाश के पश्चात, देश के पुनर्निर्माण का एक अवसर प्रदान किया

---

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

है। युद्ध उपरांत तात्कालिक परिस्थितियों में अत्यधिक परेशान करने वाली बात पिछले वर्ष इस युद्ध से विस्थापित हुए लगभग तीन लाख तमिल नागरिकों को पुन: शीघ्र बसाना और उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना है। उनके जान-माल को बचाने और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को शीघ्र उनके घरों तक वापस पहुंचाना है। हमें श्रीलंका की सरकार और वहां के राष्ट्रपति द्वारा उनके पुनर्वास के कार्य को तत्परतापूर्वक करने के उनके आशय के प्रति आश्वस्त किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार श्री बेसिल राजपक्षा के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 24 जून, 2009 को भारत आया तब हमने उन्हें पुन: बसाने और पुनर्वास के लिए किये जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जाना। श्रीलंका की सरकार ने आंतरिक रूप से विस्थापित अधिकांश लोगों को 180 दिनों के अंदर फिर से बसाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

भारत उनके पुनर्वास, पुन:स्थापना और पुनर्निर्माण कार्यों से सभी संभव सहायता प्रदान करेगा। माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि श्रीलंका में तमिलों के हित कल्याण में हमारी स्थायी रुचि को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका में राहत और पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल होने संबंधी भारत की ठोस वचनबद्धता की घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वयं इस भव्य सदन में की थी। सरकार ने इस प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रु. निर्धारित किए हैं तथा हम और राशि देने के लिए भी तैयार हैं।

इस प्रयास के एक भाग के रूप में चलायी जाने वाली परियोजना में बारूदी सुरंगों को हटाने वाले चार दल तैनात करने, जोकि विस्थापितों को अपने घर वापस जाने के लिए पूर्वापेक्षित है, घरों का पुनर्निर्माण और इसके लिए अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति, चिकित्सा सहायता तथा शहरी अवसंरचना की मरम्मत के प्रावधान पर तत्काल बल देना होगा।

नवंबर 2008 के बाद से भारत ने युद्ध से प्रभावित आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों और अन्य नागरिकों के तमिलनाडु से 1.7 लाख परिवार राहत पैकेट भेजे हैं। इन पैकटों में सूखा राशन, व्यक्तिगत सफाई से जुड़ी वस्तुएं, कपड़े, बर्तन इत्यादि शामिल थे और इन्हें आईसीआरसी द्वारा लाभार्थियों में बांटा गया। तमिलनाडु से पारिवारिक पैकेटों की अगली खेप शीघ्र ही भेजी जाएगी। भारत श्रीलंका में मार्च 2009 से ही 60 सदस्यीय पूर्णकालिक क्षेत्र अस्पताल चला रहा है। सैनिक कार्रवाइयों की समाप्ति के उपरांत बाबुनिया के नजदीक नये स्थान पर जाकर अब तक इस अस्पताल में 14000 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। यह अस्पताल आधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं से परिपूर्ण है और इसने सराहनीय कार्य किया है। इसके अतिरिक्त नागरिकों तथा आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की तात्कालिक जरूरतों को देखते हुए श्रीलंका को दवाओं की दो खेप भी भेजी गई है।

युद्ध स्थिति की समाप्ति से श्रीलंका को एक नई शुरूआत करने और वहां की जनता और संपूर्ण क्षेत्र के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिला है। हम इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि हिंसा और आतंकवाद के दुश्चक्र, जिसने श्रीलंका को जकड़ रखा है, को समाप्त करने के लिए वार्ता और हस्तांतरण की एक समावेशी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। ऐसी किसी प्रक्रिया के जरिए अखंड श्रीलंका की लोकतांत्रिक रूपरेखा के अंतर्गत तमिल समुदाय सहित अन्य अल्पसंख्यकों की वैध आकांक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए।

श्रीलंका सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि वह ऐसी राजनैतिक प्रक्रिया का पालन करना चाहती है, जिसमें तमिल पार्टियों सहित अन्य सभी पार्टियों के साथ व्यापक बातचीत और श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन के पूर्ण क्रियान्वयन की परिकल्पना की गई है ताकि शक्तियों का सार्थक हस्तांतरण हो सके। हम इस प्रक्रिया के जरिए उनके साथ बातचीत करना जारी रखेंगे।

इस अवसर पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में अपने मछुआरों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली छोटी मोटी घटनाओं पर नजर रख रही है। हमने श्रीलंका से मछली पकड़ने के संबंध में अक्तूबर 2008 में दोनों देशों के बीच हुई सहमति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दोहराया है।

एक ऐसे पड़ोसी देश, जिसके साथ हमारी सुरक्षा और समृद्धि अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है, सरकार श्रीलंका के भावी घटनाक्रमों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है और स्थायी राजनैतिक समाधान सुनिश्चित करने में ही हमारा हित है।

अंतत: मैं नेपाल में हाल के घनाक्रमों के बारे में सदन को सूचित करना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है विगत वर्ष में संविधान सभा चुनावों के पश्चात नेपाल में शांति प्रक्रिया अनेक उतार-चढ़ाव से गुजरी है।

हमारे संबंधों की प्रकृति और खुली सीमाओं के कारण नेपाल के घटनाक्रमों का हमारे ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। अत: हम शांति प्रक्रिया के मुद्दों पर प्रगति में कमी तथा शांति प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण राजनैतिक सर्वसम्मति के अभाव को लेकर चिंतित हैं। संविधान निर्माण के कार्य में भी सहमत अनुसूची के अनुसार प्रगति नहीं हुई है, और यह देखा जाना बाकी है कि क्या इसे अप्रैल 2010 की निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सकता है।

[श्री एस.एम. कृष्णा]

शासन की संरचना के बारे में भी राजनैतिक दलों के बीच महत्वपूर्ण मतभेद हैं, संघवाद आदि जैसे विषयों के बारे में जिन्हें हल किए जाने की आवश्यकता है। माओवादी सेना के योधियों का पर्यवेक्षण, एकीकरण और पुनर्वास करने के अधिदेश के साथ सेना एकीकरण विशेष समिति का तकनीकी समिति के साथ जनवरी, 2009 में गठन किया गया था। इसने इस विषय पर कोई ठोस प्रगति प्राप्त नहीं की है। माओवादियों के पीपुल लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) के लगभग 19,600 योधियों तथा नेपाल में यूएन मिशन (यूएनएमआईएन) द्वारा अयोग्य ठहराए गए लगभग 4000 कैडरों जिसमें नाबालिग शामिल हैं, निरंतर छावनियों में रह रहे हैं जिनके रखरखाव का खर्चा नेपाल सरकार और अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ताओं द्वारा प्रदान किया जाता है।

मुख्य गठबंधन सहयोगी सीपीएन-यूएमएल और राष्ट्रपति की सलाह सहित मुख्य राजनैतिक दलों के विरोध के बावजूद नेपाल सेना के सेना प्रमुख को हटाने के उनके आग्रह से उत्पन्न राजनैतिक संकट के पश्चात प्रधानमंत्री प्रचंड ने 4 मई, 2009 को इस्तीफा दे दिया।

उनके इस्तीफे के पश्चात, सीपीएन-यूएमएल के प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व के अंतर्गत एक नई गठबंधन सरकार का गठन किया गया है। गठबंधन सरकार को 22 राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त है तथा 601 सदस्यीय संविधान सभा में बहुमत प्राप्त है जोकि विधायी संसद का भी कार्य करती है।

भारत की ओर से नेपाल में चालू शांति प्रक्रिया को पूरा समर्थन देने सहित सिविल सुरक्षा बलों तथा कानून प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए संविधान सभा के चुनावों हेतु सहयोग उपलब्ध करवाया गया है। हमें आशा है कि नई सरकार संविधान निर्माण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने तथा संभावित व्यापक सर्वसम्मति के आधार पर शांति प्रक्रिया को मूर्त रूप देने में सक्षम होगी। हमने सरकार को सहायता देने तथा बहुदलीय लोकतंत्र के अंतरण के उनके प्रयास में नेपाल के लोगों की किसी भी तरीके से शांति प्रक्रिया को मूर्त रूप देने तथा जिस सीमा तक नेपाल हमसे सहायता चाहता है उस सीमा तक सहायता करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रेषित की है।

भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करती है। हाल ही में नेपाली मीडिया ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) द्वारा सीमा पर अतिक्रमण के आरोप लगाए थे जोकि गलत पाए गए थे। भारत-नेपाल सीमा के लगभग 96% क्षेत्र को कवर करने वाले राष्ट्रीय नक्शों को संयुक्त रूप से अंतिम रूप प्रदान कर उन्हें आद्याक्षरित किया गया है। हमने सीमा प्रबंधन से संबंधित समस्याओं को सम्बोधित करने के लिए सीमा पार स्थानीय स्तरीय तंत्र स्थापित करने के प्रति भी सहमति प्रकट की है।

अगस्त 2008 में नेपाल में कोसी नदी के तटबंध में आई दरार को पाटने का कार्य पूरा कर लिया गया है। हम अतिरिक्त भू-कटाव रोकने और संरक्षण कार्य भी कर रहे हैं।

नेपाल के साथ हमारे अद्वितीय संबंध हैं और भारत के लिए ये उच्चतम प्राथमिकता का विषय बने रहेंगे। हम नेपाल के साथ अपने भाईचारेपूर्ण संबंधों को किसी अन्य देश के साथ इसके संबंधों की दृष्टि से नहीं देखते। एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक नेपाल, नेपाल के लोगों, भारत के लोगों, तथा हमारे क्षेत्र के हित में है। शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक नेपाल वहां की जनता, भारत और हमारे क्षेत्र के हित में है। भारत नेपाल के लोकतांत्रिक परिवर्तन और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में किसी भी तरह और नेपाल की इच्छानुरूप नेपाल का समर्थ करना जारी रखेगा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 126/15/09]

अपराह्न 5.19 बजे

सामान्य बजट, 2009-10-सामान्य चर्चा

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) 2006-07-जारी

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2009-10 के लिए सामान्य बजट प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने बजट में अपनी अन्तिम टिप्पणी के अलावा 137 मदों पर विचार किया है। उन्होंने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखने का प्रयास किया है। लेकिन बजट का विस्तार से विश्लेषण करने हेतु अधिक आंकड़े प्राप्त करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण का उल्लेख करना बेहतर है। इसमें यह दर्शाया गया है कि राजस्व घाटा 4.8 प्रतिशत तक बढ़ गया है। राजकोषीय घाटा 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गया है और विकास दर 9.1 प्रतिशत से घटकर 6.1 प्रतिशत हो गई है और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई है।

महोदय, औद्योगिक विकास दर भी 8.5 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई है। विद्युत उत्पादन 3.7 प्रतिशत रह गया है और निर्यात वृद्धि भी 28.9 प्रतिशत से घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई है। कृषि मुख्य क्षेत्र है जिसमें 4.9 प्रतिशत से 1.9 प्रतिशत तक की कमी हुई है। केवल खनन और खदान क्षेत्र है जिसमें हमें कुछ प्रगति दिखाई देती है। यह वास्तव में वैश्विक मंदी का असर है जो आजकल हमारी अर्थव्यवस्था झेल रही है। मैं सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा बल्कि यह वैश्विक मंदी है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित किया है।

जैसाकि अन्य सदस्यों ने कहा है, कि देश में नकारात्मक मुद्रास्फीति है जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदने में सक्षम नहीं है क्योंकि लगभग सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। इस आधार पर हमें यह सोचना है कि हम इस स्थिति में, जिसका हम सामना कर रहे हैं, कैसे निपट सकते हैं।

यदि हम सरकार के निवेश पर नजर डालें तो यह सकल घरेलू उत्पाद का केवल दो प्रतिशत है। यह बहुत ही कम राशि है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमने विगत वर्ष में 70,000 करोड़ रु. का निवेश किया है लेकिन हम जानते हैं कि जहां तक कृषि का संबंध है, उत्पादन में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। मुझे सरकार की कोई गलती नहीं लगती लेकिन साथ ही किसानों की खराब दशा, आयात नीतियां जिन्हें आप अभी भी जारी रखे हुए हैं, के परिणामस्वरूप ही है। मेरे राज्य में नारियल, सुपारी और काली मिर्च आदि की कीमतों में गिरावट आ रही है। यह मजाक है कि एक नारियल की कीमत अण्डे की कीमत के बराबर है। पांच वर्ष पहले सुपारी की कीमत 160 रु. प्रति किलोग्राम थी और अब यह 40 रु. प्रति किलोग्राम है। कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अन्य वस्तुओं की कीमतों का भी यही हाल है। इस संबंध में सरकार को प्रयास करना चाहिए और कृषि को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए।

बैंक ऋण 2,87,000 करोड़ रु. था जो बढ़कर 3,25,000 करोड़ रु. हो गया है। वास्तव में यह अच्छी बात है। लेकिन यह बैंक ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर है और स्वामीनाथन समिति के प्रतिवेदन के बारे में क्या विचार है? स्वामीनाथन समिति ने स्पष्ट किया है कि सरकार को ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर देना चाहिए और उसने यह भी स्पष्ट किया कि तीन चौथाई किसान भी बैंक जाने में असमर्थ हैं। अतः, यह कृषि क्षेत्र को कोई प्रोत्साहन नहीं देता।

दूसरी बात, आप सिंचाई में अधिक निवेश कर सकते हैं। वास्तव में इसमें कुछ वृद्धि हुई है लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए यह पर्याप्त नहीं है। जब हम सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं और प्रत्येक क्षेत्र की विस्तृत जानकारी लेते हैं, तो हम पाते हैं कि इनमें करोड़ों रुपए का आबंटन किया गया है। लेकिन हमें यह देखना है क्या यह पर्याप्त है या नहीं।

शिक्षा के अधिकार के लिए 200 करोड़ रु. से कम का प्रावधान है। यह प्राथमिक शिक्षा के मामले में सही है। सामान्य शिक्षा के लिए 200 करोड़ रु. की मामूली वृद्धि हुई है। सरकार ने इस वर्ष कुछ छात्रवृत्तियों की भी घोषणा की है। लेकिन संख्या या मात्रा में कोई वृद्धि नहीं है। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना की घोषणा भी की है। मैं समझता हूं कि तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि सरकार इसे उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाने जा रही है। लेकिन यह केवल निम्न कक्षाओं तक सीमित है। कई अन्य राज्यों में भी, इसे उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाया गया है और आगे वे इसे माध्यमिक कक्षाओं तक भी बढ़ाने जा रहे हैं।

इस सभा ने असंगठित कामगार विधेयक पारित किया है, जो अच्छी बात है। यह देखना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि केवल 100 करोड़ रु. का आबंटन, जो मेरे विचार से कामगारों के लाभ के लिए बहुत ही कम है। क्योंकि लाखों कामगार असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं।

मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि लोगों की आवश्यकता है, से सहमत हूं लेकिन बजट प्रस्ताव निराशाजनक है। जहां एक ओर कई राज्य 35 किलो चावल 2 रु. प्रति किलोग्राम की दर पर देते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ने 25 किलो चावल 3 रु. प्रति किलोग्राम की दर पर देने का निर्णय लिया है। इसका तात्पर्य है कि मात्रा घटाई गई है और कीमत बढ़ाई गई है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें आम आदमी को राहत मिलेगी? यह लाभ आदमी का बजट नहीं है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने जो किया है वह उसकी तुलना में कम है जो कुछ राज्य पहले ही कर चुके हैं। बजट में अल्पसंख्यकों, स्व-सहायता समूहों, भारत निर्माण के लिए कुछ योजनाएं हैं जिनकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन साथ ही, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कुछ परिवर्तन होने चाहिएं। यह वास्तव में एक अच्छी योजना है। लेकिन जहां तक गांवों का संबंध है, योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिएं।

सरकार के सामने दूसरा कार्य संसाधन जुटाना है। जहां तक सरकार का संबंध है, यहह अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह सही है कि निगम कर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह स्वागत योग्य कदम है। सरकार ने फ्रिंज बेनीफिट टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स और उपहार कर समाप्त कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि सरकार उच्च

[श्री पी. करुणाकरन]

वर्ग के लोगों, जिन्होंने करोड़ों रु. कमाए हैं से अधिक कर वसूलने के लिए तैयार नहीं है। वर्ष 2007 में हमारे देश में अरबपतियों की संख्या 25 थी। लेकिन 2008 में यह संख्या 52 हो गई। अत: आप उन पर अधिक कर लगा सकते हैं क्योंकि उनमें भुगतान की क्षमता है।

जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, कुपोषित महिलाओं की संख्या 58 प्रतिशत हो गई है; कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 40 से 48 प्रतिशत तक हो गया है। अत: आपको धन की आवश्यकता है। आप उन लोगों पर कर लगा सकते हैं जो इसका भुगतान कर सकते हैं। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। अत: सरकार का संसाधन जुटाना पूरी तरह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और विनिवेश पर निर्भर करता है।

बजट प्रस्तावों में आपने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 51% शेयर सरकार के पास रखे जाएंगे। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको शेष 49 प्रतिशत शेयर निजी व्यक्तियों को बेचने का क्या अधिकार है। आपने कहा कि ये लोगों को बेचे जाएंगे। लेकिन कोई भी आम आदमी न तो कोई शेयर खरीदेगा और न ही इसमें कोई भागीदारी करेगा। अत: इसका तात्पर्य यह है कि सरकार ने शेष शेयरों को निजी हाथों में देने का निर्णय लिया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जनता और राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। आप पहले बीमा अधिनियम, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम लाए हैं। अब आप रेल, रक्षा और कोयले की बात कर रहे हैं। अत: अधिकतर 'पब्लिक शेयर' निजी हाथों में दिए जाएंगे। यह बहुत खतरनाक कदम है।

आप अन्य वर्ग को प्रोत्साहन राशि देते हैं। यह भी कर छूट का एक प्रकार है। पिछले वर्ष निजी क्षेत्र को 4.1 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे। यह कर छूट का प्रकार है। अगले वर्ष भी आप यह छूट और प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि दो वर्षों में आप 8.2 लाख करोड़ रुपये की छूट दे रहे हैं। मेरे विचार से यदि आप इस धनराशि का उपयोग करें, तो सरकार की वित्तीय समस्याओं का समाधान बिना किसी परेशानी के हो सकता है।

यदि हम बड़ी कम्पनियों के कर भुगतान पर नजर डालें, तो मेरे विचार से कुछ कंपनियां ही कर का भुगतान करती हैं। सभी अन्य कंपनियां – मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता – प्रोत्साहन के रूप में इन छूटों के कारण बहुत कम कर देती हैं। पिछली लोक सभा में हमने देखा कि 2जी स्पेक्ट्रम की बिक्री की गई, जिसमें भ्रष्टाचार के कारण विवाद हुआ था। अब सरकार ने 3जी स्पेक्ट्रम को 35,000 करोड़ के मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया है। सरकार सम्पत्ति को बेचना इस सरकार का दिन-प्रतिदिन का कार्य हो गया है। यह आर्थिक नीति अच्छी और लाभप्रद नहीं है जिसका हम अनुपालन कर सकें। इससे पता चलता है कि सरकार ने 6.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे को सरकारी सम्पत्ति बेचकर पूरा करने का निर्णय लिया है। यह आर्थिक नीति अच्छी नहीं है। यह बिल्कुल वैसा है जैसाकि किसान साहूकार से लिए गए ऋण का भुगतान अपनी भूमि को बेचकर करता है। इसका परिणाम उस किसान के परिवार का विनाश होगा। इस सरकार की परिणति भी वैसी ही होगी।

राजनीतिक दलों को दिए गए चन्दे के लिए कर में छूट देने का जो प्रस्ताव इस बजट में किया गया है, वह बहुत खतरनाक कदम है। इससे करोड़पतियों को सरकार पर दबाव बनाने का अधिकार मिल जाएगा। जब करोड़पति लोग किसी विशेष राजनीतिक दल को चन्दा अथवा अंशदान देंगे और वह राजनीतिक दल सत्ता में आयेगा, तो ये लोग सरकार पर अपना दबाव बनाएंगे।

अत: निर्वाचन आयोग और सरकार को राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के संबंध में ठोस प्रस्ताव लाने चाहिएं। राजनीतिक अभियान भी पारदर्शी होना चाहिए। इस संबंध में जबावदेही निश्चित की जानी चाहिए।

किसानों को उर्वरक पर दी जाने वाले राजसहायता के बारे में सरकार ने जो कुछ कहा है, वह स्पष्ट नहीं है। सरकार ने कहा है कि राजसहायता सीधे किसानों को दी जानी चाहिए। यह किस प्रकार दी जा सकती है? किसानों को उर्वरक सस्ते और उचित मूल्यों पर चाहिएं। आप किसानों को धनराशि कैसे दे सकते हैं और आप उनकी पहचान कैसे करेंगे? अत: इस संबंध में स्पष्ट नीति होनी चाहिए।

कच्चे तेल संबंधी नीति भी विशेषज्ञ समिति पर छोड़ दी गई है। जब संसद का सत्र चल रहा था तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दीं, मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं। यह संसदीय प्रक्रिया की पूर्णत: अवहेलना थी। इस पर सभा में चर्चा हुई थी। अत: मैं इसके बारे में अधिक ब्यौरा नहीं देना चाहता।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस बजट में केरल राज्य की उपेक्षा हुई है। यद्यपि केरल राज्य का शिक्षा और साक्षरता में प्रथम स्थान है, फिर भी आईआईटी की लंबित मांग को स्वीकृति नहीं दी गई। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं इस सभा में और इस सभा के बाहर भी यह वायदा किया था कि यदि यह सरकार और अधिक आईआईटी स्थापित करने का निर्णय लेती है, तो नि:संदेह केरल को प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि, अभी तक इसे मूर्त रूप नहीं दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मांग पर विचार किया जाए।

इसी प्रकार औद्योगिक विकास के लिए कोचीन मेट्रो भी महत्वपूर्ण है। कोचीन औद्योगिक क्षेत्र का केन्द्र है और इसका मुम्बई के साथ परस्पर सम्पर्क है। लेकिन कोचीन मेट्रो के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इसके लिए कोई धनराशि स्वीकृत की गई है।

जैसाकि आप जानते हैं, कि केरल में नारियल जटा, काजू, हथकरघा, बीड़ी इत्यादि जैसे पंरपरागत उद्योग हैं, जो वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण अत्यधिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस क्षेत्र पर निर्भर है। लेकिन इस संबंध में किसी विशेष योजना अथवा परियोजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

महोदय, सरकार अनिवासी भारतीयों से प्रतिवर्ष नौ बिलियन डॉलर प्राप्त होते हैं और इसमें 80 से 85 प्रतिशत अंशदान केरलवासियों का होता है क्योंकि वे वहां काम करने जाते हैं। लेकिन वैश्विक आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप अनेक लोगों की नौकरियां जा रही हैं और इस बारे में किसी परियोजना का उल्लेख नहीं किया गया है। जहां तक केरल सरकार का संबंध है, उन्होंने अनिवासी भारतीयों, जिनकी नौकरियां जा रही हैं, के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज योजना तैयार की हैं। मेरे विचार से सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और पुनर्वास योजना तैयार करनी चाहिए क्योंकि उनकी नौकरियां जा रही हैं। उन्होंने हमारे देश को अत्यधिक धनराशि दी है।

मैं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का स्वागत करता हूं जिससे वास्तव में अवसंरचनात्मक विकास और साथ ही सामाजिक क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों को सहायता मिलती है। लेकिन विभिन्न राज्यों की जटिलता और विभिन्न स्वरूपों, भौगोलिक स्थिति के अनुसार शिक्षा अथवा अन्य क्षेत्रों की विकास दर भिन्न होती है। अत: योजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ लचीलापन होना चाहिए। यह सत्य है कि केन्द्र सरकार की परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट धनराशि उन्हीं योजनाओं के लिए उपयोग की जानी चाहिए। परंतु साथ ही, यह लचीलापन भी अनिवार्य है।

महोदय, केरल में चिकित्सा प्रणाली बेहतर है। लेकिन साथ ही कैंसर, एचआईवी, चिकनगुनिया जैसी नई बीमारियां फैल रही हैं। अत: केरल सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र के लिए भी अधिक सहायता देने का अनुरोध किया है।

महोदय, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। लेकिन हम जानते हैं कि विशेषकर मुम्बई में आतंकवादी हमले और अनेक स्थानों में फैल रहे आतंकवाद को देखते हुए पुलिस बल को आधुनिक बनाना अनिवार्य है...*(व्यवधान)* अत: नए उपकरणों को खरीदना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी के कुछ और सदस्य भी हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन : महोदय मैं एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

महोदय, सरकार ने इस सभा में उत्तर दिया है कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन बेहतर है और खाद्यान्न का सुरक्षित भण्डार है। कई कारणों से केन्द्र सरकार ने कई राज्यों के खाद्यान्न का कोटा कम कर दिया है और उनमें से केरल अधिक प्रभावित है। 2007 की तुलना में 82 प्रतिशत कमी की गई। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करे और पूर्व के खाद्यान्न कोटे को तत्काल प्रभाव से बहाल करे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, आम बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं 2009-10 के बजट पर चर्चा के लिए खड़ा हूं। माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत बजट थोड़ा चौंकाने वाला है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ''लोगों की भागीदारी'' के आधार पर बजट में सरकारी परिसंपत्तियों के निजीकरण की बात कही गई है। किंतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों में संभावित आय का कोई अनुमान नहीं है। दूसरी ओर, जो लोग आम आदमी को राहत प्रदान किए जाने की उम्मीद कर रहे थे उनको भी बहुत निराशा हुई है। बजट में सामाजिक क्षेत्र तथा फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिए भी आवंटन इतना कम है कि यह सरकार की अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में गंभीरता की कमी को दर्शाता है।

प्राय: कहा जाता है कि बजट का मूल्यांकन पांच पहलुओं से होना चाहिए; पहला - वित्त मंत्री का दृष्टिकोण, दूसरा - सरकार जो संदेश देना चाहती है, तीसरा - इसके क्रियान्वयन का तरीका, चौथा तंत्र जिसके माध्यम से कार्य किया जाएगा और अंतिम बजट प्राक्कलन में निर्धारित समष्टि अर्थशास्त्र।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगली तीन तिमाहियों में क्या होगा, इसके बारे में वित्त मंत्री के मन में घोर अनिश्चितता है। अत: नि:संदेह यह अनिश्चित समय का बजट है। इस समय प्रयोगपूर्ण नीति बहुत खतरनाक होगी। अत: हमारा नजरिया 1970 के दशक का है जिसमें बाजार और अंतर्राष्ट्रीय माहौल की चिन्ताओं और खतरों को

[श्री भर्तृहरि महताब]

ध्यान में रखा गया है। 1990 के दशक का संदेश स्पष्ट है; वह यह है कि सुधार आगे बढ़ने का एक मात्र रास्ता है।

प्रक्रिया के संदर्भ में यह अनिश्चियता का बजट है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र विशेषरूप से बीमा क्षेत्र के बारे में प्रतिबद्धता का कोई उल्लेख नहीं है। 2008-09 के बजट से हर चीजों का विस्तार किया गया है। हमने ऋण माफ किया है और 2010 तक के लिए कृषि एवं निर्यात के लिए ब्याज़ दर में कमी की है। विनिवेश को स्थगित कर दिया गया है। बजट की दूसरी प्रक्रिया यह है कि यह व्ययोन्मुखी बजट है जिसमें राजस्व व्यय अधिक है। वर्तमान समय में वास्तविक मुद्रा राजकोषीय घाटे का आकार नहीं है। वर्तमान परिवेश में 6.2 प्रतिशत को संभवत: न्यायोचित ठहाराया जा सकता है। राजकोषीय घाटे की संरचना ही समस्या है। राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे का लगभग 80 प्रतिशत है। इसको जोड़कर राज्य का 4 प्रतिशत राजकोषीय घाटा मुख्यत: राजस्व व्यय में होता है। यह 1980 के दशक का बजट प्रबंधन का तरीका है। अत: आज वित्त मंत्री की सोच 1970, 1990 और 1980 की है।

तंत्र के संदर्भ में चिन्हित क्षेत्र कृषि और अवसंरचना हैं। किंतु दोनों विकास के लिए आवश्यक रहे हैं। यदि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए बैंक के 60 प्रतिशत ऋण के पुन: वित्त पोषण के लिए कार्यविधि का निर्धारण करती है तो अवसंरचनात्मक परियोजनाएं निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेंगी। लेकिन संशय बरकरार है।

और अंतत:, बजट में निहित व्यष्टि अर्थशास्त्र भ्रामक है। एक ओर वर्तमान व्यय या उपभोग को आर्थिक पुनरोद्धार के वाहक के रूप में देखा जाता है। लेकिन दूसरी ओर इसको वितरण और संरचना को इस तरह से निर्धारित किया गया है कि इससे अर्थव्यवस्था में बचत दर पर अवश्य ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन ने हाल में कहा है कि घाटे को कम करने के रोड मैप की घोषणा स्वयं वित्त मंत्री द्वारा की जानी चाहिए थी। इसके बजाए कुछ अन्य लोगों द्वारा बाहर यह कहा जा रहा है। मैं नहीं जानता कि स्वयं वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में इसकी घोषणा क्यों नहीं की गई।

सरकार ने 6.8 प्रतिशत के बढ़ते राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए चालू वर्ष में 4,00,000 करोड़ रुपए के ऋण लेने के कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है। लेकिन धन कहा है? आप इसे कैसे एकत्र करेंगे? सकल घरेलू उत्पाद के 6.8 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा, जो फरवरी के अंतरिम बजट में 5.5 प्रतिशत के वास्तविक घाटे से अधिक है, इसका तात्पर्य लगभग 80,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त देना। कोई भी सरकार जो सार्वजनिक ऋण से पूरी तरह से दबी है, ऐसा व्यय तब तक नहीं कर सकती जब तक वह परिस्थितियों के कारण बाध्य न हो। वित्त मंत्री, जिनका मानना है कि आर्थिक मंदी का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है, कि व्यय को नियंत्रित करना चाहिए था। ऐसा न करना और व्यय में अधिक प्रावधान का अर्थ निजी मांग की बढ़ोत्तरी में विश्वास की कमी है। हम कहां जा रहे हैं? क्या सरकार ने निर्णय लेने में गंभीर गलती नहीं की है?

महोदय, बजट तैयार करना एक सामान्य कार्य माना जाता हैं इससे आपको पता चलता है कि सरकार किस तरह एक निश्चित धनराशि एकत्र करेगी और इसे आगामी वर्ष में किस प्रकार खर्च करेगी। दुर्भाग्य से अब यह एक राजनीतिक एकाधिकार की प्रक्रिया बन गई है। इसका प्रयोग कुछ चुने हुए समूहों को लाभ पहुंचाने तथा अन्य को वंचित रखने के लिए होता है। 2009-10 के बजट में पांच लाख तमिल शरणार्थी, जो लगभग सभी श्री लंका के नागरिक हैं ओर वहीं रहते हैं, को 500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। जबकि उड़ीसा, बिहार और असम में 2008-09 के दौरान बाढ़ के कारण लाखों लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया परंतु उन्हें कुछ नहीं मिला। परिणामों की घोषणा से पूर्व, इन चीजों को कितने पूर्वाग्रह से देखा जाता है, यह उदाहरणों से स्पष्ट है और इसकी तुलना की जा सकती है। उड़ीसा और बिहार के लोगों ने उन राजनीतिक दलों को मत दिया होगा जो संप्रग के घटक नहीं हैं किंतु वे भारत के नागरिक हैं। क्या वे भारत के नागरिक नहीं हैं? प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और उनकी संघ सरकार उनके लिए उतनी ही उत्तरदायी हैं जितने कि वे चक्रवात आइला के पीड़ितों के लिए हैं। उड़ीसा को 2008 में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए उपलब्ध कराई गई राशि पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उड़ीसा सरकार से उस राशि के लौटाने को कहा गया है। बाढ़ से प्रभावित उड़ीसा के लोगों से बदला लेने का संप्रग सरकार का यही तरीका है क्योंकि उन्होंने उन्हें मत नहीं दिया? न तो कोई दान मांग रहा है और न ही हम मुफ्त में लेना चाहते हैं। हम अपना हक चाहते हैं। उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा देने की हमारी बार-बार की जाने वाली मांग पर इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): श्रीलंकाई तमिलों को दी गई सहायता का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। हजारों लोग मारे गए हैं और वहां लाखों लोग कष्ट भोग रहे हैं। आप अपनी मांग रख सकते हैं और सरकार पर दबाव बना सकते हैं। किंतु श्रीलंकाई तमिलों को दी गई सहायता का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है?

श्री भर्तृहरि महताब : मेरा अन्य लोगों से कोई झगड़ा नहीं है। मेरी केवल यही मांग है कि उड़ीसा इस देश का हिस्सा है और हमारे साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

हाल ही में, मैंने कर्नाटक के मुख्य मंत्री का वक्तव्य पढ़ा। उनका यह मानना है कि लौह अयस्क का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए और पहले उसका मूल्यवर्धन किया जाना चाहिए। उड़ीसा बार-बार यही कह रहा है। उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक ने प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

मैं विशेष रूप से रायल्टी ढांचे की बात करना चाहूंगा, जो इस प्रकार का है कि उड़ीसा सहित खनिज समृद्ध राज्य सार्वजनिक निवेश हेतु संसाधन जुटाने में काफी पिछड़ रहे हैं। खनिज समृद्ध राज्यों को कई प्रमुख खनिजों के दोहन हेतु उसके अनुरूप रायल्टी नहीं मिलती, क्योंकि रायल्टी की दरें समय पर नहीं बढ़ाई जा रही हैं।

केन्द्रीय खनिज विकास और विनियमन संविधि में तीन वर्ष के अंतराल पर रायल्टी दरों में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है, जिसका समर्थन वित्त आयोग की सिफारिशों में भी किया गया है। इसके अलावा, बारहवें वित्त आयोग ने भी यह सिफारिश की है कि रायल्टी दरों को यथामूल्य आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए। तथापि, इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। कोयला और अन्य प्रमुख खनिजों की रायल्टी दर में संशोधन में विलम्ब तथा रायल्टी में अपर्याप्त बढ़ोत्तरी के कारण उड़ीसा और अन्य खनिज समृद्ध राज्यों को राजस्व की अत्यधिक हानि होती है।

हमने 1 अगस्त, 2007 से हाइब्रिड प्रणाली प्रारंभ क्यों की? खनिज समृद्ध राज्यों को उचित मुआवजा नहीं मिलता। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर कोयला और अन्य प्रमुख खनिजों के रायल्टी ढांचे पर विचार करे और 20 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर रायल्टी दर निर्धारित करे।

इसका एक अन्य रुचिकर पहलु भी है। इसके अलावा, राज्यों द्वारा खनिज धारक भूमि पर लगाया गया कर भी रायल्टी में समायोजित किया जाता है। यह प्रक्रिया, राज्यों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में खनिज धारक भूमि सहित भूमि पर कर लगाने संबंधी राज्य की संवैधानिक शक्ति का उपयोग करने में बाधा डालती है।

उड़ीसा खनिज क्षेत्र में मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने की नीति का पालन कर रहा है। खनिज आधारित उद्योग जो उड़ीसा जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में निवेश कर रहे हैं, को लौह और अन्य खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लौह अयस्क और अन्य खनिजों के वर्तमान स्तर पर निर्यात पर रोक लगाने की आवश्यकता है। खनिज समृद्ध राज्यों के लोगों को संसाधन के बदले उचित लाभ मिलना चाहिए।

वित्त मंत्री कौटिल्य का बार-बार उल्लेख कर रहे हैं, परंतु वह देश को चरबक के मार्ग पर ले जा रहे हैं। सरकार अपनी विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के वित्त पोषण हेतु भविष्य में ऋण का सहारा लेगी, क्योंकि पिछले बजट की तुलना में इसके लिए निर्धारित लक्ष्य को प्रति रुपया 14 से बढ़ाकर 34 पैसे कर दिया गया है। यह कहा गया है "66 उधार में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है।" अब भरतीय रिजर्व बैंक इस सप्ताह विशेषकर 15,000 करोड़ रु. के बांडो की नीलामी करेगा, जो इस सप्ताह बाजार से उधार लेने वाली धनराशि से लगभग दुगुना है। यह एक संकेत है। वित्त मंत्री उधार लो और खर्च करो की नीति के माध्यम से वृद्धि को ताक पर रख रहे हैं, जिसका असर भारतीय रिजर्व बैंक पर ही पड़ेगा।

महोदय, अन्तरिम बजट में वित्त मंत्री ने सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार से 3.62 ट्रिलियन उधार लेने का अनुमान लगाया था। उस समय भारत का राजकोषीय घाटा 54.3 ट्रिलियन रुपये के सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। अब यह 6.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है और अब 89,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि का ऋण लेने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है, जिससे इस वर्ष समग्र ऋण 4.51 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा और अब से पहले कभी भी भारत इस स्तर तक नहीं पहुंचा है।

मुझे आशंका है कि यह स्थिति वित्तीय वर्ष 2009 के अंतिम छह माह में बदल जाएगी। जब बैंक में निवेश करने वाले अनेक निगम नए सिरे से निवेश करना चाहेंगे, तब तक क्या करेंगे।

भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 6.18 ट्रिलियन रु. के नए ऋणों को मंजूरी दी है। ऋण देने लिए बैंकों के पास कोई धनराशि नहीं होगी। अत: ब्याज दरें बढ़ेंगी और रुपया और महंगा होगा। क्या वित्त मंत्री इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? अधिक खर्चा करने और अधिक उधार लेने से ब्याज दरें बढ़ेंगी, जिससे विकास रुक जाएगा। वित्त मंत्री जी अन्तत: आपको क्या उपलब्धि प्राप्त होगी?

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में कोई प्रमुख प्रोत्साहन अथवा महत्वपूर्ण सुधारों का उल्लेख नहीं है, किन्तु इसमें उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा शामिल है जिसे संप्रग सरकार अधिक महत्व देती है। बजट में नई खाद्य योजना हेतु वित्त पोषण का ब्यौरा नहीं दिया गया है, परंतु खाद्य राजसहायता में लगभग 17,000 करोड़ रु. की वृद्धि होने की संभावना है।

[श्री भर्तृहरि महताब]

वित्त मंत्री ने कृषि हेतु भारी अनुदान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एक एन.आर.ई.जी.ए. में 144 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। परंतु वह कृषि नहीं है। वह ग्रामीण विकास है। एन.आर.ई.जी.ए. के लिए 39,000 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। परंतु महत्वपूर्ण त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम हेतु केवल 1,000 करोड़ रु. दिए गए हैं। वह इसके तहत कृषि भूमि की सिंचाई के लिए धनराशि खर्च की जाती है। एक संशोधन द्वारा कृषि ऋण ब्याज में कम किया गया है, परंतु कल्याण योजनाओं की तुलना में कृषि आबंटन बहुत कम है।

पहले मैंने यह कहा था कि यह सरकार अपने ही लक्ष्यों को प्राप्त करने में गंभीर नहीं है। मैं इस संबंध में तीन उदाहरण दूंगा। एन.आर.ई.जी.ए. को ही ले लीजिए। न्यूनतम मजदूरी को 80 रुपये से बढ़ाकर 100 रु. कर दिया गया है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार में कम से कम 100 दिन का रोजगार काफी मायने रखता है। परन्तु यह धनराशि 39,100 करोड़ रु. है, जो गत वर्ष खर्च की गई राशि से केवल 2350 करोड़ रु. अधिक है।

इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा पर बजट में खाद्य राजसहायता हेतु केवल 8862 करोड़ रु. की घोषणा की गई है जो गत वर्ष में खर्च की गई राशि से अधिक है। अधिकांश का अनुमान रबी फसल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि द्वारा लगाया गया है। ऐसे कानून को प्रभावी बनाने हेतु निश्चित तौर पर अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होगी।

शिक्षा हेतु बजट आबंटन आश्चर्यचकित करने वाले है। शिक्षा का अधिकार सबंधी विधेयक इस संसद में है। यदि यह कानून बनाया जाएगा तो सरकार को इस पर काफी धनराशि खर्च करनी होगी। परंतु प्राथमिक शिक्षा पर व्यय में 200 करोड़ रु. से भी कम वृद्धि हुई है, जिससे इसके कार्यान्वयन में गंभीरता की कमी दिखती है।

एक बात स्पष्ट है। यदि सरकार वास्तव में लोगों को किए गए वादे को निभाना चाहती है, तो इसे अधिक खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यह बहुत कठिन है क्योंकि सरकार ने खुद अपने ही हाथ बांध लिए हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में अपनी राय बताना चाहता हूं। यह बहुत बड़ी विफलता है, लेकिन सरकार ने इसे बहुत बड़ सफलता के रूप में पेश किया है सरकार के लिए यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने, ग्रामीण अवसंरचना बनाने और ग्रामीण गरीबों के सशक्तीकरण का सुनहरा मौका था। लेकिन कुछ माह पहले, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के निराशाजनक प्रदर्शन पर टिप्पणी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस योजना से मुश्किल से 3.2 प्रतिशत पंजीकृत परिवारों को ही लाभ हुआ है। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की भर्त्सना का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ है। इसकी त्रुटियों को समाप्त किए बिना आप इस कार्यक्रम को जारी क्यों रखे हुए हैं? बजट से यह अपेक्षा करना गलत होगा कि गरीबी, अभाव और भूख जैसी हमारी चली आ रही समस्याओं का तुरत-फुरत उत्तर मिल जाएगा। लेकिन सरकार ने जिस ढंग से इस बजट में अपने कार्यक्रमों का विवरण दिया है, वह कतई उत्साहजनक नहीं है। मेरी दृष्टि में यह दिशाहीन कार्यक्रम है और समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी शब्दजाल के बीच की दुविधा में फंस गया है या तो आप चाणक्य के पीछे चलिए या चार्वाक के। दोनों इस देश के महान विचारक थे। लेकिन चाणक्य का उदाहरण देकर चार्वाक के रास्ते पर चलने से न तो लोगों का भला होगा और न ही सरकार का।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। वैसे 2009-10 का जो बजट है, इस बजट से पूर्व जब लोक सभा के चुनाव हुए, तब यूपीए की ओर से और खास तौर से कांग्रेस की ओर से सारे देश में आम आदमी की काफी चर्चा हुई। आम आदमी की सुरक्षा के लिए, आम आदमी के हितों के लिए सरकार द्वारा अपील की गई और चुनाव के बाद यह पहला बजट है। दुर्भाग्य से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि इस बजट में आम आदमी कहीं भी दिखाई नहीं देता है, बल्कि यह आम आदमी विरोधी बजट है। इसलिए पूरे देश में इस बजट के बारे में जो चर्चा है, वह काफी निराशाजनक है। समाज का हर स्तर इस बजट से निराश है। इसलिए यह बजट आम आदमी विरोधी बजट है। मैं उदाहरण के तौर पर यहां कुछ बातें रखना चाहूंगा। जैसे किसानों की आत्महत्या को लेकर 70 हजार करोड़ रुपए का पैकेज यहां पर डिक्लेयर किया गया, लेकिन इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कल हमारे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री दिल्ली आए हुए थे। दिल्ली के सांसदों के साथ कल एनैक्सी में बैठक हुई जहां पर किसानों की आत्महत्या पर चर्चा हुई। दत्ता मेघे जी यहां पर उपस्थित हैं। वे मेरी बात से सहमत होंगे। जैसे 70 हजार करोड़ रुपए का पैकेज किसानों को कर्जा माफी के लिए सरकार द्वारा किया गया, उससे पूर्व जहां से यह आत्महत्या का सिलसिला शुरू हुआ और दुर्भाग्य से सारे देश में जितने किसानों ने आत्महत्या की है, उससे सर्वाधिक

आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुईं और महाराष्ट्र में सर्वाधिक आत्महत्याएं विदर्भ में हुईं। जब इन आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ने लगा, तब हम प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी से मिले थे - शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के सारे महाराष्ट्र के सांसद और हमने उनको कहा था कि आप विदर्भ का दौरा करिए। उन्होंने इस बात को कुबूल किया। वे नागपुर आए, विदर्भ में आए और आने से पूर्व उन्होंने विदर्भ के कुछ जिलों के लिए पैकेज डिक्लेयर किया था। कल जब इस बात पर चर्चा हुई, तब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि जो पैकेज प्रधान मंत्री जी ने विदर्भ के लिए घोषित किया है, उससे किसानों की आत्महत्याएं अब तक रुकी नहीं हैं। आत्महत्याओं का सिलसिला अब भी चल रहा है। इस पैकेज में और धनराशि भारत सरकार की ओर से मिलने की आवश्यकता है। राज्य के मुख्य मंत्री ने कल सांसदों से मिलते हुए कहा कि वे स्वयं भी प्रधान मंत्री जी से इस संदर्भ में मिलने वाले हैं। सभापति महोदय, यह हालत आत्महत्या करने वाले किसानों की है। आपने पैकेज तो डिक्लेयर किया है। जब इसके बाद सप्लीमेंट्री डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स के लिए बहस आई थी, तब उस समय के वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने केवल 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान उस सप्लीमेंट्री बजट में किया था जिसको इस सदन ने पारित किया था। उसके बाद एक रुपये का भी प्रावधान बजट में अब तक नहीं किया गया है। ऋण माफी के लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है। सरकार कहती है कि किसानों के प्रति हमारी सरकार के मन में...।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस समय सायं के 6.00 बजे हैं। मेरे पास वक्ताओं की लंबी फेहरिस्त है। अत:, यदि सभा सहमत हो तो हम सभा का समय रात्रि 8 बजे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : ठीक है, सभा का समय आठ बजे तक बढ़ाया जाता है। श्री अनंत गंगाराम गीते, अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

सायं 6.00 बजे

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये। श्री गीते बोलने के लिए खड़े हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन) : महोदय, दोपहर में कहा गया था। कि शून्य काल के लिए समय दिया जाएगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा आज आठ बजे तक बैठेगी। आपको निश्चित तौर पर अवसर मिलेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर) : महोदय आप पहले शून्यकाल ले लीजिए, उसके बाद बजट पर चर्चा जारी रखिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप चिंता मत कीजिए, आपकी बारी अवश्य आएगी। आप कृपया अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री गीते, आप कृपया अपनी बात जारी रखें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागी : महोदय, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। हम भी किसानों की बात उठाना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा का समय रात्रि 8.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अत:, आप आठ बजे तक अपना मुद्दा उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, सभा के इस समय चल रहे कार्य की समाप्ति के बाद, हम दूसरा मूद्दा उठायेंगे, जो 'शून्य काल' होगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया मेरी बात सुनिए। माननीय अध्यक्ष ने सुबह कहा था कि आज के वाद-विवाद के बाद, हम शून्य काल

प्रारंभ करेंगे। सूची में उल्लिखित पहले पांच सदस्यों को आज 12 बजे 'शून्य काल' में बोलने का अवसर दिया गया था। सूची में उल्लिखित शेष सदस्यों को आज के वाद-विवाद की समाप्ति पर अपने मामले उठाने का अवसर दिया जाएगा। आपको आठ बजे अपने मामले उठाने का अवसर दिया जाएगा।

आप कृपया अब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सूची के सभी सदस्यों को हम बोलने का अवसर देंगे। हम आठ बजे 'शून्य काल' का कार्य करेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री गीते, आप कृपया जारी रखें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : महोदय, आपने आठ बजे तक का समय बढ़ा दिया है, यह अच्छी बात है। लेकिन क्या कल चर्चा नहीं होगी? क्या कल जवाब दिया जाएगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय लालू जी, आप अनुभवी व्यक्ति हैं। आपको प्रक्रिया की जानकारी है। हम कार्य की समाप्ति पर ही 'शून्य काल' आरंभ करेंगे, न कि बीच में ही आरंभ कर देंगे।

जब सभा ने 8 बजे तक सभा का समय बढ़ाने के लिए सहमति दे दी है तो यह मुद्दा उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आप 'शून्य काल' 6 बजे से आरंभ करने पर जोर दें।

श्री लालू प्रसाद : चर्चा आज समाप्त होगी अथवा नहीं?... *(व्यवधान)*

ससंदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। *[हिन्दी]* हम दोनों के बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। सात बजे तक हम बजट पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद 'शून्य काल' ले लेते हैं। *[अनुवाद]* लेकिन, माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे सामान्य बजट पर चर्चा में अधिक समय की मांग न करें।

सभापति महोदय : यदि आपको मंजूर हो तो हम सात बजे तक सामान्य बजट पर चर्चा करेंगे और उसके बाद, 'शून्य काल' आरंभ करेंगे।

तो, आठ बजे तक चर्चा करने के बजाय, हम सात बजे तक चर्चा समाप्त कर देंगे और उसके बाद हम 'शून्य काल' आरंभ करेंगे।

ठीक है?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री गीते, आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, सरकार हमेशा किसानों की बात करती है और वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि किसानों को काफी सुविधाएं हमने दी हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की गई है, उनके लिए इस बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। वित्त मंत्री जी ने किसानों के लिए एक और घोषणा की है कि वन टाइम सैटलमेंट के पीरीयड को तीस जून से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2009 तक कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि वन टाइम सैटलमेंट प्रपोज़ल को कोई किसान स्वीकार करेगा। कुछ किसान हैं, जिनका आपने सौ प्रतिशत ऋण माफ किया है, जबकि कुछ किसानों को आप कह रहे हैं कि आप 75 प्रतिशत दीजिए 25 प्रतिशत हम छूट देंगे। कुछ किसान ऐसे भी हैं, जिनको आप कोई राहत नहीं दे रहे हैं। जिनको आप कोई राहत नहीं दे रहे हैं, उनके लिए वित्त मंत्री जी ने एक घोषणा और की है कि जो किसान ऋण का रैगूलर पैमेन्ट करते हैं, उनके ऋण पर जो सात प्रतिशत का ब्याज लगता है, उस पर एक प्रतिशत का डिसकाउन्ट दिया जाएगा।

सायं 6.05 बजे

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन हुए*]

एक करोड़ पर देश के किसानों को अलग-अलग हिस्सों में बांट कर, एक्चुअल जो किसान है, जो किसान छोटा, मेहनत करने वाला या मध्यम है और जो अनाज या धान की खेती करता है, उस किसान के साथ इस प्रकार से भेदभाव करना और वह भी सरकार की ओर से, यह सीधे-सीधे किसानों के साथ नाइंसाफी एवं सरासर धोखा है। एक परसैंट डिसकाउंट की बात की है, यह कोई किसानों के लिए खुशी की बात नहीं है।

सभापति महोदय, इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। आज महंगाई दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। वित्त मंत्री जी की पूरी बजट स्पीच में महंगाई का जिक्र तक नहीं है। उन्होंने इस बात को

स्वीकार तक नहीं किया कि देश में महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी उससे परेशान है। आम आदमी का महंगाई की मार से जीना मुश्किल हो चुका है। उसका जिक्र तक वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में नहीं किया है।

सभापति महोदय, कल मेरी बीबी मुझे बता रही थी की मुंबई में जो अरहर की दाल है, हम लोग उसे तुअर की दाल कहते हैं, उत्तर में अरहर की दाल कहते हैं, आज उस दाल का रेट 85 रुपए किलो है। दिल्ली में कल एक सांसद अरहर की दाल खरीद कर लाए हैं, वे मुझे जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में इस दाल का रेट 85 रुपए किलो है। चावल का रेट भी 40 रुपए से कम नहीं है, अच्छा गेहूं भी 30 रुपए से कम नहीं है। आज किसी भी प्रकार की दाल का रेट बाजार में 60 रुपए से कम नहीं है। तिलहन और तेल की बात अलग है। इन सब चीजों के दाम दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इस साल बजट में महंगाई की चर्चा तक नहीं हुई है। उसे रोकने का कोई प्रयास वित्त मंत्री जी ने नहीं किया है। आम आदमी महंगाई से परेशान है, उस आम आदमी के बारे में महंगाई को रोकने के लिए इस बजट में कोई प्रयास नहीं है।

सभापति महोदय, नरेगा की काफी चर्चा की जाती है। हमारे पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह इस विषय में काफी खुश रहते हैं। उनकी जो मंशा है, उनका जो संकल्प था, वह बिल्कुल अच्छा था, उसमें मुझे कोई आशंका एवं आपत्ति नहीं है, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। पूरे देश में नरेगा फ्लॉप स्कीम है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सौ प्रतिशत फ्लॉप है। नरेगा को लेकर सरकार जिस तरह से अपनी पीठ थपथपाती है - जैसे देश की सारी बेरोजगारी खत्म हो गई। नरेगा टोटली फ्लॉप स्कीम है। नरेगा से बेरोजगारी में कोई कमी नहीं हुई है। आज पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि इस रिसेशन का हमारे देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस आर्थिक मंदी का हमारे देश पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन आज इस मंदी से हमारा उद्योग जगत प्रभावित है और उद्योग जगत प्रभावित होने के कारण बेरोजगारी बढ़ने की आशंकाएं बढ़ी हैं।

सभापति महोदय, मैं यहां एक उदाहरण दूंगा। हमारा सिविल एविएशन मंत्रालय है। इस समय यहां प्रफुल पटेल जी उपस्थित नहीं हैं। पिछले महीने हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को यह फैसला करना पड़ा, सीएमडी की घोषणा करनी पड़ी कि अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के जो एक्जीक्यूटिव हैं, वे एक महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे, छोड़ देंगे।

सभापति महोदय, जब तक एग्जीक्यूटिव की बात थी, तब तक तो हम समझ सकते थे, लेकिन हमारे एयर इंडिया के कर्मचारियों को आज तक सैलरी यानी वेतन नहीं मिला है। 15 तारीख तक एयर इंडिया के कर्मचारियों को वेतन मिलने की संभावना नहीं है और 15 तारीख के बाद भी इस महीने का या पिछले महीने का वेतन मिलेगा या नहीं, यह आशंका आज एयर इंडिया के कर्मचारियों के मन में है, जिसकी वजह से वे परेशान हैं। एयर इंडिया के लाखों कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें आज तक पिछले महीने का वेतन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नहीं दे पाई है। इसलिए यह कहना कि मंदी का हम पर कोई असर नहीं है, ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, आज देश भर में करोड़ों शिक्षित बेरोजगार हैं। मेरे पास पूरे देश के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उस महाराष्ट्र में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 42 लाख है। अकेले महाराष्ट्र में 42 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। आज मंदी के कारण दिन-ब-दिन हमारी इंडस्ट्रीज बन्द होती जा रही हैं। इसका भी बेरोजगारी पर प्रभाव हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी की चर्चा इस बजट में कहीं भी नहीं की गई है। मंदी से लड़ने के लिए इस बजट में कोई प्रॉविजन नहीं किया गया है। बेरोजगारी को हटाने का कोई प्रॉविजन नहीं है। आज अगर बेरोजगारी से कोई व्यक्ति परेशान है, तो वह आम आदमी है, लेकिन उस आम आदमी की बेरोजगारी की चर्चा भी इस बजट में बिल्कुल नहीं है, उसे रोजगार देने की कोई चर्चा नहीं है।

सभापति महोदय, अनेक माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी ने भी क्रेडिट लेने के लिए यहां कहा कि हमने मुम्बई के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रॉविजन किया है। यह किस लिए किया है। इस प्रोजैक्ट का नाम बृमस्टैड (बीआरआईएमएसटीएटी) प्रोजैक्ट है। उन्होंने जो घोषणा की है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन यह प्रोजैक्ट वर्ष 2005 का है, जिसके लिए इस बार बजट में घोषणा की गई है। इसकी घोषणा प्रधान मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह ने वर्ष 2005 में मुम्बई में जाकर की थी। जब मुम्बई में भारी वर्षा हुई, जब मुम्बई में तबाही मची, सारी मुम्बई डूब गई, तब इस बृमस्टैड प्रोजैक्ट के लिए 1200 करोड़ की घोषणा वर्ष 2005 में डॉ. मनमोहन सिंह ने की थी। उसके लिए आपने अब वर्ष 2009 में 500 करोड़ रुपए का प्रॉविजन किया है।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऐसा यह पहला बजट है, जो मैं सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की। मैं भी इसे अच्छा समझता हूं, लेकिन इसमें जो रैवेन्यू कलैक्शन है, वह 6 लाख करोड़ रुपए का है, उसमें 28 प्रतिशत राजस्व अकेले महाराष्ट्र राज्य से आता है।

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): आपको इस पर गर्व होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : जी बिल्कुल। श्री नारायणसामी जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो आपको 6 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिलने वाला है, जिसके आपने आंकड़े दिए हैं, उसमें से अकेले महाराष्ट्र से आपको 28 प्रतिशत राजस्व मिलने वाला है और महाराष्ट्र में भी सबसे अधिक मुम्बई से मिलने वाला है। इस प्रकार यदि आप देखें, तो सर्वाधिक राजस्व आपको मुम्बई से आता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गीते, अब आप अपनी बात समाप्त कर सकते हैं। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति महोदय, उड़ीसा के हमारी एक साथी, श्री महतो जी ने आज यहां कहा कि उड़ीसा को पूरी तरह से बजट में नैग्लैक्ट किया गया है। उसी प्रकार से मैं भी कहना चाहता हूं कि इस बजट में महाराष्ट्र और मुम्बई को पूरी तरह नैग्लैक्ट किया गया है। दुर्भाग्य से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जिस प्रदेश में इस देश को लगभग वन-थर्ड रैवेन्यू मिल रहा है, उस महाराष्ट्र को भी इस बजट में पूरी तरह से नैग्लैक्ट किया गया है और उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, आज हालत यह है कि पूरे देश में सूखे की स्थिति है। पिछले कई दिनों से मुम्बई, कोंकण और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अच्छी वर्षा हो रही है, लेकिन सारे महाराष्ट्र और पूरे देश में अच्छी वर्षा नहीं हो रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि देश सूखे की चपेट में है। आज मुम्बई की आबादी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। मुम्बई की आबादी का जो ऑफिशियल आंकड़ा है, वह 1.40 करोड़ है, लेकिन जो अनऑफिशियल आबादी वहां पर है, अगर उसको देखा जाए तो लगभग दो करोड़ की आबादी आज मुम्बई की हो गई है। आज मुम्बई में भी पानी की किल्लत है। आज 30 परसेंट कट मुम्बई शहर में पानी का हो चुका है और यह भय आज मुम्बई के कारपोरेशन को है कि यदि भविष्य में वर्षा नहीं होती तो दुर्भाग्य से मुम्बई के लोगों को कुएं का पानी पीना पड़ेगा, मुम्बई को बोरवैल का पानी पीना पड़ेगा, मुम्बई को समुद्र का पानी पीना पड़ेगा, यह स्थिति आज मुम्बई की है। ...*(व्यववधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अनंत गीते, धन्यवाद, नहीं, ठीक है। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं खत्म कर रहा हूं। यह मेरा लास्ट सेंटेंस है, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि मुम्बई शहर को बचाने के लिए, मुम्बई की पानी की समस्या को हल करने के लिए, ड्रिंकिग वाटर और सीवरेज वाटर प्रोजैक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए मुम्बई के लिए भारत सरकार को देने चाहिए, प्रधानमंत्री को देने चाहिए।

महाराष्ट्र को जो एलोकेशन आप स्टेटवाइज करते हैं, उसमें निश्चित रूप से एक तिहाई हिस्सा यदि रेवेन्यू में महाराष्ट्र का है तो एक तिहाई एलोकेशन की मांग नहीं कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से महाराष्ट्र के एलोकेशन में बढ़ोत्तरी सरकार को करनी चाहिए। यह मांग करते हुए यह बजट चूंकि आम आदमी का विरोधी है, इसलिए मैं बजट का समर्थन नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : धन्यवाद, श्री गीते।

इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि आपको दिए गए समय के अंदर ही बोलना है। श्री अनंत गीते ने 8 मिनट अधिक लिए हैं। श्री गीते, चूंकि आप अच्छे मुद्दे उठा रहे थे, इसलिए मैंने बीच में व्यवधान नहीं डाला।

अब श्री हुक्मदेव नारायण यादव बोलेंगे। श्री यादव, आप कितना समय लेंगे? आपके दल की ओर से कई वक्ता हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, हम ज्यादा बैठेंगे। आज हम आठ बजे तक बैठे हैं, कल 10 बजे तक बैठेंगे।

सभापति महोदय : हुक्मदेव जी, आप कितना टाइम लेंगे?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) **:** आप जहां पर उचित समझेंगे, मुझे एक दो बार हिदायत करेंगे तो मैं अपनी गाड़ी की चैन खींच लूंगा। वैसे जब मैं बोलता हूं तो एक्सप्रैस में चलता हूं, जिसमें

कोई ब्रेक नहीं रहता है, लेकिन मैं आपके आदेश को मानूंगा, फिर आप 10 मिनट दें या 12 मिनट दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महादेय : आपके दल का समय निर्धारित है। आप अपने दल के वक्ताओं की संख्या के अनुसार समय ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं गांव का किसान होने के कारण और एक गौपालक वंश का होने के कारण अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले, चूंकि मैं किसान हूं, इसलिए इस देश की धरती माता, गऊ माता और गंगा माता को नमस्कार करता हूं।

इस सरकार में बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी जी का मैं सम्मान करता हूं, वे विद्वान हैं, योग्य हैं, अनुभवी है, कर्मठ है, तर्क में अच्छे निपुण हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस बजट को उन्होंने प्रस्तुत किया है, उस बजट में एक-एक अंश का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि इस बजट में न दिशा है, न दृष्टि है और न संकल्प है। जब दिशा नहीं हो, दृष्टि नहीं हो और संकल्प नहीं हो तो फिर वह किसी रास्ते की ओर नहीं जा सकता है। मैं इसलिए इस बजट का विरोध करता हूं कि मैं गांव का किसान हूं और इस बजट में हमारे किसानों को जो उचित हिस्सा मिलना चाहिए था, वह जनसंख्या के आधार पर हमें उचित हिस्सा नहीं मिला है।

जब हम इस देश के अन्दर सरकारी आंकड़े को निकाल कर देखते हैं तो हमारे किसानों की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर हमको कितना आपने इस बजट में हिस्सा दिया है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप हमको जनसंख्या के आधार पर हिस्सा नहीं देते हैं। दूसरे लगातार किसान मजदूर बनते गए हैं। जहां 1951 में कृषि पर 49.9 प्रतिशत लोग निर्भर थे, वहां 1991 में कृषि पर निर्भर लोग 35.2 प्रतिशत बच गये। इतने किसान कहां चले गए? वे खेतिहर मजदूर बन गये। जिस सरकार ने, जिस व्यवस्था ने किसानों को मजबूर बनाया है, भूमिहीन बनाया है, किसानों को कृषि मजदूर बनाने के लिए व्यवस्था पैदा की है, उस बजट का कैसे समर्थन किया जा सकता है, उस व्यवस्था का हम कैसे समर्थन कर सकते हैं। भारत के किसान का आधार, भारत की कृषि का आधार गौवंश है। लगातार इस देश में गौवंश का ह्रास हुआ है। अगर आप भारत सरकार के इस आंकड़े को निकालकर देखेंगे तो जहां इस देश में एक हजार आदमी पर गौधन की संख्या 1951 में 430 थी, वहां वही संख्या 1992 में आकर केवल 242 बचती है। इसका मतलब निरंतर गोधन का ह्रास हुआ है। हमारे देश के अंदर एक समय एक हजार पर कुल पशु 810 होते थे, जो वर्ष 1991 आते-आते घटकर 555 हो गए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 31.5 प्रतिशत पशुधन का ह्रास हुआ है। जिस देश में पशुधन का ह्रास हो, किसानों को उचित हिस्सा न मिले, क्या उस बजट को उचित कहा जा सकता है? यह किसान विरोधी, गांव विरोधी और पशुधन पालने वाले, पिछड़े, दलित, वनवासी, जो पशुधन पालते हैं, गाय, कुर्सी, भेड़, भैंस, गधा, खच्चर, ऊंट पालते हैं और उससे अपना जीवन चलाते हैं, उनकी जीविका का आधार आर्थिक आधार, छीना जा रहा है। यह कभी समर्थन करने योग्य नहीं है।

महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारी जमीन भी कम होती चली गई है। जहां वर्ष 1950-51 में हम जमीन जोतते थे, तब किसान की कृषि का हिस्सा 50 प्रतिशत था, जो आज निरंतर घटते-घटते 20 के नीचे तक चला गया है। जब हम कृषि से राष्ट्रीय आय में इतना योगदान देते थे, तो यह क्यों घट गया है? वह इसलिए क्योंकि हमारी आमदनी में कमी आई है, क्रयशक्ति में कमी आई है। हमारे साथी बोलते हैं, धान, चावल, गेहूं, दाल, तिल और सरसों की कीमतें बढ़ती हैं, तो देश में हाहाकार मचता है। मैं किसान होने के नाते कहता हूं कि जब सीमेंट के दाम बढ़ते हैं, लोहे के दाम बढ़ते हैं, कपड़े के दाम बढ़ते हैं, खाद के दाम बढ़ते हैं, औद्योगिक उत्पाद की कीमतें बढ़ती हैं, तो इस देश में हाहाकार क्यों नहीं मचता है?

महोदय, मैं अन्न पैदा करता हूं। एक तरफ मैं विक्रेता हूं, तो दूसरी तरफ मैं खरीददार भी हूं। मैं अपने कृषि उत्पादन को बाजार में बेचता हूं, उससे औद्योगिक माल खरीदता हूं। यूरिया जहां वर्ष 1967 में 45 रुपए बोरी मिलती थी, तब मैं पहली बार असेंबली में एमएलए बनकर आया था, लेकिन आज यूरिया का रेट कहां पहुंच गया है? यूरिया की कीमत 300 रुपए तक चली गई। मैं मांग करता हूं कि एक आधार-वर्ष बनाया जाए, चाहे वर्ष 1967 को मानो, 1977 को मानो, 1960 या 1970 को मानो, लेकिन एक आधार-रेखा खींचिए कि उस समय कृषि उत्पाद, धान, चावल, गेहूं, दाल की कीमत क्या थी और औद्योगिक उत्पाद की क्या कीमत थी? हमारे खेतिहर सामान की कीमत कछुए की चाल से बढ़ती है, जबकि औद्योगिक उत्पाद की कीमत घोड़े की चाल से बढ़ती है। हमारा किसान लुटता जा रहा है, वह आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उसे कृषि उत्पाद की सही कीमत नहीं मिलती है।

महोदय, मेरी मांग है कि एक राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण आयोग बनाया जाए। उसमें कृषि उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद दोनों की लागत निकालकर कीमत तय की जाए। हमारे यहां खेती में पैदा होने वाले अनाज की कीमत किसान आयोग तय कर देता है। हमारे उत्पाद की

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

कीमत सरकार तय करे, लेकिन सीमेंट की कीमत सरकार नहीं तय करेगी, क्योंकि उद्योग के जरिए से पैसा है, लक्ष्मी है, वहां से चुनाव में फंड आता है, जिसका खाते हैं, उसका गाते हैं, पैसा औद्योगिक घराने से लेते हैं, इसलिए बजट उनके हिस्से में बनाते हैं। हम इनको पैसा कहां से देंगे? हम तो अपनी हड्डी गलाते हैं। दधीचि के जैसे धूप में, ताप में, शीत में जलते हैं, ठिठुरते हैं, मरते हैं, बिना कपड़े के रहते हैं। अंधेरी रात में अपने कुंए पर रहकर, अपने खेत में रहकर खेत को सींचते हैं। हमें न सांप का डर है, न बिच्छू का डर है और न जानवर का डर है। हम इतनी हिम्मत के साथ राष्ट्र के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं, लेकिन हम फिर भी अपेक्षित हैं। इसलिए कि हम पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं।

महोदय, सरकार का जैसा चरित्र होगा, वैसा ही बजट बनेगा। इस सरकार का चरित्र क्या है? मंत्रिमंडल को देखा जाए, तो क्या इसमें कोई यादव, जाट, गुर्जर, कुर्मी, कुशवाहा, दलित या पिछड़ा है, जो एक नंबर की पंक्ति में बैठा हो? जहां न किसान होगा, न मजदूर होगा, न गांव वाले सरकार में होंगे, उस सरकार से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि वह हमारी बात को सुनेगी? आज किसान इतनी बड़ी संख्या में हैं, क्या इनके मंत्रिमंडल में कोई किसान है? इस सदन में पहली पंक्ति पर नजर डालें, आगे की पंक्ति पर कोई किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, पिछड़े या दलित का बेटा बैठता है क्या? जब सदन में पहली पंक्ति में हम नहीं हैं, दूसरी पंक्ति में हम नहीं हैं, तो हमारी बात सुनने वाला कौन है? बजट कौन बनाता है? अगर आप उसे मंत्री बनाते हैं, तो मंत्री में क्या देते हैं, श्रीमान? राज्यमंत्री का पद दे देते हैं अर्थात् बड़े मंत्री के पीछे एक साहबल्ला देते हैं, जैसे दूल्हा शादी करता है, साहबल्ला गाली सुनता है। वैसे मंत्रिमंडल में बड़े-बड़े बाबू कैबिनेट मंत्री बनेंगे, पिछड़े, दलित और आदिवासी को ये उनके राज्यमंत्री बना देंगे कि आप उनका बस्ता ढोइए, उनके ऑफिस में बैठिए, इनकी टेबल पर साफ करिए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि सरकार बने, आप उसमें बने रहो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रणव मुखर्जी जैसे विद्वान, तेजस्वी, चरित्रवान, दमदार, बंगाल की वीरभूमि से आए हुए, इनको कभी एक नंबर की कुर्सी नहीं मिली। बाबू जगजीवन राम जैसे व्यक्ति ने अपना जीवन लगा दिया लेकिन मरने के बाद भी उनकी लाश को गांव में जाकर जलवाया गया, क्योंकि यदि जगजीवन राम जी की लाश दिल्ली में रहेगी तो हिन्दुस्तान के करोड़ों दलित उनसे प्रेरणा पाएंगे। जगजीवन राम जैसे व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया गया। जिन्होंने बाबू जगजीवन राम जैसे व्यक्ति को इज्जत नहीं दी, उस पार्टी से हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किसी दलित को इज्जत देगी। कहने के लिए भले ही कह दें कि हम दलित की बेटी को स्पीकर बना रहे हैं। हम उस कुर्सी पर बिठा रहे हैं। धिक्कार है। जब कहा जाता है कि एक दलित की बेटी को कुर्सी पर बिठा रहे हैं, एक आदिवासी को कुर्सी पर बिठा रहे हैं, एक पिछड़े को कुर्सी पर बिठा रहे हैं, मेरे स्वाभिमान को, मेरे सम्मान को आप धिक्कारते हैं। हम भिखमंगा हैं क्या। कोई दलित व्यक्ति भिखमंगा है क्या? कोई पिछड़ा व्यक्ति भिखमंगा है क्या? आप देने वाले कौन हैं जो कहते हैं कि हमने दिया। आप कौन होते हैं देने वाले? यह मेरा अधिकार है। आज नहीं देंगे तो हम लड़कर ले लेंगे। हम नहीं लेंगे तो हमारी संतान ले लेगी। अगर नहीं भी लेगी तो देश में भूचाल आएगा, न यह संसद रहेगी, न यह सरकार रहेगी, न किसी की कहानी रहेगी। इसलिए याद कीजिए कि आपकी सरकार का जैसा वर्ग चरित्र है, महान क्रांतिकारी नेता लेनिन ने कहा था, आप जैसा समाज बनाना चाहते हैं, अपनी पार्टी के स्वरूप को वैसा खड़ा कीजिए। आपकी पार्टी का क्लास, करैक्टर क्या है? आपकी पार्टी का वर्ग स्वार्थ क्या है? जो आपका क्लस, करैक्टर है, जो आपका इंटरस्ट है, उसके हिसाब से बजट जरूर बनाते हैं, बाकी हमें क्या देते हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जमीन कितनी थी जिसे हम जोतते थे। 1984 में 13.11 करोड़ हैक्टेयर जमीन पर खेती होती थी। वह घटते-घटते आज केवल 12 करोड़ से भी नीचे चली आई है। इसका क्या मतलब हुआ? हमारी खेती की उपजाऊ जमीन लेते हैं। उसमें उद्योग बनाओ, उसमें सड़क बनाओ, उसमें कारखाने लगवाओ। बंजर भूमि में क्यों नहीं जाते? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, जहां जमीन बंजर है, जहां परती जमीन है, जहां ऊसर जमीन है, जहां ऊबड़-खाबड़ जमीन है, उन्हें समतल कीजिए, वहां कारखाने लगाइए। बंजर को आबाद कीजिए, बंजर में कारखाने लगाइए। जब कारखाना लगेगा तो वहां सड़कें जाएंगी, बिजली जाएगी, पीने का पानी जाएगा, वहां मकान बनेंगे, वहां अधिकारी रुकेंगे, फिर वहां बाजार बसेगा। जब बाजार बसेगा तो गांव के गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित दुकान खोलेंगे। आपकी नीयत खराब है। आप चाहते हैं कि उन पिछड़े इलाकों में कारखाने न लगें जिससे शोषित, दलित, पिछड़े लोग रोजगार करें, पान बेचें, सब्जी बेचें, कपड़ा बेचें, खोमचे में सामान बेचे और अपने परिवार का गुजारा चलाएं। इसलिए आपसे अगर कोई उम्मीद करता है तो यह उसका धोखा है। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हमारी जमीन कृषि योग्य है अधिगृहित करते हैं। हरियाणा, पंजाब में जमीन लेते हैं तो 20 लाख रुपये, 30 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं, लेकिन बिहार में एक लाख रुपए, दो लाख रुपए, तीन लाख रुपए, चार लाख रुपए का मुआवजा देते हैं। हमारी जमीन यहां से ज्यादा उपजाऊ है, लेकिन हमें मुआवजा कम मिलता है। हरियाणा में 30 लाख रुपए, बिहार में 5 लाख रुपए, एनएचआई की सड़क बनती है, बिहार सरकर

द्वारा जो नोटीफिकेशन निकलता है, वह भी आप पूरा नहीं कर पाते। मैं कहना चाहूंगा कि बिहार की हालत खराब है। अगर आप इसके कारण जानेंगे तो देखेंगे कि कृषि मजदूर ज्यादा हैं। मार्जिनल किसानों की संख्या ज्यादा है। उसी आधार पर वहां के लोगों के जीवन चलते हैं। बिहार में लघु किसानों की संख्या ज्यादा है हरियाणा, पंजाब में सीमान्त किसान, लघु किसान की संख्या के साथ-साथ खेतीहर मजदूरों की संख्या भी कम है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यह जो असंतुलन है, विषमता है, इसे रोकें और संतुलन लाएं। मैंने इसीलिए कहा कि न आपकी दृष्टि है, न आपकी दिशा है, न आपका संकल्प है। हमारी दिशा क्या होनी चाहिए - स्वाभिमानी, स्वावलम्बी, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण। दृष्टि तात्कालिक, दीर्घकालिक और प्राथमिकताओं का निर्धारण होना चाहिए। हमारा संकल्प होना चाहिए समय सीमा के अंदर, समग्रता में लक्ष्य को प्राप्त करना। जब हम कृषि को प्राथमिकता, ग्रामीण उद्योग को दूसरे नम्बर पर, वृहद उद्योग को तीसरे नम्बर पर रखेंगे, गांधी जी ने सपना देखा था, यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद किसान नेता आए, पटेल चले गए, आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह आए, इस देश ने चौधरी चरण सिंह को नहीं माना। आजादी के बाद जो भी नेता आए, डा. लोहिया आए, पिछड़े, दलित को जगाने आए, अस्पताल में जाकर उन्हें मार दिया गया, ऑपरेशन के जरिए मारा गया।

हिन्दुस्तान में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चेतना देने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याय की लाश *...(व्यवधान)* उनकी हत्या करके लाश को ट्रेन से फेंक दिया गया। *...(व्यवधान)* इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार या कांग्रेस पार्टी की एक ही बात रही है कि जो शीश उठायेगा, उसकी गर्दन काट देंगे। जो गुलाम बनकर आयेगा, वह उनके साथ रह जायेगा। *...(व्यवधान)* ये कभी शेर को साथ नहीं रहने देते। *...(व्यवधान)* ये गुलामों को पूछते हैं। *...(व्यवधान)* ये गुलामों को साथ रखते हैं। जो शेर बनकर आयेगा, वह जरा गर्दन उठा दें *... (व्यवधान)* क्या कभी किसी की गर्दन बची है? *...(व्यवधान)* इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। *...(व्यवधान)* मैं बिहार से आया हूं। लालू प्रसाद जी यहां मंत्रिमंडल में थे। वे सदन में बैठे हुए हैं। वे आज भी हमारे साथी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। आप बिहार के साथ अन्याय क्यों करेंगे? अगर आप बिहार के साथ अन्याय करेंगे, तो बिहार ने भी चुनाव में बदला चुकाया है। आप एक बात याद रखो कि अगर यह अन्याय जारी रहेगा, तो उस बिहार से ऐसी अग्नि निकलेगी कि कांग्रेस पार्टी का वंश नाश कर देंगे, लेकिन बिहार के लोग छोड़ेंगे नहीं *...(व्यवधान)* इसलिए आप हमारा हिस्सा दे दो। *...(व्यवधान)* हम कोसी में डूबते हैं *.. .(व्यवधान)* बाढ़ में मरते हैं। *...(व्यवधान)* मैं कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूं। *...(व्यवधान)* मैं कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूं। *...(व्यवधान)* मैं किस नेता को न कहकर कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हुक्म देव जी, क्या आपको बजट में कुछ बोलना है?

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)* जैसा वर्ग चरित्र होगा, वर्ग स्वार्थ जैसा होगा, वर्ग हित जैसा होगा, लेनिन के शब्दों में कि आप जैसे समाज की रचना चाहते हैं वैसे ही पार्टी का चेहरा प्रस्तुत करो। इसलिए मैं आपसे इस बारे में प्रार्थना करता हूं। प्रणब बाबू, सदन में आ गए हैं। जब मैं राज्य सभा में था तो ये लीडर थे। मैं उनका सम्मान करता रहा हूं। ये भी हम लोगों को असलियत बताते रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र, योग्यता, दक्षता, विद्वता और अनुभव में प्रणब बाबू जैसे आदमी को जो पार्टी उचित सम्मान नहीं दे सकती, वह पार्टी दुनियां को क्या सम्मान देगी? वह पार्टी किसानों को क्या सम्मान देगी, पिछड़ों को क्या सम्मानित करेगी, वह दलितों को क्या सम्मानित करेगी?

इसलिए मैं आपसे अंत में केवल एक ही बात कहूंगा कि इस बजट में *...(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या प्रणब बाबू प्रधान मंत्री होते?*...(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : अगर प्रणब बाबू प्रधान मंत्री होते, तो मैं बजट का विरोध नहीं करता, क्योंकि ये वित्त मंत्री हैं। इन्होंने बजट पेश किया है, लेकिन दिशा किसी और की है, दृष्टि किसी और की है, नाच कहीं और होता है और कठपुतली को नचाता कोई और है। हम उस अदृश्य शक्ति का विरोध करते हैं, जिसने अपनी दृष्टि, अपनी दिशा इस बजट में दी है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आइये, अपनी धरती को पहचानिये, अपने संस्कार को पहचानिये, भारत के किसानों, मजदूरों को पहचानिये, भारत के पशुधन को पहचानिये। वही हमारा प्राण है और वही हमारी चेतना रही है।

अंत में, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि इस देश में हमारे जितने भी पिछड़े राज्य हैं, उन पिछड़े राज्यों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था क्यों नहीं होगी? प्रणब बाबू, जो उद्योग धंधे खेती लायक भूमि पर लगेंगे, वे बंजर भूमि पर क्यों नहीं लगेंगे? वर्ष 1950 से लेकर आज तक एक करोड़ हैक्टेयर से ऊपर की खेती लायक जमीन कम हो गई है। जब कृषि की भूमि कम

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

होगी, उत्पादन कम होगा, अनाज कम होगा तब इस देश का विकास नहीं हो सकता। यह बड़े-बड़े लोगों का षडयंत्र है कि खेती को मारो। जब खेती में उत्पादन कम होगा, अनाज कम होगा, हाहाकार मचेगा, विदेश से आयात होगा और एक पैसे का माल तीन पैसे में खरीदेंगे, हिन्दुस्तान के किसान को गेहूं का दाम 1050 रुपए क्विंटल देंगे और बाहर से 1600 सौ रुपए क्विंटल मंगायेंगे, हमारे घर की गेहं 1050 रुपये क्विंटल गोरी चमड़ी वाले की गेहूं 1600 रुपए क्विंटल है, यह कहां का इंसाफ है? इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आइये, एक मूल्य आयोग बनाइये। मूल्य आयोग बनाकर औद्योगिक माल और खेतिया माल के संतुलन को बनाने के लिए लागत तय करिये।

डा. लोहिया ने इसी सदन में कहा था : अन्न दाम का घटना-बढ़ना, आना सेर के अन्दर हो, डेढ़ गुने की लागत पर करखनिया माल की बिक्री हो। कारखाने में उत्पादित वस्तु की जो भी लागत हो, जैसे सीमेंट की एक बोरी अगर 100 रुपए में तैयार होती है, तो हिन्दुस्तान में वह कहीं भी डेढ़ सौ रुपए से ज्यादा में न बिके। जो दवा एक रुपए में तैयार होती है, वह कहीं भी डेढ़ रुपए से ज्यादा दाम में न बिके। हमारा अनाज है, 1050 रुपए प्रति क्विंटल आपने खरीद लिया। जब हम अपना अनाज बेटी की शादी, बाप के श्राद्ध या बेटे की पढ़ाई के लिए, अपनी रोजी-रोजगार के लिए बेच चुकते हैं, जब वह हमारे घर से निकल गया, तब बाजार में अनाज की कीमत बढ़ जाती है। वे लोग आपका साथ क्यों देंगे? किसने आपका साथ दिया है? जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, लूटा है, वे मजे में हैं, उन्होंने चुनाव में शहरों के आस-पास आपको बहुमत देकर जिताया है क्योंकि वे लूटने वाले हैं, वे मालामाल हो गए हैं। आपको वे क्यों नहीं जितवाएंगे? जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के खजाने से वेतन-भत्ते पाते हैं, उनका वेतन बढ़ता है। पांचवां वेतन आयोग, छठा वेतन आयोग बनाकर उनकी जेब में आप पैसे डालते हैं, वे सरकार के खजाने से वेतन-भत्ता पाते हैं। आप उनके खर्चों को बढ़ा देते हैं। महंगाई बढ़ी एक रुपया और आप उनके पॉकेट में डाल देते हैं डेढ़ रुपए, वे तो संतुष्ट हो जाते हैं। मरता कौन है? ये 60-65 प्रतिशत गांव के किसान और 82 प्रतिशत गांव में बसने वाले लोग हैं। जब गांव में हम 82 प्रतिशत हैं, तो आप हमें बजट में 82 प्रतिशत हिस्सा क्यों नहीं देंगे? जब खेती में 60-65 प्रतिशत लोग हैं, तो आप हमको बजट में 60-65 प्रतिशत हिस्सा क्यों नहीं देंगे? हम अपना हिस्सा मांगते हैं। हमारा हिस्सा आपको देना होगा। अगर नहीं देंगे तो विद्रोह होगा, केवल समाज के अन्दर नहीं, सारे राष्ट्र में किसान विद्रोह होगा। इसलिए यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मैं चेतावनी देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह गांव की आवाज है, किसान की आवाज है, दलित की आवाज है, भूखे-प्यासे लोगों की आवाज है, गांव की मिट्टी की आवाज है। मेरी आवाज को सुनिये, समझिए, इस पर आगे बढ़िए, नहीं तो एक समय आएगा कि न हम रहेंगे और न आप रहेंगे। न राजा रहेगा, न रानी रहेगी, यह माटी सभी की कहानी कहेगी। जब इतिहास में आपका नाम मिट जाएगा, इस संसद का इतिहास नहीं रह जाएगा, उस दिन चेतने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

प्रणव बाबू, आप उठिए, अपनी दिशा में, अपनी दृष्टि से एक नई दिशा इस बजट को दीजिए, गांव वालों को हिस्सा चाहिए, किसान को हिस्सा चाहिए, मजदूर को हिस्सा चाहिए, पिछड़े, दलित, वनवासी को सम्मान चाहिए। उनकी औरतों को क्या आपने कभी देखा है? वह मिट्टी में काम करती हैं, पसीने से लथपथ हो जाती है। पसीने के कारण उसके शरीर से बदबू आती है। गिट्टी तोड़ने वाली, सड़क पर मजदूरी करने वाली भगवती देवी कभी लोहिया के आंदोलन से एमएलए बनी थी और संसद तक भी आई थी। क्या आप वैसी महिला को इस बजट के माध्यम से उस स्थिति से निकाल सकते हैं? महात्मा गांधी ने कहा था, तुम बजट बनाओ, तुम्हारा पैसा अन्तिम मानव तक कितना पहुंचता है, उससे यह जांचना कि वह बजट कितना सफल हुआ। दीन दयाल उपाध्याय ने कहा कि अन्तिम मानव को देखो। लोहिया ने कहा समता समाज बनाओ। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगा कि बहुमत के बल पर कभी इतराना मत, बहुमत के बल पर कभी ईसा मसीह को शूली पर लटकाया गया था। बहुमत से उनको फांसी देने वाले इतिहास से मिट गए, लेकिन ईसा मसीह का नाम अमर है। कभी मोहम्मद साहब पर ईंटें-पत्थर बरसाने वाले इतिहास से मिट गए, लेकिन मोहम्मद का नाम अमर है। महात्मा गांधी के सीने पर गोली चलाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन इतिहास में वह अमर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर बजट में हिस्सा देना है, तो हिस्सा दीजिए, हमको समता दीजिए, समानता दीजिए, हमारे पशुओं को बचाइए, मेरी धरती को बचाइए, मेरी गंगा को बचाइए, मेरी नदियों को बचाइए, मेरे जंगल को बचाइए जिससे यह देश बचेगा, यह समाज बचेगा, तब आप रहेंगे और यह देश रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं, लेकिन वित्त मंत्री का सम्मान करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, विशेषरूप से बड़े दलों के सदस्य, कृपया अपने विवेक से काम लें, अन्यथा आपके अपने साथियों को परेशानी होगी। श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने 23 मिनट का समय लिया है।

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना) : सभापति महोदय, मैं बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं अपराह्न 2.15 बजे से सभा में हो रही चर्चा को सुन रहा हूं। मुझे, सभा के कुछ सदस्यों द्वारा की गई आलोचना से आघात पहुंचा है। इससे ऐसा संदेश पहुंचता है कि हमारा बजट पूरी तरह से ही गलत है।

यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि केवल दो माह पहले ही इस देश में आम चुनाव हुए हैं। उस आम चुनाव में सप्रंग को एक निर्णायक जनादेश प्राप्त हुआ है। गत पांच वर्षों में हमने कुछ सही कार्य किए होंगे, तभी इस देश की जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले सप्रंग में अपना विश्वास व्यक्त करने का निर्णय लिया और इस देश में शासन करने के लिए हमें पांच वर्ष का समय और दिया है।

किसी भी सार्थक आलोचना का स्वागत है, परन्तु कोई भी सार्थक आलोचना राष्ट्र के लोगों की इच्छा की और अभिव्यक्ति का खंडन करने का एक मंच नहीं बननी चाहिए।

संयुक्त राज्य अमरीका में व्यापक मंदी के संबंध में, 2 जुलाई, 1932 को तत्कालीन गवर्नर रुजवेल्ट ने अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का नामांकन भरते हुए एक व नई व्यवस्था की संकल्पना का उल्लेख किया था। उनकी नई व्यवस्था एक बहुत ही साधारण नैतिक सिद्धांत पर आधारित थी। आपकी अनुमति से, मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> ''राष्ट्र का कल्याण और उसकी सुदृढ़ता सर्वप्रथम आम जनता की इच्छा और आवश्यकता पर निर्भर करती है; और दूसरे इस बात पर निर्भर करती है कि जनता की इच्छा और आवश्यकता की पूर्ति हो रही है अथवा नहीं।''

सतहत्तर वर्षों के बाद, इस अभूतपूर्व वैश्विक मंदी के दौर में, वित्त मंत्री ने अपने बजट में उन नैतिक सिद्धांतों को सम्मिलित किया है क्योंकि बजट केवल लेखाओं का एक विवरण मात्र नहीं है। यह देश की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं का विवरण भी है।

यह अभूतपूर्व है—ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। 1929 में, जब व्यापक मंदी आई, तो उसके लिए बैंकर जिम्मेदार थे – श्री रुजवेल्ट ने उन्हें 'मनीचेंजर' कहा, उनके लालच के कारण बैंकिंग व्यवस्था पर भारी संकट आ गया था और व्यापक मंदी आ गई। 2008 में फिर से बैंकरों और उके लुभावने उत्पादों (डेरिवेटिव्ज) की वजह से यह वैश्विक आर्थिक मंदी आई है।

इन दोनों उदाहरणों में, जबकि बैंकर, जो कि वित्त जगत के जाने-माने लोग हैं, ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, ऐसे में विवेकशील लोगों, अर्थात राजनेता अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए आगे आए। उस समय फ्रैंकलिन रुजवेल्ट ने यह कार्य किया था और इस समय सामूहिक रूप से जी-20 समूह ने यह जिम्मेदारी ली है।

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट को सही संदर्भ में देखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है: इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है। मई, 2009 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ) ने एक रिर्पाट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् पहली बार, 2009 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 1.3 प्रतिश तक सिकुड़ जाएगी, यह अभूतपूर्व है कि 60 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है।

गत एक वर्ष या बिल्कुल ठीक कहें तो पिछले छह माह के दौरान, जापान के निर्यात में 44 प्रतिशत की कमी आई है; चीन के निर्यात में 33 प्रतिशत की कमी आई है। आशियान देशों की सामूहिक अर्थव्यवस्था में 13 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केवल वर्ष 2009 में ही, एशिया में 62 मिलियन लोग निर्धन हो जाएंगे।

इस वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, मेरा मानना है कि संप्रग सरकार बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि सप्रंग-सरकार को उसके आर्थिक प्रबंधन के लिए बधाई दी जानी चाहिए। वर्ष 2004-09 के दौरान किए गए इस देश के सुदृढ़ वृहत् आर्थिक प्रबंधन के कारण भारत काफी हद तक इस संकट से उबरने में सफल रहा है। विकास दर के बारे में संदेह था। मैं फिर से टकराव की स्थिति में नहीं जाना चाहता परन्तु मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि 2004 से 2009 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में औसत 8.85 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जो कि गत दो दशकों का रिकार्ड है। मेरा मानना है कि कोई भी सप्रंग सरकार के इस श्रेय को नहीं ले सकता। इसके अलावा, सकल घरेलू उत्पाद अनुपात की तुलना में बचत और निवेश की दर बहुत मतबूत है, यह देश एक बहुत मजबूत वृहत् आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण करने में सफल रहा है।

मैंने भाजपा के अग्रणी वक्ता माननीय डा. मुरली मनोहर जोशी को सुना जिसमें उन्होंने कृषि क्षेत्र का जिक्र तक नहीं किया। फिर से किसी टकराव से बचते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2002-03 में जब राजग की सरकार थी, तो कृषि विकास दर नकारात्मक और यदि मैं गलत नहीं हूं तो-7.2 प्रतिशत थी और 2004 से 2008 के बीच कृषि की औसत विकास दर 3.55 प्रतिशत रही है और मेरा मानना है कि सप्रंग सरकार की यह एक उत्कृष्ट उपलब्धि है।

[हिन्दी]

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : आज आलू कितने रुपये पर बिक रहा है?...*(व्यवधान)*

श्री मनीष तिवारी : देखिए, हमने आपको इंट्रप्ट नहीं किया था, आप बैठ जाइए और जब हम अपना भाषण खत्म कर लें तब आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा।

[अनुवाद]

वर्तमान बजट को तीन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। यह एक ऐसा बजट है जिसमें सबका 'ध्यान' रखा गया, जिसमें सबकी 'भागीदारी' है और जिसमें 'साहसिक' कदम उठाए गए हैं। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट में बहुत विवेकपूर्ण तरीके से लघु अवधि प्रोत्साहन, मध्यम अवधि राजकोषीय दूरदर्शिता और दीर्घ-अवधि संस्थागत सुधारों को शामिल किया गया है। अपराह्न 2.15 बजे से कुछ सदस्य इस बजट की आलोचना कर रहे हैं। मेरे द्वारा पूर्व में दिए गए तर्कों को सिद्ध करने के लिए, मैं इस बजट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को दोहराना चाहता हूं।

वित्त मंत्री ने जिन लघु अवधि प्रोत्साहनों की रूपरेखा प्रस्तुत की है और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में जिसके दीर्घ कालिक परिणाम होंगे उसकी शुरुआत वित्तीय अवसंरचना के एक मार्ग के रूप में आई.आई.एफ.पी.एल. लागू करके की गई है। जैसा कि सही उल्लेख किया गया है कि यदि निजी-सार्वजनिक भागीदारी वित्त पोषण व्यवस्था का आई.आई.एफ.सी.एल. मॉडल कार्य करता है, तो अवसंरचना में 100,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया जा सकता है। इसी प्रकार, राजमार्गों और रेलवे जिनका रोजगार का सृजन करने में बहुत महत्व है, पर ध्यान दिए जाने, शहरी अवसंरचना पर ध्यान केन्द्रित करने, निजी ऋणदाताओं के ऋणी किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य बल पर ध्यान केन्द्रित करने और अंत में निर्यात क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों से भारतीय अर्थव्यवस्था को 9 प्रतिशत की विकास दर पर वापस लाने में बहुत सहायता मिलेगी।

इसी तरह, वित्त मंत्री का उर्वरक पर राजसहायता के प्रश्न की मध्यावधि समीक्षा करने का निर्णय, राजनीतिक रूप से विवादास्पद, किन्तु साहसी निर्णय है। इस बात के होते हुए भी कि बजट में बहुत साहसी पहल की गई है, उर्वरक पर राजसहायता के मुद्दे की समीक्षा की आवश्यकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत निर्धारण पर पुन: दृष्टिपात करें, विनिवेश पुन: सरकार की प्राथमिकता में है और आयकर संहिता में आमूलचूल परिवर्तन, जो एक वकील के रूप में मैं आपसे बता सकता हूं कि अपनी छूटों और अपवादों के लिए अधिक जाना जाता है बजाय इसके नियम या कानूनों के और बायो डीजल के प्रयोग को बढ़ावा देना मध्यावधि में उठाए गए ऐसे कदम हैं जो भारत को महाशक्ति बनने और उच्च स्तर पर अपना उचित स्थान पाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेंगे।

इसी तरह, यदि आप बजट को दीर्घ कालिक दृष्टिकोण से देखें तो इस सदन में चारों ओर 'नरेगा' के बारे में काफी आलोचना हुई है और मैं इसका एक वाक्य में उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

अगूंर खट्टे हैं मेरे भाई। एनआरईजीए ने कांग्रेस को राजनीतिक फायदा नहीं दिया है, बल्कि जो गरीब है, जो गांव में बसता है, खेत-खलिहान में बसता है, मजदूर है, एनआरईजीए ने उसका ध्यान रखा है। इसका परिणाम ही आपको चुनाव में देखने को मिला है। यह बात आपको भूलनी नहीं चाहिए।

[अनुवाद]

इस तरह, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन करने, निवेश पर करों में छूट अर्थात, यदि आप निवेश करते हैं तो आपको लाभ के अन्य तरीकों की अपेक्षा कर छूट मिलेगी, जीएसटी में दोहरायण और चुनावों में विश्वास की ओर बढ़ना, ये सभी ऐसे उपाय हैं जो अगले पांच वर्षों में भारत का रूपांतरण करने जा रहे हैं जैसाकि हमारे वामपंथी मित्र अब तक समझ चुके होंगे। परिवर्तन हमेशा क्रमिक होने चाहिए और परिवर्तन हमेशा इस तरह संशोधन करने वाले होने चाहिए जिन्हें समाज अपना सके। यदि आप कोशिश करें और जबर्दस्ती लोगों पर परिवर्तन लादें तो वही होगा जो सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में हुआ। आप 'पैंडोरा बॉक्स' खोलेंगे और फिर इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे।

अन्तत:, मैं दो बातें कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं। वित्त मंत्री के बजट भाषण में 'फ्रिंज बेनीफिट टैक्स' समाप्त किया गया है। लेकिन यदि आप व्याख्यात्मक ज्ञापन पढ़ें तो करारोपण का भार नियोक्ता से कर्मचारी पर डाल दिया गया है। मैं वित्त मंत्री से कर्मचारियों पर करारोपण के भार की समीक्षा करने का निवेदन करता हूं और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंदी वाली अर्थव्यवस्था में, उद्यमशीलता की भावना, जो नई अर्थव्यवस्था शुरू कर सकती है जो नई अर्थव्यवस्था शुरू करने का एक दूसरा आयाम है, कर्मचारियों पर ही करारोपण का यह भार बने रहने से बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

अन्तिम लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह कि, माननीय वित्त मंत्री मैं आपको मेरे विश्वविद्यालय, (अलमा मैटर) पंजाब विश्वविद्यालय,

चंडीगढ़ को 50 करोड़ रु. का अनुदान देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे यह देखने के लिए विश्वविद्यालय से बात करने का भी निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय का नया परिसर–यदि वे इसे बनाने का निर्णय लेते हैं – तो यह उन्हें लुधियाना में बनाना चाहिए क्योंकि पंजाब विश्वविद्यालय का भौगोलिक विस्तार चंडीगढ़ से बाहर तक हो गया है।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट चर्चा में बोलने का अवसर दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2009-10 का जो सामान्य बजट प्रस्तुत किया है, उसमें माननीय वित्त मंत्री जी उस अर्थव्यवस्था की गाड़ी की गति को तेज करना चाहते हैं, जिसके सारे पहिए पंक्चर हैं। बजट पेश करने के बाद मंत्री जी ने स्वयं एक गोष्ठी में कहा था कि तेज विकास दर के लिए वित्तीय घाटा जरूरी है। मैं अपनी बात को ज्यादा लम्बा नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि हमारे बोलने के लिए समय कम है, लेकिन बजट में यह स्वीकार किया गया है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। इसमें ऋण प्रसार को बढ़ाने, ऋण राहत और सिंचाई कार्यक्रम के अतिरिक्त किसी भी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से एक घोषणा की गई है कि हम उन किसानों को जो समय से अपना ऋण चुका देंगे, उनको हम 7 प्रतिशत की जगह पर 6 प्रतिशत का लाभ देंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसान अपना कर कैसे चुकाएगा? जो किसान पैदा करता है, जब तक उसे उसकी लागत का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, वह अपने कर्ज को अदा नहीं कर पाएगा।

दूसरी बात, बजट के अंदर अभी हुकुम नारायण जी भाषण कर रहे थे। पशु धन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। आज हम लगातार देख रहे हैं कि खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की मिलावट हो रही है। किस प्रकार से चाहे दूध हो या घी हो, किस प्रकार की मिलावट होने का काम हो रहा है और जब दूध 12 रुपए लीटर बिकेगा और पानी 10 रुपए लीटर बिकेगा तो ऐसे में किसान कैसे सुखी हो सकता है? आज इतना नकली घी, दूध पूरे देश में आ रहा है जो दूध, घी और मक्खन का इस्तेमाल हम करते हैं, उसमें यह जरूर सोचते हैं कि यह नकली भी हो सकता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पशु धन के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। जो केन्द्र की वित्तपोषित योजनाएं हैं, चाहे वह नरेगा हो, जिसकी बहुत वाहवाही की गई है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है कि कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि नरेगा के कारण उनको बहुत लाभ हुआ है। आप मानिए। लेकिन नरेगा की सच्चाई को भी समझने की कोशिश करिए। आज यह नरेगा जो गांव के चुने हुए प्रधान हैं, उनके गले की फांसी बनी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। विनय पांडे जी हमारे बलरामपुर लोक सभा से आते हैं। यहीं पर बैठे हुए हैं। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि आज यू. पी. के वे अधिकारी जिन गांवों में मौजूदा सरकार चुनाव हार गई है, उन गांवों के प्रधानों की ग्राम कार्य योजना भी बनाने को तैयार नहीं हैं। हमारे पुनिया साहब बैठे हैं। वे भी इस हकीकत को जानते हैं। जो नरेगा की योजना के बारे में सारे विपक्ष के लोगों ने बताया है कि यह फ्लॉप है। मैं नहीं कहता कि यह फ्लॉप है। अगर यह योजना फ्लॉप हुई है तो मैं कहूंगा कि जो जगह-जगह पर अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके कारण यह योजना फ्लॉप हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी मंशा में कोई संदेह नहीं है। बीपीएल कार्ड में जिस प्रकार से धांधली है और सदन में कई वक्ताओं ने बीपीएल कार्ड में बरती गई अनियमितताओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि केवल यू.पी. में ही नहीं, देश के अंदर बीपीएल कार्ड किनको मिला है और किनको मिलना चाहिए, इस बात की समीक्षा होनी चाहिए, तभी आपका उद्देश्य जो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का है, वह पूरा हो सकेगा, नहीं तो आपकी योजना सफल नहीं हो सकेगी।

आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार अगर कहीं देखना है, तो इसके कारण देखा जा सकता है। आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण जो आप चावल, तेल और चीनी जिन लोगों को देना चाहते हैं, उन लोगों तक न पहुंचकर आज यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। आज इस बात की जरूरत है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विशेष ध्यान सरकार का होना चाहिए।

सायं 7.00 बजे

हमें सदन में मौका तो मिलता है लेकिन कम मिलता है, यहां सरकार हमारी बात नहीं सुनती और वहां बैठे अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें माननीय सांसदों की क्या भूमिका है? जो योजनाएं केंद्र द्वारा दी गई हैं, सांसद चाहते हैं कि उन योजनाओं में उनकी भागीदारी हो, उनकी बात सुनी जाए और उनको निगरानी का मौका दिया जाए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि अगर आप अधिकारियों को विश्वासपात्र मानकर इनके बल पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस योजना को पहुंचाना चाहते हैं तो इस बात को भूल जाइए। आपका जो उद्देश्य है और अगर इसे आप सफल करना चाहते हैं तो जो लोग सदन में बैठे हैं, चाहे वे जिस पार्टी

[श्री बृजभूषण शरण सिंह]

से हैं, इन्हें विश्वास में लीजिए तभी आपकी योजना सफल होगी। अगर आप अधिकारियों पर भरोसा नहीं करेंगे तो यह फ्लॉप है और फ्लॉप रहेगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सायं के 7.00 बजे हैं। जैसा कि पहले निर्णय हुआ था, अब हम अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे ले सकते हैं। शून्य काल के अंतर्गत दिए जाने वाले चार वक्तव्य हैं

श्री तूफानी सरोज।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भारत सरकार के मुख्यालय पर पत्र-सूचना कार्यालय द्वारा प्रत्यायित पत्रकारों और विशेष रूप से फ्री-लांस पत्रकारों की एक प्रमुख समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इन पत्रकारों और उनके परिवारों के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन वर्ष 2007 में पहले तो इस सुविधा को समाप्त कर दिया गया और फिर प्रयास के बाद इसे शुरू किया गया तो अस्थाई और वह भी अकेले पत्रकार के लिए किया गया। उनकी पत्नी और बच्चों को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया। इस सुविधा के लिए पत्रकारों से 1067 सालाना लिया भी जा रहा है। सरकार के इस रवैये से सबसे ज्यादा प्रभावित फ्रीलांस और कम वेतन पाने वाले पत्रकार हैं। भारत सरकार का यह रवैया चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ घोर अन्याय है। अत: हमारी सरकार से मांग है कि वह भारत सरकार के मुख्यालय से प्रत्यायित पत्रकारों को सीजीएचएस के माध्यम से दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा को पूर्व की भांति पूरे परिवार के लिए बहाल किया जाए ताकि वे बगैर किसी चिंता के अपना काम कर सकें।

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : माननीय सभापति जी, भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे हम जितनी तारीफ कर लें कि हम आर्थिक विकास की गति में बहुत आगे जा रहे हैं लेकिन देश में पौष्टिक आहार की कमी है इसलिए देश में महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके कई कारण हैं - एक यह है कि देश के आदिवासी इलाकों में गरीब महिलाओं व दलित परिवारों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। आप गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी तथा दूसरी संस्थाओं से सुविधा देना चाहते हैं उससे भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इससे दूसरे एरियाज़ में भी कुपोषण बढ़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उन एरियाज़ में, जहां इसका भयंकर रूप है, इसे रोकने का काम करें। इस बारे में बजट चर्चा में बहुत माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है। भारत में विश्व में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। इस देश में 22 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। यह गंभीर समस्या है। हमारे देश में अन्न और मोटे अनाज में प्रोटीन तत्व की कमी होती जा रही है, ताकत कम होती जा रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे परिवारों को, जो पिछड़े इलाके में हैं, जो कमजोर वर्ग के हैं, आदिवासी इलाकों में हैं, आंगनवाड़ी तथा अन्य संस्थाएं जैसे एनजीओज़, जिनकी मदद भारत सरकार करती है, सुविधाएं मिलनी चाहिए। यह जमीनी हकीकत है चाहे आंगनवाड़ी हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्यकत्री हों या आशा से संबंध रखते हैं, जो सुविधाएं गरीब परिवारों को जानी चाहिए वह नहीं दी जा रही हैं जिससे कुपोषण बढ़ रहा है। जब हम विश्व में इतनी तेजी से डंका पीट रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी से उबर गए हैं, हम आर्थिक मंदी में नहीं हैं, हम विश्व के आर्थिक विकास में सबसे आगे हैं, इस दशा में भारत को कुपोषण को लेकर चिंता करनी चाहिए। इसके निराकरण और गरीबों की भलाई के लिए ठोस कार्यक्रम बनाकर देश के बच्चों को बचाना चाहिए। उनका नि:शुल्क इलाज करना चाहिए। ऐसी गर्भवती महिलाओं को इसकी सुविधा देनी चाहिए और ऐसे आदिवासी इलाकों को चिह्नित करना चाहिए।

महोदय, हमारे जनपद चंदौली में 100 से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हुए हैं और उन्हें सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मैं मांग करता हूं कि सरकार ऐसी गंभीर समस्या पर गंभीरता से विचार करके एक कार्य योजना बनाकर इस देश को कुपोषण से बचाने का काम करें। धन्यवाद।

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आज पूरे उत्तर भारत में सूखे की स्थिति है। कई वर्षों से कम वर्षा होने के कारण पूरे उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विंध्यांचल श्रेणी में बसे हुए भूभाग का किसान अनाज का एक भी बीज अपने खेतों में नहीं डाल पाया है। सावन का महीना लग गया है और इस महीने में अभी तक किसान के घर से बीज खेत के लिए नहीं निकला

है। कई सालों से वर्षा कम होने के कारण पहले से ही वहां के बांध, नदी, पोखरे, तालाब और झील सब सूख गए हैं और वाटर लैवल इतना नीचे पहुंच गया है कि वहां के हैंडपम्प और वहां की पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। पूरे बुंदेलखंड में सिंचाई के पानी की बात छोड़िए, पीने के पानी का भी भीषण अकाल पड़ा हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि यहां से एक जांच दल भेज दिया जाए या सांसदों का एक दल भेज दिया जाए। श्री राहुल गांधी ने इस क्षेत्र का दौरा किया था, उन्होंने उस आदिवासी बैल्ट का दौरा किया था। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस समय दौरा कर लें और वहां के हालात देख लें। मैं अनुरोध करूंगा कि यहां से उस क्षेत्र के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। वहां कि किसानों के लिए भी स्पेशल पैकेज दिया जाए। इसके अलावा वहां पेयजल का गंभीर संकट है। सावन के महीने में पानी का भीषण संकट है। पशुओं और मनुष्यों के लिए पीने का पानी भी वहां नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस क्षेत्र के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए और वहां के किसानों के हर प्रकार के ऋण माफ किए जाएं और वहां तुरंत पेयजल की व्यवस्था कराई जाए। वहां के किसान कई वर्षों के सूखे के कारण तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। किसान की कमर टूट चुकी है।

सभापति महोदय : रिपीट मत कीजिए।

श्री आर.के. सिंह पटेल : इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों की हालत को देखते हुए वहां के किसानों के सारे कर्जे और लगान माफ किए जाएं और स्पेशल पैकेज देकर वहां तुरंत राहत पहुंचाई जाए। धन्यवाद।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भूली श्रमिक नगरी धनबाद (झारखंड) पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी भूली की स्थापना तत्कालीन श्रम मंत्री, बाबू जगजीवन राम के द्वारा धनबाद में की गई थी। वहां कोलियरी कर्मचारी तथा अन्य लोग उस समय से मान्य नियमों के अनुसार रह रहे हैं। उन्हें वहां रहते हुए पचास वर्ष हो गए हैं। लेकिन आज उन्हें वहां से विस्थापित किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जो मान्य नियम था, जिस समय इस नगरी की स्थापना की गई थी, उस आधार पर वहां के लोगों को वहीं रहने दिया जाए, उन्हें विस्थापित न किया जाए।

श्री देवराज सिंह पटेल (रीवा) : माननीय सभापति महोदय, रेल बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं आपका ध्यान अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र रीवा, मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह ऑलरेडी हाउस में आ चुका है और इसका रिप्लाई भी दिया जा चुका है।

श्री देवराज सिंह पटेल : महोदय, मैं लिखित रूप में आपको दे देता हूं।

कल मुझे उत्तर नहीं मिला था, इसलिए मैं आज बोलना चाहता हूं। रीवा रेल के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है जो कभी मध्य भारत की राजधानी हुआ करता था। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गाड़ी संख्या 1472 *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह पहले ही सभा के ध्यान में लाया गया है। माननीय रेल मंत्री ने भी उत्तर दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य की सुविधा के लिए कहना चाहता हूं कि चूंकि रेल बजट पर बहस समाप्त हो चुकी है, अगर वह एक-दो मिनट में अपनी बात कहना चाहेंगे तो जीरो ऑवर में कह दें, आप इजाजत दें, वैसे नहीं बोल सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट में समाप्त करें। आपको सूचना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रेल सेवाओं से संबंधित है। आप केवल रीवा के बारे में बोल सकते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं। यह आपकी सूचना है। कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवराज सिंह पटेल : क्या मैं लिखित रूप से सभा पटल पर उपलब्ध करा दूं? मुम्बई से चलकर एक गरीब रथ गाड़ी आती है जो जबलपुर पर खड़ी रहती है। मैं चाहता हूं कि जबलपुर *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको अनुमति नहीं है। यह आपकी सूचना नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपने एक विशेष सूचना दी है। आप उस पर ही बोल सकते हैं और दूसरे विषय पर नहीं। यदि आप बोलना नहीं चाहते हैं, तो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सायं 7.15 बजे

सामान्य बजट, 2009-10 — सामान्य चर्चा

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) 2006-07 — *जारी*

सभापति महोदय : अब हम बजट (सामान्य) पर हमारी चर्चा आगे जारी रखते हैं।

श्री लालू प्रसाद।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : सभापति महोदय, आपने कृपा की जो मुझे सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया। प्रणब दा ने जो वर्ष 2009-10 का बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। हालांकि हमारा लिखित समर्थन इस सरकार को दिया हुआ है।

सभापति जी, हम लोग बाहर से सुनते थे कि यह निश्चित था कि कौन फाईनैंस मिनिस्टर बनने वाला है क्योंकि 20 मंत्री बनने वाले थे, इसलिए भारी कन्फ्यूज़न था। कई लोग इस पद के लिए कतार में थे लेकिन सब से योग्य इनको मानते हैं। हम लोग पिछली सरकार में थे। पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, उस समय हमारी सरकार ने बड़ी मुश्किल से तमाम भारत के किसानों को उस तकलीफ से बाहर निकाला था। अभी भी मंदी का दौर समाप्त नहीं हुआ है लेकिन आज देश के सामने खतरनाक बात आने वाली है। इसमें सवाल कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य पार्टी का नहीं है। आज सवाल भारत की अर्थव्यवस्था का है जो कृषि पर आधारित है। आज उद्योग-धंधे भी कृषि पर आधारित हैं। किसान और मजदूर तबका भारत के गांवों में बसता है। आज भारत की जनसंख्या 110 करोड़ हो गई है। हमें कितना चावल, कितना गेहूं, कितनी सब्जी, दूध और दही चाहिए? यह बजट मुखिया को बनाना पड़ता है इसलिए आपने इस ओर जरूर ध्यान दिया होगा। हमारा सारा दारोमदार कृषि के ऊपर निर्भर करता है। यह बजट एक ऐसे समय आया जब देश के लोगों के सामने सूखे का एक भारी संकट आ गया है। जो व्यवस्था आपने अपने बजट में सोची होगी, मैं ज्यादा तह में नहीं जाना चाहता हूं, वह सारी व्यवस्था सूखे की वजह से चरमराने वाली है। इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए कि सूखे के समय हम क्या ठोस उपाय करेंगे? इसका असर बहुत बुरा होने वाला है और आपको आकाश के ऊपर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्लांटेशन के काम का पीरियड खत्म हो चुका है और यह किसानों के खेत में बिछा भी नहीं है। अब चारों तरफ हाहाकार मचने वाला है। अगर किसी किसान ने पानी पटा कर धान लगा भी दिया है तो वह धान गर्मी की भाप से पूरी तरह गल रहा है। यह प्रकृति की सबसे बड़ी मार हमारे सामने आई है। मैंने कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों से कहा था कि मैं माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी से मिलूंगा और कहूंगा कि जब हमारी स्थिति अच्छी तो हमने किसानों को गले लगाया और हमने किसानों को समर्थन मूल्य दिया। हमने अपने किसानों को धान का दाम दिया, गेहूं का दाम दिया तो हमारे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और अन्न के मामले में हमारे भण्डार भर गये। हम बाहर से महंगा गेहूं मंगाते थे, लेकिन बाहर की मिट्टी का स्वाद यहां के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। यहां के सभी लोग अपनी मिट्टी से पैदा हुए अनाज को ही खाना चाहते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न है और हमारे अन्न के पूरे भंडार भर गए हैं। जब स्थिति खराब थी तो हमने एक्सपोर्ट पर रोक लगाया था और जब स्थिति अच्छी हुई तो हम फिर से चावल, गेहूं और दाल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कोई आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास हमारे क्षेत्र के लोग आये थे तो मैंने उनसे पूछा कि महंगाई का क्या हाल है? आज लोगों को खाने की थाली में दाल नहीं मिल रही है, आलू महंगा हो गया है। आज जिनके पास ज्यादा खेती है, रोजगार है, नौकरी है, जिनकी ज्यादा तनख्वाह है, जो प्रोफेसर हैं, उनके ही घर में आज दाल मिल रहा है और वही दाल का स्वाद ले पा रहे हैं। यानी जो सम्पन्न हैं वही दाल का स्वाद ले पा रहे हैं और भारत की बाकी जनता के घर से दाल नदारद हो गई है। मैंने उनसे पूछा कि दाल की जगह पर क्या खाते हो तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से साइकिल पर मटरी बांधकर लाते हैं, कोई मटर होता है, जिसे किराव कहते हैं और उसे 22 रुपए किलो लेकर आते हैं। उसी में ज्यादा तेल नमक-मिर्च देकर, पानी देकर गलत तरीके से काम चला रहे हैं।

हुक्म देव यादव जी ने ठीक कहा है। हुकुम देव जी हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं। पहले ये लोकदल में थे, लेकिन इन्होंने अपनी कंठी तोड़ दी और बाहरी कंठीधारी हो गए और वहां चले गए। यह कोई

बुरी बात या आलोचना की बात नहीं बोल रहे थे। किसान की जो लागत है, उसमें फर्टिलाइजर है, पानी है, उसके खर्च है, लेकिन उसके ऊपर प्रकृति की मार है। हम किसान की पैदावार का उचित दाम नहीं देते हैं, उसे समय पर कर्जा नहीं देते हैं। हम किसान क्रेडिट कार्ड की बहुत बात करते हैं। सीपीएम ने कलकत्ता में बहुत दिन तक राज किया है और अभी भी वह राज में है। लैंड रिफार्म की बात हुई, लाखों-लाख परिवार बटाइदारी में खेत जोतता है। जो एब्सेंटी लैंड लॉर्ड हैं, वे कुछ लोगों को जमीन दे देते हैं कि इस जमीन को तुम जोतो, इस पर तुम्हारा कब्जा है, लेकिन उस पर उन्हें लोन नहीं मिलता है।

पैसा कहां से आएगा प्रणब बाबू? देश के अंदर अगर समतामूलक समाज हमें बनाना है और बैलेन्स करना है, सभी परिवारों पर ध्यान देना है, तो यहां दो तरह की क्लास है। हेव्स और हैव्स नॉट। हैव्स नॉट की थाली में दाल नहीं, मांस नहीं, मछली नहीं, अण्डा नहीं और बाकी लोग तो कुत्तों को खिला रहे हैं। जो हैव्स हैं, उनका कुत्ता अंघाता है और चारों तरफ उसको वॉकिंग भी कराते रहते हैं। ज़रूरी है, करना भी चाहिए। उसको टहलाते भी रहते हैं। देश में समतामूलक समाज कब बनेगा? नहीं बनने का फल यह हो रहा है कि नक्सलिज़्म पैदा हो रहा है, नक्सलाइट पैदा हो रहे हैं। ये नक्सलाइट निकलकर हमें तबाही के कगार पर खड़ा कर रहे हैं। हमें जमीन सुधार, लैण्ड सुधार करना है। जो दौलत पैदा करने वाला है, जो खेती करता है, हाथ से हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, वह मालिक नहीं है। वह बिहार से माइग्रेट कर रहा है जहां से मैं आता हूं। वह जाकर पंजाब में खेती कर रहा है। पंजाब में सिख भाइयों की खेती संभालता है। वह सूरत में जाता है, मुम्बई में जाता है। गज़ब है इस देश का हाल। फिर बंगलौर में जाता है, वहां मार खाता है बिहार का आदमी। बहुत अच्छी बात है कि नरेगा कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया और नरेगा के अलावा प्रधान मंत्री सड़क योजना भी चलाई। भारत निर्माण में काफी पैसा भी दिया और आप उसको फिर रिपीट भी करने जा रहे हैं। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको बंद नहीं करना है। सर्व शिक्षा अभियान को भी रिपीट किया है। हम समय पर नहीं आए थे लेकिन गाड़ी में गुज़र रहे थे तो रेडियो में आपका बजट भाषण सुन रहे थे। लेकिन यह जो नरेगा का कार्यक्रम है इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें हमने कोई गाइडलाइन बनाई है या नहीं। जब इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो नहर खुदवानी है जिससे हमें पानी मिले या उससे हमें रिटर्न हो। सड़कों के निर्माण की बात है। लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि जो कामकाजी लोग हैं जिस जाति और बिरादरी के लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो नोनिया जाति होती है, जो बेलदार हैं - गैंता चलाता है, कुदाल चलाता है, खुरपी चलाता है, उसको अपनी सोसाइटी बनाकर काम करने का अवसर नरेगा में नहीं है। काम मिला हुआ है बड़े-बड़े ठेकेदारों को, जिनके पास मशीन है और कपलर्स जिनके पास हैं। वह मशीन मिट्टी काट रही है नीचे से और मशीन ही सड़क को बराबर कर रही है। फिर यह जो मजदूर है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए हम क्या चाहते हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं? हम लोग बोलते थे कि भैंस के मारल भैंसे में। आपने इनकम टैक्स कुछ कम किया, अच्छी बात है। देश का बजट भी देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन हम यह देखना चाहते हैं, भारत यह देखना चाहता है कि क्या मज़दूर मजदूर ही रहेगा ज़िन्दगी भर? मज़दूर के पीछे, बहुत सी हमारी मज़दूरन बहने हैं जो बच्चे को टोकरी में ढककर ले जाती हैं। छोटा बच्चा वहां पीछे पीछे जाता है। वह देख रहा है कि उसके माता-पिता मिट्टी से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। तो ये सारी बातें हमारे सामने हैं। भारत में उन मज़दूरों को इनकम-टैक्स-पेई कब बनाया जाएगा, उसके लिए क्या मैकेनिज़्म है? जो कामकाजी लोग हैं - लुहार हैं, बढ़ई हैं, सुनार हैं, जो आर्टिज़न हैं, इन आर्टिज़न का रोजगार छीन लिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये जो बुनकर हैं, जो वीवर्स हैं, बड़ी भारी संख्या बुनकर लोगों की है, अंसारी बिरादरी के लोगों की है पूरे देश में, उसके लिए कोई बात होनी चाहिए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हमने लागू की। देश में 90 मुस्लिम डॉमिनेटेड इलाकों को लिया और पैसा भेजा। बिहार में सात जिलों को हमने लिया जहां से इम्युनाइज़ेशन, सैनिटेशन, उनका आवास, उनका स्वास्थ्य, इसके लिए आपने पैसा भेजा। पैसा तो भेजा लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। यह मुस्लिम डॉमिनेटेड इलाकों का है। इससे भी निचले क्षेत्रों में मुस्लिम रहते हैं। वह ताक रहे हैं कि उनके लिए कब कुछ किया जाएगा। उनको कवर नहीं किया गया है। उनको कवर करने के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया है। लेकिन भूल-चूक को आगे सुधारने की जरूरत है। पूरे देश में माइनोरिटी पर इस स्कीम को लागू करना चाहिए। इसका विस्तार और समय पर करने की आवश्यकता है। नरेगा का तात्पर्य, नून रोटी, बेकारों को काम देना अथवा बेकारी भत्ता देना। डॉ. राम मनोहर लोहिया जी, चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी लोकनायक जयप्रकाश जी से हमने सीखा था कि बेकारों को काम दीजिए। इस देश का बेकार काम चाहता है। यदि काम नहीं दे सकते हैं तो बेकारी का भत्ता दीजिए।

महोदय, जो कम पढ़े-लिखे मजदूर हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, उन्हें कमोबेश काम मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, सारे मजदूर माइग्रेट हो कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। जब दूसरे राज्यों में हमारे यहां के मजदूर जाते हैं तो पंजाब के लोग रहते हैं कि बिहार के लोग आए हैं, ये हमारी खेती संभालेंगे और हमारी आमदनी होगी। यह तो अशिक्षित मजदूरों की बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका पढ़े-लिखे लोगों का है। जिस परिवार के पास पैसे हैं, उस परिवार

[श्री लालू प्रसाद]

ने अपने बच्चों को पढ़ाया। भारत के बच्चों के पास दिमाग है, ये पढ़ते हैं, इनमें आगे बढ़ने की भूख है। क्या उनके लिए हमने कोई इंतजाम किया है, कोई इंतजाम नहीं किया है। मंदी के मामले में, जितने भी ये कारपोरेट हाउसेज़ हैं, चाहे प्रदेश की बात हो या दुनिया की बात, मेरा भी दामाद सिंगापुर में एक बैंक में काम करता था, उसकी भी वहां से छटनी हो गई। बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। यह जो पढ़ा-लिखा नौजवान है, अगर उसके लिए हमने कोई इंतजाम नहीं किया, तो निश्चित रूप से सड़कों पर आक्रोश फूटेगा। हुकुमदेव जी और हम जैसे लोग अगर उनसे भेंट करने जाएंगे तो निश्चित रूप से वे अपना गुस्सा निकालेंगे।

महोदय, बिहार सूफियों और संतों का प्रदेश है। बिहार कोई मामूली राज्य नहीं है। जिस समय बिहार का बंटवारा किया जा रहा था, मैं उस बंटवारे के पक्ष में नहीं था। लेकिन चारों तरफ से हमारे ऊपर दबाव पड़ा। उस समय एनडीए की सरकार थी। यह कहा गया था कि बिहार को तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। बिहार को पैकेज दिया जाएगा। बंटवारे की भरपाई की जाएगी। 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव हमने भेजा था, लेकिन एक पाई भी एनडीए के शासन में नहीं मिली।

महोदय, मैं डेवलप्ड राज्यों के विरोध में नहीं हूं। लेकिन बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश खास तौर से ईस्टर्न यूपी के लिए हम लोग क्या इंतजाम कर रहे हैं? रघुवंश प्रसाद जी ने इसके लिए काफी लड़ाई लड़ी और पिछली यूपीए सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले को 15-20 करोड़ रुपए यहां से भेजा गया। आप लोगों ने काफी रुपया राज्यों को दिया, लेकिन उन्होंने केन्द्र पोषित स्कीमों पर अपना नाम लगाकर वोट लेने के लिए इलैक्शन के समय में अपनी स्कीम चला दी। कोई सस्ता चावल दे रहा है, कोई कुछ और दे रहा है। इस पर स्ट्रीक्टली नजर रखने की आवश्यकता है।

महोदय, राज्यों की माली हालत सुधारने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। प्रणब बाबू आपसे लोगों को काफी उम्मीदें हैं और हम लोगों को भी उम्मीद है कि आप इंसाफ करेंगे क्योंकि आप काफी इंसाफ पसंद इंसान है, आप में ममत्व है।

महोदय, आज बिहार की हालत क्या है? जब तक पीछे छूटे हुए भाई की स्पेशल केयर नहीं की जाएगी, उसे बराबरी पर नहीं लाया जाएगा, तब तक विषमता कायम रहेगी। बिहार के मुख्य मंत्री अब हर तरफ से बिहार के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। वह कहते हैं कि जब तक स्पेशल केटेगिरी नहीं बनेगी, बिहार का तब तक कायाकल्प होने वाला नहीं है। उन्हें जो करना था, वे कर चुके। हम एक स्पेशल केटेगिरी पैकेज चाहते हैं। बिहार में कहां कोई आता है, कहां कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इनवेस्ट करने जा रहा है? वाटर लोगिंग है, कटोरा बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नदियों ने बिहार को हर साल तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ा किया है। हमारे नार्थ-बिहार में बागमती, अधवारा, बूढ़ी-गंडक सारी नदियां आती हैं। वहां मधुबनी एवं दरभंगा का इलाका है, जहां से हुक्मदेव नारायणजी आते हैं। वह इलाका हर साल बाढ़ के तमाचे से गोता लगाता रहता है। कोसी ने सब बर्बाद कर दिया। हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। एक हजार करोड़ रुपया फर्स्ट किश्त में दिया गया, एक हजार मीट्रिक टन चावल और गेहूं देकर सारे देश ने मदद की। किसी ने भेदभाव नहीं किया। उस गेहूं और चावल को बांटा गया। रेलवे विभाग के 45 हजार कर्मियों से, रेल के अधिकारियों से एक दिन की तनख्वाह लेकर हमने वहां दी, लेकिन आज भी कोसी में बालू का ढेर है। वहां खेती और स्कूल चौपट हो गए, कॉलेज ध्वस्त हो गए। बिहार सरकार ने आपसे मांग की या नहीं, मैं नहीं जानता हूं। उन्होंने कोई कार्यक्रम बना कर भेजा या नहीं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उसे राष्ट्रीय आपदा स्वीकार किया, माना और उसके लिए हर तरह की सहूलियतें दीं। कोसी से जो बर्बादी हुई है, उसमें दिल्ली को आगे बढ़-चढ़ कर मदद करनी चाहिए। यह कोई नीतिश या लालू का सवाल नहीं है, वह आपकी जनता और आपके लोग हैं। हमें सारी चीजों को देखना है। वहां बाढ़ का खतरा बना रहता है। नेपाल से बात करो, हमारे मरहूम नेता, कर्पूरी ठाकुर जी बराबर बोलते थे कि जब तक नेपाल से बात नहीं होगी तब तक बाढ़ का समाधान नहीं होगा। जब बाढ़ आ जाती है तो फिर वाटर लोगिंग हो जाती है। नार्थ बिहार को हम गार्डन ऑफ बिहार कहते हैं। वहां का लैंड बेस्ट फर्टाइल है, वहां डेंसिटी ऑफ पापुलेशन बहुत ठीक है और हम मारे-मारे चलते हैं। इस स्थाई समाधान के लिए जितनी भी वाटर लोगिंग है, ताल-तलैया में पानी है, उसके निकासी का कार्यक्रम बनना चाहिए और बाढ़ के लिए स्थाई समाधान होना चाहिए। नदियों को लिंक करने की बात चल रही है, नदियां लिंक की जाएं। इसके लिए सोच-विचार किया जा रहा है। भूगोल की जानकारी भी लोगों को नहीं है। दक्षिण की नदी उत्तर से जाएगी और उत्तर की नदी ऊपर से जाएगी और फिर रास्ते में सुंदरलाल बहुगुण जी मिलेंगे, मेधा पाटकर भी मिलेगी। पानी किस को, कहां मिलेगा, जो व्यावहारिक है, फिज़िबिल्टी है, वही मिलेगा। आपको वहां ऊंचे-ऊंचे डेम बनाने पड़ेंगे। अभी बीजेपी के लोग बोल रहे थे। अनंत कुमार जी इस काम में काफी मेहनत करते रहते हैं। पानी उल्टा का पुल्टा कैसे चढ़ेगा, नदियों को कैसे चलाओगे, कहां से पैसा लाओगे, कहां से ये बात होगी। ये सब बातें चलती रहती हैं। इसके लिए काफी ध्यान देने की जरूरत है। जो कर सकते हैं, वह कहना चाहिए, लोगों को बहका कर नहीं रखना चाहिए। हम कहते रहते हैं कि नदियों

को जोड़ेंगे। राष्ट्रीय नदी आपने बना दी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा की। चुनाव के पहले कहा कि गंगा राष्ट्रीय नदी है। गंगा का पानी उत्तर प्रदेश हमें छूने नहीं देता। पानी जहां से ओरिजनेट होता है, वहीं से बंट जाता है। हमने बक्सर में पम्प कैनाल बनाया, लेकिन वहां जरा भी पानी नहीं है। पानी का बंटवारा आज तक नहीं हुआ। इसके लिए आप सब को बुलाएं और जो यह पानी का डिसप्यूट है, उसका समाधान करें। आदरणीय देवगौड़ा जी जब प्रधान मंत्री थे, हम किसी की आलोचना नहीं करते।

महोदय, हमारी गंगा नदी का सारा पानी फरक्का में चला गया। बाढ़ आती है, पानी आता है, कितने दिन हमारा पानी नदी में ठहरता है, फरक्का का गेट खोल दिया और सारा पानी फरक्का में चला गया। हमारे यहां के सारे मछुआरे भूखों मर रहे हैं। हमारे यहां आंध्र प्रदेश से मछली आ रही हैं। अगर आंध्र प्रदेश से मछली नहीं आए, तो बिहार में मछली नहीं मिले। आंध्र प्रदेश में फार्मिंग करके जो मछली बनती है, वहां से ट्रक के ट्रक मछली और अंडे बिहार में आते हैं। गंगा नदी में हिल्सा मछली से लेकर अनेक तरह की जो मछलियां होती थीं, वे अब नहीं मिलती हैं। मछली का करैक्टर है कि वे धार पर लहराकर उल्टी चढ़ती हैं। गंगा सूख गई हैं। गंगा में मछली ही नहीं है। पहले गंगा में बहुत मछली होती थीं। सैकड़ों किस्म की मछलियां होती थीं और वे ही छलक-छलक कर खेतों में जाती थीं। उन्हीं में से गरीब आदमी मछली खाते रहते थे। मेरा निवेदन है कि फरक्का के बारे में आपको राजनैतिक स्तर पर, विदेश मंत्री या प्रधान मंत्री को बात करनी चाहिए और फरक्का का बांध खुलना चाहिए। भारत सरकार इस पर सोचे। यह कोई खास बात नहीं है। फरक्का का बांध खुलना चाहिए। हमारा पानी फरक्का में चला जाता है और फरक्का के गेट बंद कर दिए जाते हैं। इस बार तो बरसात नहीं हो रही है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि नदी में इस बार पानी नहीं रहेगा। नदी सूख जाएगी। नदी में आप इस पार से उस पार पैदल चले जाइए। नदी सूखी है, मल्लाह भूखा है। इन चीजों पर बैठकर विचार करना चाहिए और कोई न कोई हल निकालना चाहिए। आप लोग मंत्री हैं। एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी बनाकर, इस प्रकार के जो भी सवाल हैं, उन्हें हल करने के लिए जो भी हो सकता है, उस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम तो बिना मांगे यही सुझाव दे सकते हैं। वैसे तो हमारी जरूरत आप लोगों के यहां है नहीं। जब बुखार होता है, तो उसे उतारने के लिए पुराने चावल और सिंधी मछली का झोल ही काम आते हैं। हम आपके साथी रहे हैं। इसलिए हमें आपका दिल तोड़ने में भी तो दिक्कत होती है। हम उनका दिल नहीं तोड़ेंगे। उनकी भी तो मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं बने, तो हम उनकी बुराई शुरू कर दें। नाउ आई एम रिलैक्स्ड। हम लोग काम करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : आप लोग बूढ़े हो गए हैं और उधर जवान हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया कोई व्यवधान न करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : हमें बूढ़े बोलते हो। हम यादव हैं। हमारी उम्र 60 साल है और कहा जाता है कि साठा सो पाठा।

सभापति महोदय, जो कृषि है, खाद है, बीज है, सिंचाई है और भूमि-सुधार हैं, इन सबको ठीक कराइए, ताकि मंदी से मुकाबला किया जा सके।

महोदय, विदेशी बैंकों में जमा देशी धन को निकालने का काम अगर श्री प्रणब मुखर्जी करेंगे, तो यह देश के लिए बहुत कल्याणकारी कदम होगा। नहीं, तो फिर वही बोफोर्स वाली बीमारी फैलेगी। बोफोर्स पर आप लोग कई इलैक्शन हार गए और हम लोग जीत गए। जब कारगिल की लड़ाई हुई, तब बोफोर्स तोपों ने ही काम किया। अगर बोफोर्स तोपें नहीं होतीं, तो वे लोग पीछे नहीं हटते। भाजपा के लोग, हम लोग और आप लोग, सब लोग कुबूल कर रहे हैं कि स्विस बैंक में कितना पैसा जमा है और किन सज्जन लोगों का पैसा जमा है और उसे वे कहां से लाए हैं। इस संबंध में उन देशों की सरकारों से बात करके उसे देश में लाने का प्रयास किया जाए। हालांकि हमें औथेंटिक जानकारी नहीं है और न मैं इसे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, तथापि जो हमें मालूम हुआ है, उसके अनुसार हमें ऐसा लगता है कि इसमें गो-स्लो की नीति अपनाई गई है। उस पैसे को विदेशी बैंकों से निकालने में, उन देशों को समझाने में, हो सकता हो कि समय लगे, लेकिन तब तक आप यह आदेश तो कर ही सकते हैं कि जब से देश में स्विस बैंक में जमा पैसे को निकालने की चर्चा हो रही है, तब से कौन-कौन आदमी ने अपने रुपए वहां से निकाले, उनकी लिस्ट प्रकाशित करा दीजिए। यह तो आसानी से किया जा सकता है। पैसा जब बैंक से निकाला गया है, तो यह तो मालूम ही होगा कि किसने कितने पैसे विथड्रा किए। उसका भी आप पता करा लीजिए, तो आपका भी नाम हो जाएगा। बोफोर्स तोप के मामले में जैसे श्री वी.पी. सिंह का नाम हुआ, वैसे ही आपका नाम भी और ऊंचा होगा। आप लोग गवर्नमेंट में हैं। विदेश मंत्री हैं, वे उन सरकारों से बात करें और आपने जिक्र भी किया था कि इस पैसे को देश में लाने का आप लोग प्रयास करेंगे।

है-नहीं है, क्या है। यह सब बात आ जानी चाहिए, लेकिन जिन बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए, वह है कि भारत की हमारी गरीबी,

[श्री लालू प्रसाद]

गुरबत कैसे मिटेगी। हम फालतू बहस में बहुत जगह लगे हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दे दिया, समलैंगिक को कुछ बात बोल दी कि आई.पी.सी. में संशोधन कर दो। यह सब पाश्चात्य देश की कल्चर है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : लालूजी, कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप पहले ही 28 मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : कितने मिनट बोलिएगा? स्विस बैंक में जो पैसा है-नहीं है, जिन सज्जनों ने जमा किया है, जिस आर्गेनाइजेशन ने जमा किया है, वह जरूरत मिल जायेगा और उसको निकलवा लेना चाहिए, बता देना चाहिए। वह आदमी एक्सप्लेन करेगा कि हमारा बोनाफाइड पैसा है। इंडियन बैंक में हमको डर था, इसलिए स्विस बैंक में लाकर जमा किया है तो इन चीजों में साफ-साफ यह बात हो जानी चाहिए।

बिहार का एक सवाल मैंने कहा कि इसको स्पेशल कैटेगरी कर दीजिएगा तो इससे यह होगा कि उद्योग में कुछ रिबेट मिल जायेगी, सहायता में कुछ मदद मिल जायेगी, बिहार को बराबरी में आने का मौका मिल जायेगा। बिहारी लोग बड़े कमिटेड लोग हैं, सेंटीमेंटल लोग हैं और चाहे आजादी की लड़ाई हो, जो भी हो, यह सवाल किसी आदमी का नहीं है, इसलिए वहां पर आप यह करिये। कोसी के लिए होम डिपार्टमेंट में दिखवा लीजिए कि बिहार सरकार ने किस-किस मुद्दे के लिए पैसा मांगा। उस पैसे को भिजवा दीजिए, इससे वहां के किसानों को सीधा फायदा होगा। नदियों से जो कटाव हो रहा है, बर्बादी हो रही है, विलेज का जो इरोजन हो रहा है, इसकी रोकथाम करने के लिए इन चीजों को आप करें। देश में जो साधन हैं, आपने जो कहा कि यह सबसे बड़ा बजट है, हम लोग भी मानते हैं कि सबसे बड़ा बजट आपने पेश किया है, लेकिन इसका लाभ गांव के आम आदमी तक निश्चित रूप से जाना चाहिए और उनको मुख्य धारा में लाने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए।

जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, जो पढ़े-लिखे टैक्नीकल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कम्प्यूटर की शिक्षा लेते हैं, बी.ए. हैं, ग्रेजुएट हैं, एम.ए. हैं, उनमें मारा-मारी चल रही है, उनके लिए इन्तजाम हो। मुस्लिम ब्रदर्स में, महिलाओं में तालीम की घोर कमी को हम लोगों ने स्वीकार किया है। मुस्लिम महिलाओं को, उनकी बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनको बराबरी में लाने के लिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट भी टेबल पर ले करवा दीजिए। पश्मन्दा मुसलमानों को एस.टी. का, ट्राइबल का दर्जा देने के लिए संविधान का अनुच्छेद 341 है, उसमें संशोधन करा दीजिए। इससे लोगों को मालूम होगा कि हमारी सरकार माइनोरिटी के लिए काम कर रही है। उन्होंने बड़ा बढ़-चढ़कर, कन्धे से कन्धा मिलाकर आप लोगों को वोट दिया था हम लोगों को जहां वोट दिया है, सब जगह वोट दिया है, इसलिए इनको मुख्य धारा में हमको लाना है और समतामूलक समाज बनाने में, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सफल होंगे।

इलैक्शन एक्सपेंसेज़ का जो मुद्दा है, इलैक्शन का खर्चा देने से इलैक्शन जब हम लोग लड़ने जाते हैं तो उसी दिन से बही-खाता लेकर हम लोग जाते हैं, क्योंकि रिटर्न देना है। कहां लगाता है, यह आपका काम नहीं है, इलैक्शन कमीशन का काम होता है कि रिटर्न दो-रिटर्न दो।

आपने जो बजट पेश किया है, आपकी नई सरकार बनी है, यह पहला बजट है और इस बजट का हम समर्थन करते हैं और सब लोग इसका समर्थन करेंगे। आलोचना की जहां बात होगी, आलोचना भी करेंगे। अभी तो पहला ही हाल है, बीच-बीच में कहीं जरूरत होगी तो आलोचना होगी, हैल्दी क्रिटिसिज्म होगा, कोई लाठा-लाठी नहीं होगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : इस चीज को आप देखिए और जो जरूरी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान। इसके लिए हमको प्रबन्ध करना चाहिए। जितनी भी हमारी कूवत है, जितनी भी हमारी शक्ति है, वह करिये। आप लैंड टू दि टिलर करिये। फंडामेंटल राइट में लोगों को सम्पत्ति रखने का कितना तक अधिकार रहेगा, आप इस पर सीलिंग करिये। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और चालाकी से यह बहाना बना रहे हैं कि फंडामेंटल राइट के तहत हमको इसका अधिकार है।

मैं अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आलू कॉमन सब्जी है। किसान के खेत से बिचौलियों ने सस्ते दाम में आलू ले लिया। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : धन्यवाद, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : लालूजी, मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : ठीक है। आप चेयर पर बैठे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं और आपकी आदेशानुसार अब अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको बहुत धन्यवाद।

अगले वक्ता हैं श्री सुरेश अंगड़ी

श्री सुरेश अंगड़ी (बेलगाम) : महोदय, अधिकतर माननीय सदस्यों ने माननीय वित्त मंत्री के नेतृत्व की सराहना की है। वित्त मंत्री अपने कार्य में दक्ष और अच्छे हैं लेकिन उनका बजट उतना अच्छा नहीं है। अत: मैं इस बजट का विरोध कर रहा हूं।

यह बजट दिशाहीन है। इस बजट का कोई दूरदृष्टि का अभाव है। किसान और बुनकर देश की दो आंखें हैं। किसान अथवा बुनकरों के लिए कोई विशिष्ट दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। उन्होंने चेन्नई और पश्चिम बंगाल दोनों जगह एक-एक हथकरघा क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। कर्नाटक में भी बहुत बुनकर हैं। मुझे नहीं पता कि कर्नाटक की उपेक्षा क्यों की गई। कर्नाटक के लोग भी भारत के नागरिक हैं। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बजट में कर्नाटक पर भी ध्यान दें। समग्र भारत एक है। चूंकि दोनों ओर के अधिकत्तर नेताओं ने आपके नेतृत्व की सराहना की है अत:, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे राज्य पर भी ध्यान दें।

मैं किसान ऋण माफी योजना को, संभवत: 31 दिसम्बर तक, बढ़ाए जाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2007-2008 के दौरान कर्नाटक के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदुरप्पा ने कर्नाटक में प्रत्येक किसान का 25,000 रु. तक का ऋण माफ किया था। यह धनराशि लगभग 1,718 करोड़ रु. है। कर्नाटक सरकार ने अनेक बार केन्द्र सरकार से इस धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है। दो से तीन माह के पश्चात् केन्द्रीय बजट प्रस्तुत हुआ था। माननीय श्री पी. चिदम्बरम ने उस समय किसानों का 60,000 करोड़ रु. का ऋण माफ किया था। हम भी भारत का अंग हैं। हम तत्कालीन उप मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा माफ किये गये 1,800 करोड़ रु. की ऋण माफी पर विचार करने और कर्नाटक सरकार को इसकी प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध करते हैं ताकि सिंचाई और अन्य परियोजनाओं को शुरू किया जा सके। लेकिन तब से अब तक माननीय वित्त मंत्री ने उस पर विचार नहीं किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कर्नाटक सरकार को 1,800 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र की जाए क्योंकि हम भी भारत सरकार का अंग हैं और कृपया कर्नाटक के नागरिकों को भी भारत का नागरिक समझें। अत: हमारी उपेक्षा न करें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में किसी विशेष परियोजना पर विचार नहीं किया गया है। देश बिजली की भारी कमी की समस्या से जूझ रहा हैं। देश में बिजली की अनुचित आपूर्ति नहीं हो रही है। इस संबंध में कोई बड़ी परियोजना नहीं है। यदि बिजली का उत्पादन नहीं होगा तो औद्योगिक उत्पादन में भी कमी आएगी। किसानों को खेती करने में समस्या आएगी और रोजगार सृजन नहीं होगा। परंतु इस बजट में विद्युत उत्पादन हेतु कोई बड़ी परियोजना नहीं है और इसके कारण वित्तीय समस्या आएगी तथा इस बेरोजगारी भी उत्पन्न होगी। अत: मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

आज विद्युत अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि मानव शरीर को रक्त की आवश्यकता होती है वैसे ही देश को बिजली की आवश्यकयता होती हैं। बिजली की कमी के कारण अधिकांश उद्योग और अधिकांश युवक अपने उद्योग आरंभ करने में असमर्थ हैं तथा इसके कारण सम्पूर्ण देश के किसानों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आज सुबह संसद में ही बिजली चली गई थी। दिल्ली में संसद के सभी सदस्य रात के समय जब अपने घर जाते हैं तो वह गर्मी महसूस करते हैं। जब एसी नहीं चल रहा होता तभी हम बिजली कटौती की समस्या को समझ पाते हैं।

सरकार ने इस मामले पर कोई विचार नहीं किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विशेष परियोजना पर भी ध्यान दें।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कई बार उल्लेख किया है कि इस देश में नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए। तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गंगा-कावेरी योजना को प्रारंभ करने का मन बना लिया था। यह पांच लाख करोड़ रु. की परियोजना थी। आप कल्पना कीजिए कि यदि यह गंगा-कावेरी योजना पूरी हो जाती और उन्हें जोड़ दिया गया होता तो किसानों के खेतों तक कितना पानी पहुंचता तथा देश की अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि होती। इससे कितने लोगों को रोजगार मिलता और कितने वर्तमान अभियन्ताओं को काम मिलता। यदि इस योजना को आरंभ किया जाता तो इस परियोजना में हमारे वैज्ञानिकों, वरिष्ठ अभियंताओं तथा अन्य कई अधिकारियों की क्षमताओं का उपयोग किया जा सकता था। किसानों को लाभ मिल सकता था

[श्री सुरेश अंगड़ी]

और पशुओं की सहायता की जा सकती थी। देश के जल स्तर का अधिक महत्व है। इस बात को भी इस बजट में नहीं उठाया गया है।

डॉ. अब्दुल कलाम और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार, गंगा-कावेरी योजना का उल्लेख किया है। आपने इस परियोजना का उल्लेख नहीं किया। यदि इस योजना को कार्यान्वित कर दिया गया होता तो हम इससे कितने लाभान्वित हो गए होते। पच्चीस वर्ष पहले चीन ने नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम लागू किया था। परंतु, 62 वर्षों के पश्चात् भी हमने यह कार्य आरंभ नहीं किया है। आप काफी समय तक सत्ता में रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। मैं नहीं जानता कि अभी तक इस परियोजना को आरंभ क्यों नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि आप केवल आंकड़ेबाजी कर रहे हैं किन्तु इस परियोजना को लागू नहीं कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज कार्यक्रम तैयार किया जिसके फलस्वरूप आज अधिकांश वाहन सुचारु रूप से चल पा रहे हैं और सड़कों की वजह से अर्थव्यवस्था में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। दुर्भाग्यवश, गत पांच वर्षों और इस बजट में भी आपने गंगा-कावेरी योजना को शामिल नहीं किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय पर पुनर्विचार करें और नदियों को आपस में जोड़ने के लिए गंगा-कावेरी योजना को लागू करें। भविष्य में तमिलनाडु और कर्नाटक की समस्या नहीं रहेगी। मेरे मित्र यहां उपस्थित हैं। पानी की भारी कमी के कारण हम इस समस्या का लगातार सामना कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

मैं आपके ध्यान में एक महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं। अधिकांश मामलों में कर्नाटक की उपेक्षा की गई है। वहां किसी आईआईटी या विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। वहां एनएसजी का केन्द्र भी नहीं है। कर्नाटक सरकार और मुख्य मंत्री ने कई बार यह अनुरोध किया है कि आतंकवादी और अन्य गतिविधियों को देखते हुए कर्नाटक में एनएसजी केन्द्र की स्थापना की जाए। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र बेलगाम ढ़लाई कारखानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। बेलगाम के लिए ढ़लाई क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ढ़लाई उद्योग द्वारा तैयार किए जा रहे अधिकांश उत्पादों का निर्यात करते हैं। मेरे जिले में चीनी उद्योग को पुनर्जीवित किया जाए। इस बजट में चीनी उद्योग का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें किसानों के बारे में कोई जिक्र नहीं है।

कर्नाटक सरकार ने बाढ़ राहत के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मांग करते हुए एक सूची भेजी है। वित्त मंत्री और यहां तक कि प्रधान मंत्री को भी कई बार अभ्यावेदन दिए गए हैं। तब पर भी 1000 करोड़ रुपए की धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। उस समय मा. मंत्री श्री शरद पवार और तत्कालीन गृहमंत्री श्री शिवराज पाटिल एवं मा. प्रधान मंत्री ने भी बेलगाम का दौरा किया और उस समय बाढ़ राहत शिविरों को देखा। हमने कई बार अनुरोध किया और कर्नाटक सरकार ने कई बार अभ्यावेदन दिया एवं मा. मुख्य मंत्री ने मा. प्रधान मंत्री से भेंट की। तब भी प्रतिपूर्ति नहीं की गई। मैं अनुरोध करता हूं कि नई परियोजना शुरू करने के लिए कर्नाटक सरकार को भुगतान करें। यदि धनराशि जारी की जाती है तो कम से कम इस वर्ष किसान उस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

देश के युवाओं के लिए यह अति-आवश्यक है। जो शाहीद आस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या है। आर्थिक मंदी के कारण नौकरियां नहीं हैं। वे मेधावी हैं। लेकिन हम उनकी मेधा, उनके कौशल का उपयोग नहीं कर रहे है। इसके बारे में भी इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि विभिन्न देशों में रहने वाले मेधावी इंजिनियरों और युवाओं के लिए आप एक योजना बनाएं एवं देश के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग करें। जब वे दूसरे देशों में लगन से कार्य कर रहे है और यदि आप उन्हें अपने देश में ले आएं तो वे और बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं एवं हम और अधिक उत्पादन कर सकते हैं तथा हम देश को बहुत समृद्ध बना सकते हैं।

इसके अलावा, किसान और बुनकर इस देश की दो आंखे हैं। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप इस समूहों के लिए उचित उपाय करें। ये दोनों बड़े और प्रमुख समूह हैं— एक जीवित रहने के लिए भोजन देता है और दूसरा हमारे पहनने के लिए वस्त्र। ये दोनों अंग महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप कृपया आवश्यक कार्रवाई करें।

मैं इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। चूंकि आपने इन सब मुद्दों को नहीं उठाया इसलिए मैंने इन्हें उठाया। महोदय, मैं आपका प्रशंसक हूं। लेकिन मैं आपके बजट की प्रशंसा नहीं करता।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, आज प्रणब बाबू के बजट की जो प्रस्तुती हुई है, उसके समर्थन पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो लोग कुछ समय से राजनीति में हैं, उनके लिए प्रणब बाबू एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी में जेम्स बांड यानी 007 एजेंट की पिक्चर्स आती हैं, तो प्रणब बाबू हमारे लिए 007 एजेंट की तरह हैं। जब कोई विशेष मुसीबत आती है, तो पूरी सरकार की तरफ से प्रणब बाबू को उस एजेंट के रूप में भेज दिया जाता है। मैंने देखा है कि जब मुम्बई पर हमले हुए थे तब इस सरकार की रक्षा करने के लिए उन्होंने बहुत मुस्तैदी के साथ 007 का रोल अपनाया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस दिक्कत का सब पर प्रभाव पड़ा तब भी उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ हमारी रक्षा की।

प्रणब बाबू, मैं इतना जरूरत कहना चाहूंगा कि आप अपने विचारों में उसी तरह की छलांग लगाते हैं, जो 007 का एजेंट लगाता है। हम लोगों को एक विश्वास है कि आप हमारे सारथी हैं, हमारा रथ, इस देश के विकास का रथ अपने मुकाम पर पहुंचेगा।

सभापति महोदय, मैं अपने वक्तव्य को तीन भागों में बांटूगा। सबसे प्रथम - इस बजट पर अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा। दूसरा, लालू जी और हमारे कई मित्रों ने अपनी तरफ से जो विचार प्रकट किए हैं, उनके अंदर एक आक्रोश है, एक भावना है। हमारा कृषि और हमारा ग्रामीण क्षेत्र कई वर्षों से उपेक्षित रहा है, उसमें मैं कुछ अपनी बात कहूंगा।

अंत में, तीन प्रोंग स्ट्रैटजी में प्रणब बाबू ने प्रशासनिक सुधारों की जो बात की थी, उस पर मैं कुछ अपनी बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले छः-आठ महीने में विश्व स्तर पर एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया है। कई वर्षों से तमाम पार्टियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारी जो पूर्व में अर्थव्यवस्था होती थी, जिसमें हम अपने आपको दुनिया से बचाकर रखते थे और बरसात में अपने आपको एक छाते की तरह रखते थे, उसमें मिलते नहीं थे, लेकिन एक धारणा बनी कि नहीं, इस देश में थोड़ा सा और खोलना चाहिए। आजादी के 40 साल बाद काफी विकास हुआ। अब हम सुदृढ़ हो गए हैं, अब हम बराबरी से विश्व के साथ मुकाबला कर सकते हैं। उनके साथ संबंध बांध सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। आज हमारी बेटी बड़ी हो गई है। वह घर की दहलीज से बाहर निकलकर गली में जा सकती है। जब हमने मंशा ली, तो एक दूसरे विकास की धारणा इस देश में बनी। खासकर पिछले पांच-सात साल में ज़बसे डा. मन मोहन सिंह जी की सरकार आई, जिसमें आर्थिक रूप में चिदम्बरम जी ने और बाद में प्रणब बाबू ने एक सारथी के रूप में इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे चलाया। वर्ष 1991-92 में वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा जो कदम उठाए थे, उससे एक विश्वास इस देश की जनता को हुआ। यही ग्रोथ, यही विकास, जिस पर टिप्पणी की जाती थी, जिस पर कई बार कहा जाता था कि ग्रोथ पर फोकस करना महज एक बकवास है। जो सरकारें केवल ग्रोथ की बात करती हैं, वे केवल पूरे देश को गुमराह कर रही हैं, अलग कर रही हैं। आज चर्चा बदली है। आज इस सदन में कोई सी विचारधारा के लोग जो बीजेपी में ही नहीं, दूसरी पार्टियों में भी है, वे बीजेपी और हमारे बीच में बैठते हैं, इस धारणा पर विश्वास करते थे। सामाजिक विचाराधारा से जुड़ी पार्टियां भी इस बात को मानने लगी हैं कि विकास तो अनिवार्य है। यह आठ परसेंट, नौ परसेंट और दस परसेंट का विकास इसलिए अनिवार्य है, क्योंकि इस देश की जो जरूरते हैं, आर्थिक जरूरतें हैं, पैसा खर्च करने की जरूरतें हैं, देश की बदलती हुई आकांक्षाएं हैं, यहां के लोगों की अपने बारे में, अपने जीवन स्तर की अपेक्षाएं हैं, उसमें विकास की एक महत्वपूर्ण जरूरत पड़ेगी। उस विकास की जरूरत को कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने जिस बखूबी के साथ पिछले चार-पांच साल में पूरा किया है, उसके लिए मैं यूपीए सरकार को श्रेय देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा।

पिछले साल एक विषम परिस्थिति रही है। मनीष तिवारी, जो मुझसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझाया कि कैसे 1920-1921 में दुनिया भर में जब इकॉनामिक डिप्रेशन आया था, तो बैंकिंग वर्ग के कुछ कार्यकलापों द्वारा दुनिया को एक स्थिति में पाया गया था, उसी तरह से हमने भी अपने आपको इस विषम परिस्थिति में पाया।

रात्रि 8.00 बजे

लेकिन फिर भी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने के बावजूद, दुनिया की अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई प्रगति से फायदा लेने के बावजूद हमारी सरकार ने, मैं इस मामले में इससे पूर्व की एनडीए सरकार और कांग्रेसी सरकारों की भी सराहना करूंगा ने, पूरे तरीके से विश्व आर्थिक व्यवस्था से नहीं जोड़ा। कुछ रूपों में हमें उससे बचाकर रखा है, तब आज की आर्थिक मंदी में जब दुनिया के बड़े से बड़े देश घिर गए हैं, हिल गए हैं, हमने 6.7 प्रतिशत की दर हासिल की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री संदीप, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित : महोदय, मैं एक वाक्य बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि देश आज मुझे उस गली की तरह दिखता है जिसमें भूकम्प आने से सारे मकान गिर गए हैं, लेकिन बीच में एक मकान हमें खड़ा हुआ दिखाई देता है। यह मकान वह था जिसकी नींव डा. मनमोहन सिंह जी ने वर्ष 1992 में रखी थी और जिसकी मरम्मत आज भी डा. मनमोहन सिंह और प्रणब दादा कर रहे हैं। मैं यह चित्र प्रस्तुत करने के बाद बैठता हूं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे आगे बोलने का मौका आप कल दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सन्दीप जी आपका धन्यवाद। सभा कल 10 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 10 जुलाई, 2009/ 19 आषाढ़, 1931 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री विलास मुत्तेमवार	81
2.	श्री तथागत सत्पथी श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	82
3.	श्री बलीराम जाधव श्री के.सी. वेणुगोपाल	83
4.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	84
5.	श्री राधा मोहन सिंह	85
6.	श्री राजैया सिरिसिल्ला	86
7.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय श्री जी.एम. सिद्देश्वर	87
8.	श्री एल. राजगोपाल	88
9.	श्री हरिन पाठक	89
10.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार श्री नरहरि महतो	90
11.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	91
12.	श्री वैजयंत पांडा	92
13.	श्री अधीर चौधरी	93
14.	श्री नवीन जिन्दल	94
15.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे श्री दुष्यंत सिंह	95
16.	श्री अशोक कुमार रावत श्री हरिभाऊ जावले	96
17.	श्री हंसराज गं. अहीर	97
18.	श्री आनंदराव अडसुल डॉ. के.एस. राव	98
19.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	99
20.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री मधु गौड यास्खी	100

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	728, 822, 860
2.	अडसुल, श्री आनंदराव	801, 865, 891, 892
3.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	790, 848, 883, 904
4.	अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	724
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	779, 839, 874, 898
6.	अजनाला, डा. रतन सिंह	760, 820
7.	बालू, श्री टी.आर.	744, 811, 852, 884
8.	बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल	773
9.	बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगर	750, 827
10.	चौहान, श्री संजय सिंह	761
11.	चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	767
12.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	726, 791, 824, 867, 893
13.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	879
14.	'कमांडो', श्री कमल किशोर	851
15.	देवरा, श्री मिलिंद	727, 728, 885

1	2	3
16.	देशमुख, श्री के.डी.	739, 806, 851
17.	दुबे, श्री निशिकांत	757, 818
18.	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	840
19.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	730, 829, 868, 894, 906
20.	गायकवाड, श्री एकनाथ महोदव	804, 814, 832, 870,
21.	जाधव, श्री बलीराम	840, 876
22.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	751, 759
23.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	753
24.	जयाप्रदा, श्रीमती	770
25.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बीचा	816, 856, 887
26.	जिन्दल, श्री नवीन	783, 838
27.	जोशी, श्री महेश	746, 766
28.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	746, 751, 759
29.	जोशी, श्री प्रहलाद	756
30.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	737, 803, 849
31.	कलमाडी, श्री सुरेश	856
32.	करुणाकरन, श्री पी.	734, 796
33.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	762, 812, 821, 859
34.	कटारिया, श्री लालचन्द	738, 805, 850
35.	खैरे, श्री चंद्रकांत	742, 809, 866
36.	लागुरी, श्री यशवंत	729, 736
37.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	776, 833, 871, 896
38.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	741
39.	महताब, श्री भर्तृहरि	765, 825, 854, 863
40.	माझी, श्री प्रदीप	749, 754, 814, 817, 857
41.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	780, 837, 879, 902
42.	मणि, श्री जोस के.	735
43.	मुत्तेमवार, श्री विलास	787, 875, 900
44.	नामधारी, श्री इन्दर सिंह	772, 828
45.	निरूपम, श्री संजय	733
46.	निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद	808
47.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	718, 819, 858, 888, 905
48.	पाल, श्री जगदम्बिका	743, 763, 823, 862, 890
49.	पांडा, श्री वैजयंत	797, 844
50.	पांडा, श्री प्रबोध	725
51.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	794, 842, 877, 901
52.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	749, 814, 854, 885
53.	पाठक, श्री हरिन	795, 843, 878
54.	पाटील, श्री ए.टी. नाना	731
55.	राघवन, श्री एम.के.	800
56.	राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.	732
57.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	720, 782, 867
58.	रामशंकर, प्रो.	740, 807
59.	राव, डॉ. के.एस.	815, 855, 886
60.	राठवा, श्री रामसिंह	767, 768, 826, 864
61.	रावत, श्री अशोक कुमार	799, 846, 881, 903
62.	राय, श्री रुद्रमाधव	769
63.	रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र	774, 830, 869, 895

1	2	3
64.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	814, 839
65.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	748, 813, 853
66.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	762, 786, 841
67.	सेम्मलई, श्री एस.	764
68.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	729, 771, 865
69.	शानवास, श्री एम.आई.	813
70.	शर्मा, श्री जगदीश	746
71.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	865
72.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	777, 834, 872, 897
73.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	752
74.	सिंह, श्री दुष्यंत	802, 847, 882
75.	सिंह, श्री गणेश	810
76.	सिंह, श्री राधा मोहन	793
77.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	775, 831, 851
78.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	758
79.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	751
80.	सुगावनम, श्री ई.जी.	719, 781, 904
81.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	716, 778, 835, 873, 899
82.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	722, 751, 784, 861, 889
83.	तिवारी, श्री मनीष	747
84.	ठाकोर, श्री जगदीश	717, 789
85	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	745, 812
86.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	721
87.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	800
88.	वर्मा, श्री सज्जन	755
89.	वर्मा, श्रीमती ऊषा	793
90.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	743, 798, 845, 880
91.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	723, 785
92.	यादव, श्री ओम प्रकाश	729
93.	यास्खी, श्री मधु गौड	804, 814, 832, 870

अनुबंद-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	96
नागर विमानन	:	82, 94
कारपोरेट कार्य	:	83, 100
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	86, 93
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	88
विधि और न्याय	:	81, 84, 92, 99
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	89, 95
रेल	:	85, 87, 90
इस्पात	:	97
वस्त्र	:	91, 98

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	718, 722, 725, 759, 766, 782, 806, 815, 847, 851, 873, 905
नागर विमानन	:	721, 727, 731, 741, 748, 749, 752, 760, 769, 776, 777, 786, 788, 797, 810, 814, 825, 827, 830, 849, 864, 869, 881, 885, 887, 890, 900
कारपोरेट कार्य	:	742, 787, 804, 808, 875, 876, 892
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	762, 801, 848, 882
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	791, 809, 856
विधि और न्याय	:	740, 745, 765, 767, 795, 819, 845, 858, 877, 884, 899, 904
अल्पसंख्यक मामले	:	726, 813
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	716, 724. 744, 746, 747, 780, 789, 792, 802, 807, 828, 831, 832, 833, 834, 835, 837, 844, 846, 852, 853, 855, 863, 865, 866, 869, 879, 888, 902

रेल	:	717, 720, 723, 724, 730, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 743, 750, 753, 754, 755, 758, 761, 763, 764, 768, 771, 772, 773, 774, 775, 779; 781, 783, 785, 790, 793, 794, 796, 798, 799, 800, 803, 805, 811, 812, 816, 817, 818, 820, 821, 823, 826, 829, 836, 838, 839, 840, 843, 850, 857, 859, 860, 861, 862, 868, 870, 871, 872, 874, 878, 889, 891, 893, 894, 897, 898, 901, 906
इस्पात	:	719, 728, 756, 757, 778, 822, 824, 841, 842, 854, 896, 903
वस्त्र	:	751, 770, 784, 824, 880, 883, 886, 895

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस. – 48/2/6/2009 (एन.)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।